लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 1 May 2008

(खण्ड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

प्रणव कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)

अंक 3, शुक्रवार 24 नवम्बर, 2006/ 3 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 43	4-49
प्रश्नों के लिखित उत्तर	49-534
तारांकित प्रश्न संख्या 44 से 60	49-232
अतारांकित प्रश्न संख्या 456 से 669	232-534
सभा पटल पर रखे गए पत्र	535-547
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
16वां और 17वां प्रतिवेदन	547-548
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
192वां और 193वां प्रतिवेदन	548
सभा का कार्य	548-552
सदस्यों द्वारा निवेदन	
चीन के राजदूत द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर की गई कथित टिप्पणी के बारे में	552-582
आवश्यक वस्तु (अधिनियम) विधेयक, 2006	583-601
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शरद पवार	583-586
प्रो. महादेवराव शिवनकर	586-590
श्री एल. राजगोपाल	590-592
श्री वरकला राधाकृष्णन	592-594
श्री शैलेन्द्र कुमार	594-596
श्री राम कृपाल यादव	596-597
श्री सुबोध मोहिते	597-600
श्री भर्तृहरि महताब	600-601
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित	601-605
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006	
(नौवीं अनुसूची का संशोधन)	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	601
(दो) आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2006	
(धारा 2 का संशोधन)	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	602
(तीन) वर्षा जल (अनिवार्य संचयन) विधेयक, 2006	
श्रीमती कृष्णा तीरथ	602
(चार) निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	603

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) अभिरक्षा में अपराध (निवारण, संरक्षण और प्रतिकर) विधेयक, 2006	
श्री मोहन सिंह	603
(छह) दंड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक, 2006	
(धारा 7, आदि का लोप)	
श्री मोहन सिंह	604
(सात) फल तथा सब्जी बोर्ड विधेयक, 2006	
श्री मोहन सिंह	604
(आठ) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006	
(धारा 125 का संशोधन)	
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	605
गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक-वापस लिया गया	605-647
मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2004	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	606-612
श्री के.एस. राव	612-615
प्रो. रासा सिंह रावत	615-619
श्री हन्नान मोल्लाह	619-622
श्री राम कृपाल यादव	622-623
श्री शैलेन्द्र कुमार	623-626
श्री भर्तृहरि महताब	626-629
श्री एस.के. खारवेनथन	629-632
डा. सत्यनारायण जटिया	632-635
श्रीमती रंजीत रंजन	636-637
प्रो. एम. रामदास	638-640
श्री ब्रह्मानन्द पंडा	640-642
श्री फ्रांसिस फैन्थम	642-643
श्री शिवराज वि. पाटील	644-647
कार्यमंत्रणा समिति	
30वां प्रतिवेदन	637
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक - विचाराधीन	648-649
कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री हन्नान मोल्लाह	648-649
अनुबंध-I	669-676
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	669-670
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	670-676
अनुबंध-II	677-680
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	677-678
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	677-680

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 24 नवम्बर, 2006/8 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने तीन भूतपूर्व सहयोगियों श्री युसूफ बेग, श्री बी. सी. काम्बले और श्री राजेन्द्र नाथ बरूआ के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री युसूफ बेग वर्ष 1989 से 1991 तक नौंवीं लोकसभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री बेग वर्ष 1990–91 के दौरान श्रम–मंत्रालय की सलाहकार समिति और जामिया मीलिया इस्लामिया के अंजुमन के सदस्य रहे।

एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री बेग एक प्रसिद्ध मजदूर नेता थे। उन्होंने मजदूरों से संबंधित श्रम कानूनों के अध्ययन और क्रियान्वयन में गहरी रुचि ली। उन्होंने अनेक मजदूर संगठनों के अध्यक्ष और हिन्दू मजदूर किसान पंचायत के उपाध्यक्ष के रुप में कार्य किया। वर्ष 1974 से 1979 तक वह उत्तर प्रदेश के राज्य श्रम आयोग के सदस्य भी रहे।

श्री बेग एक प्रसिद्ध कवि थे और उन्होंने उर्दू भाषा की पत्रिकाओं में अनेक गज़लें लिखीं।

श्री युसूफ बेग का निधन 20 अक्तूबर, 2006 को उत्तर प्रदेश के भदोही में 75 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री बी. सी. काम्बले वर्ष 1957 से 1962 तथा वर्ष 1977 से 1979 तक दूसरी और छठी लोक सभा के सदस्य रहे। तथा उन्होंने महाराष्ट्र के कोपरगांव और मुम्बई दक्षिण मध्य निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

वह वर्ष 1952 से 1957 तक पूर्ण बोम्बे–लेजिस्लेटिव असेम्बली के भी सदस्य रहे।

श्री काम्बले छठी लोक सभा के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे।

पेशे से वकील श्री काम्बले मुम्बई के सिद्धार्थ कॉलेज में संवैधानिक विधि के प्रोफेसर भी रहे।

श्री काम्बले ने दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित भावा से कार्य किया और वह भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की प्रीजिडियम के भी सदस्य रहे। वह महाराष्ट्र के पिछड़ा वर्ग बोर्ड, बम्बई में भी कार्यरत रहे।

श्री काम्बले एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने अनेक पत्र–पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने सामाजिक–विधिक मुद्दों पर विचारोत्तेजक पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त डा. बी. आर. अम्बेडकर की दो पुस्तकों का अंग्रेजी से मराठी में अनुवाद किया।

श्री बी. सी. काम्बले का निधन 6 नवम्बर, 2006 को महाराष्ट्र के मुम्बई में 87 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री राजेन्द्र नाथ बरूआ वर्ष 1962 से 1970 तक तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने असम के जोरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक योग्य सांसद श्री बरूआ वर्ष 1962 से 1967 तक लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति तथा वर्ष 1969 से 1970 के दौरान विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। वह पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत गठित परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे।

पेशे से वकील श्री बरूआ डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के सदस्य और असम, के जोरहाट में जगन्नाथ बरूआ कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष रहे।

श्री बरूआ एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा।

श्री बरूआ ने अनेक देशों का भ्रमण किया और वह वर्ष 1968 मे पेरू के लीमा में आयोजित अंतर–संसदीय संघ के 56वें सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री राजेन्द्र नाथ बरूआ का निधन 16 नवम्बर, 2006 को असम के गुवाहाटी में 93 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक–संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हम विगत दो दिनों से कोई कार्य नहीं कर पाए हैं। यहां कुल मिलाकर 20 बैठकें होनी हैं। दो दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज का दिन भी गैर–सरकारी सदस्यों का दिन है और इसीलिए आज गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करने हेतु अधिक समय उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए, मैं अधिकाधिक समय देने का प्रयास करूंगा। सभी मुद्दे उठाए जाने हैं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि समय उपलब्ध रहा और नियमों ने अनुमति दी तो सभी मुद्दों को अनुमति प्रदान की जाएगी। मैंने सभी से वादा किया है और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी किसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे को, सही रुप में प्रस्तुत करने की अनुमति न दी है।

इसलिए, मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि आप कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दें और अध्यक्षपीठ की बात सुनें।

श्री मल्होत्रा, यद्यपि यह एक असामान्य अनुरोध है। तथापि, मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल जरूर चलना चाहिए। मैं सिर्फ आपका ध्यान संसदीय मर्यादाओं की ओर दिला रहा हूं। शिवराज पाटील जी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक में ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी आप बैठ जाइए। मैंने उनको परमिट किया है।

[अनुवाद]

श्री मिस्त्री, मैंने श्री मल्होत्रा को अनुमति दी है। यदि उचित अवसर आता है तो मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : पुलिस अधिकारियों की बैठक में एक अत्यंत भयावह चित्रण खींचा है कि हमारे एटामिक इंस्टालेशन्स, पावर इंस्टालेशन्स, सरकारी दायरे, कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जो आतंकवादियों के निशाने पर नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि हमारे नज़दीक किसी द्वीप पर कब्ज़ा करके भी हमला हो सकता है। ऐसी स्थिति में सदन में अभी तक ऑर्डर ऑफ बिजनैस में उनके स्टेटमैंट के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। यह सदन चाहता है कि यदि इतनी भयावह स्थिति है तो उन्होंने सदन को कॉन्फिडैन्स में क्यों नहीं लिया? ...*(व्यवधान)* अफ़ज़ल को फांसी न देना और पोटा हटाना...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा नहीं है। यह उससे अलग है

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं क्योंकि यहां बयान भी नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। सरकार यहां उपस्थित है, सभा के नेता यहां उपस्थित हैं। वे आपके विचार सुन चुके हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ऐसा एक वक्तव्य आना ही चाहिए। आप इस विषय पर वक्तव्य देने का निदेश दे सकते हैं।

[हिन्दी]

इतनी भीषण स्थिति का भयावह चित्रण किया गया है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, दुश्वारी यह है कि हम लोग सदन को डिस्टर्ब करने के पक्ष में नहीं रहते हैं और कभी हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन कल एक विशेष स्थिति आ गई कि हमारी पार्टी को सभा करने तक की इजाज़त मुम्बई में नहीं दी गई। श्रीमन्, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे में सभा न कर सके, इसके लिए चीफ मिनिस्टर को रोक दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला भारत की संसद से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक संसद सदस्य जेल के भीतर है, 10,000 लोग जेलों में हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी इस विषय पर भी वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। आप यह जानते हैं। कृपया सहयोग दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए यह समय नहीं है। इन्होंने मुझसे विशेष अनुमति ली थी। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करता हूं कि कृपया सहयोग दीजिए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.08 बजे

अध्यक्ष महोदय : श्री मंजुनाथ कुन्नुर, प्रश्न संख्या 41

एनआरईजीए के अंतर्गत उपलब्धियां

+

***41. श्री मंजुनाथ कुन्नुर :**

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार उन जिलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है जहां राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) लागू किया गया है और राज्य–वार उन जिलों के नाम क्या हैं, जिनमें अभी इसे लागू नहीं किया जाना है;

(ख) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत इस योजना की कोई आवधिक समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्यों ने इसे लागू करने के बाद से इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस अधिनियम के अंतर्गत धनराशियों के शत–प्रतिशत उपयोग और प्रभावी निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एन आर ई जी अधिनियम की धारा 1 (3) के अनुसार, यह अधिनियम 5 वर्षों की अवधि में देश के सभी जिलों में लागू हो जाएगा। एनआरईजीए 2.2.2006 को देश के 200 निर्धारित जिलों में शरू किया गया था। इन 200 जिलों की राज्यवार सूची अनुबंध I में दी गई है।

(ख) से (घ) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्री और सचिव (ग्रामीण विकास) द्वारा समय–समय पर आवधिक समीक्षा बैठकें की गई हैं।

(i) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में एनआरईजीए के कार्यान्वयन और प्रगति पर स्व–स्फूर्त वक्तव्य दिया। लोकसभा में 3.3.2006, 23.5.2006 और 25.8.2006 को तथा राज्य सभा में 8.3.2006, 23.5.2006 तथा 25.8.2006 को वक्तव्य दिए गए थे।

(ii) दिल्ली में 12–13 मई 2006 को मंत्री द्वारा राज्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक।

(iii) मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखण्ड और जम्मू–कश्मीर में मई–जून, 2006 को राज्य विशिष्ट समीक्षा।

(iv) ग्रामीण विकास मंत्री ने सितंबर, 2006 माह में आंध्र प्रदेश में सामाजिक लेखा परीक्षा में हिस्सा लिया।

(v) मंत्री द्वारा 26.09.06 को दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र की तथा 12–13 सितम्बर, 2006 को कोलकाता में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक।

(vi) सचिव द्वारा सितम्बर, 2006 में केरल तथा पूर्वोत्तर राज्यों की समीक्षा बैठकें।

(vii) केन्द्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक 27.09.06 को हुई थी और एनआरईजीए की पूर्ण समीक्षा की गई थी।

(viii) दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों की निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक नई दिल्ली 09.10.06 को हुई थी।

(ix) दिल्ली में 16–17 अक्तूबर, 2006 को डीआरडीए के परियोजना निदेशकों का सम्मेलन।

(x) एनआरईजीए के संबंध में राज्य सचिवों तथा जिला कार्यक्रम समन्वयकों की बैठक 01.11.06 को हुई थी।

(xi) ग्रामीण विकास मंत्री तथा ग्रामीण विकास सचिव ने राज्य मुख्यालयों में राज्यों के एनआरईजीए के कार्य निष्पादन की भी समीक्षा की थी।

(xii) ग्रामीण विकास मंत्री चालू वित्त वर्ष के दौरान एनआरईजीए के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जैसा कि अधिनियम की धारा 11 (1) (एफ) के अंतर्गत अपेक्षित है।

एनआरईजीए एक मांग आधारित कार्यक्रम है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम वाले कार्य करना चाहते हैं, काम मांगे जाने पर एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के कार्य का हकदार होगा। इसलिए, एनआरईजीए के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सकते हैं। तथापि, इस योजना के अंतर्गत उन सभी ग्रामीण परिवारों को रोजगार मुहैया कराए जा रहे हैं जिन्होंने रोजगार की मांग की है और इसके लिए बड़ी संख्या में कार्य शुरू किए गए हैं। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अब तक कुल 415910 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 188035 कार्य जल संरक्षण से, 30631 कार्य सूखारोधन एवं वृक्षारोपन से, 8248 कार्य बाढ़ नियंत्रण से, 105558 कार्य ग्रामीण संपर्क से तथा 78270 कार्य अन्य कार्यों से संबंधित हैं। अब तक 37.56 करोड़ श्रमदिवस सृजित हुए हैं, जिनमें 23.67% अनुसूचित जाति, 40.46% अनुसूचित जनजाति और 39.26% महिलाएं हैं। योजना के अंतर्गत राज्यवार उपलब्धि अनुबंध II में दी गई है।

कुछ राज्यों में चुनावों की वजह से कार्यक्रम देर से शुरू हुआ था। तमिलनाडु, बिहार, केरल, पं. बंगाल और असम नामक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। मेघालय में मध्यावधि चुनाव हुए थे। इसके अलावा, बिहार में भी पंचायत चुनाव हुए थे। लगातार वर्षा से भी कार्यक्रम की प्रगति बाधित हुई है।

(ङ) से (छ) एनआरईजीए में कार्य मांगे जाने पर मजदूर को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। मांग के 15 दिनों के भीतर कार्य मुहैया कराया जाना है और मजदूरों को मजदूरी का भुगतान 15 दिन के भीतर किया जाना है। इसलिए जिलों के पास हर समय निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत होती है। अब तक 11110946 परिवारों ने रोजगार की मांग की है। रोजगार के 100 दिनों की गारंटी को पूरा करने के लिए जिलों के पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए ताकि मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार मुहैया कराया जा सके और काम शुरू हो सके तथा तथा 15 दिन के भीतर इसका भुगतान किया जा सके। इसकी नियमित निगरानी की जाती है। अधिनियम की प्रगति की देखरेख करने के लिए अब तक मंत्रालय के 137 राष्ट्रस्तरीय मॉनीटरों तथा 29 क्षेत्र अधिकारियों ने विभिन्न जिलों का दौरा किया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से विशेष निष्पादन लेखा परीक्षा का आग्रह किया गया है।

अनुबंध - I

पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित जिलों की सूची

राज्य	राज्यों में निर्धारित जिले
1	2
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद
	अनंतपुर
	चित्तूर
	कुडप्पा
	करीम नगर
	खम्माम
	महबूबनगर
	मेडक
	नालगोंडा
	निजामाबाद
	रंगारेड्डी
	विजयनगरम
	वारंगल
अरूणाचल प्रदेश	अपर सुबानसिरी
असम	बोंगईगांव
	धीमाजी
	गोलपाडा
	कारबी आंगलोंग
	कोकराझार
	उ. कछार हिल्स
	उत्तरी लखीमपुर (लाक्षा)
बिहार	अररिया
	औरंगाबाद
	भोजपुर
	दरभंगा
	गया
	जुमई
	जहानाबाद
	कैमूर (भबुआ)
	कटिहार
	किशनगंज
	लखीसराय
	मधुबनी
	मुंगेर
	मुजफ्फरपुर
	नालंदा
	नवादा
	पटना
	पूर्णिया
	रोहतास
	समस्तीपुर
	शिवहर
	सुपौल
	वैशाली
छत्तीसगढ़	बस्तर
	बिलासपुर
	दंतेवाड़ा
	धमतरी
	जशपुर
	कांकेर
	कवर्धा

1	2
	कोरिया
	रायगढ़
	राजनांदगांव
	सरगुजा
गुजरात	बनासकांठा
	डांग्स
	दोहाद
	नर्मदा
	पंच महल
	साबरकांठा
हरियाणा	महेन्द्रगढ़
	सिरसा
हिमाचल प्रदेश	चम्बा
	सिरमौर
जम्मू और कश्मीर	डोडा
	कुपवाड़ा
	पुंछ
झारखंड	बोकारो
	चतरा
	धनबाद
	दुमका
	गढ़वा
	गिरिडीह
	गोड्डा
	गुमला
	हजारीबाग
	जामतारा
	कोडरमा
	लतेहर
	लोहारदग्गा
	पाकुर
	पलामू
	रांची
	साहेबगंज
	सरायकेला

1	2
	सिमडेगा
	पं. सिंहभूम
कर्नाटक	बीदर
	चित्रदुर्ग
	दावनगेरे
	गुलबर्गा
	रायचूर
केरल	पलक्कड
	वायनाड
मध्य प्रदेश	बालाघाट
	बडवानी
	बैतूल
	छत्तरपुर
	धार
	डिंडोरी
	झाबुआ
	खंडवा (पूर्वी निमाड)
	मंडला
	सतना
	सिवनी
	शहडोल
	शिवपुर
	शिवपुरी
	सीधी
	टीकमगढ़
	उमरिया
	पं. निमाड (खरगोन)
महाराष्ट्र	अहमदनगर
	अमरावती
	औरंगाबाद
	भंडारा
	चंद्रपुर
	धुले
	गढ़चिरौली

1	2
	गोंदिया
	हिंगोली
	नान्देड
	नान्दुबार
	यवतमाल
मणिपुर	तामेनलोंग
मेघालय	द. गारो हिल्स
	प. गारो हिल्स
मिजोरम	लवंगतलाई
	सैहा
नागालैंड	मोन
उड़ीसा	बोलांगीर
	बौध
	देवगढ़
	ढेकनाल
	गजपति
	गंजम
	झारसुगुडा
	कालाहांडी
	क्योंझर
	कोरापुट
	मलकानगिरी
	मयूरभंज
	नवरंगपुर
	नौपाड़ा
	फुलबनी
	रायगढ़
	संबलपुर
	सोनपुर
	सुन्दरगढ़
पंजाब	होशियारपुर
राजस्थान	बांसवाड़ा
	डूंगरपुर
	झालावाड़

1	2
	करौली
	सिरोही
	उदयपुर
सिक्किम	उ. सिक्किम
त्रिपुरा	धलाई
तमिलनाडु	डिंडीगुल
	नागापट्टिनम
	शिवगंगइ
	द. आरकोट/कुड्डालूर
	तिरूवन्नामलाई
	विल्लूपुरम
उत्तरांचल	चमोली
	चम्पावत
	टिहरी गढ़वाल
उत्तर प्रदेश	आजमगढ़
	बांदा
	बाराबंकी
	चन्दौली
	चित्रकूट
	फतेहपुर
	गोरखपुर
	हमीरपुर
	हरदोई
	जालौन
	कौशाम्बी
	कुशीनगर
	लखीमपुर खीरी
	ललितपुर
	महोबा
	मिर्जापुर
	प्रतापगढ़
	रायबरेली
	सीतापुर
	सोनभद्र
	उन्नाव

1	2	1	2
पं. बंगाल	द. 24 परगना		मुर्शिदाबाद
	बांकुरा		पुरूलिया
	बीरभूम		द. दिनाजपुर
	जलपाईगुडी		प. मिदनापुर
	मालदा		उ. दिनाजपुर

अनुबंध - II

2006–07 में एनआरईजीए के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	जिले	ग्रामीण परिवारों की सं. (जनगणना, 2001)	अनुमानित ग्रामीण बीपीएल परिवार	जारी किए जॉब कार्ड की सं.	रोजगार की मांग		दिए गए रोजगार	
						परिवार	व्यक्ति	परिवार	व्यक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	13	6715598	742074	4380650	1546503	2119916	1546503	2119916
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	7878	3154	16926	16926	एन. आर.	16926	एन. आर.
3.	असम	7	817286	327241	523209	204640	240072	205086	118550
4.	बिहार	23	7755942	3435882	2037604	525843	718141	4177832	714828
5.	छत्तीसगढ़	11	2023402	749873	1726855	695642	1302463	688524	1270589
6.	गुजरात	6	1388048	182806	614343	100698	206084	100698	206084
7.	हरियाणा	2	257304	21279	88818	28056	34758	28056	34758
8.	हिमाचल प्रदेश	2	150715	11967	88056	41960	44307	39320	41303
9.	जम्मू और कश्मीर	3	240978	9567	159158	एन. आर.	20261	एन. आर.	20261
10.	झारखंड	20	3395640	1504269	1914800	581689	817934	578343	813672
11.	कर्नाटक	5	1282966	222979	606436	235009	459364	229185	447715
12.	केरल	2	616309	57810	11958	3854	एन. आर.	3750	एन. आर.
13.	मध्य प्रदेश	18	3550273	1315731	4381801	1979844	2304137	1996375	2225679
14.	महाराष्ट्र	12	3713013	880727	2467037	191272	435861	191272	435861
15.	मणिपुर	1	16149	6466	17880	17880	43700	17800	43700
16.	मेघालय	2	101657	40703	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.
17.	मिजोरम	2	21661	8673	22918	20801	12100	20801	12100
18.	नागालैंड	1	31939	12788	27884	एन. आर.	8950	एन. आर.	8950
19.	उड़ीसा	19	3836278	1841797	2261284	320938	539387	261121	428662
20.	पंजाब	1	221815	14107	37326	37326	40310	30715	एन. आर.
21.	राजस्थान	6	1294087	177808	1493628	927890	1246742	927890	1246742
22.	सिक्किम	1	10649	4264	4323	3611	4336	3611	4336
23.	तमिलनाडु	6	2067689	424910	1309462	299860	397505	299860	397505
24.	त्रिपुरा	1	57788	23138	64587	73971	115696	72348	113159
25.	उत्तर प्रदेश	3	206059	64332	191657	40153	40345	40008	40198
26.	उत्तरांचल	22	7162466	2236122	3414000	1718544	1984778	1611342	1897582
27.	पश्चिम बंगाल	10	7064480	2250037	4116470	1498036	2399698	1351840	2334565
	कुल	200	54008069	16570504	31979070	11110946	15536845	10739206	14976715

एन.आर. – असूचित

* त्रिपुरा राज्य में रोजगार की मांग और दिए गए रोजगार जारी किए गए जॉब कार्ड की तुलना में अधिक हैं। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

वर्ष 2006–07 के दौरान (अक्तूबर, 2006 तक) एनआरईजीए के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

क्र. सं.	राज्य	जिलों की संख्या	माह कोड	वर्ष के 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार वास्तविक अघशेष	पहले वर्ष की रिलीज किन्तु चालू वर्ष में प्राप्त			चालू वर्ष के दौरान रिलीज		
					केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य मैचिंग अंश	वास्तव में रिलीज किया गया राज्य अंश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	13	9	2538.09	5874.85		5974.85	82461.43	9162.38	2222.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	10	0.40			0.00	272.85	30.32	
3.	असम	7	8	27062.6	8401.16	0	8401.16	13970.08	1562.32	
4.	बिहार	23	9	39371.95	10166.64	0	10166.64	49503.38	4500.38	4500.38
5.	छत्तीसगढ़	11	9	4835.35	22.09	0.00	22.00	30068.74	3340.97	1883.67
6.	गुजरात	6	9	3943.68	591.52	0.00	591.52	4113.94	457.10	
7.	हरियाणा	2	9	1172.52			0.00	913.39	101.49	91.339
8.	हिमाचल प्रदेश	2	9	1045.70	0	0	0.00	1607.64	178.63	131.51
9.	जम्मू और कश्मीर	3	9	6544.34	0	0	0.00	2776.37	306.49	331.74
10.	झारखंड	20	10	20325.9	2620.88		2620.88	37618.59	4179.84	4179.81
11.	कर्नाटक	5	10	4812.50	1177.47	40.23	1217.70	14595.69	1621.74	716.67
12.	केरल	2		1169.18	0	0	0.00	2179.51	242.17	
13.	मध्य प्रदेश	18	9	2342.02	1239.57		1239.57	126970.20	14107.80	
14.	महाराष्ट्र	12	9	22391.6			0.00	19235.64	2137.29	
15.	मणिपुर	1	9	243.4	436.63		436.63	570.89	63.43	
16.	मेघालय	2					0.00	2064.68	229.41	
17.	मिजोरम	2	9	645.70	129.44		12..44	298.90	33.21	
18.	नागालैंड	1	9	508.87	498.42	42	543.42	430.11	47.79	
19.	उड़ीसा	19	9	3236.04	1293.73	431.3	1724.98	71213.49	3151.65	3151.65
20.	पंजाब	1	9	340.16	398.77	0	396.77	755.75	0.00	
21.	राजस्थान	6	9	1905.08	0.00		0.00	67961.00	7551.22	7551.22
22.	सिक्किम	1	8	53.57			0.00	451.50	50.17	5.00
23.	तमिलनाडु	6	9	4195.89	1402.80	0	1402.80	9889.21	1098.80	
24.	त्रिपुरा	1	8	887.34	1688		1688.00	1456.66	161.85	250
25.	उत्तरांचल	3	9	1711.09	658.69	29.23	687.92	1910.60	212.29	765.61
26.	उत्तर प्रदेश	22	10	27158.7	13428.12	0	13428.12	33498.69	3722.06	3200
27.	पश्चिम बंगाल	10	10	16741.95	1612.19		1612.19	29356.84	2262.09	2039.86
	कुल	200		189373.42	51739.08	545.71	52284.79	588148.53	60504.90	31020.65

वर्ष 2006–07 के दौरान (अक्तूबर, 2006 तक) एनआरईजीए के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

(लाख रु. में)

कुल (कॉ 9 +11)	विविध प्राप्ति	कुल उपलब्धता (कॉ. 5+8+ 12+13)	संचयी व्यय					व्यय का प्रतिशत				
			अकुशल मजदूरी पर	अर्द्धकुशल और कुशल मजदूरी पर	सामग्री पर	आकस्मिकता पर	कुल	कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में	अकुशल मजदूरी पर	अर्द्धकुशल और कुशल मजदूरी पर	सामग्री पर	आकस्मिकता पर
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
84683.65	0	93196.59	18571.9	46.9	140.7	3066.5	21825.94	23.42	85.09	0.21	0.54	14.05
272.85		273.25	176.72			2.96	179.66	65.76	98.35	0.00	0.00	1.65
13970.85	5644.18	55078.74	8464.44	422.7	3530.91	454.95	12873.00	23.37	65.75	3.25	27.43	3.53
4500.35	1190.24	95732.75	11693.5	1497.9	8130	221.96	21543.40	22.50	54.26	6.95	37.74	1.03
31952.41	100.99	36910.75	129216	560.23	5975.84	104.03	19563.72	53.00	66.06	2.86	30.55	0.00
4113.94	46.056	8495.20	1545.05	15.12	293.51	837.53	2991.21	34.40	61.68	0.51	9.81	26.00
1004.73	1.32	2178.57	633.981	15.328	222.717	89.96	1161.99	53.34	71.77	1.32	19.17	7.74
1739.15	0.18	2785.03	676.58	55.69	419.44	9.79	1161.980	41.72	58.25	4.79	35.10	0.84
3106.11	6.08	3808.43	351.57	118.77	78.19	5.00	553.53	14.53	63.51	21.45	14.13	0.00
41798.40	1456.58	64901.76	16289.4	1589.83	9021.4	299.99	27198.15	41.91	59.89	5.83	33.17	1.10
15312.36		21342.56	5240.43	182.21	2958.57	181.19	5865.40	40.15	61.20	2.13	34.55	2.12
2179.51	2.00	3350.69	65.66	1.59	0.00	114.75	182.00	5.43	36.08	0.87	0.00	63.05
126970.20	874.08	131465.47	61776.6	5230.66	28604.51	746.81	96358.70	73.30	64.11	5.43	29.69	0.77
19235.64		41627.20					11130.38	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
570.89		1250.92	570	41.8	338.2	0	950	75.94	60.00	4.40	35.00	0.00
2096.88		2064.68					0	0.00	#Div/0!	#Div/0!	#Div/0!	#Div/0!
298.00		107404	553.51			22.039	575.549	53.59	96.17	0.00	0.00	3.43
430.11	2.65	1485.08	576.51		384.14	14.50	975.45	65.66	58.13	0.00	39.38	1.49
74365.14	0	73326.16	14337.7	2386.66	9613.66	294.51	26542.69	33.46	54.02	5.99	36.22	0.77
755.75	6.5	150.18	665.90	0	442.15	22.84	1130.89	75.33	58.86	0.00	39.10	2.02
75512.22	0	77417.30	32786.59	1194.60	6311.03	296.41	40590.63	52.43	80.78	2.94	15.55	0.73
456.50		516.07	34.74			1.094	34.834	6.83	99.73	0.00	0.00	0.27
9889.21	459.01	15946.1	3465.49	0.00	0.00	384.89	3850.38.	24.14	90.00	0.00	0.00	10.00
1706.66		4282.00					1412.5	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2676.21	7.38	5082.60	700.039	33.77	290.14	5.47	1129.421	22.22	61.96	2.00	34.54	0.48
36698.69	166.9	77450.41	18919.3	1470.89	11950.3	514.29	32854.83	42.42	57.58	4.48	35.37	1.57
22396.70	65.08	40817.92	9102.46	356.3	2000.96	260.87	13698.03	33.56	66.45	2.60	14.51	1.90
619169.18	8729.22	8695556.62	220624.38	15218.35	90806.195	7861.22	349031.19	40.14	63.21	4.36	26.02	2.25

वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

क्र.	राज्य	जिलों की सं.	जल संसाधन			सूखारोधन और वृक्षारोपण			खाद्य नियंत्रण		
			पूर्ण	जारी	कुल	पूर्ण	जारी	कुल	पूर्ण	जारी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	13	671	51984	52655	18	489	507	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	1			0			0			0
3.	असम	7	186	514	700	50	244	294	136	298	434
4.	बिहार	23	1061	2636	3697	51	189	240	293	58	351
5.	छत्तीसगढ़	11	1463	933	2396	2806	769	3575	39	20	59
6.	गुजरात	6	922	1163	2085	26	57	83	2	7	9
7.	हरियाणा	2	34	232	266	0	6	6	0	17	17
8.	हिमाचल प्रदेश	2	194	378	572	80	119	199	136	241	377
9.	जम्मू और कश्मीर	3	5	17	22	0	2	2	121	120	241
10.	झारखंड	20	5464	14539	20003	85	392	477	7	27	34
11.	कर्नाटक	5	1562	2045	3607	162	563	725	138	427	565
12.	केरल	2			0			0			0
13.	मध्य प्रदेश	18	28399	37420	65819	5856	4453	10309	511	799	1310
14.	महाराष्ट्र	12			0			0			0
15.	मणिपुर	1	5	4	9	0	42	42	0	0	0
16.	मेघालय	2			0			0			0
17.	मिजोरम	2	10	6	16			0			0
18.	नागालैंड	1		26	26		17	17		5	5
19.	उड़ीसा	19	3200	5147	8347	374	1365	1739	122	229	351
20.	पंजाब	1	48	212	260	5	5	10	24	6	30
21.	राजस्थान	6	3393	6113	9506	85	426	511	50	65	115
22.	सिक्किम	1	7	2	9		1	1		3	3
23.	तमिलनाडु	6	788	2238	3026	0	0	0	6	35	41
24.	त्रिपुरा	1			0			0			0
25.	उत्तरांचल	3	733	909	1642	97	290	387	355	338	693
26.	उत्तर प्रदेश	22	2174	5817	7991	3977	2917	6894	818	1350	2168
27.	पश्चिम बंगाल	10	2035	3346	5381	1125	3488	4613	543	902	1445
	कुल	200	52354	135681	188035	14797	15834	30631	3301	4947	8248

वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

कार्यों की सं.								
ग्रामीण संपर्क			अन्य कार्य			कार्यों की कुल संख्या		
पूर्ण	जारी	कुल	पूर्ण	जारी	कुल	पूर्ण	जारी	कुल
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	2	2	363	11079	11442	1052	63554	64606
		0	49	8	57	49	8	57
556	971	1527	611	499	1110	1539	2526	4065
7438	5926	13364	4290	2860	7150	13133	11669	24802
2308	2100	4408	1725	134	1859	8341	3956	12297
84	536	620	54	119	173	1088	1882	2970
44	114	158	11	100	111	89	469	558
519	1002	1521	564	1385	1949	1493	3125	4618
80	273	353	162	322	484	368	734	1102
2975	5395	8370	1331	2399	3730	9862	22752	32614
617	888	1505	1723	952	2675	4202	4875	9077
		0			0	0	0	0
7574	14180	21754	14925	14848	29773	57265	71700	128965
		0			0	1901	3267	5168
10	141	151	0	32	32	15	219	234
		0			0	0	0	0
159	50	209	11	9	20	180	65	245
	55	55		15	15	0	118	118
4958	9143	14101	2881	2503	5384	11535	18387	29922
184	550	734	34	85	119	295	858	1153
361	3164	3525	118	700	818	4007	10468	14475
3	8	11	21	59	80	31	73	104
203	172	375	291	1322	1613	1288	3767	5055
		0	468	931	1399	468	931	1399
63	31	94	277	76	353	1525	1644	3169
11702	15865	27597	2611	2716	5327	21282	28695	49977
2230	2894	5124	1072	1525	2597	7005	12155	19160
42068	63490	105558	33592	44678	78270	148013	267897	415910

क्र. सं.	राज्य	जिलों की सं.	माह कोड	सृजित रोगजार (लाख श्रमदिवस में) (वर्ष के लिए संचयी)							कुल का प्रतिशत		
				अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	कुल	महिलाएं	भूमि/ सुधार/ आईवाई लाभार्थी	अन्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	महिलाएं
1.	आंध्र प्रदेश	13	9	72.44	29.17	115.56	217.17	94.16	101.61	76.68	33.36	13.43	43.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	10				0.00				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.	असम	7	8	15.08	57.45	71.11	143.64	31.60	31.03		10.50	40.00	22.00
4.	बिहार	23	9	68.82	5.23	86.84	160.90	23.46	0.00	0.00	42.77	3.25	14.58
5.	छत्तीसगढ़	11	9	30.63	109.71	79.71	220.05	74.10	5.60	140.35	13.92	49.86	33.67
6.	गुजरात	6	9	3.02	23.24	15.22	41.49	22.11	0.13	16.07	7.29	56.02	53.30
7.	हरियाणा	2	9	5.31	0.00	3.44	8.75	2.51	0.15	4.29	60.69	0.00	28.69
8.	हिमाचल प्रदेश	2	9	2.73	1.74	4.59	9.06	0.70	0.23	8.10	30.13	19.21	7.73
9.	जम्मू और कश्मीर	3	9	0.31	0.89	3.82	5.02	0.01	0.03	3.63	6.18	17.73	0.26
10.	झारखंड	20	10	48.05	92.76	76.92	217.73	67.07	16.94	117.69	22.07	42.60	30.80
11.	कर्नाटक	5	10	25.81	16.03	36.96	78.80	44.24	2.03	32.47	32.75	20.34	56.14
12.	केरल	2					0.00				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13.	मध्य प्रदेश	18	9	221.11	576.09	422.43	1219.63	528.78	125.72	461.45	18.13	47.23	43.36
14.	महाराष्ट्र	12	9				0.00				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15.	मणिपुर	1	9		6.57		6.57	2.63			0.00	100.00	40.03
16.	मेघालय	2					0.00				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17.	मिजोरम	2	9		3.30		3.30	1.10	0.05		0.00	100.00	33.31
18.	नागालैंड	1	9		8.73		8.73	2.62			0.00	100.00	30.01
19.	उड़ीसा	19	9	93.64	150.11	90.08	333.83	106.68	34.60	0.71	28.05	44.97	31..96
20.	पंजाब	1	9	5.53	0.00	1.87	7.40	2.52	0.00	4.88	74.73	0.00	34.05
21.	राजस्थान	6	9	101.24	387.34	126.19	614.77	379.81	31.02	200.44	16.47	63.01	61.78
22.	सिक्किम	1	8	0.03	0.79	0.08	0.90	0.27		1.50	3.12	88.07	30.10
23.	तमिलनाडु	6	9	17.60	0.26	25.47	43.32	14.33	1.72	27.27	40.62	0.59	33.07
24.	त्रिपुरा	1	8	4.47	16.70	8.66	29.83	8.92		12.56	14.98	55.98	29.90
25.	उत्तरांचल	3	9	2.52	0.00	7.23	9.84	2.88	0.05	6.91	25.61	0.91	29.24
26.	उत्तर प्रदेश	22	10	122.30	10.32	82.50	215.12	40.17	5.84	167.15	56.85	4.80	18.67
27.	पश्चिम बंगाल	10	10	46.92	23.58	63.263	160.81	24.01	14.30	76.95	29.18	14.66	14.93
	कुल	200		887.56	1520.10	1321.90	3756.65	1474.67	371.05	1359.10	23.63	40.46	39.26

श्री मंजुनाथ कुन्नुर : महोदय, वर्तमान में कर्नाटक के कई जिले भयंकर सूखे की चपेट में आए हुए हैं और सर्वाधिक पिछड़े जिले हावेरी सहित कर्नाटक सरकार द्वारा सतत रुप से भेजी जा रही अन्य सूखा प्रभावित जिलों की सूचना के आधार पर वहां इस स्थिति से निपटने के लिए रोजगार सृजन कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता है। सरकार ने भी कुछ सिंचित ताल्लुकों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है जो 69 श्रम दिवसों से अधिक नहीं है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में, योजना के लिए मजदूरों की पंजीकरण दर बहुत कम है। इसलिए, इन क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के करीब पांच जिलों में एंप्लायमैंट गारंटी कानून लागू है और अच्छे ढंग से चल रहा है। वहां की राज्य सरकार के माध्यम से बैंकों के ज़रिये उनका न्यूनतम मजदूरी भुगतान बैंक में उन गरीबों के खाते में जमा हो जाता है और सीधे उनको मिलता है। इससे बिचौलिये भी गायब हो गए हैं और बड़े अच्छे ढंग से काम चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार एक वित्त वर्ष में एक परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करने के स्थान पर एक परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करने पर विचार करेगी। वे अभी एक परिवार को केवल 100 दिन का रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इसलिए, एक परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। इसे बढ़ाकर 200 दिन तक किए जाने की भी मांग है। इसी प्रकार, कोई भी नया कार्य आरंभ होने पर श्रमिकों की संख्या 50 के स्थान पर 20 की जानी चाहिए। उन्होंने कोई भी नया कार्य आरंभ होने पर श्रमिकों की संख्या 50 निर्धारित की है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों और सूखा प्रवण क्षत्रों में आवश्यक 50 व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाते और इसलिए इसे घटाकर 20 किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा कार्य किया है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है कि कम से कम 50 मजदूर रहें, वहीं पर काम शुरू होगा, इनका यह प्रश्न उठाना जायज है। हम इसमें तुरंत सुधार कर रहे हैं कि कम से कम इतने मजदूर रहें, वहां पर भी काम शुरू हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर मिल गया है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जैसे यह योजना सारे हिन्दुस्तान में चल रही है और इसमें अनेकों जिले शामिल हैं, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसानों की जो स्थिति आज बनी हुई है, जहां बड़ी मात्रा में किसानों ने आत्महत्या की है, इससे आप समझ सकते हैं कि वहां मजदूरों की स्थिति क्या होगी। मेरा सीधा सवाल यह है कि जहां किसानों ने बड़ी मात्रा में आत्महत्या की है, वहां यद्यपि केन्द्र सरकार ने भी किसानों के लिए पैकेज दिया हुआ है और राज्य सरकार ने भी पैकेज दिया हुआ है, क्या ऐसी स्थिति में आपका मंत्रालय ऐसा कोई निर्णय ले रहा है कि ऐसे जिले जहां किसानों ने आत्महत्या की है, वहां यह योजना तुरंत लागू की जाए, क्या ऐसा आपका ग्रामीण मंत्रालय सोच रहा है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में करीब 12 जिलों में रोजगार गारंटी कानून लागू हो गया है, उसमें विदर्भ के जिले भी हैं, लेकिन कुछ विदर्भ के जो जिले छूटे हुए हैं, जिन्हें हम तुरंत दूसरे फेस में कवर करने जा रहे हैं। हमने योजना आयोग से लिखा–पढ़ी शुरू कर दी है ताकि सैकिंड फेस की तैयारी के लिए जिलों का चयन किया जाए। हम करीब तीन–चार महीने में तैयारी कर लेंगे और वहां भी यह शुरू हो जाएगा। इस कानून में प्रावधान है कि इसके लागू होने के दिन से पांच वर्षों के अंदर इसे देश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। एक फेस में दो सौ जिलों में यह लागू हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के 12 जिले हैं और दूसरे फेस में जैसे ही हम शुरू करने जा रहे हैं, विदर्भ का वह इलाका, जहां आत्महत्याएं या मजदूरों को तकलीफ है, उन जिलों का भी हम ख्याल करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : जिन जिलों में आत्महत्याएं हुई हैं, क्यों वहां लागू करने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसमें कुछ जिले शामिल हैं और जो नहीं हैं, उन्हें भी शामिल करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप एक प्रोफेसर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके छात्र ऐसा करें तो आप क्या करेंगे? एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री नवीन जिन्दल : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कोष का सही ढंग से उपयोग नहीं किया है, के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है। गुजरात राज्य ने 41 करोड़

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रुपए में से केवल 27 करोड़ रुपए का उपयोग किया है, कर्नाटक ने 113 करोड़ में से केवल 46 करोड़ का और मध्य प्रदेश ने 1166 करोड़ रुपए में से केवल 835 करोड़ रुपए का उपयोग किया है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी महीने में मॉनिटरिंग की जाती है कि किस राज्य में कितना पैसा गया है और किस राज्य में कितना पैसा खर्च किया। जिन राज्यों में कम खर्च किया, उन राज्यों के साथ बैठकें होती हैं। उन्हें हम रिमाइंड करते हैं, ताकीद करते हैं कि इस पैसे को खर्च किया जाए, क्योंकि यह स्कीम डिमांड ड्रिवन है।

महोदय, जहां पर जितने मजदूर काम करने के लिए आएंगे, वहां अधिक खर्च होगा और जहां कम मजदूर काम करने के लिए आएंगे वहां कम खर्च होगा। फिर भी हम देख रहे हैं कि जिस राज्य में कम से कम जितनी बी.पी.एल. फेमिलीज हैं उतनी मांग हुई या नहीं और राज्य सरकार इसे कर रही है या नहीं। कुछ राज्यों में यह काम पीछे चल रहा है और कुछ राज्यों में अब टेक ऑफ हो रहा है। कुछ राज्यों में तो यह काम बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में इस काम में कमी आ रही है। इसलिए हमारी नजर उन राज्यों पर है जहां पर यह काम कम हो रहा है। इस काम की अभी तो प्रारंभिक अवस्था ही है। इस साल कुछ राज्यों से तो इसका बड़ा अच्छा रेस्पांस मिला है और उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से सहयोग दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अबु अयीश मंडल एक नए सांसद हैं। नए सांसदों को बाधा नहीं पहुंचाने की हमारी परंपरा रही है।

श्री अबु अयीश मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले 200 जिलों में से क्या कछ जिले ऐसे भी हैं जहां कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखो से नीचे रह रही है। यदि हां, तो राज्यवार वे जिले कौन से हैं? इस कार्यक्रम की शुरूआत के बाद क्या प्रगति की गई है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं। खैर, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, सारी वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन इस क्वैश्चन के उत्तर में दर्ज है, लेकिन अलग से पूछेंगे, तो हम उन्हें बताने में सक्षम हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, 200 जिलों की लगभग 87 हजार पंचायतों में यह काम शुरू हो गया है, जो बाकी जिले हैं उनके बारे में हमने सदन को बता दिया है कि दूसरे फेज की हमारी तैयारी शुरू हो गई है। हम कुछ महीनों में दूसरे फेज का काम शुरू कर देंगे। जो पिछड़े जिले हैं, जिनका हम इंडीकेटर के आधार पर चयन कर रहे हैं, जैसे जहां ज्यादा बाढ़ या सुखाड़ है या ज्यादा गरीबी है ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : माननीय सदस्य 50 प्रतिशत बी.पी.एल. फेमिली के बारे में पूछ रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर न दें। वे अनधिकृत है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इंडीकेटर्स में बी.पी.एल. फेमिलीज तथा शेडयूल्ड कास्ट्स एवं शेडयूल्ड ट्राइब्स फेमिलीज की संख्या भी है। फिर यह भी देखा जाता है कि उस जिले में वेजेज क्या हैं, उस जिले में प्रोडक्टीविटी क्या है। सभी इंडीकेटर्स के आधार पर चयन किए जा रहे हैं। इस प्रकार यदि देखें तो उसमें बी.पी.एल. फेमिलीज भी आ जाती हैं। इसके बाद जो हम सैकिंड फेज का काम करेंगे, उस समय जो छूटे हुए जिले हैं, वे भी उसमें आ जाएंगे।

[अनुवाद]

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन** : महोदय, मुझे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के मुद्दे पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। महोदय, संप्रग सरकार पिछले दो साल और नौ महीने से सत्ता में है। लेकिन यह योजना केवल पंजाब के होशियारपुर जिले में क्रियान्वित की गई है। इस आडम्बर युक्त योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जिन लोगों को इस योजना के तहत काम पर लगाया जाता है। उनको भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिन्होंने इस योजना के तहत कभी भी कार्य नहीं किया, को धन का भुगतान किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस योजना के तहत कार्य कर रहे लोगों को रोजगार और मजदूरी देने के लिए कोन जवाबदेह है? महोदय, अभी तो इस योजना के क्रियान्वयन में राजनीति आ गई है। पंजाब के अन्य जिलों में यह योजना कब लागू की जाएगी? महाराष्ट्र में, यह योजना 12 जिलों में लागू की गई है। सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान पंजाब से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जानना चाहती है कि किन की मार्फत पैसे दिए जाते हैं। मैं उन्हें अवगत

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कराना चाहता हूं कि इस योजना का 50 प्रतिशत धन ग्राम पंचायतों के प्रेसीडेंट, प्रधान या मुखियाओं के माध्यम से खर्च किया जाता है। हम यहां से इस योजना का धन जिले में भेजते हैं और जिले से वह धन पंचायत के मुखिया के पास जाता है क्योंकि कानून में ही लिखा है कि 50 प्रतिशत काम ग्राम पंचायतों के प्रधानों द्वारा कराया जाएगा। इसलिए पैसा पंचायत के मुखिया के पास जाता है। इसलिए इसमें किसी राजनीति या भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। चयनित जिलों में जहां कहीं भी जो लोग काम मांगेंगे, वहां उन्हें जॉब कार्ड मिलेगा। जॉब कार्ड मिलने के बाद, जब वे काम मांगेंगे, तो उन्हें प्राप्ति पत्र दिया जाएगा और उसके 15 दिन के अंदर यदि काम नहीं मिलेगा, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है।

इसलिए माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपने–अपने क्षेत्र में, जहां पर भी ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना लागू है, कृपया यह देखें कि हर जगह उनको जॉबकार्ड मिल गया है, जो काम की इच्छा रखते हैं और काम चाहते हैं। वे पिटीशन देकर काम भी मांगेंगे। हम मजदूरों के विभिन्न माध्यमों से गांवों में यह प्रचारित करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों के सहयोग के बिना हमारा कोई भी काम मजबूती से लागू होने में संदेह हो जाता है। इसलिए माननीय सदस्यों से अपेक्षा और दरख्वास्त है और सदन हमारी सहायता करे कि जिस कानून के अधिकार को इस सरजमीं पर पहले–पहल देश और दुनियां में दिया है, उस कानून के अधिकार की प्राप्ति मजदूर कर सकें, गरीबी से मुकाबला कर सकें और भुखमरी को दूर भगा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं मंत्री महोदय चर्चा पूरी कर चुके हैं।

डा. आर. सेनथिल।

डा. आर. सेनथिल : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम को अधिक जिलों तक विस्तृत किए जाने से सम्बन्धित मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको बहुत धन्यवाद। ऐसा सहयोग बहुत स्वागत योग्य है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने वैसे तो प्रश्न के जवाब में कहा है और जिस प्रदेश के बारे में मैं चर्चा करना चाहता था, बिहार के बारे में कहा है कि वहां पंचायत चुनावों की वजह से या बारिश की वजह से काम प्रारंभ होने में देरी हुई है। लेकिन पंचायत चुनाव हुए 6 महीने से अधिक हो चुके हैं और बारिश को भी काफी समय हो चुका है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव : वहां काम की प्रगति काफी कम हुई है। आपने राशि तो काफी दी है और बिहार के 23 जिलों का चयन किया गया है, लेकिन आपकी मंशा वहां पूरी नहीं हो रही है और गरीबों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। काम में गुणवत्ता भी नहीं मिल पा रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपना प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : वहां गरीबों के माध्यम से नहीं बल्कि मशीनों के माध्यम से काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां काम धीमा चल रहा है, मैं समझता हूं कि यह प्रशासनिक विफलता के कारण हैं। इस काम में तेजी लाने के लिए और अधिक से अधिक जॉबकार्ड के माध्यम से लोगों को काम मिले, उसके लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, आप कृपया एक ही प्रश्न पूछें; यह सभी बातें पूछने के बदले आप केवल यह पूछिये कि क्या यह बिहार में तेजी से किया जाएगा या नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमने राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है। बिहार सरकार ने दो चुनावों, साथ ही पंचायत चुनावों और वर्षा की सूचना दी थी और कहा कि इस कारण वहां काम शुरू होने में विलम्ब हुआ है। फिर भी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 20,37,604 जॉबकार्ड जारी किए गए हैं, 5,25,843 रोजगार की मांग हुई है तथा 7,18,141 व्यक्तियों और 4,77,832 परिवारों को रोजगार दिया गया है। हम महसूस करते हैं कि यह संख्या कम है। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव और वर्षा की वजह से यह कम है। लेकिन अब काम टेकआफ ले रहा है। यह ठीक है कि 400 करोड़ रुपये नये दिए गए थे, पहले के 700 करोड़ रुपए थे, लेकिन एक सौ करोड़ ही खर्च हुए हैं यानी चौथाई ही खर्च हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, यदि आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया पूछें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया स्वयं को नियंत्रित रखें। यदि आपको प्रश्न पूछना है तो कृपया अपनी सीट पर जाइए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना पूरे देश के लिए और खासकर पिछड़े जिलों के लिए एक अच्छी योजना है। इस पर करोड़ों–अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जैसा रामकृपाल जी ने कहा कि कार्यों में बहुत देरी हो रही है...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम भी प्रश्न पूछना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं। आपको भविष्य में अवसर नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं इस बारे में सुझाव देना चाहूंगा कि करोड़ों–अरबों रुपये जब आप ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए खर्च कर रहे हैं, वहीं आप योजना को चलाने के लिए एक जूनियर इंजीनियर और कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करने की व्यवस्था करें, ताकि एसटिमेट प्रस्ताव बनकर के आए, जल्दी–जल्दी काम शुरू हो और लोगों को रोजगार मिल सके।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, सदस्य महोदय सुझाव दे रहे हैं और इनके सुझाव देने से पहले ही, जो परामर्शदात्री समिति सुझाव देती है, उस पर हम अमल करते हैं। इसमें 2 प्रतिशत इस्टैब्लिशमैंट कॉस्ट को हम तुरन्त अब 5 प्रतिशत करने जा रहे हैं। उससे अतिरिक्त जूनियर इंजीनियर, अतिरिक्त प्रोग्राम आफिसर और पंचायत की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रोजगार सेवक की नियुक्ति का भी प्रावधान है। लेकिन यह सब काम राज्य सरकार को करना है। हम ही डंडा लेकर खड़े हैं कि राज्य सरकार खर्च करें, काम करें और पंचायत की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और इसे अच्छे ढंग से लागू करें।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, रोजगार गारण्टी स्कीम हमारे भारत के लिए बहुत रिवोल्यूशनरी है, क्रान्तिकारी योजना है। महाराष्ट्र में इसकी शुरूआत हुई थी। पंजाब में एक ही जिला इसलिए लिया है क्योंकि वहां हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां एक जिला लिया गया है। मेरा प्रश्न इतना ही है कि सरकार ने रोजगार गारण्टी स्कीम के अंतर्गत 100 दिन के काम की गारण्टी दे दी है, मगर मेरा प्रश्न यह है कि 100 दिन से काम चलेगा, इसलिए कम से कम 200 दिन की गारण्टी हमें देनी होगी। क्योंकि, बी.जे.पी. वालों ने गारण्टी नहीं दी थी, इसलिए ये बेरोजगार बन गये हैं। मेरा सवाल इतना ही है कि 100 दिन की जो गारण्टी है, इसकी जगह 200 दिन की गारण्टी देने का निर्णय अगले साल से सरकार को लेना चाहिए, इसके बारे में मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, 100 दिन का काम देना सदन ने पास कर दिया। यह सुविचारित है, क्योंकि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अन्य योजनाएं भी हैं। किसान की जमीन में खेती का भी काम है, जिसमें मजदूरों की जरूरत होती है। मजदूरों के अपने घर में भी पशुपालन आदि का काम है। 365 दिन में 100 दिन के रोजगार की गारण्टी उस समय के लिए है, जिस समय लीन पीरियड होता है, कहीं कोई काम उनको नहीं मिल रहा है तो सरकार की तरफ से गारण्टी है। बाकी समय में किसान के खेत में, सरकार की अन्य योजनाओं में, अन्य काम में वे अपना समय लगाएंगे। इसलिए 365 में से 100 दिन में साल भर की गुंजाइश हो जाती है। इसीलिए यह सुविचारित निर्णय है और बड़े अच्छे ढंग से मजदूरों को गांव में ही काम मिल रहा है। जहां ये काम शुरू हो गया, वहां पलायन रुक गया है।

दुनिया की इस पर नजर लगी है। अफ्रीकन देशों के लोग यहां अध्ययन करने आ रहे हैं कि यह कैसा अद्भुत और गरीबोन्मुखी काम है, इसका अनुकरण दुनिया के लोग करना चाहते हैं। श्री अमर्त्य सेन ने भी इसकी प्रशंसा की है, जो नोबल पुरस्कार विजेता और दुनिया के मशहूर अर्थशास्त्री हैं। दूसरे, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लोग यहां अध्ययन करने आ रहे हैं, सब इसके बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कुछ भी न कहें।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक कुशाग्र सांसद हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे आपके दावे को सहायता नहीं मिल रही है। ऐसा मत करो। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपको अपनी सीट पर बैठना है।

[हिन्दी]

शिशुपाल जी, अब आप बोलिये ।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत लक्ष्य

***42. श्री शिशुपाल पटले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत 2005–06 की तुलना में 2006–07 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पीएमजीएसवाई के अंतर्गत इन सड़कों के निर्माण के लिए ठेके दे दिये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन सड़कों के निर्माण के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) निर्धारित अवधि में सड़कों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (च) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी नहीं। वर्ष 2005–06 के लिए 7895 बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए 17454 कि.मी. लंबी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2006–07 के लिए 9435 बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए 27250 कि.मी. लंबी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि के दौरान कार्यक्रम के लिए औसत आबंटन 2458.60 करोड़ रु. था, वर्ष 2005–06 के लिए इसे बढ़ाकर 4220 करोड़ रु. कर दिया गया था। चालू वर्ष के दौरान बजट अनुमान 5225.62 करोड़ रु. है। बजटीय परिव्यय को पूरक बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की विशेष विंडो से 4000 करोड़ रु. की राशि लेने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2005–06 के दौरान 8031 बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए 22785 कि.मी. लंबी सड़क बन चुकी है। चालू वर्ष के दौरान भी लक्ष्यों को पूर्णतः हासिल कर लिए जाने की संभावना है। अब तक, 34584.52 करोड़ रु. की राशि वाली परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है, जिसमें से 8300.46 करोड़ रु. की राशि वाली परियोजनाओं को 2005–06 के दौरान मंजूर किया गया था तथा अक्तूबर, 2006 तक 7124.89 करोड़ रु. की परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। ग्रामीण सड़कों को भारत निर्माण के घटकों में से एक घटक के रूप में निर्धारित किया गया है तथा 2009 तक सभी बारहमासी सड़कों के साथ 1000 की आबादी (पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500) वाले सभी गांव को सड़क संपर्क मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। 2009 तक 66802 बसावटों को 1.46 लाख कि.मी. लंबी बारहमासी सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, भारत निर्माण के अंतर्गत 1.94 कि.मी. मौजूदा थू–रूटों का उन्नयन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत निर्माण के अंतर्गत कुल 48000 करोड़ रु. के निवेश का अनुमान लगाया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में परियोजनाओं को कार्य आदेश को जारी करने की तारीख से 9 माह के कार्यकारी माह में पूरा करना होता है। यदि कार्य निष्पादन की अवधि में मौसम या अन्य मौसम कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है तो कार्य निष्पादन की समय अवधि को 12 कलैंडर माह तक बढ़ाया जाता है। पहाड़ी राज्यों जहां कार्य दो स्तरों में निष्पादित किया जाता है, के संबंध में यह समय अवधि प्रत्येक स्तर के संबंध में अलग से लागू होगी।

(च) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित रूप से राज्य और केन्द्र दोनों स्तर पर तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। चूंकि ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है इसलिए सड़क कार्यों को समय पर निष्पादित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यदि सड़क कार्यों को पूरा करने में विलंब होता है तो राज्य सरकार संविदा के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई कर सकती है। राज्यों की संविदात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए मानक बोली दस्तावेज में हाल ही में संशोधन किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पैकेज साईज में लोचशीलता लाने, संयुक्त उद्यमों

में भागीदारी करने तथा कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए निष्पादन वित्तीय प्रोत्साहन देने की स्वीकृति है।

श्री शिशुपाल पटले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सन् 2006–2007 में निर्धारित लक्ष्य पूरा करने की बात हुई है, लेकिन जो 2005–2006 में, मेरी जानकारी के हिसाब से विदर्भ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राशि आबंटित नहीं की गई थी – क्या सरकार को इसकी जानकारी है? अगर है, तो इस राशि को अगले वर्ष देने के बारे में क्या सरकार की कोई योजना है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या आप विदर्भ के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं? महाराष्ट्र का काम कुछ पीछे चल रहा है। वहां की राज्य सरकार के मंत्री अधिकारियों के साथ 3–4 बार बैठकें हुई हैं और तुरंत एक हजार करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। इसलिए पैसे के बिना किसी भी राज्य सरकार का काम हम रुकने नहीं देंगे। पैसा हम आगे मौजूद रखते हैं। लेकिन कुछ कंस्ट्रेन्ट्स होते हैं। कहीं राज्य सरकार को स्ट्रैंथनिंग आफ आर्गेनाइजेशन की जरूरत है, इंस्टीच्यूशनल बिल्डिंग की जरूरत है, कहीं कांट्रैक्टर कैपेसिटी का भी अभाव है, शार्टेज ऑफ मैटेरियल्स का भी संकट है। फिर भी हम राज्य सरकार के पीछे मुस्तैद हैं। महाराष्ट्र सरकार पहले काम में कुछ पीछे थी, लेकिन अब उन्होंने कुछ रिकवर किया है और अब वे एक्ट के मुताबिक काम कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको पैसा दे दिया है।

श्री शिशुपाल पटले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो पांच सौ जनसंख्या वाले गांव हैं, उनको भी जोड़ने का आपने जिक्र किया है, लेकिन कुछ गांव महाराष्ट्र में ऐसे भी हैं, जिनकी जनसंख्या दो सौ या ढाई सौ मात्र है। क्या सरकार उन गांवों तक जाने के लिए भी कोई रास्ता बनाना चाहती है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : भारत निर्माण कार्यक्रम टाइम बाउंड एंड टार्गेटेड कार्यक्रम है। उसमें देश भर की एक हजार और एक हजार से ज्यादा आबादी वाले और साथ ही, पांच सौ की आबादी वाले जो ट्राइबल या हिली एरिया हैं, उन गांवों को सन् 2009 तक, हम सभी को जोड़ देंगे। इस काम के लिए हमने चार वर्षों में 48 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन पांच सौ की आबादी और साथ ही, ढाई सौ की आबादी वाले जो ट्राइबल या हिली एरिया हैं, वे भी हमारे लक्ष्य में शामिल हैं। लेकिन पहले हम एक हजार और पांच सौ की आबादी वाले गांवों को लेंगे, उसके बाद पांच सौ और ढाई सौ की आबादी वाले गांवों को लेंगे। जब यह काम पूरा हो जाएगा, तब उससे भी कम आबादी वाले गांवों को जोड़ेंगे। कोई भी हैबिटेशन ऐसा नहीं रहेगा, जिसे हम सड़क से नहीं जोड़ दें। हमारा सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है।

श्री मदन लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी स्कीम है, भारत निर्माण के तहत सारे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है, लेकिन रियासतें जम्मू–कश्मीर में भारत निर्माण के तहत शुरू किए हुए कामों में इतनी तेजी नहीं है। उसका कारण यह है कि भारत सरकार की तरफ से भारत निर्माण के अंदर जो रोड्स आती हैं और जो इन्होने इस योजना के अंतर्गत लिंकिंग रोड ली हैं, उनका टेंडरिंग सिस्टम डिफरेंट है। हमारी रियासत में खास तौर पर मिलिटेंसी अफेक्टेड स्टेट के अंदर वह सही मायने में लागू नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि इसमें बड़े–बड़े काम कराने होते हैं जबकि रियासत के अंदर उस किस्म के ठेकेदार मौजूद नहीं हैं, जो इसकी शरायत को पूरा करते हों। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बाहर के ठेकेदार वहां जाते हैं और वे टेंडर ले लेते हैं। उसे वे वहां के लोकल लोगों को सबलेट कर रहे हैं, जिससे भारत सरकार की इस स्कीम का पूरा फायदा रियासती सरकार को नहीं मिल रहा है। मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि इस प्रोसेस पर क्या आप री–कंसीडर करेंगे और स्पेशल रियासत जम्मू–कश्मीर में, जहां बाहर के ठेकेदार, जो मिलिटेंसी के डर से वहां जाकर काम नहीं करा रहे हैं, क्या वहां के लोकल लोगों को यह मौका देंगे और उनको छोटे–छोटे काम बनाकर के दिए जाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यहां जम्मू–कश्मीर की कठिनाइयों के संबंध में माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है। महोदय, वहां वस्तुस्थिति यह है कि हमने उनका हिस्सा 312 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया है, लेकिन वहां उसके खर्च होने में कुछ कठिनाई हैं। इसलिए हमने दो बार वहां के माननीय मुख्य मंत्री के साथ इस संबंध में बैठक की। उन्होंने तीन जिलों के लिए कहा है कि इन्हें एनबीसीसी, सेंट्रल एजेंसी से करा दीजिए। कांट्रैक्टर कैपेसिटी के संबंध में माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हमने पहले ही ऐसा प्रबंध किया है कि वहां के लोकल लोग भी उसमे काम कर सकें। उसमें वहां के लोगों को सहूलियत भी हमने दी हैं और नियमों को रिलैक्स कर दिया है। माननीय सदस्य अगर उसकी जानकारी लें, तो वे हमसे संतुष्ट हो जाएंगे और जो उनके मन में चिंता है, वैसा ही हमने सहयोग किया है। इससे उनकी चिंता दूर हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों को हाथ उठाने की जरूरत नहीं है।

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का सवाल है, माननीय मंत्री जी का जवाब देने का स्टाइल बड़ा निराला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। लेकिन यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

अभी मंत्री जी ने बताया कि एक हजार, पांच सौ, ढाई सौ जनसंख्या के ग्रामों को जोड़ा जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करो। शुरू का भाग हटा दिया जाएगा।

श्री सुबोध मोहिते : जैसी आपकी मर्जी, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : हां, निश्चित रुप से।

श्री सुबोध मोहिते : पूरे प्रश्न में मंत्रालय ने कहा है – यह राज्य का दायित्व है। हम 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं विशेषकर

[हिन्दी]

लिखा गया है।

[अनुवाद]

क्योंकि ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं सभी चीजों के आश्वासन के लिए राज्य सरकार जवाबदेह हैं, मैं यहां बहस नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

सवाल है कि भारत सरकार से जितना पैसा जा रहा है, क्या सब कार्य टाइमली कम्प्लीट हो रहे हैं, क्वालिटी एज़ पर स्पैसीफिकेशन है या नहीं, उसके वैरीफिकेशन का मैथड क्या है, मौनीटरिंग कैसे करते हैं और हर राज्य सरकार से छः साल में कितनी कम्पलीशन रिपोर्ट आई हैं? क्या भारत सरकार ने उसकी कम्पाइलेशन रिपोर्ट बनाई है, और यदि बनाई है तो किसे सबमिट् की है? उसके फाइडिंग्स क्या हैं?

[अनुवाद]

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न के रूप में यहां पूरी परियोजना पर चर्चा नहीं की जा सकती है। एक भाग से संबंधित प्रश्न रखें।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विशेष प्रश्न रख रहा हूं। पिछले 6 सालों की रिपोर्ट क्या है? क्या निष्कर्ष हैं?

महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र में, करोड़ों रुपए संधियों द्वारा हस्तांतरित कर दिए गए। मैंने इसके बारे में मंत्रालय से शिकायत की है कि पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है। कम से कम

[हिन्दी]

मैंने रामटेक कौन्सटीटूएंसी के संबंध में जो कम्पलेंट की है, क्या आप इंडियन रोड कांग्रेस से उसका कौगनीजैंस लेंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्वालिटी कंट्रोल के संबंध में चिन्ता जाहिर की है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए थ्री टीयर व्यवस्था है। फर्स्ट और सैकिंड टीयर राज्य सरकार के अधीन है और थर्ड टीयर केन्द्र सरकार के अधीन है। फर्स्ट और सैकिंड टीयर में उनके अधिकारियों और इंजीनियरों द्वारा जांच–पड़ताल करके प्रतिवेदन दिया जाता है। उसके बाद भी यदि हमारे यहां कोई कम्प्लेंट हो या राज्य सरकार की तरफ से कोई चिन्ता जाहिर की गई हो तो हम उसका समाधान करते हैं। अभी तक देशभर के 29 राज्यों में 38,417 सड़कों की जांच करवाई गई है और जो कम्पलीट हैं, उनमें 13,020 संतोषजनक पाई गई, 2,382 असंतोषजनक पाई गईं, जो अधूरी योजनाएं हैं, उनमें 15,422 संतोषजनक पाई गईं, 7,593 असंतोषजनक पाई गईं। यदि किसी माननीय सदस्य की चिट्ठी आती है तो एक सप्ताह के अंदर रिसीविंग और कार्यवाही करके उन्हें सूचना दी जाती है। यदि माननीय सदस्य ने पत्र लिखा है तो हम उसे ढूंढेंगे। माननीय सदस्य को उनके पत्र का जवाब मिला होगा और यदि नहीं मिला होगा तो उसे देखेंगे। हम चाहते हैं कि सरजमीं पर जो कार्य हो रहा है, उसे माननीय सदस्य देखें और यदि कहीं गड़बड़ी हो तो हमें बताएं। यदि माननीय सदस्यों का सहयोग होगा तो सरजमी पर किसी भी कार्य को करने में गड़बड़ी नहीं होगी। हम बराबर चिन्ता और ख्याल में रहते हैं कि माननीय सदस्यों के पत्रों को बिना रिप्लाई और कार्यवाही के न छोड़ें। हमें सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा है। हम आपके सुझावों और शिकायतों का स्वागत और सम्मान करेंगे और उन पर संभव कार्यवाही करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, यह जांच का विषय है कि कैसे कितने सांसद उसके निवेदन का उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, झारखंड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की गति बहुत धीमी है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत खराब है। वहां छः महीने पहले एक केन्द्रीय टीम गई थी। उस टीम ने सभी सड़कों का सर्वेक्षण करके केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दी है। अखबारों में भी छपा है कि वहां की स्थिति खराब है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय टीम की जो जांच रिपोर्ट आई है, उस पर क्या कार्यवाही हुई है और अगर नहीं हुई है तो उसे कब तक करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : छोटे–छोटे प्रश्न का छोटा–छोटा उत्तर दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, झारखंड के काम में धीमापन है। धीमी गति से काम हो रहा है, यह ठीक बात है। हमने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि सैंट्रल एजैंसी की जरूरत है। हमने कहा कि सैंट्रल एजैंसी का इस्तेमाल किया जाये। अभी तक एक हजार इंसपैक्शन्स हुए हैं, जिनमें 172 काम संतोषजनक और 105 काम असंतोषजनक पाए गए है। एक जगह 358 काम संतोषजनक और 365 काम असंतोषजनक पाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मांग जायज है। हमने राज्य सरकार को कहा है कि इसमें सावधानी बरती जाये क्योंकि हम गुणवत्ता और क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमने राज्य सरकार को इसके लिए सावधान किया है। यहां से हमने नैशनल लैवल क्वालिटी मॉनीटर को भेजकर भी जांच कराई है। वहां पर गड़बड़ी पायी गयी है। इस तरफ हमारी नजर है। हम उसमें सुधार करने की कार्रवाई करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास : मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में यह बताया गया है कि गत दो वर्षों में 34584.52 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई है जिनमें से अक्तूबर, 2006 तक केवल 7124.89 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए ही धनराशि जारी की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य विस्तृत आंकड़े आदि चाहते हैं तो वे मंत्री महोदय को लिख सकते हैं। यहां प्रत्येक के संबंध में ब्यौरा कैसे दिया जा सकता हैं?

प्रो. एम. रामदास : अभी तक केवल 20 प्रतिशत परियोजनाओं के लिए ही धनराशि प्रदान की गई है। इनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी हुई हैं? सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इतनी धीमी प्रगति क्यों हो रही है? सड़कें अच्छी हालत में क्यों नहीं हैं?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछे हैं, उन सबका उत्तर दिया हुआ है। फिर भी हम बताना चाहते हैं कि वेल्यू ऑफ प्रौजेक्ट क्लीयर्ड 34584 करोड़ रुपये, अमाउंट रिलीज्ड 19,915 करोड़ रुपए, अमाउंट स्पैंड 17077 करोड़ रुपये, नंबर ऑफ रोड वर्क सैक्शन्ड 57,444, नंबर ऑफ रोड वर्क कम्पलीटिड 33,658, लैंथ ऑफ रोड वर्क्स एप्रूव्ड 1,88,047 किलोमीटर, लैंथ ऑफ रोड कम्पलीटिड 99,985.65 किलोमीटर, आलमोस्ट एक लाख किलोमीटर, नम्बर ऑफ हैबीटेशन्स एप्रूव्ड फॉर कवरेज 58,917 हैबीटेशन्स, नम्बर ऑफ हैबीटेशन्स कवर्ड 29,294 है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य डिटेक्स मांग रहे हैं, तो इसमें मंत्री जी क्या करें?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर दे दिया गया है कि टारगेट्स से ज्यादा हम एचीव कर रहे हैं। वर्ष 2009 तक ये टारगेट्स एचीव करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। पहले जमाने में ढाई हजार करोड़ रुपए खर्च होते थे लेकिन अब हम एक दो, तीन, चार गुणा न खर्च करके पांच गुणा पैसा, यानी साढ़े 12 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च कर रहे हैं। भारत निर्माण प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सारी सविधाएं गांवों में दी जाये और हर सड़क को पक्की सड़क से जोड़ा जाये। हिन्दुस्तान का गांव जब विकास करेगा तब हिन्दुस्तान तरक्की करेगा। वर्ष 2020 तक दुनियां की अगली पंक्ति के देशों में हिन्दुस्तान को जाने से कोई नहीं रोक सकता।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन दिनों प्रधानमंत्री सड़क योजना निर्माण का निर्णय किया गया, उस समय सरकार का उद्देश्य 500 और एक हजार की आबादी वाले गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ना था। लेकिन बीच के दिनों में माननीय मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई जिसमें हम भी गये थे। उसमें किन्हीं राज्यों की परिस्थितियों को देखकर ग्रामीण इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों से लंबी सड़कों को लेने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें हमारी भी सहमति थी। उस प्रस्ताव की स्वीकृति भी हुई। इस तरह बिहार की बहुत सी सड़कों को स्वीकृति मिली। हमने उस समय मांग की थी कि केन्द्रीय एजेंसी से इस कार्य को कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से बिहार में कार्य शुरू किया गया। वहां पांच–छः केन्द्रीय एजेंसी लगायी गयीं लेकिन सरकार के ढाई–पौने तीन साल बीत जाने के बाद भी अभी तक बहुत सी योजनाओं का टेंडर नहीं हुआ। जो टेंडर्स हुए हैं, उनके कार्य प्रारंभ नहीं हुए। कहीं–कहीं कार्य प्रारंभ भी हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि लंबी सड़कों को लेने से एक तरफ जिन गांवों

को हमें सुविधा देनी थी, वे उससे वंचित हो गये। दूसरा, जिन लंबी सड़कों को हमने लिया, उनका निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां आपने स्वीकृति दी है, कहीं–कहीं पर काम अभी शुरू हुआ है और कहीं–कहीं पर शुरू नहीं हुआ है, क्या आप उन कार्यों को शुरू करवाने के लिए कोई समय–सीमा तय करेंगे या फिर, पौने तीन साल बीत जाने के बाद, अब ये कार्य अगले चुनाव के बाद पूरे होंगे? क्या आप उन ग्रामीण इलाकों में, जो पहले लम्बी सड़कों को लेने की वजह से छूट गए हैं, इन योजनाओं को फिर से लागू करके, उन गांवों को यह सुविधा देना चाहेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ सदस्यों को बहुत संक्षेप में अनुपूरक प्रश्न पूछने चाहिएं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि पहले केवल लिंक रोड बनाकर 1,000 और 500 तक की आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में यह देखा गया कि कई जगह जगहों पर थ्रू–रूट्स भी चौपट हैं, वहां थ्रू–रूट्स के साथ ही लिंक रोड्स भी बने। माननीय सदस्य को यह चिन्ता हटा देनी चाहिए कि थ्रू–रूट्स लेने के चलते लिंग रोड्स नहीं बनेंगी या काम आहिस्ता होगा। हमें तेज गति से काम करना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने बिहार के विषय में चिन्ता जाहिर की है। मैं बताना चाहूंगा कि बिहार के लिए 6,000 किलोमीटर सड़क मंजूर हुई थी, जिसमें से 400 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हो गया है, 4000 किलोमीटर सड़क पर काम चल रहा है और 1,500 किलोमीटर सड़क के लिए टेण्डर हो गया है। माननीय सदस्य का हमें इस काम मे सहयोग चाहिए। इनके इलाके में आठ–आठ बार टेण्डर निकलता है, फिर भी लोग टेण्डर नहीं डालते हैं। वहां इनके मित्र लोग उपद्रव करा रहे हैं। वहां इनके जो मित्र और उपद्रवी तत्व हैं, अगर वे उनको समेट लें तो वहां भी तेजी से काम होगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मैं किसी पर आरोप–प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है? अगर इसमें कोई आरोप होगा तो मैं बाद में देखूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने इनके मित्र और इनको उपद्रवी तत्व कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि आपने बिहार में 15 साल शासन किया, वहां के सारे उपद्रवी तत्व इनके पीछे घूमते हैं, अगर उनसे बिहार को बचा लें तो आज बिहार की स्थिति ठीक हो सकती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सब एक अच्छा मज़ाक है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में वह स्वाभाविक रूचि लेकर इस कार्य को देश भर में करने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी को मालूम है कि बिहार में मेरे इलाके में भिखनाठोरी से पत्थर निकलता था और उसी का टेण्डर हुआ था। ये पत्थर इस रोड पर लगने थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह बिहार विधान सभा बन चुकी है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : महोदय, वहां सैंक्चुरी और सैंक्चुरी के बाहर जो पत्थर निकलते थे उन सभी पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रोक लगा दी है। सैंक्चुरी के साथ ही, सैंक्चुरी के बाहर नदी से निकाले जाने वाले पत्थरों पर भी रोक लगा दी गयी है, जिसके कारण नदी में बाढ़ आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सैंक्चुरी से निकलने वाले पत्थर पर रोक लगाए और सैंक्चुरी से बाहर नदी से निकलने वाले पत्थर पर रोक न लगाई जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने मंत्रालय के माध्यम से इस रोक को हटाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि शॉर्टेज ऑफ मैटिरियल को देखते हुए, क्योंकि भिखनाठोरी इलाका काफी नजदीक है और दूर से मैटेरियल लाने पर कीमतें बढ़ जाती हैं, इसीलिए हमने राज्य सरकार को कहा है और पर्यावरण मंत्रालय एवं सभी पक्षों से हम सम्पर्क में हैं।

श्री रघुनाथ झा : महोदय, यह मामला भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ठीक है, हम देखेंगे कि वह उपलब्ध हो जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ये महत्त्वपूर्ण मामले हैं। आप एक प्रश्न के लिए 20 मिनट नहीं ले सकते। अब, मेजर जरनल (सेवानिवृत्त) खंडूडी बोलेंगे। कृपया बहुत संक्षेप में अनुपूरक प्रश्न पूछें। आप एक अनुभवी सदस्य हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : महोदय, जून,

2005 में कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से मैंने मंत्री जी से उत्तरांचल के विषय में कुछ सूचना ली थी। मंत्री जी ने बताया था कि मार्च, 2002 से लेकर जून, 2005 तक उत्तरांचल में 274 करोड़ रुपए का उपयोग नही हुआ है, कुल 101 किलोमीटर सड़क बनी है, जबकि पहले एक साल में पूरा पैसा इस्तेमाल हुआ था और 284 किलोमीटर सड़क बनी थी। उस समय आपने सदन में यह भी बताया था कि उत्तरांचल सरकार हमारी बात नहीं सुनती हैं, हमने कई मीटिंग्स कर ली हैं, लेकिन कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर काफी समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जून, 2005 से आज तक उत्तरांचल में फण्ड यूटिलाइजेशन की क्या स्थिति है? क्या आपके कहने पर वहां की सरकार ने कोई प्रोग्रेस की है, अगर प्रोग्रेस हुई तो उसकी क्या स्थिति है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, उत्तरांचल का कुल हिस्सा 490 करोड़ रुपए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें डिटेल भेज दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप सब जानते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ये सब ब्यौरे यहां नहीं दिए जा सकते।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : महोदय, 284 करोड़ रुपये की राशि रुकी हुई है ...*(व्यवधान)* आप कृपया मुझे यह बताएं कि अब कितनी राशि रूकी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उत्तरांचल का हिस्सा 490 करोड़ रुपए है। उसमें से 360 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। ज्यादा होना चाहिए था, यह कम है। दूसरा, नम्बर आफ रोड्स सैंक्शंस 292 हैं और 229 करोड़ रिलीज किए गए हैं। जहां तक नम्बर आफ रोड्स वर्क कम्पलीटेड की बात है, अक्तूबर, 2006 तक ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : साढ़े तीन साल में वहां पर क्या काम हुआ है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि क्या कार्य पूरा हुआ है। कृपया उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उत्तरांचल का काम पीछे है। इधर वहां सुधार का लक्षण दिखाई दिया है। हमने बार-बार प्रयत्न किया है, तो उन्होंने सुधार करना शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि ये महत्वपूर्ण मामले हैं इसलिए तो मैंने इतने अधिक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी है। लेकिन आप इसी प्रश्न पर 51 मिनट का समय ले चुके हैं। अब, हम अगले प्रश्न को लेंगे।

छठा केन्द्रीय वेतन आयोग

+

*43. **श्री पी. मोहन :**
डा. के. धनराजू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठा केन्द्रीय वेतन आयोग गठित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या इस आयोग ने सरकारी संगठनों, कर्मचारी संघों/यूनियनों आदि सहित इच्छुक पक्षों से सुझाव/टिप्पणियां मांगी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न पक्षों से अंतरिम राहत प्रदान करने की लगातार मांग हो रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने 05 अक्तूबर, 2006 को छठे वेतन आयोग को अधिसूचित किया। आयोग के यथा-अधिसूचित विचारार्थ विषय अनुबंध के रूप में संलग्न है। आयोग ने स्टाफ एसोसिएशनों और सरकारी संगठनों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। कर्मचारी पक्ष ने 1000/- रुपए प्रतिमाह अंतरिम राहत की मांग की है। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में अंतरिम राहत के भुगतान से संबंधित मुद्दे को एक विषय के रूप में शामिल कर लिया गया है।

अनुबंध

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय

(क) कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं/लाभों, भले ही वे नकद रूप में हों या वस्तुगत रूप में,

की संरचना को शासित करने वाले सिद्धांतों तथा उनके लागू होने की तारीख की जांच करना :–

(i) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी–औद्योगिक तथा गैर–औद्योगिक;

(ii) अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक;

(iii) रक्षा सेनाओं से संबंधित कार्मिक;

(iv) संघ शासित क्षेत्रों के कार्मिक;

(v) भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी; और

(vi) संसद के अधिनियमों के अंतर्गत गठित विनियामक निकायों के अधिकारी तथा कर्मचारी।

(ख) केन्द्रीय सरकारी संगठनों को नागरिकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध आधुनिक व्यावसायिक दक्षता से परिपूर्ण तथा जनानुकूल निकायों में तब्दील करना;

(ग) ऊपर 'क' में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए वेतन संरचना का एक ऐसा पैकेज तैयार करना जो मितव्ययिता, जवाबदेही, दायित्व भावना, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी को अपनाने और अनुशासन को बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी दायरे में आने वाली संरचनाओं, संगठनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में औचित्य स्थापित करते हुए सरकारी कर्मचारियों की दक्षता, उत्पादकता और अर्थव्यवस्था वृद्धि के साथ कारगर तरीके से जुड़ा हुआ हो;

(घ) उभरते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की मांगों के अनुरूप केन्द्रीय सरकारी संगठनों के कार्य–निष्पादन में सामंजस्य लाना। इसमें अन्य प्रासंगिक तथ्यों यथा–कर्मचारियों के लिए उपलब्ध लाभों की समग्रता, तर्क–संगति की आवश्यकता और उसका सरलीकरण, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध मौजूदा वेतन ढांचे तथा सेवानिवृत्ति लाभों, देश की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में राजकोषीय विवेक के इस्तेमाल की आवश्यकता, केन्द्र सरकार के संसाधन तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कारण इसकी मांगों, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वभौमिक परिदृश्यों तथा राज्यों द्वारा सिफारिशों को अपनाए जाने की स्थिति में राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखा जाएगा;

(ङ) 01 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त हुए मौजूदा तथा पूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर वित्तीय निहितार्थों के साथ उन सिद्धान्तों का निरीक्षण करना जो पेंशन के ढांचे, मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य आवधिक अथवा आवर्ती लाभों को शासित करें;

(च) सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय पैरामीटरों (प्राचलों) और परिस्थितियों के संबंध में सिफारिश करना जो विभिन्न विभागों में मौजूदा तदर्थ बोनस स्कीम के स्थान पर बोनस के भुगतान तथा उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीमों को शुरू करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता को शासित करे तथा उत्पादकता सूचकांक तथा अन्य संबंधित पैरामीटरों को निर्धारित करने वाले विशिष्ट फार्मूलों की सिफारिश करना;

(छ) आयोग द्वारा सिफारिश करने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने में लगने वाले समय के लिए किसी अंतरिम राहत की वांछनीयता और स्वीकृति की आवश्यकता की जांच करना।

श्री पी. मोहन : अध्यक्ष महोदय, अंतरिम राहत के संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि अंतरिम राहत का मामला इसकी अभिप्रेतता का निर्णय लेने के लिए छठे वेतन आयोग को अग्रेषित किया गया है। पूर्व में भी, वेतन आयोग के गठन की घोषणा होने से पहले सरकार स्वयं ही अंतरिम राहत की घोषणा करती रही है; लेकिन इस बार इस परंपरा का पालन क्यों नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अंतरिम राहत क्यों नहीं दे रहे?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, 1 अप्रैल, 2004 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का वेतन में मंहगाई वेतन के रुप में विलय कर दिया गया है। अतः, पिछले वेतन आयोगों की तुलना में नए वेतन आयोग की पूर्व संध्या पर यह एक बड़ा परिवर्तन है। इसलिए, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जहां तक मंहगाई भत्ते के कुछ भाग का मंहगाई वेतन में विलय का संबंध है, तो अंतरिम राहत के प्रश्न को भी वेतन आयोग को ही अग्रेषित कर देना उचित होगा।

अतः इसे वेतन आयोग को अग्रेषित किया जा रहा है और हम वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करेंगे।

श्री पी. मोहन : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्वयं मंत्री होते तभी आप संतुष्ट हो पाते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री पी. मोहन : पांचवे वेतन आयोग की 10 वर्ष के पश्चात वेतन आयोग गठित करने की सिफारिश के विपरीत तीन वर्ष के विलंब के बाद अर्थात 3 वर्ष बीत जाने पर वर्तमान वेतन आयोग का गठन क्यों किया गया?

क्या यह भी सत्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने के बाद भी अनेक सरकारी कार्यालयों में दूसरी सुनिश्चित पदोन्नति योजना (ए.सी.पी.) को कार्यान्वित नहीं किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन, आपने इस अनुपूरक प्रश्न में बहुत से प्रश्न पूछ लिए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, वेतन आयोग के गठन हेतु कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं की गई है। विगत में 11 से 13 वर्षों के अंतराल के बाद वेतन आयोगों का गठन किया जाता रहा है। इस मामले में पांचवे वेतन आयोग का गठन अप्रैल, 1994 में और छठे वेतन आयोग का गठन अक्तूबर, 2006 में, लगभग 12 वर्ष के बाद किया गया है। अतः यह पिछले औसत से कोई बहुत अलग नहीं है।

जहां तक दूसरी सुनिश्चित पदोन्नति योजना (ए.सी.पी.) का संबंध है–यद्यपि यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है – मुझे नहीं पता कि कौन से विभाग ने इसे कार्यान्वित नहीं किया है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई ब्यौरा है तो वे उसे मुझे भेज सकते हैं और मैं यह पता लगाऊंगा कि उस विभाग ने सरकार के इस निर्णय को लागू क्यों नहीं किया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

डा. के. धनराजू : महोदय, सामान्तया हमारे वित्त मंत्री जी प्रश्नों का अच्छा उत्तर देते हैं परन्तु हम सरकार से एक सकारात्मक उत्तर चाहते हैं। यद्यपि, मंहगाई भत्ते का वेतन मानों में विलय करना एक अलग मुद्दा है तथापि, पूरे देश के सारे सरकारी कर्मचारी सं.प्र.ग. सरकार की ओर देख रहे हैं और वे तत्काल अंतरिम राहत की घोषणा किए जाने की उम्मीद करते हैं। मैं यह चाहता हूं कि अंतरिम राहत की घोषणा हेतु किसी निर्धारित समयावधि निश्चित की जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब, डा. सत्यनारायण जटिया बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रश्न पर कुछ अन्य पूछा जाना शेष है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, छठे वेतन आयोग से कर्मचारी संगठनों और अन्य लोगों ने जो मांगें की हैं, उनमें 1000 रुपए अंतरिम राहत देने की बात भी कही है। ऐसी राहत पहले भी देने का काम हो चुका है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : इन्होंने इसे अपने टर्म्स आफ रेफरेंस में डाल दिया है, जबकि अंतरिम राहत देने की बात निश्चित रूप से होनी चाहिए। आजकल बढ़ते हुए प्राइस इंडैक्स और अन्य चीजों के दामों में हुई भारी बढ़ोत्तरी को भी देखना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे टालने का काम किया है, जो ठीक नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसी राहत देने का काम होना चाहिए। दूसरे, यह जो आयोग बनाया गया है उसकी संरचना और समयावधि तय करते हुए सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसे संगठनों को बुलाने की पद्धति क्या होगी – यह सरकार बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वेतन आयोग इसका निर्णय करेगा। हां, मंत्री महोदय, यदि आप इसका उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : आयोग से यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है आयोग ने मुझे सूचित किया है कि वे यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। वे अंतरिम राहत से संबंधित निदेश पदों पर भी कार्य करेंगे। अंतरिम राहत के संबंध में मैं जो कुछ कह चुका हूं उसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं निश्चित रुप से आपके सुझावों को ध्यान में रखूंगा और उनपर कार्यवाही करुंगा।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल इससे थोड़ा हटकर है। पांचवां वेतन आयोग जब आया था उसमें जो वित्तीय सुझाव थे वह तो मान लिये गये, लेकिन पांचवें वित्त आयोग में बहुत सी गैर–वित्तीय सुझाव भी थे जिनका शायद जमीनी असर हमने नहीं देखा। एक असर जरूर देखा कि पांचवें वेतन आयोग के बाद बहुत से राज्य सरकारों को वित्तीय स्थिति चौपट हो गयी। पिछले 10–12 सालों में हमें लगता था कि जमीनी स्तर पर, राज्य सरकारों के कर्मचारियों की गुणवत्ता में सुधार आयेगा, वह शायद अपेक्षा से कम दिखाई पड़ा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की कितनी प्रतिबद्धता उन गैर–वित्तीय सुझावों के प्रति है जो गैर–वित्तीय सुझाव वेतन–आयोग से आते हैं जिसमें हम लोग कोशिश करें कि जमीनी स्तर पर सरकारी अधिकारियों की गुणवत्ता बढ़े। क्या माननीय मंत्री जी से इस विषय पर हमें कोई आश्वासन मिल सकता है कि उनमें कोई इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं। जब वेतन आयोग वित्तीय पहलुओं के संबंध में सिफारिशें करता है तो वह गैर–वित्तीय पहलुओं के संबंध में भी सिफारिशें करता है। दुर्भाग्यवश वित्तीय पहलुओं के आवरण हम एक गैर–वित्तीय पहलुओं को भूल जाते हैं और फिर हमें उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जहां तक यह मेरे क्षेत्राधिकार में आता हैं, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि छठे वेतन आयोग के वित्तीय और गैर–वित्तीय दोनों पहलुओं से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अभी कहा कि जल्दी रिक्मेंडेशन देंगे, तो कब तक यह रिक्मेंडेशन देंगे? कोई टाइम–फ्रेम आपने तय किया है कि यह कार्य कब तक हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि पांचवें वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की थी उनमें बहुत सी विसंगतियां आ गयी थीं। क्या सरकार अभी से इस बात को सुनिश्चित करेगी कि छठे वित्त–आयोग की जो सिफारिशें आयें उसमें विसंगतियां न हों।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : आयोग से अनुरोध किया जा रहा है कि वह इसके गठन के 18 महीनों के अंदर–अंदर अपनी सिफारिशें दे दें। जब आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा तब सरकार को उन पर ध्यानपूर्वक विचार करना होगा और तत्पश्चात वह उन पर निर्णय लेगी। आमतौर पर निर्णय ले लिए जाने के बाद कुछ विसंगतियां ध्यान में लाई जाती हैं और सरकार में सुस्थापित प्रक्रिया द्वारा उनका निपटारा किया जाता है। लेकिन मैं यह आशा करता हूं कि छठे वेतन आयोग से प्राप्त होने वाली सिफारिशों में, यथासंभव, कोई विसंगतियां नहीं होंगी।

श्री सी. कुप्पुसामी : आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, महोदय।

इस वेतन आयोग का गठन 10 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वेतन आयोग को किसी ऐसे तंत्र या सूत्र का सुझाव देने का परामर्श देगी जिसके अंतर्गत प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों का स्वतः ही संशोधन हो जाए?

अध्यक्ष महोदय : यह स्वतः ही संशोधन से संबंधित है।

श्री पी. चिदम्बरम : नहीं, महोदय। यह विचाराधीन नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन करने का स्वीकार्य तंत्र है वेतन आयोग। लेकिन मैं यह नहीं समझ सकता कि स्वतः ही संशोधन कैसे हो सकता है। मूल्यों में वृद्धि के कारण वेतन में कमी को पूरा करने हेतु महंगाई भत्ता दिया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा चैकों के समाशोधन में विलम्ब

***44. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में चेक समाशोधन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी और निजी क्षेत्रों के बैंक उनको समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों के क्रेडिट में जानबूझकर विलम्ब करके प्रतिदिन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं जैसाकि दिनांक 4 सितम्बर, 2006 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के संव्यवहारों में लिप्त पाए गए बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 नवम्बर, 2004 के अपने दिशानिर्देशों के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक एवं पारदर्शी नीति तैयार करने के लिए कहा है जिसमें (i) स्थानीय/बाहरी चेकों को तत्काल नामे डालना, (ii) स्थानीय/बाहरी चेकों की वसूली के लिए समय–सीमा और (iii) देर से की गई वसूली के लिए ब्याज देने से संबंधित मुद्दे शामिल हों। बैंकों को अपनी नीतियां तैयार करते समय अपनी तकनीकी क्षमताओं, समाशोधन व्यवस्था के लिए अपनाई गई प्रणाली और प्रक्रिया, संपर्कियों के माध्यम से वसूली हेतु अन्य आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखने तथा इस प्रकार तैयार नीतियों के व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तथापि, यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है कि बैंक की प्रकाशित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में बैंक एवं उसके किसी ग्राहकों के बीच उत्पन्न विवाद की जांच का परमाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंकिंग लोकपालों के पास बना रहेगा।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसा कोई दृष्टांत दर्ज नहीं है कि किसी बैंक ने चेक समाशोधन एवं नामे डाले जाने में जानबूझकर किए गए विलम्ब से बहुत धन अर्जन किया हो। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के किसी विशेष दृष्टांत के ध्यान में आने पर वह उचित विनियामक कार्रवाई करता है।

बृहत (मेगा) शहर का दर्जा

***45. श्री हितेन बर्मन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है जिन्हें बृहत शहर के लिए चुना गया है और बृहत शहर का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य–वार बृहत शहरों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और 31 अक्तूबर, 2006 तक कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(ग) क्या कुछ बृहत शहर उन्हें प्रदान किये दर्जे का लाभ उठाने में विफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित शहरों को अवस्थापना विकास के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया की जाती है:–

i. चैन्नई (तमिलनाडु)

ii. मुंबई (महाराष्ट्र)

iii. कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

iv. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

v. बंगलूर (कर्नाटक)

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 1050.00 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए। इसमें से 835.59 करोड़ रुपए 2002–03 से अक्तूबर, 2006 तक मेगा शहरों में नोडल एजेंसियों को निम्नलिखित अनुसार वितरित किए गए:–

(करोड़ रु. में)

मेगा शहर	राशि
बंगलूर	121.72976
चैन्नई	169.96389
हैदराबाद	168.72050
कोलकाता	146.88040
मुंबई	227.76445

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली मास्टर प्लान

*46. **श्री संतोष गंगवार :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के "मास्टर प्लान, 2021" को अन्तिम रुप देने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या प्रस्तावित "मास्टर प्लान" में दिल्ली के नागरिकों को हो रही समस्याओं का ध्यान रखे जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक अन्तिम रुप देने और अधिसूचित कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार अनुमोदन से दिनांक 8.4.2005 को समाचारपत्रों के जरिए दिल्ली के मास्टर प्लान–2021 (एमपीडी–2021) के प्रारुप के संबंध में जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये थे। इसके प्रत्युत्तर में लगभग 7000 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच एवं सुनवायी बोर्ड ने इस मास्टर प्लान के प्रारुप के संबंध में सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के लिए अभी तक 15 बैठकें की हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। दिल्ली मास्टर प्लान–2021 के प्रारुप में अन्य बातों के साथ–साथ अतिरिक्त क्षेत्र के शहरीकरण, आवास स्टॉक एवं व्यवसायिक स्थान को बढ़ाने, भूमि जुटाने एवं उसका विकास करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी, एमआरटीएस कॉरीडोरों के साथ लगे प्रभाव जोन सहित कुछ क्षेत्रों में आबादी के पुनर्वितरण नियोजित एवं गैर–नियोजित– दोनों ही प्रकार के शहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास, हरित क्षेत्र के विकास, नैसर्गिक एवं सांस्कृतिक विकास के अनुसरण के लिए प्रावधान किया गया है तथा विद्युत, जल आपूर्ति एवं सीवरेज के संबंध में भावी योजना को भी शामिल किया गया है।

रिहायशी परिसरों के व्यावसायीकरण एवं अनधिकृत निर्माण के कारण नागरिकों को हुई समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार पहले ही दिनांक 7.9.2006 और 22.9.2006 की अधिसूचनाओं के जरिए दिल्ली मास्टर प्लान–2001 को संशोधित कर चुकी है। मिश्रित उपयोग से संबंधित संशोधित प्रावधानों में रिहायशी परिसरों के गैर–रिहायशी कार्यकलापों हेतु उदार एवं युक्तिसंगत उपयोग, स्थानीय निकायों द्वारा मिश्रित उपयोग के लिए सड़कों (स्ट्रीट) की पहचान करने में रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशनों को शामिल करने के साथ–साथ नागरिक अवस्थापना एवं पार्किंग की सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रभारों की वसूली के लिए प्रावधान किया गया है। प्लॉट वाले रिहायशी विकास के लिए संशोधित विकास नियंत्रण मानकों में अपेक्षाकृत अधिक ग्राउंड कवरेज, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) तथा ऊंचाई के लिए प्रावधान किया गया है।

संशोधित प्रावधानों में इन मानकों तथा विभिन्न प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन मौजूदा अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण तथा मिश्रित उपयोग वाले परिसरों के पंजीकरण के लिए भी प्रावधान किया गया है।

सरकार ने फार्म हाऊसों तथा संपन्न वर्गों के निवास वाली अनधिकृत कालोनियों के रुप में हुए अनधिकृत विकास, लाल डोरा क्षेत्रों के एकीकरण तथा ग्रुप हाउसिंग भवनों में परिवर्द्धनों/परिवर्तनों से संबंधित अन्य लंबित मुद्दों की जांच करने के लिए भी समितियों का गठन किया है।

(घ) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में निर्धारित सांविधिक प्रक्रिया के अनुसार, मास्टर प्लान के प्रारुप पर प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने तथा इसे सरकार के पास भेजे जाने के बाद ही इसका अनुमोदन किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रक्रिया को देखते हुए, स्पष्ट समय–सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

*47. **श्री हंसराज ग. अहीर :**
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्य विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ विद्युत परियोजनाओं का क्षमता संवर्धन पिछले कई वर्षों से नहीं किया गया है और कई परियोजनाएं अभी भी आवश्यक मंजूरी के लिए प्रतीक्षारत है जिसके कारण अधिकतर राज्यों में औद्योगिक और कृषि उत्पादन में गिरावट जारी है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले ठोस कदम क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) देश में मुख्यतः विद्युत की उपलब्धता की तुलना में मांग में वृद्धि के कारण बिजली की समग्र रूप से कमी है। विद्युत की मांग और आपूर्ति आधार पर प्रत्येक मौसम में दिन–प्रतिदिन तथा घंटा–दर–घंटा आधार पर राज्य दर राज्य कमी भिन्न–भिन्न है। अप्रैल–अक्तूबर, 06 के दौरान विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण–I में दी गई है।

विद्युत की कमी के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:–

(i) बिजली की मांग में वृद्धि उत्पादन व क्षमता अभिवृद्धि में वृद्धि से अधिक बढ़ रही है।

(ii) कुछ ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का कम संयंत्र भार घटक अधिकांशतः राज्य क्षेत्र में है।

(iii) बिजली की चोरी सहित सकल उच्च तकनीकी व वाणिज्यिक हानियां।

(iv) राज्य यूटिलिटियों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण पर्याप्त उत्पादन, पारेषण एवं वितरण प्रणाली सर्जन के लिए अपेक्षित निवेश हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) और (घ) विद्युत एक समवर्ती विषय है। किसी राज्य में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं (औद्योगिक एवं कृषि) को बिजली की आपूर्ति एवं वितरण राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। विगत 3 वर्षों अर्थात् 2003–04 से 2005–06 के दौरान देश में उत्पादन में समग्र वार्षिक वृद्धि 5–5.2% रही है जबकि पूर्ववर्ती 3 वर्षों अर्थात् 2000–01 से 2002–03 के दौरान 3.1–3.9% रही है। वर्तमान वर्ष (अप्रैल–अक्तूबर, 2006) के दौरान उत्पादन में वृद्धि 7.1% रही, जबकि विगत वर्ष में इसी अवधि के दौरान यह 5.1% थी।

विगत 4 वर्षों और वर्तमान वर्ष में अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में क्षमता लगभग 17743 मेगावाट की वृद्धि हुई हैं। राज्य/क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। लगभग 43,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं (संलग्न विवरण–III)।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी उत्पादक स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकती है यदि वह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कनैक्टिविटी के बारे में तकनीकी मानकों का अनुपालन भी करती है। तथापि, जल विद्युत उत्पादन परियाजनाओं के स्थापना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति जरूरी है जिसमें विनिर्दिष्ट राशि से अधिक पूंजी व्यय होती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु लंबित थर्मल विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

ताप विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के बारे में विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय (एमओ ईं एंड एम) के साथ प्रत्येक माह समन्वय बैठक करता है और ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित मामलों का समाधान बैठक में किया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण वन स्वीकृति के अभाव में कोई ताप विद्युत परियोजना लंबित नहीं है।

के.वि.प्रा. द्वारा संस्वीकृति कुल 5481 मेगावाट संस्थापित क्षमता की 10 जल विद्युत स्कीमों को पर्यावरणीय और/अथवा वन दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया जाना है। इस बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण–IV में दिए गए हैं। इस समय सीईए की स्वीकृति के लिए कोई जल विद्युत स्कीम लंबित नहीं है।

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जा रहे हैं–

(i) चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की कड़ी मॉनीटरिंग की जा रही है।

(ii) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं की अग्रिम आयोजना।

(iii) अपेक्षित अर्थव्यवस्था का लाभ प्राप्त करने के लिए 4000 मेगावाट प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन।

(iv) बेहतर प्रचालन एवं अनुसरण (ओ एंड एम) पद्धतियों को अपनाकर "उत्कृष्टता में भागीदारी" कार्यक्रम ताकि नवीकरण एवं आधुनिकीकरण से पूर्व भलीभांति निष्पादन कर रही विद्युत यूटिलिटियों के साथ संयोजन (टाई–अप) के जरिए मौजूदा थर्मल पावर स्टेशनों का संयत्र भार घटक (पीएलएफ) बढ़ाने में समर्थ हो सके।

(v) "त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम" (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के साथ पुरानी एवं अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(vi) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिशेष विद्युत समुपयोजन।

(vii) तरल ईंधन पर गैस आधारित स्टेशनों की उपयोग में न लाई गई क्षमता का उपयोग।

(viii) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर एवं गैस आधारित विद्युत का समन्वित प्रचालन एवं अनुरक्षण।

(ix) अंतर–राज्य एवं अंतः क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण करने के जरिए उपलब्ध विद्युत का इष्टतम उपयोग।

विवरण-I

विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अनंतिम)

आंकड़े मि. यू. निवल में

राज्य प्रणाली क्षेत्र	अक्तूबर, 2006				अप्रैल, 2006–अक्तूबर, 2006			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(–) (मि.यू.)	(मे.वा.)	मांग (मे.वा.)	पूर्ति (मे.वा.)	अधिशेष/कमी(–) (मे.वा.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	106	106	0	0.0	872	870	–2	-0.2
दिल्ली	1,619	1,614	-5	-0.3	14,452	14,112	-340	-2.4
हरियाणा	2,421	2,221	-200	-8.3	16,770	14,883	-1,887	-11.3
हिमाचल प्रदेश	616	611	-5	-0.8	3,017	2,983	-34	-1.1
जम्मू और कश्मीर	880	840	-40	-4.5	6,318	4,595	-1,723	-27.3
पंजाब	2,711	2,561	-150	-5.5	25,903	22,695	-3.208	-12.4
राजस्थान	2,807	2,707	-100	-3.6	17,887	17,335	-552	-3.1
उत्तर प्रदेश	4,771	4,121	-650	-13.6	33,821	27,933	-5,888	-17.4
उत्तरांचल	564	554	-10	-1.8	3,453	3,344	-109	-3.2
उत्तरी क्षेत्र	**16,495**	**15,335**	**-1,160**	**-7.0**	**122,493**	**108,749**	**13,744**	**-11.2**
छत्तीसगढ़	1,205	1,131	-74	-6.1	8,051	7,593	-458	-5.7
गुजरात	5,921	5,082	-839	-14.2	33,200	29,950	-3.250	-9.8
मध्य प्रदेश	3,193	2,966	-227	-7.1	18,916	16,696	-2,220	-11.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	8,924	7,517	-1,407	-15.8	58,708	50,369	-8,339	-14.2
दमन और दीव	134	112	-22	-16.4	918	795	-123	-13.4
दादर नगर हवेली	231	229	-2	-0.9	1,650	1,613	-37	2.2
गोवा	256	253	-3	-1.2	1,495	1,492	-3	-0.2
पश्चिमी क्षेत्र	**19,664**	**17,290**	**-2,574**	**-13.0**	**122,938**	**108,508**	**14,430**	**-11.7**
आंध्र प्रदेश	5,170	5,027	-143	-2.8	34,307	33,478	-829	-2.4
कर्नाटक	3,411	3,332	-79	-2.3	22,318	21,998	-320	-1.4
केरल	1,243	1,217	-26	-2.1	8,495	8,371	-124	-1.5
तमिलनाडु	5,069	4,985	-84	-1.7	36,435	35,984	-451	-1.2
पांडिचेरी	142	142	0	0.00	1,078	1,078	0	0.0
लक्षद्वीप #	2	2	0	0	14	14	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**15,935**	**14,703**	**-332**	**-2.2**	**102,633**	**100,909**	**-1,724**	**-1.7**
बिहार	783	722	-61	-7.8	4,789	4,410	-379	-7.9
डीवीसी	1,053	1,031	-22	-2.1	6,673	6,562	-111	-1.7
झारखंड	373	362	-11	-2.9	2,428	2,326	-102	-4.2
उड़ीसा	1,463	1,434	-29	-2.0	9,818	9,679	-139	-1.4
पश्चिम बंगाल	2,320	2,257	-63	-2.7	16,239	15,968	-271	-1.7
सिक्किम	17	17	0	0.00	120	119	-1	-0.8
अंडमान और निकोबार #	20	15	-5	-25	140	105	-35	-25.0
पूर्वी क्षेत्र	**6,009**	**5,823**	**-186**	**-3.1**	**40,067**	**39,067**	**-1,003**	**-2.5**
अरूणाचल प्रदेश	20	19	-1	-5.0	132	127	-5	-3.8
असम	328	301	-27	-8.2	2,562	2,399	-183	-7.1
मणिपुर	50	48	-2	-4.0	292	280	-12	-4.1
मेघालय	120	97	-23	-19.2	814	647	167	-20.5
मिजोरम	19	18	-1	-5.3	130	124	-6	-4.6
नागालैंड	31	29	-2	-6.5	210	201	-9	-4.3
त्रिपुरा	113	107	-6	-5.3	520	480	-40	-7.7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**681**	**619**	**-62**	**-9.1**	**4680**	**4258**	**-422**	**-9.0**
अखिल भारत	**58,884**	**53,770**	**-4,314**	**-7.4**	**392,811**	**361,488**	**31,323**	**-8.0**

लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणाली, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

नोट : उच्चतम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं। (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

व्यस्ततम मांग एवं व्यस्ततम आपूर्ति (अनंतिम)

आंकड़े मेगावाट निवल में

राज्य प्रणाली	अक्तूबर, 2006				अप्रैल, 2006–अक्तूबर, 2006			
	व्यस्ततमकालीन मांग	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	अधिशेष/कमी(–)		व्यस्ततमकालीन मांग	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	अधिशेष/कमी(–)	
क्षेत्र	(मे.वा.)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मे.वा.)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	207	206	-1	-0.5	264	247	-17	-6.4
दिल्ली	3,701	3,529	-172	-4.6	4,000	3,736	-264	-6.6
हरियाणा	4,600	3,897	-703	-15.3	4,837	4201	-636	-13.1
हिमाचल प्रदेश	711	711	0	0.0	730	730	0	0.00
जम्मू और कश्मीर	1,400	1,282	-118	-8.4	1,470	1282	-188	-12.8
पंजाब	6,300	5,318	-982	-15.6	8,971	6,558	-2,413	26.9
राजस्थान	5,012	4,387	-625	-12.5	5,012	4,387	-625	-12.5
उत्तर प्रदेश	8,656	7,637	-1019	-11.8	8,753	7,637	-1,116	-12.7
उत्तरांचल	1,084	941	-143	-13.2	1,084	991	-93	-8.6
उत्तरी क्षेत्र	**29,669**	**26,182**	**-3,507**	**-11.8**	**31,516**	**26,644**	**-4,872**	**-15.5**
छत्तीसगढ़	2,065	1,779	-286	-13.8	2,157	1,817	-340	-15.8
गुजरात	10,713	8,030	-2,683	-25.0	10,713	8,030	-2683	-25.0
मध्य प्रदेश	6,910	6,404	-506	-7.3	6,910	6,404	-506	-7.3
महाराष्ट्र	15,707	12,557	-3,150	-20.1	15,854	12,557	-3297	-20.8
दमन और दीव	202	180	-25	-12.2	205	182	-23	-11.2
दादर और नगर हवेली	379	355	-24	-6.3	415	359	-56	-13.5
गोवा	363	298	-65	-17.9	371	371	0	0.00
पश्चिमी क्षेत्र	**33,915**	**26,882**	**-7,033**	**-20.7**	**33,915**	**26,882**	**-7,033**	**-20.7**
आंध्र प्रदेश	9,082	8,158	-924	-10.2	9,082	8,281	-801	-8.8
कर्नाटक	5,570	5,195	-375	-6.7	6,130	5,611	-519	-8.5
केरल	2,649	2,596	-53	-2.0	2,672	2,602	-70	-2.6
तमिलनाडु	8,010	7,819	-191	-2.4	8,609	8,449	-160	-1.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पांडिचेरी	224	224	0	0.00	265	265	0	0.00
लक्षद्वीप #	5	5	0	0	5	5	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**23,096**	**22,189**	**-907**	**-3.9**	**25,165**	**23,520**	**-1,645**	**-6.5**
बिहार	1,336	1,162	-174	-13.0	1,399	1,162	-237	-16.9
डीवीसी	1,608	1,569	-39	-2.4	1,650	1,597	-53	-3.5
झारखंड	647	636	-11	-1.7	647	636	-11	-1.7
उड़ीसा	2,520	2,485	-35	-1.4	2,547	2,487	-60	-2.4
पश्चिम बंगाल	4,784	4,669	-115	-2.4	4,784	4,669	-115	-2.4
सिक्किम्	40	40	0	0-00	40	40	0	0.00
अंडमान निकोबार #	40	32	-8	-20	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	**10,414**	**10,058**	**-356**	**-3.4**	**10,491**	**10,058**	**-433**	**-4.1**
अरूणाचल प्रदेश	72	70	-2	-2.8	77	76	-1	-1.3
असम	732	658	-74	-10.1	771	688	-83	-10.8
मणिपुर	103	100	-3	-2.9	106	101	-5	-4.7
मेघालय	317	189	-128	-40.4	317	189	-128	-40.4
मिजोरम	65	64	-1	-1.5	70	68	-2	-2.9
नागालैंड	75	72	-3	-4.0	79	79	0	0.00
त्रिपुरा	133	133	0	0.00	169	142	-27	-16.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,406**	**1,157**	**-249**	**-17.7**	**1,407**	**1,165**	**-242**	**-17.2**
अखिल भारत	**98,520**	**86,468**	**-12,052**	**-12.2**	**98,520**	**86,468**	**-12,052**	**-12.2**

लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणाली, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

नोट : उच्चतम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

विवरण-II

10वीं योजना के दौरान 31.10.2006 तक क्षमता अभिवृद्धि

(आंकड़े मेगावाट निवल में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	केंद्रीय क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	20		26
2.	आंध्र प्रदेश	450	668	1000	2118
3.	असम				0
4.	छत्तीसगढ़				0

1	2	3	4	5	6
5.	दिल्ली	225.78			225.78
6.	गुजरात	1878.62			1878.62
7.	हरियाणा	500			500
8.	हिमाचल प्रदेश	84	300	1800	2184
9.	जम्मू और कश्मीर				0
10.	झारखंड		120		120
11.	कर्नाटक	500			500
12.	केरल				0
13.	लक्षद्वीप				0
14.	मध्य प्रदेश	95		1500	1595
15.	महाराष्ट्र			1820	1820
16.	गोवा				0
17.	मणिपुर	18			18
18.	मेघालय			25	25
19.	मिजोरम	22.92			22.92
20.	नागालैंड				0
21.	उड़ीसा			2000	2000
22.	अरूणाचल प्रदेश				0
23.	पंजाब				0
24.	पांडिचेरी				0
25.	राजस्थान	520.32			520.32
26.	तमिलनाडु	374	422.6	520	1316.6
27.	त्रिपुरा	63			63
28.	उत्तर प्रदेश	210		1210	1420
29.	उत्तरांचल		400	780	1180
30.	बिहार				
31.	पश्चिम बंगाल			210	210
32.	सिक्किम				0
	कुल	4947.64	1930.6	10865	17743.24

विवरण-III

निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की सूची

क. 10वीं योजना में निर्माणाधीन परियोजनाएं जिनके नवंबर, 2006 से मार्च, 07 तक आरंभ होने की संभावना है।

परियोजना का नाम	लाभ (मेगावाट)
1	2
हाइड्रो	
टिहरी चरण–I	500.00
दुलहस्ती	390.00
लारजी	42.00
मनेरी भाली–II	304.000
घाटघर पीएसएस	250.00
जुराला प्रिया	39.00
पुरूलिया पीएसएस–4	225.00
बालीमेला चरण–II	150.00
कारबी लांपी	100.00
उप जोड़ – हाइड्रो	2000.00
थर्मल	
गिराल लिग्नाइट	125.00
केएलटीपीएस विस्तार (पानन)	75.00
परीक्षा विस्तार	215.00
जीएचटीपीपी–II	500.00
सीपत–II	1000.00
विध्यांचल	500.00
कोरबा पूर्वी विस्तार	500.00
पारली टीपीपी विस्तार	250.00
पारस विस्तार	250.00
रायगढ़ टीपीपी –I	250.00
बीरसिंहपुर विस्तार	500.00
रायलसीमा–II	420.00
बेल्लारी	500.00
मेजिया यूनिट 5 और 6	500.00
कहलगांव–II	1500.00
सागरडिघी 1 और 2	600.00
संथालडीह टीपीपी	250.00
बक्रेश्वर 4	210.00
दुर्गापुर	300.00
धौलपुर सीसीजीटी	220.00
सुगेन अखाखोल	365.00
ध्रुवण सीसीजीटी	40.00
डामोल सीसीजीटी–II	704.00
कोनासीमा सीसीजीटी	445.00
गौतमी सीसीजीटी	464.00
उप–जोड़ – थर्मल	10678.00
न्यूक्लीयर	
कैगा यू–3	220.00
उप जोड–न्यूक्लीयर	220.00
10वीं योजना में कुल निर्माणाधीन परियोजनाएं	12898.00

ख. 11वीं योजना की परियोजनाएं

जल विद्युत परियोजनाएं	
पार्वती–II	800
चमेरा–II	231
पार्बती–II	520
सेवा–II	120
उड़ी–II	240
निम्मू बाजगो	45
चुटक	44
ओंकारेश्वर	520
तीस्ता लो डैम–III	132
तीस्ता लो डैम–IV	160
सुबानसिरी लोअर	2000
कोटेश्वर	400
कामेंग	600
कोलडैम	800
लोहारीनागपाला	600
तीस्ता–V	510

1	2
उहल–III	100
बगलीहार–I	450
जुराला प्रियदर्शिनी*	195
नागार्जुन सागर टीआर	50
वाराही विस्तार	230
अथिरापल्ली	163
कुटियाडी विस्तार	100
भवानी बैराज II और III	60
पुरूलिया पीएसएस*	675
मिंत्दू चरण–I	84
बुधहिल	70
अलाइन दुहंगन	192
मलाना–II	100
करछाम वांग्टू	1000
श्रीनगर	330
महेश्वर	400
चुजाछेन	99
उपजोड़ हाइड्रो 11वीं योजना	12020
थर्मल परियोजनाएं	
दादरी विस्तार (यू–5)	490
सीपत–I	1980
मिलाई जेवी	500
कोरबा–III	500
बाढ़–I	1980
फारक्का चरण–III	500
चन्द्रपुर	500
बरसिंगसर लिग्नाइट	250
नैवेली–II लिग्नाइट	500
यमुना नगर	600
गिराल * यू–2	125
चाबरा टीपीएस	500
कोट यू–7	195

1	2
सुरतगढ़ विस्तार	250
धौलपुर	110
परीछा विस्तार	500
हरदुआगंज	500
सूरत लिग्नाइट विस्तार	250
अमरकंटक	210
पारली विस्तार यू–2	250
पारस विस्तार यू–2	250
भोपालपल्ली (काकतिया)	500
विजयवाड़ा टीपीपी	500
बेल्लारी टीपीएस यू–2	500
रायचूर यू–8	250
वलुथूर विस्तार	92
बक्रेश्वर यू–5	210
लखवा डब्ल्यूएच	37.2
दीमापुर डीजी	23
रायगढ़ पीएच–II	750
पथड़ी (लेनको) यू–1	300
पथड़ी (लेनका) यू–2	300
सुजेन टोरेंट	752
ट्रांबे टीपीएस	250
बज–बज विस्तार	250
उप जोड़ थर्मल	15645
न्यूक्लीयर प्रोजेक्ट	
आरएपीपी यू–5 और 6	440
कुदानकुलम यू–1 व 2	2000
पीएफबीआर (कल्पाक्कम)	500
कैगा यू–4	220
उप जोड़ न्यूक्लीयर	3160
11वीं योजना में कुल निर्माणाधीन	30834
कुल निर्माणाधीन (नवंबर, 2006 –मार्च, 2012)	43732

विवरण-IV

सीईए द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त लेकिन पर्यावरण एवं वन स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम. सं.	राज्य/स्कीम का नाम/क्षेत्र	संस्थापित क्षमता यूनिट x मेगावाट	मेगावाट	पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति	स्वीकृति की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	लता तपोवन (केंद्रीय क्षेत्र)	3x57	171	प्रस्ताव दिनांक 9.10.2006 को एमओईएस को प्रस्तुत कर दिया गया है।	एमओईएफ की वन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27.9.2006 को मामले पर विचार किया गया है।
2.	विष्णुगाड पीपलकोटी (केंद्रीय क्षेत्र)	4x111	444	ईआईए एवं ईएसपी अध्ययन स्वीकृति हेतु राज्य प्रदूषण बोर्ड को प्रस्तुत किए गए। सार्वजनिक सुनवाई दिनांक 17.10.2006 को हुई। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के पश्चात् मामला एमओईएफ को प्रस्तुत किया जाएगा।	लगभग 80 हैक्टेयर वन भूमि की जरूरत है। नोडल अधिकारी द्वारा 23.318 हे. वन क्षेत्र अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव कंट्रोल मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ को भेजा गया है।
3.	मतनार (राज्य क्षेत्र)	3x20	60	एमओईएफ के ईएसी द्वारा दिनांक 16.7.2003 को उठाए गए विभिन्न बिंदुओं का अनुपालन किया गया। एमओईएफ ने सूचित किया है कि वनभूमि अंतरण के मामले के साथ ही पर्यावरणीय स्वीकृति के मामले पर विचार किया जाएगा।	परियोजना में 92 हैक्टेयर वन भूमि शामिल है और राज्य वन विभाग के पास विचाराधीन है।
4.	तीस्ता चरण–III (निजी क्षेत्र)	6x200	1200	4.8.06 को स्वीकृत किया गया।	परियोजना में 80.280 है. वन भूमि शामिल है। दिनांक 15.10.06 को संयुक्त निरीक्षण पूरा किया गया तथा अंतिम राजस्व नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पूरी होने के पश्चात् शीघ्र ही वन आवेदन को हाथ में लिया जाएगा।
5.	तिपाईमुख (केंद्रीय क्षेत्र)	6x250	1500	मिजोरम एवं मणिपुर के लिए सार्वजनिक सुनवाई क्रमशः दिनांक 2.12.04 और 17.11.06 को चूड़ा चन्द्रपुर जिले में हुई और अब दिनांक 22.11.06 को तामेंगलोंग जिले में होगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्ताव एमओईएफ को प्रस्तुत किया जाएगा।	नीपको द्वारा अप्रैल, 03 मे मामले को राज्य वन विभाग को भेजा गया था। मिजोरम सरकार ने अपने मामले को एमआईईएफ को अग्रेषित किया। चालू मूल्यांकन को पूरा करने के पश्चात् मणिपुर सरकार द्वारा मामले को दिसंबर, 06 में एमओईएफ को भेजेने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6
6.	पकालड्ल (डोडा) (केंद्रीय क्षेत्र)	4x250	1000	ईआईए और ईएमपी अध्ययनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको प्रस्तुत करने के पश्चात् सार्वजनिक सुनवाई की जाएगी।	388 हैक्टेयर किस्तवाड़ हाई एल्टीटयूड नेशनल पार्क (केएचएएनपी) के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.6.05 को 311 हैक्टेयर (केएचएएनपी के बाहर) के लिए वन स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष भूमि के अनारक्षण हेतु प्रस्ताव एमओईएफ में प्रक्रिया में है।
7.	कोटलीभेल–1 ए (केंद्रीय क्षेत्र)	3x65	195	ईआईए एवं ईएमएफ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सार्वजनिक सुनवाई आदि के लिए प्रस्तुत किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् मामला एमओईएफ को प्रस्तुत किया जाएगा।	वन स्वीकृति प्रस्ताव राज्य वन विभाग में तैयार किया जा रहा है, जो बाद में इसे एमओईएफ को अग्रेषित करेगा।
8.	कोटलीभेल–1 बी (केंद्रीय क्षेत्र)	4x80	320	ईआईए एवं ईएमपी तैयार किए जा रहे हैं। ईआईए एवं ईएमपी अध्ययन पूरा करने के पश्चात् सार्वजनिक सुनवाई के लिए बैठक की जाएगी।	प्रस्ताव राज्य वन विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्य वन विभाग उसे एमओईएफ को अग्रेषित करेगा।
9.	कोटलीभेल–II (केंद्रीय क्षेत्र)	8x66.25	530	ईआईए एवं ईएमपी तैयार किए जा रहे हैं। ईआईए एवं ईएमपी अध्ययन पूरा करने के पश्चात् सार्वजनिक सुनवाई के लिए बैठक की जाएगी।	प्रस्ताव राज्य वन विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्य वन विभाग उसे एमओईएफ को अग्रेषित करेगा।
10.	लोकतक डाउनस्ट्रीम (केंद्रीय क्षेत्र)	2x33	66	मूल प्रस्ताव के लिए एमओईएफ द्वारा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रदान की गई थी। संशोधित संरूपण परियोजना में 64 मी. ऊंचे बांध के स्थान पर 28 मी. बैराज का निर्माण शामिल है। कम जलप्लावन होगा। एमओईएफ को तदनुसार दिनांक 7.11.2006 को सूचना दे दी गई थी। एमओईएफ को उत्तर/स्वीकृति प्रतीक्षित है।	
	जोड़		5481		

बैंकों द्वारा लिया जाने वाला प्रभार

*48. **प्रो. महादेवराव शिवणकर :**
श्री सज्जन कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं हेतु लिए जाने वाले प्रभारों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सिफारिशों को स्वीकार करके बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली अपनी विभिन्न सेवाओं हेतु अधिक प्रभार लेने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक प्रभारों की तर्कसंगतता की जांच करने के लिए श्री एन. सदाशिवन, पूर्व–बैंकिंग ओमबड्समैन मुम्बई, की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था। इस दल ने सितम्बर 2006 में अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित टिप्पणी/सिफारिश की हैं:–

(i) कार्यदल ने जमा खातों, ऋण खातों, प्रेषण सुविधाओं और चेक समाहरण से संबंधित सत्ताईस बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की पहचान की है और चेक समाहरण और प्रेषण के लिए प्रत्येक मामले में 10,000 रुपए तक के कम मूल्य वाले लेने–देनों और 500 अमरीकी डॉलर तक के विदेशी मुद्रा वाले लेन–देनों को परिभाषित किया है।

(ii) कार्यदल ने सिफारिश की है कि रिजर्व बैंक बुनियादी बैंकिग सेवाएं प्रदान करने की लागतों का निर्धारण और मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाए।

(iii) कार्यदल ने गैर–वैयक्तिक संस्थाओं की तुलना में व्यक्तियों के लिए कम दरों, वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण ग्राहकों, पेंशनरों, आदि जैसे व्यक्तियों की विशेष श्रेणियों के लिए कम दरों और उचित एवं तर्कसंगत प्रभार लगाने के आधार पर बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यापक तर्कसंगत सिद्धान्तों का सुझाव दिया है।

(iv) कार्यदल ने सभी बुनियादी सेवाओं पर लागू प्रभारों और प्रभारों में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में व्यक्तिगत ग्राहकों को अग्रिम रूप से एवं समय पर पूर्ण जानकारी देने की सिफारिश भी की है।

(ग) और (घ) कार्यदल की सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(ङ) और (च) 1 जनवरी, 2006 से 30 सितम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान बैंकिंग ओमबड्समैन के कार्यालयों को बैंकों द्वारा अधिक प्रभार लगाने सहित बैंकिंग/अन्य सेवाओं में कमी के संबंध में बैंकों के विरूद्ध 34,544 शिकायतें प्राप्त हुईं। उक्त अवधि के दौरान ओमबड्समैन द्वारा 26,639 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

जल विद्युत उत्पादन

*49. **श्री किरेन रिजीजू :**
श्री जुएल ओराम :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में जल विद्युत क्षमता का अपेक्षित गति से दोहन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य अपने यहां जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) अभिज्ञात की गई लगभग 1.50 लाख मे.वा. दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता में से 20.1% को विकसित कर लिया गया है और 9.1% विकासाधीन है। उत्तरी पूर्वी और उत्तर–पूर्वी राज्यों यथा जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता का दोहन वांछित गति से नहीं हो सका। विभिन्न राज्यों में जल विद्युत क्षमता के विकास का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जल विद्युत क्षमता का विकास निम्न कारणों से धीमा रहा।

(i) कठिन/दुर्लभ स्थल

(ii) पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन स्वीकृति की समस्याएं

(iii) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास समस्यायें

(iv) कानून व व्यवस्था की समस्या

(v) निधियों की कमी और लम्बी निर्माण अवधि

(vi) विपरीत भूवैज्ञानिकी समस्यायें

(vii) अंतर्राज्यीय पहलू

(viii) अधिक प्रारंभिक निर्माण लागतें

(ix) विभिन्न लाभभोगियों के मध्य परियोजना लागत का विभाजन

(x) वन भूमि के संबंध में निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के कारण अत्यधिक भार

(ग) से (ङ) जी नहीं। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार 100 मे.वा. क्षमता तक की परियोजनाओं को समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के जरिए विकसित किया जा सकता है और कुल मिलाकर राज्य 100 मे.वा. तक की परियोजनाओं के लिए इस मार्ग का सहारा लेते रहे हैं।

विवरण

जल विद्युत क्षमता विकास की स्थिति

(अधिष्ठापित क्षमता के संबंध में)

17.11.2006 के अनुसार

क्षेत्र/राज्य	पुर्नमूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अभिज्ञात क्षमता	विकसित क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		विकसित+निर्माणाधीन क्षमता		विकसित किए जाने हेतु शेष क्षमता	
		(मे.वा.)	(%)	(मे.वा.)	(%)	(मे.वा.)	(%)	(मे.वा.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरी									
जम्मू और कश्मीर	14146	1474	10.4%	1289	9.1%	2763	19.5%	11383	80.5%
हिमाचल प्रदेश	18820	6031	32.0%	3991	21.2%	10022	53.3%	8798	46.7%
पंजाब	971	1298	100.0%	0	0.0%	1298	100.0%	0	0.00%
हरियाणा	64	62	97.5%	0	0.0%	62	97.5%	2	2.5%
राजस्थान	496	430	86.7%	0	0.%	430	86.7%	66	13.3%
उत्तरांचल	18175	2252	12.4%	2554	14.1%	4806	26.4%	13369	73.6%
उत्तर प्रदेश	723	507	70.1%	0	0.0%	507	70.1%	216	29.9%
उप जोड़ (उ.क्षे.)	53395	12054	22.6%	7834	14.7%	19888	37.2%	33507	62.8%
पश्चिमी									
मध्य प्रदेश	2243	1919	85.5%	920	41.0%	2839	100.0%	0	0.0%
छत्तीसगढ़	2242	130	5.8%	0	0.0%	130	5.8%	2112	94.2%
गुजरात	619	555	89.7%	0	0.0%	555	89.7%	64	10.3%
महाराष्ट्र	3769	2651	70.3%	0	0.0%	2651	70.3%	1118	29.7%
गोवा	55	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	100.0%
उप जोड़ (प.क्षे.)	8928	5255	58.9%	920	10.3%	6175	69.2%	2753	30.8%
दक्षिणी									
आंध्र प्रदेश	4424	2018	45.6%	284	6.4%	2302	52.0%	2123	48.0%
कर्नाटक	6602	3415	51.7%	230	3.5%	3645	55.2%	2957	44.8%
केरल	3514	1839	52.3%	263	7.5%	2102	59.8%	1413	40.2%
तमिलनाडु	1918	1757	91.5%	60	3.1%	1817	94.8%	101	5.2%
उप जोड़ (द.क्षे.)	16458	9029	54.9%	837	5.1%	9866	59.8%	6592	40.1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्वी									
झारखंड	753	237	31.5%	0	0.0%	237	31.5%	516	68.5%
बिहार	70	45	64.1%	0	0.0%	45	64.1%	25	35.9%
उड़ीसा	2999	1862	62.1%	210	7.0%	2072	69.1%	928	30.9%
पश्चिम बंगाल	2841	157	5.5%	292	10.3%	449	15.8%	2393	84.2%
सिक्किम	4286	84	2.0%	609	14.2%	693	16.2%	3593	83.8%
उप जोड़ (पू. क्षे.)	10949	22389	21.8%	1111	10.1%	3500	32.0%	7449	68.0%
उत्तर-पूर्वी									
मेघालय	2394	185	7.7%	84	3.5%	269	11.2%	2125	88.85%
त्रिगुरा	15	15	100.0%	0	0.0%	15	100.0%	0	0.0%
मणिपुर	1784	105	5.9%	0	0.0%	105	5.9%	1679	94.1%
असम	680	275	40.4	100	14.7%	375	55.1%	305	44.9%
नागालैंड	1574	99	6.3%	0	0.0%	99	6.3%	1475	93.7%
अरुणाचल प्रदेश	50328	416	0.8%	2600	5.2%	3016	6.0%	47313	94.0%
मिजोरम	2196	0	0.0%	60	2.7%	60	2.7%	2136	97.3%
उप जोड़ (उ.पू.क्षेत्र)	58971	1095	1.9%	2844	4.8%	3939	6.7%	55032	93.3%
	148701	2822	20.1%	13546	9.1%	43368	29.2%	105333	70.8%

नोट :– उपरोक्त तालिका में मार्च, 2003 तक 3 मेगावाट से कम क्षमता की स्कीमें और तत्पश्चात् 25 मेगावाट तक की स्कीमें शामिलें नहीं हैं।

पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता

*50. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन :**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के बारे में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के संबंध में रूपरेखा तैयार करने हेतु दिनांक 20 मार्च, 2006 को एक समिति का गठन किया था। उक्त समिति की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 31 जुलाई, 2006 को प्रस्तुत की गई।

(ग) समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) समिति ने पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के संबंध में आगे बढ़ने हेतु एक विस्तृत रूपरेखा की सिफारिश की है जिसके अंतर्गत अगले पांच चरणों में विशिष्ट उपाय किए जाएंगे। पहले चरण में चालू वर्ष 2006–07 होगा, जबकि दूसरे चरण में अगले दो वर्ष 2007–08 और 2008–09 होंगे और अंतिम चरण में अंतिम दो वर्ष, 2009–10 तथा 2010–11 होंगे।

(ii) पूंजी अंतर्प्रवाहों को प्रोत्साहित करने हेतु, विभिन्न वित्तीय बाजारों, कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और स्वर्ण बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतिगत पहल की जानी चाहिए।

(iii) सभी वाणिज्यिक बैंकों को एकल बैंकिंग विनियमावली के अधीन किया जाना चाहिए। सभी बैंकों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की न्यूनतम शेयरधारिता को घटाकर 33 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

(iv) विनियम प्रबंधन के संबंध में–भारतीय रिजर्व बैंक के पास न्यूट्रल रीयर (आरईईआर) के चारों और +/–5.0 प्रतिशत का मॉनिटरिंग विनिमय दर समूह होना चाहिए।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है जो कि निम्नानुसार है:

1. नीतिगत मुद्दों की जांच–पड़ताल करने और सिफारिशों पर विश्लेषण प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान विनियमों की पुनः जांच करने और पहले से जारी उदारीकरण के मार्ग में परिचालनात्मक रूकावटों को दूर करने हेतु एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया है। जब कभी यह कार्य दल अपनी सिफारिशें सतत् आधार पर प्रस्तुत करता है, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वयन हेतु अपनाया जा रहा है।
3. बैंक की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू खाता और पूंजी खाता लेन–देनों में और उदारीकरण लाने की दिशा में कई उपायों की घोषणा की है।

[हिन्दी]

परती भूमि का विकास

*51. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :***
श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय परती भूमि, बंजर भूमि, अवक्रमित भूमि और फालतू भूमि का पृथक–पृथक कितना क्षेत्र है और समेकित परती भूमि विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) की शुरूआत के बाद से राज्यवार ऐसी प्रत्येक प्रकार की कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न एजेंसियों से ऐसी भूमि के उपयोग के संबंध में यदि कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है/की जानी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में सरकार को प्राप्त हुई और अनुमोदित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक परियोजना की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) समेकित परती भूमि विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसके वित्तपोषण की क्या पद्धति है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान समेकित परती भूमि विकास परियोजना के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(च) उक्त भूमि के उपयोग के संबंध में सरकार की भावी रणनीति क्या है और इस प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र से यदि कोई धनराशि प्राप्त हुई है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), हैदराबाद द्वारा तैयार किए गए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2005 (वेस्टलैण्ड एटलस ऑफ इंडिया, 2005) के अनुसार देश में कुल बंजरभूमि 55.27 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 12.117 मिलियन हैक्टेयर कृषि के लिए अयोग्य ऊसर/चट्टानी/सीधी ढ़लान/बर्फ आच्छादित क्षेत्र तथा 12.655 मिलियन हैक्टेयर अवक्रमित वन क्षेत्र शामिल है। शेष 30.498 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत विकास के लिए उपलब्ध है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसको आरंभ किए जाने से लेकर अभी तक विकसित किया गया कुल क्षेत्र 1.247 मिलियन हैक्टेयर है। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। इसके अलावा 5,492 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि राज्य सरकारों द्वारा वितरित की गई है।

(ख) राष्ट्रीय कृषक आयोग ने बंजरभूमि को बायो–डीजल के उत्पादन हेतु पौधे उगाने के लिए उपयोग में लाने की सिफारिश की है। योजना आयोग ने बायो–ईंधन के विकास के संबंध में एक समिति (2003) गठित की गई थी, जिसने वन तथा वनेतर क्षेत्रों, विशेषरूप से बंजरभूमि में, जटरोफा करकास के पौधरोपण पर विशेष बल देते हुए बायो–डीजल के संबंध में एक राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, इस मंत्रालय ने बायो–डीजल मिशन आरंभ करने के लिए कदम उठाये हैं। व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) ने 9 अक्तूबर,

2006 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय बायो–डीजल मिशन की स्थापना करने तथा बायो डीजल कार्यक्रम के प्रदर्शन चरण को शुरू करने संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल का अनमोदन प्राप्त करने की सिफारिश की है।

(ग) हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत आई. डब्ल्यू. डी. पी. परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु राज्यों से प्रत्येक वर्ष ब्लाकों/जिलों की प्राथमिकता सूचियाँ मंगवाई जाती हैं। नई आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाएं परियोजना स्वीकृति समिति, जिसमें प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि शामिल होता है, द्वारा इन प्राथमिकता सूचियों में से स्वीकृत की जाती है। परियोजनाएं बंजरभूमि के क्षेत्रफल, बंजरभूमि संबंधी परियोजनाएं कार्यान्वित करने की क्षमता, आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाएं कार्यान्वित करने में राज्यों के कार्य–निष्पादन तथा चल रही परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के पश्चात् बजट की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अनुमोदित की जाती है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्य–वार तथा वर्ष–वार अनुमोदित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू. डी.पी.) का मूल उद्देश्य वनेतर बंजरभूमि के वाटरशेड आधार पर विकास के द्वारा भूमि अवक्रमण को रोकता तथा सामुदायिक भागीदारी और अधिकार सम्पन्नता के जरिए प्राकृतिक संसाधनों की वृद्धि करना है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत परियोजनाओं को 6000/– रुपये प्रति हैक्टेयर के लागत मानदण्ड पर स्वीकृत किया जाता है जिसमें केन्द्र का भाग 5500/– रुपये और राज्य का भाग 500/– रुपये है। हरियाली संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए निधियाँ 15%, 30%, 30%, 15% और 10%, की दर से पांच किस्तों में जारी की जाती हैं। आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाएं मांग आधारित होती हैं, और बाद कि किस्त तब जारी की जाती है जब पहले जारी की गई किस्त के अंतर्गत जारी की गई निधियों के 50% से अधिक भाग का उपयोग कर लिया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां व्यपगत नहीं होती है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत वर्ष–वार और राज्य–वार मुहैया कराई गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(च) मंत्रालय का बायो–डीजल के संबंध में राष्ट्रीय मिशन को दो चरणों में अर्थात् चरण–I पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रदर्शन परियोजना के रूप में और तदुपरांत चरण–II, बायो–डीजल कार्यक्रम के स्वतः सतत् विस्तार के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है। मिशन को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र से वित्तपोषण संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। 'भूमिहीन लोगों को बंजरभूमि के वितरण' को सरकार के पुनर्संरचित बीस सूत्री कार्यक्रम (टी.पी.पी.)–2006 में शामिल किया गया है।

विवरण-I

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) की योजना के अंतर्गत राज्य–वार विकसित किए गए क्षेत्र

1992–93 से 2006–07

(20.11.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य का नाम	विकसित किया गया क्षेत्र (लाख है. में)
1.	आंध प्रदेश	2.14
2.	छत्तीसगढ़	0.15
3.	गुजरात	0.60
4.	हिमाचल प्रदेश	0.63
5.	हरियाणा	0.11
6.	जम्मू और कश्मीर	0.28
7.	झारखंड	0.03
8.	कर्नाटक	1.26
9.	केरल	0.15
10.	महाराष्ट्र	0.14
11.	मध्य प्रदेश	1.72
12.	उड़ीसा	0.67
13.	पंजाब	0.01
14.	राजस्थान	0.71
15.	तमिलनाडु	0.88
16.	उत्तर प्रदेश	1.44
17.	पश्चिम बंगाल	0.01
	योग	10.93
पूर्वोत्तर राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.02
2.	असम	0.07
3.	मणिपुर	0.26
4.	मिजोरम	0.05
5.	नागालैण्ड	0.79
6.	सिक्किम	0.35
7.	त्रिपुरा	0.02
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	1.54
	आई.डब्ल्यू.डी.पी. का योग	12.47

विवरण-II

वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की अवधि के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र.स.	राज्य	2003–2004		2004:2005		2005–2006		2006–2007			
		परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	10	60000	10	60000	24	139500	20	121000	64	380500
2.	बिहार	9	45000	9	45000	22	110000	23	112000	63	312000
3.	छत्तीसगढ़	8	40000	9	43576	21	99575	21	102076	59	285227
4.	गोवा	2	10000			2	2920			4	12920
5.	गुजरात	11	57500	9	45000	21	105000	16	80000	57	287500
6.	हरियाणा	4	19882	4	15000	7	26000	4	16500	19	77382
7.	हिमाचल प्रदेश	8	43000	2	15000	21	93592	8	39083	39	190675
8.	जम्मू और कश्मीर	1	5000	4	19000	16	91711	9	45000	30	160711
9.	झारखंड	6	33000	4	20000	6	30000	5	28234	21	111234
10.	कर्नाटक	9	45000	10	50000	22	113780	22	116714	63	325494
11.	केरल	3	15000			18	75346	5	29091	26	119437
12.	महाराष्ट्र	9	45000	10	50000	14	70000	31	156511	64	321211
13.	मध्य प्रदेश	16	87000	14	60000	29	145060	26	151526	85	443586
14.	उड़ीसा	7	38000	9	45000	22	112639	21	108200	59	303839
15.	पंजाब			4	15400	8	31482	1	4245	13	51127
16.	राजस्थान	9	45000	9	45000	21	106986	22	109252	61	306238
17.	तमिलनाडु	11	55000	10	51025	27	134234	10	50730	58	290989
18.	उत्तर प्रदेश	13	65000	13	65000	25	125000	38	193277	89	448277
19.	उत्तरांचल	3	16000	6	34400	17	89211	10	51569	36	191180
20.	पश्चिम बंगाल	2	10000	4	13820	11	30053	11	58712	28	112585
	योग	141	734382	140	692221	354	1732089	303	1573420	938	4732112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						पूर्वोत्तर राज्य					
1.	अरूणाचल प्रदेश	10	32000	11	72500	35	70000	59	108500	115	283000
2.	असम	14	84000	35	175000	23	138000	36	213920	108	610920
3.	मणिपुर	5	30000	7	40000	8	49000	5	31000	25	150000
4.	मेघालय	7	28000	7	14000	45	56500	39	49000	98	147500
5.	मिजोरम	5	40000	5	40000	17	136000	8	64000	35	280000
6.	नागालैण्ड	5	40000	5	40000	5	40500	3	24000	18	144500
7.	सिक्किम	3	18000	4	16455	5	14342	4	21700	16	70497
8.	त्रिपुरा			7	27529	5	25400	4	20000	16	72929
	योग	49	272000	81	425484	143	529742	158	532120	431	1759346
	कुल योग	190	1006382	221	1117705	497	2261831	461	2105540	1369	6491458

वर्ष 2003–2004 से 2006–2007 तक की अवधि के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

(22.11.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिले का नाम		(लाख रुपये में)	
		परियोजना अवधि	कुल क्षेत्र (है. में)	कुल लागत
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	आदिलाबाद–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
2.	मेडक–IV	2003–04 से 08–09	6000	360.00
3.	निजामाबाद–III	2003–04 से 08–09	7000	420.00
4.	विशाखापत्तनम–III	2003–04 से 08–09	6000	360.00
5.	विजयनगरम्–IV	2003–04 से 08–09	6000	360.00
6.	कुडड्पा–V	2003–04 से 08–09	6000	360.00
7.	करीमनगर–III	2003–04 से 08–09	6000	360.00
8.	खम्माम–III	2003–04 से 08–09	6000	360.00
9.	वारंगल–III	2003–04 से 08–09	6000	360.00
10.	चित्तूर–VIII	2003–04 से 08–09	5000	360.00
11.	चित्तूर–VIII	2004–05 से 09–10	6000	360.00
12.	खम्माम–IV	2004–05 से 09–10	6000	360.00

1	2	3	4	5
13.	नालगोंडा–IV	2004–05 से 09–10	6000	360.00
14.	मेडक–V	2004–05 से 09–10	6000	360.00
15.	कुडड्पा–VI	2004–05 से 09–10	6000	360.00
16.	प्रकाशम–III	2004–05 से 09–10	6000	360.00
17.	रंगारेड्डी–IV	2004–05 से 09–10	6000	360.00
18.	आदिलाबाद–III	2004–05 से 09–10	6000	360.00
19.	श्रीकाकुलम–III	2004–05 से 09–10	6000	360.00
20.	निजामाबाद–IV	2004–05 से 09–10	6000	360.00
21.	मेडक–VI	2005–06 से 10–11	6000	360.00
22.	करीमनगर–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
23.	पूर्वी गोदावरी–I	2005–06 से 10–11	6000	360.00
24.	विजयनगरम–V	2005–06 से 10–11	6000	360.00
25.	पश्चिमी गोदावरी–I	2005–06 से 10–11	6000	360.00
26.	निजामाबाद–V	2005–06 से 10–11	6000	360.00
27.	नेल्लौर–VIII	2005–06 से 10–11	6000	360.00
28.	कृष्णा–I	2005–06 से 10–11	6000	360.00
29.	मेडक–VII	2005–06 से 10–11	5000	300.00
30.	श्रीकाकुलम–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
31.	कुड्डपा–VII	2005–06 से 10–11	6000	360.00
32.	वारंगल–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
33.	कुड्डपा–VIII	2005–06 से 10–11	5000	300.00
34.	नालगोंडा–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
35.	खम्माम–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
36.	वारंगल–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
37.	श्रीकाकुलम–V	2005–06 से 10–11	7500	450.00
38.	नेल्लोर–IX	2005–06 से 10–11	6000	360.00
39.	नेल्लोर–X	2005–06 से 10–11	6000	360.00
40.	कुड्डपा–IX	2005–06 से 10–11	6000	360.00

1	2	3	4	5
41.	कुड्डपा–X	2005–06 से 10–11	6000	360.00
42.	मेडक–VIII	2005–06 से 10–11	6000	360.00
43.	निजामाबाद–VI	2005–06 से 10–11	6000	360.00
44.	करीमनगर–V	2005–06 से 10–11	6000	360.00
45.	नेल्लौर–XI	2006–07 से 11–12	6500	390.00
46.	नेल्लोर–XII	2006–07 से 11–12	6500	390.00
47.	गुंटूर–III	2006–07 से 11–12	6000	360.00
48.	गुंटूर–IV	2006–07 से 11–12	6000	360.00
49.	गुंटूर–V	2006–07 से 11–12	6000	360.00
50.	चित्तूर–IX	2006–07 से 11–12	6000	360.00
51.	कडापा–X	2006–07 से 11–12	6000	360.00
52.	कडापा–XI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
53.	कडापा–XII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
54.	निजामाबाद–VII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
55.	करीमनगर–VI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
56.	करीमनगर–VII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
57.	मेडक–IX	2006–07 से 11–12	6000	360.00
58.	मेडक–X	2006–07 से 11–12	6000	360.00
59.	वारंगल–VI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
60.	खम्माम–VI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
61.	खम्माम–VII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
62.	विजयनगरम–VI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
63.	विजयनगरम–VII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
64.	पश्चिमी गोदावरी–II	2006–07 से 11–12	6000	360.00
	उप योग		380500	22830.00
आंध्र प्रदेश				
1.	किशनगंज	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	वैशाली–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	पूर्णिया	2003–04 से 08–09	5000	300.00

1	2	3	4	5
4.	सारण	2003–04 से 08–09	5000	300.00
5.	सिवान	2003–04 से 08–09	5000	300.00
6.	दरभंगा	2003–04 से 08–09	5000	300.00
7.	गया–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
8.	मुगेर	2003–04 से 08–09	5000	300.00
9.	नालन्दा–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
10.	रोहतास–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
11.	कैमूर–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
12.	औरंगाबाद–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
13.	अरवल–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
14.	जहानाबाद–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
15.	गया–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
16.	बांका–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
17.	नवादा–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
18.	मुंगेर–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
19.	शेखपुरा–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
20.	भागलपुर–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
21.	भोजपुर–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
22.	नालान्दा–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
23.	सीतामढ़ी–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
24.	बेगूसराय–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
25.	किशनगंज	2005–06 से 10–11	5000	300.00
26.	गोपालगंज	2005–06 से 10–11	5000	300.00
27.	बक्सर–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
28.	बंका–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
29.	औरंगाबाद–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
30.	रोहतास–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
31.	नालन्दा–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
32.	पूर्णिया–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00

1	2	3	4	5
33.	अररिया–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
34.	गया–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
35.	मुजफ्फरपुर–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
36.	औरंगाबाद–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
37.	रोहतास–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
38.	कैमूर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
39.	पटना–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
40.	गया–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
41.	गया–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
42.	गया–VII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
43.	नवादा–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
44.	जहानाबाद–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
45.	बांका–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
46.	जमुई–I	2006–07 से 11–12	5000	300.00
47.	पश्चिम चम्पारण–I	2006–07 से 11–12	5000	300.00
48.	पूर्वी चम्पारण–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
49.	गया–VIII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
50.	शेखपुरा–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
51.	औरंगाबाद–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
52.	पूर्णिया–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
53.	कटिहार–I	2006–07 से 11–12	5000	300.00
54.	पश्चिम चम्पारण–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
55.	पूर्वी चम्पारण–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
56.	बक्सर–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
57.	बेगूसराय–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
58.	किशनगंज–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
59.	दरभंगा–II	2006–07 से 11–12	6000	360.00
60.	दरभंगा–III	2006–07 से 11–12	3000	180.00

1	2	3	4	5
61.	दरभंगा–IV	2006–07 से 11–12	3000	180.00
62.	मुंगेर–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
63.	लखीसराय–I	2006–07 से 11–12	5000	300.00
	उप योग		312000	18720.00
छत्तीसगढ़				
1.	दुर्ग–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	रायपुर–V	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	धमतरी	2003–04 से 08–09	5000	300.00
4.	कोरिया	2003–04 से 08–09	5000	300.00
5.	विलासपुर–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
6.	महासमंद–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
7.	रायगढ़–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
8.	जंजगीर चम्पा–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
9.	कनकेर–I	2003–04 से 08–09	5000	300.00
10.	जशपुर–I	2004–05 से 09–10	4400	264.00
11.	धमतरी–II	2004–05 से 09–10	5044	302.65
12.	राजनंदगांव–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
13.	रायपुर–VI	2004–05 से 09–10	5000	300.00
14.	महासमंद–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
15.	कोरिया–III	2004–05 से 09–10	4132	247.92
16.	विलासपुर–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
17.	कवार्धा–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
18.	जंजगीर चम्पा–III	2005–06 से 10–11	4866	291.96
19.	दुर्ग–IV	2005–06 से 10–11	4672	280.32
20.	रायपुर–VII	2005–06 से 10–11	5000	300.00
21.	जंजगीर चम्पा–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
22.	महासमंद–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
23.	कवार्धा–III	2005–06 से 10–11	4799	287.94
24.	दुर्ग–V	2005–06 से 10–11	4996	299.76

1	2	3	4	5
25.	सरगुजा–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
26.	सरगुजा–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
27.	धमतरी–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
28.	कोरिया–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
29.	रायगढ़–IV	2005–06 से 10–11	4500	270.00
30.	कंकेर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
31.	जशपुर–II	2005–06 से 10–11	3200	192.00
32.	सरगुजा–III	2005–06 से 10–11	2967	178.02
33.	रायपुर–VIII	2005–06 से 10–11	4792	287.52
34.	दुर्ग–VI	2005–06 से 10–11	5000	300.00
35.	दुर्ग–VII	2005–06 से 10–11	5000	300.00
36.	सरगुजा–IV	2005–06 से 10–11	4583.42	275.01
37.	जंजगीर चम्पा–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
38.	जशपुर–II	2005–06 से 10–11	5200	312.00
39.	रायपुर–IX	2006–07 से 11–12	5000	300.00
40.	दुर्ग–VIII	2006–07 से 11–12	4990	299.40
41.	महासमंद–V	2006–07 से 11–12	5010.1	300.61
42.	जंजगीर चम्पा–VI	2006–07 से 11–12	3236	194.61
43.	रायपुर–X	2006–07 से 11–12	4840	290.40
44.	महासमंद–VI	2006–07 से 11–12	5430.98	325.86
45.	दुर्ग–IX	2006–07 से 11–12	3620	217.20
46.	जंजगीर चम्पा–VII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
47.	रायगढ़–V	2006–07 से 11–12	5049	302.00
48.	जशपुर–IV	2006–07 से 11–12	2800	168.00
49.	कोरिया–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
50.	राजनंदगांव–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
51.	सरगुजा–V	2006–07 से 11–12	5269	316.14
52.	बिलासपुर–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
53.	कांकेर–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00

1	2	3	4	5
54.	धमतरी–IV	2006–07 से 11–12	6354	381.24
55.	कवर्धा–XI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
56.	रायपुर–XI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
57.	महासमंद–VII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
58.	बस्तर–I	2006–07 से 11–12	5000	300.00
59.	दुर्ग–X	2006–07 से 11–12	4476.8	268.61
	उप योग		285227	17113.638
गोवा				
1.	उत्तरी गोवा–I	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	दक्षिणी गोवा	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	उत्तरी गोवा–II	2005–06 से 10–11	1580	94.80
4.	उत्तरी गोवा–III	2005–06 से 10–11	1340	80.40
	उप योग		12920	775.200
गुजरात				
1.	बनासकंठा–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	मेहसाना–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	साबरकंठा–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
4.	पोरबन्दर	2003–04 से 08–09	5000	300.00
5.	बडोदरा–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
6.	नवसारी–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
7.	भाव नगर–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
8.	गांधी नगर	2003–04 से 08–09	5000	300.00
9.	सूरत–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
10.	जामनगर–II	2003–04 से 06–07	7500	450.00
11.	जामनगर–III	2004–05 से 06–07	5000	300.00
12.	अहमदाबाद–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
13.	अहमदाबाद–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
14.	मेहसाना–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
15.	बनासकांठा–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00

1	2	3	4	5
16.	खेड़ा–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
17.	साबरकांठा–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
18.	भरूच–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
19.	पाटन–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
20.	भावनगर–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
21.	मेहसाना–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
22.	आनंद–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
23.	गांधी नगर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
24.	सूरत–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
25.	जूनागढ़–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
26.	खेड़ा–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
27.	सूरत–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
28.	मेहसाना–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
29.	अहमदाबाद–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
30.	सूरत–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
31.	सूरत–VI	2005–06 से 10–11	5000	300.00
32.	बनासकंठा–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
33.	साबरकांठा–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
34.	साबरकांठा–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
35.	साबरकांठा–VII	2005–06 से 10–11	5000	300.00
36.	भावनगर–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
37.	जूनागढ़–VI	2005–06 से 10–11	5000	300.00
38.	जूनागढ़–VII	2005–06 से 10–11	5000	300.00
39.	गांधी नगर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
40.	बडोदरा–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
41.	मेहसाना–VI	2005–06 से 10–11	5000	300.00
42.	बडोदरा–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
43.	सूरत–VII	2006–07 से 11–12	5000	300.00

1	2	3	4	5
44.	साबरकंठा–VIII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
45.	नवसारी–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
46.	भरूच–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
47.	बालसाड़–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
48.	भरूच–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
49.	साबरकांठा–IX	2006–07 से 11–12	5000	300.00
50.	आनंद–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
51.	अहमदाबाद–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
52.	बनासकांठा–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
53.	पाटन–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
54.	अहमदाबाद–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
55.	जूनागढ़–VIII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
56.	मेहसाना–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
57.	भावनगर–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
	उप योग		287500	17250.000
हिमाचल प्रदेश				
1.	सिरमौर–IV	2003–04 से 08–09	6000	360.00
2.	मंडी–IV	2003–04 से 08–09	6000	360.00
3.	कुल्लू–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
4.	सोलन–IV	2003–04 से 08–09	5000	300.00
5.	कांगड़ा–IV	2003–04 से 08–09	5000	300.00
6.	हमीरपुर–V	2003–04 से 08–09	5000	300.00
7.	शिमला–III	2003–04 से 08–09	6000	360.00
8.	कांगड़ा–VI	2003–04 से 06–07	5000	300.00
9.	किन्नौर–III	2004–05 से 09–10	8000	480.00
10.	शिमला–IV	2004–05 से 09–10	7000	420.00
11.	सोलन–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
12.	मंडी–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
13.	मंडी–VI	2005–06 से 10–11	5583	334.98

1	2	3	4	5
14.	शिमला–V	2005–06 से 10–11	6000	360.00
15.	शिमला–VI	2005–06 से 10–11	6000	360.00
16.	शिमला–VII	2005–06 से 10–11	6000	360.00
17.	कांगड़ा–VII	2005–06 से 10–11	5000	300.00
18.	कांगड़ा–VIII	2005–06 से 10–11	5000	300.00
19.	कांगड़ा–IX	2005–06 से 10–11	5000	300.00
20.	कांगड़ा–X	2005–06 से 10–11	3064	183.84
21.	कांगड़ा–XI	2005–06 से 10–11	3015	180.90
22.	कांगड़ा–XII	2005–06 से 10–11	2714	162.14
23.	कांगड़ा–XIII	2005–06 से 10–11	2761	165.66
24.	चम्बा–VI	2005–06 से 10–11	5000	300.00
25.	हमीरपुर–VI	2005–06 से 10–11	4150	249.00
26.	कांगड़ा–XIV	2005–06 से 10–11	1565	93.90
27.	कांगड़ा–XV	2005–06 से 10–11	4294	257.64
28.	कांगड़ा–XVI	2005–06 से 10–11	2990	179.49
29.	कांगड़ा–XVII	2005–06 से 10–11	5320	319.20
30.	कांगड़ा–XVIII	2005–06 से 10–11	4336	260.16
31.	मंडी–VII	2005–06 से 10–11	5800	348.00
32.	कुल्लू–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
33.	कुल्लू–V	2006–07 से 11–12	5083	304.98
34.	सिरमौर–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
35.	सिरमौर–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
36.	हमीरपुर–VII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
37.	हमीरपुर–VIII	2006–07 से 11–12	4500	270.00
38.	शिमला–VIII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
39.	शिमला–IX	2006–07 से 11–12	4500	270.00
	उप योग		190675	11440.500
हरियाणा				
1.	कैथल	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	सोनीपत	2003–04 से 08–09	4882.4	292.944

1	2	3	4	5
3.	जिंद	2003–04 से 06–07	5000	300.00
4.	यमुनानगर–II	2003–04 से 06–07	5000	300.00
5.	रोहतक–I	2004–05से 06–07	4000	240.00
6.	रोहतक–II	2004–05 से 09–10	4000	240.00
7.	करनाल–II	2004–05 से 09–10	3500	210.00
8.	करनाल–III	2004–05 से 09–10	3500	210.00
9.	रोहतक–III	2005–06 से 10–11	4000	240.00
10.	कैथल–II	2005–06 से 10–11	4000	240.00
11.	जिंद–II	2005–06 से 10–11	3000	180.00
12.	यमुना नगर–III	2005–06 से 10–11	3000	180.00
13.	रोहतक–IV	2005–06 से 10–11	3000	180.00
14.	अम्बाला–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
15.	रोहतक–V	2005–06 से 10–11	4000	240.00
16.	यमुना नगर–IV	2006–07 से 11–12	4000	240.00
17.	जिंद–III	2006–07 से 11–12	4500	270.00
18.	मेवात–I	2006–07 से 11–12	4500	270.00
19.	अम्बाला–III	2006–07 से 11–12	3500	210.00
	उप उपयोग		77382	4642.944
जम्मू और कश्मीर				
1.	अनंतनाग	2003–04 से 06–07	5000	300.00
2.	पुंछ–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
3.	राजौरी–II	2004–05 से 09–10	4000	240.00
4.	कुपवाड़ा–I	2004–05 से 09–10	3000	180.00
5.	अनंतनाग–II	2004–05 से 09–10	7000	420.00
6.	बारामूला–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
7.	बारामूला–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
8.	फूलवामा–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
9.	फुलवामा–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
10.	श्रीनगर–I	2005–06 से 10–11	5200	312.00

1	2	3	4	5
11.	बड़गांव–I	2005–06 से 10–11	4050	243.00
12.	अनंतनाग–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
13.	अनंतनाग–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
14.	अनंतनाग–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
15.	ऊधमपुर–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
16.	डोडा–I	2005–06 से 10–11	11285	677.10
17.	डोडा–II	2005–06 से 10–11	11176	670.56
18.	कठुआ–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
19.	जम्मू–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
20.	अनंतनाग–VI	2005–06 से 10–11	5000	300.00
21.	बडगांव–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
22.	कठुआ–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
23.	कठुआ–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
24.	राजौरी–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
25.	पुंछ–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
26.	कुपवाड़ा–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
27.	बारामूला–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
28.	बारामूला–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
29.	बड़गांव–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
30.	कुपवाड़ा–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
	उप योग		160711	9462.660
झारखण्ड				
1.	लोहरदग्गा	2003–04 से 08–09	6000	360.00
2.	गिरीडीह–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	पश्चिमी सिंहभूम–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
4.	सरायकेला खरसांवा	2003–04 से 08–09	6000	360.00
5.	गुमला	2003–04 से 06–07	5000	300.00
6.	सिमडेगा	2003–04 से 06–07	5000	300.00
7.	रांची–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
8.	गिरीडीह–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00

1	2	3	4	5
9.	गुमला–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
10.	पश्चिमी सिंहभूम–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
11.	हजारीबाग–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
12.	बोकारो–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
13.	सरायकेला खरसांबा–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
14.	गोड्डा–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
15.	चतरा–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
16.	सिमडेगा–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
17.	सिंहभूम (पश्चिमी)–IV	2006–07 से 11–12	7527	451.62
18.	सरायकेला खरसांवा–III	2006–07 से 11–12	5670	340.18
19.	डालटेनगंज (पलामू)–I	2006–07 से 11–12	5037	302.22
20.	रांची–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
21.	सिंहभूम (पूर्व)–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
	उप योग		111234	6674.02
कर्नाटक				
1.	देवनगेरे–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	कोप्पल–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	चामराजनगर	2003–04 से 08–09	5000	300.00
4.	गुलबर्गा–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
5.	बेलगांव–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
6.	चित्रदुर्गा–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
7.	मांडया–IV	2003–04 से 08–09	5000	300.00
8.	रायचुर–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
9.	मैसूर–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
10.	रायचुर–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
11.	हवेड़ी–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
12.	शिमोगा–II	2005–06 से 09–10	5000	300.00
13.	चामराजनगर–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
14.	देवेनगेरे–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00

1	2	3	4	5
15.	रायचुर–V	2004–05 से 09–10	5000	300.00
16.	हसन–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
17.	उत्तर कन्नाड़ा	2004–05 से 09–10	5000	300.00
18.	चिकमंगलूर–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
19.	मैसूर–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
20.	चामराजनगर–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
21.	दक्षिण कन्नाड़ा–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
22.	बेल्लारी–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
23.	बेल्लारी–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
24.	कोडागु–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
25.	हसन–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
26.	हसन–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
27.	हवेरी–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
28.	उत्तर कन्नाडा–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
29.	उत्तर कन्नाड़ा–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
30.	बेलगांव–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
31.	रायचुर–VI	2005–06 से 10–11	5000	300.00
32.	मैसूर–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
33.	गुलबर्गा–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
34.	कोलार–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
35.	मांडया–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
36.	देवनगेरे–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
37.	शिमोगा–III	2005–06 से 10–11	5030	301.80
38.	रायचुर–III	2005–06 से 10–11	8050	483.00
39.	मैसूर–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
40.	हसन–V	2005–06 से 10–11	5700	342.00
41.	टुमकुर–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
42.	बीदर–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
43.	बीदर–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00

1	2	3	4	5
44.	उडुपी–I	2006–07 से 11–12	2360	141.60
45.	दक्षिण कन्नाड़ा–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
46.	चामराजनगर–IV	2006–07 से 11–12	6509	390.54
47.	चामराजनगर–V	2006–07 से 11–12	5175	310.50
48.	शिमोगा–IV	2006–07 से 11–12	5020	301.20
49.	उत्तर कन्नाड़ा–IV	2006–07 से 11–12	6327	379.62
50.	उत्तर कन्नाड़ा–V	2006–07 से 11–12	6575	394.50
51.	देवेनगेरे–V	2006–07 से 11–12	5004.09	300.25
52.	देवेनगेरे–VI	2006–07 से 11–12	5016.8	301.01
53.	हसन–VI	2006–07 से 11–12	5703	342.18
54.	कोप्पल–II	2006–07 से 11–12	6122	367.32
55.	बेल्लारी–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
56.	बेल्लारी–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
57.	बेलगांव–V	2006–07 से 11–12	5890	353.40
58.	बेलगांव–VI	2006–07 से 11–12	5105	306.30
59.	हवेरी–IV	2006–07 से 11–12	5008	300.48
60.	कोलार–V	2006–07 से 11–12	6455	387.30
61.	कोलार–VI	2006–07 से 11–12	5385	323.07
62.	कोलार–VII	2006–07 से 11–12	5020	301.20
63.	कोलार–VIII	2006–07 से 11–12	5040	302.40
	उप योग		325494	19259.67
केरल				
1.	मल्लापुरम–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	इड्डुकी–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	पालाकड़–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
4.	पालाकड़–IV	2005–06 से 10–11	2458	147.48
5.	तिरूवन्तपुरम–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
6.	तिरूवन्तपुरम–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
7.	कोट्टयम–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
8.	कोट्टयम–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00

1	2	3	4	5
9.	अलापूजा–I	2005–06 से 10–11	1990	119.40
10.	इडुक्की–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
11.	पथनामथिट्टा–I	2005–06 से 10–11	2099	125.94
12.	कोल्लम–I	2005–06 से 10–11	3047	182.82
13.	थ्रिसूर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
14.	पथनामथिट्टा–II	2005–06 से 10–11	1786	107.16
15.	मल्लापुरम–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
16.	कोट्टयम–III	2005–06 से 10–11	10815	648.90
17.	कोजिकोड़–I	2005–06 से 10–11	2869	172.14
18.	पथनाथिट्टा–III	2005–06 से 10–11	3714	222.84
19.	अलापूजा–II	2005–06 से 10–11	2920	175.20
20.	कोल्लम–II	2005–06 से 10–11	2218	133.08
21.	थ्रिसूर–III	2005–06 से 10–11	6430	385.08
22.	अलापूजा–III	2006–07 से 11–12	3706.5	222.39
23.	अलापूजा–IV	2006–07 से 11–12	5685	341.10
24.	कोल्लम–III	2006–06 से 11–12	7899	473.94
25.	कसारगोड–II	2006–07 से 11–12	5900	354.00
26.	कसारगोड–III	2006–07 से 11–12	5900	354.00
	उप योग		119437	7166.190
महाराष्ट्र				
1.	अमरावती–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	जलगांव–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	चन्दपुर	2003–04 से 08–09	5000	300.00
4.	जालान	2003–04 से 08–09	5000	300.00
5.	बुलधाना	2003–04 से 08–09	5000	300.00
6.	नंदूरबार	2003–04 से 08–09	5000	300.00
7.	ओसमाबाद	2003–04 से 08–09	5000	300.00
8.	भांद्रा	2003–04 से 08–09	5000	300.00
9.	गोंदिया	2003–04 से 08–09	5000	300.00

1	2	3	4	5
10.	सोलापुर–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
11.	कोल्हापुर–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
12.	थाणे–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
13.	रायगढ़–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
14.	अहमदनगर–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
15.	गढ़चिरौली–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
16.	नागपुर–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
17.	नांदेड़–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
18.	सतारा–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
19.	औरंगाबाद–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
20.	रत्नागिरी–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
21.	ओसमानाबाद–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
22.	नागपुर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
23.	वर्धा–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
24.	थाणे–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
25.	पुणे–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
26.	जालना–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
27.	जालना–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
28.	लातूर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
29.	जलगांव–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
30.	चन्द्रपुर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
31.	हिंगोली–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
32.	भंडारा–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
33.	नांदेड–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
34.	थाणे–IV	2006–07 से 11–12	5021	301.26
35.	थाणे–V	2006–07 से 11–12	5255	315.30
36.	औरंगाबाद–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
37.	बीड–II	2006–07 से 11–12	5392	323.52
38.	बीड–III	2006–07 से 11–12	3104	186.24

1	2	3	4	5
39.	जालना–IV	2006–07 से 11–12	5153	309.18
40.	लातूर–III	2006–07 से 11–12	5147	308.82
41.	नांदेड–III	2006–07 से 11–12	6239	374.34
42.	ओसमानाबाद–III	2006–07 से 11–12	5165	309.90
43.	सोलापुर–II	2006–07 से 11–12	5060	303.60
44.	सतारा–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
45.	कोल्हापुर–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
46.	कोल्हापुर–IV	2006–07 से 11–12	4400	264.00
47.	नागपुर–V	2006–07 से 11–12	8945	536.70
48.	भंडारा–III	2006–07 से 11–12	4951	297.06
49.	थाणे–VI	2006–07 से 11–12	5313	318.78
50.	नंदूरबार–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
51.	वर्धा–III	2006–07 से 11–12	7263	435.78
52.	चंद्रपुर–III	2006–07 से 11–12	5664	339.84
53.	सिंधदुर्ग–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
54.	सिंधदुर्ग–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
55.	अमरावती–III	2006–07 से 11–12	4000	240.00
56.	सिंधुदुर्ग–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
57.	बुलधाना–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
58.	वर्धा–IV	2006–07 से 11–12	4493	269.58
59.	अमरावती–IV	2006–07 से 11–12	3520	211.20
60.	बुलधाना–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
61.	वर्धा–V	2006–07 से 11–12	6067	364.02
62.	बुलधाना–IV	2006–07 से 11–12	4156	249.36
63.	अमरावती–V	2006–07 से 11–12	3473	208.38
64.	अमरावती–VI	2006–07 से 11–12	3430	205.80
	उप योग		321211	19272.660
मध्य प्रदेश				
1.	गुना–IV	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	सागर–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	टीकमगढ़–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00

1	2	3	4	5
4.	खरगौन	2003–04 से 08–09	5000	300.00
5.	बालाघाट	2003–04 से 08–09	5000	300.00
6.	सतना–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
7.	मोरैना	2003–04 से 08–09	5000	300.00
8.	नीमच–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
9.	दतीया–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
10.	राजगढ़–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
11.	उज्जैन–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
12.	सियोनी–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
13.	रायसेन–II	2003–04 से 08–09	12000	720.00
14.	भोपाल (ग्रामीण)	2003–04 से 08–09	5000	300.00
15.	शिवपुरी–V	2003–04 से 08–09	5000	300.00
16.	मांडला–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
17.	टीकमगढ़–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
18.	ग्वालियर–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
19.	छत्तरपुर–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
20.	नरसिंहपुर–II	2004–05 से 09–10	4000	240.00
21.	शियोपुर–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
22.	मोरैना–II	2004–05 से 09–10	4000	240.00
23.	विदिशा–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
24.	सागर–II	2004–05 से 09–10	4000	240.00
25.	जबलपुर–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
26.	भोपाल–II	2004–05 से 09–10	4000	240.00
27.	इंदौर–I	2004–05 से 09–10	4000	240.00
28.	भिंड–II	2004–05 से 09–10	4000	240.00
29.	बालाघाट–II	2004–05 से 09–10	3000	180.00
30.	सिहोड़–II	2004–05 से 09–10	3000	180.00
31.	शाजापुर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
32.	गुना–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00

1	2	3	4	5
33.	रतलाम–II	2005–06 से 10–11	4742	284.52
34.	दतीया–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
35.	मंदसौर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
36.	दामोह–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
37.	सतना–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
38.	पन्ना–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
39.	छिंदवाड़ा–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
40.	देवास–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
41.	सिहोड–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
42.	मोरेना–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
43.	ग्वालियर–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
44.	उज्जैन–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
45.	विदिशा–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
46.	धार–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
47.	झबुआ–IV	2005–06 से 10–11	4125	247.50
48.	शिवपुरी–VI	2005–06 से 10–11	5000	300.00
49.	खण्डवा	2005–06 से 10–11	5000	300.00
50.	सिहोड–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
51.	अशोक नगर–I	2005–06 से 10–11	5198	311.88
52.	छत्तरपुर–III	2005–06 से 10–11	4500	270.00
53.	जबलपुर–II	2005–06 से 10–11	6000	360.00
54.	बुरहानपुर–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
55.	होशंगाबाद–I	2005–06 से 10–11	5408	324.48
56.	अनूपपुर–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
57.	राजगढ़–III	2005–06 से 10–11	4000	240.00
58.	उज्जैन–IV	2005–06 से 10–11	5900	354.00
59.	नीमच–IV	2005–06 से 10–11	5187	311.22
60.	मिंड–III	2006–07 से 11–12	7412	444.72
61.	भोपाल–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
62.	रायसेन–III	2006–07 से 11–12	6496	389.76

1	2	3	4	5
63.	राजगढ़–IV	2006–07 से 11–12	8668	520.08
64.	मंदसौर–III	2006–07 से 11–12	5273	316.38
65.	ग्वालियर–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
66.	दामोह–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
67.	मारैना–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
68.	पन्ना–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
69.	विदिशा–IV	2006–07 से 11–12	10000	600.00
70.	देवास–II	2006–07 से 11–12	5825	349.50
71.	नीमच–V	2006–07 से 11–12	4830	289.80
72.	उज्जैन–V	2006–07 से 11–12	11215	672.90
73.	टीकमगढ़–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
74.	सियोनी–III	2006–07 से 11–12	5825	349.50
75.	शहडोल–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
76.	बालाघाट–III	2006–07 से 11–12	5982	358.92
77.	खण्डवा–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
78.	छत्तरपुर–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
79.	अनूपपुर–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
80.	सतना–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
81.	सिहोड़–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
82.	गोरैना–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
83.	रतलाम–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
84.	कटनी–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
85.	सागर–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
	उप योग		443586	26615.16
उड़ीसा				
1.	सुन्दरगढ़–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	मलकानगिरी–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	कोरापुट–V	2003–04 से 08–09	5000	300.00
4.	रायगाड़ा–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
5.	मयूरभंज–II	2003–04 से 08–09	5000	360.00

1	2	3	4	5
6.	नवरंगपुर–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
7.	कालाहांडी–IV	2003–04 से 08–09	7000	420.00
8.	मलकानगिरी–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
9.	मलकानगिरी–V	2004–05 से 09–10	5000	300.00
10.	राजगाडा–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
11.	नवरंगपुर–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
12.	नवरंगपुर–V	2004–05 से 09–10	5000	300.00
13.	खुर्दा–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
14.	गजपति–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
15.	कटक–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
16.	झासुरगुडा–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
17.	नयागढ़–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
18.	नयागढ़–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
19.	अंगुल–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
20.	अंगुल–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
21.	खुर्दा–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
22.	जाजपुर–II	2005–06 से 10–11	4457	267.42
23.	कटक–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
24.	सोनपुर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
25.	धेनकनाल–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
26.	धेनकनाल–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
27.	धेनकनाल–VI	2005–06 से 10–11	5000	300.00
28.	धेनकनाल–VII	2005–06 से 10–11	4000	300.00
29.	क्योंझर–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
30.	मयूरभंज़–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
31.	गंजम–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
32.	मयूरभंज–IV	2005–06 से 10–11	6080	364.80
33.	देवगढ़–II	2005–06 से 10–11	6748	404.88
34.	सुन्दरगढ़–III	2005–06 से 10–11	5224	313.44

1	2	3	4	5
35.	नयागढ़–IV	2005–06 से 10–11	5066	303.96
36.	गजपति–III	2005–06 से 10–11	5184	311.04
37.	रायगाड़ा–IV	2005–06 से 10–11	4880	292.80
38.	रायगाडा–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
39.	कोरापुट–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
40.	कोरापुट–VII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
41.	नवरंगपुर–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
42.	नवरंगपुर–VII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
43.	कालाहांडी–V	2006–07 से 11–12	5600	360.00
44.	बोलांगिर–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
45.	बोलांगिर–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
46.	रायगाड़ा–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
47.	रायगाडा–VII	2006–07 से 11–12	5400	324.00
48.	मलकानगिरी–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
49.	मयूरभंज–V	2006–07 से 11–12	6200	372.00
50.	मयूरभंज–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
51.	बाड़गढ़–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
52.	सुन्दरगढ़–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
53.	सुन्दरगढ़–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
54.	सम्बलपुर–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
55.	गंजम–III	2006–07 से 11–12	6000	360.00
57.	गजपति–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
58.	नयागढ़–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
59.	क्योंझर–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
	उप योग		303839	18230.340
पंजाब				
1.	अमृतसर–I	2004–05 से 09–10	3000	180.00
2.	होशियारपुर–II	2004–05 से 09–10	6200	372.00
3.	संगरूर–II	2004–05 से 09–10	3700	222.00
4.	मनसा–I	2004–05 से 09–10	2500	150.00

1	2	3	4	5
5.	गुरूदासपुर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
6.	गुरूदासपुर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
7.	पटियाला–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
8.	नवां शहर–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
9.	फिरोजपुर–I	2005–06 से 10–11	1525	91.50
10.	नवां शहर–II	2005–06 से 10–11	3632	217.92
11.	होशियारपुर–III	2005–06 से 10–11	3285	197.10
12.	फरीदकोट–I	2005–06 से 10–11	3440	182.40
13.	रोपड़–II	2006–07 से 11–12	4245	254.70
	उप योग		51127	3067.620
राजस्थान				
1.	कोटा	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	करोली	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	भरपुर–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
4.	चित्तौड़गढ़–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
5.	भीलवाड़ा–IV	2003–04 से 08–09	5000	300.00
6.	टौंक–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
7.	सिरोही–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
8.	धौलपुर–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
9.	अलवर–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
10.	झालावाड़	2004–05 से 09–10	5000	300.00
11.	बारां–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
12.	बारां–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
13.	उदयपुर–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
14.	अजमेर–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
15.	अजमेर–V	2004–05 से 09–10	5000	300.00
16.	करौली–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
17.	बारां–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
18.	दौसा–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00

1	2	3	4	5
20.	बूंदी–IV	2005–06 से 10–11	5000	335.22
21.	भीलवाड़ा–VI	2005–06 से 10–11	5000	300.00
22.	बूंदी–V	2005–06 से 10–11	4812	288.72
23.	राजसमंद–III	2005–06 से 10–11	2950	177.00
24.	धौलपुर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
25.	टोंक–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
26.	अलवर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
27.	अजमेर–VI	2005–06 से 10–11	5850	351.00
28.	धौलपुर–IV	2005–06 से 10–11	5290	317.40
29.	चित्तौड़गढ़–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
30.	बारां–V	2005–06 से 10–11	5387	323.22
31.	टोंक–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
32.	दौसा–IV	2005–06 से 10–11	5119	307.14
33.	राजसमंद–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
34.	झालावाड़–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
35.	राजसमंद–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
36.	कोटा–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
37.	सिरोही–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
38.	दौसा–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
39.	जयपुर–VIII	2005–06 से 10–11	4991	299.46
40.	चित्तौड़गढ़–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
41.	बारां–VI	2006–07 से 11–12	3981	238.86
42.	भीलवाड़ा–VII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
43.	जयपुर–IX	2006–07 से 11–12	5318	319.08
44.	भीलवाड़ा–VIII	2006–07 से 11–12	4300	258.00
45.	चित्तौड़गढ़–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
46.	चित्तौड़गढ़–VII	2006–07 से 11–12	4000	240.00

1	2	3	4	5
47.	अलवर–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
48.	चित्तौड़गढ़–VIII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
49.	भीलवाड़ा–IX	2006–07 से 11–12	4800	288.00
50.	भीलवाड़ा–X	2006–07 से 11–12	5000	300.00
51.	राजसमंद–VI	2006–07 से 11–12	4804	288.24
52.	बारां–VII	2006–07 से 11–12	4550	273.00
53.	बूंदी–VI	2006–07 से 11–12	6213	372.78
54.	राजसमंद–VIII	2006–07 से 11–12	5974	358.44
55.	दौसा–VI	2006–07 से 11–12	5102	306.12
56.	धौलपुर–V	2006–07 से 11–12	5710	342.60
57.	धौलपुर–VI	2006–07 से 11–12	5340	320.40
58.	बूंदी–VII	2006–07 से 11–12	3354	201.24
59.	धौलपुर–VII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
60.	भीलवाड़ा–XII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
61.	भीलवाड़ा–XII	2006–07 से 11–12	5806	348.36
	उप योग		306238	18374.280
तमिलनाडु				
1.	थेनी—II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	तिरूवनामल्लई	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	धर्मापुरी–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
4.	डिंडिगुल–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
5.	कोयम्बटूर–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
6.	थिरूवल्लूर	2003–04 से 08–09	5000	300.00
7.	सलेम–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
8.	रामनाथा पुरम–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
9.	मदुरै–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
10.	विल्लुपुरम–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
11.	कांचीपुरम	2003–04 से 08–09	5000	300.00

1	2	3	4	5
12.	तिरूवल्लूर–II	2004–05 से 09–10	4938	296.28
13.	कृष्णागिरी–I	2004–05 से 09–10	5000	300.00
14.	त्रिचिरापल्ली–II	2004–05 से 09–10	5650	339.00
15.	तिरूनेलवेल्ली–II	2004–05 से 09–10	4500	270.00
16.	शिवगंगई–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
17.	थुथकुडी–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
18.	विरूद्धनगर–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
20.	पुडुकोट्टई–III	2004–05 से 09–10	6080	364.80
21.	कुड्डालोर–III	2004–05 से 09–10	4857	291.42
22.	कोयम्बटूर–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
23.	कोयम्बटूर–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
24.	धर्मापुरी–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
25.	डिंडिगुल–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
26.	इरोड–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
27.	इरोड–IV	2005–06 से 10–11	3900	234.00
28.	करूर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
29.	नामाकल्ल–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
30.	रामनाथपुरम–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
31.	सलेम–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
32.	वेल्लोर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
33.	वेल्लोर–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
34.	कृष्णागिरी–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
35.	तिरूवल्लूर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
36.	तिरूवल्लूर–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
37.	पेरम्बलूर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
38.	पेरम्बलूर–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
39.	पुडुकोट्टई–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00

1	2	3	4	5
40.	एरोड़–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
41.	मदुरै–III	2005–06 से 10–11	5100	306.00
42.	नामाकल्ल–IV	2005–06 से 10–11	4969	298.14
43.	डिंडिगुल–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
44.	तिरूवनामल्लई–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
45.	कोयम्बट्टूर–VI	2005–06 से 10–11	5265	315.90
46.	धर्मापुरी–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
47.	तिरूचिरापल्ली–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
48.	सलेम–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
49.	कृष्णागिरी–III	2006–07 से 11–12	5500	330.00
50.	मदुरै–IV	2006–07 से 11–12	5230	313.80
51.	डिंडिगुल–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
52.	तिरूवनामलई–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
53.	तिरूवनामलई–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
54.	तिरूचिरापल्ली–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
55.	विल्लुपुरम–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
56.	नामाकल–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
57.	कांचीपुरम–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
58.	करूर–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
	उप योग		290989	17459.340
उत्तर प्रदेश				
1.	कौशाम्बी–I	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	आगरा–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	इटावा–I	2003–04 से 08–09	5000	300.00
4.	फिरोजाबाद–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
5.	सहारनपुर	2003–04 से 08–09	5000	300.00
6.	हरदोई	2003–04 से 08–09	5000	300.00
7.	मुजफ्फरनगर	2003–04 से 08–09	5000	300.00

1	2	3	4	5
8.	मिर्जापुर–III	2003–04 से 08–09	5000	300.00
9.	महोबा	2003–04 से 08–09	5000	300.00
10.	जालौन	2003–04 से 08–09	5000	300.00
11.	इलाहाबाद–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
12.	प्रतापगढ़–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
13.	सुल्तानपुर–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
14.	शाहजहांपुर–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
15.	राय बरेली–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
16.	सीतापुर–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
17.	फैजाबाद–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
18.	बाराबंकी–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
19.	आगरा–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
20.	कन्नौज	2004–05 से 09–10	5000	300.00
21.	ललितपुर–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
22.	इलाहाबाद–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
23.	मिर्जापुर–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
24.	झांसी–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
25.	औरैया–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
26.	हमीरपुर–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
27.	बदांऊ–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
28.	मुरादाबाद–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
29.	कानपुर नगर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
30.	जौनपुर–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
31.	बुलन्दशहर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
32.	प्रतापगढ़–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
33.	बिजनौर	2005–06 से 10–11	5000	300.00
34.	इटावा–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
35.	सुल्तानपुर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00

1	2	3	4	5
36.	उन्नाव–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
37.	हरदोई–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
38.	लखीमपुरखीरी–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
39.	बांदा–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
40.	बांदा–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
41.	महोबा–II	2005–06 से 10–11	5100	300.00
42.	ललितपुर–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
43.	बरेली–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
44.	मैनपुरी–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
45.	महाराजगंज–I	2005–06 से 10–11	5000	300.00
46.	कन्नौज–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
47.	शाहजहांपुर–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
48.	झांसी–V	2005–06 से 10–11	5000	300.00
49.	इटावा–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
50.	बदाऊँ–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
51.	सीतापुर–IV	2005–06 से 10–11	5000	300.00
52.	फैजाबाद–III	2006–07 से 11–12	5120	307.20
53.	कन्नौज–III	2006–07 से 11–12	6000	360.00
54.	महोबा–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
55.	इलाहाबाद–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
56.	फतेहपुर–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
57.	खेरी–IV	2006–07 से 11–12	6012	360.72
58.	अम्बेडकरनगर–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
59.	हमीरपुर–IV	2006–07 से 11–12	5241	314.46
60.	मिर्जापुर–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
61.	इलाहाबाद–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
62.	हरदोई–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00

1	2	3	4	5
63.	फिरोजाबाद–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
64.	एटा–I	2006–07 से 11–12	5108	306.48
65.	आगरा–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
66.	इलाहाबाद–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
67.	इलाहाबाद–VII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
68.	प्रतापगढ़–VII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
69.	एटा–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
70.	इटावा–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
71.	गाजीपुर–I	2006–07 से 11–12	5000	300.00
72.	लखीमपुर खीरी–V	2006–07 से 11–12	5000	300 00
73.	बरेली–II	2006–07 से 11–12	5060	303.60
74.	पिलीभीत–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
75.	गोरखपुर–I	2006–07 से 11–12	5200	312.00
76.	शाहजहांपुर–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
77.	हरदोई–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
78.	मऊ–I	2006–07 से 11–12	5000	300.00
79.	फिरोजाबाद–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
80.	लखीमपुर खीरी–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
81.	सीतापुर–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
82.	गोरखपुर–II	2006–07 से 11–12	5200	312.00
83.	बलरामपुर–I	2006–07 से 11–12	5000	300.00
84.	बिजनौर–II	2006–07 से 11–12	5000	320.16
86.	उन्नाव–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
87.	राय बरेली–III	2006–07 से 11–12	5000	300.00
88.	जालौन–II	2006–07 से 11–12	5000	300.00
89.	मथुरा–I	2006–07 से 11–12	5000	300.00
	उप योग		448277	26896.620

1	2	3	4	5
उत्तरांचल				
1.	य. एस. नगर	2003–04 से 08–09	6000	360.00
2.	नैनीताल–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	देहरादून–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
4.	नैनीताल–III	2004–05 से 09–10	5446	326.76
5.	अल्मोड़ा–II	2004–05 से 09–10	5000	300.00
6.	चमोली–II	2004–05 से 09–10	5243	314.58
7.	पौरी–II	2004–05 से 09–10	7500	450.00
8.	पौरी–III	2004–05 से 09–10	6137	368.22
9.	टिहरी–III	2004–05 से 09–10	5074	304.44
10.	उत्तरकाशी–III	2005–06 से 10–11	5099	305.94
11.	चमोली–III	2005–06 से 10–11	5145	308.70
12.	चमोली–IV	2005–06 से 10–11	5145	311.70
13.	पिथौरागढ़–III	2005–06 से 10–11	5030	301.80
14.	पौरी गढ़वाल–IV	2005–06 से 10–11	5057	303.42
15.	देहरादून–III	2005–06 से 10–11	5012.17	300.73
16.	हरिद्वार–II	2005–06 से 10–11	5147	308.82
17.	यू. एस. नगर–II	2005–06 से 10–11	5220	313.20
18.	नैनीताल–IV	2005–06 से 10–11	5338	320.28
19.	बागेश्वर–II	2005–06 से 10–11	5020	301.20
20.	पौरी गढ़वाल–V	2005–06 से 10–11	5254	315.24
21.	चम्बावत–II	2005–06 से 10–11	5165	309.90
22.	हरिद्वार–III	2005–06 से 10–11	5539	332.34
23.	अलमोड़ा–III	2005–06 से 10–11	5035	302.10
24.	चमोली–V	2005–06 से 10–11	5692.73	341.56
25.	पिथौरागढ़–IV	2005–06 से 10–11	5500	330.00
26.	नैनीताल–V	2005–06 से 10–11	5762	345.72
27.	हरिद्वार–IV	2006–07 से 11–12	5425	325.50
28.	पिथौरागढ़–V	2006–07 से 11–12	5500	330.00
29.	पिथौरागढ़–VI	2006–07 से 11–12	4300	258.00

1	2	3	4	5
30.	अलमोड़ा–IV	2006–07 से 11–12	3156.55	189.39
31.	उत्तरकाक्षी–IV	2006–07 से 11–12	5409	324.54
32.	अलमोड़ा–V	2006–07 से 11–12	5931.53	355.89
33.	पिथौरागढ़–VII	2006–07 से 11–12	5334.94	320.10
34.	चमोली–VI	2006–07 से 11–12	6058	363.48
35.	पौरी–VI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
36.	हरिद्वार–V	2006–07 से 11–12	5454	327.24
	उप योग		191180	11470.795
पश्चिम बंगाल				
1.	पश्चिम मिदनापुर	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	बीरभूम	2003–04 से 08–09	5000	300.00
3.	बांकुरा–III	2004–05 से 09–10	2400	144.00
4.	बांकुरा–IV	2004–05 से 09–10	2200	132.00
5.	वर्द्धवान–II	2004–05 से 09–10	8700	522.00
6.	वर्द्धवान–III	2004–05 से 09–10	520	31.20
7.	पश्चिम मिदनापुर–II	2005–06 से 10–11	978	58.69
8.	पश्चिम मिदनापुर–III	2005–06 से 10–11	1184	71.04
9.	पश्चिम मिदनापुर–VI	2005–06 से 10–11	1035	62.09
10.	पश्चिम मिदनापुर–IV	2005–06 से 10–11	876	52.54
11.	पश्चिम मिदनापुर–V	2005–06 से 10–11	559	33.52
12.	बांकुरा–V	2005–06 से 10–11	2640	158.40
13.	बांकुरा–VI	2005–06 से 10–11	4000	240.00
14.	बीरभूम–II	2005–06 से 10–11	5000	300.00
15.	वीरभूम–III	2005–06 से 10–11	5000	300.00
16.	बर्द्धवान–IV	2005–06 से 10–11	5614	336.82
17.	बर्द्धमान–V	2005–06 से 10–11	3168	190.09
18.	बीरभूम–IV	2006–07 से 11–12	5000	300.00
19.	बीरभूम–VI	2006–07 से 11–12	3889	233.31
20.	बीर भूमि–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00

1	2	3	4	5
21.	बर्द्धवान–VII	2006–07 से 11–12	5167	310.02
22.	बर्द्धवान–VIII	2006–07 से 11–12	4175	250.50
23.	बीरभूम–VI	2006–07 से 11–12	7087	425.19
24.	बीरभूम–VII	2006–07 से 11–12	5000	300.00
25.	बीरभूम–VIII	2006–07 से 11–12	6870	412.20
26.	बीरभूम–IX	2006–07 से 11–12	6525	391.49
27.	बीरभूम–X	2006–07 से 11–12	5000	300.00
28.	बीरभूम–XI	2006–07 से 11–12	5000	300.00
			112585	6755.10
	उप योग		4732113	283926.739

पूर्वोत्तर राज्य

अरूणाचल प्रदेश

1.	कुरूंग कामेंग–II	2003–04 से 08–09	5000	300.00
2.	ऊपरी सियांग	2003–04 से 08–09	3000	180.00
3.	ऊपरी दिवांग	2003–04 से 08–09	3000	180.00
4.	पश्चिमी सियांग–II	2003–04 से 08–09	3000	180.00
5.	ऊपरी सुबानसिरी–II	2003–04 से 08–09	3000	180.00
6.	पूर्वी कामेंग–II	2003–04 से 08–09	3000	180.00
7.	चांगलौंग	2003–04 से 08–09	3000	180.00
8.	पूर्वी सियांग	2003–04 से 08–09	3000	180.00
9.	तिरप	2003–04 से 08–09	3000	180.00
10.	निचली सुबानसिरी	2003–04 से 08–09	3000	180.00
11.	पूर्वी कामेंग–III	2004–05 से 09–10	8000	480.00
12.	लोहित–II	2004–05 से 09–10	8000	480.00
13.	कुरूंग कुम्मे–III	2004–05 से 09–10	8000	480.00
14.	पश्चिमी कामेंग–II	2004–05 से 09–10	8000	480.00
15.	पूर्वी सियांग–II	2004–05 से 09–10	6000	360.00
16.	लोहित–III	2004–05 से 09–10	6000	360.00
17.	ऊपरी सुबानसिरी–III	2004–05 से 09–10	8000	480.00

1	2	3	4	5
18.	ऊपरी सुबानसिरी–IV	2004–05 से 09–10	1500	90.00
19.	पपम्पारे–III	2004–05 से 09–10	8000	480.00
20.	पपम्पारे–IV	2004–05 से 09–10	3000	180.00
21.	पूर्वी कामेंग–IV	2004–05 से 09–10	8000	480.00
22.	ऊपरी सियांग–II	2005–06 से 10–11	2000	120.00
23.	ऊपरी सियांग–III	2005–06 से 10–11	2000	120.00
24.	पश्चिमी कामेंग–III	2005–06 से 10–11	2000	120.00
25.	लोहित–IV	2005–06 से 10–11	2000	120.00
26.	पूर्वी सियांग–III	2005–06 से 10–11	2000	120.00
27.	पपम्पारी–V	2005–06 से 10–11	2000	120.00
28.	चांगलौंग–II	2005–06 से 10–11	2000	120.00
29.	करूंग कामेंग–IV	2005–06 से 10–11	2000	120.00
30.	तिरप–II	2005–06 से 10–11	1000	60.00
31.	तिरप–III	2005–06 से 10–11	1000	60.00
32.	नीचली दिवांग घाटी	2005–06 से 10–11	2000	120.00
33.	पश्चिमी सियांग–III	2005–06 से 10–11	1500	90.00
34.	पश्चिमी सियांग–IV	2005–06 से 10–11	500	30.00
35.	तावेंग–II	2005–06 से 10–11	600	36.00
36.	तावेंग–III	2005–06 से 10–11	500	30.00
37.	तावेंग–IV	2005–06 से 10–11	500	30.00
38.	तावेंग–V	2005–06 से 10–11	400	24.00
39.	नीचली सुबानसिरी–III	2005–06 से 10–11	2000	120.00
40.	पूर्वी कामेंग–V	2005–06 से 10–11	2000	120.00
41.	ऊपरी दियांग घाटी–II	2005–06 से 10–11	2000	120.00
42.	ऊपरी सुबानसिरी–V	2005–06 से 10–11	1500	90.00
43.	ऊपरी सुबानसिरी–VI	2005–06 से 10–11	500	30.00
44.	पूर्वी सियांग–IV	2005–06 से 10–11	3000	180.00
45.	पूर्वी सियांग–V	2005–06 से 10–11	3000	180.00
46.	कुरूंग कामेंग–V	2005–06 से 10–11	3000	180.00

1	2	3	4	5
47.	कुरूंग कामेंग–VI	2005–06 से 10–11	3000	180.00
48.	ऊपरी सुबानसिरी–VII	2005–06 से 10–11	3000	180.00
49.	ऊपरी सुबानसिरी–VIII	2005–06 से 10–11	3000	120.00
50.	ऊपरी सुबानसिरी–IX	2005–06 से 10–11	3000	180.00
51.	पश्चिमी सियांग–V	2005–06 से 10–11	3000	180.00
52.	पूर्वी कामेंगे–VI	2005–06 से 10–11	3000	180.00
53.	पूर्वी कामेंगे–VII	2005–06 से 10–11	3000	180.00
54.	चांगलैंग–III	2005–06 से 10–11	3000	180.00
55.	तिरप–IV	2005–06 से 10–11	3000	180.00
56.	पप्पपारे–VI	2005–06 से 10–11	3000	180.00
57.	पूर्वी कामेंग–VIII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
58.	पूर्वी कामेंग–IX	2006–07 से 11–12	1000	60.00
59.	पूर्वी कामेंग–X	2006–07 से 11–12	1000	60.00
60.	पूर्वी कामेंग–XI	2006–07 से 11–12	1500	90.00
61.	पूर्वी कामेंग–XII	2006–07 से 11–12	1500	90.00
62.	निचली सुबानसिरी–IV	2006–07 से 11–12	1000	60.00
63.	निचली सुबानसिरी–V	2006–07 से 11–12	1500	90.00
64.	निचली सुबानसिरी–VI	2006–07 से 11–12	2000	120.00
65.	पश्चिमी सियांग–VI	2006–07 से 11–12	2000	120.00
66.	पश्चिमी सियांग–VII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
67.	पश्चिमी सियांग–VIII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
68.	ऊपरी सुबानसिरी–X	2006–07 से 11–12	1000	60.00
69.	ऊपरी सुबानसिरी–XI	2006–07 से 11–12	1000	60.00
70.	ऊपरी सुबानसिरी–XII	2006–07 से 11–12	2000	120.00
71.	ऊपरी सुबानसिरी–XIII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
72.	ऊपरी सुबानसिरी–XIV	2006–07 से 11–12	2000	120.00
73.	ऊपरी सुबानसिरी–XVI	2006–07 से 11–12	1500	90.00
74.	ऊपरी सुबानसिरी–XVIII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
75.	ऊपरी सुबानसिरी–XX	2006–07 से 11–12	1000	60.00

1	2	3	4	5
76.	ऊपरी सुबानसिरी–XXI	2006–07 से 11–12	1000	60.00
77.	ऊपरी सुबानसिरी–XXIII	2006–07 से 11–12	500	30.00
78.	ऊपरी सुबानसिरी–XIV	2006–07 से 11–12	1000	60.00
79.	ऊपरी सुबानसिरी–VII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
80.	कुरूंग कामे–VII	2006–07 से 11–12	2000	120.00
81.	कुरूंग कामे–IX	2006–07 से 11–12	2000	120.00
82.	कुरूंग कामे–X	2006–07 से 11–12	1000	60.00
83.	कुरूंग कामे–XI	2006–07 से 11–12	1500	90.00
84.	पूर्वी सियांग–VI	2006–07 से 11–12	1500	90.00
85.	पूर्वी सियांग–VII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
86.	चांगलंग–IV	2006–07 से 11–12	2000	120.00
87.	नीचली दिबांग–II	2006–07 से 11–12	1000	60.00
88.	नीचली दिबांग–III	2006–07 से 11–12	1000	60.00
89.	नीचली दिबांग–IV	2006–07 से 11–12	1000	60.00
90.	खोंसा–I	2006–07 से 11–12	1500	90.00
91.	पश्चिमी कामेंग–IV	2006–07 से 11–12	2000	120.00
92.	पश्चिमी कामेंग–V	2006–07 से 11–12	1000	60.00
93.	पश्चिमी कामेंग–VI	2006–07 से 11–12	1000	60.00
94.	ऊपरी सियांग–IV	2006–07 से 11–12	2000	120.00
95.	ऊपरी सियांग–V	2006–07 से 11–12	2000	120.00
96.	पश्चिमी सियांग–IX	2006–07 से 11–12	2000	120.00
97.	पश्चिमी सियांग–X	2006–07 से 11–12	2000	120.00
98.	ऊपरी सुबानसिरी–XXV	2006–07 से 11–12	2000	120.00
99.	ऊपरी सुबानसिरी–XXVI	2006–07 से 11–12	2000	120.00
100.	पश्चिमी कामेंग–VII	2006–07 से 11–12	2000	120.00
101.	ऊपरी सुबानसिरी–XXVII	2006–07 से 11–12	3000	180.00
102.	ऊपरी सुबानसिरी–XXVIII	2006–07 से 11–12	3000	180.00
103.	ऊपरी सुबानसिरी–XXIX	2006–07 से 11–12	3000	180.00
104.	ऊपरी सुबानसिरी–XXX	2006–07 से 11–12	3000	180.00

1	2	3	4	5
105.	लोहित–V	2006–07 से 11–12	4000	240.00
106.	लोहित–VI	2006–07 से 11–12	4000	240.00
107.	लोहित–VII	2006–07 से 11–12	4000	240.00
108.	तिरप–V	2006–07 से 11–12	4000	240.00
109.	तिरप–V	2006–07 से 11–12	3000	180.00
110.	पश्चिमी सियांग–XI	2006–07 से 11–12	3000	180.00
111.	पश्चिमी सियांग–XII	2006–07 से 11–12	3000	180.00
112.	चांगलांग–V	2006–07 से 11–12	4000	240.00
113.	चांगलांग–VI	2006–07 से 11–12	4000	240.00
114.	ऊपरी सुबानसिरी–XV	2006–07 से 11–12	500	30.00
115.	ऊपरी सुबानसिरी–XIX	2006–07 से 11–12	1000	60.00
	उप योग		283000	16980.00
असम				
1.	कोकराझार–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
2.	बोंगईगांव–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
3.	धुबरी–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
4.	गोलपारा–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
5.	तीनसुकिया–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
6.	करीमगंज–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
7.	बाड़पेटा–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
8.	शिवसागर–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
9.	मोरीगांव–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
10.	दारंग–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
11.	सोनितपुर–III	2003–04 से 08–09	6000	360.00
12.	नागांव–III	2003–04 से 08–09	6000	360.00
13.	जोरहाट–III	2003–04 से 08–09	6000	360.00
14.	कामरूप–V	2003–04 से 08–09	6000	360.00
15.	धुबरी–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
16.	कोकराझार–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00

1	2	3	4	5
17.	बोंगईगांव–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
18.	बोंगईगांव–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
19.	मोरीगांव–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
20.	करीमगंज–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
21.	दारंग–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
22.	दारंग–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
23.	सोनितपुर–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
24.	नलबारी–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
25.	नलबारी–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
26.	बारपेटा–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
27.	बारपेटा–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
28.	के. आंगलौंग–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
29.	के. आंगलौंग–V	2004–05 से 09–10	5000	300.00
30.	जोरहट–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
31.	एन. सी. हिल्स–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
32.	शिवसागर–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
33.	डिबरूगढ़–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
34.	कछार–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
35.	सोनितपुर–V	2004–05 से 09–10	5000	300.00
36.	दारंग–V	2004–05 से 09–10	5000	300.00
37.	कामरूप–VI	2004–05 से 09–10	5000	300.00
38.	एन. सी. हिल्स–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
39.	करीमगंज–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
40.	बोंगईगांव–V	2004–05 से 09–10	5000	300.00
41.	नांगांव–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
42.	गोलाघाट–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00
43.	नलबारी–V	2004–05 से 09–10	5000	300.00
44.	बारपेटा–V	2004–05 से 09–10	5000	300.00
45.	मोरीगांव–IV	2004–05 से 09–10	5000	300.00

1	2	3	4	5
46.	हैलाकांडी–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
47.	नलबाड़ी–VI	2004–05 से 09–10	5000	300.00
48.	एन. सी. हिल्स–V	2004–05 से 09–10	5000	300.00
49.	सोनितपुर–VI	2004–05 से 09–10	5000	300.00
50.	बारपेटा–VI	2005–06 से 10–11	6000	360.00
51.	डिबरूगढ़–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
52.	डिबरूगढ़–V	2005–06 से 10–11	6000	360.00
53.	गोलपाड़ा–III	2005–06 से 10–11	6000	360.00
54.	गोलाघाट–V	2005–06 से 10–11	6000	360.00
55.	हैलाकांडी–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
56.	कामरूप–VII	2005–06 से 10–11	6000	360.00
57.	कामरूप–VIII	2005–06 से 10–11	6000	360.00
58.	मोरीगांव–V	2005–06 से 10–11	6000	360.00
59.	नागांव–V	2005–06 से 10–11	6000	360.00
60.	नागांव–VI	2005–06 से 10–11	6000	360.00
61.	नलबारी–VII	2005–06 से 10–11	6000	360.00
62.	नलबारी–VIII	2005–06 से 10–11	6000	360.00
63.	सोनितपुर–VII	2005–06 से 10–11	6000	360.00
64.	जोरहट–V	2005–06 से 10–11	6000	360.00
65.	तीनसुकिया–III	2005–06 से 10–11	6000	360.00
66.	कछार–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
67.	कोकराझार–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
68.	लखीमपुर–III	2005–06 से 10–11	6000	360.00
69.	लखीमपुर–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
70.	एन. सी. हिल्स–VI	2005–06 से 10–11	6000	360.00
71.	एन. सी. हिल्स–VII	2005–06 से 10–11	6000	360.00
72.	धेमाजी–III	2005–06 से 10–11	6000	360.00
73.	बोंगईगांव–VI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
74.	कोकराझार–V	2006–07 से 11–12	6000	360.00

1	2	3	4	5
75.	कोकराझार–VI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
76.	कोकराझार–VII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
77.	कोकराझार–VIII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
78.	गोलाघाट–VI	2006–07 से 11–12	6100	366.00
79.	गोलाघाट–VII	2006–07 से 11–12	6060	363.60
80.	गोलाघाट–VIII	2006–07 से 11–12	6960	417.60
81.	कर्बी आंगलौंग–VI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
82.	कर्बी आंगलौंग–VII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
83.	गोलपारा–IV	2006–07 से 11–12	6000	360.00
84.	गोलपारा–V	2006–07 से 11–12	6000	360.00
85.	गोलपारा–VI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
86.	गोलपारा–VII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
87.	नलबारी	2006–07 से 11–12	6000	360.00
88.	नलबारी–X	2006–07 से 11–12	6000	360.00
89.	नलबारी–XI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
90.	नलबारी–XII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
91.	कामरूप–IX	2006–07 से 11–12	6000	360.00
92.	कामरूप–X	2006–07 से 11–12	6000	360.00
93.	करीमगंज–V	2006–07 से 11–12	6000	360.00
94.	करीमगंज–VI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
95.	नागांव–VII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
96.	नागांव–VIII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
97.	नागांव–IX	2006–07 से 11–12	6000	360.00
98.	नागांव–X	2006–07 से 11–12	6000	360.00
99.	शिवसागर–IV	2006–07 से 11–12	6000	360.00
100.	शिवसागर–V	2006–07 से 11–12	6000	360.00
101.	शिवसागर–VI	2006–07 से 11–12	6000	360.00
102.	शिवसागर–VII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
103.	शिवसागर–VIII	2006–07 से 11–12	6000	360.00

1	2	3	4	5
104.	डिबूरूगढ़–VI	2006–07 से 11–12	6300	378.00
105.	जोरहट–VI	2006–07 से 11–12	5500	330.00
106.	बारपेटा–VII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
107.	लखीमपुर–V	2006–07 से 11–12	3000	180.00
108.	कोकराझार–IX	2006–07 से 11–12	6000	360.00
	उप योग		610920	36655.20
मेघालय				
1.	पश्चिमी खासी हिल्स–III	2003–04 से 08–09	4000	240.00
2.	पश्चिमी खासी हिल्स–II	2003–04 से 08–09	4000	240.00
3.	जैनतीया हिल्स–II	2003–04 से 08–09	4000	240.00
4.	पूर्वी खासी हिल्स–II	2003–04 से 08–09	4000	240.00
5.	पूर्वी गारो हिल्स–II	2003–04 से 08–09	4000	240.00
6.	दक्षिणी गारो हिल्स–II	2003–04 से 08–09	4000	240.00
7.	रि–भोई–II	2003–04 से 08–09	4000	240.00
8.	पश्चिमी गारो हिल्स–III	2004–05 से 09–10	2000	120.00
9.	पूर्वी खासी हिल्स–III	2004–05 से 09–10	2000	120.00
10.	पूर्वी गारो हिल्स–III	2004–05 से 09–10	2000	120.00
11.	जैनतीया हिल्स–III	2004–05 से 09–10	2000	120.00
12.	पश्चिमी खासी हिल्स–IV	2004–05 से 09–10	2000	120.00
13.	रि–भोई–III	2004–05 से 09–10	2000	120.00
14.	दक्षिणी गारो हिल्स–III	2004–05 से 09–10	2000	120.00
15.	पश्चिमी गारो हिल्स–IV	2005–06 से 10–11	2500	150.00
16.	पूर्वी खासी हिल्स–IV	2005–06 से 10–11	2500	150.00
17.	पश्चिमी खासी हिल्स–V	2005–06 से 10–11	1500	90.00
18.	पूर्वी गारो हिल्स–IV	2005–06 से 10–11	2000	120.00
19.	रि–भोई–IV	2005–06 से 10–11	1500	90.00
20.	जैनतीया हिल्स–IV	2005–06 से 10–11	1500	120.00
21.	दक्षिणी गारो हिल्स–IV	2005–06 से 10–11	1000	60.00
22.	पूर्वी खासी हिल्स–V	2005–06 से 10–11	2000	120.00

1	2	3	4	5
23.	पूर्वी खासी हिल्स–VI	2005–06 से 10–11	1000	60.00
24.	पूर्वी खासी हिल्स–VII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
25.	पूर्वी खासी हिल्स–VIII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
26.	पूर्वी खासी हिल्स–IX	2005–06 से 10–11	1000	60.00
27.	पूर्वी खासी हिल्स–X	2005–06 से 10–11	1000	60.00
28.	पूर्वी खासी हिल्स–XII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
29.	पूर्वी खासी हिल्स–XII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
30.	पश्चिमी खासी हिल्स–VI	2005–06 से 10–11	1000	60.00
31.	पश्चिमी खासी हिल्स–VII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
32.	पश्चिमी खासी हिल्स–VIII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
33.	पश्चिमी खासी हिल्स–IX	2005–06 से 10–11	1000	60.00
34.	पश्चिमी खासी हिल्स–X	2005–06 से 10–11	1000	60.00
35.	पश्चिमी खासी हिल्स–XI	2005–06 से 10–11	1000	60.00
36.	रि–भोई–V	2005–06 से 10–11	2000	120.00
37.	रि–भोई–VI	2005–06 से 10–11	2000	120.00
38.	रि–भोई–VII	2005–06 से 10–11	2000	120.00
39.	जैनतीया हिल्स–V	2005–06 से 10–11	1000	60.00
40.	जैनतीया हिल्स–VI	2005–06 से 10–11	1000	60.00
41.	जैनतीया हिल्स–VII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
42.	जैनतीया हिल्स–VIII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
43.	पूर्वी गारो हिल्स–V	2005–06 से 10–11	1000	60.00
44.	पूर्वी गारो हिल्स–VI	2005–06 से 10–11	1000	60.00
45.	पूर्वी गारो हिल्स–VII	2005–06 से 10–11	2000	120.00
46.	पूर्वी गारो हिल्स–VIII	2005–06 से 10–11	2000	120.00
47.	पूर्वी गारो हिल्स–IX	2005–06 से 10–11	1000	60.00
48.	पश्चिमी गारो हिल्स–V	2005–06 से 10–11	1000	60.00
49.	पश्चिमी गारो हिल्स–VI	2005–06 से 10–11	1000	60.00
50.	पश्चिमी गारो हिल्स–VII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
51.	पश्चिमी गारो हिल्स–VII	2005–06 से 10–11	1000	60.00

1	2	3	4	5
52.	पश्चिमी गारो हिल्स–IX	2005–06 से 10–11	1000	60.00
53.	पश्चिमी गारो हिल्स–IX	2005–06 से 10–11	1000	60.00
54.	पश्चिमी गारो हिल्स–XI	2005–06 से 10–11	1000	60.00
55.	पश्चिमी गारो हिल्स–XII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
56.	दक्षिणी गारो हिल्स–V	2005–06 से 10–11	1000	60.00
57.	दक्षिणी गारो हिल्स–VI	2005–06 से 10–11	1000	60.00
58.	दक्षिणी गारो हिल्स–VII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
59.	दक्षिणी गारो हिल्स–VIII	2005–06 से 10–11	1000	60.00
60.	पश्चिमी गारो हिल्स–XIII	2006–07 से 11–12	2000	120.00
61.	पश्चिमी गारो हिल्स–XIV	2006–07 से 11–12	1000	60.00
62.	पश्चिमी गारो हिल्स–XV	2006–07 से 11–12	1000	60.00
63.	पश्चिमी गारो हिल्स–XVI	2006–07 से 11–12	1000	60.00
64.	पश्चिमी गारो हिल्स–XVIII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
65.	पश्चिमी गारो हिल्स–XVIII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
66.	पश्चिमी गारो हिल्स–XIX	2006–07 से 11–12	1000	60.00
67.	पश्चिमी गारो हिल्स–XX	2006–07 से 11–12	1000	60.00
68.	पूर्वी खासी हिल्स–XIII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
69.	पूर्वी खासी हिल्स–XIV	2006–07 से 11–12	1000	60.00
70.	पूर्वी खासी हिल्स–XV	2006–07 से 11–12	1000	60.00
71.	पूर्वी खासी हिल्स–XVI	2006–07 से 11–12	1000	60.00
72.	पूर्वी खासी हिल्स–XVII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
73.	पूर्वी खासी हिल्स–XVIII	2006–07 से 11–12	2000	120.00
74.	पूर्वी खासी हिल्स–XIX	2006–07 से 11–12	1000	60.00
75.	पूर्वी खासी हिल्स–XX	2006–07 से 11–12	1000	60.00
76.	पश्चिमी खासी हिल्स–XII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
77.	पश्चिमी खासी हिल्स–XIII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
78.	पश्चिमी खासी हिल्स–XIV	2006–07 से 11–12	1000	60.00
79.	पश्चिमी खासी हिल्स–XV	2006–07 से 11–12	2000	120.00
80.	पश्चिमी खासी हिल्स–XVI	2006–07 से 11–12	2000	120.00

1	2	3	4	5
81.	पश्चिमी खासी हिल्स–XVII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
82.	पूर्वी गारो हिल्स–X	2006–07 से 11–12	1000	60.00
83.	पूर्वी गारो हिल्स–XI	2006–07 से 11–12	1000	60.00
84.	पूर्वी गारो हिल्स–XII	2006–07 से 11–12	2000	120.00
85.	पूर्वी गारो हिल्स–XIII	2006–07 से 11–12	2000	120.00
86.	पूर्वी गारो हिल्स–XIV	2006–07 से 11–12	1000	60.00
87.	रि–भोई–VIII	2006–07 से 11–12	2000	120.00
88.	रि–भोई–IX	2006–07 से 11–12	2000	120.00
89.	रि–भोई–X	2006–07 से 11–12	2000	120.00
90.	जैनतीया हिल्स–IX	2006–07 से 11–12	1500	90.00
91.	जैनतीया हिल्स–X	2006–07 से 11–12	1500	90.00
92.	जैनतीया हिल्स–XI	2006–07 से 11–12	1000	60.00
93.	जैनतीया हिल्स–XII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
94.	जैनतीया हिल्स–XIII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
95.	दक्षिणी गारो हिल्स–IX	2006–07 से 11–12	1000	60.00
96.	दक्षिणी गारो हिल्स–X	2006–07 से 11–12	1000	60.00
97.	दक्षिणी गारो हिल्स–XI	2006–07 से 11–12	1000	60.00
98.	दक्षिणी गारो हिल्स–XII	2006–07 से 11–12	1000	60.00
	उप योग		147500	8850.00
मणिपुर				
1.	विष्णुपुर–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
2.	चुराचन्द्रपुर–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
3.	चांदेल–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
4.	इम्फाल पूर्व–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
5.	तामेंगलौंग–II	2003–04 से 08–09	6000	360.00
6.	चांदेल–III	2003–04 से 08–09	6000	360.00
7.	तामेंगलौंग–III	2004–05 से 09–10	6000	360.00
8.	इम्फाल पूर्व–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
9.	सेनापति–IV	2004–05 से 09–10	6000	360.00

1	2	3	4	5
10.	उखरूल–III	2004–05 से 09–10	6000	360.00
11.	विष्णुपुर–III	2004–05 से 09–10	5000	300.00
12.	चुराचन्दपुर–III	2004–05 से 09–10	6000	360.00
13.	चुराचन्दपुर–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
14.	चान्देल–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
15.	इम्फाल पूर्व–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
16.	इम्फाल पूर्व–V	2005–06 से 10–11	5000	360.00
17.	इम्फाल पूर्व–VI	2005–06 से 10–11	6000	360.00
18.	सेनापति–V	2005–06 से 10–11	8000	480.00
19.	उखरूल–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
20.	तामेंगलौंग–IV	2005–06 से 10–11	6000	360.00
21.	चुराचन्दपुर–V	2006–07 से 11–12	6000	360.00
22.	चांदेल–V	2006–07 से 11–12	5000	300.00
23.	चांदेल–VI	2006–07 से 11–12	8000	480.00
24.	तामेंगलौंग–V	2006–07 से 11–12	6000	360.00
25.	इम्फाल पश्चिम–III	2006–07 से 11–12	6000	360.00
	उप योग		150000	9000.00
मिजोरम				
1.	आइजवाल–V	2003–04 से 08–09	8000	480.00
2.	चम्पई–III	2003–04 से 08–09	8000	480.00
3.	कोलासिव–III	2003–04 से 08–09	8000	480.00
4.	लांगलेई–III	2003–04 से 08–09	8000	480.00
5.	मामित–III	2003–04 से 08–09	8000	480.00
6.	लौंगतलई–III	2004–05 से 09–10	8000	480.00
7.	सैहा–III	2004–05 से 09–10	8000	480.00
8.	लंगलई–IV	2004–05 से 09–10	8000	480.00
9.	मामित–IV	2004–05 से 09–10	8000	480.00
10.	शेरछिप–III	2004–05 से 09–10	8000	480.00
11.	आइजवाल–VI	2005–06 से 10–11	8000	480.00

1	2	3	4	5
12.	आइजवाल–VII	2005–06 से 10–11	8000	480.00
13.	आइजवाल–VIII	2005–06 से 10–11	8000	480.00
14.	चम्फई–IV	2005–06 से 10–11	8000	480.00
15.	चम्फई–V	2005–06 से 10–11	8000	480.00
16.	कोलासिब–IV	2005–06 से 10–11	8000	480.00
17.	लौंगतलई–IV	2005–06 से 10–11	8000	480.00
18.	लौंगतलई–V	2005–06 से 10–11	8000	480.00
19.	लौंगतलई–VI	2005–06 से 10–11	8000	480.00
20.	लांगलेई–V	2005–06 से 10–11	8000	480.00
21.	लांगलेई–VI	2005–06 से 10–11	8000	480.00
22.	लांगलेई–VII	2005–06 से 10–11	8000	480.00
23.	मामित–V	2005–06 से 10–11	8000	480.00
24.	मामित–VI	2005–06 से 10–11	8000	480.00
25.	शेरछिप–IV	2005–06 से 10–11	8000	480.00
26.	सैहा–IV	2005–06 से 10–11	8000	480.00
27.	सैहा–VI	2005–06 से 10–11	8000	480.00
28.	आइजवाल–IX	2006–07 से 11–12	8000	480.00
29.	चम्फई–VI	2006–07 से 11–12	8000	480.00
30.	कोलासिब–V	2006–07 से 11–12	8000	480.00
31.	लौंगतलई–III	2006–07 से 11–12	8000	480.00
32.	लंगलई–VIII	2006–07 से 11–12	8000	480.00
33.	ममित	2006–07 से 11–12	8000	480.00
34.	सैहा–VI	2006–07 से 11–12	8000	480.00
35.	शरद्विप–V	2006–07 से 11–12	8000	480.00
	उप योग		280000	16800.00
नागालैंड				
1.	तेनसैंग–IV	2003–04 से 08–09	8000	480.00
2.	दीमापुर–III	2003–04 से 08–09	8000	480.00
3.	फेक–IV	2003–04 से 08–09	8000	480.00
4.	किबहिरे	2003–04 से 08–09	8000	480.00

1	2	3	4	5
5.	मोन–III	2003–04 से 08–09	8000	480.00
6.	किपहिरे–II	2004–05 से 09–10	8000	480.00
7.	कोहिमा–II	2004–05 से 09–10	8000	480.00
8.	वोखा–IV	2004–05 से 09–10	8000	480.00
9.	ओकोचुंग–IV	2004–05 से 09–10	8000	480.00
10.	तेनसांग–V	2004–05 से 09–10	8000	480.00
11.	लौंगलैंग–I	2005–06 से 10–11	8300	498.00
12.	किपहिरे–III	2005–06 से 10–11	8200	492.00
13.	पेरेन–I	2005–06 से 10–11	8000	480.00
14.	जूनेबूटो–V	2005–06 से 10–11	8000	480.00
15.	मोन–IV	2005–06 से 10–11	8000	480.00
16.	तेनसैंग–VI	2006–07 से 11–12	8000	480.00
17.	मोकोचुंग–V	2006–07 से 11–12	8000	480.00
18.	वोखा–V	2006–07 से 11–12	8000	480.00
	उप योग		144500	8670.00
सिक्किम				
1.	पूर्वी सिक्किम–VII	2003–04 से 08–09	6000	360.00
2.	पश्चिमी सिक्किम–III	2003–04 से 08–09	6000	360.00
3.	उत्तरी सिक्किम–III	2003–04 से 08–09	6000	360.00
4.	पश्चिमी सिक्किम–IV	2004–05 से 09–10	1637	98.22
5.	पूर्वी सिक्किम–VIII	2004–05 से 09–10	6000	360.00
6.	पूर्वी सिक्किम–IX	2004–05 से 09–10	5469	328.14
7.	पूर्वी सिक्किम–X	2004–05 से 09–10	3349	200.94
8.	पूर्वी सिक्किम–XI	2005–06 से 10–11	4075	244.50
9.	पश्चिमी सिक्किम–V	2005–06 से 10–11	2160	129.60
10.	पश्चिमी सिक्किम–VI	2005–06 से 10–11	2000	120.00
11.	पश्चिमी सिक्किम–VIII	2005–06 से 10–11	787	47.22
12.	मंगल उत्तर सिक्किम–IV	2005–06 से 10–11	5320	319.20
13.	पूर्वी सिक्किम–XII	2006–07 से 11–12	5600	336.00

1	2	3	4	5
14.	उत्तरी सिक्किम–V	2006–07 से 11–12	4500	270.00
15.	पश्चिमी सिक्किम–VIII	2006–07 से 11–12	6000	360.00
16.	दक्षिणी सिक्किम–VII	2006–07 से 11–12	5600	336.00
	उप योग		70497	4229.82
त्रिपुरा				
1.	उत्तरी त्रिपुरा–II	2004–05 से 09–10	5944	356.64
2.	दक्षिणी त्रिपुरा–III	2004–05 से 09–10	6752	405.12
3.	पश्चिमी त्रिपुरा–II	2004–05 से 09–10	3860	231.60
4.	धलाई–II	2004–05 से 09–10	2250	135.00
5.	उत्तरी त्रिपुरा–III	2004–05 से 09–10	2463	147.78
6.	पश्चिमी त्रिपुरा–III	2004–05 से 09–10	3890	233.40
7.	दक्षिणी त्रिपुरा–III	2004–05 से 09–10	2370	142.20
8.	उत्तरी त्रिपुरा–IV	2005–06 से 10–11	7100	426.00
9.	दक्षिणी त्रिपुरा–V	2005–06 से 10–11	5900	354.00
10.	पश्चिमी त्रिपुरा–IV	2005–06 से 10–11	2850	171.00
11.	धालाई–III	2005–06 से 10–11	7500	450.00
12.	धलाई–IV	2005–06 से 10–11	2050	123.00
13.	धलाई–V	2006–07 से 11–12	6600	396.00
14.	उत्तरी त्रिपुरा–V	2006–07 से 11–12	6800	408.00
15.	दक्षिणी त्रिपुरा–VI	2006–07 से 11–12	3700	222.00
16.	पश्चिमी त्रिपुरा–V	2006–07 से 11–12	2900	174.00
	उप योग		**72929**	**4375.74**
	योग - पूर्वोत्तर राज्य		**1759346**	**105560.760**
	कुल योग - आई. डब्ल्यू. डी. पी.		**6491459**	**389487.50**

विवरण-III

वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की अवधि के दौरान आई. डब्ल्यू. डी. पी. के अंतर्गत राज्य–वार उपलब्ध करायी गई राशि

(21.11.2006 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि			चालू वर्ष (21.11.06 की स्थिति के अनुसार)	योग
		2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3444.82	2958.318	4046.950	2079.822	12529.91
2.	बिहार	371.25	434.63	990.00	924.00	2719.88

1	2	3	4	5	6	7
3.	छत्तीसगढ़	1197.26	1723.96	2026.44	1818.11	6765.77
4.	दिल्ली (कपार्ट)	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
5.	गोवा	82.50	0.00	24.10	0.00	106.60
6.	गुजरात	1733.56	1072.40	2418.52	2473.06	7697.54
7.	हरियाणा	388.55	512.49	594.32	478.54	1973.90
8.	हिमाचल प्रदेश	1349.51	1345.22	2662.51	1272.71	6629.96
9.	जम्मू और कश्मीर	241.96	422.92	1120.453	590.540	2375.87
10.	झारखंड	272.25	205.650	303.25	232.93	1014.08
11.	कर्नाटक	2319.84	2466.93	2495.937	2751.645	10034.36
12.	केरल	314.75	159.696	778.17	240.00	1492.61
13.	महाराष्ट्र	949.41	1660.06	2051.93	1543.93	6205.33
14.	मध्य प्रदेश	2866.22	2906.39	4898.63	2161.96	12833.19
15.	उड़ीसा	1940.11	1457.37	2307.44	1738.09	7443.01
16.	पंजाब	50.66	193.88	302.87	207.72	755.13
17.	राजस्थान	2097.32	2121.18	2401.67	3449.41	10069.58
18.	तमिलनाडु	1993.50	2470.62	2600.445	2168.492	9233.06
19.	उत्तर प्रदेश	1974.33	1802.860	3222.78	3488.69	10488.66
20.	उत्तरांचल	364.30	1227.52	1688.02	822.36	4102.20
21.	पश्चिम बंगाल	82.50	156.90	464.57	627.18	1331.16
	योग	25034.60	25299.00	37398.995	29069.190	116801.78
पूर्वोत्तर राज्य						
1.	अरूणाचल प्रदेश	351.89	804.05	1061.37	1276.84	3494.14
2.	असम	1729.91	3202.771	3373.896	2706.339	11012.92
3.	मणिपुर	313.25	545.87	553.52	800.45	2213.09
4.	मेघालय	443.65	194.38	804.01	856.01	2298.06
5.	मिजोरम	612.44	974.03	1122.00	528.00	3236.47
6.	नागालैण्ड	1868.31	1711.46	3886.19	468.60	7934.56
7.	सिक्किम	268.98	324.27	165.55	274.05	1033.75
8.	त्रिपुरा	31.61	386.63	308.48	472.32	1199.04
	पूर्वोत्तर राज्य का योग	5620.04	8143.47	11275.005	7383.506	32422.019
	आई.डब्ल्यू.डी.पी. का योग	30654.64	33442.46743	48674.000	36452.696	149223.803

थोक मूल्य सूचकांक

***52. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2006 में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि का रूझान अक्तूबर, 2006 तक लगातार जारी रहा है;

(ख) यदि हां, तो माह–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जुलाई, 2006 के पश्चात् अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी के बावजूद थोक मूल्य सूचकांक में कोई कमी नहीं आई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) अप्रैल से अक्तूबर, 2006 की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक (1993–94=100) की घट–बढ़ नीचे सारणी में दर्शायी गई है। उत्पादों के तीनों समूहों के सूचकांकों में सामान्यतया वृद्धि का रुख दिखाई दे रहा है। पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन से सूचकांक मूल्य प्रभावित होते हैं। तथापि, कच्चे तेल को वस्तु–समूह में शामिल नहीं किया गया है और यह पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के जरिए थोक मूल्य सूचकांक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

थोक मूल्य सूचकांक, 1993–94=100 और मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)

महीना	सभी वस्तुएं		प्राथमिक वस्तुएं		ईंधन एवं विद्युत		विनिर्मित उत्पाद	
	(100.0)		(22.03)		(14.23)		(63.75)	
	सूचकांक	मुद्रास्फीति	सूचकांक	मुद्रास्फीति	सूचकांक	मुद्रास्फीति	सूचकांक	मुद्रास्फीति
अप्रैल 2006–07 (महीने का अंतिम शनिवार)								
अप्रैल	196.6	3.90	197.4	4.83	317.3	8.26	174.1	1.93
मई	201.9	4.99	203.0	6.84	320.4	9.35	175.1	2.58
जून	203.6	4.84	206.0	7.24	326.4	7.90	175.3	2.63
जुलाई	204.3	4.72	203.4	4.79	327.6	7.59	177.1	3.51
अगस्त	205.8	5.27	206.8	6.54	328.7	8.09	178.0	3.61
सितम्बर*	207.8	5.16	212.4	7.93	328.9	5.05	179.2	4.13
अक्तूबर*	208.4	5.09	213.3	6.65	329.5	5.47	179.7	4.29

*अनंतिम

स्वास्थ्य बीमा

***53. श्री श्रीचन्द कृपलानी :**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानतः कितनी जनसंख्या को सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ मिल रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इन स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ देश की और अधिक जनसंख्या को प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कुल जनसंख्या का अनुमानतः 1% जनसंख्या को साधारण बीमा कंपनियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत गरीब लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से, सरकार से बढ़ी हुई आर्थिक सहायता के साथ कवरेज को बीपीएल परिवारों के लिए सीमित करते हुए, भारत सरकार ने जुलाई, 2004 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को पुनः तैयार किया। इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे लोगों

की संख्या वर्ष 2004–05 में 1,82,641 से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 2,47,801 हो गई है।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि नेशनल ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विकास करने के लिए एक रुपरेखा तैयार की गई है और सितम्बर, 2006 में सभी राज्य सरकारों को भेजी गई है। इस रुपरेखा के अनुसार, राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य बीमा योजनाएं बना सकती हैं और उन्हें सरकारी–गैर–सरकारी भागीदारी के साथ कार्यान्वित कर सकती है। यह रुपरेखा बीपीएल परिवारों के लिए 75% की एक प्रीमियम आर्थिक सहायता (प्रति परिवार अधिकतम 300रु. तक) का प्रस्ताव करती है।

आईआरडीए ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा सहित माइक्रो–बीमा उत्पादों के विस्तार करने के उद्देश्य से माइक्रो बीमा विनियम भी जारी किए हैं। ये विनियम गैर–सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, माइक्रो–वित्त संस्थानों तथा सहकारी समितियों को माइक्रो–बीमा उत्पादों के विक्रय एवं सर्विसिंग के लिए माइक्रो–बीमा एजेंट के लिए सक्षम बनाते हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

***54. प्रो. रासा सिंह रावत :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (ग) यह प्रस्ताव किया जाता है कि संसद के चालू सत्र के दौरान एक विधेयक, अर्थात् न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाए, जो अन्य बातों के साथ, एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के गठन के लिए उपबंध करेगा। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरूद्ध आने वाली शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक न्यायिक मंच को सशक्त करने हेतु एक उचित विधायी ढ़ांचे की संरचना करेगा।

[अनुवाद]

न्यायालयों में लंबित मामले

***55. श्री गिरिधारी यादव :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार को सभी लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सहायता से विभिन्न न्यायालयों में "पाली पद्धति" (शिफ्ट सिस्टम) लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई पद्धति को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार तारीख 31.10.2006 को उच्चतम न्यायालय में 38,675 मामले लम्बित थे। उच्च न्यायालय त्रैमासिक आधार पर लंबित मामलों को रिपोर्ट करते हैं। 30.6.2006 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार कुल 42,42,450 मामले लंबित थे, जिनके अंतर्गत सिविल और दांडिक दोनों प्रकार के मामले हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता

***56. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता गिरती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार अगले पांच वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु अपने आबंटन को दोगुना करने की योजना बना रही है, जैसा कि दिनांक 7 अक्तूबर, 2006 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल

सिब्बल) : (क) यद्यपि भारत से वैज्ञानिक शोध की मात्रा, जैसा कि उद्धृत पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों में बताया गया है, विगत 25 वर्षों के दौरान सुनिश्चित रुप से धीरे – धीरे बढ़ती रही है (1980 में 14983 से 2005 में 19448), परन्तु विश्व प्रकाशनों के प्रतिशत के रुप में इसका हिस्सा 1980 में 2.9% से घटकर 2005 में 1.9% हो गया है। तथापि, विगत 10 वर्षों में यह 1.5% से बढ़कर 1.9% हो गया है। उद्धरणों के संदर्भ में भी जिसे गुणवत्ता का मानक संकेतक समझा जाता है, भारत का कार्यनिष्पादन 1993–97 में 0.76 से बढ़कर 1997–2001 में 0.86 हो गया है। 1% सर्वाधिक उद्धृत प्रकाशनों का हिस्सा 1993–97 में 0.32 से बढ़कर 1997–2001 में 0.54 हो गया है। यहां तक कि भारतीय अन्वेषकों को प्रदान किये गये यू एस पेटेंटों की संख्या वर्ष 2000–01 में 88 से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 229 हो गयी है। तथापि, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से प्रगति की है।

(ख) और (ग) हाल के समय में इस मुद्दे पर प्रधान मंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद सहित अनेक मंचों में गहन चर्चा और जांच–पड़ताल हुई है। इसके दो मुख्य कारण है इस प्रकार हैं : (1) देश में सक्षम समूहों को अपर्याप्त निधि पोषण; और (2) विश्वविद्यालय क्षेत्र में शोध में गिरावट। विश्वविद्यालय पूरे विश्व में वैज्ञानिक शोध का मुख्य आधार हैं, किन्तु हमारे देश में विश्वविद्यालय अनेक वित्तीय और अभिशासन संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ–साथ संकाय की क्षीणता, शोध अवसंरचना की निर्बलता तथा संकाय के लिए उनकी जानकारी को अद्यतन बनाने के अवसरों में कमी सामने आई है। अधिकांश विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के क्षेत्र हैं तथा उन्हें इन समस्याओं का निवारण तत्काल करने की आवश्यकता है।

(घ) भारत सरकार ने अपनी ओर से विश्वविद्यालयों और अन्य उत्कृष्ट वैज्ञानिक संस्थानों में वैज्ञानिक शोध नवीनीकरण और संवर्धन करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। वैज्ञानिक विभागों का योजना आबंटन 9वीं योजना में लगभग 12000 करोड़ रु. से बढ़कर दसवीं योजना में 25000 करोड़ रुपये हो गया है और 11 वीं योजना में इसे आगे और बढ़ाने की योजना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का शोध अवसंरचना कार्यक्रम विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रयोगशाला अवसंरचना को उन्नत बनाने के लिए लक्षित कार्यक्रम हैं। उभरते हुए और अग्रणी क्षेत्रों में अनेक संस्थान, उत्कृष्टता के केन्द्र और सुविधाएं भी स्थापित की गयी हैं। उदाहरणार्थः मस्तिष्क अनुसंधान, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, स्टेम सेल एवं ऊतक इंजीनियरी, सॉफ्ट कम्प्यूटिंग, जल संसाधन विकास, नैनोफोसफोर्स, प्रदर्शन प्रौद्योगिकी, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी, परातीव्र प्रक्रियाएं, प्रोटीन अनुसंधान आदि के क्षेत्रों में हाल ही में तीन नये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (आई आई एस ई आर) की स्थापना कोलकाता, पुणे और चण्डीगढ़ में की गयी है जो अग्रणी और अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान करने के अतिरिक्त बहु–विषयी और शैक्षिक रुप से नमनीय तथा अनुसंधान अभिमुख पर्यावरण में एम. एस. सी. कार्यक्रम प्रदान करेंगे। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों के पास अब स्कूल स्तर से लेकर सभी आयु वर्गों की वैज्ञानिक मानवशक्ति के लिए आकर्षण छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां और अनुसंधान सहायता स्कीमें हैं।

(ङ) और (च) ऐसे अनुमान फिलहाल 11वीं योजना अवधि के लिए विचाराधीन हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग क्रियाकलापों की "आऊट सोर्सिंग"

***57. श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में "कोर बैंकिंग" में "आऊट सोर्सिंग" को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यप्रणाली तैयार की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) बजट भाषण 2005–06 में की गई घोषणा के परिणामस्वरुप, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपेक्षाकृत कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में व्यष्टि वित्त संस्थानों (एमएफआई) और सिविल सोसायटी आर्गनाईजेशन (सीएसओ) को शामिल करने से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए आंतरिक कार्यदल गठित किया था। इस दल की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जनवरी, 2006 को इस संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। बैंकों से, कारोबार को सुकर बनाने वाले और तदनुरुपी मॉडलों का उपयोग करके वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यवर्तियों के रुप में गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्व–सहायता समूहों (एसएचजी), व्यष्टि वित्त संस्थानों (एमएफआई) और अन्य सिविल सोसायटी आर्गनाईजेशनों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। इस योजना का उद्देश्य देश में निम्न आय वर्ग की ऐसी आबादी जिन क्षेत्रों में बैंक शाखा नहीं है उन क्षेत्रों में भी इन मध्यवर्ती संस्थानों की सहायता से सहायता करना है जिनकी बैंकिंग सेवा तक पहुंच के लिए स्थान–संबंधी समस्याओं और अशिक्षा के कारण अपेक्षाकृत कम पहुंच है या कोई पहुंच नहीं है।

मुद्रास्फीति दर

*58. **श्री उदय सिंह :**
श्री वी.के. दुग्गर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान मुद्रास्फीति दर अधिक रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा मुद्रास्फीति दर को कम करने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति दर को पांच प्रतिशत से कम रखते हुए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को दहाई के अंकों तक पहुंचाने के लिए कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के उत्तरार्ध के दौरान थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार यथामानित मुद्रास्फीति दर 7 अक्टूबर से 4 नवम्बर, 2006 तक 5.1–5.4 प्रतिशत के बीच बनी रही है। प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर में वृद्धि आपूर्ति संबंधी दबावों (और परिणामस्वरूप मांग–आपूर्ति में अन्तर) और खासकर गेहूं, दाल और खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। दालों और गेहूं की शुल्क दरें घटाकर शून्य करके, पाम समूह के खाद्य तेलों की शुल्क दरों में 10 प्रतिशतांक की कमी करके और चीनी तथा दालों के निर्यात पर रोक लगाकर घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। कच्चे पेट्रोलियम की अधिक कीमतों के आंशिक पास–थ्रू ने भी ईंधन और विद्युत समूह की वस्तुओं के मूल्यों को संतुलित रखा है।

सारणी I : वर्ष 2005–06 और 2006–07 के उत्तरार्ध में वस्तु समूहों के लिए मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर

निम्न तारीख को	सभी वस्तुएं		प्राथमिक वस्तुएं		ईंधन और विद्युत		विनिर्मित उत्पाद	
समाप्त सप्ताह	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
7 अक्टूबर	4.9	5.2	3.6	7.5	11.3	5.2	3.0	4.2
14 अक्टूबर	4.8	5.3	4.0	7.3	10.9	5.2	2.8	4.4
21 अक्टूबर	4.5	5.4	2.8	7.8	10.6	5.5	2.8	4.5
28 अक्टूबर	4.8	5.1	3.7	6.7	10.6	5.5	3.0	4.3
4 नवम्बर	4.0	5.3	4.3	6.8	7.1	5.5	2.8	4.6

[हिन्दी]

ताप विद्युत उत्पादन

*59. **श्री मो. ताहिर :**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना के दौरान आज तक ताप विद्युत उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य ताप विद्युत परियोजनाओं की प्रतिष्ठापित क्षमता के अनुरूप प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से कम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विद्युत उत्पादन किस हद तक कम होता जा रहा है जिससे वर्ष–दर–वर्ष निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क), (ख) और (ङ) विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों के लिए विद्युत उत्पादन लक्ष्य का निर्धारण उनकी संस्थापित क्षमता यूनिटों की आयु, पिछला कार्य–निष्पादन, सुनियोजित बंदी (आउटेज) ईंधन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता आदि को ध्यान में रखते हुए वार्षिक आधार पर किया जाता है। 10वीं योजना के विगत 4.5 वर्षों में ताप विद्युत उत्पादन का लक्ष्य लगभग 99% लक्ष्य हासिल किया गया है। 10वीं योजना के दौरान ताप विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की उपलब्धि के वर्ष–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	ताप विद्युत उत्पादन (लक्ष्य का %)	कुल विद्युत उत्पादन की वृद्धि दर (%)
2002–03	100.67	3.1
2003–04	98.77	5.0
2004–05	99.94	5.2
2005–06	97.18	5.1
2006–07*	97.11	7.1

* (अप्रैल–अक्टूबर, 2006)

गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को गैस की अपर्याप्त आपूर्ति, जबरन बंदी तथा तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों के मामले में अपर्याप्त समय होना विद्युत उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाने के मुख्य कारण हैं।

(ग) 10वीं योजना अवधि के दौरान जिन ताप विद्युत संयंत्रों ने अपने विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, उनके ब्यौरे विवरण–I के रूप में संलग्न हैं।

(घ) 10वीं योजना अवधि के दौरान जो ताप विद्युत संयंत्र अपना उत्पादन लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं, उनके कारणों सहित ब्यौरे विवरण–II के रूप में संलग्न हैं।

(च) देश में विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:–

(i) निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन मॉनीटरिंग।

(ii) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम आयोजना।

(iii) इकोनोमी आफ स्केल का लाभ हासिल करने के लिए 4000 मे. वा. प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(iv) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के पूर्वागामी के रूप में बेहतर निष्पादन करने वाली विद्युत यूटिलिटियों के साथ समझौतों के जरिए मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार घटक में वृद्धि के लिए बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण पद्धति अपनाकर "उत्कृष्टता में साझेदारी" कार्यक्रम शुरू करना।

(v) "त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम" के अंतर्गत पावर फाइनैंस कारपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के ऋणों पर ब्याजगत सब्सिडी के साथ पुराने एवं अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(vi) ताप विद्युत केन्द्रों में सुनियोजित अनुरक्षण की अवधि में कमी करना।

(viii) कोयले की घरेलू उपलब्धता तथा कोयले की प्रत्याशित मांग के अंतर को कम करने के लिए कोयले का आयात।

(viii) प्रचालन एवं अनुरक्षण समस्याओं के समाधान के लिए सीईए द्वारा विद्युत केन्द्र के प्राधिकारियों, भेल तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ निरंतर बातचीत तथा सीईए के इंजीनियरों द्वारा स्थल पर चर्चा तथा उत्पादन यूनिटों के निष्पादन की मॉनीटरिंग के लिए नियमित दौरे।

(ix) भेल द्वारा विद्युत परियोजनाओं को उपस्करों की आपूर्ति से संबंधित मामलों के समाधान के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा गहन निगरानी एवं समीक्षा।

(x) अन्य प्रमुख विनिर्माताओं एवं उनके एसोसिएशन, अर्थात् आईईएमए के साथ नियमित समन्वय बैठकों का आयोजन।

विवरण-I

स्टेशन	राज्य	31/10/06 को क्षमता (मे.वा.)	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07 (अप्रैल 06 से अक्टूबर, 06)
1	2	3	4	5	6	7	8
बदरपुर	दिल्ली	720	हां	हां	हां	हां	हां
टांडा	उत्तर प्रदेश	440	हां	हां	हां	हां	हां
कोरबा एसटीपीएस	छत्तीसगढ़	2100	हां	हां	हां	हां	हां
विंध्याचल एसटीपीएस	मध्य प्रदेश	2760	हां	हां	हां	हां	हां
रामागंडम	आंध्र प्रदेश	2600	हां	हां	हां	हां	हां
सिम्हाद्री	आंध्र प्रदेश	1000	हां	हां	हां	हां	हां
नेवली–I	तमिलनाडु	600	हां	हां	हां	हां	हां
कहलगांव	बिहार	840	हां	हां	हां	हां	हां
बकरेश्वर	पश्चिम बंगाल	630	हां	हां	हां	हां	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
टोरेंट पावर साबरमती	गुजरात	330	हां	हां	हां	हां	हां
दहानु	महाराष्ट्र	500	हां	हां	हां	हां	हां
अगरतला जीटी	त्रिपुरा	84	हां	हां	हां	हां	हां
कारेयकल जीटी	पांडिचेरी	32.5	हां	हां	हां	हां	हां
सिंगरौली	उत्तर प्रदेश	2000	हां	हां	हां	हां	*
ऊंचाहार	उत्तर प्रदेश	1050	*	हां	हां	हां	हां
तालचेर	उड़ीसा	3000	हां	हां	*	हां	हां
गुरु नानक देव टीपी (भटिंडा)	पंजाब	440	हां	हां	*	हां	हां
गुरु हरीकृष्णन टीपी (लेहरा मोहब्बत)	पंजाब	420	*	हां	हां	हां	हां
कोटा	राजस्थान	1045	हां	*	हां	हां	हां
सुरतगढ़	राजस्थान	1250	हां	*	हां	हां	हां
ऊकाई	गुजरात	850	हां	*	हां	हां	हां
वानकबोरी	गुजरात	1260	हां	हां	हां	*	हां
सतपुरा	मध्य प्रदेश	1142.5	हां	हां	हां	हां	*
खापरखेड़ा–I	महाराष्ट्र	840	हां	हां	हां	*	हां
दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	पश्चिम बंगाल	395	हां	हां	हां	हां	*
टोरेंट पावर एईसीओ	गुजरात	60	हां	हां	*	हां	हां
टीटागढ़	पश्चिम बंगाल	240	*	हां	हां	हां	हां
साऊदर्न रिप्लेसमेंट	पश्चिम बंगाल	135	हां	हां	हां	*	हां
बज बज	पश्चिम बंगाल	500	हां	हां	हां	हां	*
नलको (आयात)	उड़ीसा	0	हां	हां	हां	*	हां
कथालगुरी	असम	291	*	हां	हां	हां	हां
एसार (आयात)	गुजरात	515	हां	*	हां	हां	हां
दादरी एनसीटीपीपी	उत्तर प्रदेश	840	*	*	हां	हां	हां
नेवेली एफएसटी विस्तार	तमिलनाडु	420	*	*	हां	हां	हां
तालचेर ओल्ड	उड़ीसा	470	*	हां	हां	हां	*
फरक्का एसटीपीएस	पश्चिम बंगाल	1600	हां	हां	*	हां	*

1	2	3	4	5	6	7	8
पानीपत	हरियाणा	1360	हां	हां	*	*	हां
रोपर	हरियाणा	1260	*	*	हां	हां	हां
पनकी	उत्तर प्रदेश	220	हां	हां	हां	*	*
अनपारा	उत्तर प्रदेश	1630	*	हां	हां	*	हां
कोरबा–III	छत्तीसगढ़	240	हां	हां	*	हां	*
बानकबोरी (यू–7)	गुजरात	210	हां	हां	*	हां	*
पारली	महाराष्ट्र	690	हां	*	हां	हां	*
विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	1260	हां	हां	हां	हां	*
रायल सीमा	आंध्र प्रदेश	420	हां	हां	हां	*	*
रायचुर	कर्नाटक	1470	हां	हां	*	*	हां
मेट्टूर	तमिलनाडु	840	हां	हां	*	*	हां
इव वैली	उड़ीसा	420	*	हां	हां	हां	*
संतालडीह	पश्चिम बंगाल	480	हां	*	हां	*	हां
कोलाघाट	पश्चिम बंगाल	1260	*	*	हां	हां	हां
सूरत लिग्नाईट	गुजरात	250	*	हां	हां	हां	*
न्यू कोसीपुर	पश्चिम बंगाल	160	*	*	हां	हां	हां
जिन्दल (आयात)	कर्नाटक	260	हां	*	*	हां	हां
आईसीसीएल (आयात)	उड़ीसा	0	हां	हां	हां	*	*
आईपी जीटी	दिल्ली	180	*	हां	*	हां	हां
उतरन जीटी	गुजरात	144	हां	*	हां	हां	*
ऊरान जीटी	महाराष्ट्र	672	*	हां	हां	*	हां
ऊरान डब्ल्यूएचपी	महाराष्ट्र	240		हां	हां	*	हां
विजेसवरन	आंध्र प्रदेश	272	हां	हां	हां	*	*
वालथुर जीटी	तमिलनाडु	94		हां	*	हां	हां
नामरुप जीटी	असम	81.5	*	हां	हां	हां	*
बारामुरा जीटी	त्रिपुरा	21	*	*	हां	हां	हां
बरौदा (जीआईपीसीएल–I और II)	गुजरात	305	हां	*	हां	हां	*
चन्द्रपुरा	पश्चिम बंगाल	780	*	*	हां	हां	*

1	2	3	4	5	6	7	8
दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	350	*	हां	*	*	हां
मेजिया	पश्चिम बंगाल	840	हां	हां	*	*	*
कोरबा–II	छत्तीसगढ़	200	*	*	हां	हां	*
गांधी नगर (यूनिट–5)	गुजरात	210	हां	*	*	हां	*
अमरकंटक विस्तार	मध्य प्रदेश	240	हां	*	*	*	हां
बिरसिंघपुर (संजय गांधी)	मध्य प्रदेश	840	हां	*	हां	*	*
नासिक	महाराष्ट्र	910	हां	*	*	*	हां
पारस	महाराष्ट्र	62.5	*	हां	*	हां	*
कोथागुडैम (न्यू)	आंध्र प्रदेश	500	हां		हां		*
रामागुंडम बी	आंध्र प्रदेश	62.5	*	हां	हां	*	*
तुतीकोरीन	तमिलनाडु	1050	हां	हां	*	*	*
ट्रॉम्बे	महाराष्ट्र	1150	हां	*	हां	*	*
दिसेरगढ़	पश्चिम बंगाल	14.2				हां	हां
फरीदाबाद सीसीजीटी	हरियाणा	430	*	*	हां	हां	*
अंता जीटी	उत्तर प्रदेश	413	*	*	*	हां	हां
दादरी जीटी	उत्तर प्रदेश	817	*	*	हां	हां	*
गंधार जीटी	गुजरात	648	*	*	हां	हां	*
प्रगति सीसीजीटी	दिल्ली	330.4	*	हां	हां	*	*
रामगढ़ सीसीजीटी	राजस्थान	113.8	*	*	हां	हां	*
हजीरा सीसीपीपी	गुजरात	156.1	*	*	हां	हां	*
बैसिन ब्रिज जीटी	तमिलनाडु	120	हां	*	*	हां	*
कोभिकलपल	तमिलनाडु	107	*	हां	हां	*	*
लकवा जीटी	असम	120	*	*	*	हां	हां
रिलाएंस एनर्जी	गोवा	48				हां	हां
पेगुथन जीटीई कॉरपोरेशन	गुजरात	655		हां	*	हां	*
ट्रॉम्बे जीटी	महाराष्ट्र	180	*	हां	हां	*	*
कोचिन सीसीजीटी	केरल	174	*	हां	*	*	हां
सूर्यचक्र पी.सी.	अंडमान और निकोबार					हां	हां
आई पी स्टेशन	दिल्ली	247.5	*	*	हां	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8
फरीदाबाद विस्तार	हरियाणा	180	हां	*	*	*	*
ओबरा	उत्तर प्रदेश	1550	हां	*	*	*	*
हरदुआगंज	उत्तर प्रदेश	450	*	*	*	*	हां
परीच्छा	उत्तर प्रदेश	430	हां	*	*	*	*
कोरबा पश्चिम	छत्तीसगढ़	840	*	हां	*	*	*
धुवरन	गुजरात	534	*	*	हां	*	*
गांधीनगर	गुजरात	660	हां	*	*	*	*
सिक्का	गुजरात	240	*	*	हां	*	*
चंद्रपुर	महाराष्ट्र	2340	*	हां	*	*	*
कोथागुडेम ए	आंध्र प्रदेश	240	हां				
कोथागुडेम	आंध्र प्रदेश	220	*	*	हां	*	*
कोगुडेम सी	आंध्र प्रदेश	220	हां				
नेल्लौर	आंध्र प्रदेश	0	*	*	हां	*	
नार्थ चेन्नई	तमिलनाडु	630	*	*	*	*	हां
पतरातु	झारखंड	840	हां	*	*	*	*
तेनुघाट	झारखंड	420	*	*	*	*	हां
नेवली (जेड)	तमिलनाडु	250		*	*	*	हां
औरैय्या जीटी	उत्तर प्रदेश	652	*	*	*	हां	*
कवास जीटी	गुजरात	644	हां	*	*	*	*
कायाकुलम	केरल	350	हां	*	*	*	*
धुवरन सीसीजीटी	गुजरात	178.6		*	हां	*	*
कोटाल्लम जीटी	तमिलनाडु	100		*	*	हां	*
रोखिया जीटी	त्रिपुरा	90	*	*	हां	*	*
टारेंट पावर वेतवा जीटी	गुजरात	100	*	*	हां	*	*
पी. नल्लू सीसीजीटी	तमिलनाडु	330.5	हां	*	*	*	*
मिनीकोय्य	लक्षद्वीप	1.8				*	हां
चाथम 12.5 एमडब्ल्यू पी/एच	लक्षद्वीप	12.5					हां

* वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से कम

विवरण-II

स्टेशन	31/10/06 को क्षमता (मे.वा.)	वर्ष	कम उत्पादन के कारण
1	2	3	4
कोयला आधारित			
केन्द्रीय क्षेत्र			
सिंगरौली	2000	2006–07*	विस्तृत योजनाबद्ध देखरेख
रिहंद	2000	2004–05	केवल सीमांत कमी
		2005–06	कोयले की कमी
उंचाहार	1050	2002–03	ग्रिड असफलता के कारण यूनिट–1 की फोरस्ड आउटेज की लम्बी अवधि
दादरी (एनटीपीपी)	840	2002–03	यूनिट–2 एवं 4 की लंबी जबरन बंदी
		2003–04	यूनिट 4 की जबरन बंदी
नेवेली–II	1470	2004–05	भारी वर्षा प्रचालन तथा खानों में अतिरिक्त भार
		2005–06	अधिक जल उत्पादन के कारण बैंकिंग डाऊन
		2006–07*	विविध प्रचालन समस्याएं
नेवेली एफएसटी एक्स	420	2002–03	लिग्नाइट समस्याओं के कारण जबरन बंदी
		2003–04	यूनिट 3, 4, 5, 6 का जबरन बंदी
चंद्रपुरा	780	2002–03	निरंतर जबरन बंदी
		2003–04	निरंतर जबरन बंदी
		2006–07*	यूनिट 3 व 4 का जबरन बंदी
दुर्गापुर	350	2002–03	अधिक जबरन बंदी और आंशिक अनुपलब्धता
		2004–05	सीमांत कमी
		2005–06	स्टेज बी के यूनिट 2 का जबरन बंदी
बोकारो ए	172.5	2003–04	स्टेज बी के यूनिट 2 का जबरन बंदी
बोकारो बी	630	2004–05	विविध प्रचालन समस्याएं
		2005–06	बीटीएल और कोयला फीडिंग व्यवस्था में समस्या के कारण निरंतर आऊटेज
		2006–07*	यूनिट 1 का विस्तृत एएम, यूनिट 2 और 3 का जबरन बंदी
मेजिया	840	2004–05	सीमांत कमी
		2005–06	सीमांत कमी
		2006–07*	यूनिट 1 का जबरन बंदी यूनिट 2 का विस्तृत सीएम, यूनिट 4 का विस्तृत एएम

1	2	3	4
तलचर ओल्ड	470	2002–03	यूनिट 3, 4, 5 का जबरन बंदी
		2006–07*	यूनिट 2 के साथ यूनिट 6 के योजनाबद्ध देखरेख समय का अंतर परिवर्तन
तलचर एसटीपीपी	3000	2004–05	सीमांत कमी
फरक्का एसटीपीएस	1600	2004–05	टरबाइन बीयरिंग समस्या के कारण यूनिट 5 का जबरन बंदी
		2006–07*	गंगा जल के बंगलादेश को जारी करने से होने वाली जल कमी।
राज्य क्षेत्र			
आई पी स्टेशन	245.7	2002–03	यूनिट 5 का जबरन बंदी
		2003–04	यूनिट 2, 4, और 5 का विभिन्न जबरन बंदी
		2004–05	यूनिट 2 का जबरन बंदी
		2005–06	जबरन बंदी के कारण आंशिक भार पर यूनिट 3 और 4 का गैर समय देखरेख
		2006–07*	यूनिट 4 की विस्तृत योजनाबद्ध देखरेख
फरीदाबाद एक्स	180	2003–04	बायलर फीड पम्प के कारण जबरन बंदी
		2004–05	अत्यधिक बैंकिंग डाऊन
		2005–06	सीमांत कमी
		2006–07*	खराब कच्चे जल की गुणवत्ता के कारण पारशल लोडिंग और यूनिट–1 का जबरन बंदी
पानीपत	1360	2004–05	सीमांत कमी
		2005–06	नए आरंभ किए गए यूनिट
गुरू नानक देव टी पी (भटिंडा)	440	2004–05	सीमांत कमी
गुरू हरीकिशन टीपी (लेहरा मोहब्बत)	420	2002–03	सीमांत कमी
रोपर	1260	2002–03	यूनिट 4 एवं 5 का जबरन बंदी
		2003–04	यूनिट 1 का जबरन बंदी
कोटा	1045	2003–04	नया यूनिट अभी तक सिंक्रोनाइज नहीं किया गया है।
सूरतगढ़	1250	2003–04	सीमांत कमी
गिरल टीपीपी	0	2006–07*	नए आरंभ किए गए यूनिट
ओबरा	1550	2003–04	यूनिट 6 का जबरन बंदी

1	2	3	4
		2004–05	यूनिट 6 का जबरन बंदी
		2005–06	सीमांत कमी
		2006–07*	यूनिट 12 की गैर समय देख रेख
पनकी	220	2005–06	सीमांत कमी
		2006–07*	यूनिट 3 की गैर समय देखरेख
हरदुआगंज	450	2002–03	यूनिट 1, 4, 5, 7 की विभिन्न फोरस्ड आउटेज
		2003–04	यूनिट 3 की फोरस्ड आउटेज
		2004–05	विस्तृत योजनाबद्ध देखरेख
		2005–06	यूनिट 7 का बंद होना
परीक्षा	430	2003–04	फोरस्ड आऊटेज तथा आंशिक अनुपलब्धता
		2004–05	सीमांत कमी
		2005–06	फोरस्ड आउटेज एवं आंशिक अनुपलब्धता
		2006–07*	रिजिड्अल कार्य पूरे करने के लिए नया यूनिट 3 सीमा से बाहर रहा।
अनपारा	1630	2002–03	यूनिट 3 का फोरस्ड आउटेज
		2005–06	यूनिट 4 का फोरस्ड आउटेज
कोरबा–II	200	2002–03	यूनिट 2 फोरस्ड आउटेज
		2003–04	जनरेटर ट्रांसफार्मर के कारण फोरस्ड आउटेज
		2006–07*	यूनिट 1, 2 की गैर समय वार्षिक देखरेख
कोरबा–III	240	2004–05	यूनिट 5 की विस्तृत देखरेख और निरंतर फोरस्ड आउटेज के कारण प्रतिबंध
		2006–07*	यूनिट 1, 2 का फोरस्ड आउटेज
कोरबा ईस्ट–IV	0	2006–07*	नया यूनिट अभी तक सिंक्रोनाइज्ड नहीं किया गया है।
कोरबा वेस्ट	840	2002–03	सीमांत कमी
		2004–05	यूनिट 3 और 4 की विस्तृत देखरेख
		2005–06	यूनिट 3 और 4 की आंशिक लोडिंग
		2006–07*	यूनिट 1, 2, 3 और 4 की विभिन्न फोरस्ड आउटेज
धुवरण	534	2002–03	पारशियल लोडिंग तथा पुरानी मशीनों के कारण फोरस्ड आउटेज

1	2	3	4
		2003–04	पारशियल लोडिंग तथा पुरानी मशीनों के कारण फोरस्ड आउटेज
		2005–06	पारशियल लोडिंग तथा पुरानी मशीनों के कारण फोरस्ड आउटेज
		2006–07*	पुराने यूनिट होने के कारण प्रचालन महंगा। जीएसईसीएल द्वारा 23.9.06 से 1 से 4 यूनिट की बंदी यूनिट 5 और 6 पर प्रतिबंध भार
उकाई	850	2003–04	यूनिट 1, 2 फोरस्ड आउटेज
गांधी नगर	660	2003–04	यूनिट 1, 2 निरंतर फोरस्ड आउटेज
		2004–05	विभिन्न समस्याओं के कारण निरंतर फोरस्ड आउटेज और भार प्रतिबंध
		2005–06	पारशियल लोडिंग और यूनिट 1, 4, 6 की निरंतर फोरस्ड आउटेज
		2006–07*	यूनिट 1, 2 निरंतर फोरस्ड आउटेज
वानकबोरी	1260	2005–06	पारशियल लोडिंग और यूनिट 1, 4, 6 की निरंतर फोरस्ड आउटेज
सिक्का	240	2002–03	यूनिट 2 की विस्तृत फोरस्ड आउटेज
		2003–04	यूनिट 1, 2 की निरंतर फोरस्ड आउटेज
		2005–06	पारशियल लोडिंग और यूनिट 1 की निरंतर फोरस्ड आउटेज
		2006–07*	यूनिट 1 पर फोरस्ड आउटेज और प्रतिबंध भार
अकरीमोटा (लिग्नाइट)	250	2004–05	यूनिट की सिंक्रानाइजेशन में विलम्ब
		2005–06	लिग्नाइट फोरस्ड इवैक्यूएशन प्रणाली आदि के कारण स्थायित्व समस्याएं
		2006–07*	लिग्नाइट फोरस्ड इवैक्यूएशन प्रणाली आदि के कारण स्थायित्व समस्याएं
गांधी नगर यूनिट–5	210	2003–04	सीमांत कमी
		2004–05	बाटम एंश हॉपर ढांचा की मरम्मत का मुख्य कार्य।
		2006–07*	विस्तृत कैपीटल देखरेख
वानकबोरी (यूनिट–7)	210	2004–05	सीमांत कमी
		2006–07*	सीमांत कमी

1	2	3	4
सतपुरा	1142.5	2006–07*	यूनिट 6 की निरंतर ट्रिपिंग
अमरकंटक	60	2003–04	मिलिम प्रणाली के असफल होने के कारण फोरस्ड आउटेज
अमरकंटक विस्तार	240	2004–05	एजिम के कारण निरंतर फोरस्ड आउटेज
		2005–06	पारशल लोडिंग और निरंतर फोरस्ड आउटेज यूनिट 1 रिटायर हो रहा है।
बीरसिंह पुर (संजय गांधी)	840	2003–04	सीमांत कमी
		2005–06	पारशियल लोडिंग और निरंतर फोरस्ड आउटेज
		2006–07*	नया यूनिट अभी तक सिंक्रानाइज नहीं किया गया है।
नासिक	910	2003–04	सुपर हीटर लीकेज के कारण फोरस्ड आउटेज
		2004–05	यूनिट 5 में जनरेटर ट्रांसफार्मर समस्या
		2005–06	जनरेटर ट्रांसफार्मलर यूनिट 5 की आउटेज तथा निरंतर फोरस्ड आउटेज
खापरखेड़ा–II	840	2005–06	जुलाई, 2005 के दौरान वेटकोल समस्या
पारस	62.5	2002–03	टरबाइन बीयरिंग समस्या के कारण यूनिट 2 का फोरस्ड आउटेज
		2004–05	सीमांत कमी
		2006–07*	सीमांत कमी
पारली	690	2003–04	स्टेशन ट्रांसफर्मर का खराब होना
		2006–07*	यूनिट 5 है एमटीसी को दोबारा चालू करना
पारली विस्तार	0	2006–07*	नया यूनिट अभी तक सिंक्रानाइज नहीं किया गया है
चंद्रपुर	2340	2002–03	हाई पारशियल गैर उपलब्धता
		2004–05	सीमांत कीम
		2005–06	यूनिट 5 की विस्तृत देखरेख
		2006–07*	यूनिट 7 की फोरस्ड आउटेज यूनिट 5 का विस्तृत पुनः निमार्ण कार्य
कोथगुडेम ए	240.000	2003–04	यूनिट 2 का निरंतर फोरस्ड आउटेज और यूनिट 7 में फायर के कारण फोरस्ड आउटेज
कोथगुडेम	220.000	2005–06	220 केवी टावर के ढह जाने के कारण आंशिक लोडिंग। भारी मानसून से ताप विद्युत उत्पादन कम होता है।

1	2	3	4
कोथगुडेम सी	220.000	2006–07*	यूनिट 1, 3, 5, 6, 7 की विभिन्न फोरस्ड आउटेज
कोथगुडेम (नई)	500		सीमांत कमी
विजयवाड़ा	1260	2006–07*	यूनिट 6 के जनरेटर ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के कारण वार्षिक देखरेख को दोबारा चालू करना
रामागुंडम बी	62.5	2002–03	लांग फोरस्ड आउटेज
		2005–06	सीमांत कमी
		2006–07*	सीमांत कमी
नैल्लोर	0	2002–03	लांग फोरस्ड आउटेज
		2003–04	विभिन्न कारणों से आउटेज
		2005–06	परियोजना 23.04.05 से बंद हुई
रायलसीमा	420	2005–06	यूनिट 2 विस्तृत कैपीटल देखरेख और निरंतर फोरस्ड आउटेज
		2006–07*	स्टेटर पृथ्वी खराबी के कारण यूनिट 2 का फोरस्ड आउटेज
रायचूर	1470	2004–05	भारी वर्षा के कारण थर्मल उत्पादन कम हुआ।
		2005–06	भारी वर्षा के कारण थर्मल उत्पादन कम हुआ तथा हड़ताल के कारण कोयले की कम आपूर्ति हुई।
बेल्लारी टीपीपी	0	2006–07*	नई यूनिट के तुल्यकालिक करना बाकी है।
तुतीकोरीन	1050	2004–05	सीमांत कमी
		2005–06	अधिक ग्रिड फ्रीक्वेंसी के कारण आंशिक हानि
		2006–07*	भारी वर्षा के कारण थर्मल उत्पादन कम हुआ।
मेटूर	840	2004–05	सीमांत कमी
		2005–06	भारी वर्षा के कारण थर्मल उत्पादन कम हुआ।
नार्थ चेन्नई	630	2002–03	यूनिट 2 में रोटर भू खराबी के कारण फोरस्ड आउटेज
		2003–04	यूनिट 2 में रोटर भू खराबी के कारण फोरस्ड आउटेज
		2004–05	यूनिट 1 के जनरेटर ट्रांसफार्मर खराबी का फोरस्ड आउटेज

1	2	3	4
		2005–06	टरबाइन के और एक्सील शिफ्ट में फायर के कारण अधिक लोडिंग
मुजफ्फरपुर	220	2002–03	विभिन्न फोरस्ड आउटेज
		2003–04	विभिन्न फोरस्ड आउटेज
		2005–06	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों में विलम्ब
		2006–07*	यूनिट 2 में उत्पादन के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद दोनों यूनिट बंद हैं
पतरातू	840	2003–04	विद्युत स्टेशन में आग तथा विभिन्न फोरस्ड आउटेज
		2004–05	यूनिट 5, 6, 8, 10 की निरंतर फोरस्ड आउटेजे
		2005–06	व्यापक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य अपेक्षित है
		2006–07*	विभिन्न फोरस्ड आउटेज एवं विस्तृत मरम्मत
तेनुघाट	420	2002–03	विभिन्न फोरस्ड आउटेज
		2003–04	यूनिट 1, 2 की विस्तृत फोरस्ड आउटेज
		2005–06	यूनिट 1, 2 की निरंतर फारेस्ड आउटेज
		2005–06	यूनिट 2 की विस्तृत बंदी
इब वैली	420	2002–03	हाई पारशियल गैर उपलब्धता
		2006–07*	खराब गुणवत्ता वाला कोयला
दुर्गापुर परियोजना लि.	395	2006–07*	सीमांत कमी
संतालडीह	480	2003–04	यूनिट 2, 3 और 4 की विभिन्न फोरस्ड आउटेज
		2005–06	विभिन्न फोरस्ड आउटेज के कारण यूनिट 2 और 3 की गैर उपलब्धता
कोलाघाट	1260	2002–03	विभिन्न फोरस्ड आउटेज
		2003–04	यूनिट 1, 4, 6 का विभिन्न फोरस्ड आउटेज
नामरूप एसटी	30	2003–04	यूनिट 5 केबल गैलरी फायर के कारण फोरस्ड आउटेज
		2004–05	यूनिट 5 का फोरस्ड आउटेज
		2005–06	लम्बी बंदी के पश्चात् पुनः आरंभन
		2006-07*	यूनिट की एमरजेंसी कैपीटल ओवर हालिंग। यूनिट 4, 5 का विभिन्न फोरस्ड आउटेज
बोंगाईगांव	240	2002–03	संयंत्र बंद हो गया है।
भुसावल	482.5	प्रत्येक वर्ष	काफी जबरन बंदी एवं आंशिक अनुपलब्धता

1	2	3	4
इन्नौर	450	प्रत्येक वर्ष	काफी जबरन बंदी एवं आंशिक अनुपलब्धता
बरौनी	320	प्रत्येक वर्ष	पुराने मशीन। बड़े आर एंड एम कार्य प्रगति पर है।
बंडेल	540	प्रत्येक वर्ष	काफी जबरन बंदी/आंशिक अनुपलब्धता
चंद्रपुर	60	प्रत्येक वर्ष	यूनिटें बंद
राजघाट	135	प्रत्येक वर्ष	काफी जबरन बंदी/आंशिक अनुपलब्धता
कोराडी	1100	प्रत्येक वर्ष	काफी जबरन बंदी एंव आंशिक अनुपलब्धता 2004-05 कैबल गैलरी में आग लगी थी।
कच्छ लिग्नाईट	215	प्रत्येक वर्ष	काफी जबरन बंदी/आंशिक अनुपलब्धता
निजी			
टोरेंट पावर एईसीओ	60	2004–05	सीमांत कमी
सूरत लिग्नाइट	250	2002–03	वही
		2006–07*	वही
ट्रॉम्बे	1150	2003–04	विशेष कारण उपलब्ध नहीं है
		2005–06	वहीं
		2006–07*	प्रचालन समस्याएं
नेवेली (जेड)	250	2003–04	सीमांत कमी
		2004–05	वही
		2005–06	वही
न्यू कोसीपुर	160	2002–03	सीमांत कमी
		2003–04	वही
टीटागढ़	240	2002–03	वही
दक्षिणी प्रतिस्थापन	135	2005–06	नगण्य कमी
बज बज	500	2006–07*	सीमांत कमी
चीनाकुरी	20	2005–06	वही
		2006–07*	वही
जिंदल (कर्नाटक)	260	2003–04	वही
		2004–05	ग्रिड को कम इन्जेक्शन
टाटा पीसीएल (जोजोबेरा इम्पोर्ट)	360	2005–06	विशेष कारण उपलब्ध नहीं हैं
नाल्को इंपोर्ट	0	2005–06	ग्रिड को कम इन्जेक्शन
आईसीसीएल इंपोर्ट	0	2005–06	वही
		2006–07*	वही

1	2	3	4
गैस आधारित केन्द्रीय क्षेत्र			
फरीदाबाद सीसीजीटी	430	2002–03	गैस की कमी तथा लिक्विड ईंधन पर कम समय
		2003–04	वही
		2006–07*	वही
अंटा जीटी	413	2002–03	गैस की कमी
		2003–04	वही
		2004–05	वही
औरैया जीटी	652	2002–03	गैस की कमी तथा लिक्विड ईंधन पर कम समय
		2003–04	वही
		2004–05	वही
		2006–07*	वही
दादरी जीटी	817	2002–03	जलीय ईंधन पर कम समय मंहगी विद्युत
		2003–04	वही
		2006–07*	वही
कावास जीटी	644	2003–04	जलीय ईंधन पर कम समय मंहगी विद्युत
		2004–05	वही
		2005–06	वही
		2006–07*	वही
गंधार जीटी	648	2002–03	जलीय ईंधन पर कम समय मंहगी विद्युत
		2003–04	वही
		2006–07*	वही
कायमकुलम	350	2003–04	जलीय ईंधन पर कम समय मंहगी विद्युत
		2004–05	वही
		2006–07*	वही
		2005–06*	वही
मैथन जीटी	90	2002–03	महंगी विद्युत के कारण कम प्रचालन
		2003–04	वही
कैथलगुड़ी	291	2002–03	
राज्य क्षेत्र			
आई पी जी टी	180	2002–03	गैस की कमी

1	2	3	4
आई पी डब्ल्यू एचपी	102	2004–05	वही
प्रगति सीसीजीटी	330.4	2002–03	गैस की कमी
		2005–06	वही
		2006–07*	वही
रामगढ़ सीसीजीटी	113.8	2002–03	आवश्यकतानुसार उपयोग
		2003–04	वही
		2006–07*	वही
धौलपुर सीसीजीटी	0	2006–07*	नई यूनिट अभी तक सिंक्रोनाइज्ड नहीं
उत्तरान जी टी	144	2003–04	गैस की कमी
		2006–07*	सीमांत कमी
धुबरान सीसीजीटी	178.6	2003–04	नई कमीशन्ड यूनिटें
		2005–06	गैस की कमी
		2006–07*	वही
हजीरा सीसीपीपी	156.1	2002–03	गैस की कमी
		2003–04	वही
		2006–07*	वही
विजेश्वरम	272	2005–06	सीमांत कमी
		2003–07*	वही
बेसीन ब्रिज जीटी	120	2006–04	पीकींग उद्देश्य के लिए प्रयोग की गई
		2004–05	वही
		2006–07*	वही
वैलूथुर जीटी	94	2004–05	सीमांत कमी
कुट्टलु जीटी	100	2003–04	पीकींग उद्देश्य के लिए प्रयोग की गई
		2004–05	सीमांत कमी
		2006–07*	वही
कोवीकलप्पल	107	2002–03	सीमांत कमी
		2005–06	वही
		2006–07	वही
कस्बा जीटी	40	प्रत्येक वर्ष	महंगी विद्युत के कारण पृथक से प्रचालित किया गया

1	2	3	4
सिलीगुड़ी जीटी	20	प्रत्येक वर्ष	वही
हल्दिया जीटी	40	प्रत्येक वर्ष	वही
नामरूप जीटी	81.5	प्रत्येक वर्ष	सीमांत कमी
नामरूप डब्ल्यूएचपी	22	प्रत्येक वर्ष	सीमांत कमी
लकवा जीटी	120	2002–03	सीमांत कमी
		2003–04	वही
		2004–05	वही
बारामुरा जीटी	21	2002–03	वही
		2003–04	वही
रोखिया जीटी	90	2002–03	वही
		2003–04	वही
		2005–06	वही
		2006–07*	वही
पाम्पोर जीटी	175	प्रत्येक वर्ष	महंगी विद्युत के कारण पृथक से प्रचालित किया गया
निजी			
टौरेंट पावर वटवा जीटी	100	2002–03	कम समय
		2003–04	वही
		2005–06	सीमांत कमी
		2006–07*	वही
बड़ौदा (जीआईपीसीएल–I एवं II)	305	2003–04	वही
		2006–07*	गैस की कमी
पगुथन जीटीई कारपोरेशन	655	2004–05	सीमांत कमी
		2006–07*	वही
रत्नागिरी जीटी–I	740	2006–07*	एलएनजी आपूर्ति की बाधा/महंगी बिजली
रत्नागिरी जीटी–II	740	2006–07*	वही
ट्रांबे जीटी	180	2002–03	सीमांत कमी
		2006–07*	वही
गौतमी सीसीपीपी	0	2005–06	नई स्टेशन (अब तक कमीशंड नहीं)
		2006–07*	वही

1	2	3	4
कोनासीमा	0	2005–06	नई स्टेशन (अब तक कमीशंड नहीं)
		2006–07*	वही
वेमागिरी सीसीजीटी	370	2005–06	नई स्टेशन
		2006–07*	कम समय
कोचीन सीसीजीटी	174	2002–03	कम प्रयोग किया गया है – महंगी विद्युत
		2004–05	वही
		2005–06	वही
करूपुर	119.8	2004–05	नई स्टेशन (सिंक्रोनाइजेशन में देरी)
		2005–06	कम समय
		2006–070*	सीमांत कमी
पी नेल्लूर सीसीजीटी	330.5	2003–04	कम समय
		2004–05	वही
		2005–06	वही
		2006–07*	वही
वेलंथरावी सीसीपी	52.8	2004–05	नई स्टेशन (सिंक्रोनाइजेशन में देरी)
		2005–06	कम समय
		2006–07*	सीमांत कमी
अदमटीला जीटी (डीएलएफ पावर कं.)	24.500		आवश्यकतानुसार उपयोग
एस्सार	515	2003–04	एस्सार द्वारा ग्रिड में कम इंजेक्शन
तनीर बावी जीटी	220	प्रत्येक वर्ष	आवश्यकतानुसार उपयोग
पड्डापुरम सीसीजीटी	220	प्रत्येक वर्ष	आवश्यकतानुसार उपयोग
जेगुरुपारू सीसीजीटी	455.4	प्रत्येक वर्ष	आवश्यकतानुसार उपयोग
कोंडापल्ली सीसीजीटी	350	प्रत्येक वर्ष	आवश्यकतानुसार उपयोग
गोदावरी सीसीजीटी	208	प्रत्येक वर्ष	आवश्यकतानुसार उपयोग

* अप्रैल–अक्टूबर, 2006

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

*60. **डा. एम. जगन्नाथ :**

श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से राज्य–वार कुल कितनी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003–04 से 2005–06 के दौरान ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता और अनुमानित विद्युत उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। जैसा कि संलग्न विवरण में दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है, गत तीन वर्षों के दौरान संस्थापित क्षमता और उत्पादन, दोनों में लगातार वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में अक्षय विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रह हैं जिनमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, रियायती शुल्क और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए करों से राहत शामिल है। इनके अतिरिक्त, संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में ग्रिड–इंटरएक्टिव विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क–दर दी जा रही है। प्रिंट, डाक और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के प्रयोग के संबंध में प्रचार और जागरूकता का सृजन भी किया जा रहा है और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस जैसे विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। देश में अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वयन को सुगम बनाने के लिए राज्यों में जिला स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन भी किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता और अनुमानित विद्युत उत्पादन के राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य	2003–04 के दौरान		2004–05 के दौरान		2005–06 के दौरान	
		संयची क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट)	संयची क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट)	संयची क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	460.81	1782.24	566.66	2049.14	579.16	2935.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.50	65.00	33.70	67.40	44.30	88.60
3.	असम	2.11	4.00	2.11	4.22	2.11	4.22
4.	बिहार	45.90	91.00	45.90	91.80	50.40	100.80
5.	छत्तीसगढ़	17.00	78.00	22.00	88.00	38.50	187.00
6.	गोवा	0.05	0.10	0.05	0.10	0.05	0.10
7.	गुजरात	209.50	203.88	261.03	280.28	345.60	110.90
8.	हरियाणा	66.70	149.00	68.70	149.40	68.70	157.40
9.	हिमाचल प्रदेश	102.40	204.00	108.08	216.16	132.08	264.16
10.	जम्मू एवं कश्मीर	102.24	204.00	109.74	219.48	109.74	219.48
11.	झारखंड	4.05	8.10	4.05	8.10	4.05	8.10
12.	कर्नाटक	557.96	1419.73	837.61	1879.02	1138.61	2587.16
13.	केरल	84.62	169.00	84.62	169.24	84.62	169.24
14.	मध्य प्रदेश	62.56	110.94	71.01	121.48	82.46	123.90

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	639.08	1217.51	699.33	1255.12	1244.48	1128.41
16.	मणिपुर	5.45	10.00	5.45	10.90	5.45	10.90
17.	मेघालय	30.71	61.00	30.71	61.42	30.71	61.42
18.	मिजोरम	14.78	29.00	14.76	29.52	14.76	29.52
19.	नागालैंड	20.47	40.00	20.47	40.94	20.67	41.34
20.	उड़ीसा	7.30	14.00	7.30	14.60	7.30	14.60
21.	पंजाब	130.40	324.00	133.40	330.80	150.55	389.10
22.	राजस्थान	210.15	195.67	316.41	502.04	397.25	567.40
23.	सिक्किम	35.60	71.00	35.60	71.20	38.60	77.20
24.	तमिलनाडु	1588.36	2506.48	2287.62	3234.13	3145.26	4369.68
25.	त्रिपुरा	16.01	32.00	16.01	32.02	16.01	32.02
26.	उत्तर प्रदेश	80.50	279.00	94.50	329.00	146.60	536.20
27.	उत्तरांचल	72.45	144.00	72.45	144.90	75.45	150.90
28.	पश्चिम बंगाल	92.28	184.00	92.30	14.60	98.30	196.60
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.25	10.50	5.25	10.50	5.25	10.50
	कुल	4696.83	9607.14	6046.82	11425.51	8077.02	14572.46

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकारियों को सरकारी आवास

458. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा" : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अधिकारियों को कतिपय श्रेणियों को दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकारी आवास उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे कौन–कौन सी श्रेणियों के अधिकारी हैं जिन्हें दिल्ली के बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली के बाहर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपलब्ध सामान्य पूल आवासों के ब्यौरे:–

श्रेणी	गाजियाबाद	फरीदाबाद
टाइप–I	176	482
टाइप–II	480	832
टाइप–III	132	328
टाइप–IV	24	140
टाइप–V	08	52
टाइप–VI	–	16

(ग) सामान्य पुल रिहायशी आवास के लिए विशिष्ट रूप से पात्र घोषित कार्यालयों में कार्यरत केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारी।

लघु बचत ऋणों की पूर्व-अदायगी

457. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार से लघु

बचत ऋणों को लौटाने या पूर्व अदायगी के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) गुजरात सरकार सहित कुछ अन्य राज्य सरकारों ने ऊंची लागत होने के कारण उनके द्वारा जुटाई गई निवल लघु बचत संग्रहणों के 100 फीसदी अंतरण को स्वीकारने में आपत्तियां व्यक्त की हैं तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से ऊंची ब्याज दर वाली स्कीमों को मौजूदा कम ब्याज दर से बदलने के लिए भी अनुरोध किया है।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 2002–03 से 2004–05 तक जारी एक स्कीम पहल ही लागू कर रखी है जिसके तहत राज्यों को ऊंची ब्याज दर वाले ऋणों, जिसमें भारत सरकार को बकाया लघु बचत ऋण को एन.एस.एस.एफ. से बदला जाना और खुले बाजार से अतिरिक्त ऋण उगाही भी शामिल है, की समय से पूर्व अदायगी करने में राज्यों को समर्थ बनाया गया है। राज्य ऋण विनिमय स्कीम के तहत् गुजरात ने 9660 करोड़ रुपए के ऋणों को विनियमित किया है।

शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन

458. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वच्छता तथा मलिन बस्तियों के अलावा शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाने को प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन प्रणाली में हुई प्रगति को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जल आपूर्ति राज्यों का विषय है अतः उपलब्ध जल स्रोतों का अनुकूल प्रबंध, उपयोग और संरक्षण करने के लिए मास्टर प्लान/परियोजना प्रस्ताव आदि तैयार करना राज्य सरकार/संबंधित शहरी स्थानीय निकायों का दायित्व है।

मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन प्रणाली के सुधार के लिए दिसंबर, 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) तथा छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) नामक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं को 7 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है और विभिन्न सुधारों द्वारा जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार होगा। इस दिशा में किए गए कुछ अन्य प्रयास इस प्रकार हैं:–

(i) भवन निर्माण उप नियमों में संशोधन करते हुए भविष्य में बनने वाले सभी भवनों में बरसाती पानी संग्रहण और पानी के संरक्षण उपाय अपनाने को अनिवार्य बनाना; (ii) रिसाइक्लड पानी के पुनः प्रयोग संबंधी दिशानिर्देश; तथा (iii) इस मंत्रालय द्वारा जनवरी 2005 में प्रकाशित वितरण प्रणाली के परिचालन एवं रखरखाव संबंधी मैनुअल में भी साफ पानी के संरक्षण के लिए पानी का हिसाब रखने और रिसाव नियंत्रण पर बल दिया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के सर्वेक्षण में अपनाई जा रही पद्धति में संशोधन

459. श्री मोहन रावले : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के सर्वेक्षण, 2002 में अपनाई जा रही पद्धति में परिवर्तन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रापत हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बीपीएल जनगणना 2002 कराने की पद्धति पर सुझाव देने के लिए एक विशेष समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह द्वारा सिफारिश की गई पद्धति को राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, शिक्षाविदों और इस क्षेत्र के पेशेवरों के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद अंतिम रूप दिया जाना था। मंत्रालय को इस पद्धति में बदलाव करने संबंधी कोई विशेष प्रस्ताव नहीं मिला है, तथापि विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्यों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं को समय–समय पर दूर किया गया था।

बेल्लारी ताप विद्युत परियोजना

460. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में बेल्लारी ताप विद्युत स्टेशन को मेगा पावर परियोजना का दर्जा दिए जाने के संबंध में अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से कर्नाटक राज्य में स्थित बेलारी ताप विद्युत

केन्द्र को मेगा विद्युत परियोजना का दर्जा देने का अनुरोध किया था। भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार मेगा विद्युत परियोजना का दर्जा वर्तमान में 1000 मे.वा. एवं इससे अधिक क्षमता वाली नई ताप विद्युत परियोजनाओं को प्राप्त है। बेलारी ताप विद्युत केन्द्र को चरण–I में 500 मे.वा. क्षमता के लिए कार्यान्वित किया जा रहा था और चरण–II में इसकी क्षमता 500 मे.वा. बढ़ाने का प्रस्ताव था। बेलारी ताप विद्युत परियोजना मेगा विद्युत परियोजना का दर्जा दिए जाने हेतु निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है, अतः इसे मेगा परियोजनाओं का दर्जा प्रदान नहीं किया गया।

सहकारी बैंकों से आयकर संग्रहण

461. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार आज तक चालू वित्त वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों से कितने आयकर की वसूली की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार सहकारी बैंकों संबंधी आयकर प्रावधान को वापस लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इसे वापस लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) आयकर विभाग क्षेत्रों में बंटा है और न कि राज्यों में। अतः आज तक चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में सहकारी बैंकों से वसूली गई आयकर की राशि के संबंध में क्षेत्रवार तथा राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है। इसे संलग्न विवरण में दिया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	क्षेत्र	राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	पुणे	36.70
2.	मुम्बई	35.75
3.	बंगलौर	23.37
4.	अहमदाबाद	21.38
5.	पंजाब	9.80
6.	लखनऊ	8.24
7.	जयपुर	7.88
8.	हिमाचल प्रदेश	7.18
9.	कानपुर	6.70
10.	बरेली	5.38
11.	भोपाल	5.20
12.	हरियाणा	4.78
13.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	4.32
14.	नागपुर	4.09
15.	आंध्र प्रदेश	2.53
16.	दिल्ली	1.11
17.	केरल	00.87
18.	तमिलनाडु	00.83
19.	बिहार	00.82
20.	गुवाहाटी	00.23
21.	पश्चिम बंगाल	00.16
22.	झारखंड	00.10
23.	जम्मू एवं कश्मीर	00.01
24.	भुवनेश्वर	शून्य
25.	इलाहाबाद	शून्य
	योग	187.43

जीवन बीमा निगम में मामलों का निपटारा

462. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने पालिसी धारकों के लिए ऋणों की अदायगी, दावों का निपटान तथा बांड भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने निम्नलिखित समय–सूची निर्धारित की है:

(i) ऋण की अदायगी : सभी अपेक्षाओं के पूरा होने के तीन दिनों के भीतर।

(ii) दावों का निपटान : सभी अपेक्षाओं को पूरा होने के तीन दिनों के भीतर।

(iii) प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद पालिसी बांड्स को भेजना : पांच दिनों के भीतर।

(ग) उपर्युक्त समय–सूची को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए एलआईसी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

1. सभी शाखा कार्यालयों में प्रदर्शित नागरिक चार्टर के अनुसार पॉलिसी संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए बैंच मार्क निर्धारित किए हैं;
2. कंपनी दिशानिर्देश/कार्य योजना प्रतिवर्ष तैयार की जाती है।
3. निरीक्षणों के दौरान बैंक मार्क संबंधी निर्धारणों के कार्यान्वयन का संवीक्षण किया जाता है।
4. नेमी दौरों के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन विश्लेषण किया जाता है।
5. मंडल कार्यालय, अंचल कार्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालय द्वारा कार्य निष्पादन की निगरानी।

दिल्ली में संस्थाओं हेतु भूमि दर में वृद्धि

463. श्री जोवाकिम बखला : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में संस्थाओं हेतु भूमि दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें

464. श्री के.एस. राव : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ कौन–कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच के संबंध में विधि आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले को सुलझाने के लिए एक विधेयक तैयार करने तथा न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच के लिए एक तंत्र विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वैंकटपति) : (क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायाल के न्यायधीशों के आचार और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तिओं के आचार से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। इसी प्रकार, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) यह प्रस्ताव किया जाता है कि संसद के चालू सत्र के दौरान एक विधेयक, अर्थात् न्यायधीश (जांच) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाए, जो अन्य बातों के साथ एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् के गठन के लिए उपबंध करेगा। यह विधेयक, जिसे विधि आयोग के परामर्श से प्रारूपित किया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध आने वाली शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक न्यायिक मंच को सशक्त करने हेतु एक उचित विधायी ढांचे की संरचना करेगा।

गुवाहाटी "फेस लिफ्ट" परियोजना

465. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत गुवाहाटी "फेस लिफ्ट" परियोजना के लिए 3,100 करोड़ रु. मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित जलापूर्ति, जल निकास सीवरों तथा सड़क/परिवहन कार्य सहित परियोजना की मदवार लागत दर्शाते हुए इसकी मुख्य बातें तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने भाग का काम ठेका श्रमिक द्वारा तथा कितना कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा तथा यह किस हद तक सरकार की श्रम तथा ठेका श्रमिक नीति के अनुरूप होगा; और

(घ) कब तक उक्त परियोजना पूरी कर ली जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए मुफ्त बीमा

466. श्री परसुराम माझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को मुफ्त बीमा पालिसी का लाभ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदित्य सोलर दुकानों का खोला जाना

467. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चालू आदित्य सोलर दुकानों की संख्या कितनी है तथा ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और आदित्य सोलर दुकानें खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो इनके स्थान सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन पर कितनी राशि खर्च की जाएगी?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) मंत्रालय की तत्कालीन योजना के अंतर्गत देश में कुल 104 आदित्य सोलर दुकानें स्थापित की गई। एक संशोधित योजना के अंतर्गत अब इन दुकानों की स्थापना अक्षय ऊर्जा दुकानों के रूप में की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक दुकान की स्थापना करना है। 11 राज्यों के लिए कुल 123 अक्षय ऊर्जा दुकानें अनुमोदित की गई हैं।

आदित्य सोलर दुकानों और अक्षय ऊर्जा दुकानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इस योजना में इन दुकानों की स्थापना के लिए 7% की प्रभावी ब्याज दर पर उदार ऋणों का प्रावधान है। कुछ पात्रता शर्तों के अधीन दो वर्षों की अवधि के लिए एक आवर्ती अनुदान और 10,000 रु. प्रतिमाह का प्रोत्साहन भी उपलब्ध है।

विवरण

आदित्य सोलर दुकानों और अक्षय ऊर्जा दुकानों का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य	आदित्य सोलर दुकानें	अक्षय ऊर्जा दुकानें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18	
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	
3.	असम	1	
4.	बिहार	1	
5.	छत्तीसगढ़	1	
6.	दिल्ली	1	
7.	गुजरात	7	1
8.	हरियाणा	10	9
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1
10.	जम्मू–कश्मीर	1	
11.	झारखंड	2	5
12.	कर्नाटक	1	22
13.	केरल	3	5
14.	मध्य प्रदेश	1	
15.	महाराष्ट्र	7	5
16.	मणिपुर	1	
17.	मिजोरम	3	
18.	नागालैंड	2	
19.	उड़ीसा	2	
20.	पांडिचेरी	1	
21.	पंजाब	2	12
22.	राजस्थान	2	
23.	सिक्किम	1	
24.	तमिलनाडु	3	4
25.	त्रिपुरा	2	

1	2	3	4
25.	उत्तर प्रदेश	11	54
27.	उत्तरांचल	5	5
28.	पश्चिम बंगाल	8	
	कुल	104	123

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा

468. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे कौन–कौन सी कॉलोनियां हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण करके बसी हैं;

(ख) क्या दि.वि.प्रा. के अधिकारियों ने परोक्ष रूप से दि.वि.प्रा. की भूमि पर कब्जा किया है;

(ग) क्या यह सच है कि दि.वि.प्रा. के अवैध कब्जे को मुक्त कराने में कठिनाई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दि.वि.प्रा. के अधिकारियों की भूमिका की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित बैंक

469. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनुसूचित तथा गैर–अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गैर–अनुसूचित बैंकों को अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में लाने की कोई समयबद्ध कार्ययोजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गैर–अनुसूचित बैंकों के ग्राहकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यमान व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपर्युक्त संदर्भ में कोई सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में 109 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 4 गैर–अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित कुल 194 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक परिचालन कर रहे थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर गैर–अनुसूचित बैंकों सहित बैंकों द्वारा दी जा रही ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार लाने का प्रयास करता है कि ग्राहकों के हितों की पर्याप्त ढंग से सुरक्षा हो। इस संबंध में की गई पहलों/उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- श्री एम.एन. गोईपोरिया की अध्यक्षता वाली ग्राहक सेवा संबंधी समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन;
- लोक सेवा प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखा–परीक्षा संबंधी स्थाई समिति का गठन;
- बैंकों द्वारा आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना;
- व्यापक आधार वाली संशोधित ओमबड्समैन योजना, 2006 को परिचालन में लाना;
- स्थापित सर्वोत्तम उद्योग संहिताओं और मानकों की तुलना में बैंकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड की स्थापना;
- बैंकों से सभी सेवा प्रभारों और शुल्कों आदि के ब्यौरे का अपनी वेबसाइटों और अन्यत्र प्रकाशन और अद्यतन किए जाने की अपेक्षा।

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो रेल

470. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो के तीनों कोरीडोरों में यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम के पास अपनी बारंबारिता बढ़ाने तथा रात्रि तथा प्रातःकाल अपनी सेवाएं बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) ने यह सूचित किया है कि दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है।

(ख) औसतन लगभग 4.6 लाख यात्री प्रतिदिन मेट्रो सेवा का उपयोग कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मौजूदा रेवेन्यू घंटों के दौरान गाड़ियों की बारम्बारता उपरोक्त (ख) में दिए गए औसत यात्रियों को वहन करने के लिए पर्याप्त है। रात्रि सेवा शुरू करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 10 बजे रात्रि के बाद यात्रियों की संख्या पर्याप्त नहीं होती।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण में घोटाला

471. श्री रशीद मसूद : क्या **शहरी विकास मंत्री** दिल्ली विकास प्राधिकरण में घोटाले के बारे में 3 मार्च, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1431 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक जानकारी एकत्र कर ली जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) संबंधित एजेंसियों से पूरी सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

स्थायी खाता संख्या संबंधी कार्य की आउटसोर्सिंग

472. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या संबंधी कार्डों को जारी करने का कार्य आउटसोर्स कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थायी खाता संख्या कार्डों की सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इसे क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) इसे यू टी आई टेक्नालॉजी सर्विसेज लिमिटेड (यू टी आई एस एल) एवं नेशनल सिक्योरिटी डिपोज़िटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) को आउटसोर्स कर दिया गया है

(ग) पैन प्रणाली में बायोमेट्रिक फीचर्स के प्रयोग की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया गया है।

(घ) समूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों में मामलों का इलैक्ट्रॉनिक रूप में दायर किया जाना

473. श्री एल. राजगोपाल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्टूबर, 2006 से एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड उच्चतम न्यायालय में इंटरनेट के माध्यम से मामला दायर कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी उच्च न्यायालयों में इलैक्ट्रानिक फाइलिंग शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी, हां।

(ख) वेबसाइट www.supremecourtofindia.nic.in से प्राप्त किए गए ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) इस समय सरकार ने इस संबंध में कोई विनिश्चय नहीं किया है।

विवरण

ई–फाइलिंग रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुदेश

- उच्चतम न्यायालय की ई–फाइलिंग सुविधा को पहली बार उपयोग करने वाले व्यक्ति को 'साइन अप' विकल्प के माध्यम से स्वयं को रजिस्टर करना होगा।
- 'ई–फाइलिंग' के माध्यम से केवल अभिलेख अधिवक्ता और यात्री स्वयं भारत के उच्चतम न्यायालय में मामले फाइल कर सकता है।

- यदि आप 'अभिलेख अधिवक्ता' हैं तभी अधिवक्ता विकल्प का चयन करें, अन्यथा यदि आप स्वयं याची हैं तो 'इन पर्सन' विकल्प का चयन करें।
- पहली बार रजिस्ट्रीकरण के लिए पता, संपर्क ब्यौरे, ई–मेल पहचान आदि जैसे निजी ब्यौरों को, जो आज्ञापक हैं, दिए जाने की आवश्यकता होगी।
- अभिलेख अधिवक्ता के लिए, 'लॉगइन – पहचान' उसका कोड (अभिलेख अधिवक्ता कोड) होगा, जबकि 'स्वयं व्यक्ति' 'साइन अप' विकल्प के माध्यम से अपना लॉगइन – पहचान का सृजन करेगा। तत्पश्चात् पासवर्ड को दिए जाने की आवश्यकता होगी। एक बार आज्ञापक अपेक्षाओं को उचित रूप से भरे जाने तक लॉगइन–पहचान और पासवर्ड का सृजन हो जाएगा।
- सफल लॉगइन के पश्चात् स्क्रीन पर 'अस्वीकरण स्क्रीन' सामने आती है।
- अस्वीकरण पर 'मैं सहमत हूं' बटन दबाने से उपयोक्ता को आगे और कार्यवाही करने की अनुमति मिलती है, जबकि 'मैं स्वीकार नहीं करता हूं' बटन दबाने से नियंत्रण वापस लागइन स्क्रीन पर चला जाता है।
- सफल लागइन के पश्चात् उपयोक्ता इलैक्ट्रानिक रूप से मामले को फाईल कर सकता है।
- 'नया मामला' विकल्प उपयोक्ता को एक नया मामला फाईल करने की अनुमति देता है।
- 'उपांतरण' विकल्प किसी उपयोक्ता को पहले से ई–फाईल मामले में परिवर्तन करने की अनुमति देता है, परन्तु न्यायालय फीस के संदाय का विकल्प का आह्वान नहीं किया गया हो।
- न्यायालय फीस का संदाय केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड से ही किया जा सकता है।
- इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किए गए मामले में सामने आने वाले दोषों का उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा अधिवक्ता/याची को ई–मेल किया जाएगा।
- और सहायता के लिए 'सहायता' विकल्प उपलब्ध है।

सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव

474. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आवासीय भवनों के अनुरक्षण के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पर कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) टाइप–I से II क्वार्टरों में भीतरी और बाहरी रंग–रोगन को ट्राई डिस्टेंपर के स्थान पर प्लास्टिक पेंट से करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वर्तमान सीमेंट फर्श के स्थान पर मार्बल/टाइल के फर्श बिछाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या प्रारूपों (डिजाइन) में अंतर होने पर टाईप–III क्वार्टरों के क्षेत्रफल में अंतर है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सभी टाईप–III क्वार्टरों में समान क्षेत्रफल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जनवरी, 2006 के विनिर्देशों के अनुसार टाईप–I से III तक के नए क्वार्टरों के आंतरिक दीवारों की पुताई एक्रीलिक इमलशन/ऑयल बाउंड डिस्टेंमपर से की जाती है। तथापि पुराने टाईप–I से II तक के क्वार्टरों में आंतरिक सज्जा सफेदी/ड्राई डिस्टेंपर से करने के बजाय अन्य सामग्री से करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन मकानों की बाह्य सज्जा चरणबद्ध रूप से सफेदी/सीमेंट पेंट से बदलकर एक्रीलिक पेंट से की जा रही है।

(घ) टाईप–I से III तक के क्वार्टरों में मौजूदा सीमेंट फर्श के स्थान पर मार्बल/टाईल फर्श मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि खाली होने पर क्वार्टरों के उन्नयन के रूप में मौजूदा सीमेंट फर्श के स्थान पर मोजेक फर्श बनाया जा रहा है।

(ङ) और (च) सामान्य पूल रिहायशी आवास के मामले में अनुमोदित क्षेत्र मानकों का अनुपालन किया जाता है। भिन्न क्वार्टरों का डिजाइन क्षेत्र विनिर्देशनों व भवन निर्माण उप नियमों का अनुसरण करते हुए अवस्थिति, शहरी स्वरूप, प्रतिवेश आदि के अनुसार वास्तुकों द्वारा तैयार किया जाता है। अलग–अलग डिजाइनों में कमरों, उपयोगिताओं व चलने–फिरने आदि के लिए क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाता है। यह कार्य निर्धारित कुरसी क्षेत्र मानकों के अनुसार स्थानीय निकायों, दिल्ली नगर कला आयोग आदि के अनुमोदन से किया जाता है। विभिन्न स्वीकार्य डिजाइनों के क्षेत्रफलों में मामूली सी भिन्नताएं हैं। इसके अलावा विभिन्न समयों में निर्मित मकानों के क्षेत्रफलों में निर्माण के समय लागू मानदण्डों के कारण भिन्नताएं हैं।

[हिन्दी]

शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रस्ताव

475. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्यवार शहरी क्षेत्र विकास के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रस्तावों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत प्रस्तावों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी व प्रयोग में लाई गई;

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या विश्व बैंक इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास में भारत की स्थिति

476. श्री स्वदेश चक्रवर्ती : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में भारत की स्थिति निम्न है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों तथा अन्य विकसित और विकासशील देशों द्वारा नए आविष्कारों के लिए पेटेंट हेतु कितने आवेदन दिए हैं; और

(ग) भारत में अनुसंधान और विकास में धीमी गति से हो रही प्रगति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) अनुसंधान और विकास के लिए संसाधनों और अवसंरचना की उपलब्धता को देखते हुए अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में भारत की स्थिति की कोई तुलना नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में अन्तर्राष्ट्रीय तुलना की माप मुख्यतः सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर व्यय की दृष्टि से की जाती है। वर्तमान में, जी डी पी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर भारत का व्यय 0.80 है जो संयुक्त राज्य अमरीका में 2.67, चीन में 1.23 और पाकिस्तान में 0.27 की तुलना में है।

(ख) वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों और अन्य विकसित तथा विकासशील देशों द्वारा नए आविष्कार के लिए आवेदित पेटेंटों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार ने भारत में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप को प्रोत्साहित करने के लिए समय–समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। तदनुसार, सरकार ने वैज्ञानिक विभागों/एजेन्सियों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना परिव्यय को 9वीं योजना में 12,022 करोड़ रु. से बढ़ाकर 10वीं योजना में 25,243 करोड़ रु. कर दिया है तथा 11वीं योजना में इसे और बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए अनुदानों के रूप में सहायता, विभिन्न वैज्ञानिक और आर्थिक मंत्रालयों के क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता, अनुसंधान और विकास व्यय पर आयकर राहत, प्रायोजित अनुसंधान के लिए भारित कर कटौती, सरकारी सहायता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में प्रयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क की छूट, उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास के लिए करावकाश एवं राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे अनेक राजकोषीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सहायता उपायों के माध्यम से उद्योग और संस्थान दोनों में अनुसंधान और विकास पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं।

विवरण

वर्ष 2002–03 से 2004–05 में भारतीय पेटेंट कार्यालय (आई पी ओ) में पेटेंटों के लिए आवेदन

आवेदक	2002–03	2003–04	2004–05
भारतीय	2693	3218	3630
विदेश में निवासी	1724	1678	3165

स्रोत: पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक की वार्षिक रिपोर्ट

टिप्पणी : विदेश में निवासी के अंतर्गत व्यापक रूप से कॉमनवेल्थ देशों, अमेरिकी, यूरोपीय, आफ्रीकी और एशियाई देशों के निवासी शामिल हैं।

वर्ष 2002–03 से 2004–05 में पी सी टी के माध्यम से पेटेंटों के लिए दर्ज आवेदनपत्र

पी सी टी आवेदन पत्र	2002–03	2003–04	2004–05
भारतीय*	525	764	723
विदेश में निवासी	7049	7717	10671

* आंकड़े कैलेंडर वर्ष के संदर्भ में हैं।

स्रोत : पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक की वार्षिक रिपोर्ट

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू आई पी ओ), जेनेवा www.wipo.int

टिप्पणी : विदेश में निवासी के अंतर्गत व्यापक रूप से कॉमनवेल्थ देशों, अमेरिकी, यूरोपीय, आफ्रीकी और एशियाई देशों के निवासी शामिल हैं।

भारतीय आवेदनपत्रों में पी सी टी निर्दिष्ट बाहर के देशों के माध्यम से भारतीयों द्वारा दर्ज पेटेंट शामिल हैं।

विदेश में निवासी में पी सी टी निर्दिष्ट भारत के माध्यम से दर्ज पेटेंट शामिल हैं।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

477. श्री एस.के. खारबेन्थाम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में अनधिकृत कालोनियों और फार्म हाउसों के नियमितिकरण का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सरकार ने फार्म हाउसों के साथ–साथ समाज के सम्पन्न वर्गों के निवास वाली अनधिकृत कालोनियों के रूप में अनधिकृत विकास से संबंधित मुद्दों की जांच करने तथा दिल्ली के नियोजित विकास के संदर्भ में इस मामले से निबटने के लिए व्यापक नीति की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री के.के. माथुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन दिनांक 21 जुलाई, 2006 को किया था। समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं:–

1.	श्री के.के. माथुर, सेवा निवृत्त सचिव, भारत सरकार	–	अध्यक्ष
2.	श्री ई.एफ.एन. रिबेरो, भूतपूर्व निदेशक, एएमडीए	–	सदस्य
3.	प्रो. ए.जी.के. मेनन, निदेशक, टीवीबी स्कूल ऑफ हैबिटाट स्टडीज	–	सदस्य
4.	श्री डी.एस. मेशराम, सेवानिवृत्त मुख्य नियोजक, टीसीपीओ	–	सदस्य
5.	श्री दिनेश राय, उपाध्यक्ष, डीडीए	–	सदस्य संयोजक

विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:–

(i) फार्म हाऊसों तथा सोसायटी के 'संपन्न वर्गों के निवास वाली अनधिकृत कालोनियों के रूप में अनधिकृत विकास की सीमा का आकलन करना;

(ii) इस बात की जांच करना तथा सिफारिश करना कि क्या उपर्युक्त (i) में उल्लिखित अनधिकृत विकास को नियमित करना व्यवहार्य तथा/या वांछनीय है;

(iii) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों के नियमितिकरण हेतु निबंधनों एवं शर्तों और दिशानिर्देशों के निर्धारण के लिए व्यापक सिद्धांतों, जिसमें विशेषकर निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया हो, की सिफारिश करना:–

(क) नियमितिकरण हेतु ऐसे अनधिकृत विकास वाले क्षेत्रों की पहचान करना;

(ख) ऐसे क्षेत्रों के नियमितिकरण एवं भावी विकास को विनियमित करने के लिए योजना एवं विकास नियंत्रण मानदंड;

(ग) परिवर्तन प्रभार लगाना या भूमि की लागत की वसूली करना जो इस पर निर्भर करेगा कि क्या ऐसा विकास क्रमशः निजी या सरकारी भूमि पर हुआ है तथा ऐसे अनधिकृत विकास, यदि कोई हो, के लिए जुर्माना लगाना;

(घ) स्थानीय निकायों द्वारा मुहैया करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं और सेवाओं के लिए विकास प्रभार लगाना तथा ऐसे अनधिकृत विकास के लिए नियमितिकरण, यदि कोई हो, के लिए हर्जाने/प्रशमन फीस का भुगतान;

(ङ) दिल्ली के नियोजित विकास की समग्र प्रक्रिया में ऐसे अनधिकृत क्षेत्रों को समेकित करने हेतु व्यवहार्य क्षेत्र/भू–विन्यास योजनाओं के लिए बुनियादी सिद्धांत एवं दिशानिर्देश;

(iv) भविष्य में ऐसे अनधिकृत विकास को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश करना; तथा

(v) उपर्युक्त विचारार्थ विषयों में से किसी भी विषय का आनुषंगिक या उससे संबंधित कोई अन्य मामला।

समिति को अपनी सिफारिशें दिनांक 31.12.2006 तक प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

इस मंत्राय को किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा ऐसी समितियों का गठन किए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

दिल्ली में अवैध निर्माण

478. श्रीमती मेनका गांधी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में अवैध निर्माणों को सील किए जाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन एमसीडी/डीडीए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है, जो चाहे सेवानिवृत्त हों अथवा सेवा में हों, जिनके कार्यकाल में अवैध निर्माण हुआ है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन रिहायशी परिसरों को सील करने का आदेश दिया है, जिनका प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि 8.11.2006 से 21.11.2006 तक की अवधि के दौरान कुल 1266 इकाइयां सील की गई हैं।

(ग) अवैध निर्माण में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है। दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण में संलिप्त पाए गए कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त गरीबी उपशमन कार्यक्रम

479. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में विश्वब बैंक की सहायता से शुरू की गई गरीबी उपशमन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक योजना की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्माण कार्य में महिलाएं

480. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्माण कार्य में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपनी 'राष्ट्रीय आवास नीति' में इस मुद्दे को शामिल किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) जी, हां। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य कार्य में कौशल उन्नयन करना और पर्यवेक्षण स्तर पर महिलाओं को शामिल करना तथा महिलाओं को संविदाकार बनने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। इस मामले में सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा पहल करने की अपेक्षा है। प्रस्तावित नीति में यह भी व्यवस्था है कि प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं का नामांकन प्राथमिकता आधार पर किया जाएगा और निर्माण कार्यकलाप, जो खतरनाक किस्म के हैं, में लगे सभी कर्मियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए परियोजना निष्पादित करने वाले प्राधिकरणों द्वारा पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे। निर्माण स्थलों पर आधुनिक तकनीकों और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और इनका दृढ़ता से अनुपालन करने तथा अनुपालन न करने पर दण्ड (पैनल्टी) सुनिश्चित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा निर्माण स्थल पर क्रेच और अस्थाई आवास जैसी सहायक सेवाएं मुहैया की जाएंगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जीव विज्ञान संस्थान

481. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जीव विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु 2 करोड़ रु. का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश की ओर से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जीवन विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में त्वरित जलापूर्ति योजना

482. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित विकास जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत योजनाओं की राज्यवार प्रगति कितनी है;

(ख) क्या योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) उत्तर प्रदेश के किन शहरों में त्वरित जलापूर्ति योजना क्रियान्वित की गई है;

(घ) क्या इन शहरों में यह योजना धीमी गति से प्रगति कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत कार्य को शीघ्र करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) एयूडब्ल्यूएसपी के तहत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई एयूडब्ल्यूएसपी परियोजनाओं के ब्यौरे तथा स्थिति संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) जी, हां। सामान्यतः किसी स्कीम के पूर्ण होने के लिए 2 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि अपेक्षित है।

(ग) उत्तर प्रदेश के शहरों जहां एयूडब्ल्यूएसपी कार्यान्वित की गई/की जा रही है, की सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) और (ङ) स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक है, क्योंकि नवम्बर, 2002 महीने तक उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए एयूडब्ल्यूएसपी के तहत संस्वीकृत 390 परियोजनाओं में से 214 परियोजनाएं शुरु/अंशतः/शुरु कर ली गई हैं। नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठकों में प्रत्येक परियोजना की प्रगति की ठोस समीक्षा की जा रही है और जरूरत पड़ने पर वास्तविक निरीक्षण भी किया जाता है।

विवरण-I

केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) शुरू की गई/अंशतः शुरू की गई स्कीमों की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत स्कीमों की कुल सं.	पूर्ण/शुरू की गई/ अंशतः शुरू की गई स्कीमों की संख्या	चल रही स्कीमें
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	42	12	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	2
3.	असम	21	5	16
4.	बिहार	33	8	25
5.	छत्तीसगढ़	42	27	15
6.	गोवा	4	2	2
7.	गुजरात	70	49	21
8.	हरियाणा	38	30	8
9.	हिमाचल प्रदेश	16	13	3
10.	जम्मू और कश्मीर	15	3	12
11.	झारखंड	16	6	10
12.	कर्नाटक	45	34	11
13.	केरल	13	1	12
14.	मध्य प्रदेश	147	58	89
15.	महाराष्ट्र	37	17	20
16.	मणिपुर	26	18	8
17.	मेघालय	2	1	1
18.	मिजोरम	8	8	0
19.	नागालैंड	2	2	0
20.	उड़ीसा	35	20	15
21.	पंजाब	16	9	7
22.	राजस्थान	72	47	25
23.	सिक्किम	2	2	0
24.	तमिलनाडु	93	81	12
25.	त्रिपुरा	12	5	7
26.	उत्तर प्रदेश	390	214	176
27.	उत्तरांचल	22	16	6
28.	पश्चिम बंगाल	22	7	15
	कुल	1244	696	548

विवरण-II

क्रम सं.	शहर का नाम	जिला
1	2	3
1.	करहल #	मैनपुरी
2.	हस्तिनापुर #	मेरठ
3.	जलालि #	अलीगढ़
4.	जत्तरि #	अलीगढ़
5.	हर्दुआगंज #	अलीगढ़
6.	खेरगई #	आगरा
7.	हल्दौर #	बिजनौर
8.	उमरिकलन #	मुरादाबाद
9.	निधौलिकलन #	एटा

1	2	3
10.	रय #	मथुरा
11.	मरेह्र #	एटा
12.	अछ्नेर #	आगरा
13.	सस्नि #	अलीगढ़
14.	घिरोरे #	मैनपुरी
15.	तुलसीपुर #	गोंडा
16.	गोल बाजार #	गोरखपुर
17.	मेहनगर #	आजमगढ़
18.	जियनपुर #	आजमगढ़
19.	अजमलगढ़ #	आजमगढ़
20.	घुघुलि #	महाराजगंज
21.	रेओति #	बलिया
22.	सिकंदरपुर #	बलिया
23.	कररि #	इलाहाबाद
24.	बंस्दिह #	बलिया
25.	चंदौली #	वाराणसी
26.	बकेवर #	इटावा
27.	लख्न #	इटावा
28.	कुल्पहर #	हमीरपुर
29.	झिंझक #	कानपुर
30.	बिथूर #	कानपुर
31.	नरैनी#	बांदा
32.	तिर्वगंज #	फर्रुखाबाद
33.	तल्गराम #	फर्रुखाबाद
34.	नवाबगंज #	उन्नाव
35.	नेओतिन #	उन्नाव
36.	मोहन #	उन्नाव
37.	संदि #	हरदोई
38.	पाली #	हरदोई
39.	इस्लामपुर #	बदायुँ
40.	सिंधै भरोर #	लखीमपुर खीरी
41.	कत्र #	शाहजहांपुर
42.	बिलरिअगंज #	आजमगढ़
43.	रामनगर #	बाराबंकी
44.	संकर्गह #	इलाहाबाद
45.	धोरवल #	सोनेभद्र
46.	सिधौर #	बाराबंकी
47.	चोपन **	सोनभद्र
48.	बी.वी. नगर #	बुलंदशहर
49.	दौरल #	मेरठ
50.	फरिदपुर #	बरेली
51.	उसवन #	बदायुँ
52.	सौरिक #	फर्रुखाबाद
53.	हरइया #	बस्ती
54.	हरिहरपुर #	बस्ती
55.	बंसगांव #	गोरखपुर
56.	बीकापुर #	फैजाबाद
57.	सराय अकील #	इलाहाबाद
58.	दुधी **	सानेभद्र
59.	पाली #	ललितपुर
60.	ओरन #	बांदा
61.	रिसिअ बाजार #	बहरीच
62.	झलु #	बिजनौर
63.	अद्रि #	मउ
64.	अत्सु #	इटावा
65.	हरगांव #	सीतापुर
66.	पुरवा #	उन्नाव
67.	पुखरयन #	कानपुर (देहात)

1	2	3
68.	बिशारत गंज #	बरेली
69.	नरोर #	बुलंदशहर
70.	जहांगीरपुर #	बुलंदशहर
71.	चत्तरि #	बुलंदशहर
72.	बिलासपुर #	बुलंदशहर
73.	ककोरे #	बुलंदशहर
74.	अलुम #	मुजफ्फरनगर
75.	बनत #	मुजफ्फरनगर
76.	अम्बफपुर #	अंबेडकरनगर
77.	ज्योति खुरिअ #	मैनपुरी
78.	नै बाजार #	भदोही
79.	रसुलबाद #	उन्नाव
80.	सिवल खास #	मेरठ
81.	कतेर #	झांसी
82.	जहानाबाद #	पिलीभीत
83.	कलिनगर #	पिलीभीत
84.	बर्वर #	लखीमपुर
85.	उसेहत #	बदायुँ
86.	फैजगंज बेहत #	बदायुँ
87.	मतौंध #	बांदा
88.	कर्नवल #	मेरठ
89.	फरिह #	फिरोजाबाद
90.	मंझोलिराज #	देवरिया
91.	इतिफ्तगंज #	अंबेडकर नगर
92.	भदर्स #	फैजाबाद
93.	मोहम्मदाबाद #	फर्रुखाबाद
94.	छर्र#	अलीगढ़
95.	पिल्खन #	अलीगढ़
96.	सह्पी #	हाथरस
97.	सहनपुर #	बिजनौर
98.	बहरत्गंज #	इलाहाबाद
99.	शेरगढ़ #	बरेली
100.	सिरौली #	बरेली
101.	अकबरपर #	कानपुर (देहात)
102.	शाहगंज #	जौनपुर
103.	गोहंद #	हमीरपुर
104.	खरेल #	माहोबा
105.	फतेहपुर चौरसि #	उन्नाव
106.	तिंदुरि #	बांदा
107.	सरिल #	हमीरपुर
108.	बिधूना #	औरैय्या
109.	किथौर #	मेरठ
110.	सुरियवन #	रविदास नगर
111.	मनकपुर #	गोंडा
112.	रनिपुर #	झांसी
113.	चीरगांव #	झांसी
114.	महरोनि #	ललितपुर
115.	अमिल नगर #	मउ
116.	अलीगंज #	एटा
117.	बर्हपुर #	बिजनौर
118.	तल्बेहत #	ललितपुर
119.	अह्रौर #	मिर्जापुर
120.	राजा का रामपुर #	एटा
131.	विजयार्ह #	अलीगढ़
132.	स्वर #	रामपुर
133.	शम्साबाद #	फर्रुखाबाद
134.	अचल्द #	औरैय्या
135.	केराकत #	जौनपुर

1	2	3
136.	एम्कोल #	कुशिनगर
137.	मुसाफिरखाना #	सुलतानपुर
138.	बर्हलगंज #	गोरखपुर
139.	कछ्व #	मिर्जापुर
140.	सोहरत्गार्ह #	सिद्धार्थनगर
141.	सरैमीर #	आजमगढ़
142.	मौरवन #	उन्नाव
143.	चौमुह **	मथुरा
144.	खानपुर #	बुलंदशहर
145.	भिंग #	श्रवस्ति
146.	औरस #	उन्नाव
147.	दिबियापुर **	औरैय्या
148.	मुंदेरबजर #	गोरखपुर
149.	सेवरहि #	कुशिनगर
150.	कप्तानगंज #	कुशिनगर
151.	कौरियगंज #	अलीगढ़
152.	सिसौली #	मुजफ्फरनगर
153.	भत्पर्रनि #	देवरिया
154.	बुग्रसि #	बुलंदशहर
155.	इकौन **	श्रवस्ति
156.	कछ्ल #	बुदौन
157.	हत	कुशिनगर
158.	गोसैगंज #	फैजाबाद
159.	दोहरिघत #	मउ
160.	सैंथल #	बरेली
161.	मंडावर #	बिजनौर
162.	खद #	कुशिनगर
163.	सैदपुर #	बुदौन
164.	नवाबगंज #	गोंडा
165.	कोएरिपुर #	सुल्तानपुर
166.	मोहम्मदाबाद गोहन	मउ
167.	साफीपुर #	उन्नाव
168.	हसैन #	हाथरस
169.	उंचहर #	रायबरेली
170.	शाहपुर #	मुजफ्फरनगर
171.	रबुपुर #	जी.बी. नगर
172.	बेहत #	सहारनपुर
173.	गंज्मोरादबाद #	उन्नाव
174.	अफ्जलाई #	बिजनौर
175.	सुलतानपुर चिल्कन #	सहारनपुर
176.	मलीहाबाद #	लखनऊ
177.	इग्लस #	अलीगढ़
178.	पिपिगंज **	गोरखपुर
179.	दरिअबाद	बाराबंकी
180.	मुर्शन #	हाथरस
181.	अमिनगर सराय #	बागपत
182.	फफुद #	औरैय्या
183.	देओरनिअ #	बरेली
184.	बबरपुर अजीतमल **	औरैय्या
185.	हैदराबाद #	उन्नाव
186.	सिंधौलि #	सीतापुर
187.	रिथोर #	बरेली
188.	लालगंज #	रायबरेली
189.	प्रिविशत्गार्ह #	मेरठ
190.	अम्बेहत् **	सहारनपुर
191.	खर्खोद **	मेरठ
192.	फलौद **	मेरठ
193.	बबुगार्ह **	गाजियाबाद

1	2	3
194.	चर्थवल	मुजफ्फरनगर
195.	जलालाबाद **	मुजफ्फरनगर
196.	स्विव बाजार	महाराजगंज
197.	आनंदनगर	महाराजगंज
198.	निजामाबाद **	आजमगढ़
199.	अतरौली *	आजमगढ़
200.	रामपुर कारखाना	देवरिया
201.	तिकैतनगर #	बाराबंकी
202.	थित्वरगांव **	बलिया
203.	बिलहौर #	कानपुर नगर
204.	अग्रवाल मंडी	बागपत
205.	मीरगंज **	बरेली
206.	फूलपुर	इलाहाबाद
207.	सर्स्वन **	सहारनपुर
208.	ककोरि	लखनऊ
209.	अमेठी	लखनऊ
210.	गौरी बाजार #	देवरिया
211.	चकिया	चंदौली
212.	हैदरगढ़ **	बाराबंकी
213.	कादीपुर	सुलतानपुर
214.	कोरॉन	इलाहाबाद
215.	पिंहत #	आगरा
216.	दोस्तपुर	सुलतानपुर
217.	मछलीशहर	जौनपुर
218.	शामशाबाद #	आगरा
219.	मधोगंज	हरदोई
220.	बब्रल	बुदौन
221.	सहवर #	एटा
222.	मोहनपुर #	एटा
223.	सकीत #	एटा
224.	लवर #	मेरठ
225.	पहासु #	बुलंदशहर
226.	बरुआसागर	झांसी
227.	अमनपुर #	एटा
228.	भर्गेन #	एटा
229.	अमेठी	सुलतानपुर
230.	फतेहाबाद #	आगरा
231.	चुर्क गुर्म	सोनेभद्र
232.	जर्वल	बहरीच
233.	निवाडी #	घजिअ
234.	मनियर	बलिया
235.	धोसिअ बाजार	रवि दास नगर
236.	बिल्थर रोड़	बलिया
237.	सहत्वर	बलिया
238.	हंदिय	इलाहाबाद
239.	सदत	गाजीपुर
240.	पय्पेंग्र	बलरामपुर
241.	बर्सन	मथुरा
242.	नकुर #	सहारनपुर
243.	खमरिअ	रविदास नगर
244.	महाराजगंज	गोरखपुर (महाराजगंज)
245.	बिलराम	एटा
246.	अवगर्ह	एटा
247.	धनौर	जे.पी. नगर
248.	साहसपुर **	बिजनौर
249.	जोय	जे.पी. नगर
250.	मरिअहु	जौनपुर

1	2	3
251.	पट्टी	प्रतापगढ़
252.	बाहुआ	फतेहपुर
253.	दस्ना	गाजियाबाद
254.	केमरि	रामपुर
255.	कदौर	जालौन
256.	दातागंज	बुदौन
257.	महवन	मथुरा
258.	किरथ्लि	मैनपुरी
259.	इक्दिल	इटावा
260.	कम्पिल्ल	फर्रुखाबाद
261.	कत्र मेदिनिगंज	प्रतापगढ़
262.	जंगिपुर	गाजीपुर
263.	गरौथ	झांसी
264.	जांसथ	मुजफ्फरनगर
265.	रामपुरा	जालौन
266.	बलदेव	मथुरा
267.	फराह	मथुरा
268.	गोवर्धन	मथुरा
269.	कोदजहनबाद	फतेहपुर
270.	जसवंत नगर **	इटावा
271.	कुरर	हमीरपुर
272.	अंतु	प्रतापगढ़
273.	सखनु	बुदौन
274.	रुदयन	बुदौन
275.	जैथ्र	एटा
276.	कुसुमर	मैनपुरी
277.	कोतर	जालौन
278.	मधोगर्ह	जालौन
279.	उमरि	जालौन
280.	बेसवन	अलीगढ़
281.	मुंदिअ	बुदौन
282.	बेवर	मैनपुरी
283.	बबेरु	बांदा
284.	जाग्नेर #	आगरा
285.	बह	आगरा
286.	रुर	कानपुर देहात
287.	सिकेंदर	कानपुर देहात
288.	शिवाली	कानपुर देहात
289.	अग्रौध	कानपुर देहात
290.	मेंदु	हाथरस
291.	सुमरपुर	हमीरपुर
292.	जलालाबाद	बिजनौर
293.	कमालगंज	फर्रुखाबाद
294.	उझरि	जे.पी. नगर
295.	कुंदर्कि	मुरादाबाद
296.	गंगापुर	वाराणसी
297.	सिधपुरा	एटा
298.	छत	मथुरा
299.	किस्नि	मैनपुरी
300.	कुर्सथ	उन्नाव
301.	बिघपुर	उन्नाव
302.	ग्यनपुर	रवि दास नगर
303.	मिलक	रामपुर
304.	तिकरि	बागपत
305.	अलपुर	बुदौन
306.	वजीर गंज	बुदौन
307.	महोन	लखनऊ
308.	भोगांव	मैनपुरी

1	2	3
309.	इतौंज	लखनऊ
310.	दोघत	बागपत
311.	शिव्रजपुर	कानपुर
312.	उगु	उन्नाव
313.	औरंगाबाद	बुलंदशहर
314.	किशनपुर	फतेहपुर
315.	बह्सुम	मेरठ
316.	एरिच	झांसी
317.	गुर्सरै	झांसी
318.	महराजगंज	रायबरेली
319.	पर्शदेपुर	रायबरेली
320.	तित्रोन	सहारनपुर
321.	बन्नवन	रायबरेली
322.	गुन्नौर	बुदौन
323.	सलोन	रायबरेली
324.	कुंद	प्रतापगढ़
325.	ओएल धकुअ	एलकेएचआई एमपीयूआर–खेरी
326.	ननौत	शरनपुर
327.	अनूपशहर	बुलंदशहर
328.	धौरहर	एलकेएचआई एमपीयूआर–खेरी
329.	कथधर लालगंज	आजमगढ़
330.	बिल्संद	पिलीभीत
331.	गर्हि पुख्त	मुजफ्फरनगर.
332.	कंथ	शाहजहांपुर
333.	टीएचआईआरआईवायए–निजमत्खन	बरेली
334.	बघदुर्गंज	गाजीपुर
335.	भरवारी	कौशाम्बि
336.	मंझनपुर	कौशाम्बि

1	2	3
337.	भगवंत नगर	उन्नाव
338.	लाल गोपाल गंज	इलाहाबाद
339.	नेओरिअ हुसैनपुर	पिलीभीत
340.	शीश्गर्ह	बरेली
341.	रिछ	बरेली
342.	महोलि	सीतापुर
343.	खागा	फतेहपुर
344.	मनिकपुर	चित्रकूत
345.	फतेहगंज (इएएसटी)	बरेली
346.	तम्बोउर	सीतापुर
347.	डालमऊ	रायबरेली
348.	सिरसा	इलाहाबाद
349.	पैंतेपुर	सीतापुर
350.	भोकेहिंद	मुजफ्फरनगर
351.	मौऐम	इलाहाबाद
352.	प्रतापगढ़ सिटी	प्रतापगढ़
353.	कचौन	हरदोई
354.	बेनिगंज	हरदोई
355.	गोपिगंज	संत रविदास नगर
356.	मिश्रित चुम–नीम्सर	सीतापुर
357.	दीवान	बाराबंकी
358.	अल्लगंज	शाहजहांपुर
359.	नंदगांव	मथुरा
360.	चैल	कौशाम्बि
361.	मैलनि	लखीमपुर खीरी
362.	गोपमौ	हरदोई
363.	शहि	बरेली
364.	गोसैगंज	लखनऊ
365.	अम्हुअ	कौशाम्बि

1	2	3
366.	सिकेंदेरपुर	कन्नौज
367.	कुंवरगांव	बुदौन
368.	सिरथु	कौशाम्बि
369.	बिल्सि	बुदौन
370.	स्वमिबघ	आगरा
371.	बंकी	बाराबंकी
372.	मस्वसि	रामपुर
373.	खेत सराय	जौनपुर
374.	पुवयन	शाहजहांपुर
375.	उन	मुजफ्फरनगर
376.	झिंझन	मुजफ्फरनगर
377.	किरद्धि	आगरा
378.	दंकौर	जी.बी. नगर
379.	नरौलि	मुरादाबाद
380.	गोकुल	मथुरा
381.	पत्ल	गाजियाबाद
382.	बजन	मथुरा
383.	गवन	बुदौन
384.	सम्थर	झांसी
385.	बिसंद	बांदा
386.	कुर्सत नगर	हरदोई
387.	सैयद राजा	चंदौली
388.	फरीद नगर	गाजियाबाद
389.	जफ्रबाद	जौनपुर
390.	पिप्रि	सोनेभद्र

शुरु की गई स्कीम

** अंशतः शुरु की गई स्कीम

[अनुवाद]

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहर

483. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में शामिल किया गया है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से जेएनएनयूआरम में गांधी नगर और पोरबंदर शहर को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या गुजरात सरकार को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत मात्र 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस आबंटन की सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या 60 के लगभग रखने का निर्णय सरकार के अनुमोदन से लिया गया था। तथापि, जो नगर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल नहीं हैं, उन्हें मंत्रालय की एक अन्य स्कीम छोटे व मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(घ) योजना आयोग द्वारा किए गए संकेतात्मक नियतन के अनुसार, शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी), शहरी अवस्थापना व शासन (यूआईजी), एकीकृत आवास व स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) तथा जेएनएनयूआरएम के तहत यूआईडीएसएसएमटी के लिए 340.72 करोड़ रु. का नियतन है।

(ङ) और (च) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों/योजनाओं का मूल्यांकन

484. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी उपशमन/रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों/योजनाओं की न्यून उपलब्धियों के कारणों का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन/रोजगार सृजन के लिए अनेक योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) तथा राष्ट्रीय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों जैसे कि समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में स्थित स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों के माध्यम से एसजीएसवाई, आईएवाई तथा एसजीआरवाई आदि का मूल्यांकन कराया है। मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों में सकारात्मक उपलब्धियां पाई गई हैं जैसे कि सृजित रोजगार, आय में वृद्धि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की कवरेज, उनके कौशल तथा सामाजिक दर्जे में सुधार आदि। कुछ विचारार्थ मुद्दे ऐसे हैं जिनको तत्काल हल करने की आवश्यकता है, इसमें समन्वय का अभाव, अपर्याप्त सहायता, ऋण प्रवाह की कमी, स्व–सहायता समूहों/स्वरोजगारियों के उत्पादों के विपणन में कठिनाइयां, क्षेत्र स्तर पर स्टाफ की कमी, प्राकृतिक आपदाओं तथा जन–प्रतिनिधियों के चुनावों के कारण कार्यान्वयन के लिए सीमित समय मिलना आदि शामिल हैं।

राज्य सरकारों को कार्यान्वयन प्रक्रिया में कमियों के संबंध में उपचारी उपाय करने के लिए अध्ययनों के ऐसे मूल्यांकन के निष्कर्षों से अवगत कराया जा रहा है। मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने इन कार्यक्रमों की क्षमता को सुधारने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे कि एसजीआरवाई के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को एनआरईजीपी में मिलाना, आईएवाई के अंतर्गत सहायता बढ़ाना, कौशल विकास पर बल देना, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को संविदा आधार पर व्यावसायिक स्टाफ लेने की अनुमति देना, स्व–सहायता समूहों/स्वरोजगारियों के उत्पादों के लिए विपणन सुविधा के विकास में सहायता देना तथा कार्यक्रमों की कड़ी सतर्कता तथा निगरानी करना।

[अनुवाद]

बंगलौर मेट्रो रेल

485. श्री एम. शिवन्ना : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर मेट्रो रेल के दो मार्गों अर्थात् पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण पर 32 स्टेशन हैं;

(ख) यदि हां, तो भूमिगत स्टेशनों की संख्या कितनी होगी;

(ग) क्या बीएमआरसीएल के अनुसार उपर्युक्त दोनों मार्ग वर्ष 2010 तक प्रचालन के लिए तैयार हो जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) सात।

(ग) बयापनाहल्ली से क्रिकेट स्टेडियम के बीच 7 कि.मी. के पहले खण्ड को मार्च, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है तथा शेष दिसंबर, 2011 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सामग्री को उपभोग अवधि समाप्त होने से पहले निपटाना

486. श्री सुनील खां :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलाजिकल्स कार्पोरेशन लि." (बीआईबीसीएल) द्वारा सामग्री की उपभोग अवधि समाप्त होने से पहले निर्णय लेकर निपटाए जाने में विलम्ब के कारण 91.39 लाख रुपए का नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन से उपलब्ध पूर्व उत्तीर्ण संसाधनों से प्राप्त साधनों से मौखिक पोलियो टीका हासिल करने की सरकार की पालिसी में परिवर्तन के कारण वर्ष 2001–02 की समाप्ति पर ओ पी वी टीके की 6.149 मिलियन खुराकों को बी आई बी सी ओ एल निपटा नहीं पाया। व्यापार बाजार के माध्यम से स्टॉक को तुरंत नहीं निपटाया जा सका क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं जैसे कि समाचार पत्र विज्ञापन, तथ्यों की प्रमाणिकता और संबंधित वितरकों के लाइसेंस इत्यादि की आवश्यकता होती है। इस समय के दौरान, भण्डार की वैधता समाप्त हो गई और परिणामस्वरूप, 91.39 लाख रुपये के स्टॉक को हटाना पड़ा। यह, यदि किसी का दायित्व है, तो कम्पनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी इसके लिए मामले की जांच कर रहे हैं।

(ग) फिलहाल, इस तरह की घटना को बचाने के लिए अधिक मात्रा में टीके को सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन पूर्ण परीक्षित साधनों से ही प्राप्त किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नार्थ कर्णपुरा ताप विद्युत परियोजना का निर्माण

487. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखण्ड में नार्थ कर्णपुरा ताप विद्युत स्टेशन के निर्माण हेतु वर्ष 1998 में शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, ते क्या एनटीपीसी ने उक्त ताप विद्युत स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो असामान्य विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त विद्युत स्टेशन पर निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ङ) जी नहीं। एनटीपीसी लिमिटेड झारखंड राज्य में 1980 मेगावाट क्षमता वाली नार्थ करणपुरा सुपर ताप विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके लिए 6.3.1999 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया।

विभिन्न स्थल विशेष अध्ययन/जांच की गई थी और चतरा तथा हजारीबाग जिलों में टंडना के समीप नार्थ कारणपुरा सुपर ताप विद्युत परियोजना (3x660 मेगावाट) के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट 2001 में तैयार की गई थी। बाद में, सीएमपीडीआईएल/कोयला मंत्रालय ने प्रस्तावित संयंत्र ले आउट में कोयला धारक क्षेत्र के बारे में परामर्श दिया और संयंत्र, एश डाइक तथा टाउनशिप के स्थानों को कोयला धारक क्षेत्रों से बचाव के लिए संशोधित किया जाना था। उपरोक्त परिवर्तनों को शामिल करने के लिए, व्यवहार्यता रिपोर्ट को संशोधित किया गया था और दिसम्बर, 2005 में एनटीपीसी बोर्ड की उप–समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति सहित विद्युत संयंत्र से संबंधित सभी मुख्य वैधानिक स्वीकृतियां/प्रतिबद्धताएं प्राप्त कर ली गई हैं। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियां शुरू की गई हैं। जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन (जेबीआईसी) ने परियोजना के लिए ओवरसीस डेवेलपमेंट असिसटेंस (ओडीए) के अंतर्गत 15,916 मिलियन जापानी येन स्वीकृत किए हैं।

विद्युत परियोजना को जल की आपूर्ति के लिए बिहार/झारखंड की राज्य सरकार ने गढ़ी नदी पर बांध/जलाशय के निर्माण की सहमति दी थी। बांध/जलाशय के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति सितम्बर 2005 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई थी। विद्युत परियोजना आवश्यकता के अनुसार पूर्णता हेतु राज्य सरकार द्वारा बांध/जलाशय का निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

परियोजना की योजना 11वीं योजना अवधि के आरंभ में होने वाले लाभों के लिए बनाई गई है।

विलुप्त कंपनियां

488. श्री सूरज सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पब्लिक इश्यू के माध्यम से शेयर आबंटित करने के पश्चात विलुप्त हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसने पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक निर्गमों के जरिए शेयर आबंटित किए हैं, की पहचान कंपनी कार्य मंत्रालय और सेबी द्वारा संयुक्त रूप से गठित की गई समन्वयन और निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा विलुप्त कंपनी के रूप में अभी तक नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सहकारी ऋण ढांचा संबंधी रिपोर्ट

489. श्रीमती पी. सतीदेवी :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा संबंधी कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पुनरुद्धार पैकेज राज्य सरकारों को स्वीकृति हेतु भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो पुनरुद्धार पैकेज को स्वीकार करने वाली राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पुनरुद्धार पैकेज को स्वीकार नहीं करने वाली राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में राज्य सरकारों के साथ कोई चर्चा की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(च) क्या दीर्घकालिक सहकारी ऋण ढांचा संबंधी कृतिक बल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के सुदृढ़ करने के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पहले से ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, चार राज्यों अर्थात पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु तथा गुजरात ने पैकेज के कार्यान्वयन हेतु अपनी स्वीकृति भेज दी है।

(च) से (ज) जी, हां। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं (दीर्घावधि) के पुनरुज्जीवन के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट 23 अगस्त, 2006 को सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है तथा नाबार्ड द्वारा रिपोर्ट की एक प्रति सभी राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों हेतु भेज दी गई है।

[हिन्दी]

योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु समितियों का गठन

490. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्री श्रीपाद येस्सो नाईक :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु सभी जिलों में सतर्कता/निगरानी समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को शिकायत मिली है कि संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट विशेषतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ऐसी बैठकों में भाग नहीं लेते और अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं;

(घ) यदि हां, तो देश के प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ध्यान में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त समितियों में कुछ परिवर्तन लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के सभी जिलों में सतर्कता और निगरानी समितियों के पुनर्गठन के लिए अक्तूबर, 2004 में अनुदेश जारी किए थे। इन अनुदेशों के जारी किए जाने के साथ ये सभी समितियां पुनर्गठित मान ली गई।

(ग) और (घ) संसद सदस्यों से दो शिकायतें मिली थीं कि जिला कलक्टर/जिलाधिकारी जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों की बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इन दोनों मामलों के ब्यौरे इस मामले के संबंध में की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है। मंत्रालय को जिला मजिस्ट्रेटों के बैठक में उपस्थित नहीं होने की शिकायतें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य से नहीं मिली हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	शिकायत करने वाले संसद सदस्य का नाम	शिकायत का विषय	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	श्री तस्लीमुद्दीन, केन्द्रीय कृषि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री	बिहार के अररिया जिले के जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक के दिन अर्थात् 11.2.2006 यह जानकारी दी कि वे व्यस्त कार्यक्रम के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो पाएंगे तथा उन्होंने उप विकास आयुक्त को बैठक में उपस्थित होने के लिए तैनात किया।	ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मामले को बिहार राज्य सरकार के साथ उठाया था। राज्य सरकार ने जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। जिलाधिकारी ने यह बताया कि पंचायत चुनावों के लिए संवेदनशील कार्यनीति को अंतिम रूप देने हेतु 9.2.2006 को बैठक निर्धारित की गई थी जिसे स्थगित कर दिया गया तथा बाद में चुनाव संबंधी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने और इस सारी जानकारी 12.11.2006 को राज्य चुनाव आयोग को उपलब्ध

1	2	3	4
			कराने के लिए यह बैठक 11.2.2006 के लिए तय की गई। पंचायत चुनाव के संबंध में 11.2.2006 को महत्वपूर्ण बैठक होने के कारण वे जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके तथा उन्होंने अध्यक्ष को इसकी जानकारी दे दी थी।
2.	श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य	कटनी (मध्य प्रदेश) के जिला कलक्टर सहित कुछ प्रमुख अधिकारी 8.5.2006 को कटनी में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हुए।	ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया था जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जबलपुर मंडल के आयुक्त को यह पत्र लिखा है कि कटनी के जिला कलक्टर को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहें। कलक्टर ने यह स्पष्टीकरण दिया था कि वे उस दिन अवकाश पर थे तथा उन्होंने सी.ई.ओ. जिला पंचायत को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत किया था। बाद की सभी बैठकों में वे उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

491. श्री टेक लाल महतो :
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :
श्री रनेन बर्मन :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :
श्रीरायापति सांबासिवा राव :
डा. सत्यनारायण जटिया :
श्री सुव्रत बोस :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को धनराशि आबंटित करते समय क्या मानदंड अपनाए गए हैं और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण विकास योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई, जारी की गई और उपयोग में लाई गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई, इससे कितने लोग लाभान्वित हुए और उसमें राज्यवार अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कितने पुरूष और महिलाएं थीं;

(घ) ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल/शामिल किए जाने वाले जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने, अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने तथा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत शेष सभी जिलों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, क्षेत्र विकास तथा बुनियादी सुविधाएं जैसे आवास, पेयजल तथा स्वच्छता आदि उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है। राज्य सरकारों को निधियों का आबंटन मुख्य रूप से गरीबी आकलन के आधार पर योजना आयोग द्वारा बनाए गए पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना के आबंटन के मामले में राज्यों को आवासों की कमी जैसे अन्य मानदंड हैं। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के मामले में कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय आबंटन किया जाता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003–04, 2004–05 और 2005–06 तथा चालू वर्ष 2006–07 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत आबंटित, रिलीज, उपयोग की गई केन्द्रीय निधियों तथा वास्तविक उपलब्धियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं जैसे कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), पेयजल आपूर्ति (डीडब्ल्यूएस), समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

(आईडब्ल्यूडीपी), देश के सभी जिलों के लिए हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) जनवरी, 2006 तक देश के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही थी, फरवरी, 2006 से इन जिलों में पहले की एसजीआरवाई योजना को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 200 जिलों में शुरू किया गया है। मंत्रालय की अन्य योजनाएं अपना स्वरूप और उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए है। मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा समिति के कार्य–निष्पादन, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन करवाने के लिए संसद सदस्यों, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी वाली राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रभाव की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली बनाई है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की भी सलाह दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं – (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जनभागीदारी और (iv) जवाबदेही, सामाजिक लेखा–परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता और निगरानी।

सीमित देयता भागीदारी संबंधी नीति

492. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) नीति के अंतर्गत पेशेवरों/गैर–पेशेवरों को क्या आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता) : (क) से (ग) सरकार भारत में सीमित देयता भागीदारी को स्थापित करने एवं उनके निगमीकरण, पंजीकरण, शासन व्यवस्था, लेखाकरण, लेखा परीक्षण, प्रकटीकरण, समापन, विघटन इत्यादि सहित उनके विनियमन का प्रबंध करने हेतु विधान लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

सीमित देयता भागीदारी (एल एल पी) सहमति पर आधारित व्यवसाय संबंधी ढांचा है जो भागीदारियों (भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत विनियमित) एवं कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा विनियमित सीमित देयता कंपनियों जैसे फर्मों का विकल्प है। एल एल पी ढांचे से उद्यम पूंजी द्वारा समर्थित उपक्रमों सहित सेवा, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित उपक्रमों की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन प्रदान करने की आशा की जाती है। यह छोटे उद्यमों को लागत प्रभावी विकल्प भी प्रदान कर सकता है।

दिल्ली में सीलिंग

493. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार दिल्ली में सीलिंग और तोड़फोड़ अभियान चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कितने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं और उक्त अभियान से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में दिल्ली नगर निगम ने दुरुपयोग किए जा रहे परिसरों को सील करने की कार्रवाई शुरू की है।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने यह बताया है कि उन्होंने 8.11.2006 से 21.22.2006 तक 1266 इकाइयां सील की हैं। दिल्ली नगर निगम ने इस अभियान से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या से संबंधित कोई सूचना नहीं दी है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है।

विद्युत उत्पादन हेतु भूटान के साथ समझौता

494. योगी आदित्यनाथ : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान में ताला विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन हेतु भारत और भूटान के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विद्युत परियोजना से किन–किन राज्यों को विद्युत मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत की गणराज्य सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच दिनांक 5.3.1996 को हस्ताक्षरित करार में भारत सरकार की

सहायता से भूटान में 1020 मेगावाट क्षमता की ताला जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रावधान किया गया है और भूटान की शाही सरकार ने पारस्परिक सहमत दरों पर भारत सरकार को अधिशेष विद्युत बेचने के लिए सहमति प्रकट की है।

(ग) ताला विद्युत का आबंटन पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को उनके जल ताप मिश्रण में सुधार के लिए है और ये राज्य उत्तरी क्षेत्र के राज्यों को समकक्ष ताप विद्युत का सर्मपण (ताला विद्युत आबंटन के बदले में) करते हैं जिसे कि ताला परियोजना की विभिन्न यूनिटों को चालू करने से लिंक किया गया है। इस परियोजना से पूर्वी क्षेत्र में प. बंगाल, बिहार, झारखण्ड व उड़ीसा को तथा उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्यों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

[अनुवाद]

शिक्षा ऋण

495. श्री पी.सी. थामस :
श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई बैंक शिक्षा ऋण देने के लिए कठोर शर्तें रख रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शर्तों में से कई शर्तें सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों द्वारा क्या शर्तें लगाई जा रही हैं;

(घ) क्या कमर्शियल पायलट कोर्सेस के लिए शिक्षा ऋण दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) बैंकों को भारतीय बैंक संघ (आईबीए)/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तैयार दिशानिर्देशों का पालन करना है और इस प्रकार शैक्षिक ऋण की संस्वीकृति के लिए कोई कठोर शर्तें नहीं रखी गई हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय बैंक संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंक वाणिज्यिक पायलट पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक ऋण नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह पाठ्यक्रम, एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। तथापि, बैंक, वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने हेतु, शैक्षिक ऋण के इतर शर्तों पर ऋण देने पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है।

भवनों की ऊंचाई संबंधी सीमा के विनियमन को समाप्त करना

496. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के 2021 के मसौदा मास्टर प्लान में भवनों की ऊंचाई संबंधी सीमा के विनियमन को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शहरी योजनाकारों, विशेषज्ञों और भवन निर्माण इंजीनियरों को सरकार के इस निर्णय पर कुछ आपत्तियां हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं अथवा आशंकाएं व्यक्त की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) 2021 के प्रारूप, जिसके संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 8.4.2005 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था, में अन्य के साथ–साथ भवनों की विभिन्न श्रेणियों में ऊंचाई सहित कुछ विकास नियंत्रण मानकों में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। केवल उच्चतर स्तर के वाणिज्यिक केन्द्रों और होटलों को ऊंचाई संबंधी प्रतिबंधों से बाहर रखने का प्रस्ताव है बशर्ते कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्निशमन सेवा आदि द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को अंतिम रूप देने के लिए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करने से पूर्व डीडीए में इस प्रयोजन के लिए गठित जांच बोर्ड ने सार्वजनिक सूचना के उत्तर में प्राप्त सुझावों/आपत्तियों पर विचार करना शुरू कर दिया है।

ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता

497. श्री किन्जरपु येरन्नायडु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु "एसबीआई टिनीए के" नामक एक विशेष खाता शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र की कितनी महिलाओं के लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक ने दिहाड़ी मजदूरों अथवा 5000/– रुपए से कम मासिक आय वालों के लिए न्यूनतम शून्य शेष राशि के साथ "एसबीआई टिनी" नाम से बिना अतिरिक्त सुविधावली जमा योजना की शुरूआत की है।

[हिन्दी]

फिल्म सेट को नुकसान होने पर मुआवजा देना

498. श्री राजेश वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने फिल्म निर्माताओं को गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक फिल्म सेटों को आग लगने के कारण होने वाले नुकसान हेतु कोई मुआवजा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ फिल्म निर्माताओं ने फिल्म सेट पर आग लगने से हुए नुकसान के बारे में मुआवजे के लिए झूठे वादे किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल) ने सूचित किया है कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान फिल्म सेट्स पर आग से हुई हानि के दो दावे निपटाए हैं अर्थात्, अप्रैल, 2004 में मैसर्स सन्नी साउंड प्रा. लिमिटेड का 54,12,074/– रुपए का दावा निपटाया और मैसर्स:एप्लाज़ भंसाली फिल्म प्रा. लिमिटेड को 1.60 करोड़ रु. के लिए फरवरी, 2005 में 45 लाख रु. की एक "लेखागत" अदायगी की।

(ग) से (च) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि एक पूर्तिकर्ता (सप्लायर) जिसने प्रोड्यूसर मैसर्स एप्लाज भंसाली फिल्म प्रा. लिमिटेड को पुरावशेष उपलब्ध कराए थे। उसने अभ्यावेदन के माध्यम से कुछ आरोप लगाए थे। इस मामले की जांच हेतु सीबीआई ने दावा फाइल तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों से तथ्यों के सत्यापन हेतु यूआईआईसीएल के मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया है। सतर्कता अनापत्ति के अभाव में अभी तक अंतिम रूप से दावे का निपटारा नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

फर्जी बीमा दावे

499. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
डा. रतन सिंह अजनाला :
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने फर्जी और अधिक राशि के कितने बीमा दावों का पता लगाया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप इन कंपनियों को कुल कितना घाटा उठाना पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा फर्जी बीमा दावों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र) संघ (जिप्सा) ने सूचित किया है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) तथा दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) ने फर्जी/और अधिक राशि के बीमा दावों को पास करने संबंधी सात मामलों का पता लगाया है और इनसे नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 46.62 लाख रु. का घाटा उठाना पड़ा है :–

क्रम सं.	बीमा कंपनी का नाम	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	उठाया गया घाटा (रु. लाख में)
1.	एनआईसीएल	1	–	31.96
2.	एनआईएसीएल	4	2	14.66

(ग) कंपनियों में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में एक उचित सतर्कता व्यवस्था है तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता अधिकारी (वीओ) तैनात किए गए हैं। सतर्कता अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी के निर्देशों पर जांच–पड़ताल करने के अतिरिक्त कार्यालयों की औचक जांच करते हैं। कंपनी का सतर्कता विभाग, सीबीआई के साथ समन्वय कार्य के अतिरिक्त, साबित हो चुके अनियमितता मामलों में उचित अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के सतर्कता प्रशासन संबंधी अनुदेशों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन करता है।

[हिन्दी]

किसानों को रियायती दरों पर ऋण

500. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री पारस नाथ यादव :
श्रीमती सी.एस. सुजाता :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि ऋण हेतु किसी राजसहायता की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी राजसहायता देने के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसानों को रियायती दरों पर ऋण देने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण योजना के अंतर्गत आबंटित की गई राशि और वास्तव में उपयोग की गई राशि का बैंकवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा ऋण राशि के पूर्ण उपयोग हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। बजट 2006–07 में किसानों को खरीफ एवं रबी 2005–06 प्रत्येक के लिए प्राप्त किए फसल ऋणों पर 1,00,000/– रुपए तक की मूल राशि पर दो प्रतिशत बिन्दुओं की ब्याज राहत देने का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 1700 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

इसके अतिरिक्त, खरीफ और रबी 2006–07 के लिए 3 लाख रुपए मूलधन तक 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने की सरकार की घोषणा के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं और नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण के लिए उपयोग की गई अपनी स्वयं की राशि पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ब्याज सहायता प्रदान करने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) से (छ) जी, हां। वर्ष 2004–05 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता 1,25,309 करोड़ रुपए रही है, जबकि लक्ष्य 1,05,000 करोड़ रुपए था और वर्ष 2005–06 के दौरान यह 1,67,775 करोड़ रुपए थी, जबकि लक्ष्य 1,41,000 करोड़ रुपए था। वर्ष 2006–07 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता के लिए लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सितम्बर 2006 तक कुल ऋण की उपलब्धता 94,345.54 करोड़ रुपए की थी। एजेन्सी–वार ब्यौरा निम्नलिखित हैं :–

(करोड़ रुपए)

एजेंसी	राशि
सरकारी क्षेत्र के बैंक	52,734.58
गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक	7,444.46
सहकारी बैंक	23,768.19
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10,398.31
कुल	94,345.54

सरकार द्वारा बैंक–वार या राज्य–वार ऋण लक्ष्य आबंटित नहीं किए जाते।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से होने वाला राजस्व घाटा

501. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात क्षेत्रों की दी गई कर छूट के कारण हुए राजस्व घाटे का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राजस्व में कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006–07 से 2009–2010 तक की अवधि के दौरान 1,02,621 करोड़ रुपए की राजस्व हानि आकलित की गई है। इसमें से प्रत्यक्ष कर के कारण होने वाली हानि को 53,740 करोड़ रुपए आकलित किया गया है तथा 48,881 करोड़ रुपए की राशि 'अप्रत्यक्ष करों के कारण, आकलित की गई है।

(ग) सरकार अनुपालन में सुधार करने तथा राजस्व संग्रहण को बढ़ाने की सतत प्रक्रिया में प्रयासरत है। तथापि, ऐसे प्रयास कानूनी रूप से परिभाषित कर आधार से बकाया कर की पूर्ण राशि को वसूलने की और लक्षित हैं। उस सीमा तक, जहां तक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों को प्रदत्त कर छूट, कानूनी रूप से परिभाषित कर आधार का क्षरण करती है, राजस्व हानि स्थाई है।

मलिन बस्ती विकास परियोजनाओं हेतु ब्रिटिश सरकार से सहायता

502. श्री अबु अयीश मंडल : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न महानगरीय शहरों में मलिन बस्ती विकास परियोजनाओं के लिए ब्रिटिश सरकार से कोई सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं और प्राप्त सहायता सहित तत्संबंधी निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) तीन स्लम विकास/सुधार परियोनाओं नामतः आंध्र प्रदेश निर्धनों के लिए शहरी सेवाएं (एपीयूएसपी), कोलकाता निर्धनों के लिए शहरी सेवाएं (केयूएसपी) तथा मध्य प्रदेश निर्धनों के लिए शहरी सेवाएं (एमपीयूएसपी) का कार्यान्वयन ब्रिटिश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डवलपमेंट (डीएफआईडी) की सहायता से किया जाता है।

परियोजनाओं के ब्यौरे और उनकी शर्तें क्रमशः संलग्न विवरण–I, II और III में दी गई है।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश निर्धनों के लिए शहरी सेवाएं (एपीयूएसपी)

परियोजना का लक्ष्य :

इस परियोजना का लक्ष्य तीन कार्यक्रम क्षेत्रों (आर्थिक, पर्यावरणीय व सामाजिक) की वर्तमान शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं को मिलाकर व उन्हें और विकसित करके शहरी गरीबी में उल्लेखनीय कमी करना है। परियोजना में पाई गई कमियों को पूरा करने और अवसरों को लाभप्रद बनाने के लिए तीनों कार्यक्रम क्षेत्रों में से प्रत्येक में सतर्कतापूर्व चयनित नवीनताओं की शुरूआत की जाएगी। अतः परियोजना में निम्नलिखित पर ध्यान देने से निर्धनों को अधिक लाभ मिलेगा :–

(क) कार्यक्रम क्षेत्रों में बेहतर अनुपूरकता;

(ख) संसाधनों का अधिक प्रभावी प्रबंधन;

(ग) सेवा प्रावधानों में सुधार करना तथा उन्हें अनुकूल बनाना;

(घ) समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं की उपलब्धता।

– परियोजना की अवधि – परियोजना अवधि जून 1999 से 31.3.2008 तक है।

– परियोजना की लागत – इस परियोजना के तहत डीएफआईडी 745.39 करोड़ रु. मुहैया कराएगा। बजट में 71% वित्तीय सहायता और 29% तकनीकी सहायता शामिल है।

– परियोजना का दायरा–आंध्र प्रदेश के श्रेणी–I के 42 नगर

– परियोजना घटक–परियोजना में निम्नलिखित तीन घटक शामिल है :–

सी 1 घटक–नगरपालिका सुधार–राजस्व सुधार, सांस्थानिक विकास, क्षमता निर्माण।

सी 2 घटक–पर्यावरणीय अवस्थापना–जल आपूर्ति, जल निकासी, सड़कें व फुटपाथ, कचरा निपटान, स्ट्रीट लाइट।

सी 3 घटक– नागरिक समूहों के साथ कार्य–स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, कमजोर वर्ग, स्व सहायता समूह, क्षमता निर्माण।

परियोजना की शर्तें -

(क) आंध्र प्रदेश सरकार को धनराशि अनुदान की शर्तों पर दी जाएगी;

(ख) अनुदान का उपयोग किसी आयात अथवा सीमा शुल्क की लागत को पूरा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति के रूप में ब्रिटेन में भारत सरकार के एजेंट क्राउन एजेंट्स फाइनेंशियल सर्विसिज लि. (सीएएफएस एल) को रखा जाएगा।

(घ) डीएफआईडी के प्राधिकृत अधिकारी को परियोजना का दौरा करने और प्रगति का मूल्यांकन आदि करने की अनुमति होगी।

विवरण-II

कोलकाता निर्धनों के लिए शहरी सेवा कार्यक्रम (केयूएसपी)

परियोजन के लक्ष्य :– केयूएसपी कार्यक्रम का लक्ष्य शहरी आयोजना व शासन में सुधार, निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं की सुलभता तथा कोलकाता महानगर क्षेत्रों (केएमए) में आर्थिक विकस को बढ़ावा देना है। परियोजना में स्लमों में अवस्थापना का प्रावधान, नगर स्तर महत्वपूर्ण अवस्थापना संबंधी कमियों को पूरा करना तथा कुछ मामलों में दो या अधिक नगरपालिकाओं के लिए उपयोगी अवस्थापना में मदद करना होगा। इसके अलावा, इस परियोजना का उद्देश्य आर्थिक अनुमानों तथा आयोजना की प्रक्रिया को औपचारिक व अनौपचारिक व्यवसाय क्षेत्रों को शामिल करते हुए सहायता देना और नगरपालिका व राज्य स्तरीय एजेंसियों का क्षमता निर्माण भी करना है।

परियोजना की लागत :– इस परियोजना के तहत डीएफआईडी 102,000,000.00 पाउंड उपलब्ध कराएगा।

परियोजना की अवधि :– परियोजना की अवधि 14.1.2004 से 31.3.2011 तक होगी।

परियोजना की शर्तें :–

(क) पश्चिम बंगाल सरकार को धनराशि 100% अनुदान की शर्तों पर दी जाएगी।

(ख) अनुदान का उपयोग किसी आयात अथवा सीमा शुल्क की लागत को पूरा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) स्थानीय लागत व्यय के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के विवरणों का प्रावधान अपेक्षित है।

(घ) तीसरे पक्ष के दावे की क्षति पूर्ति के रूप में ब्रिटेन में भारत सरकार के एजेंट क्राउन एजेंटस फाइनेंशियल सर्विसिज लि. (सीएएफ एसएल) को रखा जाएगा।

(ङ) डीएफआईडी के प्राधिकृत अधिकारी को परियोजना का दौरा करने और प्रगति का मूल्यांकन आदि करने की अनुमति होगी।

विवरण-III

मध्य प्रदेश निर्धनों के लिए शहरी सेवाएं (एमपीयूएसपी)

परियोजना के लक्ष्य : 7 मध्य प्रदेश के निर्धनों के लिए शहरी सेवा कार्यक्रम (एम पी यू एस पी), जिसके लिए 41 मिलियन पाउंड की डीएफआईडी सहायता मांगी गई है, में 4 शहरी स्थानीय निकायों यथा मध्य प्रदेश में भोपाल, इन्दोर, जबलपुर और ग्वालियर पर विशेष ध्यान दिया जाएग। एम पी यू एस पी कार्यक्रम शहरी निर्धनों के लिए स्तरीय सेवाओं को निरंतर सुलभ बनाने के लिए राज्य के क्षमता निर्माण में वृद्धि और सांस्थानिक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में सहायक होगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश में गरीबी कम करने और आर्थिक विकास के समग्र उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

परियोजना की अवधि – परियोजना अवधि 1.9.2006 से 31.12.2011 तक होगी।

परियोजना की लागत – इस परियोजना के तहत डीएफआईडी 41 मिलियन पाउंड मुहैया कराएगा।

दायरा – भोपाल, इन्दौर, जबलपुर और ग्वालियर

परियोजना की शर्तें :–

(क) मध्य प्रदेश सरकार को धनराशि अनुदान की शर्तों पर दी जाएगी;

(ख) अनुदान का उपयोग किसी आयात अथवा सीमा शुल्क की लागत को पूरा करने के लिए नही किया जाएगा।

(ग) स्थानीय लागत व्यय के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के विवरणों का प्रावधान अपेक्षित है।

(घ) तीसरे पक्ष के दावे की क्षति पूर्ति के रूप में ब्रिटेन में भारत सरकार के एजेंट क्राउन एजेंट बैंक को रखा जाएगा।

(ङ) डीएफआईडी के प्राधिकृत अधिकारी को परियोजना का दौरा करने और प्रगति का मूल्यांकन आदि करने की अनुमति होगी।

परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हाल ही में दिनांक 13.11.2006 को हस्ताक्षर किए गए हैं और परियोजना प्रारंभिक चरण में है।

सेटेलाइट लैंडमार्क स्पेस नेवीगेशन प्रोजेक्ट

503. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सितम्बर, 2006 में गैलीलियो परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रधान मंत्री और यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच हेलसिंकी में क्या चर्चा हुई;

(ग) क्या गैलीलियो परियोजना में सुरक्षा कारणों से भारतीय भागीदारी होना मुश्किल हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत द्वारा इस ईयू परियोजना को छोड़ने की संभावना है जैसा कि दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस परियोजना में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) उपग्रह आधारित नेवीगेशन सेवाओं के लिए विकसित की जा रही यूरोपीय गैलीलियो प्रणली में सहभागिता के उद्देश्य से भारत ने सितम्बर, 2005 में यूरोपीय संघ के साथ एक ढांचागत करार की पहल की है। भारत और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच इस करार पर वार्ता जारी है।

(ख) हेलसिंकी में 7 वें भारत – यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन (13 अक्तूबर, 2006) में प्रधानमंत्री ने यह आशा व्यक्त की कि यूरोपीय संघ गैलीलियो वैश्विक उपग्रह परियोजना में भारत की सदस्यता की पुष्टि करते हुए एक करार करने की स्थिति में होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) यूरोपीय संघ के देशों द्वारा इस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी स्वीकृति देने के बाद ही कोई वार्ता शुरू की जा सकती है।

[हिन्दी]

राज्यों को ऋण/अनुदान देना

504. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री अनंत गुढ़े :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विशेष और गैर–विशेष श्रेणी के राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं हेतु ऋण, वित्तीय सहायता और अनुदान देने हेतु कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को दिए गए अनुदान और ऋण का परियोजनावार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने राज्यों को ऋण/अनुदान/सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन करने की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आबंटन विशेष श्रेणी के राज्यों को 10:90 के ऋण अनुदान औसत से तथा गैर–विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को 70:30 की औसत से संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर करता है, जिसमें जनसंख्या, प्रति–व्यक्ति आय, निष्पादन, कर–प्रयास, राजकोषीय प्रबंधन, राष्ट्रीय उद्देश्य और राज्यों की विशिष्ट समस्या को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राजस्थान सरकार ने राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता 70.30 की मौजूदा औसत की तुलना में 50:50 ऋण/अनुदान के आधार पर अंतरित करने का सुझाव दिया था।

(ङ) राजस्थान ने भौगोलिक क्षेत्र, अवसंरचनात्मक विकास सूचकांक और अनुसूचित जाति की आबादी की प्रतिशतता को महत्व देते हुए मौजूदा गाडगिल मुखर्जी फार्मूले में संशोधन करने का अनुरोध किया था।

(च) चूंकि यह अनुरोध केवल एक राज्य से था, इसलिए इसमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

2003-04 के दौरान जारी की गई राज्य-वार/स्कीम-वार निधियां

क्र.सं	राज्य	सामान्य केन्द्रीय सहायता	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	पी.एम.जी.वाई (अन्य)	ए.पी.डी.आर.पी.	ए.आई.बी.पी.	सीमा क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	पर्वतीय क्षेत्र/ डब्ल्यू.जी.डी.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	114338.08	300905.93	15644.00	66804.50	20553.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	52952.13	467.88	6500.00	3668.00	2000.00	900.00	0.00
3.	असम	130463.19	46825.20	19000.00	0.00	1920.15	748.00	5065.94
4.	बिहार	112804.68	0.00	24173.00	2088.00	7464.40	728.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	41047.00	472.10	3435.00	4307.00	7463.00	0.00	0.00
6.	गोवा	6734.99	0.00	36.00	854.00	200.00	0.00	285.53
7.	गुजरात	47853.82	137733.02	15190.00	18345.00	65035.90	684.00	0.00
8.	हरियाणा	24102.60	3926.28	1834.00	21314.00	773.50	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	64506.42	2182.75	7000.00	12087.00	1469.20	416.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	127805.04	3035.62	18000.00	18050.00	2154.50	10000.00	0.00
11.	झारखण्ड	45219.00	106.33	7446.00	4360.00	183.30	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	63028.71	74702.80	8273.00	29030.00	26647.80	0.00	1557.00
13.	केरल	50306.85	16260.45	7608.00	7423.00	3100.00	0.00	1313.00
14.	मध्य प्रदेश	82283.50	59559.71	4250.00	1000.00	56844.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	76131.22	27890.88	5458.50	10798.00	16439.50	0.00	2086.34
16.	मणिपुर	38606.06	1067.66	2400.00	0.00	1550.00	277.00	0.00
17.	मेघालय	32401.71	1028.38	4112.00	1456.00	108.80	705.00	0.00
18.	मिजोरम	37332.90	2645.33	5800.00	2518.00	930.00	1248.00	0.00
19.	नागालैंड	39473.28	414.38	4526.00	1047.00	800.00	416.00	0.00
20.	उड़ीसा	71153.45	46055.04	10863.00	0.00	15468.50	0.00	0.00
21.	पंजाब	30295.68	8965.58	2221.00	12476.00	0.00	1008.00	0.00
22.	राजस्थान	76859.64	56072.09	10611.50	35741.00	49983.70	3032.00	0.00
23.	सिक्किम	25177.68	1335.37	3000.00	6017.00	75.00	572.00	0.00
24.	तमिलनाडु	83288.35	22566.36	11547.00	23259.00	0.00	0.00	3309.00
25.	त्रिपुरा	54983.61	269.43	5693.00	610.00	1337.69	1296.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	63041.00	11517.44	7000.00	613.00	2555.25	416.00	0.00
27.	उत्तरांचल	259716.50	60273.41	37087.00	0.00	27478.50	555.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	120328.49	46159.81	18490.00	2115.00	314.40	2637.00	2233.00
	योग	1972235.58	932439.23	267196.00	285980.50	312850.09	25638.00	15849.81

विवरण

2003-04 के दौरान जारी की गई राज्य-वार/स्कीम-वार निधियां

(लाख रुपए में)

अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	एस.डी.एम.	ग्रामीण विद्युतीकरण	एन.एस.ए.पी.	आई.एस.यू.आई.	विशेष योजना सहायता	विशेष केन्द्रीय सहायता	डी.आर.एफ. (आर.एस.वी.वाई.)	एन.पी.ए.जी.	एम.जी.वाई.	कुल
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6650.00	3389.00	0.00	6540.02	898.75	0.00	0.00	4000.00	420.00	0.00	540143.28
2500.00	104.00	1200.00	192.60	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	70497.61
7800.00	219.61	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00	219142.09
5000.00	1683.00	6800.00	6226.20	684.00	0.00	0.00	44575.40	330.00	0.00	212556.68
1887.00	411.00	800.00	2042.41	292.00	0.00	0.00	4000.00	104.00	0.00	66260.51
1000.00	0.00	0.00	28.98	28.75	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	9203.25
7500.00	1860.89	0.00	0.00	1655.00	0.00	0.00	1750.00	247.00	0.00	297854.63
7326.00	536.00	0.00	577.27	428.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	60896.65
13076.00	0.00	200.00	205.02	47.25	43300.00	0.00	500.00	57.00	0.00	145046.64
10426.00	887.00	0.00	283.95	0.00	40000.00	75000.00	500.00	55.00	0.00	306197.11
1159.00	0.00	6800.00	1631.12	0.00	0.00	0.00	3750.00	112.00	0.00	70766.75
20.00	2061.00	0.00	2566.08	942.00	0.00	0.00	1250.00	358.00	0.00	210436.39
8204.00	972.00	0.00	1762.99	725.00	0.00	0.00	2000.00	213.00	0.00	99888.29
14525.00	1568.00	800.00	5405.35	1410.00	0.00	0.00	2250.00	176.00	0.00	230071.56
6333.00	5500.00	0.00	4931.77	3592.50	0.00	0.00	1500.00	481.00	0.00	161142.71
7030.00	0.00	400.00	0.00	40.00	0.00	7000.00	750.00	13.00	0.00	59133.72
5082.00	104.00	3000.00	350.01	36.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	48398.90
3333.00	104.00	0.00	131.60	0.00	0.00	9966.00	0.00	6.00	0.00	64014.83
5900.00	104.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	52715.66
6900.00	0.00	6000.00	4515.99	482.50	0.00	0.00	23500.00	205.00	0.00	185143.48
5000.00	0.00	0.00	365.63	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	60422.89
5000.00	1402.00	0.00	1826.26	578.75	0.00	0.00	3500.00	148.00	458.94	245213.88
1300.00	104.00	0.00	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	37714.09
7000.00	2545.40	0.00	4747.74	1910.00	0.00	0.00	2000.00	171.00	0.00	162343.85
4353.98	104.00	0.00	754.05	47.50	0.00	0.00	750.00	72.00	0.00	70271.26
30824.00	173.00	7000.00	608.34	0.00	25000.00	0.00	0.00	66.00	0.00	148814.03
15575.00	4010.00	15000.00	9864.43	3022.50	0.00	0.00	6250.00	199.00	0.00	439031.34
3636.00	3572.00	6000.00	4154.94	985.00	0.00	0.00	3500.00	228.00	0.00	214353.64
194339.98	31413.90	60000.00	59839.79	17836.50	108300.00	91966.00	107325.40	4004.00	458.94	4487675.72

राज्य योजना 2004-05 के लिए राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	सामान्य केन्द्रीय सहायता	विशेष योजना सहायता	विशेष केन्द्रीय सहायता	एस.डी.एस. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	पर्वतीय क्षेत्र/ डब्ल्यू.जी., डी.पी.के. लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	सीमा क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	ए.आई.बी.पी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	पी.एम.जी.वाई. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1267.57			65.81			1228.32	87.54	78.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	552.48			0.69		13.51	8.94	10.00	65.00
3.	असम	1405.09	22.00		5.63	51.11	9.98	293.51	16.93	190.00
4.	बिहार	1322.47			35.63		7.28	0.00	37.21	241.72
5.	छत्तीसगढ़	454.29			8.83			8.88	2.93	34.35
6.	गोवा	45.22				2.93			0.65	0.36
7.	गुजरात	697.01			22.54		13.13	893.85	530.50	71.22
8.	हरियाणा	281.97			10.47			72.62	11.14	18.34
9.	हिमाचल प्रदेश	674.20	530.69		1.44		11.49	38.26	3.69	35.00
10.	जम्मू और कश्मीर	1395.86	500.00	750.00	9.34		86.95	28.60	12.75	180.00
11.	झारखण्ड	517.52						1.02	21.29	74.46
12.	कर्नाटक	600.50			36.22	15.57		926.74	396.30	82.73
13.	केरल	532.63			20.83	13.13		733.73	49.44	76.08
14.	मध्य प्रदेश	1174.66			33.59			450.73	516.70	42.50
15.	महाराष्ट्र	831.17			102.19	21.06		394.27	529.29	54.59
16.	मणिपुर	399.00	40.00		1.24		5.55	67.38	13.00	48.00
17.	मेघालय	301.52			1.00		9.00	16.05	1.74	41.12
18.	मिजोरम	380.66			1.00		15.56	76.20	5.00	63.00
19.	नागालैंड	412.70	7.31		1.00		4.16	6.92	4.00	45.26
20.	उड़ीसा	830.97			9.21			1106.41	24.22	88.19
21.	पंजाब	318.53					9.93	98.01		22.21
22.	राजस्थान	877.68			30.05		36.95	628.07	352.90	106.10
23.	सिक्किम	256.78			1.00		12.56	9.21	0.75	30.00
24.	तमिलनाडु	946.69			54.57	33.09		185.87		115.47
25.	त्रिपुरा	591.08			1.12		21.10	2.47	11.00	66.93
26.	उत्तर प्रदेश	2737.43			85.94		16.55	498.05	175.92	370.86
27.	उत्तरांचल	677.60	450.00		3.69		13.90	65.80	38.99	56.83
28.	पश्चिम बंगाल	1368.46			70.75	22.33	37.40	876.78	13.46	92.45
	योग	21851.74	1550.00	750.00	613.78	159.22	325.00	8716.69	2867.34	2390.99

राज्य योजना 2004-05 के लिए राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपए में)

ए.पी.डी.आर.पी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	एन.एस.ए.पी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	यू.आर.आई.एफ. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	आर.एस.वी.वाई. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	एन.पी.ए.जी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	राष्ट्रीय ई.जी. योजना	बाढ़ नियंत्रण	मिड-डे मील के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	कुल
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		67.43	2.69	72.56	0.00	101.06	0.68		76.01	3047.89
		3.12		7.50	0.00	10.00	0.40		2.77	674.41
61.88		82.17		27.52	0.00	217.16	0.68	9.30	23.11	2416.07
226.18		106.84	1.52	405.55	0.00	45.53	1.08		70.82	2501.83
106.14		28.89	0.46	57.56	0.00	23.85	0.48		39.74	766.40
82.82		0.50			0.00	6.94	0.08		0.80	140.10
111.40			2.90	20.02	0.00	86.74	0.73		48.04	2498.08
		13.12	0.54	7.50	0.00	22.30	0.57		21.74	460.31
		4.10		25.02	0.00		0.37		8.45	1332.71
114.47			1.98	25.01	0.00	155.00	0.42		2.47	3262.85
98.27		34.59	2.63	120.18	0.00	31.70	0.54		16.20	918.40
		39.03	9.42	25.02	0.00	94.44	0.79		65.90	2292.68
125.89		28.72	0.36	17.52	0.00	98.76	0.42		24.53	1722.04
45.00		61.85	8.46	142.61	0.00	60.53	1.30		132.59	2670.52
21.77		82.75		67.55	0.00	144.46	1.02		139.95	2390.07
				7.51	0.00	200.00	0.28		2.19	784.15
37.24				7.5	0.00	50.57	0.22		5.44	471.40
		1.47		7.5	0.00	50.58	0.25	0.60	0.64	602.46
19.22		3.35		15.00	0.00	55.00	0.25		2.46	576.63
19.67		58.96	0.72	317.52	0.00	67.70	0.88		73.56	2598.01
		6.73	3.61	7.50	0.00	40.45	0.51		7.46	514.94
40.49		30.51	8.10	47.53	0.00	59.23	0.94		131.51	2350.06
77.35		1.91		7.51	0.00	13.00	0.14		0.65	410.86
97.66		70.39	16.71	77.76	0.00	86.72	0.88		58.19	1743.80
28.87		11.19	0.14	7.51	0.00	83.85	0.14	1.50	7.02	833.92
54.40		198.40	3.02	162.73	0.00	129.45	2.01		170.68	4605.44
60.00		12.24		22.51	0.00	25.00	0.40		12.34	1439.30
73.00		79.89	6.90	55.09	0.00	65.10	0.54		69.93	2832.08
1501.72	0.00	1028.15	70.16	1764.09	0.00	2025.12	17.00	11.40	1214.99	46857.39

राज्य योजना 2005–06 के लिए राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	सामान्य केन्द्रीय सहायता	विशेष योजना सहायता	विशेष केन्द्रीय सहायता	एच.ए.डी.पी./ डब्ल्यू.डी.जी.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	सीमा क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	ए.आई.बी.पी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
		जारी	जारी	जारी	जारी	जारी	जारी	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	34073.60					80180.98	32474.40
2.	अरूणाचल प्रदेश	54520.30	2700.00			1935.49	703.82	2200.05
3.	असम	129288.75	26911.80		4599.90	1081.00	47910.28	6517.32
4.	बिहार	56004-40				1693.00		2323.80
5.	छत्तीसगढ़	15984.56	75.00				3192.71	802.03
6.	गोवा	2329.68			271.68			
7.	गुजरात	20708.62				1106.00	97823.73	34535.40
8.	हरियाणा	9065.84					2934.46	600.00
9.	हिमाचल प्रदेश	64964.05	36000.00			642.05	3945.72	3039.05
10.	जम्मू और कश्मीर	130669.95	77172.30	36000.00		9999.97	3748.75	3796.28
11.	झारखण्ड	17940.95					205.56	621.10
12.	कर्नाटक	22913.76			1401.08		91235.18	15785.59
13.	केरल	17441.02			1181.70		33583.82	1048.51
14.	मध्य प्रदेश	35064.12					42031.37	18379.66
15.	महाराष्ट्र	35283.85			1895.40		60565.84	18431.32
16.	मणिपुर	39674.51	32850.00			592.00	291.76	7781.85
17.	मेघालय	32861.65				494.00	1481.39	225.00
18.	मिजोरम	37830.60				903.48	3728.91	1147.50
19.	नागालैंड	40144.28				456.00	575.61	920.02
20.	उड़ीसा	27679.23					7006.40	16562.42
21.	पंजाब	11395.35	646.80			1308.00	3139.41	2631.66
22.	राजस्थान	28900.67				3835.00	52478.27	9404.52
23.	सिक्किम	25969.43				622.00	714.25	307.13
24.	तमिलनाडु	30296.59			2978.10		49113.57	529.25
25.	त्रिपुरा	55586.78				1296.00	340.55	3643.20
26.	उत्तर प्रदेश	96352.35	271.20			1399.01	42488.63	13312.80
27.	उत्तरांचल	64169.50	9000.00			977.00	3481.79	8043.87
28.	पश्चिम बंगाल	44238.53			2009.70	4160.00	100906.93	381.87
	योग	1161352.92	185627.10	36000.00	14337.56	32500.00	733809.69	205445.60

* 2005–06 के दौरान ऋण केवल बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ही जारी किया गया है। जहां तक अन्य स्कीमों का सवाल है 100 प्रतिशत अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।

राज्य योजना 2005-06 के लिए राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता

31.03.2006 की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपए में)

ए.पी.डी.आर.पी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	एन.एस.ए.पी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	एन.यू.आर.एम. स्लम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	आर.एस.वी.वाई. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	एन.पी.ए.जी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	राष्ट्रीय ई.जी.– कार्यवाही	एन.यू.आर. एम.आई. एंड टी.पी.टी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	कुल
जारी	जारी	जारी	जारी	जारी	जारी	जारी	जारी	जारी
10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6746.70	6289.31	3772.04	544.85	4029.90	1511.25	9392.18	179015.21
	415.46		752.20	3.46	2700.00	904.95		66835.73
11966.00	8218.02		761.02	122.17		977.00		238353.26
	13213.06		67148.53	525.95		1503.65		142412.39
	2880.35		9017.63	164.43	945.60	898.05		33960.36
	66.95			45.02		142.65		2855.98
14808.00	3582.50		1506.61	305.00		1102.70	4288.18	179766.74
	1311.73		1502.20	120.17		942.70		16477.10
7841.00	547.17		1504.41	180.13		930.20		119593.78
9353.00	735.11		2256.61	66.81	22466.70	592.15		296857.63
	4615.34		14285.26	178.73	960.00	936.70		39743.64
1252.00	5207.76		1508.82	516.40	5100.00	657.35		145577.94
6494.00	2874.17		1504.41	247.87	2760.90	696.15		67832.55
	7649.45	925.11	15022.04	276.96	2379.00	2816.85	474.29	125018.85
8078.00	10234.03		6019.84	612.80		1804.75	2219.79	145145.62
	628.92		1502.20	15.80		510.85		83847.89
	684.72		2.20	16.86	4590.00	413.70		40769.52
4905.00	195.85		750.20	6.77	180.00	409.65		50059.96
2575.00	447.02		752.20	33.60	7982.10	394.65		54280.48
	5899.77		29511.02	289.53	2040.00	1732.05		90720.42
6528.00	897.89		752.20	129.65	2250.00	985.75		30664.71
	3754.48		3756.61	236.49	1800.00	887.65	1383.63	106437.32
	190.69		752.20	12.19	1170.00	1164.55		30902.44
	7043.03		7511.02	422.90	3000.00	1356.50		102250.96
	1119.32		752.20	91.03	5400.04	410.05		68639.17
3949.00	19851.70		20296.28	311.31	6000.00	2965.50		207197.78
3900.00	1224.26		2256.61	106.95	180.00	577.20		93917.18
35550.50	7993.56		4517.63	620.88	3064.80	1415.95		204860.35
117199.50	118229.01	7214.42	199676.19	6204.71	78999.04	29641.15	17758.07	2963994.96

2005-06 की वार्षिक योजना के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत जारी राशियों को दर्शाने वाला विवरण (चालू परियोजनाएं +बी2बी)

31.03.2006 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	चालू परियोजनाएं			बी 2 बी			सकल योग		
		ऋण	अनुदान	कुल	ऋण	अनुदान	कुल	ऋण	अनुदान	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	50689.02	29491.96	80180.98			0.00	50689.02	29491.96	80180.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	70.38	633.44	703.82			0.00	70.38	633.44	703.82
3.	असम	4791.03	43119.25	47910.28			0.00	4791.03	43119.25	47910.28
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	2333.89	858.82	3192.71			0.00	2333.89	858.82	3192.71
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	68619.10	29204.63	97823.73			0.00	68619.10	29204.63	97823.73
8.	हरियाणा	2417.99	516.47	2934.46			0.00	2417.99	516.47	2934.46
9.	हिमाचल प्रदेश	192.92	1537.80	1730.72	2215.00	0.00	2215.00	2407.92	1537.80	3945.72
10.	जम्मू और कश्मीर	374.87	3373.88	3748.75			0.00	374.87	3373.88	3748.75
11.	झारखण्ड	143.89	61.67	205.56			0.00	143.89	61.67	205.56
12.	कर्नाटक	65879.24	25355.94	91235.18			0.00	65879.24	25355.94	91235.18
13.	केरल	23913.35	9542.11	33455.46	128.36		128.36	24041.71	9542.11	33583.82
14.	मध्य प्रदेश	28710.44	13320.93	42031.37			0.00	28710.44	13320.93	42031.37
15.	महाराष्ट्र	33348.21	13612.24	46960.45	13605.39	0.00	13605.39	46953.60	13612.24	60565.84
16.	मणिपुर	29.17	262.59	291.76			0.00	29.17	262.59	291.76
17.	मेघालय	148.14	1333.25	1481.39			0.00	148.14	1333.25	1481.39
18.	मिजोरम	519.84	3209.07	3728.91			0.00	519.84	3209.07	3728.91
19.	नागालैंड	57.56	518.05	575.61			0.00	57.56	518.05	575.61
20.	उड़ीसा	−1588.40	8594.80	7006.40			0.00	−1588.40	8594.80	7006.40
21.	पंजाब	2219.19	920.22	3139.41			0.00	2219.19	920.22	3139.41
22.	राजस्थान	36593.49	15884.78	52478.27			0.00	36593.49	15884.78	52478.27
23.	सिक्किम	71.44	642.81	714.25			0.00	71.44	642.81	714.25
24.	तमिलनाडु	12160.18	5211.49	17371.67	31636.91	104.99	31741.90	43797.09	5316.48	49113.57
25.	त्रिपुरा	34.06	306.49	340.55			0.00	34.06	306.49	340.55
26.	उत्तर प्रदेश	29788.30	12700.33	42488.63			0.00	29788.30	12700.33	42488.63
27.	उत्तरांचल	348.19	3133.60	3481.79			0.00	348.19	3133.60	3481.79
28.	पश्चिम बंगाल	57896.15	43010.78	100906.93			0.00	57896.15	43010.78	100906.93
	योग	419761.64	266357.40	686119.04	47585.66	104.99	47690.65	467347.30	266462.39	733809.69

ग्रामीण लोगों का पलायन

505. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बेहतर अवसंरचना हेतु ग्रामीण लोगों के शहरी क्षेत्रों में आने को रोकने अथवा उसे हतोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी अवसंरचना उपलब्ध कराने और उसे विकसित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो बनाई और लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी अवसंरचना विकसित करने हेतु कितनी राशि आबंटित की गई या की जा रही है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रोजगार सृजित हुआ/सृजित होगा और ग्रामीण लोगों के पलायन को रोकने में कितनी सफलता मिली?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) सरकार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक से एक एक समूह लेते हुए सात समूहों में प्रायोगिक आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2004–05 से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) नामक योजना कार्यान्वित कर रही है ताकि निर्धारित ग्रामीण समहों में ग्रामीण शहरी अंतर को पाटने और संतुलित सामाजिक–आर्थिक विकास हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वास्तविक और सामाजिक मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। वर्ष 2004–05 , 2005–06 और 2006–07 में प्रत्यक वर्ष के लिए पुरा योजना में 10.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है। प्रायोगिक चरण में, निर्धारित समूहों में सड़क, बाजार, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा आदि जैसी कतिपय सुविधाएं विकसित करने के लिए निधियां रिलीज की जाती हैं। प्रायोगिक चरण के अनुभव के आधार पर, पूरी तरह नए सिरे से पुरा योजना बनाई जा रही है ताकि योजना के उद्देश्य पूरी तरह हासिल हो सकें। प्रायोगिक चरण के अंतर्गत लिए गए समूहों को भी फिर से बनाई गई पुरा योजना में शामिल किया जाएगा।

न्यायिक सुधार

506. श्री मोहन सिंह :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री विजय कृष्ण :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटान और न्यायपालिका को और अधिक जवाबदेह तथा पारदर्शी बनाने के लिए न्यायिक सुधार करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई संवैधानिक संशोधन लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ङ) मामलों के निपटारा में कितना समय लगता है, यह विषय पूर्णतया न्यायपालिका के अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, सेशन स्तर पर लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के विचार से सरकार ने त्वरित निपटान न्यायालयों की स्कीम को 31.3.2005 के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया है, जिसमें राज्यों को 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि संसद के चालू सत्र के दौरान एक विधेयक, अर्थात् न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाए, जो अन्य बातों के साथ, एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् के गठन के लिए उपबंध करेगा। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध आने वाली शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक न्यायिक मंच को सशक्त करने हेतु एक उचित विधायी ढांचे की संरचना करेगा और इस संबंध में कोई सांविधानिक संशोधन अनुध्यात नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

निवेशकों के हितों की रक्षा

507. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशकों के हितों के रक्षार्थ इंडियन इंक के लिए कोई आदर्श आचार–संहिता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) निवेशकों के हितों की रक्षा और व्यवसाय में उनका विश्वास बनाए रखने हेतु इंडिया इंक के लिए पारदर्शिता और आदर्श आचार–संहिता के पक्ष में है जैसा कि 18 सितम्बर, 2006 के "द हिन्दू" में समचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंजों तथा उनमें अपनी इक्विटी को सूचीबद्ध करने के इच्छुक कार्पोरेटों की बीच सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 को पहली जनवरी, 2006 से पुरःस्थापित किया है जो कारपोरेट अभिशासन से संबंधित है। खंड 49 का एक प्रावधान आचार संहिता से संबंधित है तथा इसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, जिस पर खंड 49 प्रयोज्य है, का बोर्ड सभी बोर्ड सदस्यों तथा कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए एक आचार संहिता का निर्धारण करेगा तथा वे वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट में इस आशय की उसके सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा सन्निहित होगी।

इसके अतिरिक्त, उद्योग संघों जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने भी कारपोरेट अभिशासन के लिए संहिता प्रकाशित की है। सीआईआई ने भारतीय कंपनियों–निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा समान रूप से अपनाए जाने के लिए 1998 में "कारपोरेट अभिशासन के लिए वांछनीय संहिता" प्रकाशित की है। सीआईआई संहिता में कारपोरेट कंपनियों को यह अनुशंसा की गई है कि वे व्यवसाय तथा उद्योग में पारदर्शिता का संवर्धन करें तथा सूचना के प्रकटन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ओर संचलन करें तथा इसके माध्यम से न केवल निवेशक जनता में बल्कि कुल मिलाकर अन्य पणधारकों में भी व्यवसाय तथा उद्योग में विश्वास के उच्च स्तर का विकास करें। संहिता का लक्ष्य निवेशकों विशेषतया लघु निवेशक के हित के संरक्षण के संबंध में लोक चिन्ताओं का निवारण करना है। संहिता को 25 से अधिक कंपनियों ने स्वेच्छा से अनुपालन हेतु अभिग्रहण किया।

(ग) और (घ) सीआईआई ने कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में वांछनीय व्यवहारों को समझने तथा उनके क्रियान्वयन की अनुशंसा करने में भारतीय उद्योग की सहायता की है। सीआईआई ने भारतीय उद्योग द्वारा सर्वोत्तम व्यवहारों का विकास करने की प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका अदा की है। सीआईआई की कारपोरेट अभिशासन की वांछनीय संहिता का विकास निवेशकों, विशेषतया लघु निवेशकों के हित के संरक्षण हेतु व्यवसाय एवं उद्योग में पारदर्शिता का संवर्धन करने के लिए सीआईआई की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप किया गया।

(ङ) सरकार का विचार है कि कंपनियों के लिए पारदर्शिता तथा आदर्श आचार–संहिता से निवेशकों सहित सभी शेयरधारक लाभान्वित होंगे।

[हिन्दी]

शहरी विकास हेतु धनराशि का आबंटन

508. डा. सत्यनारायण जटिया :
श्री जोवाकिम बखला :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शहरी विकास की प्रत्येक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई, जारी की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मतदाता पहचान-पत्र

509. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मतदाताओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) देश में फोटो पहचान–पत्र प्राप्त मतदाताओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को कुल लागत का 50% हिस्सा जारी कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जीवन बीमा कंपनियों में धारिता

510. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई स्थायी आदेश है जो जीवन बीमा कंपनियों (एलआईसी) को कम्पनी की इक्विटी में 30% धारिता को अनुमति देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में अपने विचार दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सरकार ने दिनांक 23.08.1958 की अधिसूचना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी

एक कंपनी की अभिदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 30% से अधिक के इक्विटी शेयर्स में निवेश न करने की सलाह दी थी।

(ख) और (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि उन्होंने इस संबंध में किसी विचार से संबंधित सिफारिश नहीं दी है। तथापि, इसके अद्यतन विनियमों में निवेश किसी भी समय निवेश करने वाली कंपनी की अभिदत्त शेयर पूंजी, स्वतंत्र आरक्षित तथा डिबेंचर्स/बांड्स अथवा नियंत्रित निधियों का 10%, जो भी कम हो, का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी कम्पनियों द्वारा एफ.बी.टी. के भुगतान में उल्लंघन

511. श्री अजीत जोगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियां फ्रिज बेनेफिट टैक्स (एफ बी टी) के भुगतान में अनियमितताएं बरत रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में इन विदेशी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है तथा ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) रिकार्ड में ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चले कि विदेशी कम्पनियां अनुषंगी लाभ कर के भुगतान में अनियमितताएं बरत रही हैं।

[अनुवाद]

टीएससी के अंतर्गत शामिल क्षेत्र

512. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के अंतर्गत देश में शामिल किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत/कितनी ग्रामीण जनसंख्या को वस्तुतः स्वच्छता सुविधाएं मुहैया करायी गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित और उपयोग की गई;

(ग) क्या पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत दसवीं योजना के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो इस लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद ग्रामीण स्वच्छता सुविधाओं में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में किस हद तक सफलता हासिल की गई; और

(छ) निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत कवर किए गए राज्य–वार जिलों की संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आदिनांक लगभग 2.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान टीएससी के अंतर्गत राज्य–वार रिलीज और व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं, ग्यारहवीं योजना के अंत तक शत–प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हासिल करने की योजना है।

(घ) भारत सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा कर रही है तथा परियोजना प्राधिकारियों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दे रही है ताकि वे टीएससी परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन कर सकें। इस प्रयोजनार्थ एक विस्तृत निगरानी भी बनाई गई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। हाल ही के वर्षों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में पर्याप्त तेजी आई है। वर्ष 2004–05 में बनाए 45.47 लाख निजी पारिवारिक शौचालय की तुलना में वर्ष 2005–06 में 97.97 लाख निजी पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या में वृद्धि हुई है, यह संख्या वर्ष 2004–05 में 38 थी जो वर्ष 2005–06 में बढ़कर 760 हो गई है।

(छ) सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कवरेज को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलकदमियां की हैं जिनमें शामिल हैं – देश के सभी जिलों में टीएससी परियोजनाओं का विस्तार, टीएससी के लिए बढ़ा हुआ बजट आबंटन, प्रोत्साहन सह–पुरस्कार योजना की शुरूआत, पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार, जागरूकता सृजन क्रिया–कलाप तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों की क्षमत विकास आदि। निजी पारिवारिक शौचालय की इकाई लागत को संशोधित करके क्रमशः 1500 रु. और 2000 रु. कर दिया गया है जो पहले 625 रु. तथा 1000 रु. थी। ऐसी एपीएल परिवारों, जिन्हें शौचालय बनाने के लिए सहायता की आवश्यकता है, उन्हें "आवर्ती निधि" प्रणाली के माध्यम से साफ्ट लोन दिया जाता है। विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों ने स्वच्छता सुविधा

उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिए विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय बनाने के लिए अपेक्षित सामुदायिक अंशदान के प्रावधान को हटा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तथा बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें साफ-सफाई संबंधी शिक्षा देने के लिए एनआरएचएम तथा एसएसए प्राधिकरणों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	4	0	0	4
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	10	10
4.	असम	3	1	5	9
5.	बिहार	0	0	22	22
6.	छत्तीसगढ़	2	1	8	11
7.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0
8.	गोवा	1	0	0	1
9.	गुजरात	0	20	0	20
10.	हरियाणा	12	0	0	12
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0	5	5
12.	जम्मू व कश्मीर	10	0	0	10
13.	झारखंड	0	16	0	16
14.	कर्नाटक	0	15	9	24
15.	केरल	0	0	1	1
16.	मध्य प्रदेश	30	0	0	30
17.	महाराष्ट्र	13	0	0	13
18.	मणिपुर	0	0	0	0
19.	मेघालय	2	0	1	3
20.	मिजोरम	1	0	6	7
21.	नागालैंड	0	0	1	1
22.	उड़ीसा	0	15	0	15
23.	पांडिचेरी	0	0	0	0
24.	पंजाब	9	0	2	11

1	2	3	4	5	6
25.	राजस्थान	0	11	11	22
26.	सिक्किम	0	0	0	0
27.	तमिलनाडु	6	1	0	7
28.	त्रिपुरा	0	0	0	0
29.	उत्तर प्रदेश	29	0	0	29
30.	उत्तरांचल	7	0	0	7
31.	पश्चिम बंगाल	3	0	0	3
	कुल	132	80	81	293

विवरण-II

सभी आंकड़े लाख में

क्र.सं.	राज्य	2003–04		2004–05		2005–06	
		केन्द्रीय अंश	केन्द्रीय व्यय	केन्द्रीय अंश	केन्द्रीय व्यय	केन्द्रीय अंश	केन्द्रीय व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4783.35	5113.66	3362.27	3277.33	4300.09	1835.4
2.	अरूणाचल प्रदेश	10	224.01	90	10.86	382.42	11.33
3.	असम	199.31	106.12	254.95	158.53	1355.65	103.33
4.	बिहार	0	234.92	120	476.03	6075.91	1495.52
5.	छत्तीसगढ़	0	47.69	1100.17	135.54	2663.38	140.18
6.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	134.67	0	0	0
8.	गुजरात	152.4	35.65	3690.44	84.8	188.79	2712.43
9.	हरियाणा	62.06	128.4	811.13	304.86	9.97	581.56
10.	हिमाचल प्रदेश	0	163.51	50	29.29	641.06	62
11.	जम्मू व कश्मीर	76.48	0.01	1044.88	11.88	0	0
12.	झारखंड	284.61	430.1	1946.71	202.01	2077.87	592.4
13.	कर्नाटक	0	296.22	558.57	76.62	5656.03	2109.91
14.	केरल	864.13	888.39	805.53	502.61	837.79	911.17
15.	मध्य प्रदेश	4352.79	1137.71	2242.97	2673.92	2131.01	1614.77
16.	महाराष्ट्र	725.05	1460.71	3492.45	1795.93	1494.98	2833.8
17.	मणिपुर	103.56	5	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मेघालय	221.37	0	0	0	73.4	0
19.	मिजोरम	11.51	0	60	5.12	209.33	0
20.	नागालैंड	0	112.96	62.69	0	79.37	0
21.	उड़ीसा	284.16	999.72	4582.48	1026.02	2346.29	1817.38
22.	पांडिचेरी	0	0.72	47.42	25.3	0	5.1
23.	पंजाब	0	25.26	699.94	0.07	194.06	21.04
24.	राजस्थान	119.12	220.12	700.86	786.5	4353.91	1246.56
25.	सिक्किम	38.36	109.9	74.07	29.13	344.9	247.47
26.	तमिलनाडु	2768.98	2254.23	2972.06	3239.2	7959.22	3528.53
27.	त्रिपुरा	819.21	697.73	368.73	379.9	361.72	393.05
28.	उत्तर प्रदेश	3120.44	492.04	3488.98	3235.57	11619.82	4831.68
29.	उत्तरांचल	13.4	3.97	503.23	64.98	97.5	65.5
30.	पश्चिम बंगाल	1181.1	1372.61	1566.85	2389.29	4640.37	1955.04
	कुल	20191.39	16561.36	34832.05	20921.29	60094.84	29115.15

[अनुवाद]

स्वजलधारा का कार्यनिष्पादन

513. प्रो. एम. रामदास : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वजलधारा योजना के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां असंतोषजनक रही हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या समुदाय अंशदान सामने नहीं आ रहा है, जैसा कि योजना में परिकल्पित था; और

(ङ) यदि हां, तो इस अंशदान को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) स्वजलधारा एक मांग जनित, समुदाय आधारित योजना है। इसे पूर्ण देश को कवर करने की दृष्टि से सुधार कार्यों को आगे बढ़ाने के बाद दिसम्बर, 2002 में शुरू किया गया है। चूंकि संस्थागत व्यवस्थाओं को स्थपित करने में कुछ समय लगा इसलिए इस योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के दौरान इसकी प्रगति धीमी दिखाई पड़ती थी। इसके अलावा, स्वजलधारा के अंतर्गत परियोजनाओं में 12–18 महीने के योजना चक्र का अनुपालन किया जाता है जिसमें 4 अलग–अलग चरण, जो एक साथ भी चल सकते हैं और परियोजना पूर्ण होने के बाद का चरण होता है। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चालू वित्त वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई योजनाओं एवं पूर्ण हो चुकी योजनाओं की संख्या तथा उन पर खर्च की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :

वित्त वर्ष	स्वजलधारा के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं की सं.	पूर्ण हो चुकी योजनाओं की सं.	किया गया व्यय (लाख रु. में)
2003–04	3314	2242	7630.17
2004–05	3440	1905	9273.59
2005–06	3291	762	6790.54
2006–07	148	0	190.42

(ग) स्वजलधारा योजना की निगरानी विभिन्न माध्यमों द्वारा नियमित रूप से की जाती है जिनमें (i) ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी (ii) क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा (iii) मंत्रालय स्तरीय वार्षिक समीक्षा के अलावा केन्द्र और राज्य स्तर पर समीक्षा (iv) जिला स्तरीय निगरानी एजेंसियां और (v) राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता शामिल है। इसी प्रकार, राज्य/जिला/ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियां भी स्वजलधारा योजनाओं की निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सामुदायिक अंशदान परियोजना लागत का एक अभिन्न अंग है जिसे स्वजलधारा योजना के अंतर्गत शुरू किया जाना है। चूंकि कोई भी परियोजना निर्धारित सामुदायिक अंशदान के बिना शुरू नहीं हो सकती इसलिए इसके उपलब्ध न होने क का प्रश्न ही नहीं उठता। योजना के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि समुदाय परियोजना लागत की 10% पूंजी लागत का अंशदान करेगा। योजनाओं की पूंजी लागत के रूप में किया जाने वाला सामुदायिक अंशदान नकद/वस्तु/श्रम/भूमि या इनके मिले जुले रूप में हो सकता है। तथापि, कम से कम 50% अंशदान नकद में किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों और अनु. जाति की बसावटों (जहां अनुसूचित जाति की आबादी कुल आबादी के 50% अधिक हैं) नकद अंशदान के अनुपात का निर्धारण नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

514. **श्री अनंत गुढ़े :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इसकी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) आई.डी.बी.आई. से ऋण प्राप्त करने वाली जाली व बंद कंपनियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनकी वजह से यह बैंक वित्तीय संकट का सामना कर रहा है; और

(ङ) बकाया ऋण की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने 1991–92 से आईडीबीआई में कोई नया इक्विटी निवेश नहीं किया है। तथापि, क्रमशः वर्ष 2002–03 में 2526 करोड़ रुपए की लागत से आईडीबीआई की देनदारियों का पुनर्गठन तथा 2004 में 9000 करोड़ रुपए की लागत से दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि का सृजन उन बड़े प्रयत्नों में से है जिन्होंने आईडीबीआई लि. की वित्तीय स्थिति में योगदान दिया है।

(घ) आईडीबीआई लि. ने सूचित किया है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों को सहायता प्रदान नहीं की है।

(ङ) बकाया के मामलों में, बकाया राशि की वसूली की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं यथा कंपनी ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) तंत्र, वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई अधिनियम) का अधिनियमन तथा आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) की स्थापना।

[अनुवाद]

निजी बैंकों का विलय

515. **श्री के. फ्रांसिस जार्ज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से देश के कतिपय पुराने निजी बैंकों का अन्य बैंकों में विलय की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विलय/अधिग्रहण का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कतिपय सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सरकार द्वारा विपुल पूंजी प्रवाह के द्वारा उनकी निवल आस्ति एवं पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ा कर बचा लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार से ऐसे बैंकों हेतु कितनी धनराशि दी गई है;

(ङ) क्या इन विलय किए गए बैंकों के कर्मचारियों और शेयर धारकों ने "नई पीढ़ी के निजी बैंकों" के साथ इनके विलय के प्रबंधन के निर्णय का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर 2

सितम्बर, 2006 और 3 अक्तूबर, 2006 से क्रमशः गणेश बैंक आफ कुरूंदवाड लि. का फेडरल बैंक लि. तथा युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. का दि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड में अंतरणकर्ता बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति और निवेशकर्ताओं तथा बैंकिंग प्रणाली के हितों में समामेलन की स्कीमों को मंजूरी दी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 22,591 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश किया है।

(ङ) और (च) कोई भी अंतरिती बैंक "नई पीढ़ी के निजी बैंक" नहीं हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, अंतरणकर्ता बैंक और अंतरिती बैंक तथा अंतरणकर्ता बैंक के कर्मचारियों सहित अन्य लोगों से समामेलन की प्रारूप स्कीम के संबंध में सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित की थी। समामेलन की स्कीम को अंतिम रूप देने से पूर्व सुझावों/आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया था। बैंकों के कुछ शेयरधारकों और कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में याचिका दायर करके बैंकों के समामेलन का विरोध भी किया गया था जिसका विधिवत निपटान कर लिया गया था।

(छ) समामेलन की संबंधित स्कीमों में इन बैंकों के कर्मचारियों के हितों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है, इसमें व्यवस्था है कि संबंधित अंतरणकर्ता बैंकों के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे और उसी पारिश्रमिक एवं सेवा की उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर संबंधित अंतरिती बैंकों में नियुक्त हुए माने जाएंगे, जो अधिस्थगन के लागू होने के तत्काल पूर्व ऐसे कर्मचारियों पर लागू थीं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में हिंदी का प्रयोग

516. श्री बापू हरी चौरे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित सभी प्रोत्साहन योजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में लागू है;

(ग) यदि हां, तो क्या "केन्द्रीय विद्युत लेखन पुरस्कार योजना" नामक कोई पुरस्कार योजना लागू है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोई नई योजना शुरू की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक पुरस्कार योजना तथा – "केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना" प्रचालन में है।

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रशासकीय तथा तकनीकी कार्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में "क" तथा "ख" क्षेत्रों के साथ हिंदी का पत्राचार लगभग 80% तक होता है। इस प्रतिशत को और भी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 80% से अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है। प्राधिकरण के 10 अनुभागों को अपना शत–प्रतिशत काम हिंदी में करने के लिए 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. प्राधिकरण में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में हिंदी की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

4. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों को दैनिक सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग के बारे में जानकारी देने के लिए समय–समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिसका कि वे लोग लाभ उठाते हैं।

5. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित हो चुके हैं। नए भर्ती होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से उनकी हिंदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है जिससे कि यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को हिंदी का ज्ञान नहीं है तो उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 50 कर्मचारियों को आशुलिपि एवं 7 कर्मचारियों को टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अभी शेष है। कम्प्यूटर पर

हिंदी कार्य करने के लिए प्रशिक्षण हेतु समय–समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों को एन.पी.टी.आई. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा उपलब्ध है।

6. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में राजभाषा विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। इसके अंतर्गत भाग लेने वाले केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सभी अधिकारी/कर्मचारी लाभ उठाते हैं। राजभाषा विभाग की मौलिक पुस्तक लेखन योजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में वर्ष 2003 से लागू है। प्राधिकरण के सभी कार्यालयों में इस योजना को परिचालित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक तीन प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जा चुका है।

7. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पुस्तकालय में हर वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित अर्थात् पुस्तकालय बजट की 50% राशि हिंदी पुस्तकों पर खर्च की जाती है। प्राधिकरण की तकनीकी पत्रिका "विद्युत भारती" द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाती है।

8. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किए जाते हैं। इन कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है और समीक्षा में उन्हें हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश एवं सुझाव दिए जाते हैं।

विवरण-II

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में वर्ष 2003 से "केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना" लागू है। इस योजना में तीन पुरस्कार हैं – प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में इन पुरस्कारों की राशि इस प्रकार है – प्रथम पुरस्कार – 50,000/–रु., द्वितीय पुरस्कार – 30,000/–रु. एवं तृतीय पुरस्कार – 20,000/–रु.।

वर्ष 2003 के लिए केवल एक पुस्तक को ही पुरस्कार के योग्य पाया गया जिसके लेखक श्री महीपाल सिंह, निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण थे, जिन्हें 50,000/– रु. की राशि का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2004 के लिए केवल दो पुस्तकों को ही पुरस्कार के योग्य पाया गया जिनके लेखक क्रमश श्री महीपाल सिंह, निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और श्री एम.एफ. कुरैशी, प्रोफेसर किरोड़ीमल सरकारी पोलिटैक्निक, रायगढ़, छत्तीसगढ़ थे, जिन्हें द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया। प्रथम पुरस्कार के लिए किसी भी पुस्तक को पुरस्कार के योग्य नहीं पाया गया। वर्ष 2005 के लिए पुरस्कार दिए जाने के लिए प्रविष्टियां प्राप्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र के सभी कार्यालयों में परिपत्र जारी कर दिया गया है, जिसके प्रत्युत्तर में अभी तक केवल दो प्रविष्टियां ही प्राप्त हुई हैं। चूंकि वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंदर ही इन पुरस्कारों का फैसला किया जाना है, इसलिए इस पर शीघ्र कार्रवाई कर ली जाएगी।

[अनुवाद]

शहरी आवास नीति

517. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई शहरी आवास नीति को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति को तैयार करते समय पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और कम लागत वाले निर्माण जैसे मुद्दों पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावरण नीति को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रस्तावित नीति का उद्देश्य शहरों और कस्बों को इस ढंग से विकसित करना है कि उससे स्वस्थ वातावरण मिले, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़े तथा कचरा निपटान, जल निकासी इत्यादि को ध्यान में रखकर प्रदूषण मुक्त वातावरण बने तथा ऊर्जा व लागत प्रभावी, उत्पादकता व गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आवासीय क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो। खास तौर पर गरीबों की आवासीय जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इमर्से "हरित" और "सुरचित" भवनों की संकल्पना शामिल की जाएगी। भवनों पर राष्ट्रीय आपदाओं, अर्थात् भूकंप, बाढ़, चक्रवात इत्यादि के प्रभाव को रोकने और कम करने के लिए भी प्रौद्योगिकी का प्रसार किया जाएगा। नीति के प्रारूप का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर कमजोर तबके और गरीब लोगों को गुणवत्तापरक और किफायती आवासीय विकल्प मुहैया कराना भी है।

मुम्बई का आधुनिकीकरण

518. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत आधुनिकीकरण परियोजना क्रियान्वित करने हेतु मुम्बई के आधुनिकीकरण के लिए किसी त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त आधुनिकीकरण परियोजना में शामिल की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उक्त आधुनिकीकरण परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय सहायता के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अन्तर्गत यथा प्रदत्त सुधार एजेन्डा के कार्यान्वयन के लिए मुम्बई के संबंध में भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार, (ग्रेटर मुम्बई नगर निगम) के बीच करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सूची के साथ-साथ इसकी मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) स्वीकृत की गई/स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन अवधि के भीतर पूरा किए जाने की संभावना है।

विवरण

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)
मुंबई परियोजनाओं की स्थिति (17.11.06)

क्रम सं.	नगर	सेक्टर	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	ग्रेटर मुंबई	जल आपूर्ति	मीठी नदी और इसके आस-पास विकास व संरक्षण के लिए कार्य योजना	129800.00	प्रस्ताव तकनीकी एजेंसी के मूल्यांकनाधीन है।
2.	ग्रेटर मुंबई	जल आपूर्ति	मुम्बई-IV के लिए मिडल वैतर्ण जल आपूर्ति परियोजना	132633.00	परियोजना को ईएफसी द्वारा अनुमोदन दिया गया है तथा सीसीईए के विचारार्थ नोट तैयार किया जा रहा है।
3.(i)		सीवरेज	सीवरेज निपटान परियोजना	668400.00	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सहायता हेतु मुंबई सीवेज निपटान परियोजना, चरण-II प्राथमिक कार्यों के लिए अलग परियोजना मंजूर की गई है।
3.(ii)	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	मुंबई सीवेज निपटान परियोजना चरण-II प्राथमिक कार्य	50241.00	वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.11.06 स्वीकृति पत्र के तहत 1505 लाख रु. की प्रथम किस्त जारी की गई है।
4.	ग्रेटर मुंबई	अन्य शहरी परिवहन	बांद्रा वर्ली सीलिंक प्रोजेक्ट	130625.00	राज्य सरकार को वापस की गई
5.	ग्रेटर मुंबई	जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली	थाणे के लिए एमआरटीएस-थाणे मेट्रो	85100.00	संशोधन के लिए वापस की गई

1	2	3	4	5	6
6.	ग्रेटर मुंबई	जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली	मुंबई मेट्रो–वर्सोवा–अंधेरी–घाटकोपर कारीडोर	236500.00	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शामिल नहीं है
7.	ग्रेटर मुंबई	जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली	मुंबई मेट्रो–कोलावा–बांद्रा–चारकोप कारीडोर	508500.00	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शामिल नहीं है
8.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	खेरवाड–एमयूआईपी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	3122.00	राज्य सरकार को वापस
9.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	डोमेस्टिक एयरपोर्ट–एमयूआईपी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	3692.00	राज्य सरकार को वापस
10.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	हिंडोसी–जीएमएलआर–एमयूआईपी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	1282.00	राज्य सरकार को वापस
11.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	टाइम्स ऑफ इंडिया–एमयूआईपी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	2133.00	राज्य सरकार को वापस
12.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	ठाकुर काम्प्लेक्स–एमयूआईपी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	2791.00	राज्य सरकार को वापस
13.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	सियन डुप्लीकेशन–एमयूआईपी में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर फ्लाई ओवर	5041.00	राज्य सरकार को वापस
14.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	सुमन नगर–एमयूआईपी में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	1955.00	राज्य सरकार को वापस
15.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	नवघर जंक्शन–एमयूआईपी में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	1074.00	राज्य सरकार को वापस
16.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	प्रिंस आफ वेल्स से एपीएलआर–एमयूआईपी तक ईस्टर्न फ्रीवे	51966.00	दिनांक 25.10.06 को हुई बैठक में सीएसएमसी द्वारा अनुमोदन हेतु संस्तुति की गई
17.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	सहर रोड–एमयूआईपी पर एलवेटेड सड़क	23107.00	दिनांक 25.10.06 को हुई बैठक में सीएसएमसी द्वारा अनुमोदन हेतु संस्तुति की गई
18.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	एलबीएस मार्ग (सियन–मुलुंद)–एमयूआईपी	9419.00	राज्य सरकार को वापस
19.	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	एस.बी. रोड़ (बांद्रा दहीसर)–एमयूआईपी	9483.00	राज्य सरकार को वापस
		कुल (लाख रु. में)		2056865.00	

डॉप्लर मौसम रडार

519. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डॉप्लर मौसम रडार स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन स्थानों पर इसे स्थापित किया जाना है;

(ग) क्या बाढ़ नियंत्रण हेतु देश के बड़े बांधों के निकट डॉप्लर मौसम रडार स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग की चरणबद्ध तरीके से अपनी प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजना के तहत देश के समस्त क्षेत्र को शामिल करने के लिए लगभग 55 डॉप्लर मौसम रडार स्थापित करने की योजना हैं। प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजना मंत्रालय के विचाराधीन है। डॉप्लर मौसम रडारों की स्थापना के लिए अस्थायी स्थानों को दर्शाने वाला मानचित्र विवरण में रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) ये रडार उन मौसम प्रणालियों के वास्तविक समय को मॉनीटर करने में सहायक होंगे जिनसे भारी वर्षा की स्थिति में बढ़ोत्तरी हो रही है और रडार डाटा का उपयोग करके किसी निर्धारित क्षेत्र में वर्षा की मात्रा का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इस जानकारी का उपयोग संबंधित बांध प्राधिकरणों द्वारा पानी छोड़ने को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।

विवरण

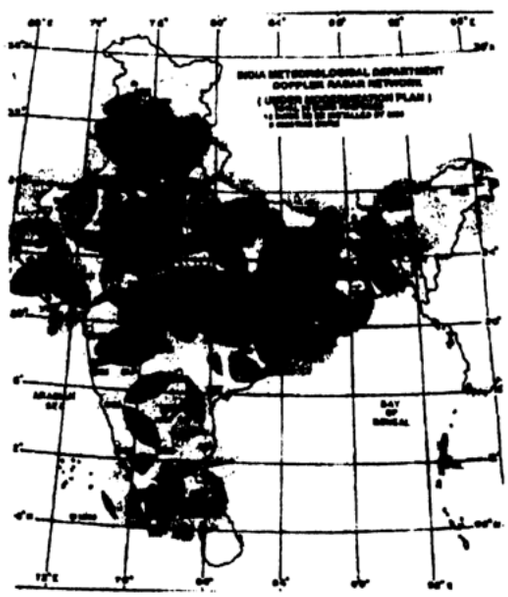

[हिन्दी]

सिंगरौली में विद्युत संयंत्र

520. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सिंगरौली के विद्युत संयंत्र हेतु केन्द्रीय स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है तथा परियोजना के कब तक चालू होने की संभावना है;

(ग) क्या सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र की विस्तार इकाई कोयले की कमी का सामना कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट क्षमता का सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण–I के अंतर्गत 600 मेगावाट (3x200) और चरण–II के अंतर्गत 1400 मेगावाट (2x200 मेगावाट + 2x500 मेगावाट) स्थापित किया है जो परिचालन अधीन है। वर्तमान में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आगे विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) 1142.5 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना में कोयले की कोई कमी नहीं है। 19.11.2006 की स्थिति के अनुसार सामान्यतया अपेक्षित 20 दिन के स्टॉक की तुलना में विद्युत केन्द्र पर 19 दिन का स्टॉक उपलब्ध है।

यह स्टॉक काफी अच्छा है।

[अनुवाद]

लघु बचतों से जमा

521. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाकघरों में इस वित्त वर्ष के प्रथम पांच महीनों में पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में लघु बचत योजनाओं से होने वाला संग्रहण 30 प्रतिशत तक घट गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लघु बचतों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ताकि आम आदमी को देश के विकास में योगदान देने में समर्थ बनाया जा सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) पहले पांच महीनों अर्थात् अप्रैल–अगस्त, 2006 के दौरान डाकघरों और बैंकों में सकल लघु बचत संग्रहण पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान 82,800 करोड़ रुपए की तुलना में 73,456 करोड़ रुपए था। इसी अवधि के दौरान निवल संग्रहण (पुनः अदायगी को

घटाकर सकल संग्रहण) पिछले वर्ष 36,782 करोड़ रुपए की तुलना में 27,874 करोड़ रुपए था। संग्रहणों में यह कमी अन्य बातों के साथ-साथ वैकल्पिक साधनों के संबंध में निवेशकों द्वारा तरजीह दिए जाने की वजह से प्रतीत होती है।

(ग) भारत सरकार द्वारा प्रशासित विभिन्न शर्तों तथा ब्याज दर की लघु बचत योजनाएं सभी व्यक्तियों को जो इन बचत योजनाओं में निवेश करते हैं, सुरक्षित तथा आकर्षक निवेश विकल्प प्रदान करने के लिए तैयार की जाती हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तथा संगोष्ठियां और बैठकें आयोजित कर एवं इन योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां जुटाने में लगी विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करके लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन तथा लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए जाते हैं। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत संस्थान की वैबसाइट आरंभ की गई है जो लघु बचतों के संबंध में सूचना का व्यापक प्रसार, ऑन-लाइन पंजीकरण तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान करके आम आदमी के साथ पारस्परिक संपर्क को सुगम बनाती हैं। वैबसाइट का पता nsiindia.gov.in है।

अस्पतालों को भूमि का आबंटन

522. श्री निखिल कुमार : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में अस्पतालों को भूमि आबंटन हेतु नियमों को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन अस्पतालों, जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गई है, चिकित्सा लागत में हुई तीव्र बढ़ोत्तरी के मद्देनजर सरकार से गरीबों हेतु 25 प्रतिशत निःशुल्क चिकित्सा के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जुलाई, 2002 से अस्पतालों के लिए भूमि बिक्री का तरीका आबंटन से बदलकर नीलामी कर दिया गया है। भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा अस्पतालों को भूमि का आबंटन पूर्व-निर्धारित दरों पर किया जाता है।

आबंटन की शर्तों में अनेक मामलों में निःशुल्क चिकित्सा की शर्त शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बहिरंग मरीजों के लिए 25% और भर्ती के मामले में 10% तक निःशुल्क चिकित्सा की सिफारिश की है। कुछ अस्पतालों, जिन्हें भूमि आबंटित की गई थी, ने भी अनुरोध किया है कि निःशुल्क चिकित्सा की प्रतिशतता पर पुनर्विचार किया जाए।

आबंटन की शर्तों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में संशोधन

523. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम को संशोधित करने का है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी संपूर्ण धारिता केन्द्र सरकार को स्थानान्तिरित की जा सके ताकि देश का अग्रणी वाणिज्यिक बैंक अपना विस्तार करने के लिए अपनी पूंजी आधार में वृद्धि कर सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह संशोधन कब तक कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या यह संशोधन बोर्ड की शक्तियों को तर्कसंगत बनाने, अन्य बैंकों का व्यवसाय प्राप्त करने तथा शेयर से जुड़े अन्य मामलों में भारतीय स्टेट बैंक को सक्षम बनाने के लिए भी आवश्यक था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) सरकार संसद के चालू सत्र में भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत करके भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन का प्रस्ताव करती है। प्रस्तावित विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमान शेयर के निर्गम के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की पूंजी में वृद्धि व्यवस्था करने, लोक निर्गम या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट, आदि द्वारा बाजार से संसाधन जुटाने में उन्हें समर्थ बनाने की बात कही गई है। इस विधेयक का उद्देश्य बैंक के प्रबंधन में लचीलापन लाना भी है। तथपि, भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता के अंतरण संबंधी संशोधनों को उपर्युक्त विधेयक में शामिल नहीं किया गया है।

मुद्रा विनिमय

524. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रुपया मूल्यवर्गित ऋण में विदेशी वित्तपोषण की अनुमति हेतु मुद्रा विनिमय को स्वीकृति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप ऋण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) निम्नांकित के संबंध में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जून, 2006 में एशियाई विकास बैंक का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था; (i) 50 बिलियन रुपए तक निधियां जुटाना, (ii) सबसे सस्ते निधीयन विकल्प का चयन करने की छूट (बांडों के जरिए अथवा परस्पर मुद्रा विनिमय द्वारा)। एशियाई विकास विकास बैंक के साथ अक्टूबर, 2006 में प्रारंभिक चर्चा हुई थी और एशियाई बैंक संशोधित प्रस्ताव भेजने पर सहमत हो गया था। संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। चूंकि, प्रस्ताव अपनी आरंभिक अवस्था में है, इसलिए ऋण बाजार पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगेगा।

एन.टी.पी.सी. की विद्युत उत्पादन क्षमता

525. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री जुएल ओराम :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एन.टी.पी.सी. विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का विचार वर्ष 2017 तक अपनी उत्पादन क्षमता को तिगुना करने का है;

(ग) यदि हां, तो एनटीपीसी द्वारा इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एनटीपीसी द्वारा अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु क्या अल्पावधि उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) देश में एनटीपीसी के विद्युत स्टेशनों की वर्तमान उत्पादन क्षमता संयुक्त उद्यम स्टेशनों से 1054 मेगावाट सहित 26404 मेगावाट है।

(ख) और (ग) जी, हां। एनटीपीसी लिमिटेड की 2017 तक 75,000 मेगावाट प्लस कंपनी बनने की महत्वाकांक्षी योजना है।

11,360 मेगावाट की क्षमता वर्तमान में निर्माणाधीन है। 11,891 मेगावाट की नई योजनाएं, जिनके लिए व्यवहार्यता रिपोर्टों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया गया है, स्वीकृति/अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है। शेष क्षमता को चिह्नित की जा रही परियोजनाओं के माध्यम से जोड़ा जाना परिकल्पित है।

(घ) अपनी नई तथा विस्तार परियोजनाओं के लिए, एनटीपीसी लि., तीव्र परियोजना अनुमोदन तथा समुचित परियोजना प्रबंधन पहलों के माध्यम से कार्यान्वयन को जल्दी पूरा करने का प्रयत्न करता है। एनटीपीसी लघु समय-सीमा में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त स्टेशनों के अधिग्रहण हेतु अवसर प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त, प्रचालन दक्षताओं में सुधार द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों/भारत सरकार से लिए गए स्टेशनों के साथ-साथ अपने यूनिटों के उपयुक्त नवीकरण एवं आधुनिकीकरण द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है।

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

526. **श्री लक्ष्मण सिंह :**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन में किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम पर सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ा। अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता, मानव संसाधन विकास पर अधिक बल, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए समन्वयन और मॉनीटरिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए इस वर्ष 2003-04 में संशोधित किया गया।

सहकारी बैंकों की शाखाएं खोले जाने पर प्रतिबंध

527. **श्री पन्नियन रवीन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में सहकारी बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिबंध को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्ष 2004–05 के वार्षिक नीति विवरण में नए लाइसेंस जारी करने के बारे में कहा गया है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि शहरी सहकारी बैंकिंग (यूसीबी) क्षेत्र को सुदृढ़, स्वस्थ एवं स्थिर बनाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि नए लाइसेंस जारी करने पर तभी विचार किया जाए जब इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त विधायी एवं विनियामक ढांचे सहित शहरी सहकारी बैंकिंग संबंधी व्यापक नीति लागू की जाए और शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए नीति बना ली जाए।

घोषणा के अनुसार, नए यूसीबी बनाने या सहकारी ऋण समितियों को यूसीबी में बदलने के किसी भी नए प्रस्ताव पर स्थिति की पुनरीक्षा करने और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई घोषणा किए जाने के बाद ही विचार किया जाना है। तथापि, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

[हिन्दी]

घर पर बैंकिंग सेवाएं

528. श्री पंकज चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसे विभिन्न बैंकों से, ग्राहक के घर पर कुछ बैंकिंग सेवाएं देने की उन्हें अनुमति देने के लिए, अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि बैंक इस संबंध में एक योजना तैयार कर सकते हैं और इसके लिए आरबीआई की अनुमति ले सकते हैं।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों द्वारा ठगी

529. श्री ए.वी. वेल्लारमिन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआई) तथा सहकारी बैंकों द्वारा ठगी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि तथा तथाकथित बैंकों के मालिकों द्वारा दुर्विनियोजित राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि इस संबंध में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ ऐसी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं, जिन्होंने जमाकर्ताओं को, परिपक्वता होने पर भुगतान करने में चूक की है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी गैर–बैंकिंग कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता रहा है, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उनके तहत निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है या जिन्होंने कमजोर वित्तीय स्थिति दिखाई है। ऐसी कार्रवाई में कंपनियों को गैर–बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप चलाने, जमाराशि स्वीकार करने और आस्तियों का हस्तान्तरण करने से रोकना शामिल है। जहां कहीं लगातार चूक हो रही हो, वहां भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी को बन्द करने की कार्यवाही शुरू करता है और साथ ही गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायत भी दायर करता है। अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 77 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध बन्द किए जाने की याचिका दायर की है और उनमें से 61 के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की है।

बहुल पैन कार्ड धारक

530. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आय कर विभाग कार्यालय, मुम्बई ने डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर 10,000/– रुपए का अर्थदण्ड लगाने तथा पैन कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई में पैन कार्ड धारकों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने व्यक्तियों के पास एक से अधिक कार्ड हैं;

(ग) क्या बहुल कार्ड धारकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) आयकर अधिनियम में विशिष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे स्थाई खाता संख्या (पैन) पहले ही आबंटित की जा चुकी है, वह दूसरा पैन प्राप्त अथवा धारित न कर सके।

(ख) दिनांक 21 नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार, मुम्बई

में पैन कार्ड धारकों की संख्या 42,60,162 है, जिनमें से 1,58,427 पैन धारकों के पास एक से अधिक पैन हैं।

(ग) और (घ) जाली पैन रखने वाले व्यक्तियों की पहले से ही पहचान की जा चुकी है। उन्हें जाली पैन रखने के लिए सूचित किया जा रहा है। उनके जाली पैनों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

विश्व बैंक तथा एडीबी ऋण

531. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 से विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा असम सरकार को प्रत्येक क्षेत्र के लिए स्वीकृत सहायता एवं ऋण की राशि का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी तक परियोजना–वार निर्धारित लक्ष्य, कुल परिव्यय, उपयोग की गई राशि तथा प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या असम के संबंध में कोई अन्य निवेश प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनको कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) असम सरकार को वर्ष 2000 से विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए ऋण सहायता सहित विदेशी सहायता के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता के लिए कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष	एजेंसी	क्षेत्र	परियोजना	राशि (मि. अमरीकी डालर में)	अनुमोदन की तारीख	उपयोग (मि. अमरीकी डालर में)
2001–02	एडीबी	विद्युत	असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पूर्ण)	150.00	10.12.2003	150.00
	एडीबी	विद्युत	असम विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	100.00	10.12.2003	14.723
2004–05	एडीबी	वित्तीय	असम शासन और लोक संसाधन प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम	125.00	16.12.2004	90.00
	एडीबी	वित्तीय	असम शासन और लोक संसाधन प्रबंधन क्षेत्र विकास परियोजना	25.00	16.12.2004	0.350
	विश्व बैंक	गरीबी उन्मूलन और आर्थिक प्रबंधन	आर्थिक सुधार परियोजना के लिए तकनीकी सहायता (उप परियोजना: असम पीडब्ल्यूडी कम्प्यूटीकरण परियोजना)	1.80	22.09.2004	1.53
	विश्व बैंक	कृषि	असम कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना	154.00	14.01.2005	13.869
2005–06	एडीबी	परिवहन	ग्रामीण सड़क क्षेत्र–II निवेश कार्यक्रम	750.00	20.12.2005	शून्य

विवरण-II

		विकास भागीदार	लगी हुई राशि (मि. अमरीकी डालर में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	असम में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिलों का स्तरोन्नयन	विश्व बैंक	220	9.9.04 को विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई।
2.	उत्तर पूर्वी राज्य सड़कें (लाभभोगी राज्यों में असम भी है)	एडीबी	300	वर्ष 2007 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

1	2	3	4	5
3.	उत्तर पूर्व क्षेत्र में राजधानी नगरों का विकास निवेश कार्यक्रम चरण–II (लाभभोगी राज्यों में असम भी है)	एडीबी	200	वर्ष 2008 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने की आशा है।
4.	उत्तर–पूर्वी राज्य बाढ़ और नदी तटक्षरण प्रबंधन परियोजना	एडीबी	200	वर्ष 2008 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने की आशा है।
5.	उत्तर–पूर्वी राज्य व्यापार एवं निवेश सृजन अभिक्रम	एडीबी	100	वर्ष 2008 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने की आशा है।
6.	असम शासन एवं लोक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम–II	एडीबी	100	वर्ष 2009 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

दिल्ली में विद्युत संयंत्रों की स्थापना

532. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गैस आधारित एवं कोयला आधारित कुछ विद्युत संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इन्हें किन–किन स्थानों पर लगाया जाएगा; और

(ग) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) निम्नांकित कोयला आधारित थर्मल विद्युत संयंत्रों को 11वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्नानुसार स्थापित करने की परिकल्पना की गई है:–

संयंत्र का नाम एवं स्थल	मेगावाट	चालू होने का अनुमानित कार्यक्रम
दादरी–II विस्तार, एनटीपीसी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	2x490	2009–10
बदरपुर विस्तार चरण–3, एनटीपीसी बदरपुर, दिल्ली	2x490	2010
झज्जर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी एसपीवी, दिल्ली, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार, जिला–झज्जर, हरियाणा	3x500	2010–11

उक्त के अलावा दिल्ली सरकार ने दो गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की है, एक बवाना में (1000 मेगावाट) तथा दूसरा प्रगति–II संयंत्र (330 मेगावाट), बशर्ते कि गैस उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम

533. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य–वार कितनी राशि जारी की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम नामक कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखत हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मलिन बस्तियों में जिन्दगी

534. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से तमिलनाडु के शहरों में मलिन बस्तियों की जनसंख्या 55 प्रतिशत तक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से तमिलनाडु में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन–स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

— **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा)** : (क) जी, नहीं। 2001 की जनगणना के अनुसार, तमिलनाडु की स्लम आबादी 17.8 प्रतिशत है।

(ख) राज्यवार ब्यौरे विवरण मे रूप में संलग्न है।

(ग) स्लम आबादी की जीवन यापन स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने 63 शहरों को शामिल करके जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के चेन्नै, कोयम्बटूर तथा मदुरै शहरों को शामिल किया गया है। मिशन के अंतर्गत स्लमों में जल आपूर्ति/सीवरेज/जल निकासी, समुदाय शौचालय/स्नानघर इत्यादि सहित आवासीय और नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती है।

सरकार ने मिशन से इतर शहरों की सहायत के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) आरंभ किया है, जिसके तहत स्लमवासियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सहित आवासीय और स्लम सुधार क्रियाकलापों पर बल दिया जाता है।

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं तथा एकीकृत आवास और स्लम सुधार कार्यक्रम, दोनों में ही केन्द्रीय सरकार के स्तर पर स्वीकृति/अनुमोदन के लिए राज्य सरकारों से परियोजना रिपोर्ट अपेक्षित है।

विवरण

क्रम सं.	शहर का नाम	स्लमों की सूचना देने वाले कस्बों की संख्या	कुल आबादी			स्लम आबादी		
			व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत	607	178,393,941	94,354,914	84,039,027	40,297,341	21,489,015	18,808,326
1.	जम्मू व कश्मीर	5	1,451,995	785,036	666,959	270,084	142,290	127,794
2.	पंजाब	27	5,652,211	3,076,891	2,575,320	1,151,864	625,729	526,135
3.	चंडीगढ़*	1	808,796	451,387	357,409	107,098	62,747	44,351
4.	उत्तरांचल	6	1,030,720	547,813	482,907	195,604	103,980	91,624
5.	हरियाणा	22	4,300,013	2,331,614	1,968,399	1,421839	779,663	624,176
6.	दिल्ली*@	14	10,979,341	6,021,568	4,957,773	2,025,890	1,138,063	887,827
7.	राजस्थान	25	7,453,084	3,951,335	3,501,749	1,206,123	634,848	571,275
8.	उत्तर प्रदेश	65	18,791,750	10,023,729	8,768,021	4,156,020	2,226,070	1,929,950
9.	बिहार	23	4,817,624	2,586,618	2,231,006	507,383	269,155	238,228
10.	त्रिपुरा	1	189,327	94,398	94,929	29,378	14,777	14,601
11.	मेघालय	1	267,881	134,416	133,465	110,714	55,437	55,277
12.	असम	7	1,347,111	726,986	620,125	84,644	44,870	39,774
13.	पश्चिम बंगाल	51	14,250,720	7,595,740	6,654,980	3,822,309	2,066,223	1,756,086
14.	झारखंड	11	2,418,755	1,286,171	1,132,584	309,557	163,192	146,365
15.	उड़ीसा	15	2,818,455	1,502,986	1,315,469	635,150	332,534	302,616
16.	छत्तीसगढ	12	2,692,612	1,397,854	1,294,758	788,127	407,228	380,899
17.	मध्य प्रदेश	42	9,823,309	5,173,811	4,649,498	2,388,517	1,254,657	1,33,860
18.	गुजरात	28	11,427,259	6,103,900	5,323,359	1,346,709	743,686	603,023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	महाराष्ट्र	62	33,624,960	18,025,493	15,599,467	10,644,605	5,820,715	4,823,890
20.	आंध्र प्रदेश	76	15,752,946	8,024,314	7,728,632	5,149,272	2,607,775	2,541,497
21.	कर्नाटक	35	11,021,192	5,686,521	5,334,671	1,267,759	645,289	622,470
22.	गोवा	2	175,478	91,361	84,117	14,529	7,503	7,026
23.	केरल	9	2,509,719	1,230,946	1,278,773	45,337	22,342	22,995
24.	तमिलनाडु	63	14,175,792	7,192,334	6,983,458	2,530,289	1,275,812	1,254,477
25.	पांडिचेरी*	3	512,705	256,185	256,520	72,275	35,564	36,711
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	100,186	55,507	44,679	16,265	8,866	7,399

नोट : 1. हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर मिजोरम, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के संबंध में भारत की जनगणना–2001 में कोई स्लम आबादी नहीं बताई गई है।

2. दिल्ली में 11 जनगणना कस्बे तथा उत्तर प्रदेश का एक कस्बा शामिल है।

3. सात कस्बों में बिहार, महाराष्ट्र तथा मेघालय में एक–एक गुजरात व मध्य प्रदेश में दो–दो कस्बों की आबादी में अपवृद्धि/शहरी समूह की आबादी शामिल है।

महापंजीयक कार्यालय, भारत
6 नवम्बर, 2001 को सृजित
22 जनवरी, 2002 को संशोधित

ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन

535. श्री नवीन जिन्दल :
डा. अरुण कुमार शर्मा :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में ग्लोबल वार्मिंग के जलवायु परिवर्तनों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई वैज्ञानित अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन रिपोर्टों के जांच–निष्कर्ष क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में सुनामी और अत्यधिक वर्षा एवं सूखे जैसे असामान्य मौसम ऐसे प्रभाव के कारण हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जलवायु परिवर्तनों से कौन–कौन से क्षेत्र सर्वाधित प्रभावित हुए हैं;

(ङ) विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय विचार–विमर्शों तथा इसकी रोकथाम के विभिन्न पहलुओं पर एवं इसके प्रभाव से निपटने के लिए हुए सर्वसम्मति का ब्यौरा क्या है;

(च) इन मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा निभायी जा रही सहयोगपूर्ण भूमिका क्या है; और

(छ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दामोल विद्युत परियोजना

536. श्री तरित बरण तोपदार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दाभोल विद्युत संयंत्र को पुनर्जीवित करने के अंतर्ग्रस्त निधि आधारित और गैर–निधि आधारित कुल लागत कितनी है;

(ख) क्या ऐसी एलएनजी आपूर्ति की सुनिश्चित प्रतिबद्धता के बगैर वचनबद्ध की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ईंधन आपूर्ति समझौते के बगैर इतनी बड़ी राशि की वचनबद्धता देने के लिए उत्तरदायी अभिकरण कौन हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जैसा कि डाभोल विद्युत परियोजना के लिए अग्रणी वित्तीय संस्थान आईडीबीआई लि. द्वारा सूचित किया गया है, कि डाभोल परियोजना को फिर से चालू करने में 10,038 करोड़ रुपए की लागत (निधि आधारित और गैर–निधि आधारित) अनुमानित है।

(ख) और (ग) मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम), भारत सरकार (जीओआई) के तत्वाधान में डाभोल विद्युत परियोजना के लिए एक व्यापक पुनरूद्धार योजना तैयार की गई थी और सभी साझेदारों द्वारा स्वीकार की गई थी। 10,038 करोड़ रुपए की अनुमानित पुनरुद्धार लागत में से "अधिग्रहण मूल्य" 8485.45 करोड़ थी (जिसकी पहले से ही प्रतिबद्धता थी अर्थात् नए सिरे से वित्तपोषित नहीं है), जिस पर माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सहमति शर्तों के

अनुसार परियोजना के विशेष प्रयोजन माध्यम रत्नागिरी गैस एवं विद्युत प्राइवेट लि. (आरजीपीआईएल) द्वारा संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया। साझेदारों द्वारा पुनरुद्धार के लिए प्रस्तुत की गई व्यापार योजना रूपरेखा के अनुसार जीएआईएल को विद्युत खंडों के चालू होने के साथ–साथ परिचालन शुरू करने के लिए दीर्घावधि आधार पर एलएनजी की प्राप्ति करनी है। जीएआईएल अभी तक निश्चित एलएनजी आपूर्ति हेतु करार (टाई–अप) नहीं कर सकी है। तथापि, सीएआईएल तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में अन्य अभिकरणों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जो विद्युत संयंत्र के लिए एलएनजी/गैर करारों (टाई–अप्स) को सुविधा प्रदान कर रहा है।

एमओपीएनजी द्वारा सूचित की गई नवीनतम स्थिति के अनुसार -

(i) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल), 2007 से 2009 तक अल्पावधि आधार पर 1.2 एलएमटीपीए एलएनजी के आयात हेतु रासगैस कतर से चर्चा कर रही है। पीएलएल ने सूचित किया है कि रास गैस ने प्रत्येक दो माह में 3 कार्गो की आपूर्ति की पुष्टि की है जिसका मतलब है एक वर्ष के दौरान 18 कार्गो अर्थात् 1.20 से 1.25 एमएमटीपीए। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि भंडारण तथा पुनर्गैसीकरण क्षमता की बाधाओं के कारण यह अधिकतम अतिरिक्त एलएनजी जिसका वहन पीएलएफ कर सकता है इसकी कीमत के बारे में पीएलएल तथा रासगैस, कतर के बीच चर्चा चल रही है।

(ii) जीएआईएल 2009 से दीर्घावधि आधार पर 1.2 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति हेतु सोनाट्रैक, अल्जीरिया के साथ भी चर्चा कर रहा है। इस संबंध में सोनाट्रैक के साथ अल्जीरिया में नवंबर/दिसंबर, 2006 में आगे चर्चा होने की संभावना है। जीएआईएल दीर्घावधि आधार पर परियोजना के लिए एलएनजी प्राप्त करने हेतु कई अन्य संभाव्य गैस आपूर्तिकर्ताओं के साथ भी चर्चा कर रहा है।

पी.जी.सी.आई.एल. के संयुक्त उद्यम

537. श्री विजय कृष्ण :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) ने देश में पारेषण परियोजनाओं के लिए पांच कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने मैसर्स टाटा पावर के साथ संयुक्त उद्यम (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) के रूप में टाला एचईपी, ईस्ट–नार्थ कनेक्टर और उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली के साथ सम्बद्ध विशिष्ट पारेषण लाइनों का कार्यान्वयन किया है।

पीजीसीआई ने पार्बती–II और कोल डैम एचईपी से संबद्ध विशिष्ट पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में मैसर्स रिलाइन्स इनर्जी लिमिटेड का चयन किया है और संयुक्त उद्यम के निर्माण के लिए वांछित समझौते को अंतिम रूप दे दिया है।

पीजीसीआईएल द्वारा निम्नलिखित पांच उत्पादन परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणालियों को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु इन विद्युत परियोजनाओं के प्रवर्तकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

(i) गुजरात में सूरत के निकट मैसर्स टॉरेन्ट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) द्वारा विकसित 1100 मेगावाट की उत्पादक परियोजना।

(ii) हिमाचल प्रदेश में मैसर्स जेपी कारचम हाइड्रो कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही 1000 मेगावाट की कारचम–वांगटु हाइड्रो पावर परियोजना।

(iii) मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही 1200 मेगावाट की तीस्ता–III उत्पादक परियोजना।

(iv) गुजरात में सूरत के निकट हजीरा में मैसर्स एस्सार पावर लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही 1500 मेगावाट की गैस आधारित उत्पादन परियोजना।

(v) त्रिपुरा में पल्लाटाना में आईएल एंड एफएस/ओएनजीसी द्वारा विकसित करने हेतु प्रस्तावित 1100 मेगावाट (बाद में कम करके 740 मेगावाट की गई) गैस आधारित कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट।

पीजीसीआईएल ने गुजरात में सूरत के निकट टॉरेंट जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) द्वारा विकसित की जा रही 1100 मेगावाट की उत्पादक परियोजना से बिजली की निकासी के लिए समर्पित पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु मैसर्स टॉरेंट पावर एईसी लिमिटेड के साथ संयुत उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन बीमा योजना

538. श्री महेश कनोडीया :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् वरिष्ठ नागरिकों को जीवन बीमा प्रदान करने हेतु एक योजना आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपनी विभिन्न प्रकार की धर्मादा पालिसियों के अंतर्गत 75 वर्ष की आयु तक कवर प्रदान करती है। इसी प्रकार, इसकी आजीवन पालिसी मृत्यु तक कवर प्रदान करती है। एलआईसी की "आस्थगित" और "तत्काल वार्षिकी" योजनाएं भी हैं जिनमें भाग लेने के लिए 79 वर्ष की आयु तक अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कमजोर वर्गों के लिए आवास

539. श्री जी.वी. हर्ष कुमार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए और 4 लाख आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत और 4 लाख आवास बनाने का अनुरोध किया है।

(ख) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बाढ़ की वजह से तबाह हुए मकानों के निर्माण के लिए प्रति जिला केवल 50.00 लाख रु. (राज्य अंश सहित) दिए जा सकते हैं। इस राशि के अलावा और निधियां रिलीज करने के लिए राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग के साथ इस मामले को उठाना होता है।

फ्रीहोल्ड के लिए लंबित मामले

540. श्री गणेश प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किसी निदेश/दिशानिर्देशों के जारी नहीं किए जाने के कारण डी.डी.ए. के पास फ्लैटों/तलों/दुकानों आदि को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने के लिए 1.5 लाख से अधिक आवेदन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीडीए ने मामले को सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि फ्री होल्ड में अंतरण के लिए प्राप्त कुल 1,75,864 आवेदनों में से 1,69,335 आवेदनों पर कार्रवाई की गई है।

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों की निर्माण लागत में वृद्धि

541. श्री अनन्त नायक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकान की प्रत्येक इकाई की लागत कितनी है;

(ख) क्या प्रत्येक इकाई के निर्माण के लिए वर्तमान में आरक्षित राशि में वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है और इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य के पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में एक नए मकान के निर्माण के लिए दी जाने वाली इकाई लागत 27,500@– रु. है। अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक इंदिरा आवास योजना मकान की इकाई लागत 25,000/– रु. है।

(ख) से (घ) 1.4.2004 से एक आईएवाई मकान की इकाई लागत में 5000 रु. की वृद्धि की गई थी। कुछ भागों से इकाई लागत बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है और इसकी आरंभिक जांच की जा रही है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत दिशानिर्देशों का उल्लंघन

542. श्री हितेन बर्मन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इसके द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में केन्द्रीय दिशानिर्देशों का कुछ राज्यों द्वारा सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है तथा गत तीन वर्षों के दौरान निधियों के दुर्विनियोजन का कुप्रबंध के विशिष्ट मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई शुरू की गई है;

(घ) क्या गरीबी उपशमन योजनाओं के लाभ गरीबों में सर्वाधिक उपयुक्त लोगों को मिल रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा समिति के कार्य–निष्पादन, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन करवाने के लिए संसद सदस्यों, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी वाली राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रभाव की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली बनाई है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की भी सलाह दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : – (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जनभागीदारी और (iv) जवाबदेही, सामाजिक लेखा–परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता और निगरानी।

[हिन्दी]

सरस पैवेलियन के निर्माण में अनियमितताएं

543. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत चार वर्षों से सरस पैवेलियन के निर्माण में की जा रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी ठहराई गई फर्मों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी परियोजनाएं

544. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में आवास की समस्या का समाधान करने के लिए हडको नीतियां तथा परियोजनाएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा राजस्थान में पूरी की गई आवासीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्याओं का समाधान करने के लिए हडको द्वारा निकट भविष्य में कोई विशेष योजना शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) आवास की समस्या का समाधान करने के लिए हडको की नीतियों एवं परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में राजस्थान में हडको द्वारा स्वीकृत आवास स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हडको ने हाल ही में शहरी गरीबों के लिए दो स्कीमें, नामतः (i) सामुदायिक शौचालयों एवं सफाई का कार्यान्वयन तथा (ii) किओस्को का निर्माण शुरु की है जो राजस्थान सहित सभी राज्यों के लिए खुली है।

विवरण-I

देश के विभिन्न हिस्सों में आवास की समस्या का समाधान करने हेतु हडको की नीतियां एवं परियोजनाएं।

निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास के साथ–साथ

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी समूहों की आवासीय स्थितियों में सुधार करने के मुख्य अधिदेश के साथ वर्ष 1970 में हडको को निगमित किया गया था। हडको के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य "रिहायशी उद्देश्यों के लिए आवासों के निर्माण हेतु दीर्घावधिक वित्तपोषण मुहैया कराना या देश में आवास एवं शहरी विकास कार्यक्रम को वित्तपोषित करना या शुरू करना" है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हडको आश्रय मुहैया करने तथा एतदद्वारा देश के लोगों की स्थितियों में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। हडको ने बुनियादी सामुदायिक सुविधाएं तथा अवस्थापना सुविधाएं बढ़कर/मुहैया कराके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास भी किया है। हडको के द्वारा वित्तपोषित विभिन्न प्रकार के आवास कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है:–

1. शहरी आवास
2. ग्रामीण आवास
3. अंदरूनी नगरीय क्षेत्र सहित स्लम का उन्नयन तथा पर्यावरणीय सुधार स्कीमें।
4. सहकारी आवास स्कीम
5. स्टाफ आवास स्कीमें
6. व्यवसायिक स्कीमें
7. भूमि अधिग्रहण और क्षेत्र विकास स्कीमें
8. निजी क्षेत्र को ऋण
9. मरम्मत एवं नवीकरण स्कीम

इसके लिए आवास बोर्ड, विकास प्राधिकरण, नगर सुधार ट्रस्ट, नगर निगम, सरकारी उपक्रम, राज्य सरकार के उपक्रम, गैर सरकारी संगठन, निजी विकासक, कोऑपरेटिव, कार्पोरेट इत्यादि पत्र एजेंसियां हैं।

अपनी स्थापना के बाद से ही हडको का ध्यान ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी लाभार्थियों के लिए आवास का वित्तपोषण करने हेतु अपने संसाधनों के एक बड़े भाग को निर्धारित कर प्राथमिकता सेक्टर आवास को बढ़ावा देने पर है। दिनांक 31.10.2006 की स्थिति अनुसार आवास के लिए स्वीकृत कुल 23049 करोड़ रुपए के ऋण में से 12140 करोड़ रुपए का ऋण अर्थात् 53 प्रतिशत प्राथमिकता सेक्टर आवास के लिए स्वीकृत किया गया है तथा 90 प्रतिशत से अधिक आवास देश के विभिन्न राज्यों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

वित्त पोषण के अनुबंध

हडको आवासों के निर्माण हेतु ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित लोगों को परियोजना लागत के 90% तक के वित्तपोषण के लिए 9% की ब्याज दर (परिवर्तनीय) से सहायता मुहैया करा रहा है। इसके अतिरिक्त हडको विधवाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग, 35 वर्ष से अधिक की उम्र वाली एकल महिला तथा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों जैसे विशेष श्रेणियों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास स्कीमों हेतु 8.5% की रियायती ब्याज दर (परिवर्तनीय) पर वित्तपोषण भी मुहैया करा रहा है। इसके अलावा हडको एलआईजी श्रेणी के लिए भी परियोजना लागत के 85% तक के वित्तपोषण के लिए 9.75% की ब्याज दर (परिवर्तनीय) से वित्तपोषण मुहैया करा रहा है। सार्वजनिक एजेंसियों से प्राप्त अन्य स्कीमों में हडको 15 वर्षों तक की पुनर्भुगतान अवधि के साथ परियोजना लागत के 50% तक के लिए 8.25% से 8.75% तक की ब्याज दर पर वित्तपोषण मुहैया करा रहा है।

विवरण-II

राजस्थान राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान आवास स्कीमों की स्थिति

(करोड़ रुपए)

स्कीम सं.	स्कीम का नाम	एजेंसी	परियोजना लागत	ऋण राशि	यूनिटों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 2003-04				
18003	जोधपुर में विकास और सुधार के लिए कार्यक्रम ऋण	यूआईटी जोधपुर	27.26	15.00	0
18105	अजमेर में विकास और सुधार के लिए कार्यक्रम ऋण	यूआईटी अजमेर	23.15	15.00	0
18249	अजमेर में वाम्बे के तहत 500 आवासों का निर्माण	यूआईटी अजमेर	2.00	0.00	500
18292	भीलवाड़ा में वाम्बे के तहत 200 ईडब्ल्यूएस का निर्माण	यूआईटी भीलवाड़ा	0.80	0.00	200
18345	भीलवाड़ा यूआईटी/बीएमटीपीसी द्वारा भीलवाड़ा में वाम्बे प्रदर्श परियोजना	यूआईटी भीलवाड़ा	0.40	0.00	100
	कुल		53.61	30.00	800

1	2	3	4	5	6
	वर्ष 2004-05				
18476	जयपुर में वाम्बे, फेज–II के तहत अतिरिक्त 2000 आवासों का निर्माण	जेडीए	10.00	0.00	2000
18546	विवेक विहार स्कीम, पाली आरडी के लिए ऋण सहायता	यूआईटी, जोधपुर	54.55	43.64	0
18602	ईडब्ल्यूएस पुनर्वास एवं विकास स्कीम, विद्यानगर, जयपुर	जेएमसी	90.82	55.00	10000
18641	जयपुर में वाम्बे एचएस	जेएमसी	1.68	0.00	335
	कुल		157.05	98.64	12335
	वर्ष 2005-06				
18817	जयपुर में "जय आंगन" आवासीय परियोजना का निर्माण फेज–I	एसआईडीडीएचए	158.97	98.00	0
	कुल		158.97	98.00	0
	सकल योग		369.63	226.64	13135

[अनुवाद]

विश्व बैंक सहायता प्राप्त जल गुणवत्ता परियोजनाएं

545. श्री मोहन रावले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित कतिपय राज्यों ने सहायक एजेंसी विश्व बैंक के जरिए जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्हें विचार करने तथा अनुमोदन करने के लिए विश्व बैंक को अग्रेषित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (घ) जी, हां। ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए विश्व बैंक से वित्तपोषण प्राप्त करने हेतु पांच राज्यों से विस्तृत परियोजना प्रस्तावों, जिनमें जल गुणवत्ता समस्या के समाधान का मामला शामिल है, के लिए संकल्पना दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। ये राज्य हैं – महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान तथा उनके द्वारा दी गई अनुमानित लागत क्रमशः 442 करोड़ रु., 500 करोड़ रु., 500 करोड़ रु., 950 करोड़ रु. और 800 करोड़ रु. है। इन संकल्पना दस्तावेजों को विश्व बैंक से संभावित वित्तपोषण प्राप्त करने की सिफारिश के साथ वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया है जो सभी बाह्य सहायता–प्राप्त परियोजनाओं के लिए भारत सरकार का नोडल विभाग है।

33 जिलों में जल गुणवत्ता समस्या के समाधान के लिए महाराष्ट्र से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव को अगस्त, 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा मौजूदा विश्व बैंक वित्तपोषित द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना के भाग के रूप में विश्व बैंक, भारतीय कार्यालय को अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु भेज दिया गया है।

कर्नाटक को धनराशि का आबंटन

546. श्री जी. कल्याणकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारहवें वित्त आयोग ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए कर्नाटक को किसी धनराशि का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कर्नाटक सरकार ने कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बारहवें वित्त आयोग ने सामूहिक औसत व्यय से

कम मानक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में समान अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाएं

547. श्री प्रहलाद जोशी : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में उन लोगों की सही–सही संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण शुरू किया है जिनके पास अपनी आवासीय सुविधाएं नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी क्षेत्रों में लोगों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) 10वीं योजना कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार दसवीं योजना अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में कुल 22.44 मिलियन रिहायशी यूनिटों का निर्माण/उन्नयन करना अपेक्षित होगा।

(ग) आवास जरूरत की मात्रा को देखते हुए सरकार ने 1998–99 में दो मिलियन आवासों के निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया था ताकि विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्प आय समूह के लिए पर्याप्त संख्या में आवासों के निर्माण को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसमें शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 7 लाख मकानों के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास मुहैया करने के लिए दिसंबर, 2001 में वाल्मीकि अंबडेकर आवास योजना (वाम्बे) नामक स्कीम भी शुरू की गई थी।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएन यूआरएम) (3.12.2005 को शुरू) के अंतर्गत शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) उन मिशन 63 चुनिंदा शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत मांग आधारित परियोजनाओं के जरिए स्लमवासियों/शहरी गरीबों को किफायती मूल्यों पर आवास मुहैया किए जाने हैं। अन्य सभी शहरों/नगरों में किफायती मकान और बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने के लिए एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कार्यान्वित किया जा रहा है।

जल निकास परियोजना

548. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बृहत मुम्बई तूफान जल निकास परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित 1200 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुम्बई से संबंधित अन्य परियोजनाओं की स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सीमेंट पर शुल्क

549. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि होने के कारण सीमेंट की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार सीमेंट पर लगने वाले करों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई मांग के अनुपात में उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए कोटा प्रणाली शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) दिनांक 1.3.2003 से सीमेंट पर मूल उत्पाद शुल्क के 2% की दर से शिक्षा उपकर लगाने के अलावा मूल उत्पाद शुल्क की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस प्रकार सीमेंट के मूल्य में बताई गई वृद्धि से उत्पाद शुल्क में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

इस समय सीमेंट पर मूल उत्पाद शुल्क की सामान्य दर 400 रु. प्रति मैट्रिक टन (पी एम टी) है।

(ग) से (ङ) सीमेंट एक अनियंत्रित वस्तु है और मूल्य स्थानीय मांग और पूर्ति, विनिर्माण यूनिट से दूरी, राज्य सरकार द्वारा लगाये गये स्थानीय कर आदि जैसे कारकों पर निर्भर रहते हुए बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

मेट्रो रेल की सुरक्षा

550. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेट्रो रेल डिब्बों में बढ़ते सुरक्षा खतरे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम का मेट्रो रेलगाड़ियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कैमरों के कब तक लगा दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि. (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि वह निर्माणाधीन नई मेट्रो ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाएगा।

(ग) नई ट्रेनें वर्ष 2008 के अंत से अक्तूबर, 2010 तक के बीच चरणबद्ध ढंग से चलाई जाएंगी।

बैंकों का विलय

551. श्री एल. राजगोपाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्पोरेशन बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा इंडियन बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन तीनो बैंकों के विलय के बाद इनकी परिसम्पत्तियां कितनी होंगी; और

(ग) यह गठबंधन अगले चार/पांच वर्षों में भारतीय बाजार में आने वाले विदेशी बैंकों से किस प्रकार प्रतिस्पर्धा करेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार को कार्पोरेशन बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इंडियन बैंक के विलय का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मितव्ययता के लाभ प्राप्त करने के लिए इन तीन बैंकों ने नीतिगत सहयोग हेतु 15 सितम्बर, 2006 को एक आशय ज्ञापन (एमओआई) पर हस्ताक्षर किए थे। एमओआई के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) सभी तीन भागीदार बैंकों की प्रतिस्पर्धी सुदृढ़ता को बढ़ाना।

(ii) सामूहिक सहयोग के जरिए ग्राहक एवं कर्मचारियों सहित सभी पणधारियों के लिए मूल्य सृजन में वृद्धि करना।

(iii) परस्पर विशेष विक्रय अधिकार मूल्य बढ़ाना।

(iv) नई कार्य क्षमताओं, नए उत्पादों का सृजन और मौजूदा उत्पादों को बढ़ाना।

(v) तीनों भागीदार संस्थाओं के व्यवसाय में वृद्धि में तेजी लाना।

(vi) सेवारहित एवं अल्प सेवा वाले बाजारों का पता लगाना।

सहयोग के निदर्शी क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- ई–भुगतान प्रणाली बनाना
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संसाधनों में भागीदारी
- कोष संसाधनों में भागीदारी
- पूंजी बाजार और अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्य वित्तीय उद्यमों में प्रवेश
- बैंक बीमा
- व्यवसाय समूहन एवं भागीदारी
- शेयर प्रशिक्षण संसाधन
- जहां कहीं व्यवहार्य हो, सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य आस्तियों की साझा खरीद
- परस्पर सहमति वाले और लाभदायक कोई अन्य क्षेत्र।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

552. श्री काशीराम राणा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) न्यूनतम स्तर के आस–पास पहुंच गया है;

(ख) क्या इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के पास कोई सुधारात्मक उपाय करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसिल–I एवं II मानदंडों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 8% निर्धारित कर दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों के लिए 9% की सीएआर निर्धारित की है। सितम्बर, 2006 को समाप्त स्थिति के अनुसार, केवल एक बैंक अर्थात सांगली बैंक लिमिटेड का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% से कम है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सांगली बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए हैं। पर्यवेक्षी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, फरवरी, 2005 से बैंक की मासिक निगरानी की जा रही है। बैंक को अपनी शुद्ध मालियत बढ़ाने तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए अपेक्षित विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार करने की सलाह दी गई है। बैंक को एक कारोबार योजना एवं प्रबंधन कार्यनीति लागू करने, तथा अपने ऋण प्रदान करने के साथ–साथ अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली में सुधार करने के लिए भी कहा गया है।

बैंकिंग सुधार

553. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पेंशन, बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 7 अक्तूबर, 2006 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकर द्वारा इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) एक व्यापक पेंशन सुधार प्रयास के भाग के रूप में केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए पहले चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर परिभाषित लाभ पेंशन की मौजूदा प्रणाली की जगह एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को अधिसूचित की गई। इस नई प्रणाली को दिनांक 1 जनवरी, 2004 से लागू कर दिया गया।

बैंकिंग क्षेत्र में वर्ष 1991 से विभिन्न सुधार उपाय क्रमिक ढंग से लागू किए गए हैं, जिसका भारत में बैंकिंग प्रणाली की समग्र दक्षता और स्थिरता और प्रमुख प्रभाव पड़ा है। भारतीय बैंकों में वर्तमान पूंजी पर्याप्तता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंकों की भांति तुलनीय है। बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों ने जनशक्ति संसाधनों का नवीकरण करने और आवश्यकताओं को युक्तियुक्त बनाने की जरूरत पर भी बल दिया है ताकि प्रचालन लागतों में कमी आए और लाभप्रदता में सुधार हो। जहां तक बीमा क्षेत्र का संबंध है, विधायी संशोधनों हेतु एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

नई पेंशन योजना

554. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री एस.के. खारवेलथन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद द्वारा पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफ.आर.डी.ए.) विधेयक पारित होने में विलम्ब के मद्देनजर एक एक्जिक्यूटिव आर्डर के जरिए नई पेंशन नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस योजना में वर्तमान में कितने कर्मचारी शामिल हैं तथा पेंशन खाते में अंशदान करने की पद्धति क्या है एवं कितनी धनराशि जमा है;

(ङ) क्या इस योजना का प्रबंध करने के लिए निधि प्रबंधक नियुक्त करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) परिभाषित पेंशन लाभ की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर पहले चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन व्यवस्था 22 दिसम्बर, 2003 से अधिसूचित की गई थी। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी, 2004 से कार्यान्वित की गयी थी। इस नई व्यवस्था में, कर्मचारी द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान प्रदान किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 17 नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार महालेखा निरीक्षक (सीजीए) के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 1,37,952 कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत कवर किया जाता है। कर्मचारियों के पेंशन अंशदान की कटौती वेतन बिलों से की जाती है और उस पर समतुल्य सरकार का अंशदान निधि में जमा किया जाता है। इसके अलावा, सीजीए ने सूचित किया है कि सरकार के अंशदान सहित लगभग 200 करोड़ रुपए को पेंशन लेखे से जमा कराया गया है।

(ङ) और (च) एनपीएस के अंतर्गत निधि प्रबंधकों की नियुक्ति पीएफआरडीए द्वारा अधिदेशित है।

विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की कमी

555. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत बड़ी संख्या में विद्युत संयंत्र कोयले की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) 20 नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मॉनीटर किए जा रहे 74 ताप विद्युत केन्द्रों पर कुल कोयला स्टॉक 12.263 मिलियन टन था। मॉनीटर किए जा रहे ताप विद्युत केन्द्रों में से, 12 विद्युत केन्द्रों पर स्थिति "संकटपूर्ण" थी। यहां 7 दिन की खपत से कम अवधि का कोयला स्टॉक था, और इनमें से 3 विद्युत केन्द्रों पर स्थिति "अत्यंत संकटपूर्ण" थी, जहां कोयला स्टॉक 4 दिन की खपत से कम अवधि के लिए उपलब्ध था। तथापि, चालू वर्ष के दौरान कोयले की कमी के कारण उत्पादन में कमी की कोई सूचना नहीं है। सी.सी. एल., बी.सी.सी.एल. तथा ई.सी.एल. में कोयला उत्पादन को प्रभावित करने वाली भारी वर्षा, रेल द्वारा परिवहन में बाधाओं और कुछ विद्युत केन्द्रों पर माल उतारने की बाधाओं, जिनके कारण माह सितम्बर और अक्टूबर, 2006 में उत्पादन कम हुआ, अर्थात् क्रमशः 84% और 86% रह गया, के कारण विद्युत केन्द्रों पर कोयले के स्टॉक में कमी आई है।

(ग) विद्युत केन्द्रों को कोयले की उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

1. सरकार में विभिन्न स्तर पर मानीटरिंग :

1.1 ताप विद्युत केन्द्रों को विद्युत आपूर्ति की स्थिति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय में दैनिक आधार पर गहनता से मानीटरिंग की जाती है।

1.2 कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली अवसंरचना बाधा समीक्षा समिति का एक उप–समूह, जिसमें विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, रेल मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हैं, 7 दिन से कम कोयला स्टॉक वाले ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति में आने वाली समस्याओं की साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर समीक्षा और समाधान करते हैं।

1.3. मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में अवसंरचना बाधा समीक्षा समिति देश के कोयले के उत्पादन और ताप विद्युत केन्द्रों को आपूर्ति की प्रत्येक माह समीक्षा करती है।

2. दीर्घकालीन उपाय

21. कोयला मंत्रालय द्वारा विद्युत उत्पादकों/यूटिलिटीज को उनके विद्युत संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैप्टिव खनन हेतु नए कोयला खंड आबंटित किए जा रहे हैं।

2.2 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय/वन स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रबंध के अंतर्गत कवर किए गए गांव

556. श्री पी. मोहन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा का प्रबंध (पीयूआरए) के अंतर्गत गांवों के चयन की पद्धति क्या है;

(ख) इसकी शुरूआत से आज की तिथि तक इसके अंतर्गत चयनित गांवों/बस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रबंध (पीयूआरए) के अंतर्गत शामिल करने के लिए निर्धारित गांवों/बस्तियों की सही संख्या कितनी है तथा इसके वित्तपोषण का स्रोत क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रबंध (पीयूआरए) के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना के प्रायोगिक चरण के अंतर्गत सात समूह जिसमें 10 से 15 गांव शामिल हैं, में से प्रत्येक का चयन एक लाख तक की आबादी वाले शहरों के साथ उनके संपर्क के आधार पर किया गया है जिसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ी है।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना के अंतर्गत चुने गए समूहों/गांवों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

क्रम	स. समूह	गांव
1	2	3
1.	रायदुर्ग (आंध्र प्रदेश)	सिरीगाये डोड्डी, करीसुरैया डोड्डी, चेरुवू डोड्डी, 75–वीरपुरम, 75–वीरपुरम थांडा, कोंथानापल्ली,

1	2	3
		74–उदईगोलाम, बोमक्कापल्ली, वदरा होन्नूर, आयातापल्ली, रायमपल्ली, बी.एन. हल्ली, पलाईपल्ली, मालापुरम, मालापुरम थांडा, चाडम और चाडम गोल्लालाडोड्डी।
2.	गोहपुर (असम)	सोलेंगी, बादल पत्थर, बालीटिका, बोरधुली, बोरफोलांग, गाहापुर पाथर, निज गाहापुर, कोनाबाड़ी, टंगाना गांव, मगनी पाम, हाटीबोंधिया, राधला, भोलगुड़ी गांव, भोलगुड़ी बागान और बालीजान।
3.	मोतिपुर (बिहार)	महिमा गोपीनाथपुर, आदलपुर उर्फ अब्दुलपुर, पाना छपरा उर्फ सन्हा सुमन, कल्याणपुर हरौना, बरीयारपुर उर्फ बाजिदपुर, मालिकाना उर्फ बगही, सेन्दुआरी, बखरी, टोला बेला बंजरिया, नारायणपुर कुशी, रतनपुर, कुशी उर्फ जगदीशपुर चमन, जहांगीरपुर, पंचरूखी, बरूजा और महमदपुर बाल्मी।
4.	बसमथ (महाराष्ट्र)	मालवाटा, चांदगावन, खुदमापुर, मोहगांव, भोरिपगांव, टाकलगांव, एंजनगांव, कनेरगांव, जावला, खंदरबांध, थोरबा, गणेशपुर और पंगरासती।
5.	शाहपुरा (राजस्थान)	जुआरा का खेड़ा सोला का खेड़ा, डाबला कचीरा, म्योडा, शिवपुर, सेवानी/सुरजुरा/ गोपालपुर, देव खेड़ा, अरणी, कालिंजारी, माताजी का खेड़ा, सुरजपुर, खेड़ी जीवराजपुर, नया खेड़ा, निंबहेड़ा, कल्याणपुर, धानी भवसागर, बालपुर, लक्ष्मीपुर।
6.	कुजंगा (उड़ीसा)	नीमिधी, रंगियागढ़, नुवागढ़, बालिदिया, सिंगीताली, पिपला, भुटामुड़ा, कोलिडिया, चक्रधरपुर, पारादीपगढ़, चौनाबेलारी, पिताम्बरपुर, कथाड़ा, काटाकुला और बिजयचन्द्रपुर।
7.	भरथना (उत्तर प्रदेश)	कुंआरा सुजीपुर, मोढ़ी, उमर सेंडा, सिहपुर, कांधेशी पाकड़, आसफपुर, जैतपुर ख्वाजगी, भोली, भरथना ग्रामीण, गोपियागंज, रमैन मोहम्मदपुर, लाहरोई, पालीकलां, पालीखुर्द, सहजपुर ज्ञानपुर।

प्रायोगिक चरण के अंतर्गत होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय की सकल बजटीय सहायता से की जा रही है। पुरा योजना के प्रायोगिक चरण का वित्तपोषण शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में किया जाता है।

(घ) पुरा योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य की प्रगति के साथ–साथ रिलीज की गई निधियों की व्यापक निगरानी राज्य सरकारों की आवधिक रिपोर्टों, व्यक्तिगत संपर्कों और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाती है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ उपयोग प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षित रिपोर्ट और वास्तविक/वित्तीय प्रगति शामिल होती है। योजना के अंतर्गत निधियों की आगे की रिलीज पर विचार करने के लिए संचालन समिति की बैठक में भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

शैक्षिक संस्थानों को भूमि का आबंटन

557. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री सुनील कुमार महतो :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा शैक्षिक संस्थानों को भूमि का आबंटन करने हेतु क्या नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या डीडीए ने गत कुछ वर्षों में कई निजी विद्यालयों को मामूली कीमत पर भूमि आबंटित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ निजी विद्यालय गरीब छात्रों को निःशुल्क प्रवेश देने की मूल शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) डीडीए द्वारा इन विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) मौजूदा नियमों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं/स्कूलों और निजी निकायों को नीलामी के जरिए भूमि आबंटित की है।

(ख) और (ग) स्कूल के प्लॉटों की बिक्री की नीलामी प्रणाली से पहले डीडीए सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए अलग-अलग क्षेत्रीय दरों पर, जो सामान्यतः वाणिज्यिक दर से कम होते हैं, निजी स्कूलों को भूमि आबंटित कर रहा था।

(घ) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने समय-समय पर डीडीए को ऐसे स्कूलों की सूची उपलब्ध कराई है, जो निःशुल्कता के मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। डीडीए ने ऐसे स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, निःशुल्कता की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण डीडीए ने चार स्कूलों का पट्टा रद्द कर दिया है।

[अनुवाद]

बैंकिंग तथा वित्तीय नीतियां संबंधी आयोग की रिपोर्ट

558. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकिंग तथा वित्तीय नीतियां संबंधी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) सरकार ने बैंकिंग और वित्तीय नीतियों पर कोई आयोग नियुक्त नहीं किया है।

[हिन्दी]

आयकर विभाग में श्रमशक्ति की कमी

559. श्री संतोष गंगवार :
श्री एस.के. खारवेलथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयकर विभाग में श्रमशक्ति की कमी के मद्देनजर नए पद सृजि करने तथा भर्ती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस पूरी प्रक्रिया में कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(ग) राजपत्रित पदों हेतु – 3 (तीन) वर्ष तथा अराजपत्रित पदों हेतु – 9 (नौ) माह।

(घ) इस स्तर पर निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। यह आवेदनों/आवेदकों की संख्या तथा भर्ती करने वाली एजेंसियों पर निर्भर होता है जिसे कार्य सुपुर्द किया जाना होता है।

विवरण

आयकर विभाग में सृजित किए गए अतिरिक्त पद

क्रम सं.	मौजूदा पद	अतिरिक्त पद
1.	आयकर आयुक्त	33
2.	अपर आयकर आयुक्त	137
3.	आयकर उपायुक्त	118
4.	आयकर अधिकारी	244
5.	आयकर निरीक्षक	1193
6.	कार्यालय अधीक्षक	62
7.	वरिष्ठ कर सहायक	248
8.	कर सहायक	4014
9.	डी पी ए ग्रेड – क	58
10.	आशुलिपिक – ग्रड-III	944
	योग	7051

भूकम्प अध्ययन संस्थान

560. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूकम्प अध्ययन संस्थान स्थापित करने का है जैसाकि 9 अक्टूबर, 2006 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान के कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है;

(ग) उक्त संस्थान को स्थापित करने में कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या ऐसा संस्थान देश के सभी राज्यों को भूकम्प के संबंध में पूर्व सूचना देने में सक्षम होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) भूकम्प के पूर्वसूचक संबंधी अध्ययनों के क्षेत्र में भारत–आइसलैंड सहयोग और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने की संभावना पर चर्चा की गई। यह चर्चा माननीय मंत्री (विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान) द्वारा 19 से 20 अक्टूबर, 2005 के दौरान किए गए आइसलैण्ड के दौरे के दौरान की गई भारत और आइसलैण्ड के विशेषज्ञों के बीच प्रस्तावित संयुक्त कार्य के तीन भाग : (1) उच्चस्तरीय प्रेक्षणात्मक प्रणाली/प्रौद्योगिकी; (2) प्रेक्षण किए गए उन बहु–विधात्मक संबंधी भूकंप संबंधी पूर्व–सूचकों या विसंगतियों का मूल्यांकन जिनके कारण भारत में भूकंप आते हैं; और (3) भारत में भू–संकटों के लिए पूर्व सूचना और चेतावनी प्रणाली का निर्माण।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर को विशेष पैकेज

561. श्री कीरेन रिजीजू : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा पहचाने गए क्षेत्र कौन–कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पूर्वोत्तर को विशेष पैकेज दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा चुने गए विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:– विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार तथा लोकप्रियकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास, प्राकृतिक संसाधन और आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली विकास, विज्ञान और समाज कार्यक्रम, अनुसूचित जाति और जनजातीय उपयोजना के विकास के लिए विशेष घटक योजना आदि। इन क्षेत्रों में पेयजल, ऊर्जा, कम लागत के आवास, स्वच्छता, औषधि और भेषज, जैव–प्रौद्योगिकी, मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं आदि शामिल हैं।

(ख) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राज्य सरकारों के बीच विचार–विमर्श के दौरान विज्ञान शिक्षा; जैव संसाधन प्रौद्योगिकियों; ऊर्जा; मौसम विज्ञान; मानचित्रण; स्वास्थ्य की देखरेख; बांस प्रसंस्करण और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की गई है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

अरुणाचल प्रदेश

1. विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ बनाना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग चुनिंदा कालेजों/अरुणाचल विश्वविद्यालय में विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन और विज्ञान शिक्षकों के पुनर्प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सी.एस.आई.आर. संस्थानों द्वारा प्रकाशित 22 पत्रिकाएं अरुणाचल प्रदेश में स्थित कालेजों/संस्थानों को निःशुल्क और सतत् आधार पर प्रदान करेगा।

जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, जीव विज्ञान शिक्षण के संवर्धन के लिए अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, ईटानगर (अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर) बायो इन्फोर्मेटिक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, वी.आई.एस. की स्थापना करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2007 के ग्रीष्मावकाश में दार्जिलिंग स्थिति जे.सी. बोस उपकेन्द्र में अरुणाचल प्रदेश की कक्षा 10/11 के 20 स्कूली बच्चों के लिए बुनियादी विज्ञान में एक पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जैव संसाधनों में एक महीने के अवकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल बायोरिसोर्स डवलपमेंट बोर्ड (एन.बी.डी.बी.) के माध्यम से आयोजित करेगा जिसे अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, ईटानगर से संचालित किया जायेगा।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग चुनिंदा कालेज/पुस्तकालयों और वैज्ञानिक संस्थानों को पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक व्यापक एटलस "जैव विविधता मानचित्रण" प्रदान करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कैलेन्डर वर्ष 2007 में पूर्वोत्तर में प्रत्येक राज्य को 20 टेलिस्कोप प्रदान करेगा (असम को 40)।

विज्ञान प्रसार अरुणाचल प्रदेश में 100 स्कूलों को प्रकाशन और सूचना सामग्री प्रदान करेगा।

II जैव संसाधना प्रौद्योगिकियां; प्रौद्योगिकी अंतरण, कृषि और प्रसंस्करण

जैव–प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव विविधता और संरक्षण के मानचित्रण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है (स्थान रहित)।

डीएसटी/डीबीटी अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय एजेंसियों/संस्थाओं के साथ काम करने वाले राष्ट्रीय संस्थान द्वारा समन्वित जैव विविधता के लक्षणवर्णन एवं संरक्षण (स्थान रहित) के लिए विशेष और वृहत स्तरीय परियोजना तैयार करेगा।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय वैज्ञानिकों/अनुसंधानकर्ताओं और चुनिंदा संस्थानों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाएगा।

तिपि (पूर्व कमेंग जिला) में आर्किड अनुसंधान केन्द्र का नवीकरण करना, जिरो विज्ञान और प्रौद्योगिकी/जे.सी. बोस संस्थान, कोलकाता में सुविधा का जैव संसाधन केन्द्र में परिवर्तन और उप–सुविधा की स्थापना।

शीतोष्ण कटिबंध सुगंधित पदार्थ – अनुसंधान संवर्धन, कृषि और मूल्य संवर्धन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दिरंग क्षेत्र में लैवेन्डर की वृहत स्तरीय खेती (आई.एच.बी.टी., पालमपुर से तकनीकी सहायता और मूल पौध सामग्री के साथ) के लिए एक परियोजना की मंजूरी प्रदान की है, जिसका कार्यान्वयन उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाना है जिसके साथ कीमती लैवेन्डर तेल के आसवन के रूप में मूल्यवर्धन, और विपणन के लिए उद्योग के साथ संबंध स्थापित करना होगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आई.एस.बी.टी., पालमपुर के सहयोग से (क) भारतीय थल सेना के सद्भावना कार्यक्रम के माध्यम सहित विशेषरूप से तवांग के लुमला क्षेत्र सहित शीतोष्ण क्षेत्रों में तेल (गेरानियम, रोज क्लेरिसेज, रोज मैरी) के लिए अन्य उच्च मूल्य फसलों की आगे खेती और उत्पाद परिवर्तन की संभाव्यता की जांच करेगा तथा (ख) अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी में एस्टेबिया खेती (100 हैक्टेयर) और उत्पाद परिवर्तन के कार्यक्रम में सहायता करेगा।

सुबनसिरी (जिरो) क्षेत्र में जिरानियम में खेती/मूल्य संवर्धन की स्थापना – पौध सामग्री, स्थानीय न्यूक्लेई पौधशालाओं की स्थापना कार्यों के पैकेज, खेती, उत्पाद परिवर्तन, डीएसटी/डीबीटी नवम्बर, 2006 में राज्य सरकार के साथ परामर्श से विशेषज्ञ पुनरीक्षा और मूल्यांकन करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वदेशी जड़ी–बूटियों और पौधों पर आधारित पारंपरिक औषधीय कार्यों के प्रलेखन के लिए राज्य के 2 अलग–अलग क्षेत्रों में 2 परियोजनाओं में, अरुणाचल प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से, सहायता प्रदान करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारतीय थलसेना (190 एम.टी.एन. ब्रिगेड) के सद्भावना कार्यक्रम के साथ संयोजन में स्थायी समुदाय के माध्यम से तवंग क्षेत्र में गहन खेती के लिए पोली–गृहों/हरित गृहों की शुरूआत के लिए विशेष कार्यक्रम में आई.एच.बी.टी., पालमपुर के माध्यम से सहायता करेगा।

III ऊर्जा और परिवहन

डीएसटी अरुणाचल प्रदेश में दूर–दराज के गांवों के लिए 50 माइक्रो/मिनी–हाइडिल (<100 के डब्ल्यू) परियोजनाओं (2007 और 2008 प्रत्येक में 25) की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करेगा।

डीएसटी माइक्रोहाइडिल के लिए उद्यमिता रूप में प्रचालित फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करेगा।

IV मौसम विज्ञान

डीईएस/आईएमडी पासीघाट में अथवा पास के डॉपलर मौसम रडार की स्थापना की संभावना की जांच करेगा। आईएमडी दिसम्बर, 2006 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में 13 स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना करेगा। आईएमडी भूकम्पीय गतिविधियों के प्रबोधन हेतु पूर्वोत्तर में 20 टेलिमीटरी स्टेशनों की स्थापना करेगा। जून, 2007 तक अरुणाचल प्रदेश में 4 स्टेशन स्थापित होंगे।

V मानचित्रण

डीएसटी अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव पर आधारित अरुणाचल प्रदेश के लिए परिवेश मानचित्रण कार्यक्रम का विस्तार करेगा।

डीएसटी/नेटमों अरुणाचल प्रदेश सरकार के लिए जिला स्तरीय योजना नक्शे मुहैया करायेगा।

भारतीय सर्वेक्षण राज्य में मिडिल/हाई स्कूल में उपयोग 5,000 मुद्रित एटलस और 150 सीडी एटलस मुहैया करायेगा।

भारतीय सर्वेक्षण राज्य में चुनिंदा शहरी समूहों के मानचित्रण का कार्य आरंभ करेगा।

VI स्वास्थ्य देखभाल

डीएसटी, डीएसटी/टाईफैक के उत्तरांचल में कार्यान्वित माडल की तरह अरुणाचल प्रदेश में दो चल–नैदानिक सुविधाओं के प्रावधान हेतु सहायता प्रदान करेगा।

डीएसटी ने स्वच्छ पेयजल मुहैया करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 350 नैनो–मेंब्रेन फिल्टर्स की स्थापना के एक कार्यक्रम को अनुमोदित किया है।

डीएसटी अग्रणी क्षेत्रों में लगायी सेना के उपयोग के लिए भारतीय सेना (190 माउण्टेन ब्रिग्रेड) के लिए अतिरिक्त रूप से 25 नैनो–मेंब्रेन फिल्टर्स मुहैया करायेगा।

डीएसटी, सेण्ट्रल ग्लास एण्ड सेरामिक रिसर्च इंस्टिट्यूट (सी.जी.सी.आर.आई.), कोलकाता द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित 2007 में स्वच्छ पेयजल हेतु 15 लौह पृथक्करण संयंत्रों की स्थापना में सहयोग करेगा।

डीएसटी अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 गैर–ऊर्जा चालित नैनो–मेंब्रेन पानी के फिल्टरों (लौह पृथक्करण उपकरणों सहित) की प्रयोग हेतु स्थापना पर सहायता प्रदान करेगा।

डीएसटी पूर्वी सियांग जिले में एक स्थान पर टेलि–मेडिसन सुविधा की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करेगा।

VII बांस क्षेत्रक

(क) राज्य-नीति को सहयोग

राज्य सरकार बहु–विषयी प्रमुख दल के साथ बांस क्षेत्रक के लिए प्रतिपक्ष एजेंसी की स्थापना करेगी। डीएसटी/एनएमबीए अरुणाचल प्रदेश में बांस हेतु पहुंच और नियामक व्यवस्था (कटान और परिवहन सहित) और मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए राजस्व और प्रोत्साहन व्यवस्था का अध्ययन करायेगा।

डीएसटी/एनएमबीए अरुणाचल प्रदेश में बांस क्षेत्रक के विकास हेतु एक कार्यतंत्र की स्थापना के उद्देश्य के साथ अरुणाचल प्रदेश सरकार के लिए एक एजेंसी द्वारा कार्रवाई योग्य अध्ययन कराये जाने के लिए मदद करेगा।

(ख) विद्युत हेतु बांस का गैसीकरण

डीएसटी/एनएमबीए ने नामसाइ, लोहित जिले में गैस इंजन उत्पादक के साथ 25 के डब्ल्यू ई फैब्रिकेटेड गैसीफायर की स्थापना का अनुमोदन किया है।

डीएसटी/एनएमबीए ने अरुणाचल प्रदेश में एक रिहायशी शैक्षिक स्थापना (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दहुंग) के लिए विद्युत मुहैया करने के लिए 25 के डब्ल्यू ई (35 किलोग्राम/घंटा) की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

डीएसटी/एनएमबीए गांवों अथवा संस्थानों, रिहायशी स्कूलों, स्वास्थ्य उप–केंद्रों, लघु उद्यमों को (25 के डब्ल्यू ई से 75 के डब्ल्यू ई की श्रृंखला में) विद्युत मुहैया कराने के लिए 2007 में 6 बांस गैसीफायर की स्थापना के एक कार्यक्रम में ऑफ–ग्रिड और दूर–दराज के गांवों हेतु सहायता करेगा।

(ग) बांस यौगिकों का उत्पादनः

प्लाईवुड की एक पूर्व यूनिट को एनएमबीए से प्रौद्योगिकी सहायता और नई प्रक्रियाओं के साथ बांस यौगिक उत्पादन यूनिट के रूप में परिवर्तित की गई है।

लोहित जिले में भी एक दूसरी यूनिट आरंभ की गई है। विद्यमान बांस प्लाइ यूनिट का विस्तार और नवीकरण किया गया है।

डीएसटी/एनएमबीए बांस यौगिक सामग्री के उत्पादन हेतु बांस हेतु परिवर्तन पर आधारित बंद पड़ी प्लाइवुड यूनिट के पुनरुद्धार हेतु 2007 में अरुणाचल प्रदेश में 2 और उद्यमिता यूनिटों को सहायता प्रदान करने और बांस के प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु संयोजकता वाले संभरण यूनिट की स्थापना हेतु तैयार है।

(घ) बांस प्रसंस्करण

लोहित जिले के लाथौ में एनएमबीए की सहायता से प्रथम पीढ़ी उद्यमी द्वारा स्थापित बांस यौगिकों के उत्पादन हेतु और आपूर्ति के लिए समूह आधारित बांस फ्लैटरिंग यूनिट स्थापित की गई।

नामसाई लोहित जिले में एन एम बी ए की सहायता से मैट निर्माण यूनिट स्थापित की जा रही है।

डीएसटी/एनएमबीए, पासीघाट के पूर्वी सियांग जिले में बांस प्रौद्योगिकी पार्क की 2007 में स्थापना हेतु सहायता करेगा।

डीएसटी/एनएमबीए, जैरामपुर में एक उद्यमिता प्रबंधित बांस प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना में सहायता प्रदान करेगा।

डी एस टी/एन एम बी ए मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास करने के लिए आई आई टी, दिल्ली (वस्त्र इंजीनियरी विभाग) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यशाला के माध्यम से दिसम्बर, 2006 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक स्थान पर राज्य के शिल्पकारों को बांस और बांस उत्पादों पर वाणिज्यिक और स्वदेशी प्राकृतिक रंगों के प्रयोग में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

चाय उद्योग (आई सी डी अमीनगांव) द्वारा लकड़ी की पट्टिकाओं के प्रयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए बांस निर्मित सामग्री (शटरिंग प्लाईवुड ग्रेड) का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश में औद्योगिक पट्टिकाओं को विकसित किया गया है।

(ङ) संरचनात्मक - संपूर्ण बांस/बांस मिश्रित सामग्रीः

भारतीय थल सेना की अग्रिम चौकियों में स्थापित ऊंचे स्थानों में प्रदर्शनात्मक पूर्व निर्मित मॉड्यूलर संरचनाएं तवांग क्षेत्र में अगस्त, 2006 में पूरी की गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए संरचनात्मक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करने हेतु स्थानीय एम एल ए लैड्स निधियों के माध्यम से लागत भागीदारी के साथ रश्किन ब्लाक में निगलॉक गांव में 20 मकानों का समूह विकसित करने के लिए शुरू की गई परियोजना।

बांस निर्मित सामग्री आच्छादन और आवरण का प्रयोग करते हुए पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में 5000 वर्ग फीट के 50 बिस्तरों वाले शिशु अस्पतालों का जीर्णोद्धार प्रारंभ किया गया।

लोहित जिले में भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) की सहायता करते हुए बांस निर्मित सामग्री का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्मित संरचनाओं के रूप में एन एम बी ए द्वारा 16 स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग बांस आधारित निर्मित सामग्री के सरकारी आवास और निर्माण कार्यक्रमों में उपयोग को बढ़ावा देगा।

डी एस टी/एन एम बी ए 20 (एच/ए + पूर्व निर्मित) संरचनाओं के क्षेत्र प्रयोग में सहायता प्रदान करेगा।

(च) बांस का प्रचार - प्रसार और खेतीः

लोहित जिले के नामसाई में एक पूर्ण सुसज्जित वेजिटेटिव प्रोपेगेशन्स सेंटर स्थापित किया गया है।

डी एस टी/एन एम बी ए पौध रोपण, वास भूमि खेती के लिए बांस पौध सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एन एम बी ए की सहायता से

अच्छी गुणवत्ता वाली बांस पौध सामग्री तैयार करने हेतु बांस पौध कठोरीकरण सुविधा; और कम से कम 2 और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सेंटर की स्थापना में सहायता करने के लिए तैयार है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अरूणाचल प्रदेश सरकार के (क) समुदायों द्वारा ब्लाक पौध रोपण और (ख) उन क्षेत्रों में वास भूमि खेती जहां बांस प्रसंस्करण कार्यकलाप शुरू किए गए हैं सहित बांत पौध रोपण कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए "बंबूसा बल्कुवा" के 35000 कठोरीकृत उत्तक संवर्धित पौधे प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

(छ) बांस टहनी प्रसंस्करण

लोहित जिले (नामसाई) में जून, 2006 में समूह स्तर बांस टहनी प्रसंस्करण के लिए समूह स्तर प्रशिक्षण कार्यशाला और प्रदर्शन आयोजित किया गया।

डी एस टी/एन एम बी ए अन्य बागवानी पौधों को प्रसंस्कृत करने की क्षमताओं के साथ औद्योगिक मान बांस टहनी प्रसंस्करण के लिए एक यूनिट के उद्यमियों द्वारा स्थापना में सहायता करने के लिए तैयार है।

(ज) सामुदायिक उद्यम : बांस चारकोल

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग/एन एम बी ए सुबनसिरी क्षेत्र में बांस भट्टों की 3 बैट्रियां (पांच भट्टियां प्रत्येक) लगाने के लिए तैयार है।

विवरण-II

नागालैंड

VIII विज्ञान शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

चुनिंदा कालेजों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्तरोन्नयन और विज्ञान शिक्षकों के पुनर्प्रशिक्षण के लिए डी एस टी एक कार्यक्रम शुरू करेगा।

डी एस आई आर नागालैंड में कालेजों को नियमित आधार पर 22 सी एस आई आर प्रकाशनों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।

डी बी टी जीव विज्ञान शिक्षण के संवर्धन के लिए नागालैंड विश्वविद्यालय कोहिमा में बायो इंफार्मेटिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी (बी आई एफ) की स्थापना करेगा।

डी एस टी बुनियादी विज्ञान में नागालैंड के 20 स्कूली बच्चों (कक्षा X/XI के स्कूली छात्र) के लिए संचालित एक पाठ्यक्रम को 2007 के ग्रीष्म अवकाश में जे सी बोस उप-केन्द्र दार्जलिंग में आयोजित करेगा। डी बी टी नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा में संचालित होने वाले जैव-संसाधन पर एक महीने की अवधि वाला अवकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम (30 विद्यार्थी) आयोजित करेगा।

डी बी टी चुनिंदा कालेज पुस्तकालयों और वैज्ञानिक संस्थानों को पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक वृहत "जैव विविधता मानचित्रण" एटलस प्रदान करेगा।

डी एस टी कैलेंडर वर्ष 2007 में पूर्वोत्तर में प्रत्येक राज्य के लिए 20 टेलिस्कोप (असम के लिए 40) उपलब्ध कराएगा।

विज्ञान प्रसार नागालैण्ड में प्रत्येक स्कूल को 100 विज्ञान प्रसार प्रकाशन एवं जानकारी पाठ्य सामग्री के सूचना पैकेज उपलब्ध कराएगा।

IX जैव-संसाधन प्रौद्योगिकियां; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कृषि एवं प्रसंस्करण

डी बी टी ने पूर्वोत्तर राज्यों में 9 संस्थानों को शामिल करते हुए "पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्र के पादप संसाधनों के वितरण और मात्रा स्थिति का मानचित्रण और मात्रात्मक मूल्यांकन" परियोजना का अनुमोदन किया है।

दियापुर में मौजूदा टिश्यू कल्चर सुविधा का जैव संसाधन सुविधा में स्तरोन्नयन।

जीन बैंक, डी एस टी के स्वदेशी संसाधन और स्थापना का स्वस्थाने संरक्षण।

डी एस टी "स्वदेशी जड़ी बूटियों पर आधारित पारम्परिक औषधीय व्यवहारों का प्रलेखीकरण" पर परियोजना के लिए नागालैण्ड सरकार को सहायता प्रदान करेगा।

राज्य सरकार, डी बी टी नागालैण्ड के चुनिंदा संस्थानों और स्थानीय वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम की शुरूआत करेगा।

X ऊर्जा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नागालैण्ड में दूरस्थ गांवों के लिए 50 माइक्रो/लघु-हाइडल (<100 के डब्ल्यू) परियोजनाओं (2007 और 2008 प्रत्येक में 25) की स्थापना में सहयोग करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पूर्वोत्तर की अवस्थिति पर पूर्वोत्तर में लघु/माइक्रो हाइडल परियोजना के लिए टर्बाइनों हेतु उद्यम रूप से चालित निर्माण और दिमापुर में पिको (<10 के डब्ल्यूई) हाइडल जनरेटरों के निर्माण इकाई की स्थापना को सहयोग प्रदान करेगा।

XI मौसम विज्ञान

पृथ्वी विज्ञान विभाग/भारत मौसम विज्ञान विभाग नागालैण्ड में दिसम्बर, 2006 तक 8 स्वचालित मौसम केन्द्रों की स्थापना करेगा।

पृथ्वी विज्ञान विभाग/भारत मौसम विज्ञान भूकंपीय गतिविधि को मानीटर करने के लिए पूर्वोत्तर में 20 टेलीमिट्री केन्द्र अधिष्ठापित करेगा। नागालैंड में मोकोकचुग और काहिमा में 2 केन्द्रों की स्थापना जून, 2007 तक की जाएगी।

डी एस टी/आई एम डी द्वारा नागालैंड में डाप्लर राडार (डी डब्ल्यू आर) लगाने की संभावनाओं की जांच की जाएगी।

XII मानचित्रण

डी एस टी द्वारा नागालैंड में पड़ोसवर्ती मानचित्रण कार्यक्रम के विस्तार से अनुमति दी गई है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग राज्य में मह

य/उच्च विद्यालयों/संस्थानों में उपयोग में लिए 5000 मुद्रित एटलस और 150 सी डी एटलस उपलब्ध कराएगा।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राज्य चुनिंदा शहरी समूहों का मानचित्रण किया जाएगा।

डी एस टी कोहिमा के प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन केन्द्र को स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना केन्द्र में परिवर्तित करेगा, जिला स्थानिक आंकड़ा इकाइयों की स्थापना को सहयोग करेगा और राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा संस्थान, दिल्ली को संयोजन उपलब्ध कराएगा।

XIII स्वास्थ्य देख - रेख

डी एस टी द्वारा उत्तरांचल में कार्यान्वित डी एस टी/टाईफैक माडल पर नागालैंड में एक भ्रमणशील डायग्नोस्टिक सुविधा के प्रावधान को सहायता प्रदान की जाएगी।

डी एस टी द्वारा सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक्स रिसर्च इंस्टीटयूट (सी जी सी आर आई), कोलकाता द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर वर्ष 2007 में स्वच्छ पेय जल के लिए 33 लौह निष्कर्षण (आइरन रिमूवल) संयंत्रों की स्थापना को सहायता दी जाएगी।

डी एस टी द्वारा नागालैंड में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए 150 नैनो – मेम्ब्रेन फिल्टर्स लगाने हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

डी एस टी द्वारा नागालैंड में ग्रामीण क्षेत्रों 20 नैनों – मेम्ब्रेन वाटर फिल्टरों (लौह निष्कर्षण हेतु एटेचमेंट के साथ) को परीक्षण हेतु शुरू करने को सहायता प्रदान की जाएगी।

डी बी टी नागालैंड में एक जिनेटिक काउंसिलिंग इकाई (जी सी यू) की स्थापना करेगा।

डी एस टी द्वारा राज्य में किसी एक स्थान पर टेली – मेडिसिन सुविधां की स्थापना को सहयोग प्रदान किया जाएगा।

XIV बांस क्षेत्र

नागालैंड सरकार ने नागालैंड बांस विकास एजेंसी (एन बी डी ए) की स्थापना की है जो एक सशक्त और सक्रिय समकक्ष एजेंसी के रूप में विकसित हो रही है। डी एस टी/एन एम बी ए बांस की सुलभता एवं विनियामक व्यवस्था (कठोरीकरण एवं परिवहन सहित) की समीक्षा और मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए वित्तीय एवं प्रोत्साहन व्यवस्था को प्रोत्साहित एवं सहायित करेगा।

(क) विद्युत के लिए बांस का गैसीकरण :

दीमापुर में बांस प्रसंस्करण सुविधा के लिए बांस पर आधारित एक 100 के डब्लयू ई विद्युत गैसीफायर का निर्माण पूरा किया गया है।

समुचित रूप से रेटेड उत्पादक गैस इंजिन के साथ 25 के डब्ल्यू ई गैसीफायर (35 कि.ग्रा./घंटा) को राजफिया गांव में नागालैंड सरकार के अनुसंधान तथा विकास फार्म के साथ शुरू किया जा रहा है (विद्युत एवं सिंचाई एवं पोल्ट्री फार्म के लिए जल की पंपिंग के लिए)।

डी एस टी/एन एम बी ए ऑफ ग्रिड एवं सुदूर गांवों के लिए वर्ष 2007 में 6 बांस गैसीफायरों (25 के डब्ल्यू ई – 75 के डब्ल्यू ई की श्रृंखला में) को शामिल करने के कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करने हेतु तत्पर है ताकि गांवों अथवा संस्थानों को बिजली उपलब्ध कराई जा सके (आवासीय विद्यालयों, स्वास्थ्य उप केन्द्रों, लघु उद्यमों को)।

(ख) एकीकृत बांस प्रसंस्करण एवं उपचार सुविधाएं

समेकित बांस प्रसंस्करण एवं उपचार सुविधा की स्थापना दीमापुर में की जा रही है।

डी एस टी/एन एम बी ए उद्यमवृत्तिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्रचालन के लिए नागालैंड सरकार की भागीदारी से टुली में एक पूर्णतः सुसज्जित बांस प्रसंस्करण सुविधा को समान सहभागी एवं लागत हिस्सेदारी व्यवस्थाओं पर स्थापित करने हेतु तैयार है।

डी एस टी/एन एम बी ए द्वारा दीमापुर में शटरिंग बोर्ड उत्पादन इकाई की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

डी एस टी/एन एम बी एक बांस कम्पोजिट पदार्थ/बांस में रूपांतरण पर आधारित क्लोज्ड प्लाईवुड यूनिटों के पुनरुद्धार के लिए नागालैंड में 2 उद्यमवृत्तिक इकाइयों को सहयोग प्रदान करने तथा बांस के प्रारंभिक प्रसंस्करण के लिए लिंक्ड फीडर इकाइयों की स्थापना को सहयोग प्रदान करने पर सहमत है।

(ग) वैन्यासिक - समग्र बांस/बांस कम्पोजिट सामग्री :

डी एस टी बांस आधारित अभियंत्रित सामग्री का सरकारी भवनों एवं निर्माण कार्यों में उपयोग करने को बढ़ावा देगा। डी एस टी/एन एम बी ए द्वारा लागत हिस्सेदारी के आधार पर तथा 50,000 वर्ग फीट तक बांस के प्रि–फैब्रिकेटेड विन्यासों को सार्वजनिक क्षेत्र के भवनों, विशेषकर विद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रमों, तथा अस्पतालों एवं औषधालयों (सर्व शिक्षा अभियान अथवा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य कार्यक्रमों से जुड़े) के निर्माण के लिए शामिल करने को सहायता प्रदान करेगा।

(घ) बांस की कॉपलों का प्रसंस्करण (औद्योगिक स्तर):

डी एस टी/एन एम बी ए पैसन फ्रुट, अनानास तथा अन्य बागवानी उत्पादों की क्षमता के साथ बांस की कोपलों के औद्योगिक स्तर पर प्रसंस्करण के लिए उद्यमियों द्वारा एक अतिरिक्त इकाई की स्थापना को सहायता करने हेतु तैयार है।

(ङ) बांस आधारित स्वास्थ्य उत्पाद :

एन एम बी ए द्वारा बांस आधारित स्वास्थ्य उत्पादों एवं जख्मों की ड्रेसिंग के लिए श्री राम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, दिल्ली की तकनीक सहायता से दीमापुर में एक पायलट उत्पाद सुविधा की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(च) बांस की कॉपलों का प्रसंस्करण (सामुदायिक/ क्लस्टर स्तर):

दैनिक आधार पर 100 कि.ग्रा. प्रसंस्कृत कॉपलों का उत्पाद करने वाले समुदाय स्तरीय प्रसंस्करण अल्प लागत उपस्कर (>28000 रु.) और सरल प्रौद्योगिकी पैकेज।

(छ) बांस प्रसंस्करण एवं उत्पाद रूपांतरण (समुदाय स्तर):

फरवरी, 2006 में नागालैंड के टुली क्षेत्र में नागालैंड बांस विकास एजेंसी के साथ मैट आपूर्ति श्रृंखला विकास संबंधी क्रियाकलाप।

डी एस टी/एन एम बी ए औद्योगिक स्तरीय उत्पाद इकाइयों को आपूरित तथा उत्पादकता बढ़ाने और लाभ प्राप्ति हेतु सिल्वर लाइन्स के साथ मशीनीकृत चटाई की बुनाई को शामिल करने को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में अन्य क्लस्टरों में चटाई की बुनाई संबंधी कार्यों के प्रसार को सहयोग प्रदान करने हेतु तत्पर है।

(ज) सामुदायिक उद्यम : बांस चारकोल

एन एम बी ए ब्रिकेटिंग के विकल्प के साथ अल्प लागत भट्टी आधारित चारकोल उत्पादन के लिए इष्टतमीकृत प्रणाली को नागालैंड में सफलतापूर्वक शुरू किया गया।

एन एम बी ए ने नागालैंड में एन एम बी ए और एन एम बी ए में लागत हिस्सेदारी सहायता (50%) के साथ गांवों में और 45 भट्टियों की स्थापना को सहायता प्रदान की है। इस कार्यक्रम को दिसम्बर, 2006 तक पूरा किया जाएगा।

(झ) वाणिज्यिक प्राकृतिक रंजकों पर प्रशिक्षण - बांस का उपयोग और अनुप्रयोग

आई आई टी, दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण संचालित किया गया। दीमापुर में – वस्त्र इंजीनियरी विभाग (अक्टूबर, 2005)।

(ञ) बांस का प्रचार एवं खेती:

पहली बार आई एच बी टी पालमपुर से फाइलोस्टेचिस बेसंस (चीनी मोसो मोनोपोडियल बांस) के 5,000 पौधे नागालैंड में क्षेत्र परीक्षण हेतु नागालैंड बांस विकास एजेंसी को भेजे गए।

एक डी बी टी समन्वित कार्यक्रम के अंतर्गत एन एम बी ए की सहायता से होसुर में तैयार किए गए तथा एच पी सी जागी रोड में कठोरीकृत उत्तक संवर्धित बैम्बूसा बालकोआ के साथ उत्तक संवर्धित बांस के बहुस्थानिक परीक्षण वोखा में संचालित किए जा रहे हैं।

डी एस टी/एन एम बी ए रोपण/वास भूमि कृषि के लिए बांस पौध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बांस पौध कठोरीकरण सुविधा तथा एन एम बी ए की सहायता से उत्तक कोटि की बांस पौध सामग्री तैयार करने हेतु कम से कम 2 प्ररोही प्रोपेगेशन केन्द्रों की स्थापना को सहायता प्रदान करने हेतु तत्पर है।

डी एस टी अरुणाचल प्रदेश सरकार के बांस रोपण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने हेतु बैम्बूसा बालकोआ के 35,000 कठोरीकृत उत्तक संवर्धित पौधे उपलब्ध कराने हेतु तैयार हैं जिसमें (क) समुदायों द्वारा ब्लाक प्लांटेशन तथा (ख) जिन क्षेत्रों में बांस प्रसंस्करण क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं, में वास भूमि कृषि शामिल हैं।

(ट) पुष्पी बांस : मेलाकोना बैक्सीफेरा

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राज्य में मेलाकोना बैक्सीफेरा की घटना का मानचित्रण किया गया है। 3 प्लाट शीट्स (1:100,000) जांच एवं अद्यतनीकरण हेतु नागालैंड (वोखा, जुन्हेभोतो और मोकोकचुंग जिले) को सुपुर्द किए गए।

XV आपदा प्रबंधन

2. डी एस टी नागालैंड सरकार को अचानक आई बाढ़, भूकंपों जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा राज्य सरकार की रुचि के अन्य क्षेत्रों के आरंभिक पूर्वानुमान और प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण के एक कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करने हेतु तत्पर है।

[हिन्दी]

वाहनों के बीमा प्रीमियम में वृद्धि

562. श्री सज्जन कुमार :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का विचार वाहनों, विशेषकर कार की बीमा प्रीमियम दरों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वृद्धि का प्रतिशत कितना है; और

(ग) इसे कब तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि प्रशुल्क सलाहकार समिति (टीएसी), जो मोटर वाहनों के प्रशुल्क की व्यवस्था के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, द्वारा कार सहित वाहनों की बीमा प्रीमियम दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आईआरडीए द्वारा बनाए गए रोड मैप के अनुसार 01 जनवरी, 2007 से सभी प्रशुल्क हटाए जाने की संभावना है और वाहनों के लिए बीमा कंपनियां, स्वयं प्रीमियम निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति

563. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री सुनिल कुमार महतो :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितने गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की गई;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार को इन गैर–सरकारी निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो शिकायतों की प्रकृति किस प्रकार की थी तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान गैर–सरकारी अधिकारियों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपनाए गए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सरकार ने गत वर्ष के दौरान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में उनतीस गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी गैर–सरकारी निदेशक के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल के गैर–सरकारी निदेशक "करें" एवं "न करें" से परिबद्ध होते हैं। वे निदेशक पद धारण के समय प्रस्तुत प्रसंविदा विलेख से बंधे होते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक को द्विमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिसमें निदेशक मंडल के कार्यकरण और निदेशक विशेष के कार्यों से संबंधित टिप्पणियां दी होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक किसी निदेशक से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करता है।

विवरण

अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देश

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं इत्यादि के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (एनओडी) के नामांकन के लिए नामांकित मानदण्ड अनाए जाएं:–

(I) सामान्य

1. संगत अधिनियमों/नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया जाएगा।
2. औपचारिक शैक्षणिक योग्यता एवं विशेषज्ञता, पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड, सत्यनिष्ठा इत्यादि के संदर्भ में नामित व्यक्तियों की उपयुक्तता का आकलन किया जाए। सत्यनिष्ठा एवं उपयुक्तता के आकलन के लिए आपराधिक रिकार्ड संबंधी सूचना, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक ऋणों की वसूली के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश के लिए अस्वीकृति अथवा उससे निष्कासन, विनियामकों एवं उनके सदृश्य निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एवं पिछला कारोबारी कार्यनिष्पादन जिन पर प्रश्न चिन्ह लगे हों, इत्यादि पर ध्यान रखना होगा।
3. विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारी, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, विधि, विपणन, उद्योग एवं सूचना तकनीकी के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर सामान्यतः विचार किया जाएगा।
4. जहां तक संभव हो महिलाओं एवं अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय से संबंधित लोगों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।

(II) शैक्षणिक योग्यता

1. गैर–सरकारी निदेशक कम से कम स्नातक होना चाहिए। किसानों, जमाकर्ताओं एवं कारीगरों के मामलें में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान की जाए।

(III) आयु सीमा

1. निदेशक की आयु नियुक्ति बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश की तिथि से 40 वर्ष से कम नहीं हो तथा अधिकतम 60 वर्ष से कम हो। उत्कृष्ट विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है।

(IV) कार्य अनुभव

1. व्यवसायियों/विद्याविदों के पास विशेष क्षेत्र में साधारणतया 10 वर्षों का कार्य अनुभव हो।

(V) अनर्हता

1. किसी बैंक/वित्तीय संस्था में किसी भी संवर्ग में पहले से ही कार्यरत निदेशक पर किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नामन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
2. किराया खरीद, वित्तीय मामले, निवेश, पट्टेदारी एवं अन्य सह–बैंकिंग क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्ति, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य विधान परिषद सदस्य एवं शेयर दलाल बैंक/वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे।
3. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे बैंक/वित्तीय संस्था में गैर–सरकारी

निदेशक के रूप में पुनर्नामित नहीं हो सकता जिसमें उन्होंने किसी भी संवर्ग में पिछले दो कार्यकाल अथवा छः वर्षों, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया हो।

4. किसी बैंक/वित्तीय संस्था के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामिति के लिए किसी ऐसे गैर सरकारी निदेशक पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वह निदेशक किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था के बोर्ड मे छः वर्षों के लिए लगातार अथवा समयान्तराल पर गैर–सरकारी निदेशक/शेयरधारक निदेशक के रूप में रहा हो।

(VI) व्यावसायिक प्रतिबंध

1. गैर–सरकारी निदेशक उस बैंक/वित्तीय संस्था के निदेशक के पद से इस्तीफा देने के बाद दो वर्ष के लिए बैंक/वित्तीय संस्था का कोई भी कार्य स्वीकार नहीं करेगा/उसे आबंटित नहीं किया जाएगा।

2. किसी भी बैंक में गैर–सरकारी निदेशक के पद पर अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा निदेशक सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य बैंक में कोई व्यावसायिक कार्य (सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, कानूनी प्रतिधारणीयता या वकील के रूप में सूचीबद्ध होना आदि) नहीं करेंगे।

3. यदि सहकारी बैंक सहित बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति किसी बैंक के बोर्ड में नामित किए जाने के लिए चुन लिया जाता है तो उसे ऐसी नियुक्ति से पहले बैंक के साथ अपना संबंध तोड़ लेना होगा।

4. पेशेवर विशेषज्ञों को सरकारी क्षेत्र के उस बैंक के बोर्ड में नामित नहीं किया जाएगा, जिसके साथ उनका ऐसे नामांकन से पहले पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यावसायिक संबंध रहा हो।

(VII) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि देश के सभी 6 अंचलों – उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर – का सरकारी क्षेत्र के बैंक बोर्डों में साथ प्रतिनिधित्व हो।

दिल्ली में सीलिंग

564. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने ऐसे 2181 मार्गों/मार्ग खंडों की पहचान की है, जहां बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब सील नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मार्ग/मार्ग खंड कौन–कौन से हैं;

(ग) उन्हें पृथक श्रेणी में रखने के लिए क्या मानक तय किए गए हैं; और

(घ) इन मार्गों/मार्ग खंडों पर स्थित व्यावसायिक भवनों की अनुमानित संख्या कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 7.9.2006 की अधिसूचना के अनुसरण में दिनांक 15.9.2006 को जारी अपनी अधिसूचना द्वारा सड़कों/सड़कों के हिस्सों/क्षेत्रों को मिश्रित उपयोग और व्यावसायिक सड़कों के रूप में अधिसूचित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी डब्ल्यू (पी) 4677/1985 में अपने दिनांक 29.9.06 और 18.10.06 के आदेशों में निदेश दिया है कि दिनांक 7.9.06 की अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली व्यावसायिक इकाइयां जारी रहेंगी बशर्ते कि वे 31.01.07 तक हलफनामा दायर करें।

(ख) सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार द्वारा जारी दिनांक 7.9.2006 की अधिसूचना में मिश्रित उपयोग और व्यावसायिक सड़कों के रूप में उल्लिखित सड़कें/सड़कों के हिस्सों की पहचान के लिए दिशानिर्देश व मानकों में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई, व्यावसायिक उपयोग की सीमा, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ परामर्श तथा यातायात सर्वेक्षण आदि शामिल हैं।

(घ) इन सड़कों पर व्यावसायिक भवनों की संख्या का रिकार्ड इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

ट्रांस्को तथा टीएचडीसी के बीच विद्युत खरीद समझौता

565. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रांस्को ने वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मद्देनजर विद्युत खरीदने के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम (टीएचडीसी) के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) दिल्ली ट्रांसको लि. ने टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज–I (4x250 मे.वा.), टिहरी पम्पड स्टोरेज प्लांट (4x250 मे.वा.) और कोटेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (400 मे.वा.) से क्रमशः लगभग 103 मे.वा., 600 मे.वा. और 40 मे.वा. विद्युत की आपूर्ति करने के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन के साथ विद्युत खरीद करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। जबकि टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज–I की चार यूनिटों

में से दो यूनिटें चालू हो चुकी हैं, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज–I की अन्य दो यूनिटें, कोटेश्वर एचईपी और टिहरी पम्पड स्टोरेज प्लांट के क्रमशः दिसम्बर, 2006, फरवरी 2007, मार्च, 2008 और जुलाई, 2010 में चालू होने की संभावना है। पम्पड स्टोरेज प्लांट के संबंध में टीएचडीसी और दिल्ली ट्रांसको लि. के बीच हस्ताक्षरित करार विशेष रूप से दिल्ली में 2010 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान विद्युत की आवश्यकता पूरी करने के लिए नहीं है यद्यपि विभिन्न विद्युत खरीद करारों को निष्पन्न करते समय खेलों की भार आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।

आयकर विभाग के छापे

566. श्री गिरिधारी यादव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर विभाग द्वारा चालू वर्ष के दौरान अभी तक मारे गए आयकर छापों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त छापों में कुल कितनी अघोषित आय का पता चला है; और

(ग) उक्त अघोषित आय का कर घटक कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) दिनांक 7.4.2006 के 15.11.2006 की अवधि के दौरान, आयकर विभाग के द्वारा की गई तलाशी एवं जब्ती कार्रवाइयों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम/धन कर अधिनियम के अंतर्गत जांच के फलस्वरूप कर निर्धारण किया जाता है जो कि अपील का विषय हो सकता है। ये अपीलें प्रायः उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय तक जाती हैं। अघोषित आय एवं उससे संबंधित कर संघटक को अन्तिम रूप से तभी जाना जा सकता है जब अपीलों इत्यादि को अंतिम रूप दिया जा चुका होता है।

विवरण

राज्य	क्रियान्वित किए गए तलाशी वारंटों की संख्या	जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपए में)
1	2	3
गुजरात	359	2265.87
कर्नाटक	82	645.14
गोवा	15	93.15
मध्य प्रदेश	47	215.84
छत्तीसगढ़	0	0.00
चंडीगढ़	31	134.89
पंजाब	103	771.74
हरियाणा	59	315.69
हिमाचल प्रदेश	0	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0	0.00
तमिलनाडु*	97	940.72
दिल्ली	165	1933.16
आन्ध्र प्रदेश	150	1183.94
राजस्थान	75	1534.07
केरल	54	510.32
पश्चिम बंगाल	142	2697.73
उड़ीसा	30	401.17
पूर्वोत्तर क्षेत्र**	15	61.98
उत्तर प्रदेश	65	497.90
उत्तरांचल	0	0.00
मुम्बई	384	4550.39
महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर)	151	1293.33 + £2000 + US$ 3800
बिहार	20	211.47 + US$ 963
झारखंड	22	338.00
कुल	2066	20596.50 + US$ 4763 + £ 2000

* तमिलनाडु के आंकड़ों में पांडिचेरी के आंकड़े शामिल हैं।

** पूर्वोत्तर क्षेत्र के आंकड़ों में पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा के आंकड़े शामिल हैं।

फेरा के मामले

567. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितने व्यक्ति निर्दोष तथा कितने दोषी पाए गए;

(ख) क्या फेरा मामलों में सरकार की लापरवाही तथा विलंब से की गई कार्रवाई के कारण कई व्यक्तियों को निर्दोष करार दिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) फेरा मामलों को उचित ढंग से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 की धारा 56 और 57 के अंतर्गत निर्णीत अभियोजन मामलों में विमुक्त और दोषसिद्धि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फेरा मामलों को उचित ढंग से निपटाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। इन मामलों की नियमित आधार पर गहनता से निगरानी की जाती है।

विवरण

फेरा, 1973 की धारा 56 और 57 के तहत दोषसिद्धि और विमुक्ति वाले मामलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	वर्ष 2004				वर्ष 2005				वर्ष 2006 (31 अक्टूबर, 2006 तक)			
	दोषसिद्धि		विमुक्त		दोषसिद्धि		विमुक्त		दोषसिद्धि		विमुक्त	
	धारा 56 के अधीन	धारा 57 के अधीन	धारा 56 के अधीन	धारा 57 के अधीन	धारा 56 के अधीन	धारा 57 के अधीन	धारा 56 के अधीन	धारा 57 के अधीन	धारा 56 के अधीन	धारा 57 के अधीन	धारा 56 के अधीन	धारा 57 के अधीन
कर्नाटक	–	16	1	–	1	2	–	–	1	1	1	–
आंध्र प्रदेश	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	4	2	1	–	6	14	1	–	4	4	–	–
उत्तर प्रदेश	1		–	–	–	3	–		–		–	
राजस्थान	1	5	1	3	1	3	–	1	–	–	–	–
महाराष्ट्र	3	2	2	–	5	1	1	–	1	2	1	–
तमिलनाडु	19	15	–	–	12	11	4	2	2	5	1	1
केरल	5	4	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–
पंजाब	–	4	5	4	2	2	4	–	1	1	–	–
संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	–	2	1	3	1	2	–	–	3	–	–	–

[अनुवाद]

बैंक हड़ताल

568. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 27 अक्टूबर, 2006 को देश में बैंक कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हड़ताली कर्मचारियों की मांगें क्या थीं;

(ग) कर्मचारियों की मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) हड़ताल के कारण कुल कितनी हानि हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) कुछ यूनियनों/संघों द्वारा हड़ताल के आह्वान पर बैंक के अधिकांश कर्मचारी अपनी निम्नलिखित मांगों के समर्थन में 27 अक्तूबर, 2006 को एक दिन की हड़ताल पर रहे:

1. पेंशन के लिए दूसरा विकल्प
2. अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की योजना पुनः शुरू करना
3. बैंकिंग सेवाओं की आऊटसोर्सिंग को समाप्त करना तथा स्टाफ/अधिकारियों की भर्ती प्रारंभ करना
4. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय एवं अधिग्रहण का परित्याग करना तथा मताधिकार की उच्चतम सीमा को कम करना
5. मजदूर संघों के अधिकारों का हनन रोकना।

(ग) इस संबंध में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा की गई बातचीत से मामले का कोई समाधान नहीं निकल सका।

(घ) हड़ताल के कारण हुई हानि का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

वरिष्ठ नागरिकों को ऋण

569. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को चल तथा अचल संपत्ति खरीदने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा उचित ब्याज दर पर ऋण देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बैंकों आदि से वरिष्ठ नागरिकों को ऋण दिलाने में सहायता करने हेतु कोई विधान लाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि चल एवं अचल संपत्तियां खरीदने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को ऋण मंजूर करने का निर्णय अलग-अलग बैंकों के वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़ा गया है। बैंकों ने ग्राहकों के ऋण संस्वीकृत करने के लिए अपनी स्वयं की नीतियां निर्धारित की हैं जो एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न हो सकती हैं।

जहां तक वित्तीय संस्थाओं का संबंध है, वे सामान्यतया कारपोरेट एवं संस्थाओं को उधार देते हैं न कि वरिष्ठ नागरिकों सहित अलग-अलग व्यक्तियों को।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स की स्थापना

570. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री ए. साई प्रताप :
श्रीमती जयावहन वी. ठक्कर :
श्री ई. जी. सुगावनम :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स की स्थापना की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए सरकार ने एशियाई विकास बैंक से कितनी धनराशि का ऋण लिया है तथा उसकी नियम एवं शर्तें क्या हैं;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं से अनुमानित कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों के साथ परामर्श से मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के विकास हेतु सात स्थलों की पहचान की गई थी। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु और झारखंड की सरकारों से अपने अपने राज्यों में यूएमपीपी की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त किए गए हैं।

(ग) जी नहीं, ये परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित विकासकर्त्ताओं द्वारा विकसित की जाएंगी। अपेक्षित निधियों के लिए बातचीत का उत्तरदायित्व विकासकर्त्ता का होता है। सरकार ने देश में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से कोई ऋण नहीं लिया है।

(घ) आरंभ में कुछ यूएमपीपी के संबंध में तैयार किए गए बोली दस्तावेज अनुबंध करते हैं कि बोलीकर्त्ताओं को अंतिम बोली प्रस्तुत करने के समय पूरा करने का समय बताना होगा और अनुबंध करना होगा कि परियोजना की प्रथम यूनिट को सौंपे जाने की तारीख से 69 माह के भीतर शुरू किया जाएगा।

(ङ) लगभग 4000 मेगावाट कुल विद्युत के प्रत्येक यूएमपीपी से उत्पादित होने की संभावना है।

लघु खुदरा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनुमति

571. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में लघु खुदरा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की 22 श्रेणियों को चलने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली की ए तथा बी श्रेणी के रिहायशी इलाकों में उक्त प्रतिष्ठानों को परिचालन की अनुमति न देने का फैसला किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के पीछे क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में दिनांक 29.9.06 के अपने आदेश में रिहायशी क्षेत्र में 20 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाली छोटी स्थापना में निम्नलिखित मदों के व्यापार की अनुमति दी थी:–

1. सब्जियां/फल/फूल
2. बेकरी वस्तुएं/कंफेक्शनरी वस्तुएं
3. किराना/जनरल स्टोर
4. डेयरी उत्पाद
5. स्टेशनरी/किताबें/उपहार/जिल्दसाजी
6. फोटोस्टेट/फैक्स/एसटीडी/पीसीओ
7. साइबर कैफे/कॉल फोन बूथ
8. एलपीजी बुकिंग कार्यालय/एलपीजी सिलिंडर के बिना शोरूम
9. आटा चक्की
10. मीट/पोल्ट्री तथा मछली की दुकान
11. पान की दुकान
12. नाई की दुकान/हेयर ड्रेसिंग सेलून/ब्यूटी पार्लर
13. लांड्री/ड्राई क्लीनिंग/इस्त्री की दुकान
14. मिठाई की दुकान/चाय की दुकान जिनमें बैठने की व्यवस्था न हो
15. दवाइयों की दुकान
16. ऑप्टिकल दुकानें
17. दर्जी की दुकानें
18. इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक के सामान की मरम्मत की दुकान, तथा
19. फोटो स्टूडियो
20. केबल टी.वी./डीटीएच कार्यकलाप
21. होजरी/रेडीमेड कपड़े/कपड़े की दुकान
22. एटीएम

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15.11.2006 के अपने आदेश में उपर्युक्त 22 कार्यकलापों के अलावा निम्नलिखित कार्यकलापों की भी अनुमति दी है:–

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जन वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकान/केरोसिन की दुकान
2. साइकिल की मरम्मत की दुकान

(ग) से (ङ) दिनांक 7.9.2006 को अधिसूचित मिश्रित उपयोग विनियमनों के अनुसार ए और बी श्रेणियों की कालोनियों में किसी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। तथापि, इन कालोनियों में नियमित रिहायशी प्लाटों के विकास में अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़कों से सटे प्लाटों में खुदरा दुकानों की अनुमति है बशर्ते कि मिश्रित उपयोग सड़क की अधिसूचना के लिए संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विशेष अनुरोध किया जाए।

उक्त अधिसूचना में ए और बी कालोनियों में 20 वर्ग मीटर क्षेत्र से कम आकार की स्थापना को अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18.10.2006 के अपने आदेश में मॉनीटरिंग समिति इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है कि "ए" और "बी" श्रेणी कॉलोनियों में छोटी दुकानों को भी अनुमति दी जाए।

भुखमरी से मौतों वाले क्षेत्रों को एनआरईजीए के अंतर्गत लाना

572. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है जहां लोग भुखमरी से मर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) एनआरईजी अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार, यह अधिनियम लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के भीतर पूरे देश में लागू किया जाएगा। यह अधिनियम 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया और 02.02.2006 को इसके कार्यान्वयन के पहले चरण में इसे 200 निर्धारित जिलों में शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय नेताओं के आवासों को स्मारकों में परिवर्तित करना

573. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के आवासों को स्मारकों में परिवर्तित किए जाने का आज की तारीख तक का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बाबू जगजीवन राम के निवास को स्मारक में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के आवासों को स्मारकों में तब्दील किए गए ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

क्र.सं.	बंगला	स्मारक
1.	तीन मूर्ति भवन	जवाहर लाल नेहरू स्मारक
2.	1, सफदरजंग रोड और 1 अकबर रोड	इंदिरा गांधी स्मारक
3.	1, मोती लाल नेहरू प्लेस	लाल बहादुर शास्त्री स्मारक
4.	5, तीस जनवरी मार्ग	गांधी स्मृति स्मारक

(ख) से (घ) बाबू जगजीवन राम के आवास को स्मारक मे तब्दील करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सरकार ने स्वर्गीय नेताओं के बंगलों को स्मारक में तब्दील करने पर अब पूरी तरह पाबंदी लगा दी है।

[अनुवाद]

प्रतिभूतियों को सूची में बाहर करने का मानदंड

574. श्री शैलेन्द्र कुमार :

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शेयर बाजारों से प्रतिभूतियों को सूची से बाहर करने हेतु कड़े मानदंडों का प्रस्ताव किया है, जैसाकि दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय शेयर बाजारों से पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सूची से बाहर की गई प्रतिभूतियों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रक्रिया में आई समस्याओं का ब्यौरा क्या है, यदि हों तो;

(घ) क्या प्रतिभूति विधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 में संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सूची से बाहर करने संबंधी नए मानदंडों को सरकार द्वारा किस प्रकार लागू करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन मसौदा असूचीकरण नियमावली वित्त मंत्रालय की वेबसाइट (http://finmin.nic.in) पर लोक टिप्पणियों के लिए रखी गई है। नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज किन्हीं प्रतिभूति का निम्नलिखित आधारों पर असूचीकरण कर सकता है, यथा:

- कंपनी को लगातर पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटा हुआ है और इसका निवल मूल्य घटकर इसकी चुकता पूंजी से कम हो गया है;
- कंपनी की प्रतिभूतियों में कारोबार छः माह से अधिक अवधि से निलंबित है;
- कंपनी या इसके किसी प्रवर्तक या इसके किसी निदेशक का पता ज्ञात नहीं है या फर्जी पता दिया गया है या कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उल्लंघन करके अपना पंजीकृत कार्यालय बदल दिया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 2004 के द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया ताकि अन्य बातों के साथ–साथ यह व्यवस्था की जा सके कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर प्रतिभूतियों का असूचीयन उसके लिए कारणों को अभिलेखबद्ध करने के

पश्चात् कर सकता है। यह केन्द्रीय सरकार को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सूची से कंपनी की प्रतिभूतियों को हटाने के लिए आधारों की व्यवस्था करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसरण में असूचीकरण के लिए आधार की व्यवस्था करने हेतु प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 (एससीआरआर) में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

575. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु धनराशि की कमी

576. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धनराशि की कमी के कारण बहुत सी ग्रामीण विकास योजनाएं लक्ष्य से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी योजनाएं हैं; और

(ग) उनके लक्ष्यों के अनुसार उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2008–09 तक कुल 22,660 करोड़ रुपए की कमी होने की संभावना है। इस कमी को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में एक अलग विंडो बनाने का प्रस्ताव है। धनराशि की कमी के कारण कोई अन्य ग्रामीण विकास योजना लक्ष्य से बहुत पीछे नहीं चल रही है।

बीमा कंपनियों की नकारात्मक नीतियां

577. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के कर्मचारियों तथा उद्योग इत्यादि संबंधी उनकी नकारात्मक नीतियों के बारे में ऑल इंडिया कन्फीडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एम्पलाइज फेडरेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) आल इंडिया कन्फीडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एम्पलाइज फेडरेशन (एआईसीजीआईईएफ), जो कि एक चंदा–कटित संघ नहीं है, जिसकी सदस्यता लगभग 70,000 कर्मचारियों में से केवल 447 सदस्यों की है, ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधन द्वारा उद्योग विरोधी तथा संघ विरोधी कार्रवाईयां करने का आरोप लगाया है। अभ्यावेदन में उठाए गए बिन्दुओं में, अन्य बातों के साथ–साथ, तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) की शुरूआत, विकास स्टाफ का प्रशासनिक स्टाफ में परिवर्तन, प्रशासनिक अधिकारियों (एम) तथा प्रशासनिक अधिकारियों (डी) का शहरों से बाहर स्थानान्तरण एवं स्थानांतरण तथा गतिशीलता नीति (टीएमपी) की शुरूआत सम्मिलित है।

(ग) साधारण बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र) संघ (जीआईपीएसए) ने सूचित किया है कि एआईसीजीआई ईएफ द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं और यह प्राइवेट प्लेयर्स से प्रतिस्पर्धा का सामना करने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र की चारों साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधन द्वारा उत्पादकता, दक्षता तथा ग्राहक सेवा का सुधार करने हेतु कई तरह के सुधार आरंभ किए जाने के कारण हैं।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अधूरे निर्माण

578. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत आवासों का निर्माण लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केवल बिहार में ही

लगभग तीन लाख आवासों का निर्माण कार्य अब तक अधूरा है, जैसा कि दिनांक 17 सितम्बर, 2006 के "हिन्दुस्तान" के पटना संस्करण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आवास के लंबित निमार्ण कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ङ) इंदिरा आवास योजना एक निरंतर चलते रहने वाला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत किसी भी समय कुछ मकानों के अधूरे रहने की संभावना हो सकती है। आईएवाई, दिशा–निर्देशों के अनुसार, उन मकानों को चालू वर्ष के दौरान पहले पूरा किया जाना चाहिए, जो पिछले वर्ष के दौरान मंजूर किए गए थे और किसी वजह से पूरे नहीं हो सके थे। 01.04. 2006 की स्थिति के अनुसार अधूरे पड़े मकानों की राज्य–वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इस स्थिति की निष्पादन समीक्षा बैठकों में समय–समय पर, समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों को अधूरे–कार्य, यदि कोई हो तो, संपन्न करने की सलाह दी जाती है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार निर्माणाधीन मकानों की राज्य–वार संख्या

(संख्या में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	1.4.2006 को निर्माणाधीन मकानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	53784
2.	अरुणाचल प्रदेश	135
3.	असम	17728
4.	बिहार	311733
5.	छत्तीसगढ़	889
6.	गोवा	2448
7.	गुजरात	23034
8.	हरियाणा	460
9.	हिमाचल प्रदेश	509
10.	जम्मू एवं कश्मीर	12359
11.	झारखंड	34445
12.	कर्नाटक	38986
13.	केरल	15131
14.	मध्य प्रदेश	16711
15.	महाराष्ट्र	35083
16.	मणिपुर	951
17.	मेघालय	1744
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	826
20.	उड़ीसा	19417
21.	पंजाब	1197
22.	राजस्थान	6028
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	1385
25.	त्रिपुरा	0
26.	उत्तर प्रदेश	16119
27.	उत्तरांचल	2921
28.	पश्चिम बंगाल	22721
29.	अं.नि. द्वीप समूह	74
30.	दादरा व नगर हवेली	373
31.	दमन व दीव	3
32.	लक्षद्वीप	193
33.	पांडिचेरी	535
	कुल	637922

[अनुवाद]

विद्युत संवितरण प्रणाली का निजीकरण

579. श्री के.एस. राव :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत संवितरण के निजीकरण के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में क्या गुणात्मक सुधार देखे और दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या विद्युत संवितरण मॉडल के पुनर्गठन और विधि सम्मत रूप में मौजूदा विद्युत कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को विद्युत क्षेत्र में कार्य कर रही अनेक विद्युत संवितरण कंपनियों में से चुनाव करने का विकल्प देने और उनके द्वारा वास्तव में उपयोग की गई बिजली का मूल्य चुकाने का विकल्प उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उड़ीसा में विद्युत के वितरण का निजीकरण कर दिया गया है। विद्युत अधिनियम के अंतर्गत राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानक निर्धारित एवं लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने सूचित किया है कि कुछ तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों (एटी एण्ड सी) वर्ष 2002 (जब वितरण का निजीकरण किया गया था) में 50% से कम होकर मार्च, 2006 में लगभग 35% हो गया है और कि वितरण कंपनियों ने हानि में कमी करने के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। लोड शेडिंग वर्ष 2001–02 में 558 मिलियन यूनिटों से घटकर वर्ष 2004–05 में 176 मिलियन यूनिट हो गई है। वितरण ट्रांसफार्मरों के खराब होने की दर वर्ष 2002 में 15% से घटकर वर्ष 2005 में 1% से कम हो गई है।

उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) ने सूचित किया है कि सभी डिस्कामों ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लाईन खराबी को पुनः बहाल करने और फ्यूज–ऑफ कॉलों के सुधार के संबंध में वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान आईआरसी द्वारा निर्धारित किए गए समग्र कार्य निष्पादन मानक अर्जित किए हैं।

उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, अक्टूबर, 2006 की स्थितिनुसार उड़ीसा में उद्योगों के लिए पावर कटौती अधिसूचित नहीं की गई है और कृषि उपभोक्ताओं को 20 घंटे की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रारंभ से ही पारेषण में खुली पहुंच प्रदान की गई है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग पहले ही अंतरराज्यीय पारेषण में खुली पहुंच पर विनियम जारी कर चुका है। इस प्रावधान से विद्युत का एक अखिल भारतीय बाजार सृजित हुआ है। अधिनियम में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा चरणबद्ध तरीके में वितरण में खुली पहुंच आरंभ करने का प्रावधान किया गया है। इसमें व्यवस्था की गई है कि एसईआरसी 27 जनवरी, 2009 तक विनियम द्वारा उन सभी उपभोक्ताओं को खुली पहुंच प्रदान करेगा जिनके लिए विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है जहां कि अमुक समय में उपलब्ध कराई जाने वाली अधिकतम विद्युत एक मेगावाट से अधिक है। ऐसे उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के सिवाय अपना आपूर्तिकर्ता चयन करने का विकल्प होगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति में प्रावधान है कि जिस भी राज्य में ऐसी स्थिति हो विनियामक आयोगों को यहां तक कि इस समय सीमा से पहले भी खुली पहुंच प्रारंभ देनी चाहिए। नीति में क्रास सब्सिडी सरचार्ज के आकलन हेतु पद्धति भी निर्धारित उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 19 राज्यों के राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) ने वितरण खुली पहुंच के विनियम जारी कर दिए हैं और 15 एसईआरसी ने भी खुली पहुंच सरचार्ज की पद्धति निर्धारित कर ली है। अभी तक 6 राज्यों में संबंधित एसईआरसी द्वारा खुली पहुंच प्रदान करने के 17 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

विद्युत अधिनियम में यथोचित आयोग द्वारा एक ही क्षेत्र के भीतर दो या अधिक व्यक्तियों को अपनी स्वयं के वितरण प्रणाली के जरिए विद्युत वितरण किए जाने हेतु लाईसेंस प्रदान करने का प्रावधान भी है बशर्ते कि पूंजीगत पर्याप्तता, विश्वसनीयता अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित आचार संहिता संबंधी अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन हो जाए। केन्द्रीय सरकार इस संबंध में पहले ही अतिरिक्त अपेक्षाओं को अधिसूचित कर चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान

580. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्र कोष में भारत का अंशदान 1.95 प्रतिशत से गिरकर 1.91 प्रतिशत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उभरती हुई आर्थिक शक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया है ताकि विश्व अर्थव्यवस्था में इनके बढ़ते हुए अंशदान को प्रदर्शित किया जा सके;

(घ) क्या नए सुधारों के सूत्र से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को मिलने वाला हिस्सा प्रभावित होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत द्वारा मित्र राष्ट्रों के साथ क्या रणनीति अपनाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में अत्यंत कम प्रतिनिधित्व वाले देशों के रूप में चिन्हित किए गए चार देशों (चीन,

दक्षिण कोरिया, मेक्सिको और टर्की) के लिए "तदर्थ" कोटा में संतुलित वृद्धि किए जाने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कोटे में शेष सभी देशों के कोटे की हिस्सेदारी में परिणामस्वरूप अनुपातिक रूप से गिरावट आई है।

(ग) से (च) उपर्युक्त के संदर्भ में तदर्थ वृद्धि के अलावा, नए कोटा फार्मूले सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधारों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने निश्चय किया है कि इस संबंध में सुधारों के पैकेज को, 2008 में होने वाली वार्षिक बैठकों तक पूरा होने वाले द्विवर्षीय कार्यक्रम के रूप में देखा जाए। इसलिए इस मुद्दे पर इस समय अनुमान लगाना संभव नहीं होगा।

दिल्ली में अवैध निर्माण

581. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में अवैध निर्माणों को सील करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त निर्माण दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग के बिना नहीं किए जा सकते थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम के ऐसे अधिकारियों, जो सेवा में हैं अथवा सेवानिवृत्त हो चुके हैं के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का है, जिनके कार्यकाल में ये अवैध निर्माण हुए थे?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देना

582. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ पिछड़े राज्यों को अनुदान और ऋण प्रदान करने के लिए विशेष राजय का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने का है और एक सीमावर्ती राज्य है और यह राज्य सूखे और बाढ़ से प्रभावित रहता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। 11 राज्यों, यथा असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल राज्य को त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत सहायता देने हेतु विशेष राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद, (एनडीपी) निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विशेष दर्जा देता है:

- पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर सामरिक स्थल।
- पहाड़ी एवं दुर्गम स्थल।
- समग्र आर्थिक एवं बुनियादी पिछड़ापन।
- कम आबादी का घनत्व और/या ज्यादातर आबादी जनजातीय, तथा
- विकास संबंधी आवश्यकताओं की तुलना में सीमित एवं कम संसाधन।

(घ) राजस्थान को विशेष दर्जा देने का विद्युत मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) एपीडीआरपी के अंतर्गत विशेष समूह के राज्यों को निधि जारी करने के लिए वित्तपोषण का तौर-तरीका एनडीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपनाया गया है।

[अनुवाद]

मकानों और वाणिज्यिक दुकानों का निर्माण

583. डा. के. धनराजू : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2005-06 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकानों और वाणिज्यिक दुकानों के लिए आबंटित की गई धनराशि में से केवल 50 प्रतिशत धनराशि ही खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2006-07 के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि आबंटित संपूर्ण धनराशि का उपयोग किया जा सके?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि 2005–06 के दौरान मकानों और दुकानों के निर्माण के लिए मुहैया किए गए 289.75 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की तुलना में 290.95 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है।

(ग) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि मकानों और दुकानों के निर्माण के लिए बजट अनुमान में वर्ष 2006–07 के लिए किया गया नियतन 533.81 करोड़ रुपए है और उक्त राशि के उपयोग की डीडीए द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है।

उड़ीसा और बिहार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

584. श्री राम कृपाल यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और उड़ीसा में प्रस्तावों का अनुमोदन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय प्रत्येक राज्य में स्वीकृति हेतु लंबित पड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह में तेजी आ सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बिहार और उड़ीसा राज्यों तथा साथ ही पूरे देश के लिए पिछले तीन वर्षों (जनवरी, 2003 से जुलाई, 2006 तक) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है। इस अवधि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संचयी अंत:प्रवाह भी इस सारणी में दिया गया है।

(ग) 14 नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार स्वीकृति के लिए 22 एफडीआई प्रस्ताव लंबित हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) सभी एफडीआई प्रस्तावों के त्वरित अनुमोदन के लिए एकल विंडो समाशोधन प्रणाली है जिसके लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

इस निकाय की बैठक साधारणत: महीने में दो दो बार होती है। तथापि, कुछ क्षेत्रकों को छोड़कर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है अपितु रिजर्व बैंक को केवल कार्योत्तर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को उन्हें आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने, कार्यात्मक समस्याओं का समाधान करने और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मिलने में सहायता करके एक सक्रिय एकल स्थल पश्च देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों को क्रियान्वयन में रूपांतरित करना सुकर बनाने के लिए 9 अगस्त, 1999 के संकल्प के तहत विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण (एफआईआईए) का गठन भी किया है। प्रत्येक क्षेत्रक (प्रशासनिक मंत्रालयवार) के लिए एफआईआईए की सहायता फास्ट ट्रैक समिति द्वारा की जाती है जिसकी अध्यक्षता अग्रणी प्रशासनिक मंत्रालय करता है और परियोजना के क्रियान्वयन से संबंधित राज्य सरकार सहित इसमें सभी एजेंसियों से प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। व्यष्टि परियोजनाओं की समीक्षा करते समय एफटीसी प्रत्येक क्षेत्र के लिए केन्द्रीय/राज्य स्तर पर व्यर्थ प्रक्रियाओं की पहचान करने और उनको हटाने की सलाह देने/मौजूदा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए और राज्य सरकार के परामर्श से अनुमोदन समय सीमा की क्षेत्रक कार्ययोजना तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है।

विवरण-I

राज्य का नाम	जनवरी, 2003 से जुलाई, 2006 के दौरान अनुमोदित एफडीआई प्रस्तावों की संख्या	जनवरी, 2003 से जुलाई, 2006 के दौरान कुछ एफडीआई अंतर्वाह
बिहार	1	1.13 करोड़ रुपए
उड़ीसा	5	328.06 करोड़ रुपए
भारत	3597	64890.40 करोड़ रुपए

विवरण-II

राज्य का नाम	स्वीकृति के लिए लंबित एफडीआई प्रस्तावों की संख्या (14.11.2006 की स्थिति के अनुसार)
दिल्ली	4
गुजरात	1
कर्नाटक	2
महाराष्ट्र	6
तमिलनाडु	3
उत्तर प्रदेश	3
पश्चिम बंगाल	3

निगरानी समिति के अध्यक्ष पद से हटाना

585. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सतर्कता और निगरानी के लिए गठित की गई जिला समितियों में स्थानीय संसद सदस्य को हटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण विकास की चालू परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु स्थानीय संसद सदस्य को शामिल करने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं में अफगानिस्तान को सहायता

586. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत पारेषण और संवितरण की विभिन्न परियोजनाओं में अफगानिस्तान की सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) 478 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पुल-ए-खुमरी से काबुल तक 220 के.वी. डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन (220 कि.मी.) और अफगानिस्तान में काबुल में 220/110/20 के.वी. सब स्टेशन के निर्माण की वित्त व्यवस्था कर रही है। यह परियोजना उज्बेकिस्तान से काबुल तक विद्युत की आपूर्त करेगी। पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) इस परियोजना को निष्पादित कर रहा है। परियोजना को फरवरी, 09 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

भारत अफगानिस्तान में हेरात राज्य में 498 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट (42 मे.वा.) का पुन:निर्माण भी कर रहा है। परियोजना में सलमा बांध से हेरात शहर (143 कि.मी.) तक 110 के.वी. विद्युत पारेषण लाइन का इरेक्शन भी शामिल है ताकि अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांतों में विद्युत उपलब्ध कराई जा सके। परियोजना के जनवरी, 2009 तक पूरा होने की संभावना है।

भारत ने 39.2 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से उत्तरी अफगानिस्तान के फरयाब प्रांत में 20/0.4 के.वी. सब स्टेशन के साथ-साथ 110 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन (130 कि.मी.) और 20 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन (150 कि.मी.) के लिए उपकरणों की एवं 110 के.वी. तथा 20 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन के लिए सामग्री की भी आपूर्ति की थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह

587. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु ऋण पर ध्यान देते हुए त्रिस्तरीय ऋण प्रवाह तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषित करने के लिए निम्नलिखित तीन मॉडल तैयार किए हैं:-

(i) मॉडल-I : बैंकों द्वारा गठित एवं वित्तपोषित एसएचजी।

(ii) मॉडल-II : औपचारिक अभिकरणों एवं गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा गठित परन्तु बैंकों द्वारा प्रत्यक्षत: वित्तपोषित एसएचजी।

(iii) मॉडल-III : एनजीओ के माध्यम से बैंकों द्वारा वित्तपोषित एसएचजी।

(ग) वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में, वर्ष 2006-07 के दौरान 3.85 लाख एसएचजी को ऋण से सम्बद्ध करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नाबार्ड ने निर्धारित संख्या में समूहों को बैंकों के साथ सम्बद्ध करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक नीति तैयार की है। 3.85 लाख एसएचजी के लिए क्षेत्र-वार आबंटन स्थूल रूप में निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	क्षेत्र	एसएचजी की संख्या
1.	उत्तरी	38,500
2.	पूर्वोत्तर	26,950
3.	पूर्वी	88,550
4.	मध्यवर्ती	57,750
5.	पश्चिमी	57,750
6.	दक्षिणी	115,500
	कुल	385,000

लक्ष्य की तुलना में, 1.33 लाख एसएचजी 31 अक्टूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार पहले से ही ऋण सम्बद्ध कर दिए गए हैं।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्न और मजदूरी देना

588. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के संवितरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों में परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि और खाद्यान्न का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को समय पर खाद्यान्न का आबंटन और मजदूरी का भुगतान करने के निदेश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत उड़ीसा सहित कतिपय राज्यों से अतिरिक्त धनराशि और खाद्यान्न जारी करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों के संवितरण के लिए एसजीआरवाई दिशानिर्देशों को नहीं बदला गया है। तथापि, वर्ष 2006–07 के दौरान सीमित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होने के कारण सितम्बर, 2006 में यह निर्णय लिया गया था कि विशेष मामले के रूप में, चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के श्रमिकों को मजदूरी के हिस्से के रूप में प्रति श्रमदिवस 5 किलोग्राम की बजाए 3 किलोग्राम की दर पर खाद्यान्न दिए जाएंगे।

(ग) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर एसजीआरवाई देश के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही थी। वर्ष 2006–07 के दौरान, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए 200 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस संबंध में अपेक्षित जानकारी संलगन विवरण–I में दी गई है।

(घ) और (ङ) एसजीआरवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, मजदूरी का भुगतान सप्ताह के एक निर्धारित दिन अधिमानतः स्थानीय बाजार वाले दिन से एक दिन पहले किया जाएगा। राज्य सरकारों को 5.9. 2006 को यह सलाह दी गई है कि वे मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा एसजीआरवाई के अंतर्गत मजदूरी के हिस्से के रूप में समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक अनुदेश जारी करें। यह भी सलाह दी गई है कि यदि खाद्यान्न उपलब्ध न हो तो मजदूरी का नकद भुगतान किया जाए।

(च) और (छ) एसजीआरवाई आबंटन आधारित योजना है। तथापि, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए रखे गए कुल आबंटन के 5 प्रतिशत के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रस्ताव के आधार पर निधियां/खाद्यान्न रिलीज किए जाते हैं। वर्ष 2003–04 के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु और वर्ष 2004–05 के दौरान केरल तथा तमिलनाडु और वर्ष 2005–06 के दौरान बिहार, केरल तथा राजस्थान को संसाधन दिए गए हैं। चालू वर्ष 2006–07 के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अधिक निधियों का अनुरोध अब तक असम तथा राजस्थान सरकारों से प्राप्त हुआ है।

एसजीआरवाई के विशेष घटक के अंतर्गत उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार आपदा प्रभावित क्षेत्रों को केवल खाद्यान्न दिए जाते हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एसजीआरवाई के विशेष घटक के अंतर्गत दिए गए खाद्यान्नों के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2003–04 से 2006–07 के दौरान निधियों तथा खाद्यान्नों की रिलीज

खाद्यान्न (रु. लाख में) खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07 (22.11.06 की स्थिति के अनुसार)	
		निधियों की केन्द्रीय रिलीज	खाद्यान्नों की केन्द्रीय रिलीज	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	खाद्यान्नों की केन्द्रीय रिलीज	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	खाद्यान्नों की केन्द्रीय रिलीज	निधियों की केन्द्रीय रिलीज	खाद्यान्नों की केन्द्रीय रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	23995.50	258617	24049.88	264333	29453.70	195957	6542.37	66370
2.	अरुणाचल प्रदेश	1560.75	5196	1368.64	0	1377.50	0	683.29	641
3.	असम	29681.01	371484	32124.06	338737	40916.96	277421	15231.59	118472
4.	बिहार	34203.10	377859	49196.29	543184	59124.30	388060	12779.62	129645
5.	छत्तीसगढ़	12023.34	208689	12931.67	146757	16605.81	109367	2962.32	30052
6.	गोवा	110.36	129	292.55	2809	242.07	2810	250.58	0
7.	गुजरात	9654.67	156512	9941.23	141721	12648.76	85795	5264.88	53189
8.	हरियाणा	5599.45	60752	5567.67	61829	6758.76	45199	3629.21	36818
9.	हिमाचल प्रदेश	2394.67	26859	2259.63	26142	2230.05	17044	1177.41	11945
10.	जम्मू व कश्मीर	10803.04	28480	2715.61	30241	3229.13	21398	1724.87	14966
11.	झारखंड	26675.15	283853	27394.54	307430	33841.77	263171	2003.15	20790
12.	कर्नाटक	19428.39	346261	18290.28	199111	21881.83	146337	9734.86	98755
13.	केरल	8696.74	94235	7866.56	91843	9767.11	65661	4869.90	49707
14.	मध्य प्रदेश	26705.26	385152	28713.84	319569	34606.57	236183	10094.66	102593
15.	महाराष्ट्र	31212.10	363638	33657.28	374128	40869.63	289274	15422.27	156480
16.	मणिपुर	1331.40	18883	2123.41	20057	2164.50	18620	1441.90	11216
17.	मेघालय	2055.44	26338	2439.01	23501	2334.13	10847	1167.88	9083
18.	मिजोरम	757.86	9189	574.44	6134	748.55	4828	333.84	2596
19.	नागालैंड	1168.08	17253	1637.97	15066	1415.70	14310	1051.63	8179
20.	उड़ीसा	24743.95	277998	26939.86	291458	33322.45	221654	5774.36	58580
21.	पंजाब	4620.08	50266	5818.55	67820	6412.39	50451	443.11	4494
22.	राजस्थान	13860.68	224972	14564.97	160602	17945.03	111119	7525.34	76343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	सिक्किम	703.55	8534	685.88	7002	828.75	5344	337.67	2626
24.	तमिलनाडु	23318.54	244627	22470.43	248294	25995.76	171352	11310.29	114738
25.	त्रिपुरा	3991.89	50210	4079.04	44118	5213.91	33621	2292.16	17828
26.	उत्तरांचल	5355.75	57984	5361.66	59768	6607.12	43740	2952.35	29951
27.	उत्तर प्रदेश	65695.85	776170	79279.95	884534	98576.36	767830	33902.60	343984
28.	प. बंगाल	21453.96	262879	26731.84	317849	34453.29	246322	9396.35	95320
29.	अं. नि. द्वीप समूह	97.40	1315	220.94	2457	44.36	0	0.00	0
30.	दादरा व नगर हवेली	41.13	555	87.28	1214	0.00	0	0.00	0
31.	दमन व दीव	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0
32.	लक्षद्वीप	28.57	421	28.57	0	126.75	0	129.55	0
33.	पांडिचेरी	136.13	1591	205.09	2292	0.00	0	166.64	1690
	कुल		412103.79	4996901	449618.62	5000000	549743.00	3843715	170596.65

विवरण-II

वर्ष 2003 से 2007 के दौरान एसजीआरवाई के विशेष घटक के अंतर्गत खाद्यान्नों की रिलीज के राज्य–वार ब्यौरे

(मीट्रिक टन में)

क्रम सं.	राज्य	वर्ष के दौरान रिलीज किए गए खाद्यान्न			
		2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	24800	0		
2.	आंध्र प्रदेश	1820000	402000	310000	
3.	असम	50000	100000		
4.	बिहार		384000		
5.	छत्तीसगढ़	238000	90000	0	
6.	गुजरात	158000	0		
7.	हरियाणा	0	0		
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0		
9.	झारखंड	0	0		20000
10.	कर्नाटक	679750	353620	72000	180000
11.	केरल	61000	42000	20000	

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	477760	50000	50000	
13.	महाराष्ट्र	515800	300000	0	
14.	मेघालय		3116		
15.	मिजोरम		500		
16.	उड़ीसा	522000	0	200000	
17.	राजस्थान	1357630	718000	850000	
18.	सिक्किम		2000		
19.	तमिलनाडु	679000	150000	43968	244000
20.	उत्तर प्रदेश	0	0		
21.	उत्तरांचल	0	0		
22.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह			0	
23.	जम्मू व कश्मीर			7000	
24.	पांडिचेरी			1500	
	कुल	6583740	2595236	1554468	444000

* 22.11.2006 की स्थिति के अनुसार

आर्थिक वृद्धि

589. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान आर्थिक वृद्धि की क्या दर दर्ज की गई है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह दर कितनी रहने की संभावना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कृषि और औद्योगिक वृद्धि दर क्या थी;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान संगत वृद्धि दर के आंकड़ों सहित तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल–जून, 2006) की प्रथम तिमाही के दौरान आर्थिक वृद्धि की दर 8.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2006–07 की बाद की तिमाहियों के स.घ.उ. के अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे संकेत हैं कि वित्तीय वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान देखी गई समग्र वृद्धि की रफ्तार चालू वर्ष के दौरान भी बनी रहने की संभावना है।

(ख) और (ग) वर्ष 2006–07 की प्रथम तिमाही के दौरान स.घ.उ. तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि दर के साथ–साथ पिछले दो वर्षों की तद्नुरूप अवधि के तुलनात्मक आंकड़ें नीचे दिए गए हैं:–

		प्रथम तिमाही की स.घ.उ. की वृद्धि* (आंकड़े प्रतिशत में)		
		2006–07	2005–06	2004–05
1.	स.घ.उ.	8.9	8.5	7.9
2.	कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र	3.4	3.4	3.5
3.	उद्योग	9.7	10.2	7.1

* वर्ष 1999–2000 की स्थिर कीमतों की उत्पादन लागत पर आकलित।

(घ) केन्द्रीय सरकार सामाजिक तथा भौतिक अवसंरचना के विकास पर अधिकतम बल दे रही है जिससे अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के पथ पर बनी रहे।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलम्ब

590. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न न्यायालयों में लगभग तीन करोड़ मामले लम्बित हैं;

(ख) क्या अधिकतर मामले सुनवाई की तारीख के स्थगन/मुल्तवी, न्यायाधीशों के स्थानांतरण और न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलम्ब इत्यादि के कारण इकट्ठे हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वैंकटपति) : (क) से (ग) इस विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसर 31.07.2006 को देश के विभिन्न न्यायालयों में 2.96 करोड़ मामले लंबित हैं। न्यायालयों में इतनी बड़ी संख्या में मामलों के इकट्ठा होने के कारण के संबंध में विभिन्न समितियों और विधि आयोगों द्वारा विचार किया गया है। यद्यपि, न्यायालयों में मामलों के इकट्ठा होने के लिए अनेक कारक हैं, किन्तु सुनवाई की तारीखों के आस्थगन/आगे बढ़ने, न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण, न्यायाधीशों की नियुक्तियों में विलंब आदि ने भी इसमें योगदान दिया है। तथापि, सरकार ने न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी करने के विचार से अनेकों उपाए किए हैं जिनके अंतर्गत न्यायाधीशों की रिक्तियों का समय पर भरा जाना, न्यायाधीश पद संख्या में वृद्धि करना, विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को समूहबद्ध करना, लोक अदालतों का आयोजन, विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को बढ़ावा देना, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय जैसे विशेष न्यायालयों का गठन करना, देश में 1562 त्वरित न्यायालयों के कार्यकाल को 31.03.2010 तक बढ़ाना और साथ ही न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण भी है।

गांवों के मानचित्रों का डिजीटलीकरण

591. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्र सरकार को कर्नाटक सहित कतिपय राज्यों से गांवों के मानचित्रों के डिजीटलीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इनके कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (च) वर्ष 2003–04 और 2004–05 के दौरान गांवों के मानचित्रों के अंकीकरण (डिजिटाइजेशन) के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे। वर्ष 2005–06 के दौरान, निम्नलिखित राज्यों ने गांवों के मानचित्रों की जांच (स्कैनिंग) तथा अंकीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। इन प्रस्तावों पर कार्यवाही की गई थी और नीचे दिए गए अनुसार निधियां जारी की गईं थीं:–

(i)	आंध्र प्रदेश	–	5.31 करोड़ रुपए
(ii)	उत्तर प्रदेश	–	8.50 करोड़ रुपए
(iii)	उत्तरांचल	–	12.08 करोड़ रुपए
(iv)	तमिलनाडु	–	8.67 करोड़ रुपए

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सर्वेक्षण अभिलेखों/भू–कर (कैडेस्ट्रल) मानचित्रों की जांच और अंकीकरण के लिए कर्नाटक सहित निम्नलिखित राज्यों से इसी प्रकार के प्रस्ताव नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्राप्त हुए हैं:–

(i)	आंध्र प्रदेश	–	27.00 करोड़ रुपए
(ii)	बिहार	–	50.00 करोड़ रुपए
(iii)	गुजरात	–	6.00 करोड़ रुपए
(iv)	कर्नाटक	–	16.78 करोड़ रुपए
(v)	राजस्थान	–	15.03 करोड़ रुपए
(vi)	त्रिपुरा	–	11.18 करोड़ रुपए
(vii)	झारखंड	–	13.52 करोड़ रुपए

प्रस्तावों पर विचार करना एक सतत् प्रक्रिया है। चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों की स्वीकृति योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करती है।

निजी बैंकों के मताधिकार

592. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी बैंकों में निजी निवेशकों के मताधिकार को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है चाहे उनकी शेयरधारिता कितनी भी हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनेक शेयरधारकों को मताधिकार की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से

जी, नहीं। बैंकों के विशेष स्वरूप तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक बैंकिंग कंपनी के पर्याप्त संख्या में शेयरधारक "उपयुक्त एवं समुचित" व्यक्ति हैं, के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 13 मई, 2005 को लोक सभा में बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 पेश किया था। विधेयक में अन्य बातों के साथ–साथ विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक शेयरों के अधिग्रहण के लिए पूर्व अनुमोदन की सांविधिक अपेक्षा के निर्धारण के साथ–साथ मताधिकार पर रोक को हटाने की व्यवस्था की गई है। किसी व्यक्ति द्वारा एक बैंकिंग कंपनी में 5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के शेयरों के अधिग्रहण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने के लिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात से संतुष्ट होने के लिए, कि बैंकिंग कंपनी की शेयरों का अधिग्रहण "उपयुक्त एवं समुचित" माने गए व्यक्ति द्वारा किया गया है, ऐसी शर्तें जो इस संबंध में वह उपयुक्त समझे, लगाने के लिए इसे अधिकार देने की व्यवस्था करने हेतु एक नई धारा 12(ख) जोड़ी जा रही है। मताधिकार पर अधिकतम सीमा हटाने का औचित्य शेयरधारकों को मत के लिए अधिकार देना है जो उनके द्वारा धारित इक्विटी पूंजी के अनुरूप है।

बायोगैस ऊर्जा

593. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बायोमास ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने हेतु परियोजनाओं का विकास करने के लिए यूएनडीपी ग्लोबल एनवायरमेंट फंड और जर्मन फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समझौते की वित्त–पोषण पद्धति क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना की लागत 39.15 मिलियन अमेरिकी डालर रखी गई है जिसमें से ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से 5.65 मिलियन अमेरिकी डालर का अनुदान, इस मंत्रालय से अंशदान के रूप में 5.24 मिलियन अमेरिकी डालर, क्रेडीटेंसटाल्ट फर वाईफेराफबाउ (केएफ डब्ल्यू), जर्मनी से प्रस्तावित रियायती उधार के रूप में 24.82 मिलियन अमेरिकी डालर (यूरो 19.971 मिलियन) का प्रस्ताव है और संभावित परियोजना प्रमोटरों से शेष 3.44 मिलियन अमेरिकी डालर संभावित निवेश के रूप में है।

महानगरों में मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि

594. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगरों में मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कुल आबादी, स्लम आबादी और एक मिलियन से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में उनका प्रतिशत–2001

क्रम सं.	मिलियन से अधिक आबादी वाले नगर निगम	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल आबादी	कुल स्लम आबादी	कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
	कुल		**73,345,775**	**17,698,950**	**24.1**
1.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	11,978,450	6,475,440	54.1
2.	दिल्ली	दिल्ली	9,879,172	1,851,231	18.7
3.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	4,572,876	1,485,309	32.5
4.	चेन्नै	तमिलनाडु	4,343,645	819,873	18.9

1	2	3	4	5	6
5.	बंगलौर	कर्नाटक	4,301,326	430,501	10.0
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	3,637,483	626,849	17.2
7.	अहमदाबाद	गुजरात	3,520,085	473,662	13.5
8.	सूरत	गुजरात	2,433,835	508,485	20.9
9.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	2,551,337	367,980	14.4
10.	पुणे	महाराष्ट्र	2,538,473	492,179	19.4
11.	जयपुर	राजस्थान	2,322,575	368,570	15.9
12.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	2,185,927	179,176	8.2
13.	नागपुर	महाराष्ट्र	2,052,066	737,219	35.9
14.	इंदौर	मध्य प्रदेश	1,474,968	260,975	17.7
15.	भोपाल	मध्य प्रदेश	1,437,354	125,720	8.7
16.	लुधियाना	पंजाब	1,398,467	314,904	22.5
17.	पटना	बिहार	1,366,444	3,592	0.3
18.	वडोदरा	गुजरात	1,306,227	186,020	14.2
19.	आगरा	उत्तर प्रदेश	1,275,134	121,761	9.5
20.	थाणे	महाराष्ट्र	1,262,551	351,065	27.8
21.	कल्यान–डोमबिवली	महाराष्ट्र	1,193,512	34,860	2.9
22.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1,091,918	137,977	12.6
23.	नासिक	महाराष्ट्र	1,077,236	138,797	12.9
24.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	1,068,772	471,581	44.1
25.	फरीदाबाद	हरियाणा	1,055,938	490,981	46.5
26.	पिंपरी चिंछवाड़	महाराष्ट्र	1,012,472	123,957	12.2
27.	हओरा	पश्चिम बंगाल	1,007,532	118,286	11.7

नोट: स्रोत : भारत की जनगणना की वेबसाइट

बायोमास गैसीयकरण प्रौद्योगिकी का निर्यात

595. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बायोमास विद्युत उत्पादन की मांग और पूर्ति में बड़ा अंतर है;

(ख) यदि हां, तो बायोमास गैसीयकरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या देश बायोमास गैसीयकरण प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) पारंपरिक स्रोतों से विद्युत की मांग और आपूर्ति में अंतराल के संदर्भ में, बायोमास सहित विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के अनुपूरण के लिए संभाव्यता मौजूद है। अतिरेक कृषिगत अवशिष्टों और गन्ना खोई जैसे बायोमास से 21000 मे.वा. की विद्युत उत्पादन संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) मुख्यतया विद्युतीकृत गांवों में बिजली की पूरी न की जा सकी मांग पूर्ति के लिए 100 प्रतिशत प्रोड्यूसर गैस इंजिनों से जुड़ी बायोमास गैसीफायर प्रणालियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उद्योगों में कैप्टिव विद्युत उत्पादन और तापीय अनुप्रयोगों के लिए बायोमास गैसीफायर प्रणालियां लगाई जा रही हैं। मंत्रालय द्वारा बायोमास गैसीयकरणी प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों में ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत सब्सिडी, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने, जनजागरूकता सृजन और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता शामिल हैं।

(ग) और (घ) स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित 15 कि.वा. से 600 कि.वा. के बीच छोटी और मध्यम आकार की बायोमास गैसीफायर प्रणालियां, निजी बायोमास गैसीफायर विनिर्माताओं द्वारा, आस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कोलम्बिया, जर्मनी, इटली, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि जैसे देशों को निर्यात की जाती हैं।

उड़ीसा में स्वरोजगार हेतु भारतीय स्टेट बैंक की ऋण योजना

596. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक उड़ीसा में एक लाख पात्र बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन व्यक्तियों को ऋण किन निबंधन और शर्तों पर प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) इन ऋणों पर किस दर से ब्याज वसूल किया जाएगा;

(ङ) क्या देश के किसी भाग में ऐसी ही पेशकश के साथ कोई अन्य बैंक आगे आया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचित किया है कि वह बैंक की विभिन्न विद्यमान योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा में एक लाख बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए ऋण देने के लिए सहमत हो गया है और ब्याज की दर, योजनाओं जिनके अंतर्गत वित्त उपलब्ध कराया जाता है, पर लागू दरों के अनुरूप प्रभारित की जाएगी।

(ङ) और (च) ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य बैंकों ने ऐसे प्रस्तावों के बारे में सूचित नहीं किया है। तथापि, विभिन्न स्व–रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में बैंकों के लिए आमतौर पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

597. डा. अरुण कुमार शर्मा :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी लोक सभा और विधान सभा सीटों के पुनः सीमांकन हेतु गठित परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इसकी रिपोर्ट को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग को राज्यों (जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर) और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आबंटन के पुनः समायोजन का कार्य सौंपा गया है। परिसीमन आयोग द्वारा यथा संसूचित, देशभर में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में आज की तारीख तक हुई प्रगति के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है। सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में परिसीमन कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् आदेशों को प्रभावी करने का प्रस्ताव करती है।

विवरण

सारांश

I. वे राज्य जहां अंतिम आदेश अधिसूचित कर दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	तारीख
1	2	3
1	गोवा	31.03.05
2	पांडिचेरी	31.03.05
3	त्रिपुरा	12.05.05

1	2	3
4	मिजोरम	27.05.05
5	केरल	31.05.05
6	राजस्थान	25.01.06
7	पश्चिमी बंगाल	15.02.06
8	पंजाब	19.06.06
9	छत्तीसगढ़	02.06.06
10	महाराष्ट्र	31.07.06
11	सिक्किम	04.09.06
12	दिल्ली	20.09.06

II. वे राज्य जहां लोक सुनवाईयां पूरी हो गई हैं। इन राज्यों के संबंध में अंतिम अधिसूचना एक मास के भीतर जारी किए जाने की संभावना है:

क्रम संख्या	राज्य	तारीख
1	हिमाचल प्रदेश	21, 23 और 25 अप्रैल – 2006
2	उड़ीसा	23 से 26 मई – 2006
3	गुजरात	19, 21, 22 और 23 जून, 2006
4	उत्तर प्रदेश	27, 28, 29, 30, 31 अगस्त, 2006, 5, 6, 9, 10, 11 और 12 सितम्बर, 2006
5	उत्तरांचल	9, 12 और 13 अक्टूबर, 2006

III. वे राज्य जहां प्रारूप प्रस्तावों का प्रकाशन किया गया है और लोक बैठकों का आयोजन किया जाना है:

क्रम सं.	राज्य	प्रारूप अधिसूचना की तारीख	लोक सुनवाई की तारीख
1	हरियाणा	30.10.2006	28, 29 और 30 नवम्बर, 2006

IV. अन्य राज्यों की प्रास्थिति :–

क्र. सं.	राज्य	स्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	सहबद्ध सदस्यों के साथ 6 बैठकें की गई।
2.	अरुणाचल प्रदेश	सहबद्ध सदस्यों के साथ केवल पत्र 1 पर चर्चा की गई।
3.	असम	सहबद्ध सदस्यों के साथ 7 बैठकें की गई। नए सहबद्ध सदस्यों को अधिसूचित किया गया।
4.	बिहार	सहबद्ध सदस्यों के साथ चर्चा के लिए कार्यपत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
5.	झारखंड	सहबद्ध सदस्यों के साथ चर्चा के लिए कार्यपत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
6.	कर्नाटक	सहबद्ध सदस्यों के साथ 3 बैठकें की गई।
7.	मध्य प्रदेश	सहबद्ध सदस्यों के साथ 4 बैठकें की गई।
8.	मेघालय	सहबद्ध सदस्यों के साथ केवल जिलों को विधान सभा के स्थानों का आबंटन करने वाले पत्र – 1 और 2 पर चर्चा की गई। पत्र 3 से 7 पर अभी राज्य निर्वाचन आयुक्त और सहबद्ध सदस्यों के साथ चर्चा की जानी है।
9.	नागालैंड	सहबद्ध सदस्यों के साथ केवल जिलों को विधान सभा के स्थानों का आबंटन करने वाले पत्र – 1 और 2 पर चर्चा की गई। पत्र 3 से 7 पर सभी राज्य निर्वाचन आयुक्त और सहबद्ध सदस्यों के साथ चर्चा की जानी है।
10.	तमिलनाडु	सहबद्ध सदस्यों के साथ 6 बैठकें की गई। नए सहबद्ध सदस्यों को अधिसूचित किया गया।
11.	मणिपुर	न्यायालय द्वारा आस्थगन के अधीन।

जाली करेंसी बरामद किया जाना

598. श्री बची सिंह रावत "बचदा" :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पड़ोसी देशों के प्रमुख शहरों विशेषकर पाकिस्तान में क्वेटा में जाली भारतीय करेंसी नोटों के छापे जाने और उनके भारत में भेजे जाने की कई रिपोर्टें हैं;

(ख) क्या ऐसे जाली करेंसी नोटों को असली नोट छापे जाने वाले कागजों पर छापा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत में जाली करेंसी नोटों की तस्करी कराने के लिए क्या कार्य प्रणाली अपनाई गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) देश में भारतीय करेंसी में जाली नोटों के प्रचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं : जाली नोटों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता में वृद्धि करना; अखबारों और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से सुरक्षात्मक पहलुओं संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार करना तथा बैंकों के सभी प्रमुख कार्यालयों में जाली नोट संबंधी सतर्कता प्रकोष्ठ बनाना। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय शामिल किए गए हैं जिनसे जालसाजी करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने जाली करेंसी नोटों के मामलों की जांच पर निगरानी के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोडल एजेंसी नामित किया है।

[हिन्दी]

बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

599. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बैंक-वार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प को चुना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

600.. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में इस बात पर बल दिया गया है कि सभी स्थानीय निकाय कृषि भूमि को शहरी उपयोग में परिवर्तित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कौन से कार्यकलाप शुरू किए गए; और

(ग) आगामी वर्षों में तमिलनाडु में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन

601. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) इस समय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की परिलब्धियों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों और अन्य परिलब्धियों सहित सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के अधीन विनियमित हैं।

वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुज्ञेय वेतन, भत्ते और परिलब्धियों को उपदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुज्ञेय वेतन, भत्ते और परिलब्धियां

क्रम सं.	मद	उच्चतम न्यायालय	
		मुख्य न्यायमूर्ति	अन्य न्यायाधीश
1	2	3	4
1.	मूल वेतन (प्रति मास)	33,000/- रु. (नियत) (1.1.96)	30,000/- रु. (नियत) (1.1.96)
2.	मंहगाई वेतन	मूल वेतन का 50% (1.4.2004)	मूल वेतन का 50% (1.4.2004)

1	2	3	4
3.	मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता	उसी दर पर जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है।	
4.	सत्कार भत्ता (प्रति माह)	10,000/– रु. (1.4.2004)	7,500/– रु. (1.4.2004)
5.	दौरे पर दैनिक भत्ता	परिवहन के लिए 1,000/– रु. + 50/– (महंगे शहरों के लिए) 600/– रु. साधारण शहरों के लिए (24.2.1999)	
6.	आवास सुविधा	किराया मुक्त सुसज्जित आवास या शासकीय आवास के बदले वेतन का 30% + मंहगाई वेतन का 30% प्रति मास मकान किराया भत्ता (आय–कर मुक्त) (1.4.2004)	
7.	निवास की नि:शुल्क साज–सज्जा	2,50,000/– रु. (3.11.1995)	2,00,000/– रु. (3.11.1995)
8.	जल और विद्युत	नि:शुल्क जल और विद्युत	
9.	चिकित्सीय सुविधाएं	सरकारी अस्पतालों या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी के चिरभोग पर चिकित्सीय व्ययों की पूर्ण प्रतिपूर्ति (3.11.1995)	
10.	वाहन सुविधा	प्रतिमास 200 लीटर तक के ईंधन के साथ स्टाफ कार (11.1.96)	
11.	अवकाश यात्रा छूट	वर्ष में तीन बार भारत में किसी भी स्थान के लिए, गृह नगर सहित (वायु यात्रा, एक्जीक्यूटिव क्लास और निजी कार द्वारा अनुज्ञात है)	
12.	टेलीफोन सुविधा	कोई सीमा नहीं।	

नई इमारतों में बंकरों और बम शेल्टरों का निर्माण

602. श्री नवीन जिन्दल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनता की परमाणु युद्ध से रक्षा करने के लिए महानगरों विशेषकर दिल्ली और मुंबई में शेल्टरों/बंकरों/बम शेल्टरों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई इमारतों में बंकरों/बम शेल्टरों के निर्माण को अनिवार्य किए जाने का विचार है और ऐसा न करने पर नई इमारतों के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अफीम की खेती

603. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार की अफीम की खेती से कुल वार्षिक आय कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न संगठन अफीम की नीलामी पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) विगत 5 वर्षों के दौरान अफीम की खेती से कुल आय निम्नवत है:

2001–02	13883.00 लाख रु.
2002–03	12982.00 लाख रु.
2003–04	12687.07 लाख रु.
2004–05	08149.12 लाख रु.
2005–06	05486.00 लाख रु.

(ख) जी, नहीं। अफीम की कोई नीलामी नहीं होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूकम्परोधी इमारतें

604. श्री विजय कृष्ण : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूकंप के कारण होने वाली हानियों को

कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों से परामर्श करने के बाद भूकंपरोधी इमारतें बनाने के लिए कोई कदम उठा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं और इसे अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में लागू करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपरोधी भवनों व विभिन्न संरचनाओं के लिए मानक तैयार किए हैं। सभी प्रकार के चिनाई और लकड़ी के भवनों के डिजाइन एवं निर्माण संबंधी नए मानक 1993 में प्रकाशित किए गए थे और भूकंपरोधी डिजाइन और सभी प्रकार के भवनों की संरचनाओं के निर्माण संबंधी मदरकोड वर्ष 2002 में प्रकाशित किए गए थे। इन मानकों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अद्यतन किया जाता है।

उड़ीसा में एन.टी.पी.सी. विद्युत संयंत्र

605. श्री जुएल ओराम : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में एन.टी.पी.सी. ताप विद्युत संयंत्र की वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ख) इससे राज्य को कितने प्रतिशत विद्युत की पूर्ति की जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) एनटीपीसी के उड़ीसा में दो विद्युत संयंत्र हैं:-

(1) तालचेर-कानिहा (तालचेर सुपर थर्मल प्रोजेक्ट-टीएसटीपीएस)

(i) तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, चरण-I (2x500 मेगावाट)

(ii) तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, चरण-II (4x500 मेगावाट)

(2) तालचेर थर्मल (तालचेर थर्मल पावर स्टेशन-टीटीपीएस) - तालचेर थर्मल पावर स्टेशन (460 मेगावाट)

(ख) विद्युत मंत्रालय द्वारा उड़ीसा में अवस्थित एनटीपीसी के स्टेशनों से उड़ीसा को आबंटित विद्युत निम्नानुसार है-

	% आबंटन	आबंटित विद्युत
तालचेर एसटीपीएस चरण-I (1000 मेगावाट)	31.80	318 मेगावाट
तालचेर थर्मल पावर स्टेशन (460 मेगावाट)	100	460 मेगावाट
उड़ीसा को कुल विद्युत आपूर्ति		718 मेगावाट

तथापि उड़ीसा ने तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेज-II (2000 मेगावाट) से विद्युत न लेने का विकल्प चुना। इसीलिए तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण-II से संपूर्ण क्षमता दक्षिणी क्षेत्र राज्यों को आबंटित की जाती है।

ग्राहकों को ऑनलाइन सुविधाएं

606. श्री के.सी. पल्लामी शामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों ने ग्राहकों के लाभ हेतु कार्य के शीघ्र निपटान के लिए "ऑनलाइन सुविधाएं" आरंभ करने के लिए भारी धनराशि निवेश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों का ग्राहकों को नई प्रौद्योगिकी से अवगत कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंक तत्काल और ऑन-लाइन आधार पर आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने हेतु जोरदार प्रयास कर रहे हैं। बैंकों ने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजनाएं तैयार की हैं। सीबीएस से वे ग्राहकों को एटीएम, इन्टरनेट बैंकिंग, टेली-बैंकिंग, आदि जैसे वितरण माध्यम उपलब्ध करा पाएंगे तथा किसी भी समय और कहीं भी बैंकिंग की सुविधा दे पाएंगे। ग्राहक सेवा हेतु यह एक वरदान सिद्ध होगा। तथापि सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास आधारभूत आंकड़ों (डाटा बेस) से कोर बैंकिंग समाधान एवं उन्नयन प्रौद्योगिकी के लिए बैंकों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में ब्यौरा नहीं होता।

संपत्ति में महिलाओं को अधिकार

607. श्री अधीर चौधरी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं को अधिकार प्रदान करने वाले केन्द्रीय संपत्ति कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कानूनों के क्रियान्वयन संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) क्या इनमें कोई खामियां देखी/बताई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या संपत्तियों में महिलाओं के अधिकारों को सुदृढ़ बनाने के लिए कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) हिन्दू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होते हैं तथा ईसाई और पारसी महिलाओं के संपत्ति के अधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित होते हैं। मुस्लिम महिलाओं के सम्पत्ति अधिकार उनकी स्वीय विधि द्वारा विनियमित होते हैं।

(ख) भारत के विधि आयोग द्वारा, उसकी 174वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया है, जिसके द्वारा बालिकाओं को पैतृक संपत्ति में सहदायिक बनाया गया है। सरकार की नीति यह है कि यह स्वीय विधियों में तब तक कोई परिवर्तन प्रभावी न किए जाएं जब तक कि उसके लिए उन समुदायों की तरफ से कोई पहल न हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पवन ऊर्जा उत्पादन

608. श्री मंजुनाथ कुन्नुर :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत क्षेत्र में पवन ऊर्जा में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता राज्यवार कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पवन ऊर्जा के राज्यवार लक्ष्य और वास्तविक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) देश में पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, हां। पिछले दो–तीन वर्षों से ग्रिड–इंटरएक्टिव पवन विद्युत स्थापित क्षमता प्रगामी रूप से बढ़ रही है और यह वर्ष 2005–06 में लगभग 1746 मे.वा. थी।

(ख) देश में अब तक 6070 मे.वा. की कुल पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली का उत्पादन स्थल–विशिष्ट है और यह पवन–वेग तथा ग्रिड की उपलब्धता पर निर्भर करता है। पवन से विद्युत उत्पादन के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। निजी क्षेत्र निवेशों से मुख्यतया वाणिज्यिक परियोजनाओं के माध्यम से दसवीं योजना में पवन विद्युत क्षमता संयोजन के लिए 1500 मेवा. का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य और उनकी तुलना में उपलब्धियां संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

(घ) सरकार द्वारा देश में पवन इलैक्ट्रिक जनरेटरों के कुछ संघटकों पर रियायती आयात–शुल्क देकर, उत्पाद शुल्क में छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से सृजित आय पर दस वर्ष का कर–अवकाश, त्वरित अवमूल्यन का लाभ, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण, ग्रिड कनैक्शन और उत्पादित बिजली की बिक्री के लिए राज्यों में नीतियों, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी–वैट) द्वारा तकनीकी सहायता और संभाव्यता वाले अन्य स्थलों की पहचान हेतु विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन के माध्यम से पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

विवरण-I

राज्यवार पवन विद्युत संस्थापित क्षमता
(दिनांक 30.09.2006 की स्थिति के अनुसार)

(मेवा. में)

राज्य	कुल संस्थापित क्षमता
आंध्र प्रदेश	121.6
गुजरात	391.4
कर्नाटक	696.0
केरल	2.0
मध्य प्रदेश	50.9
महाराष्ट्र	1242.8
राजस्थान	385.8
तमिलनाडु	3175.5
पश्चिम बंगाल	1.1
अन्य	3.2
कुल	6070.3

विवरण-II

वर्ष	लक्ष्य (मे.वा.)	उपलब्धियां (मे.वा.)
2003–04	250	615
2004–05	300	1111
2005–06	450	1746
कुल	1000	3472

ग्रामीण क्षेत्रों में चल न्यायालय

609. श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्राम स्तर पर चल न्यायालयों को स्थापित करने का है जैसा कि दिनांक 30 अगस्त, 2006 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन न्यायालयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विद्युत अधिनियम, 2003

610. श्री संतोष गंगवार :
श्री सुनिल कुमार महतो :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत पूर्व शर्तों में से एक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस धारा के अंतर्गत शेष राज्यों को ग्रामीण क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए जोर देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत 23 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिया है। इसके राज्य–वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। मंत्रालय ने उक्त धारा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए शेष राज्यों से भी कई बार कहा है। माननीय विद्युत मंत्री ने भी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस विषय पर लिखा है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों की अधिसूचना की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी
1.	आंध्र प्रदेश	√ : 28.11.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	√ : 28.02.06
3.	असम	√ : 11.11.05
4.	बिहार	√ : 17.11.05
5.	छत्तीसगढ़	√ : 06.01.06
6.	गुजरात	√ : 31.03.06
7.	हरियाणा	√ : 11.08.06
8.	हिमाचल प्रदेश	-
9.	जम्मू और कश्मीर	-
10.	झारखंड	√ : 13.12.05
11.	कर्नाटक	√ : 22.09.05
12.	केरल	√ : 10.10.05
13.	महाराष्ट्र	-
14.	मणिपुर	-
15.	मेघालय	√ : 18.03.06
16.	मिजोरम	√ : 30.11.05
17.	मध्य प्रदेश	√ : 25.03.06
18.	नागालैंड	√ : 22.12.05
19.	उड़ीसा	√ : 30.03.05
20.	पंजाब	√ : 27.12.05
21.	राजस्थान	√ : 14.02.06
22.	सिक्किम	√ : 06.07.02
23.	तमिलनाडु	√ : 11.09.06
24.	त्रिपुरा	√ : 22.07.06
25.	उत्तर प्रदेश	√ : 23.12.05
26.	उत्तरांचल	√ : 09.03.06
27.	पश्चिम बंगाल	√ : 24.05.06
	कुल	23

नई ग्रामीण आवास नीति

611. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण आवासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई ग्रामीण आवासन नीति तैयार करने के लिए एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) नई नीति को कब तक तैयार और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों द्वारा कृषकों को ऋण

612. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध के दौरान सरकारी और निजी बैंकों द्वारा कृषकों को दिए गए कुल ऋण का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो बैंक–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सभी बैंकों ने अप्रैल से सितम्बर, 2006 के दौरान कृषि हेतु कुल मिलाकर 94,345.54 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं जो 1,75,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य का 53.91 प्रतिशत है। एजेंसी–वार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए)

एजेंसी	राशि
सरकारी क्षेत्र के बैंक	52,734.58
गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक	7,444.46
सहकारी बैंक	23,768.19
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10,398.31
कुल	94,345.54

सरकारी क्षेत्र और गैर–सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित बैंक–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सभी बैंकों द्वारा अप्रैल–सितम्बर, 2006 के दौरान जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

एजेंसी	जारी किए गए कार्डों की संख्या
सहकारी बैंक	995,000
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7,42,774
वाणिज्यिक बैंक	*8,32,196
कुल	25,69,970

* आंकड़े जून, 2006 की स्थिति के अनुसार

विवरण

कृषि हेतु ऋण – सरकारी क्षेत्र के बैंक
प्रगति रिपोर्ट : भाग–II
सितम्बर, 2006 के महीने के लिए रिपोर्ट

(राशि लाख रु. में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों को कुल अग्रिम
1	2	3
1	इलाहाबाद बैंक	107597.10
2	आन्ध्रा बैंक	304501.00
3	बैंक आफ बड़ौदा	259249.83
4	बैंक आफ इंडिया	223408.00
5	बैंक आफ महाराष्ट्र	66814.31
6	केनरा बैंक	325124.00
7	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	230316.00
8	कारपोरेशन बैंक	65455.40
9	देना बैंक	108233.48
10	आई.डी.बी.आई बैंक	55053.72
11	इण्डियन बैंक	143945.67
12	इण्डियन ओवरसीज बैंक	247078.00
13	ओरियन्टल बैंक	82789.43

1	2	3
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	138555.00
15	पंजाब नेशनल बैंक	848553.00
16	सिंडीकेट बैंक	180239.00
17	यूको बैंक	57488.54
18	यूनियन बैंक	229686.08
19	यूनाइटेड बैंक	50450.00
20	विजया बैंक	109128.69
21	स्टेट बैंक आफ इंडिया	1069120.00
22	स्टेट बैंक आफ बीकानेर जयपुर	51864.00
23	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	80884.20
24	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	50225.00
25	स्टेट बैंक आफ मैसूर	72931.00
26	स्टेट बैंक आफ पटियाला	143838.00
27	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	100231.00
28	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	71789.00
	कुल	5273458.25

कृषि हेतु ऋण गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक

प्रगति रिपोर्ट – भाग–II

(जुलाई 2006 के महीने के लिए रिपोर्ट)

(राशि लाख रु. में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कृषि और उससे संबंध कार्यकलापों को कुल अग्रिम
1	2	3
1	बैंक आफ राजस्थान	10005
2	भारत ओवरसीज	5151.89
3	सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लि.	19284
4	सिटी यूनियन	2905.90
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	3061.12
6	धनलक्ष्मी बैंक	3600.73
7	फेडरेल बैंक	10568.98
8	कर्नाटक बैंक	6841.92
9	करूर व्यास बैंक	33104.68
10	कोटक महिन्द्रा	27582
11	एच.डी.एफ.सी. बैंक	227948
12	इण्ड सिण्ड बैंक	17720.61
13	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	236260.00
14	लार्ड कृष्णा बैंक	1385.46
15	एस.बी.आई. कमर्शियल	782.45
16	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक	30815.81
17	जम्मू–कश्मीर बैंक	0
18	लखमीवली बैंक	24161.6
19	नैनीताल बैंक	1697
20	रत्नाकर बैंक	1039.5
21	सांगली बैंक	0
22	साउथ इंडियन बैंक	19436.17
23	यूनाइटेड वूस्टेन बैंक	859.13
24	आई.एन.जी. विजया बैंक	5802.84
25	यू.टी.आई. बैंक	84934
	कुल	744445.59
		7444.49

[अनुवाद]

आयकर विवरणियों का प्रक्रम

613. श्री सी. के. चन्द्रप्पन :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर यह निर्णय लिया है कि वे डाकघरों में जमा की गई विवरिणयों का प्रक्रम नहीं करेंगे जैसा कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश भर में राज्य–वार डाकघरों में कितनी आयकर विवरणियां जमा की गईं; और

(घ) इनका प्रक्रम और करदाताओं का प्रतिदेय कब तक अदा किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) इस संबंध में आयकर कर्मचारी संघ और आयकर राजपत्रित अधिकारी संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उल्लेख है कि वे आयकर विभाग के कार्य बहिर्लोतन का विरोध करेंगे।

(ग) देश में 31.10.2006 तक डाकघरों के माध्यम से 412278 कर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इन विवरणियों को केन्द्रीय रूप से प्रोसेस करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रतिदायों को तेजी से जारी करना सुकर होगा।

विवरण

राज्य का नाम	प्राप्त की गई विवरणियों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	16,006
असम	919
बिहार	9,612
छत्तीसगढ़	4,077
दिल्ली	74,824
गुजरात (दमन और दीव सहित)	9,026
हरियाणा	6,019
हिमाचल प्रदेश	3,352
जम्मू और कश्मीर	1,100
झारखण्ड	20,598
कर्नाटक	29,335
केरल	31,016
मध्य प्रदेश	14,081
महाराष्ट्र	68,275
गोवा	1,285
मेघालय	23
त्रिपुरा	49
मणिपुर	08
मिजोरम	30
अरुणाचल प्रदेश	83
नागालैंड	0
उड़ीसा	4,144
पंजाब	10,627
राजस्थान	27,630
तमिलनाडु	44,618
उत्तर प्रदेश	18,846
उत्तरांचल	4,714
प. बंगाल	8,134
सिक्किम	138
अंडमान और नकोबार द्वीप समूह	142
कुल	4,12,278

[हिन्दी]

दिल्ली में मेट्रो रेल

614. श्री सज्जन कुमार :
श्री जे. एम. आरुन रशीद :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री अवतार सिंह भड़ाना :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में मेट्रो रेल के तीसरे चरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या दिल्ली में 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले मेट्रो रेल के तीसरे चरण के समापन के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने यह सूचित किया है कि

दिल्ली में मेट्रो रेल का तीसरा चरण योजनागत स्तर पर है और उसे वर्ष 2010 के बाद ही शुरू किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं। तथापि, मेट्रो रेल के दूसरे चरण को वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण

615. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री एम. शिवन्ना :
श्री लक्ष्मण सिंह :
श्री वी. के. दुग्मर :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उत्पादित कुल विद्युत का केवल 26 प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि 86 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितने गांव विद्युतीकरण किए गए और उन पर कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए इस संबंध में कोई विशेष योजना/कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा शेष गांवों को निर्धारित समय-सीमा में विद्युतीकृत करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या देश में विद्युतीकृत और गैर-विद्युतीकृत गांवों के आंकड़ों के बारे में विद्युत मंत्रालय और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिए गए विवरणों में कोई विरोध है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) विद्युत की आपूर्ति एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-6 के अंतर्गत राज्य सरकार गांवों एवं बस्तियों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करने का प्रयास करेगी।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार रूप से विद्युतीकृत किए गए गांवों की कुल संख्या विवरण-I के रूप में संलग्न है। इन पर राज्य-वार रूप से किए गए खर्च विवरण-II क, ख और ग के रूप में दर्शाए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाय) भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा यूटिलिटियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को एकीकृत करती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना के निर्माण में तेजी लाई जा सके।

- रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि., जो इस स्कीम के लिए नोडल एजेंसी है, ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. और दामोदर वैली कॉरपोरेशन लि. जैसे सीपीएसयू से उनकी परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता तथा क्षमता का उपयोग करने के इच्छुक राज्यों को उनकी सेवा मुहैया कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पन्न किया है। सीपीएसयू ने राज्य सरकारों के अनुरोध पर स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए 134 जिलों में कार्य शुरू किया है।
- इसके अलावा आरजीजीवीवाय के अंतर्गत परियोजना की संबद्धता तथा बेहतर कार्यान्वयन के लिए जिला-वार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाती हैं तथा परियोजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए इन्हें टर्न-की आधार पर शुरू किया गया है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की प्रगति की देखरेख के लिए राज्यों को जिला समितियां गठित करने की सलाह दी गई है।
- परियोजना के कारगर कार्यान्वयन के लिए आरईसी ने परियोजनाओं के निरूपण, टर्न-की आधार पर क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सामानों एवं सेवाओं की प्राप्ति हेतु बोली प्रक्रिया, आरजीजीवीवाय के अंतर्गत फ्रेंचाइजिंग तथा परियोजना कार्यान्वयन में अपनाने हेतु उपस्करों/सामग्री एवं निर्माण मानक हेतु आरईसी के मौजूदा तकनीकी विनिर्देशों को अद्यतन को शामिल करते हुए प्रारूप तैयार किया है।
- सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में एक मॉनीटरिंग कमेटी स्कीम की प्रगति की सामयिक रूप से देखरेख/समीक्षा करती है और इसकी प्रगति में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश भी करती है।

(छ) और (ज) जी, नहीं।

विवरण-I

वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	विद्युतीकृत गांवों की संख्या		
		2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश			
2.	अरुणाचल प्रदेश	189	88	
3.	असम	42	269	
4.	बिहार	118	134	1600
5.	झारखंड			
6.	गोवा			
7.	गुजरात		7	
8.	हरियाणा			
9.	हिमाचल प्रदेश	1	6	
10.	जम्मू और कश्मीर	3	1	
11.	कर्नाटक	5		47
12.	केरल			
13.	मध्य प्रदेश	74		
14.	छत्तीसगढ़	219	62	
15.	महाराष्ट्र			
16.	मणिपुर	9	4	
17.	मेघालय	544	474	
18.	मिजोरम	4		
19.	नागालैंड			
20.	उड़ीसा	195		
21.	पंजाब			
22.	राजस्थान			230
23.	सिक्किम			
24.	तमिलनाडु			
25.	त्रिपुरा			
26.	उत्तर प्रदेश			7503
27.	उत्तरांचल			87
28.	पश्चिम बंगाल			352
	कुल (राज्य)	1403	1045	9819

विवरण-II क

वर्ष 2003–04 के लिए अनुदान संवितरण

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य	केजे	एमएनपी	पीएमजीवाई	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2159.87	0.00	1438.00	3597.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	187.18	1200.00	684.00	2071.18
3.	असम	0.00	6000.00	2900.00	8900.00
4.	बिहार	152.75	6800.00	2417.30	9370.05
5.	छत्तीसगढ़	509.56	800.00	515.00	1824.56
6.	गोवा	0.00	0.00	6.00	6.00
7.	गुजरात	37.50	0.00	712.20	749.70

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	85.24	0.00	142.90	228.14
9.	हिमाचल प्रदेश	17.06	200.00	200.00	417.06
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	800.00	800.00
11.	झारखंड	66.55	6800.00	744.60	7611.15
12.	कर्नाटक	1541.13	0.00	1000.00	2541.13
13.	केरल	416.49	0.00	0.00	416.49
14.	मध्य प्रदेश	149.41	800.00	1275.00	2224.41
15.	महाराष्ट्र	50.37	0.00	1664.00	1714.37
16.	मणिपुर	0.00	400.00	600.00	1000.00
17.	मेघालय	51.16	3000.00	600.00	3651.16
18.	मिजोरम	27.00	0.00	598.00	625.00
19.	नागालैंड	43.60	0.00	2982.00	3025.60
20.	उड़ीसा	0.00	6000.00	100.00	6100.00
21.	पंजाब	100.37	0.00	444.00	544.37
22.	राजस्थान	222.30	0.00	1061.00	1283.30
23.	सिक्किम	14.84	0.00	400.00	414.74
24.	तमिलनाडु	145.81	0.00	608.20	754.01
25.	त्रिपुरा	66.10	0.00	700.00	766.10
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	15000.00	9277.00	24277.00
27.	उत्तरांचल	0.00	7000.00	1000.00	800.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	6000.00	3816.75	9816.75
	कुल	6044.19	60000.00	36685.95	102730.14

केजे–कुटीर ज्योति
पीएमजीवाई–प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
एमएनपी–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

विवरण-III ख

वर्ष 2004–05 के लिए अनुदान संवितरण

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य	केजे	बीपीएल	पीएमजीवाई	कुल	एक करोड़ घरों एवं एक लाख गांवों का त्वरित विद्युत करण		
						एआरईपी ऋण	एआरईपी सब्सिडी	कुल एआरईपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	377.00	912.00	1705.00	2994.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	186.00	225.00	684.00	1095.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	263.00	182.00	2417.30	2862.30	12014.00	8010.00	20024.00
5.	छत्तीसगढ़	111.00	744.00	584.00	1439.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	27.00	23.00	712.30	762.30	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	10.00	41.00	142.80	193.80	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	9.00	9.00	200.00	218.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	–34.00	120.00	744.60	830.60	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	213.00	0.00	1000.00	1213.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	1047.00	0.00	1047.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	152.00	173.00	637.50	962.50	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	14.00	40.00	414.76	468.76	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	22.00	0.00	824.50	846.50	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	33.00	150.00	222.00	405.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	112.00	0.00	1061.00	1173.00	560.00	373.00	933.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	135.00	0.00	271.52	406.52	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	111.00	108.00	850.00	1069.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	5387.00	5387.00	38398.00	25598.00	63996.00
27.	उत्तरांचल	0.00	360.00	300.00	660.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	924.50	924.50	6869.00	4580.00	11449.00
	कुल	1741.00	4134.00	24470.78	30345.78	57841.00	38561.00	96402.00

केजे – कुटीर ज्योति

बीपीएल – गरीबी रेखा से नीचे

* रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मिनिमम नीड प्रोगाम के तहत वर्ष 2004-05 में कोई निधि जारी नहीं की गई।

विवरण-II ग

2005–06 के दौरान आरजीजीवीवाय के अंतर्गत जारी निधि

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	2005–06
1.	राजस्थान	74.982
2.	उत्तर प्रदेश	812.607
3.	उत्तरांचल	59.441
4.	छत्तीसगढ़	6.50
5.	कर्नाटक	84.184
6.	बिहार	381.976
7.	झारखंड	3.50
8.	उड़ीसा	3.50
9.	पश्चिम बंगाल	115.421
10.	गुजरात	–
11.	मध्य प्रदेश	–
	कुल	1542.111
	बीपीएल दावों के लिए संवितरण तथा सहायक कार्यकलाप	74.125
	सकल योग	1616.236

कस्बों का सौंदर्यीकरण और नवीकरण

616. प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री जशुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे और मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने कतिपय छोटे और मध्यम कस्बों के सौंदर्यीकरण और नवीकरण के लिए उन्हें "शहरी अवसंरचना विकास योजना" में शामिल किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस धनराशि को कब तक खर्च किया जाना है;

(ङ) क्या राजस्थान के कस्बों की विकास परियोजनाएं राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को पेश की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शामिल नगरों को छोड़कर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सभी कस्बों और नगरों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के वित्तपोषण हेतु दिनांक 3.12.2005 को एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी स्कीम) शुरू की गई। इस स्कीम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(i) अवस्थापना सुविधाओं में सुधार करना तथा नगरों और कस्बों में टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों एवं गुणवत्ता वाली सेवाओं का सृजन करना

(ii) अवस्थापना विकास में सार्वजनिक निजी साझेदारी को बढ़ाना

(iii) कस्बों और नगरों के नियोजित समेकित विकास को बढ़ावा देना

(ख) यूआईडीएसएसएमटी स्कीम के तहत कस्बों का चयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी–अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। यूआईडीएसएसएमटी दिशा–निर्देशों के तहत स्वीकार्य घटकों में शहरी नवीकरण अर्थात् अंदरूनी (पुराने) नगरीय क्षेत्रों का पुनर्विकास, जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, नालियों का निर्माण और सुधार, सड़क, हाइवे/एक्सप्रेस वे का निर्माण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी से प्राकिंग लॉट का विकास, हेरिटेज क्षेत्रों का विकास, मृदाक्षरण/भू–स्खलन का अनुरक्षण/पुनर्वास (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में), जलाशयों का परिरक्षण शामिल हैं।

यूआईडीएसएसएमटी स्कीम के तहत "सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार" के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि इसे शहरी नवीकरण, हेरिटेज क्षेत्रों का विकास और जलाशयों का अनुरक्षण जैसे घटकों के भाग के रूप में किया जा सकता है।

(ग) दिनांक 31.10.2006 तक भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में सात परियोजनाएं (जलाशयों के परिरक्षण के लिए 4 परियोजनाएं तथा शहरी नवीकरण/हेरिटेज क्षेत्र विकास के लिए 3 परियोजनाएं) अनुमोदित की गई हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) वर्ष 2005–06 में 90 करोड़ रुपए का नियतन किया गया था जबकि वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2006–07 में 900 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

(ङ) और (च) वर्ष 2005–06 में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा 12 कस्बों में विभिन्न घटकों वाली 18 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 13.84 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। वर्ष 2006–07 के दौरान एसएलएससी द्वारा 6 कस्बों में 6 प्ररियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और राजस्थान सरकार को धनराशि जारी किए जाने हेतु ये परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

विवरण

दिनांक 31.10.2006 की स्थिति अनुसार यूआईडीएसएसएमटी के तहत शहरी नवीकरण/हेरिटेज/जलाशय परियोजनाओं की स्थिति

क्रम सं.	राज्य का नाम	कस्बे का नाम	घटक का प्रकार	अनुमोदित राशि (लाख रु.)
1	मध्य प्रदेश	दामोह	जलाशय का परिरक्षण	53.00
2	महाराष्ट्र	लातूर	हेरिटेज क्षेत्र विकास	63.00
3	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	हेरिटेज क्षेत्र विकास	101.70
4	राजस्थान	झालरपातन	जलाशय का परिरक्षण	493.41
5	राजस्थान	बीकानेर	जलाशय का परिरक्षण	177.13
6	राजस्थान	चित्तौडगढ़	जलाशय का परिरक्षण	166.02
7	राजस्थान	टोंक	हेरिटेज क्षेत्र विकास	30.00
	कुल			1084.26

आर्थिक अपराध

617. श्री गिरिधारी यादव :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में आर्थिक अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए है; और

(ग) ऐसे अपराधों को कम करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आईडीबीआई के साथ यूडब्ल्यूबी का विलय

618. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरबीआई ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के साथ युनाइटेड वेस्टर्न बैंक (यूडब्ल्यूबी) के विलय की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस बैंक की गैर-उत्पादक आस्तियों और अशोध्य ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूडब्ल्यूबी को 2 सितम्बर, 2006 से 1 दिसम्बर, 2006 तक अधिस्थगन के अंतर्गत रखा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आईडीबीआई यूडब्ल्यूबी के सभी कर्मचारियों को अपनाने के लिए सहमत है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. (यूडब्ल्यूबीएल) की अस्थिर वित्तीय स्थिति जो संचित हानियां ऋणात्मक जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर), अपेक्षाकृत अधिक अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) तथा प्रावधानन में कमी आदि दर्शाता है, को देखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर भारत सरकार ने युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45(2) के अंतर्गत 2 सितम्बर, 2006 से 1 दिसम्बर, 2006, इस तारीख सहित, तक अधिस्थगनादेश के अधीन कर दिया है। इस बैंक की सकल और निवल अनुपयोज्य आस्तियां दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 11.30% और 5.66% थीं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए अनुसार दिनांक 03.10.2006 से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) लिमिटेड के साथ युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है।

(ङ) से (छ) युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे और सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर आईडीबीआई लि. में नियुक्त हुए माने जाएंगे जो कि आईडीबीआई लि. के साथ युडब्ल्यूबीएल के समामेलन की योजना के पैरा 8 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 2 सितम्बर, 2006 को कारोबार की समाप्ति से तत्काल पूर्व ऐसे कर्मचारियों को लागू था।

डी-मैट खातों को बंद करना

619. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेवराव गायकवाड़ :
श्री कीर्तिवर्धन सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई डी–मैट खाते बंद कर दिए गए हैं जैसाकि दिनांक 20 सितम्बर के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या खाताधारको के हितों की रक्षा के उद्देश्य से इस प्रकार बंद किए गए खातों की समीक्षा करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि निक्षेपागारों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार सितम्बर, 2006 के माह के दौरान, नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास खोले तथा बंद किए गए लाभानुभोगी स्वामी (बीओ) खातों की संख्या क्रमशः 96,756 तथा 1,41,104 थी। उक्त अवधि के लिए, सैंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास खोले तथा बंद किए गए बीओ खातों की संख्या क्रमशः 7,599 तथा 24,915 थी। अक्टूबर, 2006 के माह के दौरान, एनएसडीएल के पास खोले तथा बंद किए गए बीओ खातों की संख्या क्रमशः 79,773 तथा 94,097 थी। उक्त अवधि के लिए, सीडीएसएल के पास खोले तथा बंद किए गए बीओ खातों की संख्या क्रमशः 53,826 तथा 14,037 थी।

(ख) सेबी के अनुसार बीओ खाता बंद करने के कुछ कारण हैं:–

(i) संयुक्त खाता धारकों सहित सभी खाता धारकों के लिए पैन ब्यौरों की अनुपलब्धता,

(ii) सभी प्रतिभूतियों को संयुक्त खाते से एकल खाते में तथा विपर्ययेन अंतरित करने के लिए बीओ खातों का समेकन,

(iii) बीओ खाते में पड़ी सभी प्रतिभूतियों की बिक्री तथा खाते को तदनंतर बंद करना,

(iv) प्रतिभूतियों का एक निक्षेपागार से दूसरे निक्षेपागार में अंतरण।

(ग) से (ङ) सेबी की खाता बंदी की पुनरीक्षा करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि खाते भाग (ख) के उत्तर में यथा उल्लिखित विभिन्न कारणों से बंद किए गए हैं।

जल विद्युत परियोजनाएं

620. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के समक्ष जल विद्युत परियोजनाओं के कई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु काफी समय से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश भर में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) वर्तमान में, कुल मिलाकर 4477 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली 9 जल विद्युत स्कीमें जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, भारत सरकार द्वारा निवेश अनुमोदन दिए जाने हेतु प्रतीक्षित है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र की वे जल विद्युत परियोजनाएं जो के.वि. प्रा. द्वारा स्वीकृति प्राप्त हैं और जो निवेश अनुमोदन हेतु लम्बित हैं की राज्यवार विस्तृत स्थिति संलग्न विवरण–I में दी गई हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में कुल मिलाकर 1089 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली 3 जल विद्युत परियोजनाओं को निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया है। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने 1991 से निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत का विकास किए जाने को अनुमति प्रदान की है। सरकार द्वारा अगस्त, 1998 में घोषित जल विद्युत नीति निजी क्षेत्र द्वारा अधिकाधिक भागीदारी किए जाने को प्रोत्साहित करती है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत उत्पादन को लाईसेंसमुक्त बनाया गया है और निजी क्षेत्र देश में विद्युत के विकास में पहले से ही भागीदारी कर रहा है।

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने शेल कंपनियों के माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के तहत प्रत्येक लगभग 4000 मे. वा. क्षमता की 7 अल्ट्रा मेगा कोयला आधारित परियोजनाओं का विकास करने हेतु पहल आरंभ की है। दोनों सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियां बोली प्रक्रिया में भाग ले रही हैं।

विवरण-I

वे जल विद्युत परियोजनाएं जो केविप्रा द्वारा स्वीकृति प्राप्त हैं लेकिन जिन्हें अभी केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्रदान की जानी शेष है

क्रम सं.	स्कीम/क्षेत्र/जिला	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए) मूल्य स्तर	केविप्रा स्वीकृति की तिथि	स्थिति
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
जम्मू और कश्मीर					
1	किश्नगंगा केन्द्रीय/एनएचपीसी बारामुला	330	2624.36 6/2005	31.08.2005	पीआईबी बैठक 25/7/06 को आयोजित की गयी प्रारूप सीसीईए नोट 10.11.2006 को परिचालित कर दिया गया है।
2	पाकल दुल केन्द्रीय/एनएचपीसी डोडा	1000	5088.88 7/2005	03.10.2006	पर्यावरणीय स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं की गई है।
हिमाचल प्रदेश					
3	रामपुर केन्द्रीय/एसजेवीएनएल शिमला/कुल्लू	412	2047.03 3/2006	16.12.2005	पीआईबी बैठक 25.07.2006 को आयोजित की गई।
उत्तरांचल					
4	विष्णुगढ़ पीपलकोटी केन्द्रीय/टीएचडीसी चमोली	444	2091.45 3/2006	21.09.2006	प्रारूप पीआई नोट 13.11.2006 को परिचालित कर दिया है।
5	कोटलीभेल चरण–I ए केन्द्रीय एनएचपीसी टिहरी गढ़वाल	195	1095.77 12/2005	03.10.2006	प्रारूप पीआईबी नोट 9.11.2006 को परिचालित कर दिया है।
6	कोटलीभेल चरण–I बी केन्द्रीय एनएचपीसी टिहरी गढ़वाल	320	1806.43 12/2005	30.10.2006	पर्यावरणीय स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।
	उप–योग उत्तरी क्षेत्र	2701			
पश्चिमी क्षेत्र					
	शून्य				
पूर्वी क्षेत्र					
	शून्य				
दक्षिणी क्षेत्र					
शून्य					
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
मिजोरम					
	तुईवई	210	1258.84	19.02.1999	परियोजना को अब राज्य क्षेत्र में विकास हेतु राज्य को हस्तांतरित किया गया है।
7	केन्द्रीय क्षेत्र/नीपको आइजोल		(पूर्णता)		

1	2	3	4	5	6
मणिपुर					
	तिपाईमुख	1500	5855.83	02.07.2003	अन्य विभागों द्वारा लागतों का विभाजन किए जाने की शर्त पर पीआईबी ने परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
8.	केन्द्रीय क्षेत्र/नीपको चुरचंदपुर लोकतक	66	866.77 एफसी और आईडीसी सहित 112.44	15.11.2006	पीआईबी 23.11.2006 को आयोजित की गई।
9	केन्द्रीय/एनएचपीसी तामेंगलोंग		अक्टूबर, 2006		
	उप–योग – एनईआर :	1776			
	कुल	4477			

विवरण-II

जल विद्युत स्कीमें जिन्हें वर्ष 2006–07 के दौरान निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया है।

क्रम सं.	स्कीम/क्षेत्र जिला/राज्य	आई सी (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.) (मूल्य स्तर)	केविप्रा स्वीकृति की तिथि	निवेश अनुमोदन और सीसीईए स्वीकृति तिथि
1.	टिहरी पीएसएस केन्द्रीय/टीएचडीसी टिहरी–गढ़वाल/उत्तरांचल	1000	1,657.60 12/2005	20.09.1988	18.07.2006
2.	निम्मू बाजगो केन्द्रीय/एनएचपीसी लेह/जम्मू और कश्मीर	45	611.01 12/2005	16.03.2004	24.08.2006
3.	चूटक केन्द्रीय/एनएचपीसी करगिल/ जम्मू और कश्मीर	44	621.26 12/2005	23.04.2004	24.08.2006
	कुल	1089			

[हिन्दी]

भारतीय न्यायिक सेवा

621. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वैंकटपति) : (क) से (ग) भारत के विधि आयोग की सिफारिशों, आल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले (रिट याचिका सं. 1022/89) में भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशों और प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन की समीक्षा कर रही है। चूंकि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का सहयोग अपेक्षित होगा, इसलिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार और टिप्पणियां मांगी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के

लिए राज्य सभा द्वारा एक संकल्प पारित करना अपेक्षित होगा, जिसे उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाना होगा, जिसके पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन संसद को एक उचित अधिनियमन करना होगा। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए सिफारिश नहीं की है। सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सेवा के सृजन के लिए कोई विनिश्चय नहीं किया है।

राज्यों के पास बकाया धनराशि

622. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को दिल्ली सरकार और अन्य राज्य सरकारों से बकाया धनराशि अधिस्थगन में कटौती के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्व बैंक के अधिकारियों का दौरा

623. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के एक अधिकारी दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर विश्व बैंक समर्थन देने के लिए सहमत है और इसकी निबन्धन और शर्तें क्या हैं; और

(घ) इस चर्चा के क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विश्व बैंक के अधिकारियों के विभिन्न समूह विश्व बैंक से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में नेमी (रूटीन) आधार पर भारत का दौरा करते हैं। ऐसे दौरों के दौरान विश्व बैंक के अधिकारी भारत सरकार में संबंधित मंत्रालयों, योजना आयोग और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ चल रही विभिन्न परियोजनाओं और परियोजना प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करते हैं। विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई परियोजना प्रस्तावों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। संबंधित मंत्रालय, योजना आयोग और व्यय विभाग से स्वीकृत होने के पश्चात् परियोजना प्रस्तावों को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और विश्व बैंक बोर्ड द्वारा उनके अनुमोदन से पूर्व ये प्रस्ताव परियोजना विश्लेषण, तैयारी, मूल्यांकन और बातचीत की प्रक्रिया से गुजरते हैं।

विवरण

विश्व बैंक के समक्ष सहायतार्थ प्रस्तुत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश शहरी सुधार और नगर पालिका सफाई परियोजना
2.	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना
3.	आंध्र प्रदेश में जल भंडारों का सुधार
4.	आंध्र प्रदेश एसएएल–III
5.	अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे को सुधारने के लिए बैंकिंग प्रभाग का प्रस्ताव
6.	बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना
7.	औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन परियोजना के लिए क्षमता निर्माण
8.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना
9.	प्रारंभिक बालावस्थ विकास परियोजना (आईसीडीएस–IV)
10.	गुजरात शहरी सुधार परियोजना
11.	हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना
12.	हिमाचल प्रदेश एलएएल
13.	आंध्र प्रदेश में उच्च घनत्व वाली महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क के 4386 कि.मी. का सुधार
14.	भारत अवसंरचना वित्त क. लि. (आईआईएफसीएल) आईबीआरडी ऋण श्रृंखला के लिए प्रस्ताव
15.	अलकनन्दा में एकीकृत नदी थल का विकास
16.	गुजरात में एकीकृत जलसंभर विकास कार्यक्रम
17	झारखंड भागीदारी वन प्रबंधन
18.	कर्नाटक में जल भंडारों का सुधार
19.	लुहरी एचईपी

1	2
20.	बहु–राज्य वानिकी परियोजना (म.प्र. में समुदाय वन प्रबंधन क्षमता निर्माण)
21.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना
22.	राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना
23.	राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना (एनएसीपी–III)
24.	राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना निधि
25.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी)
26.	उड़ीसा में जल भंडारों का सुधार
27.	उड़ीसा राज्य जल सड़क परियोजना
28.	जम्मू और कश्मीर में भागीदारी जल संभर प्रबंधन
29.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना–II (पीएमजीएसवाई–II)
30.	पंजाब ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई
31.	पंजाब राज्य सड़क परियोजना
32.	रामपुर एचईपी
33.	भारत में विद्युत संयंत्रों का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण
34.	उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण बिजली उपलब्धि कार्यक्रम
35.	ग्रामीण दूरसंरचना परियोजना
36.	सर्व शिक्षा अभियान–II
37.	तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई
38.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना–II (त.ना. एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण और जलप्रबंधन)
39.	विश्व श्रेणी के शहर में मुम्बई का रूपान्तरण
40.	उत्तर प्रदेश विविधिकृत कृषि सहायता परियोजना–II
41.	असम में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों का स्तरोन्नयन
42.	विष्णुगढ़ पीपलकोटि एचईपी
43.	व्यावसायिक प्रशिक्षण–II
44.	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य परियोजना

[हिन्दी]

स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

624. श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत संवितरित ऋणों की वसूली आशानुरूप हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से वसूल की गई धनराशि आशा के अनुसार है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस योजना की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत महाराष्ट्र की परियोजनाएं

625. श्री मोहन रावले : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के अंतर्गत सी डी पी के साथ महाराष्ट्र–मुम्बई, पुणे तथा नागपुर के तीनों नगर निगमों की ब्यौरावार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सरकार को प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शहरों की इन डी पी आर को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के अंतर्गत महाराष्ट्र के तीन नगर निगमों यथा मुंबई, पुणे तथा नागपुर से सीडीपी के साथ–साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई है।

(ख) भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के अंतर्गत इन शहरों की 11 परियोजनाएं मंजूर की हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण–I में संलग्न हैं।

(घ) जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित नहीं की गई हैं उनकी स्थिति संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) मुंबई, नागपुर तथा पुणे में अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति (17.11.2006 की स्थिति)

क्रम सं.	शहर	सेक्टर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	अनुमेय केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने हेतु अनुमोदित केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख	उत्तरी केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने की तारीख
1	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	मुंबई सीवेज निपटान परियोजना स्टेज–II प्राथमिकता कार्य	36447.00	12756.45	1505.00	08/09/2006	1505.00	15/11/2006
2	नागपुर	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)	8628.00	4314	1079.00	21/03/2006	1079.00	29/03/2006
3	नागपुर	जलापूर्ति	पेंच होज से पानी को उठाकर नहर की बजाए मोटरलाइन एमएस पाइप लाइन के द्वारा महादुला तक ले जाना	14463.70	7231.85	1807.96	08/09/2006	1800.00	31/10/2006
4	नागपुर	जलापूर्ति	नागपुर शहर में जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क का विस्तार व सुधार	3793.00	1896.5	474.12	21/03/2006	474.12	29/03/2006
5	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा परियोजनाएं	2503.62	1251.81	312.95	21/03/2006	312.95	29/03/2006
6	नागपुर	जलापूर्ति	जल सेक्टर (रिसाव का पता लगाना)	329.77	164.885	41.22	21/03/2006	41.22	29/03/2006
7	नागपुर	जलापूर्ति	जल लेखा परीक्षा परियोजनाएं	2500.00	1250	312.50	21/03/2006	312.50	29/03/2006
8	पुणे	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	सीवेज संशोधन संयंत्रों तथा पम्पिंग स्टेशन की वृद्धि और सुधार	8613.00	4306.5	1076.60	10/05/2006	1076.60	08/06/2006
9	पुणे	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	प्राकृतिक जल निकायों को संदूषण से बचाने के लिए नालों का निर्माण और सुधार तथा पुणे में विरासत स्थलों का विकास (पर्यावरणीय बहाली/मूल मूठा नदी पर्यावरण का संरक्षण)	9996.00	4998	1249.50	08/09/2006	1249.50	13/10/2006
10	पुणे	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	पुणे में सीवरेज और जल निकासी निपटान प्रणाली का नवीकरण और प्रबंधन	9778.00	4889	1222.25	08/09/2006	1222.25	13/10/2006
11	पुणे	जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली	सड़क नेटवर्क तथा शहरी परिवहन	6232.00	3116	779.00	11/08/2006	779.00	14/09/2006
			कुल लाख रु. में	145414.64	78363.835	17908.16		16046.24	

विवरण-II

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

पुणे के लिए अनुमोदित नहीं की गई डीपीआर की स्थिति (पिंपरी–चिंचवाड़ सहित) (17.11.06 की स्थिति)

क्रम सं.	शहर	सेक्टर	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	पुणे	जल निकासी/बरसाती पानी की नाली	जल निकासी प्रणाली प्रस्ताव सं. 1 – पिंपरी–चिंचवाड	7408.00	संशोधन हेतु वापस
2	पुणे	जल निकासी/बरसाती पानी की नाली	जल निकासी प्रणाली प्रस्ताव सं. 2 – पिंपरी–चिंचवाड	4937.00	संशोधन हेतु वापस
3	पुणे	जल आपूर्ति	जल निकासी प्रणाली प्रस्ताव सं. 1 – पिंपरी–चिंचवाड	9092.00	संशोधन हेतु वापस
4	पुणे	जल आपूर्ति	जल निकासी प्रणाली प्रस्ताव सं. 2 – पिंपरी–चिंचवाड	9791.00	संशोधन हेतु वापस
5	पुणे	जल आपूर्ति	जल निकासी प्रणाली प्रस्ताव सं. 3 – पिंपरी–चिंचवाड	8809.00	स्वीकृति प्राधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु लंबित
6	पुणे	जल आपूर्ति	जल निकासी प्रणाली प्रस्ताव सं. 4 – पिंपरी–चिंचवाड	8818.00	संशोधन हेतु वापस
7	पुणे	कचरा प्रबंधन	कचरा प्रबंधन – पिंपरी चिंचवाड	3764.00	संशोधन हेतु वापस
8	पुणे	कचरा प्रबंधन	खतरनाक कचरा प्रबंधन – पिंपरी–चिंचवाड	2830.00	तकनीकी रूप से अस्वीकृत
9	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन–I – पिंपरी–चिंचवाड	9451.00	संशोधन हेतु वापस
10	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन–II – पिंपरी–चिंचवाड	9382.00	संशोधन हेतु वापस
11	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन–II – पिंपरी–चिंचवाड	7635.00	संशोधन हेतु वापस
12	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन–IV – पिंपरी–चिंचवाड	6443.00	संशोधन हेतु वापस
13	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन–V – पिंपरी–चिंचवाड	30046.00	संशोधन हेतु वापस
14	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन–VI – पिंपरी–चिंचवाड	6815.00	संशोधन हेतु वापस
15	पुणे	सड़क/फ्लाई ओवर/आर ओ बी	शहर अवस्थापना परियोजनाएं	47684.00	मूल्यांकनाधीन
16	पुणे	सीवरेज	पिंचरी–चिंचवाड के लिए सीवरेज प्रस्ताव	11938.88	केन्द्रीय स्वीकृति मॉनटरिंग समिति द्वारा अनुमोदन हेतु संस्तुति
17	पुणे	जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली	पुणे शहर के लिए बस द्रुतगामी परिवहन (फेज–I)	49927.00	केन्द्रीय स्वीकृति मॉनीटरिंग समिति द्वारा अनुमोदन हेतु संस्तुति बशर्ते कि संयुक्त सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय की सहमति हो। शहरी स्थानीय निकाय पुणे और पिंपरी–चिंचवाड के लिए एकीकृत शहरी मास्टर प्लान तैयार करेंगे।

1	2	3	4	5	6
18	पुणे	जल आपूर्ति	पिंपरी–चिंचवाड के लिए जल आपूर्ति प्रस्ताव (4)	34367.57	संशोधन हेतु वापस
		कुल (लाख रु. में)		268938.45	
			नागपुर के लिए अनुमोदित नहीं की गई डीपीआर की स्थिति (17.11.06 की स्थिति)		
1	नागपुर	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	सड़क चौड़ी करना/सुधार	1947.00	संशोधन के लिए वापस
2	नागपुर	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	बाहरी रिंग रोड़	9000.00	संशोधन के लिए वापस
3	नागपुर	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	नदी पर पुल	760.00	संशोधन के लिए वापस
4	नागपुर	अन्य शहरी परिवहन	यातायात प्रबंधन	1000.00	संशोधन के लिए वापस
5	नागपुर	कचरा प्रबंधन	भंडेवाड़ी–एसडब्ल्यूएम में सेनिटरी लैंड फील साइट का विकास और सुधार	2500.00	संशोधन के लिए वापस
		कुल (लाख रुपए में)		15207.00	

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

मुंबई शहरी समूह के संबंध में डीपीआर की स्थिति (21.11.06)

क्रम सं.	सेक्टर	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	मंत्रालय में डीपीआर की प्राप्ति की तारीख	स्थिति
1.	जल आपूर्ति	मीठी नदी और इसके आस–पास विकास व संरक्षण के लिए कार्य योजना	129600.00	13.02.2006	विचाराधीन । एम एम आर डीए से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
2.	जल आपूर्ति	मुम्बई–IV के लिए मिडल वैतर्ण जल आपूर्ति परियोजना	132633.00	13.02.2006	ईएफसी ने परियोजना की सिफारिश की है। सीसीईए के विचारार्थ नोट तैयार किया जा रहा है।
3.	सीवरेज	सीवरेज निपटान परियोजना	668400.00	13.02.2006	राज्य सरकार द्वारा परियोजना वापस ली गई। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सहायता हेतु मुंबई सीवेज निपटान परियोजना, चरण–II प्राथमिक कार्यों के लिए अलग परियोजना मंजूर की गई है। तथा दिनांक 15.11.06 को 1505 लाख रु. की प्रथम किस्त जारी की गई है।
4.	अन्य शहरी परिवहन	बांद्रा वर्ली सीलिंक प्रोजेक्ट	130625.00	4.4.2006	मौजूद परियोजना और उसका महत्वपूर्ण भाग पहले ही पूरा हो गया है। राज्य सरकार को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विचार के लिए नरीमन प्वाइंट तक वर्ली के लिए एक अलग पस्योजना तैयार करने का परामर्श दिया है।

1	2	3	4	5	6
5.	जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली	थाणे के लिए एमआरटीएस–थाणे मेट्रो	85100.00	13.04.2006	विकल्पों का पता लगाने तथा स्पष्टीकरण सहित टिप्पणियां भेजने के लिए दिनांक 27.06.06 को एमएमआरडीए को डीपीआर वापिस की गई।
6.	जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली	मुंबई मेट्रो–वर्सोवा–अंधेरी–घाटकोपर कारीडोर	236500.00	3.3.2006	केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए विचाराधीन।
7.	जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली	मुंबई मेट्रो–कोलावा–बांद्रा–चारकोप कारीडोर	508500.00	3.3.2006	व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के अंतर्गत परियोजना लेने के लिए मंत्रालय को सिद्धांततः अनुमोदन दिया गया है।
8.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	खेरवाड–एमयूआईपी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	3122.00	9.11.2006	चूंकि यह परियोजना चल रही है इसलिए इस पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।
9.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	डोमेस्टिक एयरपोर्ट–एमयूआईपी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	3692.00	9.11.2006	चूंकि यह परियोजना चल रही है इसलिए इस पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।
10.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	हिंडोसी–जीएमएलआर–एमयूआपी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	1282.00	9.11.2006	चूंकि यह परियोजना चल रही है इसलिए इस पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।
11.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	टाइम्स ऑफ इंडिया–एमयूआईपी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	2133.00	9.11.2006	चूंकि यह परियोजना चल रही है इसलिए इस पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।
12.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	ठाकुर काम्प्लेक्स–एमयूआईपी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	2791.00	9.11.2006	चूंकि यह परियोजना चल रही है इसलिए इस पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।
13.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	सियन डुप्लीकेशन–एमयूआईपी में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर फ्लाई ओवर	5041.00	9.11.2006	चूंकि यह परियोजना चल रही है इसलिए इस पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।
14.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	सुमन नगर–एमयूआईपी में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	1955.00	9.11.2006	चूंकि यह परियोजना चल रही है इसलिए इस पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।
15.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	नवघर जंक्शन–एमयूआईपी में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई ओवर	1074.00	9.11.2006	चूंकि यह परियोजना चल रही है इसलिए इस पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।
16.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	प्रिंस आफ वेल्स से एपीएलआर–एमयूआईपी तक ईस्टर्न फ्री–वे	51966.00	9.11.2006	परियोजना को 33638.00 लाख रुपए के लिए अनुमोदित किया गया तथा सीएसएमसी द्वारा वित्तपोषण के लिए सिफारिश की गई। वित्त मंत्री का अनुमोदन लंबित है।

1	2	3	4	5	6
17.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	शहर रोड–एमयूआईपी पर एलवेटेड सड़क	23107.00	9.11.2006	परियोजना को 15513.34 लाख रुपए के लिए अनुमोदित किया गया तथा सीएसएमसी द्वारा वित्तपोषण के लिए सिफारिश की गई वित्त मंत्री का अनुमोदन लंबित है।
18.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	एलबीएस मार्ग (सियन–मुलुंद)–एमयूआईपी	9419.00	9.11.2006	चूंकि यह परियोजना चल रही है इसलिए इस पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।
19.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	एस.बी. रोड़ (बांद्रा दहीसर)–एमयूआईपी	9483.00	9.11.2006	चूंकि यह परियोजना चल रही है इसलिए इस पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।
20.	सीवरेज	कलवा और घोड़बंदर रोड़ की मनपाड़ा जंक्शन तक एकत्रण प्रणाली तथा थाणे में स्लमों में सीवर नेटवर्क के विस्तार के लिए डीपीआर	10350.00	7.11.2006	मूल्यांकनाधीन
21.	जलापूर्ति	थाणे की अतिरिक्त 100 एमएलडी की जल आपूर्ति स्कीम के लिए डीपीआर	7508.00	7.11.2006	मूल्यांकनाधीन
22.	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास परियोजना, फेज–II	10000.00	7.11.2006	मूल्यांकनाधीन
23.	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास परियोजना, फेज–I	9730.00	7.11.2006	मूल्यांकनाधीन
24.	सीवरेज	कोपरी (थाणे) में सीवरेज शोधन संयंत्र	3376.00	7.11.2006	मूल्यांकनाधीन
25.	सीवरेज	थाणे के लिए पंपिंग स्टेशनों के निर्माण तथा इसकी एकत्र प्रणाली के लिए डीपीआर	8976.00	7.11.2006	मूल्यांकनाधीन
26.	अन्य शहरी परिवहन	थाणे रेलवे प्रणाली क्षेत्रयातायात सुधार स्कीम (एसएटीआईएस)	2325.0	7.11.2006	मूल्यांकनाधीन
27.	सड़क/फ्लाई ओवर/आरओबी	डा. बी.आर. अम्बेडकर रोड़, एमयूआईपी पर फ्लाई ओवर	30100.00	8.11.2006	मूल्यांकनाधीन
		कुल (लाख रु. में)	2139230.00		

आई ए वाई के अंतर्गत राज्यों को धनराशि जारी किया जाना

626. डा. के. धनराजू : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत कुछ राज्यों को धनराशि की पहली किस्त जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई है;

(ग) शेष राज्यों को धनराशि की पहली किस्त कब तक आबंटित की जाएगी;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य के पिछड़े जिलों के लिए और धनराशि आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में दर्शाए गए राज्यवार आबंटन और रिलीज के ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहली किस्त के तौर पर 14,3021.35 लाख रु. की राशि रिलीज की गई है।

(ग) आई.ए.वाई. दिशा–निर्देशों के अनुसार, किसी जिले को वित्तीय वर्ष के आरंभ में पहली किस्त इस शर्त पर रिलीज की जाती है कि पिछले वर्ष के दौरान दूसरी किस्त का दावा और रिलीज बिना किसी शर्त के किया गया था। तथापि, यदि पिछले वर्ष की अंतिम किस्त की रिलीज के समय कोई विशिष्ट शर्त रखी गई थी तो पहली किस्त की रिलीज से पूर्व उसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। राज्यों को शेष पहली किस्त की रिलीज किए जाने पर तभी विचार किया जाएगा जब राज्य मांगे गए प्रस्ताव/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 के दौरान पहली किस्त के तौर पर राज्यवार केंद्रीय आबंटन और केंद्रीय रिलीज

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006–07 के लिए केन्द्रीय आबंटन	रिलीज की गई पहली किस्त की राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	25939.14	12969.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	1018.68	507.75
3.	असम	22525.46	9982.16
4.	बिहार	76565.57	38282.86
5.	छत्तीसगढ़	4011.28	2005.64
6.	गोवा	159.77	79.89
7.	गुजरात	12721.14	6360.57
8.	हरियाणा	1786.06	885.60
9.	हिमाचल प्रदेश	629.95	299.05
10.	जम्मू व कश्मीर	1956.67	967.42
11.	झारखंड	6829.31	3414.66
12.	कर्नाटक	9993.64	4996.82
13.	केरल	5557.39	2778.70
14.	मध्य प्रदेश	7977.69	3988.85
15.	महाराष्ट्र	15643.12	7821.56
16.	मणिपुर	884.26	330.77
17.	मेघालय	1540.07	464.87
18.	मिजोरम	328.20	164.10
19.	नागालैंड	1019.11	497.50
20.	उड़ीसा	15042.66	7521.39
21.	पंजाब	2208.83	867.70
22.	राजस्थान	6392.56	3196.28
23.	सिक्किम	194.91	97.46
24.	तमिलनाडु	10385.44	5192.72
25.	त्रिपुरा	1984.31	992.16
26.	उत्तर प्रदेश	34390.12	17173.62
27.	उत्तरांचल	1724.11	758.50
28.	पश्चिम बंगाल	20750.10	10375.05
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	328.99	0.00

1	2	3	4
30.	दादरा न नागर हवेली	54.82	0.00
31.	दमन व दीव	24.52	0.00
32.	लक्षद्वीप	21.26	10.63
33.	पांडिचेरी	163.86	37.60
	कुल	290753.00	143021.35

कहलगांव तथा बाढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं

627. श्री रामकृपाल यादव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कहलगांव तथा बाढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है तथा अब तक प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि आबंटित तथा खर्च की गई है और इनको पूरा करने के लिए क्या समय अवधि निर्धारित की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) कहलगांव और बाढ़ सुपर थर्मल विद्युत परियोजनाओं में कार्य की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:–

कहलगांव एसटीपीपी चरण-II, फेज-1 (2x500 मेगावाट) और फेज-II(1x500 मेगावाट)

सभी तीनों यूनिटों (फेज–I और फेज–II) का बॉयलर हाइड्रो परीक्षण कर लिया गया है। प्रथम 500 मेगावाट वाली यूनिट का टरबाईन जेनरेटर (टीजी) बॉक्स–अप जुलाई, 2006 में पूरा कर लिया गया है। शुद्ध जल प्रणाली, कूलिंग वाटर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, प्लांट एयर सिस्टम, इक्विपमेंट कूलिंग वाटर सिस्टम इत्यादि चालू कर दिए गए हैं।

बाढ़ एसटीपीपी (3x660 मेगावाट)

परियोजना हेतु अपेक्षित 3174 एकड़ भूमि में से 1906 एकड़ अर्जित कर ली गई है। मेक–अप वाटर पंप हाऊस, मेकअप वाटर पाइप कॉरीडोर, ऐश पाइप कॉरीडोर, राखकुंड और रेलवे साइडिंग हेतु शेष भूमि अधिगृहित करने का कार्य प्रगति पर है।

- यूनिट–1 स्टीम जेनरेटर (एसजी), इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) एंड टीजी क्षेत्र और यूनिट–2 एसजी एंड टीजी क्षेत्र में पाइलिंग कार्य प्रगति पर है। अभी तक संचयी रूप से 2870 खंभे गाड़े जा चुके हैं।
- निर्माण चरण में कूलिंग टावर 1ए/2ए, चिमनी, कोयला संचालन संयंत्र, स्विचयार्ड, मेकअप वाटर सिस्टम, सी–टाईप क्वार्टर्स, फील्ड होस्टल, चारदीवारी और सड़कों आदि संबंधी सिविल कार्य प्रगति पर है।

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं के संबंध में अनुमोदित लागत और अब तक खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:–

(करोड़ रुपए में)

क्र. स.	परियोजना	अनुमोदित लागत	मार्च, 06 तक वास्तविक व्यय	अक्टूबर, 06 तक वास्तवित व्यय
1.	कहलगांव चरण–II	5686.38	2209.16	2863.62
2.	बाढ़	8692.67	783.67	911.55

एनटीपीसी द्वारा उपरोक्त दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कोई सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का अनुरोध नहीं किया गया है। इस खर्चे की पूर्ति आंतरिक व बाह्य बजटीय संसाधनों के जरिए की जाएगी। ऊपर उल्लिखित परियोजनाओं को चालू करने का कार्यक्रम इस प्रकार है:–

कहलगांव, एसटीपीपी, फेज-I, (2x500 मेगावाट) और फेज-II (1x500 मेगावाट)

सभी तीन यूनिटों (फेज–I, और फेज–II) को मई, 2007 तक चालू करने का कार्यक्रम है।

बाढ़ एसटीपीपी (3x660 मेगावाट)

सभी 3 यूनिटों को नवंबर, 2010 तक चालू किए जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

पेयजल परियोजनाओं हेतु शुल्क की छूट

628. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री एम. शिवन्ना :
श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बाहरी सहायता द्वारा सहायता प्राप्त पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं हेतु सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि गारंटियों और विभिन्न प्रकार की सहायता के जरिए बाह्य एजेन्सियों द्वारा प्रदत्त सहायता प्राप्त परियोजनाओं को सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त किया जाए।

(ग) प्रस्ताव की जांच की गई थी, परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया।

अल्पसंख्यकों को ऋण सुविधाएं

629. श्री मनोरंजन भक्त :
श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अधिक ऋण सुविधाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सहकारी बैंकों को अल्पसंख्यकों के लिए ऋण का उचित हिस्सा सुनिश्चित करने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को पूरी तरह लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) सरकार ने हाल ही में "अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री 15–सूत्री कार्यक्रम" नामक एक नए कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऋण के प्रतिशत का एक उचित हिस्सा अल्पसंख्यक समुदायों को दिया जाए और यह कि सरकार–प्रायोजित विभिन्न स्कीमों का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित तबकों सहित अपेक्षितों तक पहुंचे।

तदनुसार ही, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अपने शाखा कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के संपूर्ण लक्ष्य तथा कमजोर तबकों के लिए उप–लक्ष्य के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाए कि अल्पसंख्यक समुदायों को भी ऋण का सांयिक भाग प्राप्त हो।

दिल्ली में विद्युत उत्पादन

630. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजधानी में विद्युत की क्षमता बढ़ाने तथा आबंटन व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक कृतक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी "बार्टर प्रणाली" का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस शरद ऋतु के दौरान दिल्ली में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह प्रणाली किस प्रकार मददगार साबित होगी?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में मांग एवं आपूर्ति में अंतर होने और दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेल–2010 से उत्पन्न होने वाली भावी आवश्यकता के मद्देनजर सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा की सरकारों के मुख्य सचिवों, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सीएमडी, एनटीपीसी लि., चेयरमैन, दामोदर वैली कारपोरेशन और कोयला मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों वाली एक उच्चस्तरीय मॉनीटरिंग समिति छह विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न पहलुओं की निगरानी हेतु बनाई गई है। ये परियोजनाएं राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए विद्युत मांग पूरा करने हेतु अभिज्ञात/उद्दिष्ट की गई है।

ये छह अभिज्ञात परियोजनाएं मेजिया विस्तार परियोजना (1000 मेगावाट), कोडरमा ताप विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट), बोकारो विस्तार परियोजना (500 मेगावाट), दादरी–II विस्तार परियोजना (2x490 मेगावाट), बदरपुर विस्तार चरण–III परियोजना (2x490 मेगावाट) और झज्जर ताप विद्युत परियोजना (3x500 मेगावाट) हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली ट्रांसको लि./दिल्ली सरकार ने दिल्ली की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्यों के साथ करार निष्पन्न किया है जो एक किस्म की विनिमय प्रणाली है। इस प्रक्रिया में निम्न बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं:–

(1) मध्य प्रदेश : करार के अनुसार दिल्ली मध्य प्रदेश को नवंबर, 2006 से मार्च, 2007 के दौरान रात्रि, 00.00 बजे से 6.00 बजे तक 200 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेगा जिसके बदले मध्य प्रदेश दिल्ली को 07.00 बजे से 12.00 बजे तक 200 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेगा।

(2) राजस्थान : करार के अनुसार दादरी (थर्मल) पावर स्टेशन में दिल्ली के हिस्से की 300 मेगावाट अधिशेष पड़ी विद्युत भारत सरकार के माध्यम से राजस्थान को नवंबर, 2006 से मार्च,

2007 के दौरान रात्रि 23.00 बजे से 06.00 बजे तक आबंटित की जाएगी जिसके बदले में राजस्थान दिल्ली को 06.00 बजे से 11.00 बजे तक 125 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेगा। राजस्थान उपलब्धता के आधार पर इसे बढ़ाकर 150 मेगावाट करने का प्रयास करेगा।

(3) हरियाणा : करार के अनुसार दादरी (थर्मल) पावर स्टेशन में दिल्ली के हिस्से की 100 मेगावाट अधिशेष पड़ी विद्युत भारत सरकार के माध्यम से हरियाणा को नवंबर, 2006 से मार्च, 2007 के दौरान रात्रि 00.00 बजे से 06.00 बजे तक आबंटित की जाएगी जिसके बदले में हरियाणा दिल्ली को 07.00 बजे से 12.00 बजे तक प्रातःकालीन व्यस्ततम समय में 42 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करेगा। हरियाणा उपलब्धता के आधार पर इसे बढ़ाकर 50 मेगावाट करने का प्रयास करेगा।

(ङ) हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ की गई उपरोक्त विनिमय व्यवस्था से दिल्ली में प्रातःकालीन व्यस्ततम घंटों के दौरान जब उसकी घरेलू मांग अधिक होती है, उपलब्धता 367 मेगावाट से 400 मेगावाट तक बढ़ेगी। इससे राज्यों की विद्युत आवश्यकता को पूरी करने में सहायता मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप संयंत्र क्षमता का इष्टतम समुपयोजन ही होगा।

बायोटेक क्लिनिकल रिसर्च ट्रेनिंग सेन्टरों की स्थापना

631. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बायोटेक क्लिनिकल रिसर्च ट्रेनिंग सेन्टर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है तथा इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) ऐसे अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के पीछे लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नैदानिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना लोक संस्थानों और नैदानिकी, भविष्यसूचक तथा चिकित्सीय प्रतिमानों, प्रत्यारोपण और साधनों के विकास तथा मूल्यांकन से संबंधित नैदानिक अनुसंधान संबंधी लघु तथा मझौले स्तरीय उद्योग में कार्यरत कायिक चिकित्सकों के लिए अल्पकालिक अवधि का प्रशिक्षण का आयोजन किए जाने के उद्देश्य के साथ की जाएगी। प्रत्येक केन्द्र में प्रति वर्ष कम से कम 2 कार्यशालाओं का आयोजन 20 प्रतिभागियों सहित 7 से 14 दिनों की अवधि तक किए जाने की आशा है। कार्यशाला के वस्तुजन्य विषय में निदान–पूर्व (विष वैज्ञानिक अध्ययन) और नैदानिक प्रशिक्षण अभिकल्पना, नैदानिक जांच कार्यान्वयन, आंकड़े प्रबंधन और विश्लेषण, विनियामक आवश्यकताएं और प्रलेखन, भेषज तथा जैव प्रौद्योगिकीय उत्पादों के लिए जैव तुल्यता की अवधारणा, उत्पाद मूल्यांकन के लिए आमापन मान्यकरण, नीतिपरक विषयों और जांच परिणामों की रिपोर्टिंग को शामिल किया जाएगा। कार्यशालाओं का उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है ताकि वास्तविक दक्षता का हस्तांतरण संबंधी कार्य पूरा किया जा सके।

(घ) केन्द्रों की स्थापना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने की संभावना है।

आयकर विवरणी का ऑनलाइन भरा जाना

632. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय कार्पोरेट को आयकर विवरणी बिना पेपर ऑनलाइन भरने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयकर प्राधिकारियों द्वारा जांच हेतु आकलन पर लेखा परीक्षा रिपोर्टें तथा अन्य पत्रों के संरक्षण हेतु समय अवधि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए द्विचरणीय प्रक्रिया विहित की गई है। प्रथम चरण में विवरणी एवं अनुसूचियों के विवरण को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रेषित करना (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना) है एवं तत्पश्चात कागजी विवरणी दाखिल करना है। तथापि, यदि विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो कागजी विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(ग) आयकर अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत, किसी कर निर्धारण को संगत कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के छः वर्षों की अवधि के भीतर पुनः खोला जा सकता है। अतः करदाता को लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं अन्य संगत कागजात को उक्त अवधि तक सुरक्षित रखना चाहिए।

डीडीए आवास योजना 2006

633. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में लाई गई डीडीए आवास योजना 2006 के अंतर्गत स्वामित्व अथवा मुख्तारनामा आधार पर दिल्ली में डीडीए अथवा अन्य फ्लैटों के मालिकों की कतिपय श्रेणी आवेदन करने के योग्य नहीं थी जबकि दूसरी ओर दिल्ली में 50 स्क्वेयर मीटर या इससे कम प्लॉट के स्वामित्व अथवा हिस्सेदारी वाले व्यक्ति उक्त योजना में आवेदन कर सकते थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत आवेदन करने के मामले में फ्लैट तथा प्लॉट मालिकों के बीच भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना का उद्देश्य फ्री होल्ड, पट्टे पर अथवा मुख्तारनामे के आधार पर जनता अथवा एल आई जी फ्लैटधारकों के ऊंची श्रेणी के फ्लैटों में रहने तथा आवेदन करने के अधिकार का हनन करना नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस योजना के अंतर्गत फ्लैट धारकों, विशेष रूप से जनता फ्लैटधारकों को आवेदन करने से रोकने का औचित्य क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि डी डी ए आवासीय योजना, 2006 में पात्रता के लिए आवेदक के पास दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी में लीजहोल्ड अथवा फ्रीहोल्ड आधार पर उसके अपने नाम पर अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा उसके अवयस्क/आश्रित बच्चों के नाम पर पूरा अथवा आंशिक रिहायशी फ्लैट अथवा प्लाट नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि आवेदन का किसी संयुक्त स्वामित्व वाले प्लाट अथवा भूखंड में 66.9 वर्गमीटर (80 वर्ग गज़) से कम हिस्सा हो तो वह योजना के तहत आवेदन के लिए पात्र नहीं था। तथापि, यदि व्यक्ति को डी डी ए अथवा किसी अन्य भूस्वामी विभाग द्वारा निर्मित किसी प्लाट अथवा मकान/फ्लैट का पहले ही आबंटन किया गया है, चाहे वह 66.9 वर्ग मीटर (80 वर्गगज़) से कम ही क्यों न हो, इस योजना के तहत अन्य आबंटन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं था। डी डी ए द्वारा इस नीति का अनुपालन किया जाता है ताकि जिनके पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रिहायशी आवास नहीं है, उन्हें मकान उपलब्ध कराए जा सकें।

[हिन्दी]

ऋण जमा अनुपात

634. श्री ब्रजेश पाठक :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण विकास दर वर्तमान में जमा विकास दर से 10 प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ऋण, विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड, आवास, व्यावसायिक जमीन–जायदाद तथा निजी ऋणों में वृद्धि की अधिक दर के कारण नकदी की कमी की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बैंकों की जमाराशि बढ़ाने के लिए बैंकों की मदद करने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने आवास क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए बिना ऋण दर कम करने की बैंकिंग क्षेत्र को परामर्श दिया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल बैंक ऋण एवं कुल जमाराशि में जून, 2006 को समाप्त तिमाही के दौरान क्रमशः 33.1% और 23.6% की वृद्धि हुई है।

(ग) से (च) सरकार ने बैंकों से अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करने का अनुरोध किया है, ताकि उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण देना सुनिश्चित किया जा सके, जिससे अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से वृद्धि जारी रहे। बैंकों से यह भी कहा गया है कि ऋण में वृद्धि के अनुरूप अपना जमा आधार भी बढ़ाएं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत में पाकिस्तानी बैंको को खोला जाना

635. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत में पाकिस्तानी बैंकों की कुछ शाखाएं खोलने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) पाकिस्तान से हबीब बैंक लि., नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान और युनाइटेड बैंक लि. ने भारत में अपनी शाखा/कार्यालय खोलने में रुचि दिखाई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के गवर्नर की दिनांक 26.09.2006 को हुई बैठक में यह

सहमति हुई थी कि एक दूसरे के देश में बैंकों की शाखाएं/कार्यालय खोलने के लिए उन्हें पारस्परिक आधार पर एवं एक ही समय पर लाइसेंस दिए जाएंगे।

जैव पदार्थों का हस्तांतरण

636. श्री एल. राजगोपाल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी पर भारत–अमरीका संयुक्त उद्योग कार्य समूह के अंतर्गत क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रांसफर ऑफ बायोमैटिरियल्स संबंधी भारतीय उप समूह ने टी आर ए आई तथा आई आर डी ए की तरह एक नए औषधि प्राधिकरण निकाय की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए विनियामक तथा वित्तीय परिवर्तन लाने के बारे में अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं;

(घ) क्या जैव प्रौद्योगिकी उद्योग क्लिनिकल अनुसंधान व्यय की अनुसंधान एवं विकास व्यय मानने की भी मांग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इससे उद्योग को क्या लाभ मिलेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। प्रस्ताव में यह सुझाव है कि यह प्राधिकरण टीआरएआई तथा आईआरडीए इत्यादि की तरह एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय हो जिसका अध्यक्ष समुचित स्तर का कोई अधिकारी हो और यह वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड द्वारा नियंत्रित हो।

(ग) अन्य सिफारिशें हैं –

क. विनियामक

(1) जैविकों के आयात और निर्यात; क्लिनिकल परीक्षण और फार्माकोजीनोमिक नमूनों के लिए और विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी (एससीओएमईटी) मदों के निर्यात के लिए प्रचालन संबंधी मानक प्रक्रियाओं (एसओपी) के साथ एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली।

(2) क्लिनिकल परीक्षणों के लिए नीति संबंधी दिशा–निर्देशों को तैयार करना।

ख. वित्तीय

(1) आय कर: क्लिनिकल अनुसंधान व्यय को अनुसंधान एवं विकास व्यय के रूप में मानना।

2 सीमा शुल्क

(i) मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास इकाइयों द्वारा प्रयोगशाला के लिए उपभोज्य वस्तुओं के एक करोड़ रुपए तक के आयात को अनुमति देना।

(ii) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीच शुल्क संरचना की विसंगतियों को दूर करना।

(iii) राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड लिमिटेड (एनएबीएल) प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए अबाधित आयात को अनुमति देना।

3. **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क** : जिन वस्तुओं को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है उन वस्तुओं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से भी छूट देना।

4. **सेवा कर:** क्लिनिकल परीक्षण उद्योग के लिए सेवा कर में छूट देना।

(घ) और (ङ) जी, हां। ऐसी मांगों के लिए दर्शाया गया कारण यह है कि क्लिनिकल अनुसंधान को अनुसंधान एवं विकास संबंधी पर्याप्त सूचना की आवश्यकता होती है और किसी नये उत्पाद के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रकार की छूट से ये उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे और नई खोज के लिए इन्हें प्रोत्साहन भी मिलेगा।

[हिन्दी]

सरकारी आवास को किराए पर देना

637. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सामान्य पूल के आबंटितियों द्वारा सरकारी आवास किराए पर देने के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) किराए पर देने वालों को बाहर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा अब तक कितने लोगों को बाहर निकाला गया है; और

(ग) किराए पर देने वाले शेष व्यक्तियों द्वारा आवास खाली करने की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आबंटियों द्वारा सामान्य पूल रिहायशी आवास को किराए पर दिए जाने के जो मामले सरकार के ध्यान में आए हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	किराए पर दिए गए संदिग्ध आवासों की सं.
2003	399
2004	598
2005	445

(ख) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, सामान्य पूल रिहायशी आवास के ऐसे आबंटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिस पर आवास को किराए पर दिए जाने का सन्देह हो। यदि वह दोषी पाया जाता है, तो आबंटन नियमावली, 1963 के एस–आर–317 बी–21 के तहत मामले के गुणदोष आधार पर चूककर्ता पर शस्ति लगाई जाती है, जैसे आबंटन निरस्त करना, रोक लगाना, हरजाना लगाना, अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली, नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही। गत तीन वर्षों के दौरान बेदखली मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

वर्ष	दाखिल बेदखली मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
2003	195	193
2004	159	159
2005	128	119

(ग) उपर्युक्त पैरा (ख) में यथा उल्लिखित गत तीन वर्षों के दौरान 11 मामले लंबित हैं। ये मामले या तो न्यायालय/सम्पदा अधिकारी के समक्ष लंबित हैं या बेदखल कार्यवाही के लिए लंबित हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण ज्ञान केन्द्र

638. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण ज्ञान केन्द्र के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में देश के विभिन्न भागों में स्थापित ऐसे केन्द्रों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए राज्य–वार किन–किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ङ) इनको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा किया जा रहा है।

नाबार्ड : माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने 28 फरवरी, 2005 के बजट भाषण में ग्रामीण आधारभूत सुविधा कोष (आरआईडीएफ) की संसाधन सहायता से आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों (वी.के.सी.) की स्थापना की घोषणा की थी। तद्नुसार ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों को एक पात्र मद बना दिया गया है जिसकी आरआईडीएफ XI (2005–06) के अंतर्गत सहायता की जा रह है।

ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों से ई–गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्ता वाली जनसेवा को आसान बनाने में, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में समाजसेवा मुहैया कराने में तथा बाजार की कीमत एवं ई–ट्रेड अवसर, ई–मनोरंजन, ई–बैंकिंग, ई–लर्निंग, डिजीटल फोटो, टिकटों की ई–बुकिंग और इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाली व्यावसायिक सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, इनसे समुद्री सूचना प्रणाली, रोग निदान सेवाओं, शैक्षिक सेवाओं, नौकरी ढूंढने, बैंकिंग, उद्यमिता सहायता, सप्लाई चेन सेवा और दूरसंचना सेवाओं आदि के क्षेत्र में अभिनव मूल्य संवर्धित सेवाएं भी मिल सकती हैं।

कापार्ट : ग्रामीण ज्ञान केन्द्र आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक सिंगल विंडो प्वाइंट से ग्रामीण जनता को विशेषकर देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में जनता को दूरस्थ सेवा प्रदान करने वाला स्थान है। ग्रामीण ज्ञान केन्द्र वाइमैक्स/वीसैट/लीज्ड लाईन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले सेंट्रल स्टूडियो से जुड़ा हुआ है। दूर–दराज के गांवों में पहले से ही तैयार किए गए किसी ऐसे विषय पर, जिसकी ग्रामीण समुदाय को जरूरत पड़ सकती है या इच्छा रखते हैं, पर स्रोताओं के साथ मुख्य वक्ता की जीवंत चर्चा होती है। ग्रामीण ज्ञान केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य दूरस्थ गांवों या क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सेवा, विषय वस्तु और जानकारी पहुंचाना है जोकि किसी अन्य तरीके से उन तक नहीं पहुंच पाते।

(ख) **नाबार्ड :** ग्रामीण ज्ञान केन्द्र करने के लिए आरआईडीएफ सहायता की योजना नाबार्ड द्वारा सभी राज्यों को उपलब्ध कराई गई थी। तदनुसार, राजस्थान सरकार ने 1000 ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए वर्ष 2005–06 में आरआईडीएफ से 10 करोड़ रु. की मंजूरी प्राप्त की है।

चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए किसी भी राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

कापार्ट : कापार्ट मुजफ्फरपुर में एक सेंट्रल स्टूडियो वाला कंसलटेंसी–कम–गाइडेंस सेन्टर (सीजीसी) वैशाली, मुजफ्फरपुर, बिहार में एक रिमोट साईट वाला ग्रामीण ज्ञान केन्द्र स्थापित करने की प्रायोगिक परियोजना शुरू कर रहा है जिसमें 50 दूरस्थ स्थलों को जोड़ने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) नाबार्ड : यद्यपि यह योजना सभी राज्यों के लिए थी फिर भी केवल राजस्थान ही ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए आरआईडीएफ सहायता का उपयोग करने के लिए आगे आया। यद्यपि ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों के लिए आरआईडीएफ से निधियां प्राप्त करने की सुविधा अभी भी है, फिर भी किसी भी राज्य सरकार ने आरआईडीएफ की वित्तीय सहायता से ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए नाबार्ड को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

कापार्ट : कापार्ट को धन फाउंडेशन, तमिलनाडु से एक केन्द्रीय स्टुडियो तथा 10 रिमोट साईट स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ङ) नाबार्ड : राजस्थान राज्य सरकार को आरआईडीएफ XI (2005–06) से 1000 ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की मंजूरी मिली है। राज्य सरकार से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वह जल्द से जल्द ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करें।

कापार्ट : बिहार में ग्रामीण ज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए प्रायोगिक परियोजना की योजना बनाई जा रही है जिसे इस वित्त वर्ष में कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

एनर्जी एफीसिएंसी प्रोग्राम

639. श्री हंसराज गं. अहीर :

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक विद्युत उपकरण के संबंध में "एनर्जी एफीसिएंसी एवम् रेटिंग लेबल" शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत की खपत में कमी लाने के लिए अधिकतम विद्युत बचाने वाले बल्बों के मूल्यों पर राज सहायता देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने 18 मई, 2006 को फ्रॉस्ट–फ्री रेफ्रिजरेटर तथा फ्लोरेसेन्ट ट्युब्युलर लैम्प के लिए ऊर्जा लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपकरणों पर उनकी ऊर्जा खपत दक्षता के आधार पर रेटिंग की लेबलिंग की जाती है।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऊर्जा किफायती बल्बों के मूल्य पर सीधी सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने वार्षिक बजट 2006–07 में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% कर ऊर्जा बचत को बढ़ावा दे रही है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतें

640. प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में मनमानी कार्रवाईयों संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान सूचना प्रणाली द्वारा पूछे गए अनुसार जारकारी नहीं रखी जाती। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बैंकों द्वारा की गई मनमानी कार्रवाई सहित बैंकिंग/अन्य सेवाओं में खामियों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें निम्नानुसार हैं:–

वर्ष के दौरान	बैंकिंग ओमबड्समैन को प्राप्त हुई शिकायतें
2004	11520
2005	14687
01.01.2006 से 30.09.2006 तक	34544

(ग) बैंकिंग ओमबड्समैनों ने क्रमशः वर्ष 2004, 2005 और 2006 (30 सितम्बर, तक) में 9797, 12476 तथा 26639 शिकायतों का निपटान किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी, 2006 से बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए संशोधित बैंकिंग ओमबड्समैन योजना लागू की है। इस योजना के क्षेत्र का विस्तार किया गया है ताकि ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाने और अलग–अलग बैंकों द्वारा अपनाए गए अनुसार उचित व्यवहार संहिता, क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतों, बैंकों और बैंक के एजेन्टों, आदि द्वारा आश्वासित सेवाएं प्रदान करने में खामियों जैसे क्षेत्रों में ग्राहकों की शिकायतों, को शामिल किया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए फरवरी, 2006 में स्वतंत्र सजग प्रहरी के रूप में स्वतंत्र भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड की भी स्थापना की है कि बैंक उन संहिताओं और मानकों के अनुसर सेवाएं दें जिन पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है।

विवाह का पंजीकरण

641. श्री सज्जन कुमार :

श्री जे.एम. आरुन रशीद :

डा. राजेश मिश्रा :

श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विधेयक को कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (ग) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियां

642. प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दिल्ली क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इन कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचित किया है कि दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने 31.3.2002 को यथा मौजूद अनधिकृत कालोनियों के आवासी कल्याण संगठनों/समितियों से अक्टूबर, 2004 में आवेदन आमंत्रित किए थे और उन्हें 1432 आवेदन प्राप्त हुए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा बाद में जून, 2006 में आमंत्रण के उत्तर में भी अनधिकृत कालोनियों से 107 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए केन्द्र सरकार ने 2001 में दिशानिदेश तैयार किए थे। विभिन्न वर्गों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर 2004 में दिशानिदेश संशोधित किए गए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने संशोधित दिशानिदेश के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए पुनः अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अन्तर विभागीय परामर्श शुरू किया गया है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन

643. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के तहत धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जे एन एन यू आर एम के तहत प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के शहरी निकायों को इसके प्रारंभ से कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) देश में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि में हिस्से का अनुपात कितना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के अंतर्गत शहरों द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के दिशानिर्देशों में दिए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार राशियां प्राप्त तथा उपयोग की जा सकती हैं।

(ग) और (घ) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

मिशन की शुरूआत से अब तक अनुमोदित और जारी राशियों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	सीएसएमसी ** द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	परियोजनाओं की कुल लागत	जारी करने के लिए अनुमोदित एसीए**	जारी एसीए***	जारी की जाने वाली एसीए***
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	22	77176.00	7851.34	6655.19	1196.13
चंड़ीगढ़	2	5698.60	1139.72	0.00	1139.72
छत्तीसगढ़	1	30364.00	6072.80	4800.00	0.00

1	2	3	4	5	6
गुजरात	24	143396.72	14106.10	8423.59	5682.51
मध्य प्रदेश	11	92848.35	11607.23	7356.67	3482.42
महाराष्ट्र	24	275618.49	30783.58	16046.24	14728.63
पंजाब	1	17934.00	2241.75	0.00	2241.75
राजस्थान	2	20032.66	3919.56	0.00	3919.56
तमिलनाडु	1	5931.60	741.45	741.45	0.00
पश्चिम बंगाल	12	88001.14	7760.70	3441.68	4319.02
कुल	100*	757001.56	86224.23*	47464.82*	36709.74*

* निम्नलिखित ब्यौरे अनुसार शहरी विकास मंत्री/वित्त मंत्री की स्वीकृति के लिए सीएसएमसी द्वारा संस्तुत 100 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए से कम लागत वाली 12 परियोजनाओं सहित

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	अनुमोदन के लिए सीएसएमसी** द्वारा संस्तुत परियोजनाओं की संख्या	संस्तुत परियोजनाओं की कुल लागत	जारी करने के लिए अनुमोदित एसीए ***	जारी करने के लिए लंबित एसीए ***
गुजरात	3	64943.00	5682.51	5682.51
मध्य प्रदेश	1	23766.00	2972.00	2972.00
महाराष्ट्र	5	130203.85	12875.42	12875.42
पंजाब	1	17934.00	2241.75	2241.75
राजस्थान	1	18873.00	3774.60	3774.60
पश्चिम बंगाल	1	40291.00	3525.46	3525.46
कुल	12	296010.85	31071.74	31071.74

** केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी)

*** अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)

शहरों/नगरों/शहरी समूहों की श्रेणी	अनुदान		वित्तीय संस्थानों से शहरी स्थानीय निकाय अथवा पैरा-स्टेटल अंश/ऋण
	केन्द्र	राज्य	
1	2	3	4
2001 की जनगणना अनुसार 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर/शहरी समूह (यूए)	35%	15%	50%
2001 की जनगणना अनुसार मिलियन से अधिक लेकिन 4 मिलियन से कम आबादी वाले शहर/शहरी समूह (यूए)	50%	20%	30%

1	2	3	4
पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू तथा कश्मीर में शहर/नगर/शहरी समूह	90%	10%	–
उपर्युक्त के अलावा अन्य शहर/शहरी समूह (यूए)	80%	10%	10%
समुद्री किनारे से 20 कि.मी. के भीतर तथा खारे पानी और सतही जल की अनुपलब्धता के कारण पानी की कमी झेल रहे अन्य शहरी क्षेत्रों में पानी का खारापन दूर करने वाले संयंत्र लगाना	80%	10%	10%

उपर्युक्तानुसार दी गई केन्द्रीय सहायता जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत मिलने वाली अधिकतम सहायता है।

मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाएं

644. श्री एल. राजगोपाल : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों की मलिन बस्तियों में लोग नागरिक सुविधाओं के बिना रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार महानगरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत/नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों हेतु विकास/नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान धनराशि का आबंटन किया है;

(च) यदि हां, तो महानगरवार/राज्यवार/वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसोचैम) ने शहरी अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश हेतु एक विधिक तथा विनियामक रूपरेखा के सृजन सहित शहरी क्षेत्र में सुधारों का आह्वान किया है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) महानगरों के स्लमों में रहने वाले लोगों के पास नागरिक सुविधाओं का अभाव है तथा यह अभाव प्रत्येक नगर में अलग–अलग है।

(ख) इसके कारणों में प्रवसन, स्व–स्थाने जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिक सुविधाओं के प्रावधान में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पर्याप्त निवेश का अभाव शामिल हैं।

(ग) और (घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटक उप–मिशन: गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) के तहत स्लमों के एकीकृत विकास, गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास/सुधार/रखरखाव, जल आपूर्ति/सीवरेज/जल निकास, सामुदायिक शौचालय/स्नानघर, स्लमवासियों/शहरी गरीबों/ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों के लिए किफायती लागत पर आवास, नालियों/वर्षा जल के निकास हेतु नालियों के निर्माण एवं सुधार, स्लमों का पर्यावरणीय सुधार एवं ठोस कचरा प्रबंधन, पथ–प्रकाशन इत्यादि के लिए राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है। बीएसयूपी 63 मिशन नगरों में लागू है। जो नगर मिशन में शामिल नहीं है उनके विकास तथा आवास एवं बुनियादी सेवाओं सहित स्लमों के सुधार का कार्य समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) स्कीम के जरिए किया जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) ब्यौरे संलग्न विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(छ) जी, हां।

(ज) जेएनएनयूआरएम के तहत शहरी अवस्थापना एवं शासन संबंधी उप–मिशन चुनिंदा 63 मिशन नगरों में अवस्थापना के विकास के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराता है। राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराके छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत शहरों में जो मिशन में शामिल नहीं हैं, अवस्थापनात्मक कमियों से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा रहा है।

विवरण

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)

क्रम सं.	राज्य/शहर का नाम	वर्ष 2005–06 जारी धनराशि (करोड़ रु. में)
1	आन्ध्र प्रदेश/हैदराबाद	62.8931
2	मध्य प्रदेश/भोपाल	9.2511
	कुल	72.1442

नोट : जेएनएनयूआरएम के तहत दिनांक 3/12/2005 को शहरी गरीबों के बुनियादी सेवा उप–मिशन शुरु किया गया है।

राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एनएसडीपी)

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2002–03		2003–04		2004–05	
		नियतन	जारी	नियतन	जारी	नियतन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3389.00	3389.00	3389.00	3389.00	6581.00	6581.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	104.00	104.00	104.00	104.00	100.00	68.79
3.	असम	296.00	0.00	296.00	219.61	635.00	563.41
4.	बिहार	1683.00	1683.00	1683.00	1683.00	3563.00	3563.00
5.	छत्तीसगढ़	411.00	411.00	411.00	411.01	883.00	883.00
6.	गोवा	104.00	0.0	104.00	0.00	128.00	0.00
7.	गुजरात	1908.00	1908.00	1908.00	1860.89	4088.00	2253.91
8.	हरियाणा	536.00	536.00	536.00	536.00	1047.00	1047.00
9.	हिमाचल प्रदेश	104.00	76.53	104.00	0.00	144.00	144.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	687.00	687.00	687.00	687.00	934.00	934.00
11.	झारखंड	847.00	0.00	847.00	0.00	1855.00	0.00
12.	कर्नाटक	2061.00	2061.50	2061.00	2061.00	3622.00	3622.00
13.	केरल	972.00	972.00	972.00	972.00	2083.00	2083.00
14.	मध्य प्रदेश	1568.00	1568.00	1568.00	1568.00	3359.00	3359.00
15.	महाराष्ट्र	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	10219.00	10219.00
16.	मणिपुर	104.00	0.00	104.00	0.00	130.00	124.28
17.	मेघालय	104.00	15.43	104.00	104.00	115.00	99.57
18.	मिजोरम	104.00	104.00	104.00	104.00	100.00	100.00
19.	नागालैंड	104.00	104.00	104.00	104.00	100.00	100.00
20.	उड़ीसा	643.00	0.00	643.00	0.00	1289.00	921.00
21.	पंजाब	942.00	0.00	942.00	0.00	2019.00	0.00
22.	राजस्थान	1402.00	1402.00	1402.00	1402.00	3005.00	3005.00
23.	सिक्किम	104.00	0.00	104.00	104.00	100.00	100.00
24.	तमिलनाडु	2570.00	2570.00	2570.00	2545.40	5457.00	5457.00
25.	त्रिपुरा	104.00	104.00	104.00	104.00	112.00	112.00

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	उत्तर प्रदेश	4010.00	4010.00	4010.00	4010.00	8594.00	8594.00
27.	उत्तरांचल	173.00	173.00	173.00	173.00	369.00	369.00
28.	पश्चिम बंगाल	3572.00	3572.00	3572.00	3572.00	7075.00	7075.00

* संघ शासित प्रदेशों को धनराशि गृह मंत्रालय जारी करता है।

नोट : एनएसडीपी को 01.04.2005 से बंद कर दिया गया है।

वाम्बे के तहत 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के तहत राज्य–वार जारी राशि के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2003–04	2004–05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5973.843	3492.490	7127.410
2.	अरुणाचल प्रदेश		18.000	272.925
3.	असम			
4.	बिहार	10.000		3.600
5.	छत्तीसगढ़	369.990		1124.320
6.	गोवा			
7.	गुजरात		451.200	126.700
8.	हरियाणा	652.600		
9.	हिमाचल प्रदेश			
10.	जम्मू एवं कश्मीर	99.450	64.250	78.810
11.	झारखंड		718.800	696.400
12.	कर्नाटक	3944.100	406.000	1774.100
13.	केरल	1385.200	200.000	1336.740
14.	मध्य प्रदेश	255.220	376.000	50.000
15.	महाराष्ट्र	5286.467	13244.968	1622.540
16.	मणिपुर	191.920		88.425
17.	मेघालय			
18.	मिजोरम			
19.	नागालैंड	172.350	6.200	113.625
20.	उड़ीसा	46.400	16.400	
21.	पंजाब			
22.	राजस्थान	39.505	650.000	16.880
23.	सिक्किम			
24.	तमिलनाडु	2073.000	4705.630	1754.200

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	219.600		48.375
26.	उत्तरांचल	205.200		
27.	उत्तर प्रदेश	1899.000	1991.950	
28.	पश्चिम बंगाल	136.920	470.200	166.770
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
30.	चंडीगढ़			
31.	दादरा और नगर हवेली			
32.	दमन एवं दीव			
33.	दिल्ली			
34.	पांडिचेरी	61.200	123.600	
	कुल	23021.965	26935.688	16401.820
भारत सरकार विभिन उपघटकों अर्थात् प्रदर्श परियोजनाओं/एमआईएस के तहत धनराशि जारी करती है।		793.000	5.473	0.00
	सकल योग	23814.965	26941.161	16401.820

नोट : यद्यपि वर्ष 2006-07 के लिए धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है परन्तु सभी राज्यों के पीएओ से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण जारी नहीं की गई। वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

कंपनियों द्वारा बहकाने वाले विज्ञापन

645. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न महानगरों विशेषकर दिल्ली में सावधि जमा योजनाओं पर 30 प्रतिशत और 24 प्रतिशत ब्याज की पेशकश करने वाली गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कतिपय विज्ञापनों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कंपनियों द्वारा जमा राशियों पर प्रस्तावित ब्याज दर के लिए विनिर्दिष्ट सरकारी एजेन्सी से अनुमोदन ले लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन बहकाने वाली ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए छोटे निवेशकों को शोषण से बचाने के लिए क्या कार्यवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा मीयादी जमा योजनाओं पर 30% एवं 24% ब्याज की पेशकश किए जाने से संबंधित किसी विज्ञापन की जानकारी नहीं है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू व्यापक विनियामक ढांचे के अनुसार एनबीएफसी 4 मार्च, 2003 से अपने यहां सार्वजनिक जमाओं पर प्रतिवर्ष 11% से अधिक ब्याज नहीं दे सकते।

[अनुवाद]

अस्पतालों को आबंटित भूमि

646. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में 15 अस्पतालों को निःशुल्कता प्रतिमानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अस्पतालों के विरुद्ध और क्या कार्रवाई की गई है जो कि निर्धनों को निःशुल्क चिकित्सा देने में विफल रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) डी डी ए ने सूचित किया है कि उसने निःशुल्कता की शर्त पूरी न करने वाले 15 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन 15 अस्पतालों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आगे की कार्यवाही इन अस्पतालों को जारी कारण बताओ नोटिसों के उत्तरों की जांच पर निर्भर करता है।

विवरण

1. जयपुर गोल्डन अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली–85
2. राजीव गांधी कैंसर संस्थान व अनुसंधान सेंटर, रोहिणी, दिल्ली–85
3. पुष्पावती सिंघानिया अनुसंधान संस्थान, शेख सराय, नई दिल्ली–17
4. नेशनल हार्ट संस्थान, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–65
5. भगवती अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली–85
6. सरोज अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली–85
7. भगवान महावीर अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली–85
8. शान्ती मुकुंद अस्पताल, विकास मार्ग एक्स., दिल्ली–92
9. दीपक मैमोरियल अस्पताल व चिकित्सा अनुसंधान सेंटर, विकास मार्ग एक्स, दिल्ली–92
10. मैक्स देवकी देवी हीयर एंड वैस्कूलर संस्थान, साकेत, नई दिल्ली–17
11. मैक्स बालाजी अस्पताल, पटपड़गंज, दिल्ली–92
12. श्री बालाजी एक्शन मेडिकल संस्थान, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–63
13. जीवन अनमोल अस्तपाल, मयूर विहार, दिल्ली–91
14. धर्मशिला कैंसर अस्पताल व अनुसंधान सेंटर, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली–96
15. इंडियन स्पाईनल इंजरी सेंटर, वसंत कुंज, दिल्ली–70

मोबाइल टेलीफोन टॉप-अप कार्ड

647. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री निखिल कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि एटीएम और क्रेडिट एवं डेबिट कार्डों से सूचना की नकल करने के लिए देश में यू.के. के मोबाइल टेलीफोन टॉप–अप कार्डों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे घोटालेबाजों को भारतीय बैंक खातों से धन चुराने में सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ऐसे कार्डों के प्रयोग पर चिंता जताई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि कुछ व्यक्तियों ने नकदी की निकासी करने के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्डों के अलावा जाली प्लास्टिक कार्डों का प्रयोग किया था। यह भी जानकारी दी गई है कि इस प्रयोजन के लिए यू.के. स्थित टेलीफोन कम्पनियों द्वारा जारी किए गए चुम्बकीय पट्टी (मैगनेटिक स्ट्रिप) वाले टेलीफोन टॉप–अप कार्डों का प्रयोग किया गया था। यह मामला यू.के. में स्थित बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्डों और भारत में प्रयोग किए गए कार्डों से संबंधित था।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 2006 में सभी वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं जिसमें उन विभिन्न उपायों की सूची दी गई है जो ऐसी उन धोखाधड़ियों की रोकथाम के लिए उनके द्वारा किए जा सकते हैं। इसमें हैंडआउट, एटीएम केन्द्रों पर डिस्प्ले, वेबसाइट, आदि के माध्यम से ग्राह जागरूकता उपाय शामिल हैं तथा बैंकों द्वारा परिचालनात्मक/सुरक्षा उपाय भी अपनाए जाने हैं। इसमें क्लोस्ड सर्किट कैमरों द्वारा एटीएम की अधिक निगरानी संदिग्ध एटीएम फीचर/लक्षण जैसे एन्टी–स्कीमिंग की निगरानी तथा विक्रेताओं, संगठनों जैसे वीसा/मास्टर कार्ड, आदि से प्राप्त सुरक्षा संबंधी चेतावनियों/रिपोर्टों की सक्रिय निगरानी शामिल है।

आवास ऋण

648. **श्री किन्जरपु येरननायडु :**
श्री बापू हरी चौरे :
श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे अवैध संपत्ति के कारोबार को रोकने के लिए आवास ऋण प्रदान करने के पूर्व आवेदकों से संपत्ति की वैधता संबंधी शपथ पत्र अवश्य लें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशा–निर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप आवास ऋण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। कल्याण संस्थान वैल्फेयर ऑर्गनाइजेशन द्वारा दायर रिट

याचिका में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने, कड़ाई से अनुपालन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों/निदेशों का उल्लेख करते हुए, 17 नवम्बर, 2006 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश जारी किये हैं। आरबीआई का 17 नवम्बर, 2006 का परिपत्र संख्या डीबीओडी. डीईआर.बीसी. सं.43/08.12.01/2006–07 आरबीआई की वेबसाइट – www.rbi.org.in/scripts/Notification User. aspx.- पर उपलब्ध है।

(ग) इतनी जल्दी प्रभाव का मूल्यांकन करना उचित नहीं है।

दिल्ली में फ्लैटों का आबंटन

649. डा. के. धनराजू : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में डीडीए ने दिल्ली के विभिन्न भागों में 3500 फ्लैटों के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो डीडीए को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार का इसके द्वारा कब तक निकालने और सफल आबंटियों को फ्लैट आबंटित करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने लगभग 3500 फ्लैटों के आबंटन के लिए अगस्त, 2006 में आवास स्कीम शुरू की थी।

(ख) डीडीए ने सूचित किया है कि 2,00,475 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लॉट का ड्रॉ स्कीम की अंतिम तारीख के तीन माह के भीतर किया जाना है। इस प्रक्रिया में यह व्यवस्था है कि सफल आवेदकों द्वारा आबंटन के निबंधनों और शर्तों के अनुसार मांगी गई राशि का भुगतान करने सहित कोडल औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर डीडीए द्वारा फ्लैटों का कब्जा सौंपा जाएगा।

लंबित सीसीडी प्रस्ताव

650. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री मंजुनाथ कुन्नुर :
क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों ने पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को संचार एवं क्षमता विकास (सीसीडी) के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव अभी तक केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में उन राज्यों का ब्यौरा दिया गया है जहां संचार एवं क्षमता विकास (सी.सी.डी.) प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) से (च) अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण

संचार एवं क्षमता विकास इकाई (सी.सी.डी.यू.) वाले राज्य

क्र.सं.	राज्यों के नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरूणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	छत्तीसगढ़
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू व कश्मीर
10.	झारखंड
11.	कर्नाटक
12.	केरल
13.	मध्य प्रदेश
14.	महाराष्ट्र
15.	मणिपुर
16.	मेघालय
17.	मिजोरम
18.	नागालैंड
19.	उड़ीसा

1	2
20.	पंजाब
21.	राजस्थान
22.	सिक्किम
23.	तमिलनाडु
24.	उत्तर प्रदेश
25.	उत्तरांचल
26.	पश्चिम बंगाल

भवन निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी

651. श्री सुग्रीव सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में भवन निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे निजीकरण के पश्चात् डीडीए की क्या भूमिका होगी;

(घ) क्या सरकार का विचार नियामक आवासीय प्राधिकरण शुरू करके निजी बिल्डरों को राहत प्रदान करने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) लागत, गुणवत्ता और अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में घर खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)–2021 के प्रारूप में आवास के विकास और स्लम पुनर्वास के लिए न केवल सार्वजनिक एजेंसियों बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी परिकल्पना की गई है। इस संबंध में नीति तैयार करने की प्रक्रिया में विभिन्न पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) से परामर्श करना होता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी से पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं।

(घ) से (च) दिल्ली के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

एनटीपीसी द्वारा कचरे से ऊर्जा

652. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का विचार शहरी और औद्योगिक कचरे से विद्युत उत्पादन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे संयंत्रों की स्थापना के लिए चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे संयंत्रों से कितनी विद्युत उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी नहीं। एनटीपीसी लि. की शहरी और औद्योगिक कचरे से विद्युत पैदा करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जटरोफा का उत्पादन

653. श्री गिरिधारी यादव :
श्री काशीराम राणा :
क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जटरोफा को उगाने का कार्य सभी राज्यों में नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जटरोफा के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित एवं उपयोग की गई तथा इसका कितना उत्पादन हुआ;

(ङ) इस उद्देश्य के लिए किन राज्यों को धनराशि आबंटित नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जानी है और जटरोफा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) से (ङ) देश में जटरोफा पौधरोपण के विकास के लिए इस समय कोई समन्वित कार्यक्रम नहीं है। जबकि जटरोफा के पौधे जंगलों में उपलब्ध हैं, परन्तु पारम्परिक तौर पर वे कम उपजाऊ होते हैं और उनमें तेल का अंश भी कम होता है। जटरोफा के उत्पादन और उत्पादकता के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गुणवत्ता युक्त बीज सामग्री को विकसित करने तथा मॉडल पौधरोपण का कार्य शुरू करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के तत्वाधान में 23 राज्यों में जटरोफा सहित प्रमुख पौध सामग्री के विकास तथा वृक्षों से प्राप्त होने वाले तिलहनों के लिए मॉडल पौधरोपणों के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को केन्द्रीय तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संगठनों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस. आई.आर.) आदि तथा राज्य सरकार के बीज फार्मों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को स्वीकृत तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। कुछेक राज्य सरकारों ने स्वयं अपनी ओर से जटरोफा को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है।

(च) केन्द्र सरकार ने बायो–डीजल का उत्पादन करने वाले तिलहनों अर्थात् जटरोफा के पौधरोपण का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए जिसमें गुणवत्तापूर्ण पादप तैयार करने के लिए नर्सरी विकास तथा इन तिलहनों के संबंध में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) संबंधी क्रियाकलापों का समन्वय करना भी शामिल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो एक नॉडल मंत्रालय है, के साथ 'बायो–डीजल के संबंध में राष्ट्रीय मिशन' नाम से एक समन्वित कार्यक्रम शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं। इस कार्यक्रम को दो चरणों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। मिशन के चरण–I में सभी संभाव्य राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में वन तथा वनेतर बंजरभूमि में जटरोफा पौंगामिया के पौधरोपण का प्रदर्शन शामिल है। राष्ट्रीय मिशन का चरण–II एक स्वतः सतत् वाणिज्यिक कार्यक्रम होगा।

मार्च, 2006 में प्रदर्शन चरण (चरण–I) के जरिए राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने की शुरूआत के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 9 राज्यों में अभिज्ञात किए गए जिलों, जिनका चयन वहां पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होने तथा उनके इस कार्यक्रम को शुरू करने हेतु तैयार होने को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ परामर्श से किया गया था, में वर्ष 2006–07 के दौरान पौधरोपण के लिए 49.00 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ लगभग 18 करोड़ पादप तैयार करने के लिए जटरोफा नर्सरी कार्यक्रम को आरंभ किया है। नर्सरी कार्यक्रम के संबंध में राज्य–वार वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

जटरोफा के मॉडल पौधरोपण के संबंध में संभाव्य राज्यों को स्वीकृत की गई/जारी की गई राज्य–वार निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	संस्थान	स्वीकृत की गई राशि	जारी की गई राशि		जारी की गई कुल राशि
				2004–05	2005–06	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	आईसीआरआईएसएटी	75.000	37.500	37.500	75.000
2.	अरूणाचल प्रदेश	एसडीए	51.210	25.600	9.050	34.650
3.	बिहार	एसडीएच	60.410	30.200	0.000	30.200
4.	छत्तीसगढ़	सी.सीओएसटी	75.510	37.750	37.755	75.505
		एसडीए	60.005	30.000	24.145	54.145
5.	गोवा	डीसीएफ	6.305	3.152	0.000	3.152
6.	गुजरात	पीसीसीएफ	74.805	37.400	37.405	74.805
		एएयू	51.810	25.900	25.900	51.800
		जेएयू	76.810	76.810	0.000	76.810
		एनएयू	50.605	25.325	0.000	25.325

1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा	सीएफ	76.610	38.304	37.500	75.804
		सीसीएस एचएयू	62.010	31.000	0.000	31.000
		सीसीएस एचएयू	5.405	2.702	0.000	2.702
8.	हिमाचल प्रदेश	एचएफआरआई	3.105	1.550	1.555	3.105
9.	जम्मू और कश्मीर	एसई–केयूएएस एण्ड टी	75.000	37.500	0.000	37.500
		एसडीएच	41.205	21.000	0.000	21.000
10.	झारखंड	सीसीएफ, रांची	74.800	36.165	38.635	74.800
11.	कर्नाटक	सीसीएफ	64.500	32.250	32.250	64.500
		एसएफसीआई, रायचुर	75.000	37.500	37.500	75.000
		यूएएस–धारवाड़	10.000	5.000	0.000	5.000
		यूएएस–रायचुर	12.000	6.000	6.000	12.000
		यूएएस – एफ एण्ड ईएससी	4.440	2.220	1.750	3.970
		एसडीएच	26.875	19.000	0.000	19.000
12.	केरल	एसडीएफ	12.500	6.250	5.500	11.750
13.	मध्य प्रदेश	एसडीएच एण्ड एफएफ	74.900	37.450	18.725	56.175
		जेएनकेवीवी	73.960	36.980	0.000	36.980
		एमपीसीओएसटी	75.510	37.755	30.204	67.959
14.	महाराष्ट्र	एसडीए	74.005	55.500	0.000	55.500
		एसएफ, सोलापुर	65.505	32.750	32.755	65.505
		एसएफ, नासिक	2.000	1.000	0.000	1.000
		एमएयू	76.810	38.400	38.410	76.810
		पीडीकेवी	75.000	37.500	30.750	68.250
15.	मणिपुर	एसडीए	51.210	25.600	25.610	51.210
16.	मिजोरम	एसडीएच	74.410	37.200	37.210	47.410
17.	मेघालय	एसडीए	54.405	27.200	22.000	49.200
18.	नागालैंड	एसडीए	75.000	37.500	37.500	75.000

1	2	3	4	5	6	7
19.	राजस्थान	एसडीए	75.000	37.500	0.000	37.500
		एमपीयूए, उदयपुर	51.810	25.900	0.000	25.900
20.	तमिलनाडु	एसडीए	75.000	37.500	37.500	75.000
		डब्ल्यूएसडीए	75.000	37.500	0.000	37.500
		टीएनएयू–एफसीआरआई	75.500	37.750	14.870	52.620
21.	उत्तर प्रदेश	एएयू	50.000	25.000	21.860	46.860
		पीसीसीएफ	73.900	36.950	36.630	73.580
22.	उत्तरांचल	जीबीपीयू एण्ड टी	75.000	37.500	0.000	37.500
		जीबीपीयू एण्ड टी	5.000	2.500	0.778	3.278
		पीसीसीएफ	75.000	56.250	16.330	72.580
23.	प.बंगाल	एसडीए	31.105	15.552	15.553	31.105
	कुल योग		2560.950	1360.815	749.130	2109.945

विवरण-II

जटरोफा नर्सरी कार्यक्रम के राज्य–वार वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं.	राज्य का नाम	वास्तविक लक्ष्य (पादप की संख्या, लाख में)	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
1.	गुजरात	150	450
2.	आंध्र प्रदेश	358.33	1075
3.	छत्तीसगढ़	625	1350
4.	राजस्थान	75	225
5.	हिमाचल प्रदेश	20	150
6.	तमिलनाडु	350	1050
7.	सिक्किम	50	150
8.	असम	50	150
9.	त्रिपुरा	100	300
	योग	1808.33	4900

राजस्व तथा व्यय

654. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के प्रथम छमाही के दौरान राजस्व तथा व्यय आंकड़ों का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इनके प्रतिशत सहित कुल राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्व प्राप्तियों के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान अब तक हुए राजकोषीय घाटे का प्रतिशत कितना है तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह कितना प्रतिशत अधिक है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान राजस्व और व्यय के लेखापरीक्षा न किए गए लेखों के निवल आंकड़े क्रमशः 1,65,483 करोड़ रुपए और 2,51,944 करोड़ रुपए हैं।

(ख) चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान प्राप्त लेखापरीक्षा

न की गई राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा और उनका प्रतिशत इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपयों में)

	सितम्बर, 2006 तक केन्द्र की निवल प्राप्तियां	बजट अनुमान 2006–07 के प्रति प्रतिशत
कर राजस्व	1,29,986	39.7%
करेतर राजस्व	31,420	41.2%
ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां	4,077	34.4%

(ग) 2006–07 के संघ बजट में निवल राजस्व प्राप्ति अनुमान 4,03,465 करोड़ रु. है।

(घ) राजकोषीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 58.2% है और पिछले वर्ष की तुलना में यह 2.7% अधिक है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्रों के बैंकों का कार्य-निष्पादन

655. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री उदय सिंह :
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंक घाटे में चल रहे हैं जैसा कि दिनांक 26 अक्तूबर 2006 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन बैंकों को हुए घाटे का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बैंकों के घाटे को समाप्त करने और डूबे ऋण एवं संदेहास्पद ऋणों को कम करने तथा उनके विस्तार कार्यक्रम के लिए बैंकों द्वारा जारी प्राथमिकता शेयरों को खरीदकर सरकारी क्षेत्र के कतिपय बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा घाटे वाले सरकारी बैंकों के कार्य–निष्पादन को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान पंजाब एण्ड सिंध बैंक को छोड़कर, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने निवल लाभ दर्ज किया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने वर्ष 2004–05 के दौरान 71 करोड़ रुपए की कुल हानि दर्ज की है। तथापि, बैंक ने वर्ष 2005–06 के दौरान 108 करोड़ रुपए का निवल लाभ दर्ज किया है।

(ग) और (घ) उनके तुलन–पत्रों को मजबूती प्रदान करने, उनके बासेल–II निर्धारणों को अपनाए जाने को सुकर बनाने, प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से अपनी भावी पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने, अपने शेयरों में निवेश हेतु निवेशकों में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से तथा अपने कारोबार के विस्तार में उन्हें समर्थ बनाने के लिए सरकार ने इंडियन बैंक और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की समस्त संचित हानियों, जो क्रमशः 3830.14 करोड़ रुपए तथा 278.44 करोड़ रुपए हैं, को उनकी इक्विटी पूंजी के बदले समायोजित करने और इंडियन बैंक तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इक्विटी पूंजी के एक भाग को स्थायी गैर–संचयी अधिमान शेयर पूंजी (पीएनसीपीएससी) में बदलकर उनकी इक्विटी पूंजी का पुनर्निर्धारण करने का निर्णय लिया है।

(ङ) त्वरित और दक्ष निर्णयन को सुकर बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने में समर्थ बनाने के लिए बैंक बोर्डों को पर्याप्त प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए फरवरी 2005 में स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनुपयोज्य आस्तियों, आय लागत अनुपात, आस्तियों पर प्रतिलाभ, लाभ, आदि सहित विभिन्न कार्य निष्पादन पैरामीटरों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए "वार्षिक लक्ष्यों से संबंधित आशय विवरण" के आधार पर उनके कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित किया है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ दर्ज किया है।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन

656. **श्री रामदास आठवले :**
श्री अनंत गुढ़े :
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान की योग्यता के लिए विहित प्रतिमान क्या हैं;

(ख) क्या सभी राज्यों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के संबंध में जनगणना कर ली है और सूची सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और शेष राज्यों द्वारा इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक गरीबी उपशमन कार्यक्रम के तहत आबंटित जारी और प्रयुक्त की गई धनराशि कितनी है और गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए लोगों की राज्यवार संख्या कितनी;

(छ) धनराशि का पूरा उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; यदि कोई है; और

(ज) गरीबी का पूर्णतया उपशमन करने के लिए और धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की पहचान करने के उद्देश्य से बीपीएल जनगणना, 2002 करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए थे ताकि उन गरीब परिवारों को मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता दी जा सके। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे ग्रामीण परिवारों की संख्या इस तरह निर्धारित की जानी थी कि यह योजना आयोग के 1999-2000 के गरीबी अनुमान अथवा समायोजित अंश (जैसा कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है), इनमें से जो भी अधिक हो, के बराबर होनी चाहिए तथा इसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसित 13 सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर ग्रामीण परिवारों के 'अंक आधारित रैंकिंग' का उपयोग करके 10% की छूट दी जा सकती है।

पीयूसीएल बनाम भारत संघ के मामले में डब्ल्यूपी संख्या 196/2001 की सुनवाई के दौरान 5.5.2003 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किए जाने के कारण बीपीएल जनगणना, 2002 के परिणामों में विलम्ब हुआ। 14.2.2006 को स्थगन आदेश खारिज किए जाने के बाद राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने बीपीएल जनगणना, 2002 के परिणामों को पारदर्शी तरीके से अंतिम रूप देने के दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। अधिकांश राज्यों ने सर्वेक्षण का काम पहले ही पूरा कर लिया है तथा ग्राम सभाओं से अनुमोदन लेने की प्रक्रिया तथा प्रथम और द्वितीय अपील तंत्र आदि का काम चल रहा है जिसके पश्चात संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आंकड़े वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे।

(ङ) से (ज) ग्रामीण विकास मंत्रालय संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) नामक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) जो स्व-सहायता कार्यक्रम है कार्यान्वित कर रहा है। 2 फरवरी, 2006 से देश के 200 चुनिंदा जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत किसी ग्रामीण परिवार का ऐसा व्यस्क जो अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक हो, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के काम का हकदार है। इन 200 जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के कार्यक्रमों और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) को अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के सथ मिला दिया गया है। अगले 4 वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) सभी जिलों में लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के कार्यान्वयन के मद्देनजर काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) को बंद कर दिया गया है। विगत तीन वर्षों और वर्ष 2006-07 के दौरान (सितम्बर, 2006 तक की स्थिति के अनुसार) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन, रिलीज की गई निधियों और उपयोग में लाई गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। मंत्रालय ने इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों द्वारा निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निगरानी प्रणाली विकसित की है। प्राकृतिक आपदाओं, क्षेत्र विशेष में कार्य के सीमित मौसम, राज्यों में विभिन्न निर्वाचित निकायों के चुनाव आदि के कारण निधियों के धीमें उपयोग के कुछ उदाहरण कभी-कभी मंत्रालनय की जानकारी में आते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय समय-समय पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन करता है और पहले किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि ग्रामीण परिवारों की गरीबी को दूर करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के वर्ष 2003 के मूल्यांकन अध्ययन से पता चलता है कि 37.24% व्यक्तिगत स्वरोजगारी तथा 15.09% स्व-सहायता समूह के स्वरोजगारी गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। उपर्युक्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन देश से गरीबी दूर करने के सरकार की व्यापक कार्यनीति का एक हिस्सा है। नवीनतम गरीबी अनुमान जो वर्ष 1999-2000 के लिए उपलब्ध है, से यह पता चलता है कि 27.09% ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करती है।

वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 (सितम्बर तक) के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन, केन्द्रीय रिलीज और व्यय

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग
			2003–04			2004–05			2005–06			2006–07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	4238.88	3942.42	5631.80	5305.97	5305.97	6970.51	5305.97	5263.37	7066.03	5885.70	2942.85	3097.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	221.53	139.60	176.17	276.91	278.92	242.38	276.91	183.89	231.14	282.45	94.84	16.68
3.	असम	5756.15	5313.00	7417.91	7195.18	6595.62	8046.89	7195.18	6601.52	8164.07	7339.07	3669.54	3031.25
4.	बिहार	10084.97	5488.81	11216.49	12623.79	9619.84	13442.98	12623.79	11079.65	15875.41	13998.30	6666.45	5129.43
5.	छत्तीसगढ़	2238.84	2025.44	2975.36	2802.45	2676.11	3863.97	2802.45	2633.11	3740.30	3109.61	1554.81	2045.77
6.	गोआ	50.00	25.00	51.31	50.00	27.82	60.93	50.00	29.36	51.45	50.00	25.00	31.54
7.	गुजरात	1595.58	1508.00	2415.12	1997.27	1946.4	2814.63	1997.27	1996.08	2857.07	2216.70	1145.55	1262.76
8.	हरियाणा	938.70	932.06	1437.07	1175.03	1175.08	1595.25	1175.03	1147.48	1888.51	1304.92	652.46	690.86
9.	हिमाचल प्रदेश	395.33	304.77	642.77	494.85	487.42	745.26	494.85	448.75	678.32	548.73	272.01	272.95
10.	जम्मू व कश्मीर	489.27	427.45	618.44	612.44	436.74	779.94	612.44	419.78	703.68	679.13	339.99	281.59
11.	झारखंड	3801.08	2817.41	4738.75	4757.98	4180.61	5587.89	4757.98	3498.87	6518.55	5278.02	2639.01	2622.69
12.	कर्नाटक	3200.94	2777.12	4711.28	4006.76	3735.03	5487.70	4006.76	3579.36	5590.36	4445.01	2222.51	2291.06
13.	केरल	1436.25	1435.18	2054.13	1797.82	1783.56	2445.14	1797.82	1797.82	2420.47	1995.54	997.77	1013.59
14.	मध्य प्रदेश	4799.65	4397.14	7040.11	6007.91	5516.04	7592.17	6007.91	5722.89	8600.34	6664.05	3332.03	2920.08
15.	महाराष्ट्र	6327.49	5712.39	8805.51	7920.39	7409.42	10630.89	7920.39	7443.34	10812.38	8784.83	4392.42	3604.71
16.	मणिपुर	385.88	56.75		482.36	91.05	482.36		116.82	111.36	492.01	69.83	17.50
17.	मेघालय	432.33	117.12	161.90	540.42	190.84	241.88	540.42	281.43	364.07	551.23	73.74	110.90
18.	मिजोरम	100.04	99.96	138.00	125.06	146.76	189.77	125.06	123.21	200.82	127.56	63.78	54.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	नागालैंड	296.58	157.80	301.05	370.70	203.94	188.77	370.70	135.90	253.51	378.12	93.09	
20.	उड़ीसा	4848.38	4553.07	6699.20	6068.94	5866.19	8281.82	6068.94	6065.95	8073.92	6729.73	3364.86	2351.73
21.	पंजाब	456.20	444.25	671.96	571.05	442.81	552.73	571.05	562.17	638.82	635.23	317.62	477.12
22.	राजस्थान	2430.60	2261.24	3457.57	3042.47	2941.56	4051.15	3042.47	2662.12	4009.83	3375.71	1687.86	1383.56
23.	सिक्किम	110.76	110.76	230.30	138.45	179.99	222.09	138.45	138.45	247.87	141.22	70.61	80.26
24.	तमिलनाडु	3748.10	3690.70	5852.91	4691.65	4676.06	7066.73	4691.65	4691.65	6759.92	5204.41	2602.21	1689.60
25.	त्रिपुरा	696.73	696.74	967.15	870.92	1102.28	1136.56	870.92	869.92	1464.19	888.34	444.17	275.28
26.	उत्तर प्रदेश	14518.73	11756.85	19564.60	18173.71	17293.83	27722.43	18173.71	17018.11	26779.42	20152.62	10076.31	10154.81
27.	उत्तरांचल	763.00	686.02	1356.48	955.10	954.59	1686.24	955.10	943.75	2085.78	1061.01	530.51	385.27
28.	पश्चिम बंगाल	5388.01	2617.59	5298.25	6744.42	4608.31	7317.61	6744.42	5465.50	7525.25	7480.75	3740.38	2330.64
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	50.00	0.00	4.24	25.00	25	5.09	25.00	6.25	7.07	25.00	0.00	14.8
30.	दमन व दीव	50.00	0.00				25.00	0	0.06	25.00	0.00	25.00	0.00
31.	दादरा व नगर हवेली	50.00	0.00	4.57	25.00	12.5	8.28	25.00	0.00			25.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	50.00	0.00	2.53	25.00	0	1.16	25.00	0.00	2.15	25.00	0.00	2.10
33.	पांडिचेरी	50.00	25.00	0.04	100.00	100	104.28	100.00	100.00	89.22	100.00	50.00	45.44
	कुल	80000.00	64519.64	104342.97	100000.00	90010.29	129083.18	100000.00	91026.50	133811.26	110000.00	54132.21	47672.58

निधियों का उपयोग, वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध निधियां, जिनमें केन्द्रीय रिलीज, राज्य रिलीज, वर्ष के 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथशेष और विविध प्राप्तियां शामिल हैं, में से किया गया है।

वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 (सितम्बर तक) के दौरान एसजीआरवाई के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन, केन्द्रीय रिलीज और व्यय

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग में लाई गई निधियां	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग में लाई गई निधिया	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग में लाई गई निधियां	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग में लाई गई निधियां
			2003–04			2004–05			2005–06			2006–07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	22014.18	23995.50	33965.38	23487.18	24049.88	31922.74	28139.33	29453.70	37705.06	10903.95	6542.37	4748.78
2.	अरूणाचल प्रदेश	1142.85	1560.75	1257.74	1246.98	1368.64	685.09	1524.09	1377.50	675.53	1403.65	683.29	91.89
3.	असम	29673.53	29681.01	41422.14	32368.00	32124.06	39533.75	39560.89	40916.96	46499.28	25385.99	15231.59	13192.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	42137.71	34203.10	48593.41	46512.14	49196.29	63479.62	55742.88	59124.30	73195.24	21299.37	12779.62	6291.92
5.	छत्तीसगढ़	10769.37	12023.34	16805.85	13108.64	12931.67	17757.39	15705.09	16605.81	22093.18	4937.19	2962.32	3460.64
6.	गोआ	183.93	110.36	78.92	336.74	292.55	282.73	403.44	242.07	319.55	417.64	250.58	14.74
7.	गुजरात	8966.17	9654.67	13596.10	10283.30	9941.23	14856.35	12320.13	12648.76	16887.56	8741.19	5264.88	5636.75
8.	हरियाणा	4976.97	5599.45	7442.93	5417.38	5567.67	6794.28	6490.41	6758.76	9531.74	6048.66	3629.21	3892.86
9.	हिमाचल प्रदेश	2096.00	2394.67	3256.44	2281.48	2259.63	3683.45	2733.38	2230.05	3587.90	2296.24	1177.41	1369.61
10.	जम्मू व कश्मीर	2499.61	10803.04	4195.30	2681.02	2715.61	4197.50	3212.07	3229.13	4570.88	2628.03	1724.87	503.51
11.	झारखंड	28803.56	26675.15	40280.58	31543.52	27394.54	39485.11	37791.40	33841.77	52866.14	3338.58	2003.15	480.06
12.	कर्नाटक	16353.72	19428.39	24748.91	17539.74	18290.28	26682.09	21013.87	21881.83	30855.62	16224.75	9734.86	3424.25
13.	केरल	7337.56	8696.74	10065.14	7870.10	7866.56	13565.39	9428.94	9767.11	15532.67	8116.50	4869.90	4690.76
14.	मध्य प्रदेश	25338.23	26705.26	38744.86	28308.64	28713.84	40023.35	33915.78	34606.57	45496.35	16854.62	10094.66	13038.41
15.	महाराष्ट्र	32483.24	31212.10	47411.11	34672.18	33657.28	49000.74	41539.76	40869.63	53360.78	25703.73	15422.27	16595.39
16.	मणिपुर	1990.89	1331.40	1071.19	2172.42	2123.41	2387.20	2655.18	2164.50	966.20	2403.18	1441.90	0.00
17.	मेघालय	2230.43	2055.44	2716.95	2433.74	2439.01	3199.36	2974.57	2334.13	3503.10	1946.47	1167.88	1072.43
18.	मिजोरम	516.13	757.86	801.68	563.18	574.44	557.19	688.33	748.55	988.29	556.39	333.84	338.45
19.	नागालैंड	1529.96	1168.08	1170.55	1669.40	1637.97	1433.70	2040.38	1415.70	1989.25	1752.72	1051.63	495.87
20.	उड़ीसा	24769.56	24743.95	38608.74	26567.30	26939.86	36291.37	31829.53	33322.45	35694.05	9623.95	5774.36	5689.66
21.	पंजाब	4017.63	4620.08	6055.59	6025.60	5818.55	6215.06	7219.10	6412.39	6246.18	6753.65	443.11	2691.89
22.	राजस्थान	12424.25	13860.68	22075.62	13318.66	14564.97	20437.32	15956.71	17945.03	23423.21	12542.23	7525.34	8873.86
23.	सिक्किम	571.44	703.55	760.00	623.52	685.88	771.95	762.08	828.75	1076.58	562.78	337.67	329.04
24.	तमिलनाडु	19214.77	23318.54	33602.53	20538.10	22470.43	30960.67	24606.12	25995.76	35587.77	18850.46	11310.29	13688.72
25.	त्रिपुरा	3594.77	3991.89	5959.21	3922.76	4079.04	5891.08	4794.48	5213.91	6155.50	3820.26	2292.16	2011.91
26.	उत्तर प्रदेश	4940.35	5355.75	7492.65	5242.62	5361.66	8502.94	6281.04	6607.12	9358.23	4920.58	2952.35	2832.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	उत्तरांचल	73362.27	65695.85	111863.13	78495.06	79279.95	106468.40	94042.72	98576.36	128965.23	56504.34	33902.60	36285.80
28.	पश्चिम बंगाल	27526.41	21453.96	31604.04	29524.26	26731.84	32826.27	35372.18	34453.29	37779.37	15660.57	9396.35	8951.48
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	162.34	97.40	23.77	220.94	220.94	65.35	264.70	44.36	88.03	274.01	0.00	2.82
30.	दादरा व नगर हवेली	126.77	41.13	0.00	145.46	87.28	0.00	174.27	0.00	0.00	180.40	0.00	0.00
31.	दमन व द्वीव	35.17	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00	84.46	0.00	0.00	87.44	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	55.95	28.57	2.59	110.50	28.57	11.37	132.39	126.75	44.20	137.05	129.55	5.73
33.	पांडिचेरी	179.28	136.13	101.69	223.94	205.09	34.06	268.30	0.00	186.24	277.74	166.64	41.65
अखिल भारत		412025.00	412103.79	595774.74	449525.00	449618.62	608012.87	539650.00	549743.00	705228.91	291154.31	170596.65	160543.42

निधियों का उपयोग, वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध निधियां, जिनमें केन्द्रीय रिलीज, राज्य रिलीज, वर्ष के 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथशेष और विविध प्राप्तियां शामिल हैं, में से किया गया है।

वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 (सितम्बर तक) के दौरान एनएफएफडब्ल्यूपी तथा एनआरईजीपी के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन, केन्द्रीय रिलीज और व्यय

(लाख रु. में)

राज्य	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज एनएफएफडब्ल्यूपी के अंतर्गत	केन्द्रीय रिलीज एनआरईजीए के अंतर्गत $	कुल	व्यय	केन्द्रीय रिलीज	व्यय
	2004–05			2005–06					2006–07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	12214.72	12214.72	4116.71	27199.63	13599.82	16474.81	30074.63	19880.75	82461.43	21825.94
अरूणाचल प्रदेश	190.80	190.80	117.27	425.26	212.63	446.31	658.94	488.45	272.85	179.68
असम	16645.79	16645.79	487.49	37100.61	0.00	33650.13	33650.13	10519.65	13970.85	12873.00
बिहार	26411.54	26456.54	7778.38	58812.89	22048.52	30806.30	52854.82	27536.63	40503.38	21543.40
छत्तीसगढ़	10410.19	10410.19	6393.51	23181.35	23181.35	785.00	23966.35	24149.14	30068.74	19563.72
गुजरात	3994.69	3994.69	234.51	8895.33	4009.55	4241.12	8250.67	4617.72	4113.94	2991.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हरियाणा	281.85	281.85	0.00	627.62	313.81	873.82	1187.63	335.05	913.39	1161.99
हिमाचल प्रदेश	303.91	303.91	200.58	676.75	338.38	898.37	1236.75	385.43	1607.64	1161.90
जम्मू व कश्मीर	494.26	494.26	145.97	1100.60	550.31	1135.29	1685.60	794.56	2776.37	553.53
झारखंड	22595.70	22595.70	2120.03	50315.90	29918.37	23429.66	53348.03	41428.14	37618.59	27198.15
कर्नाटक	2925.38	2925.38	176.15	6514.20	3257.11	4402.10	7659.21	2962.28	14595.69	8562.40
केरल	547.14	547.14	125.37	1218.36	0.00	1169.18	1169.18	121.14	2179.51	182.00
मध्य प्रदेश	15808.32	15808.32	6787.57	35201.76	33909.28	13713.82	47623.10	41960.52	126970.20	96358.70
महाराष्ट्र	15495.26	15495.26	1982.62	34504.70	5614.26	19743.56	25357.82		19235.64	11130.38
मणिपुर	399.22	399.22	206.98	889.78	889.78	461.63	1351.41	718.59	570.89	950.00
मेघालय	543.85	543.85	150.14	1212.16	606.08	1457.87	2063.95	298.57	2064.68	0.00
मिजोरम *	95.52	95.52	93.35	212.89	106.45	770.91	877.36	111.06	298.90	575.55
नागालैंड *	455.72	455.72	276.39	1015.71	0.00	1031.28	1031.28		430.11	975.45
उड़ीसा	22283.67	22283.67	14921.80	49621.06	43221.31	7384.75	50606.06	29187.63	71213.49	26542.69
पंजाब	716.32	716.32	698.45	1595.09	797.55	822.54	1620.09	902.30	755.75	1130.89
राजस्थान	3532.69	3532.69	2498.55	7866.58	7866.58	4142.11	12008.69	7370.11	67961.00	40590.63
सिक्किम	315.73	315.73	171.34	703.70	351.85	722.16	1074.01	350.39	451.50	34.83
तमिलनाडु	4851.58	4851.58	2652.40	10803.45	5401.73	6571.72	11973.45	6549.71	9889.21	3850.38
त्रिपुरा	1543.37	1543.37	644.32	3439.89	1719.95	2572.97	4292.92	2824.07	1456.66	1412.50
उत्तरांचल	1014.86	1014.86	52.46	2259.88	891.66	1269.11	2160.77	981.84	1910.80	1129.42
उत्तर प्रदेश	26378.11	26378.11	1982.07	58738.53	4273.76	33242.07	37515.83	15085.95	33498.69	32854.83
पश्चिम बंगाल	11449.81	11449.81	1959.21	25496.32	12748.17	17038.15	29786.32	11221.82	20358.84	13898.03
कुल	201900.00	201945.00	56973.62	449630.00	215828.26	229256.74	445085.00	250581.50	588148.53	349031.19

$ – एनएफएफडब्ल्यूपी के जिलों को 2 फरवरी, 2006 से एनआरईजीपी में मिला दिया गया है।

* आंकड़े जानकारी अनुसूची से लिए गए हैं।

[अनुवाद]

संपत्ति की कीमतों में वृद्धि

657. श्री अधीर चौधरी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रीयल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा पैदा की गई कृत्रिम कमी के कारण संपत्ति की कीमते अत्यधिक बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में एक विनियामक प्राधिकरण बना कर संपत्ति की कीमतों की सीमा तय करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में संपत्ति की कीमतों को बढ़ाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) रिहायशी संपत्ति की कीमतें मांग और आपूर्ति से प्रभावित होती हैं। तथापि, कई अन्य कारक भी हैं, जो शहरी भारत में सम्पत्ति के मूल्यों में वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, यथा आबादी में वृद्धि, शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास के कारण विकसित भूमि की कमी, शहरी परिवारों की आय में वृद्धि, सम्पत्ति एजेंटों/रीयल एस्टेट एजेंटों की सट्टाबाजारी, अवस्थापनात्मक सुविधाओं की प्राप्ति रोजगार के अवसर, भूमि का स्वभाविक मूल्य, गत तीन वर्षों में तीव्र और लाभप्रद आर्थिक विकास, किफायती दरों पर ऋण की सहज उपलब्धता, भूमि की कीमतों में वृद्धि, भारत में एम एन सी क्रियाकलापों में वृद्धि तथा सीमेंट, स्टील, समी निर्माण सामग्रियों व श्रम लागत में वृद्धि।

(ग) से (ङ) विचाराधीन हैं।

क्रेडिट रेटिंग प्रणाली

658. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए कोई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह रेटिंग प्रणाली छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए किस सीमा तक सहायक है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम से "लघु उद्योगों (एसएसआई) के लिए कार्यनिष्पादन एवं ऋण रेटिंग तंत्र" परिचालन में है वहीं 7 रेटिंग एजेन्सियों यथा सीएआरई, सीआरआईएस आईएल, डुन एंड ब्रेडस्ट्रीट, एफआईटीसीएच, आईसीआरए, ओएनआईसी आरए एवं एसएमईआरए को व्यष्टि एवं लघु उद्यमों के रेटिंग के लिए पैनलबद्ध किया गया है। रेटिंग, ऋण एवं कार्यनिष्पाद कारकों, जिनमें परिचालन, वित्त, कारोबार एवं जोखिम प्रबंधन शामिल होते हैं, के संयोजन पर निर्भर करता है। लघु उद्योग को पैनलबद्ध रेटिंग एजेन्सियों में से किसी भी एजेन्सी को चुनने की स्वतंत्रता है तथा शुल्क ढांचा इकाई के टर्नओवर पर आधारित होता है।

(ग) यह योजना लघु उद्यमों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से तुलनात्मक रूप से आसान एवं बेहतर शर्तों पर ऋण प्राप्त करने हेतु अधिकार प्रदान करने में सफल रही है। इसने रेटिंग वाली इकाईयों को अपने खरीददारों और ग्राहकों के बीच इनकी पहचान बढ़ाने में भी मदद की है।

लम्बित निगमित मामले

659. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में निगमित मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दाभोल विद्युत परियोजना को ईंधन की आपूर्ति

660. श्री वसुदेव आचार्य :
श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार :
क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दाभोल विद्युत परियोजना का व्यवहार्य कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए इसे सस्ते दामों पर गैस/ईंधन उपलब्ध करवाने में असमर्थ है जैसा कि दिनांक 1 नवम्बर, 2006 के "इकोनोमिक्स टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) डाभोल विद्युत

परियोजना के लिए मुख्य ईंधन अर्थात् गैस की प्राप्ति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) द्वारा समन्वित की जा रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैस की उपलब्धता की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित अनुसार है:–

(i) एलएनजी टर्मिनल से पहली बार गैस की निकासी हेतु मार्च, 2007 के अंत तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ii) एनएनजी टर्मिनल पूर्णतया परिचालित होने तक आर एल एन जी का परिवहन दाहेज–उरान पाइपलाइन (डीयूपीएल) तथा डाभोलपनवेल पाइप लाइन (डीपीपीएल) के माध्यम से जीएआईएल द्वारा लगाए जा रहे दाहेज एलएनजी टर्मिनल से किया जाएगा। ये पाइपलाइनें मार्च, 2007 के अंत तक चालू होने की संभावना है।

(iii) पेट्रोनेट एनएनजी लिमिटेड (पीएलएल), 2007 से 2009 तक अल्पावधि आधार पर 1.2 एमएमटीपीए एलएनजी के आयात हेतु रासगैस कतर से चर्चा कर रही है। पीएलएल ने सूचित किया है कि रास गैस ने प्रत्येक दो माह में 3 कार्गों की आपूर्ति की पुष्टि की है जिसका मतलब है एक वर्ष के दौरान 18 कार्गों अर्थात् 1.20 से 1.25 एमएमटीपीए। इसकी कीमत के बारे में पीएलएल तथा रासगैस, कतर के बीच चर्चा चल रही है।

(iv) जीआईएल 2009 से दीर्घावधि आधार पर 1.2 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति हेतु सोनाट्रैक, अल्जीरिया के साथ भी चर्चा कर रहा है। इस संबंध में सोनाट्रैक के साथ अल्जीरिया में नवम्बर/दिसम्बर, 2006 में आगे चर्चा होने की संभावना है। जीएआईएल दीर्घावधि आधार पर परियोजना के लिए एलएनजी प्राप्त करने हेतु कई अन्य संभाव्य गैस आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ भी चर्चा कर रहा है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों की निगरानी

661. श्री अजीत जोगी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कें बनाने तथा राज्यों द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान धनराशि खर्च करने के लिए कोई लक्ष्य तथा समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान चूक करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्यवार वे कौन–कौन से स्थान हैं जहां पर सड़कों की गुणवत्ता निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाई गई है; और

(च) इन खामियों/कमियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 25 दिसम्बर, 2000 को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। पीएमजीएसवाई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों (पहाड़ी तथा मरूभूमि क्षेत्रों में 250 व्यक्तियों) में 500 से अधिक की आबादी वाली सभी पात्र संपर्क विहीन बसावटों को बेहतर बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। भारत निर्माण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 1000 से अधिक तथा पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक की आबादी वाली सभी बसावटों को 2009 तक सड़क–संपर्क मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मौजूदा ग्रामीण सड़क कार्य नेटवर्क का व्यवस्थित तरीके से उन्नयन भी योजना का अभिन्न अंग है। अब तक, 19,915.09 करोड़ रु. खर्च हो चुके हैं। 15 राज्यों ने अपने सामान्य आबंटन के समरूप राशि का दावा नहीं किया है। उन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल।

(घ) से (च) ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा इसलिए वे कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भी उत्तरदायी है। प्रत्येक सड़क कार्य की गुणवत्ता की कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं द्वारा जांच की जानी होती है। राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं की टिप्पणियां उपर्युक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं तथा इन रिपोर्टों में पाई गई कमियों/उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद की, गई कार्रवाई – रिपोर्टें तैयार की जानी होती हैं। मार्च 2002 से अगस्त, 2006 तक, 38417 कार्यों की जांच की गई। जांचे गए कार्यों का सारांश संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

विवरण

अगस्त, 2006 तक राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं द्वारा की गई जांचों का राज्यवार सारांश

क्रम सं.	राज्य का नाम	जांच कार्य का नाम	ग्रेडिंग			
			पूर्ण		अपूर्ण	
			संतोषजनक	असंतोषजनक	संतोषजनक	असंतोषजनक
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	2753	1173	271	898	411
2	अरुणाचल प्रदेश	156	30	55	16	55
3	असम	729	175	36	320	198
4	बिहार	771	81	126	314	250
5	बिहार (एनईए)	199	8	3	94	94
6	छत्तीसगढ़	1728	507	101	758	362
7	गोवा	0	0	0	0	0
8	गुजरात	1858	651	145	736	326
9	हिमाचल प्रदेश	1249	282	28	637	302
10	हरियाणा	233	46	12	143	32
11	जम्मू एवं कश्मीर	237	6	7	122	102
12	झारखंड	1000	172	105	358	365
13	कर्नाटक	2350	840	112	837	561
14	केरल	698	155	50	403	90
15	मध्य प्रदेश	3605	1032	141	1763	669
16	महाराष्ट्र	2618	702	99	1307	510
17	मणिपुर	140	24	42	22	52
18	मेघालय	208	24	12	65	107
19	मिजोरम	144	16	26	65	37

1	2	3	4	5	6	7
20	नागालैंड	139	26	28	27	58
21	उड़ीसा	2422	996	92	732	602
22	पंजाब	831	350	18	349	114
23	राजस्थान	4001	1706	248	1547	500
24	सिक्किम	169	16	12	79	62
25	तमिलनाडु	2778	1365	198	801	414
26	त्रिपुरा	169	49	26	43	51
27	उत्तर प्रदेश	4961	2024	266	1935	736
28	उत्तरांचल	790	94	21	425	250
29	पश्चिम बंगाल	1481	470	102	626	283
	कुल	38417	13020	2382	15422	7593

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों से आभूषणों की चोरी

662. श्री ए. वी. बेल्लारमिन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सहकारी बैंकों विशेषकर कन्याकुमारी जिले के अझागनपराई स्थित सहकारी बैंक से गिरवीघड़े आभूषण चोरी होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) कन्याकुमारी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) से सम्बद्ध अझागनपराई प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) में 23 अप्रैल, 1999 को चोरी हो गई थी, जिसका पता अगले दिन चला। 90,234/– रुपए की नगदी और 82,59,278/– रुपए मूल्य के आभूषणों की चोरी हुई थी। हालांकि बीमा करवाया गया था, परन्तु बीमा कंपनी ने दावा निपटाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पुलिस द्वारा की गई जांच–पड़ताल में यह पाया गया कि इस घटना में पीएसीएस का एक निदेशक शामिल था। पीएसीएस और डीसीसीबी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है।

शहरी बेरोजगारी

663. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही बेरोजगारी के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयु वर्ग तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर शहरी बेरोजगारी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पुनर्नियोजन सहायता और कौशल विकास के लिए किसी योजना की घोषणा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) आवासन और शहर गरीबी उपशमन मंत्रालय ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

योजना आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में समग्र बेरोजगारी तथा युवाओं (15–19, 20–24 तथा 25–29 आयु वर्ग) के बीच बेरोजगारी की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय पहले

से ही अखिल भारत आधार पर दिनांक 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर गरीबी रेखा से नीचे के शहरी गरीबों के लिए है तथा इसका उद्देश्य (i) शहरी गरीबों द्वारा स्व–रोजगार उद्यम स्थापित किए जाने को प्रोत्साहित करके (ii) सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभप्रद सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है।

विवरण

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति (%)*

(सी डी एस के आधार पर)

आयु वर्ग	बेरोजगारी की स्थिति		
	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति
15–19	19.0	18.0	19.0
20–24	17.1	25.9	18.5
25–29	10.3	13.1	10.7
15–29	14.7	19.1	15.4
सभी आयु वर्ग	7.30	9.40	7.70

* बेरोजगार श्रमशक्ति का प्रतिशत

विदेशी कारों का अवैध आयात

664. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री देविदास पिंगले :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में विदेशी कारों के अवैध आयात के मामले आए हैं जैसा कि दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005–06 के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय ने 38.53 करोड़ रु. मूल्य के अवैध रूप से आयातित 113 विदेशी कारों को जब्त किया था जिसमें 20.41 करोड़ रु. का सीमा शुल्क शामिल था।

(ग) जांच पूरी होने के बाद अपवंचित शुल्क की मांग, आयातित वाहनों की जब्ती तथा जिस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध है उस पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

राज्यों में विधान परिषद की स्थापना

665. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विधान परिषद की स्थापना हेतु किन–किन राज्यों ने प्रस्ताव रखा है;

(ख) विधेयकों को पुरःस्थापित किए जाने से पूर्व यदि संबंधित राज्यों द्वारा किन्हीं खामियों को दूर करने और अपेक्षाओं की आवश्यकता हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) इन विधेयकों को कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) असम राज्य ने, असम की विधान सभा में तारीख 29 नवम्बर, 2005 को पारित एक संकल्प के द्वारा अपने विधानमंडल में विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव किया था। अब, 27 अक्टूबर, 2006 को असम सरकार से इस विषय में उसके विचार और ऐसे स्थानीय निकायों की विशिष्टियां प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है जो प्रस्तावित विधान परिषद के घटक होंगे। तथापि, केन्द्रीय सरकार को अभी तक असम की सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

डी डी ए अधिकारियों के विरुद्ध जांच

666. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के बहुत से अधिकारी प्रापर्टी डील का कार्य कर रहे हैं और वे डी डी ए से जुड़े कार्य कराने के लिए कमीशन लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि उन्हें एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उनके दो अधिकारी सम्पत्ति के लेन–देन के कार्यकलाप कर रहे हैं।

(ख) से (घ) डीडीए ने यह भी बताया है कि शिकायत की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान उच्च न्यायालय

667. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए भूमि आबंटित की गई है;

(ग) उच्च न्यायालय के नए भवन का निर्माण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पीएफसी में सरकारी शेयर बेचना

668. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) का 5 प्रतिशत सरकारी शेयर बेचने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कंपनी को सार्वजनिक पेशकश करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) पावर फाइनैन्स कारपोरेशन ने पश्चात् निर्गम पेशकश के 10.22% का सार्वजनिक पेशकश प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

भारत का क्षेत्रफल कम होना

669. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का क्षेत्रफल प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर कम होता जा रहा है तथा आज से 200 मिलियन वर्षों के बाद भारत विलीन हो जाएगा जैसा कि 10 सितम्बर, 2006 के दैनिक 'दि हिन्दुस्तार टाइम्स' (दिल्ली संस्करण) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धान्त के अनुसार महासागरों में मध्य सागरीय रिज प्लेटों में मात्रा वृद्धि करते रहते हैं। बाहरी सतह में संवहन धाराओं के साथ यह प्रक्रिया ग्लोब में सभी प्लेटों के एक दूसरे से खिसकने का कारण बनती है। प्लेटों के खिसकने के कारण टकराव और कटाव होता है जिससे एक प्लेट दूसरे प्लेट के भीतर चली जाती है।

यह प्रक्रिया स्थलाकृति निर्माण और भूकंपों के लिए उत्तरदायी है। भारतीय प्लेट उत्तर में यूरेशियाई प्लेट पर 2 से भी प्रतिवर्ष की दर से दबाव डाल रही है। ऐतिहासिक अभिलेखों से यह पता चला है कि पहले भारतीय प्लेट की गति कभी भी एकसमान नहीं रही और पिछले 100 मिलियन वर्षों में यह धीमी हो गई। यह मानते हुए कि प्लेट गति की मौजूदा 2 से.मी. प्रतिवर्ष है यह कहना एक तरफा है कि भारत 200 मिलियन वर्षों में लुप्त हो जाएगा क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की गतिकी अत्यंत जटिल है। तथापि, मौजूदा प्लेट गति इस दीर्घ समय मान अर्थात् 200 मिलियन वर्षों तक जारी नहीं रह सकती है।

(ग) और (घ) प्लेट टेक्टोनिक्स, भूकंप की घटना की मूल अवधारणा है। भूकंप वैज्ञानिक प्लेट गति का अध्ययन करते हैं और भूकंप की घटना की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है। प्लेट की दर का सूचित आकलन काफी समय से ज्ञात है और यह पूर्व निष्कर्षों के समनुरूप हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्लेट गति का अध्ययन करने तथा देश के विभिन्न भूकंपी क्षेत्रों की प्लेट गति का अध्ययन करने हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में सहायता करने के लिए देश भर में 41 स्थायी जी पी एस स्टेशनों की स्थापना की है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4958/06]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2006 जो 29 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 602 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4959/06]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत वर्ष 2005–2006 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4960, 4961, 4962, 4963/06]

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) वर्ष 2005–2006 के लिए इलाहाबाद बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4964/06]

(दो) वर्ष 2005–2006 के लिए यूको बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4965/06]

(तीन) वर्ष 2005–2006 के लिए यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4966/06]

(चार) वर्ष 2005–2006 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4967/06]

(पांच) वर्ष 2005–2006 के लिए सिंडिकेट बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4968/06]

(छह) वर्ष 2005–2006 के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4969/06]

(सात) वर्ष 2005–2006 के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4970/06]

(आठ) वर्ष 2005–2006 के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4971/06]

(नौ) वर्ष 2005–2006 के लिए केनरा बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4972/06]

(दस) वर्ष 2005–2006 के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4973/06]

(ग्यारह) वर्ष 2005–2006 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4974/06]

(3) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का. आ. 1225 (अ) जो 31 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक और कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक के समामेलन के बारे में है।

(दो) का. आ. 1234 (अ) जो 1 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चन्द्रपुर गडचिरोली ग्रामीण बैंक और बंडारा ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(तीन) का. आ. 1384 (अ) जो 31 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधियमन ग्राम बैंक और वल्लालर ग्राम बैंक के समामेलन के बारे में है।

(चार) का. आ. 60 (अ) जो 3 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अवध ग्रामीण बैंक, बाराबंकी ग्रामीण बैंक और फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 4975/06]

(4) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (11) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) का. आ. 1644 (अ) जो 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यूनाईटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना के संबंध में 3 अक्तूबर, 2006 को तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(दो) यूनाईटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2006 को 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1645 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) का. आ. 1396 (अ) जो 1 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गणेश बैंक आफ कुरूंडवाड लिमिटेड के फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना के संबंध में 2 सितम्बर, 2006 को तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(चार) का. आ. 85 (अ) जो 24 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गणेश बैंक आफ कुरूंडवाड लिमिटेड के फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना के संबंध में 25 जनवरी, 2006 को तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(पांच) गणेश बैंक आफ कुरूंडवाड लिमिटेड (फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2006 जो 24 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 86 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 4976/06]

(5) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2006 जो 21 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 582 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4977/06]

(6) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 472 (अ) जो 10 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 496 (अ) जो 21 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 658 (अ) जो 20 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 664 (अ) जो 21 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 699 (अ) जो 14 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 2/2006–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 703 (अ) जो 15 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 4978/06]

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा.का.नि. 494 (अ) जो 21 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/1996–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 508 (अ) जो 28 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 513 (अ) जो 30 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या 85/2004–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 530 (अ) जो 1 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 72/2005–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 536 (अ) जो 6 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 545 (अ) जो 9 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 620 (अ) जो 5 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 657 (अ) जो 20 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 659 (अ) जो 23 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या

21/ 2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 696 (अ) जो 9 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रशिक्षण देने के प्रायोजन से नेशनल रायफल एसोसिएशन आफ इंडिया (एनआरएआई) द्वारा आयातित एयर रायफल्स/पिस्टल्स–0.117 कैलीबर पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 4979/06]

(8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा.का.नि. 495 (अ) जो 21 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, और चीनी ताइपेई में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विनिर्दिष्ट पोलियस्टर यार्न पर छह माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 511 (अ) जो 29 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स जुनमा टायर कॉर्ड कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित नाइलोन टायर कॉर्ड फैब्रिक्स के आयात की प्रतिपाटन शुल्क से अनंतिम रूप से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 512 (अ) जो 29 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, चीन ताइपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विनिर्दिष्ट नाइलोन फिलामेंट यार्न पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 523 (अ) जो 31 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भुत अथवा वहां से निर्यातित पैरासिटामोल के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 5 सितम्बर, 2007 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 539 (अ) जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 120/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 540 (अ) जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत सेलफोन ट्रांसपैरेंट फिल्म के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 543 (अ) जो 8 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या 73/2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 544 (अ) जो 8 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 102/2004–सी.शु. को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 550 (अ) जो 13 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सऊदी अरब, ईरान, जापान, अमरीका और फ्रांस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयात पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 551 (अ) जो 13 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 69/ 2001–सी.शु. को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 603 (अ) जो 29 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डी(–) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लीसीन बेस के

आयात पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर प्रतिपाटन शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 604 (अ) जो 29 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 122/ 2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 605 (अ) जो 29 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डी (–) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लीसीन मिथाइल पोटैशियम डेन साल्ट के आयात पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर प्रतिपाटन शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 606 (अ) जो 29 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 117/ 2003–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 622 (अ) जो 6 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, सिंगापुर और चीनी ताइपेई में उद्भूत अथवा वहां से भारत को निर्यातित काम्पैक्ट डिस्क–रिकॉर्डेबल्स (सीडी–आरएस) के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 625 (अ) जो 9 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बायस टायर्स के भारत में आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 628 (अ) जो 10 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 68/ 2005–सी.शु. को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 641 (अ) जो 16 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के आयात पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 642 (अ) जो 16 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या 114/ 2001–सी.शु. को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4980/06]

(9) 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :–

(एक) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4981/06]

(दो) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4982/06]

(तीन) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4983/06]

(चार) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4984/06]

(पांच) लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीतापुर

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4985/06]

(छह) कोरापुट पंचबटी ग्राम्य बैंक, कोरापुट

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4986/06]

(सात) फरीदकोट–भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4987/06]

(आठ) कलिंग ग्राम्य बैंक, कटक

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4988/06]

(नौ) अधियमन ग्राम्य बैंक, धर्मपुरी

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4989/06]

(दस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4990/06]

(ग्यारह) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4991/06]

(बारह) रतलाम–मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4992/06]

(तेरह) चिकमंगलूर–कोडागु ग्रामीण बैंक, चिकमंगलूर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4993/06]

(चौदह) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4994/06]

(पन्द्रह) उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4994/06]

(सोलह) ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4995/06]

(सत्रह) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4997/06]

(अठारह) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4998/06]

(उन्नीस) वल्लालर ग्राम्य बैंक, कुड्डालोर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4999/06]

(बीस) मयुराक्षी ग्रामीण बैंक, बीरभूम

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5000/06]

(इक्कीस) बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलंगीर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5001/06]

(बाईस) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5002/06]

(तेईस) मल्लाभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5003/06]

(चौबीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5004/06]

(पच्चीस) श्री अनंत ग्रामीण बैंक, अनंतपुर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5005/06]

(छब्बीस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5006/06]

(सत्ताईस) का बैंक नौंगकिंदोंग री खासी जयंतिया, शिलांग

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5007/06]

(अठाईस) सागर ग्रामीण बैंक, कोलकाता

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5008/06]

(उनतीस) अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, इटानगर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5009/06]

(तीस) बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5010/06]

(इकतीस) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5011/06]

(बत्तीस) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कडापा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5012/06]

(तैंतीस) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5013/06]

(चौंतीस) नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5014/06]

(पैंतीस) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5015/06]

(छत्तीस) कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक, गुडिवाडा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5016/06]

(सैंतीस) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पलामू

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5017/06]

(अड़तीस) जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5018/06]

(उनतालीस) बड़ौदा इस्टर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5019/06]

(चालीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5020/06]

(इकतालीस) बर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्धवान

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5021/06]

(बयालीस) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5022/06]

(तैंतालीस) कामराज ग्रामीण बैंक, कश्मीर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5023/06]

(चवालीस) अलकनंदा ग्रामीण बैंक, पौड़ी

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5024/06]

(पैंतालीस) इल्लाक्वै देहाती बैंक, श्रीनगर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5025/06]

(छियालीस) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5026/06]

(सैंतालीस) संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5027/06]

(अड़तालीस) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5028/06]

(उनचास) औरंगाबाद–जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5029/06]

(10) 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समेकित समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5030/06]

अपराह्न 12.02 बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति
16वां और 17वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) "शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2006" संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन*।

(2) "राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006" संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.2½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति
192वां और 193वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) डालमिया दादरी सीमेंट (उपक्रमों का अर्जन और अंतकरण) संशोधन विधेयक, 2006 के बारे में 192वां प्रतिवेदन।

(2) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) की अधिशेष परिसंपत्तियों को मुक्त करने तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) की अनुषंगी इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए संसाधनों का सृजन करने तथा उनकी स्थिति: एचएमटी लिमिटेड का केस अध्ययन के संबंध में समिति के 178वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई के संबंध में समिति का 193वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से सोमवार, 27 नवम्बर, 2006 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित करने की घोषणा करता हूं।

(1) आज की कार्यसूची से बचे हुए सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार करना।

(2) जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार तथा पारित करना।

(3) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2006, राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विचार तथा पारित करना।

---

*सभा सत्र में न होने के कारण माननीय अध्यक्ष को प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 71क के अंतर्गत 20 सितम्बर, 2006 को प्रस्तुत किया गया।

(4) "पंचायतों की स्थिति–मध्यावधि संवीक्षा एवं आकलन" शीर्षक वाले प्रतिवेदन पर चर्चा।

(5) केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2006, राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विचार तथा पारित करना।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : महोदय, अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को विचार हेतु सम्मिलित किया जाए :–

1. ललितपुर–सिंगरौली रेलवे लाइन जो कि पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है, रेल मंत्रालय के उदासीन रवैये के कारण इस परियोजना की लागत में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। यह क्षेत्र देश का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। अतः इसको रेल लाइन से शीघ्र से शीघ्र जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि रेल मंत्रालय द्वारा परियोजना को शुरू करने के लिए तुरन्त कम से कम 100 करोड़ रुपए का आबंटन किए जाने की आवश्यकता है।

2. केंद्रीय पुल से मध्य प्रदेश को आबंटित बिजली की कटौती किए जाने से प्रदेश में जहां बिजली की भारी कमी हो गई है, वहीं प्रदेश का किसान, व्यापारी तथा अन्य वर्ग काफी प्रभावित हो रहा है। किसानों को गेहूं की फसल के लिए सिंचाई आदि में भारी कठिनाई आ रही है। अतः केंद्र द्वारा की गई मध्य प्रदेश के हिस्से की बिजली की कटौती को तुरंत बहाल किए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए :–

(1) केरल तथा तमिलनाडु के मध्य मुल्लीपेरियार बांध में जल स्तर विवाद को हल करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप।

(2) किसानों द्वारा आत्महत्याएं रोकने के लिए उन्हें ऋण राहत प्रदान करने के संबंध में केन्द्रीय विधान लाना।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढारपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए :–

पूरे देश में भगवान गौतम बुद्ध की 2550वीं जयन्ती को धूमधाम के साथ मनाए जाने के साथ–साथ इस शुभ अवसर पर उनकी याद में राजधानी दिल्ली में बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय के नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने से संबंधित विषय।

राजधानी दिल्ली स्थित–26–अलीपुर रोड स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक संग्रहालय के रुप में विकसित किए जाने से संबंधित विषय।

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मदों को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए:–

1. अल्पुजाह में वेक्टर जनित रोगों जैसे चिकुनगुनियां, डेंगू बुखार, जापानी बी. एन्सेफिलाइटिस, फाइलेरिया तथा मलेरिया की निगरानी तथा नियंत्रण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता तथा राज्य टायरोलोज़ी तथा संचारी रोग संस्थान को और सुदृढ़ किया जाना।

2. सीमा सड़क संगठन के ड्राइवर, स्वर्गीय आर. मनिअप्पन, जिनकी अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा अपहरण तथा यातना देकर हत्या कर दी गयी थी, की विधवा को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दिए जाने के संबंध में तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा सभा में दिए गए आश्वासन को पूरा करना।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए:

होशियारपुर रेलवे लाइन जो आजादी के पहले की बनी है, उसका विस्तार ऊना, फगवाड़ा और टांडा के साथ जोड़ा जाए।

मेडिकल सुविधाओं के मामले में होशियारपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोला जाए।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:

1. आवश्यक वस्तुओं के दाम दिन–प्रति–दिन बढ़ रहे हैं। सरकार ने इसें नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में शीघ्र कमी की जाए क्योंकि इनकी अंतरराष्ट्रीय कीमतों में, कमी दर्ज की गयी है। इन उत्पादों की कीमत में तत्काल कमी की जानी चाहिए। जिससे कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी लायी जा सकें।

2. असंगठित श्रमिकों, जैसे बीडी श्रमिक, निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूर रिक्शा वाले, कृषि मजदूर, मटिया मजदूर, ईट–भट्टों पर काम करने वाले मजदूर, खान मजदूर, बंदरगाहों पर काम करने वाले मजदूर, बस ड्राइवर तथा कंडक्टर, दुकान पर काम करने वाले मजदूरों को भविष्य निधि तथा पेंशन का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए जिससे कि इन क्षेत्रों से जुड़े श्रमिक आत्महत्या न करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसी आपकी आज्ञा है कि डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए, केवल मात्र विषय पढ़ना चाहिए। मैं उसी आज्ञा का पालन करते हुए संसद की आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने के लिए आग्रह करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सब को आपकी बात फॉलो करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब मैम्बर्स आपकी इस बात को फॉलो करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, पहला, राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

दूसरा, सवाई मानसिंह अस्पताल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा दिया जाए।

तीसरा, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह) : झारखंड राज्य स्थित बोकारो जिलान्तर्गत सी.सी.एल. के अधीन 1183 (एक हजार एक सौ तिरासी) एकड़ जमीन सरकार द्वारा कोयला उत्खन्न हेतु कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.07.1983 के तहत मकान सहित 276 लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। भूमि अधिग्रहण के पश्चात् भूमि अधिग्रहण नियमानुसार ग्राम अमलो तथा कारो के 922 एकड़ के भूस्वामियों को जमीन के बदले किसी प्रकार का मुआवजा/नौकरी/पुनर्वास अभी तक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। सदन के माध्यम से हमारी मांग है कि अधिग्रहित जमीन के बदले संबंधित भूस्वामियों को नौकरी दिलाई जाए तथा शेष लोगों को पुनर्वास आदि अविलम्ब भुगतान कराया जाए।

(2) झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य कराए जा रहे हैं, इसमें पक्का काम बहुत कम होता है, जिससे कोई परिसंपत्ति तैयार नहीं हो पा रही है, साथ ही पूर्व में 20:30 प्रतिशत एवं जिला आयोग की राशि से जो काम किया जा रहे थे और जो योजना अधूरी रह गई है, सरकारी राशि भी व्यय हो चुकी है किन्तु योजना पूर्ण नहीं होने से राशि बेकार हो गई है। अतः हमारी सरकार से सदन के माध्यम से मांग है कि अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु सरकार तत्काल दिशा एवं नीति जारी करे।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : देश में मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में भीषण बाढ़ में कृषि – किसानों को नुकसान, सड़कों की क्षति तथा सूखे के कारण हुई अभाव की स्थिति को पार करने के लिए केन्द्रीय क्षति आकलन के अनुरूप केन्द्रीय आपदा राहत कोष से अनुदान सहायता दी जाए तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रेरित फसल बीमा इकाई को पटवारी हल्का नम्बर इकाई को स्वीकृति दी जाए।

(2) केन्द्र सरकार देश में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति निरन्तर हो रहे उत्पीड़न, अन्याय–अत्याचार से सुरक्षा देने के लिए सुनिश्चित कार्य योजना बनाएं तथा इन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाकर सामाजिक समता तथा सामाजिक समरसता–एकात्मकता स्थापित करने के प्रभावी उपाय करें।

[अनुवाद]

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लोक सभा में आगामी सप्ताह के लिए कार्य सूची में रेल मंत्रालय से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों को उठाने की अनुमति प्रदान की जाए:–

1. माननीय रेल मंत्री ने पिछले रेल बजट में पालनपुर भुज से होते हुए बरेली तक सप्ताह में तीन बार एक सीधी रेल गाड़ी आरम्भ करने की घोषणा की थी। परन्तु रेलवे ने अभी तक यह रेल गाड़ी आरम्भ नहीं की है। यह रेल गाड़ी शीघ्र आरम्भ की जानी चाहिए।
2. भिलादी तथा समदरी के मध्य आमान परिवर्तन में तेजी लायी जाए तथा यह कार्य शीघ्रतिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

अपराह्न 12.12 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

चीन के राजदूत द्वारा अरूणाचल प्रदेश पर की गयी कथित टिप्पणी के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम, प्रश्न काल के पश्चात् अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को उठाएंगे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, विपक्ष के नेता बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं सभी माननीय सदस्यों

को यथा सम्भव बोलने का अवसर प्रदान करने का प्रयास करूंगा। हम सभी एक निश्चित तरीके से सहमत हुए हैं। इसलिए, कृपया, अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग करें। सभा में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चार दिन पूर्व चीन के राष्ट्रपति जी भारत आए थे और कल तक वे भारत में थे। उनके आगमन के अवसर पर उनके राजदूत ने ऐसा वक्तव्य दिया जिसके कारण अरूणाचल प्रदेश के लोगों और देश की अखंडता तथा एकता के लिए प्रतिबद्ध पूरी जनता को बहुत दुःख हुआ। इन लोगों को धक्का लगा क्योंकि कभी भी पूर्व काल में इस प्रकार का महत्वपूर्ण यात्रा के पूर्व ऐसा वक्तव्य नहीं हुआ। जब मुझे स्वयं राष्ट्रपति जी से मिलने का अवसर मिला तब भी मैंने कहा और मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं प्रशंसा करता हूं कि जिस प्रकार भारत और चीन के संबंधों में विगत वर्षों में सुधार होता रहा है इसमें एक कंन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर यह रहा है कि कभी भी चीन की ओर से या हमारी ओर से यह नहीं कहा गया है कि यह कोर इश्यू है और जब तक कोर इश्यू तय नहीं होता तब तब बाकी बातों में नॉर्मलसी नहीं हो सकती। इस कारण सीमा विवाद रहते हुए भी हम बाकी मामलों में आगे प्रगति करते गए।

मैं मानता हूं कि उनकी इस बार की यात्रा से भी उस मामले में लाभ हुआ है। वित्त मंत्री यहां बैठे हैं, सदन के नेता बैठे हैं, आजकल वह विदेश मंत्री हैं और इसीलिए मैंने इस ढंग से कहा कि हमें आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार का वक्तव्य कैसे आया कि अरूणाचल भी चीन का हिस्सा है। इसी कारण मैंने कल के लिए यही नोटिस दिया था कि मैं सदन में यह बात उठाना चाहता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि इस प्रकार का वक्तव्य कभी भी आये तो अरूणाचल की जनता के संतोष के लिए और देश भर की जनता को भी आश्वस्त करने के लिए न केवल सरकार को उसका प्रतिवाद करना चाहिए, बल्कि सदन को भी उसका प्रतिवाद करना चाहिए।

उसके बाद मुझे सरकार की ओर से कहा गया कि अभी एक दिन है, वैसे कल वह मुम्बई में थे, इसलिए अगर इसे कल न उठाया जाए तो उचित होगा। प्रोपराइटी बात है, लेकिन मैं उसे मानने के लिए तैयार था, मुझे उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। लेकिन मैंने सरकार के सामने अपनी यह इच्छा रखी कि स्पीकर साहब को कह सकता हूं कि मैं आज इसका प्रश्न नहीं करता हूं, क्योंकि यह सरकार की इच्छा है कि उनके यहां होते हुए यह बात न रखी जाए। लेकिन मैं इस शर्त पर जोर नहीं दूंगा, अगर सरकार इस बात के लिए तैयार होगी कि पूरा सदन एक संकल्प करे कि अरूणाचल भारत का अभिन्न अंग है। जिस मंत्री महोदय से मैंने बात की, वे संसदीय कार्य मंत्री अभी यहां नहीं हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करके आप तक बात पहुंचाऊंगा। लेकिन उसके बाद उनसे कोई बात नहीं हुई और कल यह मामला नहीं उठा, क्योंकि और बातों के कारण सदन आगे नहीं चल सका।

मैं आपका आभारी हूं कि आज आपने मुझे इस बात को उठाने का अवसर दिया। मैं इस संदर्भ में दो–तीन छोटे–छोटे सवाल पूछकर अपनी बात खत्म करूंगा। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री की चीनी राष्ट्रपति जी से जो बातचीत हुई है और समझौते हुए हैं, उनके बारे में जब कभी वक्तव्य देंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। इस समय इस प्रश्न को उठाने का मेरा उद्देश्य मुख्य रुप से अरूणचल के सवाल से संबंधित है और मैं मानता हूं कि ऐसे अवसरों पर उस क्षेत्र की जनता के बारे में जरूर सोचना चाहिए। संयोग ऐसा है कि उस क्षेत्र से निर्वाचित लोक सभा के दोनों सदस्य हमारी पार्टी के हैं और उन्होंने कल सार्वजनिक रूप से इस बात पर चिंता प्रकट की कि इस का प्रतिवाद क्यों नहीं होता। इस मामले में हमारा चीन से जो सीमा विवाद है, उसको मैं इस सवाल से कुछ अलग करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 8 नवम्बर, 1962 को इस सारे चीनी आक्रमण के सवाल को लेकर उस समय इमर्जेन्सी लागू की गई थी। उस सवाल को लेकर तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो बात अरूणाचल के संदर्भ में कही, उसका भाषण मेरे पास है। मगर मैं कुछ हिस्सा सदन के सामने उद्धत करना चाहूंगा। बाकी उनका बहुत लम्बा भाषण था। उन दिनों अरूणाचल प्रदेश राज्य अलग नहीं बना था अंग्रेजों के समय से उसे 'नेफा' कहते थे – नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेन्सीज। नेफा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चीन के लोग आरोप लगाते हैं कि हमने उस पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा

[अनुवाद]

"उन्होंने कभी–कभी इस बात पर जोर दिया कि नेफा के इस क्षेत्र पर अथवा इसके बड़े भाग पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से कब्जा किया हुआ है।"

[हिन्दी]

अर्थात भारत जब स्वतंत्र हुआ, उसके बाद इन्होंने इस पर कब्जा किया है। जैसे मानो कि पहले जब यहां अंग्रेजों का राज था, तब यह भारत का हिस्सा नहीं था, भारत के स्वतंत्र होने के बाद हमारी सरकार ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में इसे आकुपाई किया है। यह एक आक्षेप है। मैं सीमा विवाद पर जो हमारे मतभेद हैं, उनको अलग करके रखता हूं क्योंकि पंडित जी ने स्वयं कहा था यह एक विलक्षण वक्तव्य है। लेकिन यह अजीब बात है, हमने कब्जा किया है। उन्होंने पहले मैकमोहन लाइन का उल्लेख करते हुए कहा था कि 1913–14 से यह माना जाता था कि हिमालय वॉटरशैड जो है, वही हमारी भारत और चीन के बीच की सीमा है और सन 1913–14 से लेकर वही भारत का

हिस्सा थी। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है जिसके साथ स्वाभाविक रूप से अरूणाचल प्रदेश के लोग जुड़े होंगे। पंडित जी ने कहा कि

[अनुवाद]

"इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने एक कार्य किया। स्वाभाविक रूप से हम चाहते थे कि इन सीमांत क्षेत्रों के जनजातीय लोग हमारी स्वतंत्रता के भागीदार बनें अंग्रेजी शासन ने उन्हें उनके संसाधनों पर ही छोड़ दिया था वे केवल समस्या की स्थिति में ही हस्तक्षेप करते थे।"

[हिन्दी]

अंग्रेजों के शासन के समय इस क्षेत्र में रहने वाले जो ट्राईबल्स थे, ये अपने–अपने रिसोर्सेज से जो करें, वह करने दें, अंग्रेज उसमें कुछ नहीं करता था। वहां अगर कोई समस्या पैदा होती थी तब अंग्रेज थोड़ा हस्तक्षेप करता था।

[अनुवाद]

"परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अंग्रेज अपनी सीमाओं को मैक मोहन रेखा समझते थे। वहां पर उनका पूर्ण रुपेण प्रशासनिक तंत्र नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम इन क्षेत्रों को भी उसी प्रकार विकसित करने के उत्सुक थे जैसे हम भारत के अन्य क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए हमने वहां न केवल अपना प्रशासन आरम्भ करने का प्रयास किया बल्कि..."

[हिन्दी]

अंग्रेजों ने तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्ट्रक्चर नहीं रखा। हम न केवल प्रशासन वहां पर लाये,

[अनुवाद]

"हमने वहां न केवल अपना प्रशासन आरम्भ किया बल्कि वहां स्कूल, अस्पताल, सड़कें आदि का भी निर्माण कराया। इसे ही चीन के लोग उस क्षेत्र पर हमारा कब्जा बता रहे हैं।"

[हिन्दी]

अर्थात जो हमने वहां पर जनता का विकास और कल्याण करने की कोशिश की, उसे ही वे हमारा कब्जा करना कहते हैं, ऑक्यूपेशन कहते हैं। इस संदर्भ में मुझे लगा कि इस प्रकार का बयान अगर किसी चीनी प्रवक्ता की तरफ से आता है, तो शिष्टाचार के कारण हम चुप रहें, यह कोई ठीक बात नहीं है। हमें इसका प्रतिवाद करना चाहिए और इसीलिए मेरा पहला प्रश्न विदेश मंत्री जी से होगा कि हमारी जितनी भी बातचीत हुई और सभी लोगों ने बातचीत की, प्रधान मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक सब लोगों ने बातचीत की, इस अरूणाचल के सवाल को चीनी राष्ट्रपति जी से उठाया या नहीं उठाया, यह मैं जानना चाहता हूं।

दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्वकाल में अगर कोई भी डिप्लोमेट, कोई भी एम्बैसडर ऐसा कोई काम करता है जो अनुचित माना जाता है, जो लगता है कि यह ठीक नहीं है तो क्या इस बार यहां पर जो चीनी राजदूत हैं, उनके वक्तव्य देने के बाद विदेश मंत्रालय ने उसका नोटिस लेकर, उन्हें बुलाकर क्या इस बात के लिए भर्त्सना की कि यह वक्तव्य आपको नहीं देना चाहिए था। यह गलत था। मेरे ये दो प्रश्न हैं जिनका मैं विदेश मंत्री जी से उत्तर चाहूंगा। पहला यह कि किसी प्रमुख मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने या आपने उनसे क्या इस संदर्भ में सवाल उठाया। दूसरा सवाल कि राजदूत ने जो वक्तव्य दिया, उसका नोटिस भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने लिया कि नहीं लिया और लिया तो फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वह भी बताएं। इसके अलावा एक वहीं मांग है कि आज मैं विश्वास करता हूं कि मंत्री जी जरूर कहेंगे कि हम अरूणाचल को भारत का हिस्सा मानते हैं लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई है, खासकर यहां चीन के राष्ट्रपति जी आए हैं, चार दिन रहे हैं और इस विषय में देश ने तथा संसद ने कुछ नहीं कहा है।

अध्यक्ष जी, सदन की ओर से मेरी यह मांग है कि उपयुक्त यही होगा कि यहां इस प्रकार का एक संकल्प हो, जिसमें भूमिका के रूप में यह बात कही जाये या न कही जाये, यह मैं सरकार पर छोड़ता हूं। मैं यह समझता हूं कि उपयुक्त यही होगा कि संकल्प यह कहे:

[अनुवाद]

हाल ही में चीनी प्रवक्ता द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए यह सदन अभिपुष्टि करता है कि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है।

[हिन्दी]

लेकिन उस पहली प्रस्तावना या भूमिका में अगर सरकार को दिक्कत होती है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, केवलमात्र हम सदन में इस मत के नाते इसे अफर्म करें लेकिन मैं समझता हूं कि :

[अनुवाद]

अभी तक विभिन्न प्रवक्ताओं द्वारा जो धारणा बनाई गई है यह उसकी उचित प्रतिक्रिया होगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं यह भी मांग करूंगा कि चीनी राष्ट्रपति के यहां पर जो बातचीत हुई है, उसके बारे में विदेश मंत्री बयान दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसे ही सूचनाएं अन्य अनेक दूसरे माननीय सदस्यों से मिली हैं। मैं उनके नामों का उल्लेख करूंगा। श्री बृज किशोर त्रिपाठी, श्री कीरेन रिजीजू, डा. अरूण कुमार शर्मा, श्री प्रभुनाथ सिंह, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री किरिप चालिहा। केवल उनके नाम ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किए जाएंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, अरूणाचल प्रदेश के सांसद को बोलने का चांस दें।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप वेट करिये कि मैं मौका देता हूं या नहीं?

[अनुवाद]

मैं केवल उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं जिन्होंने सूचना देने का कष्ट किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, आप अधीर हो रहे हैं। मैं नहीं जानता क्यों?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, दो–दो मिनट दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : एक ही बात है। आपके लीडर ऑफ दी अपोजीशन बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : आपको दो–तीन मिनट की अनुमति देनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप विपक्ष के नेता का समर्थन कीजिए। आपको स्वयं को उनसे सम्बद्ध करना होगा। जैसी कि हम उनसे आशा करते हैं उन्होंने विस्तार से बोला है।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : कृपया मुझे अनुमति दीजिए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूरा मुद्दा उठाया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप लोगों ने यह बात सोची है कि बोलने के लिए नोटिस देना चाहिए था।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में चीनी राजदूत द्वारा अरूणाचल प्रदेश के बारे में तोड़–मरोड़कर दिया गया वक्तव्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रामाणिक है। अरूणाचल प्रदेश भारत का अखण्ड और अहस्तांतरणीय भाग है। सरकार को भी इसे स्पष्ट करना चाहिए। मैं विपक्ष के नेता की मांग का समर्थन कर रहा हूं। इस सभा को आम सहमति से संकल्प पारित करना चाहिए। यदि यह आवश्यक है तो सरकार को इस तरह के संकल्प के साथ आगे आना चाहिए। ऐसा संकल्प स्वीकृत करना सभा के लिए अनिवार्य है। *...(व्यवधान)* यह भी खेदजनक है कि भारत सरकार ने इस वक्तव्य पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह यह कह चुके हैं आप विपक्ष के नेता से सम्बद्ध हैं *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : यह कैसे हो रहा है? जब एक विदेशी उच्च पदाधिकारी हमारे देश में आ रहे हैं? पहले भी ऐसा हो चुका है। कुछ दूसरे राजदूतों ने भी ऐसी टिप्पणियां की थीं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : अब चीनी राजदूत ने भी ऐसी ही टिप्पणी की है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें।

श्री कीरेन रिजीजू।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या यह हमारी नरमी या कमजोरी या अच्छाई है कि हम खामोश रह रहे हैं? उन्हें उचित व्यवहार करना चाहिए। वे विदेशी उच्च पदाधिकारी हैं। वे हमारे मेहमान हैं। वे हमारे ही देश की भूमि पर हैं। वे हमें अपमानित और शर्मिंदा कर रहे हैं। हम इसे कैसे सहन करेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे मेहमानों ने एसा नहीं किया था कृपया ऐसा नहीं करें। चीनी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं कहा था।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : मैं चीनी राष्ट्रपति महोदय का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं केवल भारत में चीनी राजदूत का जिक्र कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चीनी राजदूत हमारे मेहमान नहीं हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : जब हमारे चीन के साथ अच्छे रिश्ते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कीरेन रिजीजू।

कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी, अवसर का दुरूपयोग मत कीजिए। हमने हमेशा ही वक्तव्य के साथ सम्बद्ध करने की प्रणाली विकसित की है। दोहराने से कोई फायदा नहीं है। कृपया दोहराइए मत। मुझे खेद है। यह उचित नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता द्वारा एक–एक वाक्य कहा गया है। श्री त्रिपाठी, मुझे बहुत अफसोस है। आपका व्यवहार मेरे प्रति उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : जब अपने ही देश के बारे में कोई टिप्पणी की जा रही हो तो सरकार को भी कड़ा रूख अपनाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कार्यवाही में और कुछ भी सम्मिलित न करे।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है आप उसी को दोहरा रहे हैं। इससे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रतिपक्ष के नेता ने जो बातें पहले ही कहीं हैं केवल उनके दोहराने मात्र से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। यदि आपके पास कोई अन्य बात हो तो उन्हें कहिए।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम) : मैं इस सदन की मर्यादा का ध्यान रखते हुए और दोनों देशों के संबंधों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक दो बातें कहना चाहता हूं। माननीय आडवाणी जी ने स्पष्ट तौर पर विस्तार से बात कही है। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बातें कही गई हैं कि अरूणाचल हिन्दुस्तान का हिस्सा है। हमने कभी भी यह नहीं कहा है कि यूपी भारत का हिस्सा है, केरल भारत का हिस्सा है, हरियाणा भारत का हिस्सा है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि अरूणाचल ही हिन्दुस्तान है और हिन्दुस्तान ही अरूणाचल है। इसको कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मैं इस सदन में इस भावना को व्यक्त करते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि 1962 में हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जो कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान दी है, उसको भी याद रखना चाहिए। लता मंगेशकर ने वह गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी' गाया जब नेफा को ऑक्यूपाई किया, कितने लोगों ने अपनी जान दी, वह भी याद करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अरूणाचल प्रदेश की आज जो हालत है, उस समय 1962 की हालत और आज की हालत में ज्यादा फर्क नहीं है। पूर्वोत्तर और अरूणाचल के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था – मेरा दिल असम के लोगों के साथ है क्योंकि नेफा असम का हिस्सा था। वह छोड़ चुके थे, हार चुके थे लेकिन मैं यह बात कहना चाहूंगा कि अरूणाचल की जनता देश के प्रति अपना प्रेम, देश के प्रति अपना जो प्यार है, उसी के कारण आज अरूणाचल की जनता कभी यह नहीं कहती कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं।

कुछ लोग कहते हैं लेकिन उन राज्यों को कोई नहीं मांग रहा है, अरूणाचल प्रदेश को हमारा पड़ोसी देश मांग रहा है। फिर भी अरूणाचल की जनता आज गर्व से कहती है कि हम भारत से अलग होना नहीं चाहते हैं और यह सबसे शांतिप्रिय प्रदेश है। जिस हिसाब से भारत सरकार ने इसको नज़रअंदाज किया है, हमारी भावनाओं को, हमारे विकास को, वह ठीक नहीं है। आज मुद्दा विकास का नहीं है लेकिन विकास देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अरूणाचल एक सीमांत प्रदेश है। यह देश की रक्षा करता है। अरूणाचल के किसी किसी गांव में आज भी चार पांच दिन पैदल चलकर जाना पड़ता है। अभी भारत सरकार कहती है कि रास्ता देने के लिए उतनी जनसंख्या वहां नहीं है। ये सब बातें सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। इसमें हम कहते हैं कि सुरक्षा के मामले में जनसंख्या की बात न करें, वह हमारी टैरिटरी है। वहां विकास होना चाहिए। आज आडवाणी जी ने कहा, अरूणाचल की जनता आडवाणी जी के प्रति बहुत आभारी रहेगी कि इस मुद्दे को इस सदन में उठाया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अरूणाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को समझते हुए आडवाणी जी ने जो प्रस्ताव यहां पेश किया है, उसको सर्वसम्मति से पारित करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए। डा. शर्मा कृपया दोहराइए मत। यदि आपको कोई अतिरिक्त बात कहनी हो तो कहिए

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्यथा आप उसके साथ अपने को संबद्ध करें जो उन्होंने पहले ही कहा है। इस पर कोई वाद–विवाद नहीं हो सकता।

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, मैं अरूणाचल प्रदेश के लोगों, और इस सभा के साथ अपनी एक जुटता दर्शाने के लिए खड़ा हूं। यह केवल अरूणाचल प्रदेश की सीमा से जुड़ी समस्या नहीं है। यह देश की संप्रभुता का प्रश्न है। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस विषय पर पूरी सभा को एक संकल्प पारित करना चाहिए। विपक्ष के नेता ने जो कुछ कहा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं चीन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से कई अवसरों पर ब्रह्मपुत्र नदी के जलमार्ग को बदलने के लिए दावा किया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न यहां नहीं उठाना चाहिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। माफ कीजिए, इस अवसर का दुरूपयोग मत कीजिए। एक विशिष्ट विषय उठाया जा रहा था। आपका मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन आप इसे अन्य अवसर पर उठा सकते हैं।

डा. अरूण कुमार शर्मा : ठीक है, मैं नदी–जल के मार्ग में परिवर्तन का मुद्दा नहीं उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

डा. अरूण कुमार शर्मा : मैं पूरा सहयोग कर रहा हूं। यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है।

जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया था हमारी सेना को बाहर निकाला गया था और सेना को पीछे बुला लिया गया था, नोट जलाए गये थे और हमारे लोगों को भी बाहर निकाला गया था। इस प्रकार की स्थिति थी।

अध्यक्ष महोदय : हम केवल चीन के राजदूत के वक्तव्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं कहूं तो विपक्ष के माननीय नेता ने इसे उचित तरीके से उठाया है।

डा. अरूण कुमार शर्मा : महोदय, मैं न केवल असम के बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के कष्ट के बारे में कहना चाहता हूं कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी संसद सदस्यों ने सरकार का साथ देने का दृढ़ संकल्प लिया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रभुनाथ सिंह का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह दिए गए अवसर का दुरुपयोग है। मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री प्रभुनाथ सिंह का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। श्री प्रभुनाथ सिंह, क्या आप बोलना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हमें एक मिनट बोलना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए, आपका ही रिकार्ड होगा, इनका रिकार्ड नहीं होगा। इनका रिकार्ड होना बंद हो गया है, आप बोलिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, दोनों आदमी एक साथ कैसे बोलेंगे?

अध्यक्ष महोदय : इनका रिकार्ड नहीं होगा, आपका ही रिकार्ड होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. शर्मा जी, यह ठीक नहीं है। आपसे हमने बोला, रिकवेस्ट किया, चेयर का रिकवेस्ट आप लोग मानते नहीं हैं, एक ही बात बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

बहुत से मुद्दे उठाए जाने हैं। मेरे पास ऐसे माननीय सदस्यों की लम्बी सूची है। जिन्होंने महत्त्वपूर्ण मामले उठाने के लिए सूचनाएं दी हैं। मुझे बताया गया है कि सरकार उनका जवाब देगी। आपको ये सब बातें नहीं कहते रहना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। मैंने इसके महत्व को कभी कम नहीं आंका है मैं तो केवल कह रहा हूं कि जब यह मुद्दा उठाया जाए तो अन्य मामलों को बीच में मत लाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : डा. शर्मा, मुझे नहीं पता है कि आज आपको क्या हो गया है।

डा. अरूण कुमार शर्मा : महोदय, मैं तो केवल यह चाहता हूं कि सरकार को उसके बारे में तुरंत वक्तव्य देना चाहिए ताकि देश को भारत सरकार के दृष्टिकोण का पता चल सके।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे तीसरी बार दोहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय आडवाणी जी ने विस्तार से इस सवाल को रखा है, इसलिए इस पर हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम दो बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। एक राजदूत के इस तरह के बयान का मतलब यह लगता है कि चाइना के मन में क्या भाव है, वह उजागर हो रहा है। इससे निश्चित तौर पर अरूणाचल के लोगों के मन में गहरा दुख हुआ होगा। इसकी जितनी भी निन्दा की जाए, वह कम होगी, लेकिन हम एक बात से सरकार को सचेत करना चाहते हैं। इस समय चाइना से हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, इसकी सबको प्रसन्नता है, लेकिन इससे भी अच्छे रिश्ते उस समय थे, जिस समय पंडित जवाहर लाल नेहरु जी देश के प्रधान मंत्री थे। उस समय हिन्दी–चीनी, हिन्दी–चीनी भाई–भाई का नारा लग रहा था और उन नारों के बीच में 1962 में भारत के साथ धोखा हुआ। आप सचेत रहें, सरकार को सचेत रहना चाहिए, कहीं इस चाल में अपनी भावना को उजागर करके, कहीं हमें नुकसान पहुंचाने की चाल तो नहीं चली जा रही है।

हम आडवाणी जी के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे सवालों पर, जैसे मोहन सिंह जी ने कहा, इनका भी विचार जानना चाहिए। बसुदेव आचार्य जी और गुरूदास दासगुप्त जी के विचार भी जानने चाहिए, कि इन लोगों के भी विचार क्या हैं और इसे सदन में लाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसके लिए इन्तजार कीजिए। मैं अभी आपको नहीं बुला रहा हूं। उन व्यक्तियों को पहले बुलाया जाएगा जिन्होंने सूचनाएं दी हुई हैं।

[हिन्दी]

आप थोड़ा धीरज रखिए। आपने नोटिस भी नहीं दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री तापिर गाव (अरूणाचल पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने सदन में जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए मैं दो–तीन क्रोनोलोजिकल इवेंट्स इसके साथ में जोड़ना चाहता हूं। आडवाणी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, चाइनीज़ एम्बेसेडर ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो इस महीने का स्टेटमेट है, एक अप्रैल, 2005 को, जिस दिन चाइना के पी.एम. ने आना था, उस दिन भारत स्थित चीनी राजदूत ने स्टेटमेंट दिया कि अरूणाचल प्रदेश हिन्दुस्तान और चाइना की डिस्प्युटेड टेरेटरी है।

अध्यक्ष महोदय 20 अप्रैल को जब प्रधान मंत्री यहां रिपोर्ट दे रहे थे, उस समय मैंने आपके सामने उनसे पूछा था कि यह बताया जाए कि आज अरूणाचल कहां है, इस संबंध में वे कुछ बताएं, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। चीन के एम्बैसैडर ने, चीन के प्रेसीडेंट के यहां आने से पहले एक प्रैस–कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि अरूणाचल एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना है। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब यही कहेंगे कि बायलेटरल टॉक में हमने बायलेटरल बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए प्रस्ताव रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि अरूणाचल प्रदेश का इश्यू बाउंड्री डिस्प्यूट से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। इस एंटायर टैरीटरी को डिस्प्यूटेड क्लेम करना चायना की एक साजिश है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसका जवाब दें, तो उसमें इस साजिश का भी उल्लेख करें।

महोदय, मैं एक मिनट का समय और लेते हुए यह कहना चाहूंगा कि जिस समय दिल्ली में एशियन गेम्स चल रहे थे, उस समय हमारे अरुणाचल के कीरेन रिजीजू के संसदीय क्षेत्र के लोगों की ओर से लायन डांस का प्रजेंटेशन हुआ। उस समय चायना ने ऑब्जैक्शन किया और कहा कि यह चीन का डांस है। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया।

[अनुवाद]

वर्ष 1984 में देश के सभी अध्यक्षों के एक संसदीय शिष्टमंडल को बीजिंग का दौरा करना था। अरूणाचल प्रदेश विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री टी. एल. राजकुमार

[हिन्दी]

को चायना ऐम्बैसी ने वीजा देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल के निवासी बिना वीजा और पासपोर्ट के चायना जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। उस समय हमारे सारे डेलीगेट्स को उनके पासपोर्ट पर बिना मोहर लगाए वहां भेजा गया। उस समय भी हमारी हिन्दुस्तान गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद 1986 में जब तवांग की सुंदरसंग वैली में हैलीपेड पर चायना का कब्जा हुआ, तब हम लोगों ने, अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स ने यह मामला उठाया। उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बहुत से ऐसे क्रॉनौलौजीकल इवेंट्स हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसी समय स्टैप्स उठाने चाहिए, लेकिन नहीं उठाए।

महोदय, आज जिन इश्यूज पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह चायना गवर्नमेंट का एक टैस्टिंग पीरियड है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1914 में मिस्टर मैकमोहन, चायनीज रिप्रजेंटेटिव और तिब्बती रिप्रजेंटेटिव के साथ जो व्यवहार हुआ, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। पं. जवाहर लाल नेहरु, श्री कृष्णा मेनन और जनरल कौल के साथ 1962 में क्या हुआ, उसे भी मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इस समय मैं सिर्फ यही दोहराना चाहता हूं कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यहां जो प्रस्ताव रखा है कि हम इस देश के अरुणाचलवासियों के लिए इस सदन में एक प्रस्ताव लाएं, जिसे पं. जवाहर लाल नेहरु जी भी लाए थे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अरुणाचलवासी हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तानी ही रहेंगे।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। पहली यह कि 8 जनवरी, 1962 को इस हाउस में नेहरु जी के प्रस्ताव पर खड़े होकर यूनेनिमसली एक स्टेंडिंग रिजोल्यूशन पास हुआ। उसकी चार लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं–

[अनुवाद]

"आशा और विश्वास के साथ यह सभा भारत वासियों के इस दृढ़ संकल्प का समर्थन करती है कि भारत की पवित्र भूमि से आक्रमणकारियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहें यह लड़ाई कितनी ही लम्बी और कठिन क्यों न हो"

[हिन्दी]

आज इस प्रकार की बात होने के बाद, इसको नोटिस न लेना, ठीक नहीं है। जो रिजोल्यूशन उस समय संसद ने एक मत से पारित किया, उसका हम सभी को, इस सदन को और पूरे देश को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह एक कमिटमेंट है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि टैरीटरी को डिस्प्यूटेड कहना, एंटी नैशनल है और जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यह बात कही कि इस हाउस को इस संबंध में एक रिजोल्यूशन पारित करना चाहिए तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सी.पी.एम. के एक नेता ने यह कहा। ...*(व्यवधान)*...*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : गलत बयान मत दो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह सभा को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत से हटा दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने यह वक्तव्य दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तान्त से हटा दिया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है। अब मैंने श्री किरिप चालिहा का नाम पुकारा है। श्री खंडूड़ी कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आपको सैनिक अनुशासन का अनुपालन करना चाहिए।

श्री किरिप चालिहा की बात के अलावा कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : महोदय, सदन के दूसरे माननीय सदस्यों के साथ ही मैं भी चिंतित हूं और मैं भी चीनी राजदूत के वक्तव्य की निन्दा करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें भी बोलने का अधिकार है। उन्होंने नोटिस दिया है। मैंने आपके दल से सात माननीय सदस्यों का नाम पुकारा है।

श्री किरिप चालिहा : महोदय, वास्तव में, दलगत आधार से परे पूर्वोत्तर के सभी माननीय सदस्यों ने आम सहमति से इसके खिलाफ कड़ा रूख अपनाने का फैसला किया है। मैं माननीय विदेश मंत्री की इस संदर्भ में उनके त्वरित और कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बिना किसी व्यवधान के आपकी बात सुनी है। यह कहा जा रहा है कि यह एक गंभीर मामला है और फिर यदि आप दूसरों को बोलने की अनुमति नहीं देंगे तो यह उचित नहीं है।

श्री किरिप चालिहा : महोदय, लगभग एक घण्टे पहले हम भाजपा और सी पी आई (एम) के सदस्यों सहित एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे। यह मामला पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं निपटाया जा सकता और इस मामले को पक्षपातपूर्ण ढंग से निपटाने का कोई प्रयास किया जाना भी निन्दनीय है। अतः हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। हम सब एक हैं और हमें अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ अपनी एकता व्यक्त करनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं। देश भक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही निन्दनीय है। प्रधानमंत्री निरपेक्ष रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, संप्रग इस समस्या को सही और उपयुक्त जवाब देगा। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब सभी एक साथ दुबारा खड़े हो गए हैं। श्री आजमी, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैं क्रम के आधार से सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, अरुणाचल प्रदेश के भारत के अभिन्न भाग होने के बारे में कोई संदेह और विवाद नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता क्योंकि दो सदस्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से चुने गए हैं। वे इस सदन का भाग हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि हमारे संविधान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक सभा में प्रतिनिधित्व हैं और इस प्रकार यह भारत का अभिन्न अंग है।

दूसरा, चीनी राजदूत का वक्तव्य अनावश्यक अथवा अवचरण है क्योंकि उन्होंने ऐसा तब ..... जब चीनी राष्ट्रपति भारत आने वाले थे। ऐसा कहते हुए मेरे पास विपक्षी सांसदों विशेषकर भाजपा के सांसदों से कहने के लिए दो बातें हैं।

महोदय, विपक्ष के उप नेता ने पं. नेहरु द्वारा 1962 में दिए गए भाषण में से पढ़ा था जिसका अर्थ है बहुत ही चतुराई से भारत–चीन मित्रता के काले अध्याय को, जिसे देश भुला चुका है, पुनः स्थापित किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : हम 1962 को कैसे भूल सकते हैं? इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। कृपया ऐसा न करे। यह उनका दृष्टिकोण है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : 1962 को हम कैसे भूल सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने और उन्हें अपने विचार रखने का हक है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बेचैनी का परिचायक है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, इसके कोई मायने नहीं हैं। इतिहास दर्ज हो गया है। आप चाहें यहां इसे दर्ज न करें। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : इतिहास में सभी दर्ज बातें दर्ज हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खंडूड़ी कृपया ऐसा नहीं करें। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। जब भी आप चाहें कहीं भी कुछ भी नहीं कह सकते। उन्होंने इसे उचित नहीं ठहराया है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्षपीठ के विरूद्ध आरोप लगाना बहुत आसान है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। कृपया सदन की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित न करें।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, यह टिप्पणी कार्यवाही वृतान्त से निकाल दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : 1962 और 2006 में अंतर है। इसमें काफी अन्तराल और अन्तर है। चीनी राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन भारत का मित्र है। उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा कि चीन और भारत को विश्व के विकास और पारस्परिक विकास में भागीदार बनना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वार्ता उच्चतम स्तर पर जारी है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय क्या हम चीन के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसका जिक्र किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें परेशान मत कीजिए। यह अच्छी आदत नहीं है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। यदि यह असंसदीय है, तो इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं इसे देखूंगा। श्री महताब यह उचित नहीं है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मेरी बात सीधी सी है। चीनी राष्ट्रपति ने अथवा प्रतिनिधि मंडल में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी व्यक्ति ने अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। राजदूत ने जो कुछ भी कहा है अनावश्यक अथवा अकारण है। अतः मैं इसे चीनी सरकार की राय नहीं मानता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके वक्तव्य से बाध्य हैं यह बहुत गलत है। मुझे सुनिए, मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हूं। यह ठीक नहीं है। आप उनके वक्तव्य से बाध्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह सही नहीं है। यह बहुत गलत है। आप केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, और दूसरों को उनकी बात नहीं कहने देंगे। आप उनके वक्तव्य से बाध्यकारी नहीं हैं। वह सरकार की ओर से नहीं बोल रहे हैं। आप

*कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उनके वक्तव्य से बाध्य नहीं है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं कहूं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रतिपक्ष के नेता ने एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुती की। प्रतिपक्ष के नेता ने इस विषय को उचित तरीके से रखा और हम अब सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब, अन्य सदस्यों को बोलने का अधिकार है और इस विषय के महत्व के कारण मैंने उन्हें अनुमति दी है। इस तरफ से सात माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैंने उन सभी को अनुमति दी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको बोलने की अनुमति दी। आप ऐसा नहीं करते। आपको उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है और आप उनके वक्तव्य से बंधे हुए नहीं हैं। यह सही नहीं है। श्री दास गुप्ता, कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : यदि सरकार विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गये प्रश्नों का उत्तर देती है तो मुझे खुशी होगी और इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है; और सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। लेकिन ऐसा कहते हुए मुझे देश को अपनी बात साफ–साफ बतानी है। श्री अडवाणी एक बहुत ही योग्य संसदविद् हैं और यह बात सत्य है। सूक्ष्म रुप में हम कहे तो हमें भारत और चीन की मित्रता के बीच में असंतोष का बीज नहीं बोना चाहिए। हम ऐसा न करें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभा से बाहर, केन्द्रीय कक्ष में इस पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह भविष्य में जब आप चर्चा में भाग लेना चाहें तो इसकी सूचना दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि इस राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर, मेरा नोटिस न रहते हुए भी आपने मुझे बोलने का समय दिया। मुझे ठीक से याद है कि एक बार अमेरिकी राजदूत ने भारत के किसी आन्तरिक मामले पर एक राजनैतिक वक्तव्य दिया था। तब प्रधानमंत्री स्तर से उसका न केवल प्रतिवाद हुआ था, बल्कि भारत सरकार ने एक प्रोटेस्ट लैटर अमेरिका की सरकार को भेजा था। यह बात सही है कि चीन के राष्ट्रपति के आने से पहले और एक खास स्थिति में जब भारत के प्रधानमंत्री और यूपीए के चेयरपर्सन तवांग गए थे, उसके बाद ही चीन के राजदूत का इस तरह का राजनैतिक वक्तव्य, मैं समझता हूं कि जो राजनयिक सिद्धांत हैं, उनके सर्वथा प्रतिकूल है। उनके वक्तव्य के कंटेंट का हमारे विदेश मंत्री जी ने कड़ा प्रतिवाद किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन उनके आचरण की कोई निंदा भारत सरकार की ओर से नहीं हुयी, इसके लिए मेरी चिंता है और मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि जब आप के आसन पर माननीय गृह मंत्री जी विराजमान थे, उस समय एक संसदीय शिष्ट मंडल चीन जाना था और उसमें अरूणाचल प्रदेश के भी दो प्रतिनिधि शामिल होने थे। लेकिन चीन की सरकार ने उनको वीजा नहीं दिया और उसके पहले से चीन की सरकार अरूणाचल पर अपना दावा पेश करती रही है, लेकिन हमारा इतिहास साक्षी है कि सन् 1962 के युद्ध के समय बोमडिला पर कब्जा हो गया था, तवांग तक पहुंच गए थे और तेजपुर के कलेक्टर और कप्तान अपनी ट्रेजरी फूंककर वहां से भाग गए थे, उसके निकट उनकी फौज आ गयी थी, लेकिन केवल अरूणाचल प्रदेश की जनता के दबाव के चलते ही चीन की सेना को वापस जाना पड़ा था। जिस तरह सिक्किम की जनता ने सन् 1974–75 में अपने को भारत का हिस्सा मान लिया, उसके बहुत पहले से अरूणाचल प्रदेश की जनता अपने को हिंदुस्तान का हिस्सा मानती रही है। ऐसी हालत में जो लोग स्वेच्छा से भारत के राष्ट्र और संघ के अनुकूल हैं, उसके ऊपर किसी पड़ोसी देश का जो भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है, वहां के प्रतिनिधित्व का भारत में वक्तव्य देना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल वाहियात बात है और उसकी निंदा की जानी चाहिए।

दूसरी बात, मैं भारत और चीन के रिश्तों के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी चीन के राष्ट्रपति जो भारत आए थे, उनकी यात्रा के संदर्भ में एक चर्चा इस सदन में होनी चाहिए। कोई भी भारत और चीन के साथ रिश्ते अच्छे बनाने का विरोधी नहीं है। वाजपेयी जी जब स्वयं सन् 1977 में भारत के विदेश मंत्री हुए, तो उन्होंने पहली यात्रा चीन की ही की थी। भारत और चीन के रिश्तों में सुधार का सिलसिला सन् 1977 के बाद शुरू हुआ और मैं विनम्रतापूर्वक अपने मित्र मल्होत्रा जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो 9 नवंबर, 1962 का इस सदन का भाषण है और प्रस्ताव है, जिसके संबंध में बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि उस जमाने के एक बड़े सम्मानित सांसद श्री एन. सी. चटर्जी थे,

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उनका जो भाषण है, उसका विशेष रूप से जब भारत और चीन के रिश्तों की चर्चा होगी, तो मैं उसका उल्लेख करूंगा। लेकिन जब वाजपेयी जी ने चीन में जाकर तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने का काम कर दिया और उस पर मुहर लगा दी, तो मल्होत्रा जी को इन संकल्पों की याद वाजपेयी जी को भी उस समय दिलानी चाहिए थी। हमारा दुर्भाग्य है कि भारत की जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं, राष्ट्र और राज्य का उदय होने के बाद वह निश्चित तौर पर परिभाषित हो गयी हैं। लेकिन एक समय था, जब भारत और चीन की सीमा आपस में नहीं मिलती थी। तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में बीच में विद्यमान था, तब कोई हिस्सा इधर है या उधर है, यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता था, लेकिन यह सारी स्थिति सन् 1949 के बाद इस देश के सामने पैदा हुयी। किसी भी राष्ट्र की सीमाओं का हजारों वर्षों में फैसला होता है। डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब उसका नाम नेफा था, तो उन्होंने उसका हिंदीकरण उर्वशियम किया था और वे कहते थे कि कृष्ण की सखा उर्वशी तेजपुर की रहने वाली थी। तेजपुर और अरूणाचल प्रदेश से भारत का रिश्ता अनन्त काल का है और एक ऐतिहासिक रिश्ता है। किसी भी दूसरे नाम चाहें मैकमोहन लाइन के नाम से, चाहें अंग्रेजों द्वारा खींची गयी सीमा के बहाने उसके दो फाड़ करने का इंतजाम नहीं किया जा सकता, इसलिए जिन बिंदुओं को आज यहां इस चर्चा के माध्यम से उठाया गया है, उस कंटेंट्स का मैं समर्थक हूं और मैं चाहता हूं कि चीन के राजदूत ने भारत के आंतरिक मामले में जो राजनैतिक वक्तव्य दिया है, उस पर भारत सरकार को अपना कड़ा प्रतिरोध जताना चाहिए और भारत और चीन के रिश्तों के बारे में इस सदन में चर्चा कर दोनों के रिश्तों को सीमा विवाद से परे ले जाकर और प्रगाढ़ संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने पर अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय भारत और चीन के संबंधों में सुधार हो रहे हैं और पिछले एक साल के अंदर चीन के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति हमारे यहां आए और कई एग्रीमैंट हुए, उस समय यह अफसोसजनक है कि दोनों देशों के पॉज़िटिव डैवलपमैंट्स को छोड़कर इस तरह के बिन्दुओं पर चर्चा की जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : आप हमारी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह सही नहीं है। उन्होंने आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने किसी के विरूद्ध एक शब्द भी नहीं बोला है। उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। पलीज आप बैठ जाइए। क्या आप कृपया बैठेंगे। दो–चार मिनट में इनकी बात समाप्त होने वाली है। आप उनके विचाार मानने के लिए बाध्य नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका उनके विचारों से विरोध है, विरोध कीजिए, लेकिन उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : चीन के राजनयिक का जो बयान है, हमारे दूसरे कोलीग ने भी कहा है कि उसका समय और विषय दोनों ही न भारत के हित में है और न ही चीन और भारत के संबंधों के हित में है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िए। आप कैसे करेंगे। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप अरूणाचल प्रदेश के विषय में बताइए।...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : मैं आरएसएस का कैडर नहीं हूं जो उनके कहने से बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : आरएसएस जो कहती है वही बोल देते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसे ही करें। ...*(व्यवधान)* हम अपने दिमाग से बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेजर जरनल खंडूड़ी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने सदस्यों पर हुक्म नहीं चला सकते। आप किसी को यह नहीं बता सकते कि वह कैसे बोलेगा। आप बैठ जाइए। आप हुक्म नहीं चला सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम : मैं चुनौती देता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैंने जो वाक्य कहा है, आपको उसके कौन से शब्द पर आपत्ति है। आप ख्वामख्वाह ही चिल्ला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह उचित नहीं है। यह ऐसी जगह है जहां भिन्न-भिन्न विचार है और विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं। बहुत से दल हैं। आप इस बात की उम्मीद कर सकते कि आप जो चाहते हैं, लोग वही बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है? अगर वे आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप क्या बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में मतैक्य नहीं है। आप इस तरह अपना विचार नहीं व्यक्त कर सकते। आप इसका विरोध कर सकते हैं। सुनना आपका कर्तव्य है। यदि बोलना आपका अधिकार है तो सुनना उनका कर्तव्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे और दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। ऐसा कैसे चलेगा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उचित समय पर अपनी टिप्पणी करें। मैं किसी को भी नहीं रोकता हूं।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : आप लोग दोष देते हैं कि वे पूर्व अवधारणा के साथ प्रस्ताव करते हैं। वे वर्तमान में नहीं जीते। वे भूतकाल में जीते हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जो बोलना चाहते हैं; बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अनुचित है।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : अन्य सभी मामलों में आप लोग हमें दोष देते हैं कि साम्यवादी भूतकाल में जीते हैं। वे कहते हैं कि वे 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग 21वीं सदी में प्रवेश ही नहीं करना चाहते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको कछ कहना है तो बाद में कहना। यह उचित नहीं है। आपको दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा। आपके भाषण के दौरान किसी के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गयी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके भाषण के दौरान किसी ने कोई बाधा उत्पन्न नहीं की।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : इस सदन में जो भी सदस्य आते हैं, सब देश की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं। यदि कोई सदस्य यह समझता है कि कोई एकता और अखंडता को ज्यादा बल देता है और कोई कम देता है तो है, गलत है। **...(व्यवधान)* हम सब सदस्य इस देश की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए यहां आते हैं और भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सबको यहां अपने विचार रखने का अधिकार है। यदि कोई यह समझता है कि वह ज्यादा देशप्रेमी है और दूसरा कम है, तो वह ऐसी सोच रख सकता है, लेकिन सदन में सबको समान अधिकार हैं। *...(व्यवधान)* क्या आप हमें बोलने नहीं देंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है।

[अनुवाद]

आप कैसे परेशान कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है। मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। शेष ठीक है।

(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : चीन के जो राजनयिक हैं, उनके विषय और समय के दो मीनिंग निकालना गलत है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम जी कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए हमें रूफ टॉप बार–बार चीखना नहीं पड़ता। दूसरी बात भारत एक टेरीटोरियल इंटीग्रेटी है। हमारी पार्टी इसके लिए टोटली कमिटिड है। इसे नये सिरे से बोलना नहीं पड़ता। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है? आप सुनिये कि वह क्या बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मैं सबसे पहले कंडेम करुंगा। *...(व्यवधान)* यहां मल्होत्रा जी सीपीएम नेता के नाम से बोले हैं, मैं उसको कंडम करूंगा।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माकपा तथा उनके नेता के वक्तव्य को यहां उद्धत करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है *...(व्यवधान)* पहले आप मेरी बात सुनें। कृपया मुझे बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने ऐसा कहा *...(व्यवधान)* आपको अपने नेता की भर्त्सना करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : कृपया मेरी बात सुनिए। उसके पश्चात आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं आपको चुनौती देता हूं।*...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आपको अपने नेता की निंदा करनी चाहिए जिन्होंने ऐसा कहा कि ...* *(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : मैं भाजपा का सदस्य हूं। मैं उनकी निंदा नहीं कर सकता *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सलीम जी, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। यदि आप दूसरे सदस्यों को नहीं सुन सकते, तो मुझे सभा को व्यवस्थित करने के लिए न कहें!

हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : मैं विदेश मंत्री जी को बधाई देता हूं। जब चीन के राजनयिक का बयान आया तब हमारे विदेश मंत्री ने उसका खंडन किया। *...(व्यवधान)* भारत की जनता की जो वाणी है, सोच है, फिक्र है, उन्होंने उसको बयान किया, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। दूसरी बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति यहां आये, अब उनसे बात हुई या नहीं, आडवाणी जी ने अच्छे लहर में उनके सामने दो प्रश्न रखे। वह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उसका जवाब देगी। जहां तक आरोप–प्रत्यारोप की बात है, हमारी पार्टी यह मानती है, हम 1962 से यह कह रहे हैं कि सीमा के बारे में हमारी अपनी मांगें हैं और चीन के अपने कुछ बर्ताव या मांग हैं जिनसे हमारा मेल नहीं है। इसी को डिस्प्यूट कहते हैं। इसी को वाद विवाद कहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : अरुणाचल में कोई डिस्प्यूट नहीं है। *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : हम अरुणाचल प्रदेश कहां बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम जी, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है।

[अनुवाद]

क्या आप यह तय करेंगे कि उन्हें क्या कहना चाहिए? यह एक विचित्र बात होगी कि एक सदस्य यह तय करें कि दूसरे सदस्य को क्या कहना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : आपकी और हमारी सोच में अंतर है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, कृपया बैठ जाइये।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : वर्ल्ड वाइड सिविलाइज्ड मैनर यह है कि जब इस तरह के दो व्यक्ति, दो देश कोई पोजीशन लेते हैं, तो उसे एक्रॉस दी टेबल बैठकर, डिस्कशन करके समझौता करना पड़ता है। इसलिए हमने उस समय भी कहा कि बातचीत से इस बात का हल होगा। इसका हल बोली से होगा, गोली से कभी भी नहीं हुआ और न ही होगा। इस बात को मैं मानता हूं कि पिछले दिनों दोनों देशों के बीच वार्तालाप आगे बढ़ा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं माननीय सदस्य का सभा को सहमत करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि मुख्य बात यह है कि पूरी सभा यह चाहती है कि भारत और चीन के साथ संबंध सुधरने चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं। अतः इसे इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कहता है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है: इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है? हम इस विचार से सहमत नहीं है। हम तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र नहीं है। कश्मीर की कुछ समस्याओं को लेकर विवाद हो सकता है...*(व्यवधान)* हां कश्मीर की कुछ समस्याओं को लेकर विवाद है। हां ऐसा हो सकता है ...*(व्यवधान)* अतः यदि कोई यह कहता है कि यह विवादित है तो यह अत्यंत आपत्तिजनक है। .. .(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : आपने अपना टिप्पणी दी है। यही मैं कह रहा हूं। उस मुद्दे की तुलना आप इससे नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : आपके भाषण से हो जायेगा। ...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : हम आपको बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृपया सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश के उदाहरण की तुलना को बराबर मत समझिए। स्वतंत्रता प्राप्ति से ही अरूणाचल प्रदेश हमारे देश का अंग रहा है। सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र था।

[हिन्दी]

उनके राज्य की जनता हमारे साथ आई। आज जब चीन उसे तसलीम कर रहा है जैसे हमने तिब्बत को तसलीम किया, जैसे वाजपेयी जी ने तसलीम किया, उसी तरह चीन भी आज सिक्किम के बारे में तसलीम कर रहा है।

[अनुवाद]

यह एक सकारात्मक रूख है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अभी हमारा सवाल यह है कि हम इसे विल्प आउट करते हैं, तो सीमा के उस पार भी ऐसे लोग हैं, जो भारत और चीन के अच्छे समझौते नहीं चाहते। सीमा के इस पार भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत और चीन के अच्छे संबंध नहीं चाहते। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : हिन्दुस्तान में भी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विषय पर और बहस की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब श्री आज़मी बोलेंगे। मैंने आपका नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : ऐसे लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध हों। जहां तक अरूणाचल प्रदेश की जनता का मामला है, वे भारतीय हैं। यह हमारी पार्टी का स्टेटमेंट है। वहां हमारी जो आबादी है, हमारी जो जनता है, हमारे जो आबादी बहुत इलाके हैं, उनके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो भी विवाद है, उसे हमें आपस में बैठकर सुलझाना पड़ेगा और जो लोग यह समझते हैं कि इसे जंग से हल कर सकते हैं, उन्हें यह बात माननी होगी।

[अनुवाद]

आप बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। कृपया ऐसा न करें।

अध्यक्ष महोदय : सभा में केवल आप ही को अपना मत रखने का अधिकार नहीं है। अन्य सदस्यों के भी अपने मत हैं। इसीलिए सभा मे अनेक दल हैं। यदि आप उन्हें नहीं बोलने देते तो यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक वाद–विवाद का विषय बन गया है। मैं इस विषय पर और बहस की अनुमति नहीं दूंगा। बहुत हो गया। सभी अन्य विषय नहीं उठाये जा सकते। प्रत्येक सदस्य इस विषय पर बोलना चाहता है। यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी : अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल, माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने जिस भावना से यह बात यहां रखी है,

उस भावना की कद्र और ताईद करता हूं। इसके साथ ही मैं अपने विदेश मंत्री जी से चन्द प्रश्न पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संबंध में वक्तव्य पर वाद–विवाद होगी।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जब चीन के राष्ट्रपति के भारत आने से एक दिन पहले चीन के राजदूत ने इतना खतरनाक बयान दिया, तो आपने चीन के राष्ट्रपति के सामने इस मामले को क्यों नहीं उठाया? आप कह सकते हैं कि वह हमारे मेहमान थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके दो–चार दिन आगे–पीछे ही जब पाकिस्तान में भी मेहमान भारत आए थे, तब आपने मुम्बई का मामला पूरी ताकत से वहां उठाया और मुम्बई की बम धमाके की घटना के बारे में सबूत दिए थे। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी पुरानी धार्मिक मान्यता–समरथ को नहीं दोष गुसाईं–भारत सरकार ने भी अपना लिया है कि अमेरिका दुनिया भर में चाहें जो करे, हम नहीं बोलेंगे और चीन हमारे देश के बारे में चाहें जो करे, चाहे जो कहे, हम नहीं बोलेंगे? मैं इस सवाल का जवाब सरकार से अवश्य चाहूंगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब पूरे वाद–विवाद का स्तर गिरता जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर यह सदन चर्चा कर रहा है। ...*(व्यवधान)* इस राष्ट्रीय महत्व के सवाल पर संसद में कहीं से कोई बंटवारा नहीं दिखना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का ही नहीं वरन् एक बहुत ही संवेदनशील सवाल भी है। पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि चीनी राजदूत द्वारा जिस प्रकार और जिस समय यह बयान दिया गया, वह घोर आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और प्रतिवाद के लायक है। मैं समझता हूं कि इस विचार से पूरा सदन सहमत होगा क्योंकि चीनी राजदूत ने दुस्साहस किया है। इस तरह के बयान से कहीं न कहीं हमारे देश की संप्रभुता की ओर उंगली उठती है और दूसरों की हिम्मत और साहस बढ़ता है। किसी राजदूत की क्या हैसियत है? यह एक सम्प्रभु देश है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को यह शक नहीं होना चाहिए कि अरूणाचल प्रदेश हमारे देश का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। चीनी राजदूत के इस बयान का तत्क्षण खंडन करने के लिए मैं विदेश मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा।

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख) : अध्यक्ष जी, मैंने भी इस विषय पर बोलने के लिए नोटिस दिया हुआ है। कृपया मुझे भी बोलने के लिए अवसर दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर सारी बात हो चुकी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं? मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री छेवांग थुपस्तन : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस इस संबंध में नहीं है। इस तरह बोलने से कुछ नहीं होता इसलिए आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पद्धति के अनुसार मैं सोमवार अथवा मंगलवार को एक संयुक्त वक्तव्य रखने जा रहा हूं, जिसे चीनी राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री ने जारी किया था। इसे 13 समझौतों के साथ सभापटल पर रखा जाएगा। जिन पर पद्धति के अनुसार हस्ताक्षर किए गए हैं। यदि माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं तथा यदि आप अनुमति देते हैं, तो सभा के नियम तथा प्रक्रिया के अनुसार इस पर चर्चा की जा सकती है।

जहां तक अरूणाचल प्रदेश के मुद्दे का संबंध है, मेरा विचार है कि इस मुद्दे को इस प्रकार से उठाना आवश्यक नहीं था चूंकि अगले ही दिन मैंने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया था कि अरूणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। किसी सदस्य ने यह प्रश्न किया था कि क्या राजदूत को बुलाया गया है अथवा हमने सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज कर दिया है अथवा नहीं। जब विदेश मंत्रालय में सर्वोच्च अधिकारी ही स्वयं इस बात का खंडन कर रहे हैं तो इन औपचारिकताओं की आवश्यकता ही नहीं है। यदि विदेश मंत्री इसका उत्तर नहीं देते हैं तो उनकी ओर से विदेश मंत्रालय का कोई अन्य व्यक्ति इसका उत्तर देता है। यही नहीं, बीजिंग में हमारे राजदूत ने चीनी प्राधिकारियों का

ध्यान आकर्षित किया था तथा यह बताया कि दौरे की पूर्व संध्या पर चीनी राजनयिक द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य नही दिया जाना चाहिए था। स्वभाविक रुप से उनका उत्तर यह था कि हमें वक्तव्य का पूर्ण ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है, हम इसका पता लगाएंगे।

जहां तक अरुणाचल प्रदेश का संबंध है, 1962 का संकल्प, पंडित जवाहर लाल नेहरू का वक्तव्य यह सब इतिहास का एक हिस्सा हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है इसलिए हमें इस पहलू में जाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इसके साथ–साथ मामले के तथ्यों को मद्देनजर रखना होगा। मैं केवल प्रतिपक्ष के माननीय नेता को स्मरण करा रहा हूं। क्योंकि उस समय उनकी सरकार सत्ता में थी। वर्ष 2003 मे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बीजिंग के दौरे पर थे। श्री मोहन सिंह की तरह मैं 1977 के पुराने दिनों की बात नहीं करना चाहता हूं। उनका इतिहास का ज्ञान अथाह है तथा वे इतिहास के परिदृश्य में मुद्दों की परख कर सकते हैं, परन्तु मैं सभा का ध्यान 22 से 27 जून, 2003 के बीच हुई हाल ही की एक घटना की ओर दिला रहा हूं। श्री वाजेपयी जी बीजिंग के दौरे पर जा रहे थे। उस समय 26 जून को सीमा का अतिक्रमण हुआ था। वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊपरी सुबासिरी क्षेत्र में एक स्थान, जिसे असीफिला के नाम से जाना जाता है में सीमा का अतिक्रमण हुआ था। स्वभाविक रूप से एक औपचारिक विरोध हुआ था।

इसे संसद के मानसून सत्र में भी उठाया गया था। तथा तत्कालीन विदेश मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा ने 24 जुलाई, 2003 को संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया कि भारत ने इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ उठाया है। उन्हें यह भी बताया कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां नियंत्रण रेखा के मुद्दे पर दोनों पक्षों में मतभेद हैं ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपना उत्तर पूरा करने दें। आप सभी बोल चुके हैं। मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रणब मुखर्जी : चीनी पक्ष का क्या उत्तर था? इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। ऐसा हुआ है। हम इसे चाहे या ना चाहें। परन्तु दुर्भाग्यवश, ऐसा हुआ है। ऐसा 24 जुलाई, 2003 को हुआ है। विदेश कार्यालय के चीनी प्रवक्ता ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय लोगों ने नियंत्रण रेखा के पूर्वी क्षेत्र को लांघा है न कि उनकी सेना ने, अर्थात चीनी सेना ने। इसके आगे उन्होंने बताया कि हमने संगत प्रतिवेदन को नोट कर लिया है: चीन अरुणाचल प्रदेश के नाम से किसी भी राज्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। यहां तक कि संसद में तत्कालीन राज्य मंत्री, श्री दिगविजय सिंह ने यह बताया था तथा संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मेरे सहयोगी, श्री ई. अहमद ने इसे दोहराया भी था कि दूसरे पक्ष, अर्थात् चीनी पक्ष द्वारा 90,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर गैर कानूनी रूप से कब्जा किया गया। है। परन्तु, वहां यह भी एक तथ्य है कि श्री वाजपेयी के दोरे के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि दोनों पक्ष विशेष प्रतिनिधियों को नियुक्त करेंगे तथा वे एक तंत्र विकसित करेंगे जिससे सीमा विवाद को सुलझाया जा सके। सच तो यह है कि 1914 के समझौते को चीन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। हमने भी इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया कि मैकमोहन रेखा अर्थहीन है। दोनों पक्षों की यह स्थिति है। परन्तु, इसके साथ ही पिछले कई वर्षों से हमने रिश्ते कायम किए हैं। तथा माननीय सदस्य यह जानते हैं कि 1974 में सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बना। परन्तु 2005 तक चीन द्वारा इसे आधिकारिक रूप से भारत के अंग के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। अप्रैल 2005 में चीनी प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान इस पर सहमति हुई थी; आधार बनाया गया था। इस बात का श्रेय मैं राजग सरकार को दूंगा कि जब हम यह निर्णय ले रहे थे कि सीमा व्यापार चौकी की स्थापना कहां होनी चाहिए, यह प्रस्ताव दिया गया कि सीमा व्यापार चौकी को पूर्वी क्षेत्र में कलिमपोंग पर स्थापित किया जाए। वर्ष 1995 में जब मैं विदेश मंत्री था तब मैंने कहा था कि "नहीं कलिमपोंग सीमा नहीं हो सकती है; यह नाथूलॉ पर होनी चाहिए। नाथूलॉ को सीमा व्यापार चौकी मानने का अर्थ है सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग मानना। आधिकारिक रूप से, इसे 2005 में चीन के प्रधान मंत्री के दौर के दौरान मान्यता प्रदान की गई थी। कूटनीति में ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके आधार पर हम चलते हैं। कोई व्यक्ति आरम्भ करता है; कोई अन्य इसे आगे बढ़ता है। इसलिए, अरुणाचल का भारत एक अभिन्न होने का प्रश्न – जहां तक हमारा संबंध है, जहां तक इस संसद का प्रश्न है– यह एक चर्चा योग्य मुद्दा नहीं है। संकल्प पहले ही पारित किया जा चुका है। परन्तु फिर भी इस मुद्दे पर हमने कार्यवाही की है; हमने मात्र संकल्प ही पारित नही किया है, हमें आगे और कार्रवाई करनी है। हमने इस दिशा में कार्रवाई की है। दोनों पक्षों पर इस संबंध में बातचीत शुरू हुई है। चीन–भारत संबंधों का विस्तार व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक तथा सामरिक भागीदारी के क्षेत्र में भी हो रहा है। तथा जो प्रक्रिया 2003 मे शुरू हुई – दो विशेष प्रतिनिधियों के के मध्य चर्चा जारी है–चर्चा के आठ दौर हो चुके हैं। इसलिए, माननीय सदस्यों से मेरा सादर अनुरोध है कि ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए जिससे अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ जाए। प्रक्रिया को आगे बढ़ने दिया जाए। जहां तक अरुणाचल प्रदेश का संबंध है, मेरा विचार है कि मैंने यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि यह देश का एक अभिन्न अंग है, और रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.25 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.24 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.24 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब सभा मद संख्या 9 – आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार करेगी। इस विधेयक के लिए आबंटित समय 3 घंटे है। अब माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

> "कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 केन्द्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का प्राधिकार देती है।

यह अधिनियम इस अधिनियम की धारा 5 (ख) के अधीन केन्द्र सरकार को राज्य सरकार अथवा अधिकारी अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ प्राधिकरण को धारा 3 के अधीन शक्तियां देने का प्राधिकार देता है। परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अंतर्गत अनेक नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं।

21 मई, 2001 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ऐसे उत्पादों के अंतर–राज्यीय परिवहन पर नियंत्रण सहित कृषि उत्पादों पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों में छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में कृषि उत्पादों को मुक्त परिवहन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तुओं की सूची और नियंत्रण आदेशों की समीक्षा करने के लिए एक स्थायी समिति के गठन की सिफारिश की जिसमें कृषि, वाणिज्य और उद्योग, वित्त, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्री प्रभारी हो, योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री होंगे। उक्त स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि सभी कृषि वस्तुओं के आवागमन पर सभी निर्बंधनों को हटा दिया जाए और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए आवश्यकतानुसार उपयोग हेतु आवरण विधान के रूप में जारी रखा जाए। किन्तु नियंत्रणों और निर्बंधनों को कार्मिक रूप से हटाया जाना भी अपेक्षित है।

आवश्यक वस्तुओं की सूची का, समय–समय पर, इन वस्तुओं के उत्पादन और प्रदाय के प्रतिनिर्देश से और आर्थिक उदारीकरण की दृष्टि से, पुनर्विलोकन किया गया है। उपर्युक्त स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर और संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से वर्ष 2002 मे ग्यारह वस्तुओं और वर्ष 2004 में तीन वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (xi) के अधीन घोषित आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। तथापि, कुछ ऐसी वस्तुएं, जो उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (i) से उपखंड (x) में परिभाषित हैं, अधिसूचना द्वारा नहीं हटाई जा सकीं यद्यपि सरकार बेहतर मांग और पूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया जाना आवश्यक समझती है। अतः उक्त अधिनियम का संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

(1) उक्त अधिनियम की धारा 2(क)(i) से (x) तक परिभाषित आवश्यक वस्तुएं, अर्थात् – (i) पशुओं का चारा, जिसके अंतर्गत खली और अन्य सांद्र भी हैं; (ii) कोयला, जिसके अंतर्गत कोक और अन्य व्युत्पन्न भी हैं; (iii) मोटर गाड़ियों के संघटक पूर्जे और उपसाधन; (iv) सूती और ऊनी वस्त्र; (iva) ओषधि; (v) खाद्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी हैं; (vi) लोहा और इस्पात, जिसके अंतर्गत लोहे और इस्पात के विनिर्मित उत्पाद भी हैं; (vii) कागज, जिसके अंतर्गत अखबारी कागज, पेपर बोर्ड और गत्ता भी है; (viii) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; (ix) कच्ची कपास, चाहें ओटी हुई हो या ओटी हुई न हो और बिनौला; (x) कच्चा जूट और किसी ऐसे अन्य वर्ग की वस्तु को जिसको केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक वस्तु के रुप में, अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी, ऐसी वस्तु के रूप में, जिसकी बाबत सांसद् को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 33 के आधार पर विधियां बनाने की शक्ति हैं घोषित करने की उक्त अधिनियम की धारा 2(क)(xi) के अधीन शक्ति का लोप किया जा रहा है।

(2) साथ ही साथ नई धारा 2क(1) अंतः स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जो उपबंध करती है कि प्रस्तावित अनुसूची में सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुएं अर्थात् (i) ओषधि; (ii) उर्वरक, चाहे वे अकार्बनिक हैं या कार्बनिक या मिश्रित; (iii) खाद्य पदार्थ जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी हैं; (iv) अट्टी सूत जो पूर्णतय कपास से बने हैं; (v) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; (vi) कच्चा जूट और जूट टैक्सटाइल;

(vii) (क) खाद्य फसल के बीज और फलों तथा वनस्पतियों के बीज; (ख) पशु चारे के बीच; और (ग) जूट बीज इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक वस्तुएं होंगी।

इसके अतिरिक्त उक्त नई धारा 2क की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) केन्द्रीय सरकार को अनुसूची से किसी आवश्यक वस्तु को हटाने के लिए सशक्त करती है और केन्द्रीय सरकार को लोकहित में उक्त अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़े जाने के लिए सशक्त करती है, जब ऐसी किसी वस्तु की कमी हो जिसके लिए संसद् को संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 33 के आधार पर विधियां बनानो की शक्ति है। ऐसी अधिसूचना छह मास की अवधि के तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उसे लोकहित में केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ा नहीं दिया जाता और उसके लिए केन्द्रीय सरकार कारण लेखबद्ध किए जाएँगे।

यह भी प्रस्ताव है कि उन आवश्यक वस्तुओं की बाबत जिन्हें प्रस्तावित अनुसूची में आवश्यक वस्तुओं के रुप से बनाए रखे जाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचनाओं, आदेशों की गई नियुक्तियों और अनुदत्त अनुज्ञापित या परमिट को जारी रखने के लिए उपबंध किया जाए।

उक्त अधिनियम की धारा 3 और धारा 12क में परिणामिक संशोधन भी किए जा रहे हैं ।

मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का आभारी हूं कि उन्होंने इस संशोधन विधेयक की बारीकी से जांच की है। समिति ने 17 मई, 2006 को संसद में प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन मे अपनी सिफारिशें की थी। समिति ने इस विधेयक की जांच करते समय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों से इस विधेयक पर टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। जब समिति को विभिन्न संगठनों से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं तो समिति ने यह बताया कि अधिकांश राज्यों ने प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी सहमति इस आधार पर प्रदान कि ये संशोधन प्रासंगिक हैं और इनमें सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। समिति ने भी सामान्य तौर पर इस संशोधन विधेयक के उद्देश्यों से सहमति जताई है। इसके अतिरिक्त, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि संशोधित विधेयक में सम्मिलित की जाने वाली सात वस्तुओं की सूची की पुनः जांच की जाए और केवल उन्हीं वस्तुओं को इस सूची में रखा जाए जिनकी जमाखोरी, कालाबाजारी और कमी है तथा जिसका हल सामान्य व्यापार पद्धतियों द्वारा नहीं किया जा सकता।

महोदय, इस संबंध में, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के प्रस्तावित संशोधन से केन्द्र सरकार उन सभी वस्तुओं को जो वर्तमान बेहतर मांग और आपूर्ति परिदृश्य में प्रासंगिक नहीं है, इस सूची से हटाकर इसे न्यूनतम बना सकती है तथा इससे मुक्त व्यापार और वाणिज्य का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत केवल उन्हीं वस्तुओं को आवश्यक माने जाने का प्रस्ताव है जो किसानों और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के एक बड़े वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के मूल प्रावधानों में कोई परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। इस संशोधन के बावजूद भी राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन हेतु अपनी प्रत्योजित शक्तियों का उपयोग करती रहेंगी।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006 पर राज्य सभा में 21 अगस्त, 2006 को विचार किया गया था और माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के साथ इस विधेयक को राज्य सभा में उसी दिन पारित कर दिया गया था। अब इन संशोधनों को लोक सभा के विचारार्थ इस विधेयक में सम्मिलित कर दिया गया है।

महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं उक्त विधेयक के संबंध में माननीय सदस्यों की किसी भी प्रकार की शंका को दूर करने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, श्री शरद पवार जी ने जो अमैन्डमैन्ट का प्रस्ताव रखा है, इसे राज्य सभा ने पहले पारित कर दिया है, वह प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत है। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ शंकाएं हैं। यह बात ठीक है कि 21.05.2001 को बहुत से राज्यों के मुख्य मंत्री और योजना आयोग के प्रमुख लोगों की एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने कुछ आवश्यक वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दीं, उसका परिणाम क्या निकला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका परिणाम ऐसा हुआ कि इस देश में परमिट और लाइसेंस राज समाप्त हुआ मगर अभी माननीय मंत्री महोदय जो प्रस्ताव आपके और हमारे सामने तथा इस सदन के सामने ला रहे हैं, उस प्रस्ताव के कारण इस देश में जो कांग्रेस ने हमेशा परमिट राज का, इंस्पेक्टर राज का समर्थन किया जिसके कारण व्यापारियों को हमेशा गलत ढंग से लिया गया और इतना ही नहीं, किसानों को भी उसका लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस की हमेशा यह नीति रही है कि इस देश

[प्रो. महादेवराव शिवनकर]

में परमिट राज, इंस्पेक्टर राज रहे और ये राज करते रहें। इतना बड़ा आवश्यक विषय अगर 2001 में अनेक राज्यों के मुख्य मंत्रियों को, योजना आयोग के सदस्यों को एकत्र करके उस समय विचार हुआ, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय वह प्रयास उस प्रकार का क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन करने के समय केवल कांग्रेस शासित राजयों के मुख्य मंत्रियों की ही बैठक हुई। माननीय मंत्री महोदय को मालूम होगा। माननीय शरद पवार जी, आपके कंधे पर बंदूक रखकर, आपके पीछे इस राज्य में आपका चेहरा सामने करके ये इंस्पेक्टर राज यहां लाना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगा मेरे पास 6 जुलाई 2006 की प्रैस क्लिप है,

"कांग्रेस शासित मुख्य मंत्रियों के संबंध में मंहगाई नियंत्रण के लिए केन्द्र से आवश्यक वस्तु कानून की पुनर्समीक्षा की मांग के लिए बैठक में शामिल कई मुख्य मंत्रियों का कहना है कि 15 फरवरी 2002 को राजग सरकार के समय कानून में जिस तरह का संशोधन किया गया, जमाखोरों, कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वगैरह–वगैरह।"

इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस अपना एजेंड़ा माननीय पवार साहब के द्वारा इस देश में इंस्पेक्टर राज लाना चाहती है। मेरे पास 28 जुलाई 2006 का आवश्यक वस्तु में परिवर्तन के संबंध में राज्य सभा में जो जवाब दिया गया, मेरे मित्र कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी सुनें। श्रीमती वृंदा करात जी ने पूछा था कि कितने छाप मारे गये तो इस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 30,920 छापे मारे गये, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या 1617 बताई और जब्त किया गया माल वगैरह बताया है। मैं उसमें समय नहीं लेना चाहता। मगर इस कानून के राजग सरकार के समय उसमें परिवर्तन करके लोगों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हों और इंस्पेक्टर राज्य समाप्त हो, यह बात कही गई है। उससे कालाबाजारी, घूसखोरी बढ़ी, इस प्रकार का वक्तव्य कोई नहीं कर सकता।

छापे में कितने लोग मारे गये, इस संबंध में भी मेरे पास आंकड़े हैं। पवार साहब के पास भी होंगे। आपके हाथ में पूरी ताकत है लेकिन पूरी ताकत होने के बाद भी क्या आप बता सकते हैं क्योंकि आप देश के कृषि मंत्री हैं कि क्या इस देश के किसानों को इससे लाभ हुआ है? क्या यह परिवर्तन होने के बाद क्या किसानों की आत्महत्याएं रुकेंगी? प्रधान मंत्री जी विदर्भ गये, एक पैकेज घोषित किया, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने पैकेज घोषित किया लेकिन दिन प्रति–दिन विदर्भ में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। कितनी आत्महत्यायें हो रही हैं, मैं वह आपको बताना चाहता हूं। प्रतिदिन 5–6 आत्महत्यायें और साल में 1000 से ज्यादा हो रही है। क्या सरकार इस कानून में परिवर्तन करके उन आत्महत्याओं पर रोक लगाकर किसानों को लाभ पहुंचा सकती है? क्या इस कानून में परिवर्तन करके जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं को गांवों में उपलब्ध करा सकती हैं? आज थोक और खुदरा मूल्यों में भारी अंतर है। मेरे पास अलग अलग शहरों के आंकड़े हैं लेकिन मैं उनसे नहीं जाना चाहूंगा, वे आंकड़ें सरकार के पास भी होंगे। दोनों मूल्यों में कितना अंतर है, चैन्नई और मुम्बई में दालों के मूल्य में 7–8 रुपये का अंतर हैं। यह अंतर क्यों है? क्या यह 7–8 रुपये का अंतर ट्रांसपोर्ट में लगता है?

उपाध्यक्ष जी, कानून बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। आज कानून पर अमल होना चाहिये और एक अच्छा प्रशासन उस कानून को लागू कर सकता है जबकि यू.पी.ए. सरकार का प्रशासन ठप्प हो गया है। आज गांवों में अनाज नहीं मिलता है। आज गांव वाले दाल रोटी के लिये मोहताज हो गये हैं। यहां से लाखों क्विंटल अनाज गांवों के लिये जाता है लेकिन वहां पहुंचता ही नहीं है। सरकार कहती है कि 30 हजार छापे मारे गये, क्या सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि इस कानून के बनने से गांवों को अनाज पहुंचेगा? क्या अगले 6 महीने में कोई महान परिवर्तन होने वाला है? मुझे लगता है कि सरकार की डांवाडोल परिस्थिति है। सरकार का जो रवैया और प्रशासन है, उससे गांवों में अनाज पहुंचने वाला नहीं है। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाना होगा। मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे लगता है कि परिस्थिति ठीक नहीं है। क्या सरकार इस कानून के माध्यम से महंगाई रोक सकती है? आज महंगाई आसमान छू रही है। आप देखेंगे कि वर्ष 2005–06 के दो वर्षों में मंहगाई का परिणाम बढ़ गया है? जीवनोपयोगी वस्तुयें प्राप्त नहीं हो रही हैं। आज हालत यह है कि जो विदेश से धागा आयेगा, क्या उस पर प्रतिबंध लगेगा क्योंकि आज सूत धागा मिल रहा है। लेकिन किसानों को उनका लाभ नहीं मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों में मूल्य नहीं बढ़े जितने अब बढ़ गये हैं, आज सरकार को क्या हो गया है? आज धान और गेहूं के बारे में यही बात कही जा सकती है।

उपाध्यक्ष जी, आज किसानों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। दूसरे जो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किये गये, उनके मूल्य रोज लगातार बढ़ रहे हैं। इन सब की जवाबदेही किस पर है, इस सरकार पर है। इसलिये मेरा कहना है कि सरकार महंगाई रोक नहीं सकती, किसानों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा सकती है, आम लोगों को दाल रोटी नहीं दे सकती, इस कानून से कुछ होने वाला नहीं है। फिर से सरकार इंस्पैक्टर राज की ओर बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष जी, मैं गैस, पैट्रोलियम पदार्थों के बारे में कहना चाहूंगा। जब एन.डी.ए. सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ थी, अगर परिवार में बाप–बेटे में कोई झगड़ा हो जाता तो अनबन के चलते अगर बेटा अलग हो जाता था तो वह गैस एजैंसी में जाकर गैस सिलेंडर लेकर अपने घर पर चूल्हा

जला सकता था लेकिन इस कानून में परिवर्तन के साथ उसे आज गैस सिलेंडर के लिये 500–600 रुपये देने पड़ते हैं अगर मंत्री जी सामान्य व्यक्ति की तरह जाकर देखें तो उन्हें वस्तुस्थिति का पता चलेगा। सरकार इस अव्यवस्था को रोक नहीं पा रही है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिये यह कानून लेकर आ गई है। वह यह कानून के माध्यम से जनता को गुमराह करना चाहती है। आवश्यक वस्तुओं के बारे में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर मीटिंग करनी चाहिये थी। पश्चिम बंगाल, झारखंड के मुख्यमंत्री तो इस सरकार के हैं। उनसे जानना चाहिये था कि क्यों गांवों में अनाज नहीं पहुंच पा रहा है? अगर सरकार सब लोगों को बुलाती तो जो सरकार का उद्देश्य था, उसमें वह सही होती। मगर आपने नहीं बुलाया। यूपी के मुख्य मंत्री को बुलाते हैं, बिहार के मुख्य मंत्री को बुलाते हैं कि ये जो चीजें हैं, गांवों में कैसे जाएंगी? हम तो दे रहे हैं मगर नहीं पहुंचता है। उस संबंध में क्या होगा? आपने बुलाया नहीं है। आप अपने कर्त्तव्य से दूर हो गए। मैं एक दो छोटी बातें इस संबंध में कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, चीनी के स्टाक के संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय से खुलासा करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के संबंध में मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि चीनी का स्टाक चीनी मिलों के पास नहीं है। उन्हें अगर निर्यात की अनुमति दी गई तो ऐसी स्थिति में देश में फिर से चीनी की कमी हो सकती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्रशिंग नहीं की उत्तर प्रदेश में। किसानों के खेतों में गन्ना खड़ा है। उसका क्या कुछ कर सकते हैं? उसके संबंध में आप क्या पहल कर सकते हैं? वह क्रशिंग करके चीनी के दाम न बढें, 20–21 रुपये तक चीनी के दाम गए। उसे रोकने के संबंध में कुछ कार्रवाई करें ताकि चीनी के दाम आगे न बढें। मैं इस संबंध में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात पूछना चाहता हूं। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस कानून के कारण कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस कानून के कारण किसानों को राहत मिलेगी? उपाध्यक्ष जी, इनके दो प्रकार के विचार चलते हैं। एक ओर किसानों की जमीन अधिग्रहीत करना, अवैध रुप से माल्स के नाम पर, एसईजैड के नाम पर जमीन अधिग्रहीत करके किसानों को बरबाद करना, बड़ी कंपनियों को जमीन देकर पुराने जमीदारों का राज फिर से इस देश में लाना एक ओर चलता है और दूसरी ओर ऐसे कानून लाकर इस देश में फिर से इंस्पैक्टर राज खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस कानून के कारण प्रोक्योरमैंट ज्यादा बढ़ने वाला है? क्या इस कानून के कारण किसानों को अधिक लाभ आप देने वाले हैं? अगर आप यह नहीं कर पाए तो फिर इस कानून का क्या उपयोग होगा? इस कानून की ताकत आपके हाथों से निकलकर उनके हाथ में चली जाएगी। आप राज्य सरकारों को पैसा दे देंगे। उसका परिणाम क्या होगा कि वह जो नीचे रहने वाला इंस्पैक्टर है, वह फिर से जैसा इमरजैन्सी में हुआ था, हथकड़ी दिखाकर लोगों को अरैस्ट करते थे, पैसे लूटते थे, यह पैसे लूटने का दूसरा इस कानून के कारण निर्माण होगा ऐसा मुझे लगता है। छोटे छोटे गांवों में से जो एसेन्शियल कामोडिटीज़ हैं, वह उपलब्ध क्यों नहीं होती? मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सच्चाई है। आप देते हैं मगर जाती नहीं है। इसके संबंध में आप जो काम करेंगे, इसके कारण जो छोटे छोटे लोग हैं, उनका हैरसमैंट होने की संभावना है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका हैरेसमैंट होने की संभावना है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का इंस्पैक्टर राज लाकर कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर प्रोक्योरमैंट पालिसी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिब्यूशन की पालिसी में परिवर्तन करना होगा। आज तक मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में एफ.सी.आई. की खरीद नहीं हुई है। सौ रुपये दाम घट गए हैं अगर सौ रुपये एक क्विंटल पर दाम घटेंगे बालाघाट में तो किसानों का क्या हाल होगा? यही हालत बूंदी और भंडारा में हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि शांति से इस पर विचार करके इसे वापस लें।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आवश्यक वस्तु अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था कि इस देश में जरूरतमंद लोगों को देश के विभिन्न भागों में सभी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर समय से मिल सकें। इसलिए वर्ष 1955 में यह अधिनियम बनाया गया था। किंतु, दुर्भाग्यवश संसद के विभिन्न अधिनियमों के बावजूद मैं यह महसूस करता हूं कि जमीनी स्तर पर इन अधिनियमों को कार्यान्वित करने वाले प्राधिकारियों की जिम्मेदारी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन सभी अधिनियमों में इसी बात का सर्वाधिक अभाव है। अनेक मामलों में अनेक बार हमने देखा कि मूल्यों में किस से उतार–चढ़ाव आया है या उनमें वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

वर्ष 1998 में हमने देखा कि प्याज के मूल्य किस प्रकार आसमान छूने लगे थे। उसका पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? हमने यह भी देखा कि 1998 की उस स्थिति के क्या राजनैतिक परिणाम निकले। हाल ही में हमने देखा है कि गेहूं के मूल्यों में किस प्रकार वृद्धि हुई है। हमने दक्षिण भारत में देखा कि किस प्रकार से मिर्च के मूल्यों में एक ही वर्ष में वृद्धि हुई और किस प्रकार मिर्च और कपास के मूल्य गिरे। विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में भारी उतार–चढ़ाव आया है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हमारे यहां इससे संबंधित कोई अधिनियम नहीं था। परन्तु इसलिए हुआ क्योंकि हमने किसी इकाई या किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की। अतः यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि जब

[श्री एल. राजगोपाल]

भी हम कोई अधिनियम बनाएं तो उसमें किसी व्यक्ति या प्राधिकरण या विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। लेकिन हमारे अधिकांश अधिनियमों में इस बात का अभाव है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी मैंने यह महसूस किया है कि सभी अवरोधों को हटाना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि हम एक ऐसे विश्व में प्रवेश कर चुके हैं जहां हम किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहते हैं। इसी के साथ-साथ हमारे सभी कार्यों में समुचित योजना, समुचित निगरानी, समुचित जिम्मेदारी और पारदर्शिता रखना भी महत्वपूर्ण है। हमें यही सुनिश्चित करना है और व्यवहार में भी इसे लाया जाए।

यदि हम इस विशेष विधेयक पर ध्यान दें तो सभी मुख्यमंत्री इस बात पर एक जुट हुए हैं और यह महसूस किया है कि वस्तुओं की वर्तमान सूची में और अधिक वस्तुओं को सम्मिलित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित वस्तुओं की एक निर्धारित सूची ही नहीं होनी चाहिए। फिर सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हमें एक गतिशील पहल करनी चाहिए। इस समय हमने देखा है कि चीनी की कीमत 21 रुपये प्रतिकिलो तक पहुंच गई है। हमने कुछ वर्ष पूर्व का भी समय देखा था। जब चीनी 11 रुपये प्रति किलो बिक रही थी तथा गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे थे। हम महसूस करते हैं कि कई बार सिर्फ यही कारण होता है कि हम स्थैनिक पहल करते हैं। अब हमने स्थैनिक पहल को छोड़कर गतिशील पहल को अपनाया है जिसमें संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के बाद भारत सरकार बहुत से वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची में सम्मिलित करेगी। इसके साथ-साथ हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। प्रत्येक वर्ष हमें योजना बनानी होती है कि प्रत्येक श्रेणी में कुल उत्पादन कितना है क्योंकि हमने आंध्र प्रदेश में ही देखा है कि एक समय ऐसा था जब टमाटर 20 रुपये प्रति किलो बिक रहा था लेकिन साथ में पड़ोसी राज्य कर्नाटक में टमाटर 50 पैसे प्रति किलो या 1 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। कभी-कभी तो टमाटर गलियों में फेंक दिये जाते थे क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं के लिए समुचित योजना, उचित परिवहन उचित वितरण और उचित आपूर्ति नहीं थी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कृषि उत्पादों का कश्मीर से कन्याकुमारी तक पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक या पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण तक मुक्त ढुलाई संभव हो वस्तुओं को आवागन बाधारहित हो।

चूंकि आजकल काफी लोगों को सीमेंट की जरूरत होती है इसलिए यह एक आवश्यक वस्तु बन गई है। लेकिन दुर्भाग्यवश सीमेंट की कीमत अभी बढ़ने लगी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए और इसके निर्यात को रोके जाने की आवश्यकता है। जब कभी कीमतें बढ़ रही हों तो हमें इन चीजों के निर्यात की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिससे कि इसकी दाम हम नियंत्रित कर सकें। लेकिन हम तभी कार्रवाई करते हैं। जब स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है या जब पूरे देश में कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने के कारण कठिनाई पैदा हो जाती है। जो बात और अधिक महत्वपूर्ण है; और मैं महसूस करता हूं कि जो इस पूरे अधिनियम में नहीं है वह यह है कि इसमें जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान नहीं है या कीमतों में उतार-चढ़ाव या परिवर्तन या आम आदमी की परेशानियों के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी बनाने का प्रावधान नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरे द्वारा बताए गये सभी पहलुओं पर ध्यान देगी और उचित संशोधन तथा इस अधिनियम में उपयुक्त खंड जोड़ने की कोशिश करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदय, एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : इस विधेयक का उद्देश्य मूल अधिनियम को एक संरक्षक विधान के रूप में रखना है जो कृषि तथा किसानों को संरक्षण देता है। 'संरक्षक विधान' शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यह आवश्यक वस्तुओं के निर्धारण के मामले में केन्द्र सरकार के लिए छत्तरी का काम करेगा।

1955 के अधिनियम के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं को 'आवश्यक वस्तु' घोषित किया गया है जिनकी मांग आपूर्ति से अधिक थी। भारत के विभिन्न राज्यों में स्थिति भिन्न-भिन्न है। उदाहरण के लिए चावल को में, चावल केरल राज्य में आवश्यक वस्तु हैं। लेकिन यह आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में आवश्यक वस्तु नहीं है। वहां इसकी अधिकता हैं। इसलिए इन राज्यों में इस कानून को समान रुप से लागू नहीं किया जा सकता। अतः सामानों की उपलब्धता और आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है और यह वहां अभी भी मौजूद है जिससे राज्य तथा केन्द्र को अधिकार मिला हुआ है। जिसके तहत वे कुछ वस्तुओं को अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित करती हैं।

अब मैं यह बताना चाहूंगा कि धारा 3 के उप-खंड 2 के अंतर्गत जब कभी कोई अधिसूचना जारी की जाती है मैं सरकार को सावधान करना चाहूंगा-यदि इस प्रकार की अधिसूचना संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के बिना जारी की जाती है तो इससे गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। यदि चावल या धान को केरल में आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि इसे तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या किसी अन्य राज्य में भी ऐसा ही किया जाये। इसलिए इसमें अंतर होना चाहिए।

यही काफी नहीं है यदि हम सरल शब्दों में कहें कि अधिसूचना जारी करके हमने सभी वस्तुओं को अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है; हम ऐसा कर सकते हैं। क्रियान्वयन के लिए भी छह माह का

समय है और केन्द्र सरकार इस छह माह की अवधि को और छह माह बढ़ा सकती है। हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि जब कभी यह अवधि बढ़ाई जाए तो वह अधिसूचना जारी करने से पहले संबंधित राज्य–सरकार से परामर्श करे। सीधे तौर पर छह माह के लिए अधिसूचना जारी कर देना और पुनः बिना संबंधित राज्य या पीड़ित पक्ष के परामर्श से इसे और छह माह के लिए बढ़ाना घातक होगा और इससे इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। तथा यह एक असफल प्रयास रहेगा।

संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जब कभी कोई अधिसूचना जारी की जाती है तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त, हमें उस स्थिति को भी समझना होगा। जब यह अधिनियम पारित हुआ, उस समय बाजार में आपूर्ति की स्थिति बहुत खराब थी। समाज के विभिन्न वर्गों में समान सार्वजनिक वितरण को बनाए रखने के लिए यह अधिनियम पारित हुआ था। हमने उन सभी आवश्यक वस्तुओं को शामिल करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी जो उस समय मानव जीवन के अस्तित्व के लिए उपलब्ध होती हैं। इस समय हम एक उदारीकृत अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं। यह एक सच्चाई बन गई है। इस वैश्वीकरण या उदारीकरण के युग में यह संशोधन आवश्यक होगा। जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।

अपराह्न 3.00 बजे

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उदारीकृत अर्थव्यवस्था में उपलब्धता बाजार परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाना है। इस समय हम एक उदारीकृत अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं जहां हर जगह सबकी पहुंच है। अंतर–राज्यीय व्यापार प्रतिबंध भी समाप्त कर दिये गए हैं। इस समय उन्मुक्त व्यापार है। यह सब उदारीकृत अर्थव्यवस्था के कारण संभव हुआ है लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि कमी वाले राज्यों में अभी भी सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली कायम है। हम केरल में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह सूचना सीधे तौर पर जारी की गई है और मुझे आशंका है कि इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बुरा असर पड़ेगा। जब कभी सूचना जारी की जाती है तो यह ध्यान में रखा जाएगा कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। केरल के किसानों के हितों की रक्षा करने का मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करना नहीं है। कोई भी अधिसूचना जारी करने से पूर्व इन सभी मूल वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अब मैं इस प्रस्तावित संशोधन की विशेषताओं का उल्लेख करता हूं। मैं इन विशेषताओं से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन इसके साथ ही, जैसा कि अधिसूचना में है, इस सूची से बहुत सी वस्तुओं का नाम हटा दिया गया है। संविधान की अनुसूची की 3 प्रविष्टि संख्या 33 के अंतर्गत हमें यह अधिकार प्राप्त है और हम संविधान के इस प्रावधान के अंतर्गत विधान बनाते हैं।

यह संशोधन विधेयक संविधान की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 33 के प्रावधानों के भी अनुरूप है। हमारा रवैया मूलरूप से यह होना चाहिए कि हम एक संघीय राज्य में रह रहे हैं। ऐकिक राज्य में कोई कठिनाई नहीं है। हम सीधे अधिसूचना जारी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें प्रत्येक राज्य की आर्थिक स्थिति और वस्तुओं की उपलब्धता अलग–अलग है। अतः यह एक जटिल मुद्दा है। उदाहरण के लिए, हम अधिसूचना के माध्यम से कुछ चीजों को छह महीने के लिए स्थगित रखते हैं। कुछ वस्तुओं को छह महीने के लिए निलम्बित रखा जाता है जिसे यहां–वहां बढ़ाया या समाप्त किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं और मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस अधिनियम में कुछ चीजों को सम्मिलित करने अथवा उसमें से हटाने के बारे में संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श अवश्य करें।

मैं हमारे वर्तमान मंत्री जी से आशंकित नहीं हूं। मंत्री बदलते रहते हैं। श्री शरद पवार हमेशा मंत्री नहीं बने रह सकते। कोई मंत्री या सरकार जिसका दृष्टिकोण व्यापक हो, घाटे में रहे राज्यों पर ध्यान देगी और यह अच्छा है। अन्यथा, यह घाटे में रहे राज्यों के हित में नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों को ध्यान में रखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, देश में उदार अर्थव्यवस्था के परिवर्तनशील परिदृश्य में, मैं इस विधेयक के प्रावधानों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक को अपराह्न 3.30 बजे से पहले पारित कर दिया जाए। मैं यह आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण सहयोग देंगे और बहुत संक्षेप में अपने सुझाव देंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो कोई भी अपने किसी साथी के साथ बातचीत करना चाहता है वह बाहर जाकर उससे बात कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : साथ–साथ इस विधेयक की बहस का समापन करते हुए मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जहां तक आवश्यक वस्तु संशोधन का सवाल है, वह सीधे–सीधे मांग और आपूर्ति से जुड़ा हुआ सवाल है। खासकर देखा गया है कि विभिन्न राज्यों की

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

स्थिति और वहां की उत्पाद क्षमता को देखते हुए इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस पर माननीय मंत्री जी बहुत ही गम्भीरता से विचार करें। माननीय मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करें कि वहां के राज्यों की स्थिति क्या है? जैसा कि आपने कहा और किया भी है कि राज्यों की स्थिति, वहां के कृषि उत्पादन या अन्य जो भी उत्पादन हैं, वहां राज्यों के मुख्यमंत्री, वहां के खाद्य मंत्री और अन्य मंत्रियों को बुलाकर आपने वार्ता की है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में मेरा सुझाव है कि वहां की उत्पादन स्थिति को देखते हुए कि कहीं पर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होता है और कहीं पर कम होता है, हर जगह की अलग-अलग स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में हमें देखना चाहिए कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय न हो और एक राज्य को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और दूसरे राज्य को नुकसान पहुंचे।

दूसरी बात, आपने कृषि उत्पादन से संबंधित तमाम बातें कही हैं और खासकर हमने भी समय-समय पर सदन में इस बात पर चर्चा भी की है कि जो किसानों से उत्पादित चीजें हैं, कम से कम उस पर विशेष ध्यान देना होगा। अभी डाक्टर शिवंकर जी ने कहा कि किसानों से उत्पादित जो वस्तुएं हैं, हम उन्हें उनका उचित मूल्य नहीं दे पाते। यही कारण है कि आज भारत में खासकर दक्षिण भारत में किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। हमें इस स्थिति को गंभीरता से लेना पड़ेगा। अभी डाक्टर शिवंकर जी अपोजीशन से बोल रहे थे कि व्यापारी की स्थिति के बारे में जो खुदरा या फुटकर व्यापारी हैं, उनको इस विधेयक से बड़ा नुकसान होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में थी, चुंगी भी था, इंस्पेक्टर राज भी था, तमाम तरीके से सेल्स टैक्स में भी, तमाम व्यापारियों के ऊपर इस प्रकार के कानून लागू किए गए थे, जिससे वहां का व्यापारी परेशान था। मैं आज इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कम से कम जो व्यापारियों की स्थिति थी, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया। उससे यह हुआ कि जो भी व्यापारी थे, जो थोक विक्रेता परेशान नहीं हुआ, चुंगी प्रथा को समाप्त किया। उससे चाहे किसानों का उत्पाद हो या चाहे जो भी उत्पादन की चीजें रही हों, जब वह चुंगी से ले जाते थे, तो उसका बड़ा शोषण होता था। इसी प्रकार से सेल्ट टैक्स में सरलीकरण करके चाहे मझोले या छोटे व्यापारी रहे हों, उनको सुविधाएं मिली हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कम से कम जो किसानों की उत्पाद की चीजें हैं, उन पर विशेष ध्यान दें और किसान हित में और जनहित में देखें कि किसी भी वस्तु जिसकी चोरबाजारी या जमाखोरी हो रही है, तो उस वस्तु को समाज में लाकर कैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाएं, इस ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा और जैसा कि अभी राधाकृष्णन जी कह रहे थे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देखा गया है कि तमाम वस्तुओं की जब मांग बढ़ती है, उस स्थिति में हमारी आपूर्ति की स्थिति डांवाडोल होती है। मांग के लिए हमें इतना स्टॉक इकट्ठा करना चाहिए कि हम उसकी आपूर्ति आसानी से कर सकें। जितना भी आप वस्तुओं पर कंट्रोल लगाएंगे, उतनी ज्यादा चोरबाजारी और जमाखोरी बढ़ेगी। मैं ज्यादा न कहते हुए कहना चाहूंगा कि यह विधेयक अपने आप में बहुत अच्छा विधेयक है, लेकिन समय-समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि कहां पर खामियां हैं और कहां पर मांग की अपेक्षा आपूर्ति में कठिनाई हो रही है या कहां पर आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इस ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री राम कृपाल यादव बोलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे अपने स्थान पर जाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो यह विधेयक सदन में चर्चा के लिए आया है। महोदय, इसके उद्देश्य ओर कारणों की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की कि क्या वजह है कि इस विधेयक को लाया गया है? निश्चित तौर पर एक ठोस कदम है, जिससे दो-तीन चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा सकेगा और आम लोगों को इस कानून के माध्यम से राहत दी जा सकेगी। आम तौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी चीजों की कमी बड़े पैमाने पर हो जाती है। उत्पादन होता है लेकिन फिर भी चीजें बाजार से गायब हो जाती हैं। बड़े-बड़े व्यापारी होर्डिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से आर्टीफिशियल कमी हो जाती है और मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पाती। राज्य सरकारों के हाथों में बड़े पैमाने पर पूरे देश का नियंत्रण है और केन्द्र सरकार चाहते हुए भी सीधे तौर पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। विगत दिनों खास तौर से आज भी बड़े पैमाने पर महंगाई हो रही है, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। उत्पादन हो रहा है लेकिन व्यापारी बड़ी चालाकी से, यह देखा जाता है कि किस चीज की मांग अधिक है, होर्डिंग करके आर्टीफिशियल तौर पर महंगाई बढ़ा देते हैं। मैं समझता हूं कि देश की महंगाई का यह भी एक कारण है। पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसे पॉलिसी और कानून बनाए जिससे व्यापारी किसी भी सामान की जितनी चाहे होर्डिंग कर सकते हैं और इसी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इस

कानून के माध्यम से हम कालाबाजारी और जमाखोरी पर नियंत्रण कर पाएंगे। जो कमी थी, मंत्री जी ने इस कानून के माध्यम से ठोस कदम उठाकर उसे दूर करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है।

सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों को लागू करके किसी भी वस्तु को आवश्यक घोषित करने का अधिकार प्रदत्त है। ऐसा वह तब कर सकती है जब युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में उस वस्तु की दुर्लभता अथवा अनुपलब्धता हो। सरकार उस आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बाधित होने अथवा आपूर्ति बाधित होने का खतरा होने पर, जिसका सामना सामान्य व्यापार चैनल के माध्यम से नहीं किया जा सकता, इत्यादि की स्थिति में भी किसी वस्तु को लोक हित में आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006 के माध्यम से इसे सूची में रखा गया है और इसे बढ़ाने और घटाने की बात भी कही गई है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावना यहां व्यक्त की है कि विभिन्न राज्यों में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नियंत्रण करने का अधिकार होना चाहिए लेकिन वह नहीं हो पाता। अब तक जो प्रावधान नहीं था, मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से हमें उस पर नियंत्रण करने का अधिकार मिल पाया है।

मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से आपूर्ति करने में जो व्यवधान होता था, वह नहीं होगा। इससे लोगों को इस्तेमाल की चीजों में निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। आम लोगों को इससे बहुत सहूलियत मिलेगी। इसी तरह जमाखोरी के माध्यम से जो काला बाजारी होती थी जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, इस कानून के माध्यम से इस पर नियंत्रण हो सकेगा।

अंत में, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए कहना चाहूंगा कि इस कानून के लागू होने पर आम लोगों को राहत मिलेगी और उनको जिस परेशानी का सामना करना पड़ता था, उससे निश्चित तौर पर निजात मिलेगी। मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो बिल आया है, वह बेशक दो पेज का बिल है, छोटा बिल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल के आब्जेक्ट्स एंड एम्स और उसकी जो पार्श्व भूमि है, उसको कम शब्दों में डिसक्राइब किया जाये, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था के सादृश्य है। ऐसा बोलने में कोई भी हर्ज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एसेंशियल कमोडिटीज की वजह से दोनों परेशान हैं। जो कमोडिटी हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज में डालते हैं, उसकी प्राइज नहीं आती है। इससे कन्ज्यूमर्स और फार्मर्स दोनों परेशान रहते हैं। यह एक साइड है लेकिन इसकी दूसरी साइड यह है कि कुछ आइटम्स को इसमें डालना भी जरूरी है। यह मजबूरी है। मैं इस एक्ट को अगर नैरो डाउन करता हूं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि जब मैंने कहा कि यह अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था के सादृश्य है। मैं टेक्नीकल वर्ड में यह जस्टीफाई करना चाहता हूं कि इस एक्ट में काफी मोडीफिकेशन्स की गुंजाइश है क्योंकि यह देश की प्रगति को दर्शाता है। मैं ऐसा समझता हूं कि एसेंशियल कमोडिटीज का एक बॉक्स होना चाहिए। मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं। एक बॉक्स ऐसा होना चाहिए, जो देश की अर्थव्यवस्था का संकेतक हो। जब वह बाक्स खाली होगा तब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है। देश बढ़िया चल रहा है। किसी को कोई चीज की जरूरत नहीं है। सबकी नीड़ फुलफिल हो रही है लेकिन जब इकोनामी का बाक्स जो इकोनामी को इंडीकेट करता है जिसमें एसेशियल कमोडिटीज है, जो फेल रहेगा, उसका मतलब है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। संक्षेप में, यह अर्थव्यवस्था का संकेतक है। इसका बेसिक परपस बताने की जरूरत नहीं है कि जो गरीब लोग हैं जिनकी डिमांड है, उनकी नीड फुलफिल की जाये और उनको एक्सप्लायड नहीं किया जाये। यह विधेयक की मुख्य विषय वस्तु है। इसमें लाइफ सेविंग सभी आइटम्स होने चाहिए।

मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। मैंने राज्य सभा के सभी सवाल जवाब देखे। मिनिस्ट्री के ब्यूज भी देखे और एनउल रिपोर्ट भी देखी है। हो सकता है कि मैं गलत हूं। एसेंशियल कमोडिटीज की डेफीनेशन मुझे कहीं नहीं दिखी। कोई ब्यूरोक्रेट अगर यह बोल दे कि यह आवश्यक वस्तुओं की विशेष परिभाषा है। मैं अभी भी संशय में हूं। आज इसकी नीड है, डिमांड सप्लाई गेप है इसलिए इस चीज को एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दीजिए। यह एक परिभाषा नहीं हो सकती। जैसा एक माननीय सदस्य ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट से रिकमंड किया जाये। उन्होंने बोला कि नहीं, दाल को डाल दो तो दाल को एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया। यह डेफीनेशन नहीं हो सकती।

मैं जानना चाहता हूं कि "एसेंशियल कमोडिटी" शब्द की डेफिनिशन क्या है? जैसा कि शिवनकर साहब ने कहा, इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनिशन न होने की वजह से हो सकता है कि इसका मिसयूज हो। इस ऐक्ट के तहत किसी का वेस्टेड इन्ट्रेस्ट किसी आइटम को इन्सर्ट करके प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किसी ग्रुप का कोई आइटम इसमें डालकर प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किसी उद्योगपति के हितों को इसमें प्रोटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनिशन नहीं है। इसके साथ ही इस बिल के संबंध में मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। मैं बहुत स्पेसिफिक हूं। श्री शरद पवार एक बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनको एडवाइज नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि इस बिल में जो लिस्ट दी गई है, उसकी आइटमवाइज नैरोइंग करनी चाहिए क्योंकि इसे आइटम्स शिफाई नहीं हो रहे हैं,

[श्री सुबोध मोहिते]

[अनुवाद]

उदाहरण के लिए, सामान्यतः आपने पेट्रोलियम उत्पाद दिए हैं। इसका क्या अर्थ है? हम केरोसिल और एल पी जी से संबंधित है और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों के लिए नहीं क्योंकि 200 उत्पाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि हम एल पी जी और केरोसिन से संबंधित हैं, इस सूची में मदों का उल्लेख होना चाहिए। इस तरह के और भी उदाहरण हैं जैसे फूडग्रेन्स, ड्रग्स आदि। लाइफसेविंग ड्रग्स इसमें स्पेसिफाई होनी चाहिए। यह मेरा पहला सुझाव है, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि एक सीलिंग सीमा होनी चाहिए। जब विधेयक की विषय वस्तु प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित या सादृश्य है तो सीलिंग होनी चाहिए। कांसेप्ट अपनाना चाहिए कि एक बॉक्स होना चाहिए जो अर्थव्यवस्था का संकेतक होगा।

[हिन्दी]

इस बॉक्स का वाल्यूम लिमिटेड होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हर चीज की जरूरत लिमिटेड होती है। अगर हमें आज गेहूं की जरूरत है तो हो सकता है कि आठ महीने बाद चाय की शॉर्टेज हो रही है तो चाय को हम उस बॉक्स में डालेंगे। लेकिन जब तक हम गेहूं को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम चाय को उसमें नहीं डाल सकेंगे। सीलिंग रखने का एक दूसरा मुख्य कारण यह है कि इससे इकोनोमी मॉनिटर होती रहेगी। अगर सीलिंग नहीं रही तो इसमें आइटम हैं, वे बढ़कर 25 हो जाएं या 30 हो जाएं तो कौन उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। यह सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर हम यह कांसेप्ट अपना लें तो मैं समझता हूं कि यह अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करेगा। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि एक निरीक्षण समिति होनी चाहिए। अभी यह हो रहा है कि हम लोग कुछ आइटम्स निकालते हैं और कुछ आइटम्स उसमें डालते हैं। आइटम्स डालते इस आधार पर हैं कि उसकी आवश्यकता कितनी है। मैं समझता हूं कि जो मॉनीटरिंग कमेटी या रिव्यु कमेटी होगी, उसका ऑब्जेक्ट ही यह होना चाहिए कि किसी आइटम को क्यों न निकाला जाए। यह उद्देश्य होना चाहिए। उस रिव्यु कमेटी का यह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वह पर्टीकुलर आइटम उस बॉक्स में क्यों बना रहे, उसे नहीं रखना है तो क्यों नहीं रखना है, अगर रखते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे आदि? यह मेरा तीसरा सुझाव है।

इसके साथ ही इस बिल में दो बातें ऐसी हैं जो मेरी समझ में नहीं आई हैं। इनमें से एक फर्टिलाइजर को इसमें शामिल किया जाना है। यहां पर बिल में इसका एक कारण दिया गया है कि फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी जा रही है। यह बात समझ में नहीं आती है इसलिए इसे निकाल दीजिए। आज वास्तविकता यह है कि यह सब्सिडी किसान को मिल ही नहीं रही है, उसक लाभ मैन्युफैक्चरर को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चाहती हैं कि इसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाला जाए क्योंकि उन्हें लाभ मिल रहा है। कई इकोनोमिस्ट्स ने यह विचार व्यक्त किया है कि अगर किसान को बेनिफिट देना है तो इसे एसेंशियल कमोडिटीज में से निकाल दीजिए। जो भी सब्सिडी आप किसान को देना चाहते हैं, वह जब किसान फर्टिलाइजर खरीदेगा, आप उस सब्सिडी को डायरेक्टली किसान को बैंक एकाउण्ट में डिपॉजिट कीजिए, जिससे किसान को फायदा होगा।

दूसरी बात जो मुझे समझ में नहीं आई वह यह है कि इसमें जूट को डाला गया है, उसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जूट वर्कर्स और जूट ग्रोवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको इसमें डाला गया है। मेरा कहना यह है कि क्यों नहीं कॉटन वर्कर्स और कॉटन ग्रोवर्स को इसमें डाला गया है। अगर आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कॉटन वर्कर्स और कॉटन ग्रोवर्स को क्यों नहीं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, गन्ने के उत्पादक को क्यों नहीं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक विशेष उत्पाद के ग्रोवर्स को ही क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसे ही क्यों आवश्यक वस्तु के अंतर्गत डाला जा रहा है बाकी वस्तुओं को क्यों नहीं? आखिर में मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि इतने व्यापारियों पर कार्रवाई की गई, इतने छापे डाले गए, इतनी गिरफ्तारियां की गई, इतने मूल्य की वस्तुओं को सीज़ किया गया, करीब 29 करोड़ रुपए के माल को सीज़ किया गया। मेरा सवाल यह है कि उसका मूल्यांकन कैसे किया? अगर आपने 10 हजार किलो आलू सीज कर दिया और आलू का भाव 10 रुपए की जगह आपने 20 रुपए किलो के हिसाब से लगा दिया, तो क्या यह सही मूल्यांकन हुआ? इसलिए क्रॉस–चैकिंग यह है कि आपने सीज़ कब किया, उसका एस्टीमेशन कितना था और क्या माल बेचने के बाद उतना मूल्य आया या उसका डिग्रेडेशन हुआ – यह क्रॉस–चैकिंग है। क्या आपके यहां ऐसा सिस्टम है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे पब्लिक को क्या फायदा हुआ, व्यापारियों को क्या नुकसान हुआ तथा व्यापारियों को कम्पनसेशन क्या मिला और डिपार्टमेंट का खर्चा इस पर कितना हुआ? साथ ही इसकी जैनुअनिटी कितनी है? मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ आ गया है, यह बिल बहुत अच्छा है। यह परस्पर जांच है। मुझे लगता है कि मैंने जो बातें रखी हैं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार एक बहुत ही अनुभवी और परिपक्व नेता हैं। उनके पास एक दूरदृष्टि है। लेकिन मैं, समझता हूं कि मैंने जो कुछ इस विधेयक पर कहा है वह बिल्कुल सच और तकनीकी है। अतः विधेयक को पारित करते समय इन पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका

बहुत–बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास कितना समय है। ...*(व्यवधान)* फिर भी, मुझे इस आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बहस में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुएं अधिनियम को संशोधित करने के लिए विधेयक इस पुराने और अधोगामी विधान के प्रावधानों को सुधारने का आधा–अधूरा प्रयास प्रतीता होता है। यह आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1955 में अस्तित्व में आया था। हम इस पर 51 वर्ष बाद अर्थात् 2006 से विचार कर रहे हैं। इन 51 वर्षों में बहुत सारे संशोधन किए जा चुके हैं। इस विधेयक से संबंधित मेरी आंशका यह है कि यह विधेयक कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवाओं के विकास के लिए मुक्त और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य, को पूरा करने में पर्याप्त रूप से समर्थ नहीं है। इन चार मुख्य स्तंभों पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।

जबकि इस विधेयक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2(क) के तहत उल्लिखित सभी ग्यारह वस्तुओं को हटाने की मांग की गई है फिर भी इसमें वस्तुओं की सात श्रेणियों को रखा गया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महताब, आपको दूसरे दिन समय दिया जाएगा।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006*

(नौवीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर–सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य लेंगे। मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन से अनुरोध करुंगा कि वे विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति लें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खंड–2, दिनांक 24.11.2006 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.30¼ बजे

(दो) आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2006*

(धारा 2 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.30½ बजे

(तीन) वर्षा जल (अनिवार्य संचयन) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक गृहस्थी, व्यवसाय स्थापन और सरकारी भवन द्वारा वर्षा जल के अनिवार्य संचयन और उसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक गृहस्थी, व्यवसाय स्थापन और सरकारी भवन द्वारा वर्षा जल के अनिवार्य संचयन और उसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खंड–2, दिनांक 24.11.2006 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.30¼ बजे

(चार) निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्वाचन सुधार आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निर्वाचन सुधार आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31 बजे

(पांच) अभिरक्षा में अपराध (निवारण, संरक्षण और प्रतिकर) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अभिरक्षा में अपराधों के निवारण और उनके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने तथा अभिरक्षा में अपराधों के मामलों में प्रतिकर, अभिरक्षा में अपराधों के लिए सतर्कता आयुक्त और जिला सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति तथा उसे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अभिरक्षा में अपराधों के निवारण और उनके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने तथा अभिरक्षा में अपराधों के मामलों में प्रतिकर, अभिरक्षा में अपराधों के लिए सतर्कता आयुक्त और जिला सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति तथा उसे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खंड–2, दिनांक 24.11.2006 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.31¼ बजे

(छह) दंड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक, 2006*

(धारा 7, आदि का लोप)

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31½ बजे

(सात) फल तथा सब्जी बोर्ड विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि फलों और सब्जियों तथा उनके उत्पादों का विकास, भण्डारण और विपणन के उपाय करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि फलों और सब्जियों तथा उनके उत्पादों का विकास, भण्डारण और विपणन के उपाय करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

महोदय, माननीय गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। हमारे दो बिल हैं, माननीय मंत्री जी कृपया इन्हें स्वीकार करें, क्योंकि यह अपराध नियंत्रण से संबंधित है।

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खंड–2, दिनांक 24.11.2006 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछने का उचित समय नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 17 – श्रीमती जयाप्रदा : उपस्थित नहीं हैं।

मद संख्या 18 – श्रीमती जयाप्रदा – उपस्थित नहीं।

मद संख्या 19 – श्रीमती जयाप्रदा – उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.32 बजे

(आठ) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006*

(धारा 125 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक-वापस लिया गया

मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2004

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार करने के लिए आगे चर्चा करेंगे। मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन से बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री चन्द्रप्पन, आप पहले ही तीन मिनट बोल चुके हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले अन्य किसी दिन मैंने मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2004 का प्रस्ताव किया था। इस बर्बरता पूर्ण सजा के उत्सादन का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह बहुत ही असभ्य है और समाज को अवमानित कित करने वाला दण्ड है। इस प्रकार की सजा वास्तव में एक आधुनिक समाज की भावनाओं को चोट पहुंचाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बड़े जोरदार शब्दों में यह विचार व्यक्त किया गया है और उसने विश्व के सभी देशों से अपील की थी कि वे इस प्रकार की स्थिति बनाएं कि यह सजा कानून की सभी किताबों से हटा दी जाए। अब, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र के अपील के आधार पर 120 देशों ने इस सजा को समाप्त कर दिया है और उनमें से कुछ ने फांसी की सजा की प्रथा को समाप्त कर दिया है, लेकिन हमारी संख्या कम है। विश्व में 73 देश हैं जहां कि कानून की किताबों में अभी भी मृत्युदंड मौजूद है और भारत भी उनमें से एक है। यहां हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

अपराह्न 3.38 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

महोदय, मैं नहीं समझता कि यह मूलतः कानूनी समस्या या संवैधानिक मुद्दा है, बल्कि यह एक सामाजिक समस्या है। अब, हम इस पर विचार करें कि आज कल क्या हो रहा है। हमें इस पर तटस्थ होकर विचार करना चाहिए और इसमें किसी भी मुकदमें की चर्चा नहीं करनी चाहिए जिससे ऐसा लगे कि हम किसी की वकालत कर रहे हैं। प्राचीन काल में, 'खून के बदले खून' की प्रथा थी। लेकिन वह कानून की बहुत ही प्राचीन व्याख्या थी। इसके बाद, धीरे–धीरे दुनिया में बदलाव आए और यह बदलाव इस प्रकार हुआ कि एक शताब्दी पूर्व, इंगलैण्ड में नौकर/नौकरानी को एक चम्मच की चोरी के लिए भी फांसी की सजा दी गई। एक रोटी की टुकड़े की चोरी या छोटे फूल की चोरी के लिए उन्हें फांसी की सजा देना एक ज्यादती थी और ऐसी सजा के लिए भी फांसी दी गई। इसलिए, उन दिनों इस प्रकार की सोच बहुत ही कड़ी सोच थी और इतना ही नहीं उन्होंने इसे इस प्रकार किया जो बहुत ही घृणास्पद था और यह सब इंगलैण्ड के आधुनिक समाज में हुआ।

हेनरी सप्तम के शासन काल में 72,000 लोगों को फांसी दी गई और इतिहास साक्षी है कि महारानी इलिजाबेथ के शासन काल में 19,000 लोगों को फांसी दी गई। उन दिनों यह आम प्रथा थी क्योंकि किसी भी मामूली अपराध के लिए फांसी दी जाती थी।

अब, यदि आप इन मृत्युदंडों के दिए जाने के तरीके को देखें तो

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खंड–2, दिनांक 24.11.2006 में प्रकाशित।

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

आप सारी समस्या को कुछ हद तक समझ पाएंगे। यह प्राचीन काल में ही नहीं था बल्कि आधुनिक युग में भी है। यदि अपराध अमेरिका में किसी काले आदमी द्वारा गोरे आदमी के खिलाफ किया गया है तो काले आदमी के साथ बहुत कठोरता बरती जाएगी। यदि ठीक इससे विपरीत हो अर्थात् अपराध गोरे व्यक्ति द्वारा किसी काले व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है तो इसमें कुछ नरमी होगी। इसलिए, फांसी के मामले में भी इस तरह का रवैया अपनाया जाता है कि किसी को फांसी दी जाए अथवा नहीं।

अब एक दूसरी समस्या है। एक धनी व्यक्ति सबसे अच्छे वकील का खर्चा उठाने में समर्थ है, अपनी मुकद्मे की पैरवी कर सकता है और कई मामलों में गवाह को रिश्वत दे सकता है और जांच अधिकारियों को रिश्वत दे सकता है, और आसानी से मृत्यु दंड से बच सकता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति को अक्सर इन परिस्थितियों में फांसी पर चढ़ना ही पड़ेगा। भारत में यह बात आज भी सत्य है।

एक बहुत ही विवादास्पद फांसी की ऐसी सजा हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुई है। 14 वर्ष पूर्व धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा सुनाई लेकिन यह सजा 14 साल बाद दी गई। जिस प्रकार की यातना उसने जेल में सही वह अलग बात है। लेकिन फांसी दिए जाने से ठीक पहले जल्लाद, जैसी कि प्रथा है, ने उसके कानों में धीरे से कहा, मुझे माफ करना, मैं अपना कर्त्तव्य निभा रहा हूं। धनंजय चिल्लाया था कि गरीब होने के कारण मुझे फांसी दी जा रही है। मैं पुनः अमीर के रूप में जन्म लेना चाहूंगा ताकि मैं फांसी से बच सकूं।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : मैं अपराध करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी न हो।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : वह एक अलग विषय है। प्रश्न यह है कि यदि वह धनवान होता तो वह फांसी से बच जाता, लेकिन चूंकि वह गरीब था, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था, वह किसी को प्रभावित नहीं कर सका और उसे फांसी दे दी गई। क्या उसने वह अपराध किया था जिसके लिए उसे फांसी दी गई। कई मामलों में यह संदेहास्पद भी होता है।

श्री स्वाईं अपराध के बारे में बात कर रहे थे। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता न्याय के दुरुपयोग के अनेक मामले हैं। उस स्थिति में यदि किसी को फांसी दे दी जाती है और बाद में आप महसूस करते हैं कि यह एक भूल थी, तो व्यक्ति तो मर चुका होता है लेकिन आप को बाद में पता चलता है कि आपने गलती की है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : 14 सालों के बाद।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : जी हां, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं और ऐसी समस्याओं के प्रति हमारी सोच और अधिक मानवीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी अपराध विशेष का या किसी बात का समर्थन कर रहे हैं और यह किसी दल विशेष की बात भी नहीं है। दल ने ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया है कि फांसी दी जानी चाहिए या नहीं। ऐसी बात नहीं है।

लेकिन एक सभ्य समाज में जहां पूरा विश्व अपनी सोच बदल रहा है तो क्या भारत को पुराने रास्ते पर ही चलना चाहिए, यही मुद्दा है जिस पर सभा को चर्चा करनी है। यही मेरी सोच है।

भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों की उपज है जो 145 या 146 वर्ष पुरानी है। अब, समस्याओं और सभी चीजों के प्रति पूरी दुनिया में काफी बदलाव आया है। अब, भारत में एक राष्ट्रपति है। मैं श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूं और उसके पहले आर. वेंकटरमन थे। उन सभी ने कहा था कि जिस स्थिति में हम जी रहे हैं उसमें मृत्युदंड बहुत ज्यादा है। क्या ऐसा है कि केवल फांसी की सजा को हम जारी रख सकते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आप समग्र रूप में फांसी या लटकाए गए लोगों की संख्या लीजिए; कुछ आंकड़े बताते हैं कि लगभग 50 से 60 लोगों को फांसी दी गई है। मैं नहीं समझता कि यदि उन्हें माफ कर दिया जाता तो आसमान नीचे गिर जाता। यही राष्ट्रपति डा. कलाम कहते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें फांसी दी जानी है। वह कहते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए कि क्या वास्तव में ऐसा किया जाना चाहिए। मुझे ऐसे मामलों के बारे में पता है; मामले बहुत गम्भीर हो सकते हैं। किंतु न्याय का लक्ष्य क्या है? क्या ऐसा है कि आप किसी व्यक्ति से बदला ले रहे हैं या आप उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि आधुनिक समाज में व्यक्ति को सुधारने का हर संभव प्रयास किया जाता है। हम शायद सफल न हों। मैं यह नहीं कहता कि हम उसमें सफल होंगे। किंतु जब समाज अपना दृष्टिकोण बदलते तो यह संभावना रहती है कि हम एक हद तक सफल हों। यदि हम सफल नहीं भी होते हैं, यदि आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और माफी वगैरह नहीं दी जाती है तो संभव है कि व्यक्ति हिरासत में ही मर जाए। इससे उसके द्वारा समाज को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम इस तरह का रवैया नहीं अपना सकते कि केवल उसकी मौत से ही हमें संतोष होगा। यह बहुत असभ्य दृष्टिकोण है। लगभग 140 या 150 वर्ष पूर्व भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ था; इंग्लैंड ने इसमें परिवर्तन किया है; भारत ने भी इसमें परिवर्तन किया है। इंग्लैंड में अब फांसी नहीं दी जाती। मृत्यु दंड को वहां समाप्त कर दिया गया है। भारत में भी हम इसे उस तरह नहीं कर रहे हैं जैसे कि हम पहले करते थे।

एक प्रतिष्ठित न्यायविद्, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा था :

"विश्व भर में प्रगतिशील अपराधशास्त्र इस बात से सहमत होगा कि कठोर और बर्बर दंड देना पूर्व और प्रतिगामी समय का विषय है। हम यह संजीदगी से महसूस करते हैं कि जेल के अन्दर भी मानवीय हवा बहती है।"

मैं समझता हूं कि यही संतुलित दृष्टिकोण है। यह बहस छेड़ने के पीछे मेरा प्रयास यह है कि यह सभा इस पर गम्भीरता से विचार करे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम इस समस्या पर ज्यादा सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। चूंकि विश्व के 120 देशों का इस विषय पर अपना यह दृष्टिकोण है कि अब और फांसी नहीं दी जाए। क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते? यह एक महत्वपूर्ण बात है। पूर्व में क्या होता था, मैंने वह आपको अभी बताया।

पूर्व में भारत में भी यदि आप प्राचीन काल की बात करें तो तब बहुत अधिक संख्या में फांसी की सजा दी जाती थी। मनु, नारद और विष्णु के काल से भिन्न रवैया अपनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि जो कोई अपराध हो रहा है। उसे ही फांसी दी जाती थी। वह दृष्टिकोण बदल गया था। मैं समझता हूं कि हमें उस सुधारात्मक दृष्टिकोण को जारी रखना चाहिए।

मेरी दलील यह है कि अपराध बहुत गम्भीर होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार का अपराध कर रहा है जो कि अपने आप में बहुत गम्भीर प्रकृति का हो सकता है। किंतु क्या समाज को भी इतना ही नीचे गिरकर प्रत्युत्तर देना चाहिए? किसी व्यक्ति के लिए गलती करना स्वाभाविक या आसान होता है। किंतु एक समाज आधुनिक सभ्य समाज को भी उसी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मेरा कहना है कि आप उसे दंडित कीजिए। यदि उसका जीवन समाज के लिए समस्या बन जाता है तो उसे शेष जीवन के लिए कारागार में डाल दीजिए। यदि वह सुधर जाता है तो यह अच्छा है। यदि वह नहीं सुधर रहा है तो उसे कारागार में ही मरने दो। उस तरह से भी न्याय का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि हमें किसी को फांसी देनी चाहिए और तभी हम न्याय कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : हमें पीड़ित परिवारों की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : मुझे विश्वास है कि हम पीड़ित परिवारों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। बहुत से सुझाव हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहां तक कि बहुत विद्वान न्यायाधीशों ने भी सुझाव दिए हैं। आप उसे दंड दीजिए। आप उसकी पूरी सम्पत्ति लेकर पीड़ित परिवार की क्षतिपूर्ति कीजिए। आप उस तरह से क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उससे अपराध हो गया है। यदि आप उस व्यक्ति को मार देते हैं तो आप उस व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते जिसे आपने खो दिया। इसलिए जैसा भी संभव हो, आप परिवार की क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कीजिए। यदि व्यक्ति समाज के लिए खतरनाक है तो उसे जेल में रखिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि वह जेल में रहे और वहीं अपनी अंतिम सांस ले। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु उस आदमी को मौत के घाट उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आप समझते हैं कि हमारे पास वह अधिकार है? ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : आजीवन कारावास केवल 14 वर्ष के लिए होता है। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : इसीलिए मैंने कहा कि इसे परिवर्तित किया जा सकता है। आप कानून में आवश्यक संशोधन कीजिए ताकि छूट न दी जाए। यदि 14 वर्ष के आजीवन कारावास के पश्चात् भी वह जीवित रहता है और उसमें कोई बदलाव का संकेत मिलता है और यदि आप उसे जेल में रखना चाहते हैं तो उसे वहां रखिए। हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है।" मैं महात्मा गांधी के कथन को उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा था : "हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है" बाइबिल में कहा गया है : "तुम किसी को नहीं मारोगे।" इसलिए लोगों की जान लेने के खिलाफ ये सब उपदेश हैं।

हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जो कि बहुत सभ्य और बहुत आधुनिक है जहां हमें उस समस्या के प्रति एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं।

अब अमरीका का मामला लीजिए। अमरीका में ऐसे अनेक राज्य हैं जहां फांसी नहीं दी जाती परन्तु ऐसे अनेक राज्य हैं जहां अभी भी मृत्युदंड का प्रावधान है। अमरीका के एक न्यायाधीश मि. ओलिवर वेंडेल होम्स ने एक संगोष्ठी में भाग लेते हुए जो कहा था, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :

"मुझे विश्वास है कि बहुसंख्यक सुप्रीम कोर्ट एक दिन यह स्वीकार करेंगे कि जब राज्य मृत्यु दंड देता है तो यह पीड़ित को मानवता और गरिमा से वंचित करता है।"

मैं कामना करता हूं कि भारत में भी वह शुभ दिन आए।

अब ऐसे संकेत हैं कि हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। इस संबंध में विधि–निर्माण में परिवर्तन हुए हैं। पहले यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र के किसी लड़के अथवा लड़की से अपराध हो जाता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। अब भारत ने विश्व के बहुत से अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिश पर निर्णय लिया है कि ऐसे छोटे लड़कों और लड़कियों को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। यह अच्छी चीज है; यह आगे की ओर एक बड़ा कदम है।

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

अब, एक बार फिर उच्चतम न्यायालय ने 1983 में एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय दिया है कि केवल अत्यंत विरले अपराधों में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अपने निर्णय में न्यायाधीश को कहना चाहिए कि 'यह विरले में से विरला अपराध है।' इसलिए, हम संख्या को घटा रहे हैं। किसी समय बहुत से अपराधों के लिए मृत्युदंड बहुत सामान्य बात थी। और अब वह संख्या, जिसके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है बहुत कम हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। विगत में यदि 18 वर्ष की उम्र तक कोई लड़का या लड़की अपराध करती थी तो उसे मृत्युदंड के योग्य समझा जाता था। अब आप कहते हैं कि उन्हें क्षमा कर दीजिए; ये युवा लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपराध करेंगे। दुनिया उस दिशा में चल पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता था कि सम्पूर्ण विश्व इस बात को स्वीकार करे। ईश्वर का धन्यवाद, कि भारत ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब उच्चतम न्यायालय कहता है कि केवल बहुत विरले अपराधों में ही मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर ऐसी संख्या बहुत कम होगी।

अब, मेरी अपील यह है कि उन विरलों में से भी विरले मामलों में भी हम यह देखें कि हमारा ऐसा नजरिया हो कि उन्हें जीवित रहने दिया जाए; उन्हें समाज को नुकसान पहुंचाए बिना जीवित रहने दिया जाए। यदि वे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें क्षमा नहीं मिलेगी। निर्णय में कहा जाना चाहिए कि क्या आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त है। जेल में ऐसे व्यक्तियों के काम काज और अन्य चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। यदि हम यह दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने माथे से यह कलंक धो सकते हैं। महात्मा गांधी की धरती; गौतम बुद्ध की धरती; शांति की धरती, और अहिंसा की इस पवित्र धरती भारत को प्राचीन मध्य काल की बर्बरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरी इस सभा से यही अपील है। मुझे आशा है कि यह सभा इस समस्या पर पूरी गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री के. एस. राव (एलूरू) : माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी स्थिति आए जहां श्री चन्द्रप्पन की इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि देश में सभी नागरिक श्री चन्द्रप्पन की क्षमता और प्रकृति के होते तो कोई समस्या ही नहीं होती।

किंतु दुर्भाग्य से ऐसे भी लोग हैं जो अपराध स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या समुदाय की सेवा के लिए या दूसरों की सहायता के लिए ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपराध करना पेशा बना लिया है, जो सोचते हैं कि यह उनके लिए पैसा, जीविका कमाने और आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि, ताकत की सीढ़ियां भी चढ़ने का सर्वोत्तम तरीका है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए हमें उन बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि श्री चन्द्रप्पन बता रहे थे यदि मृत्युदंड प्राप्त 55 लोगों की सजा कम कर दी जाती है तो आसमान नहीं गिर जाएगा। मैं उनसे सहमत हूं। परन्तु यदि यह भय न होता कि मृत्युदंड की सजा वहां है तो और कितने अपराध हो गए होते? इसलिए, 55 की संख्या की गणना ही नहीं की जानी है बल्कि भय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि वही सिद्धांत अपनाया जाना था तो किसी को जेल भेजा ही क्यों जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को हत्या करनी थी, यदि किसी व्यक्ति को गलती करनी थी तो उसे दंड क्यों दिया जाना चाहिए? उसे भी स्कूल भेजा जा सकता है। जहां उसे सुधारा जा सकता है। फिर उसे जेल क्यों भेजा जाना चाहिए?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : ये खुली जेले हैं।

के. एस. राव : कितनी जेलें सुधार केन्द्रों के रूप में कार्य कर रही हैं। इस देश में जेलों में आज कैसी स्थिति है? यदि इस देश में यह आदर्श स्थिति होती जहां जेल सुधार केन्द्रों के रूप में कार्य करतीं, जहां ऐसे पर्याप्त केन्द्र होते जो सोचते हैं कि उनमें अच्छी तरह सुधार लाया जा सकता है तो मुझे बहुत खुशी होती और ऐसी परिस्थिति में हमारे यहां उत्कृष्ट नागरिक होंगे। यदि वे सोचते हैं कि यदि वे एक बार ग़लती करते हैं तो वे उनका हृदय परिवर्तन कर देंगे और एक अच्छी अवस्था में आ जाएंगे तो मैं भी इससे सहमत हूं। मैं इसकी कामना भी करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं मृत्युदंड समाप्त करने के खिलाफ हूं। किंतु जैसा कि इन्होंने कहा कि मृत्युदंड विरल से विरल मामलों में ही दिया जा रहा है। यह धडल्ले से नहीं दी जा रही है। अतः नियम पहले से ही मौजूद है। वो दिन लद गए हैं। हालांकि मैंने उसे देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि तंगूतरी प्रकाशम ने उन दिनों पुलिस को सीना तान कर कहा था "आओ, मुझे मारो।" वह भी इस जोश में, इस भावना से कि वह राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार है।

आज सड़क छाप दंगाई वही काम कर रहा है। वह सीना तान कर पुलिस को कहता है "आओ, मुझे मारो। इसके बावजूद कि उसने खून किया है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? इसका कारण है यह कि उसे विश्वास है कि वह किसी न किसी तरह से सजा से बच जाएगा। उसके मन में कानून के लिए कोई आदर नहीं है, उसको कानून का डर नहीं है। वह समझता है कि गलत गवाहों को लाकर वह कानून को चकमा दे सकता है। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यहां तक कि युनाइटेड किंगडम (इंगलैंड) जैसे देश ने भी 1988 में मृत्युदंड समाप्त कर दिया था। यह कितने वर्षों के पश्चात् किया गया है? यह कितने वर्षों के कुतर्क प्रयोग के पश्चात् किया गया है? यह मामलों में कमी करने के कितने वर्षों के पश्चात् किया गया है? अतः मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम पुलिस कांस्टेबलों अथवा चेक प्वाइंटों की संख्या बढ़ा दें तो क्या हम

इसे रोक पाएंगे? क्या हम किसी नागरिक को अपराध करने अथवा किसी अपराधी को अपराध करने से रोक पाएंगे? लोगों के मन में भय होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसे दण्ड मिलेगा। उसे इस हद तक सजा मिल सकती है कि सम्भवतः उसे अपना पूरा जीवन तक खोना पड़ेगा। यही डर उसे अपराध करने से रोकेगा। वही डर कानून और व्यवस्था की समस्या को कम करेगा। इस प्रकार से कोई सरकार अथवा संगठन अपराध पर रोक लगा सकती है उसे नियंत्रित कर सकती है। यदि यह डर नहीं होगा तो इससे समस्या उत्पन्न होगी।

क्या हम आदर्श स्थिति में रह रहे हैं जहां लोगों में पर्याप्त मूल्य हैं, परम्पराएं हैं प्रेम और श्रृद्धा है जहां वे अपराध करने से डरते हैं? मैं आपसे सहमत हूं कि आज किसान आत्महत्या कर रहा है। वह इसलिए आत्महत्या नहीं कर रहा है कि उसने अपराध किया है बल्कि इसका कारण है कि वह ऋण को वापस करने की स्थिति में नहीं है। यही वह मूल्य है जिसे उसने प्राप्त किया है। वहां आपने जो कहा वह सही है लेकिन अपराधी के बारे में क्या करे जिसका पेशा ही अपराध करना है।

यदि हम भी उसी प्रकार से सोचे कि हमें उसे मृत्युदंड नहीं देना चाहिए तो उसे भली–भांति पता लग जाता है कि वह हमारे देश में चल रही न्यायिक प्रक्रिया में ही समय बिता देगा। वह जेल में कई वर्षों तक सुविधाओं को भोगते हुए रहेगा जब तक कि उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाता। वह बाहर जाएगा और फिर दुबारा से वही करेगा। क्या हमें ऐसा होने देना चाहिए? अतः यहां मेरा प्रश्न है कि क्या हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमें इसके बावजूद मृत्युदंड को रोकने के बारे में सोचना होगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से केवल 55 लोगों को ही हमने मृत्युदंड दिया है।

मान लो कि हमने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है इसका अर्थ है कि हमने उन 55 लोगों की वह सजा बदल दी। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हमने क्या पा लिया? इसका अर्थ है कि हम राष्ट्र को ऐसा संकेत दे रहे हैं कि हम व्यवहार कुशल राष्ट्र हैं हम विसीन्त और अत्यंत सुसंस्कृत राष्ट्र हैं। यह हम किसे कह रहे हैं।

अतः हमें किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी है कि विश्व में क्या हो रहा है। यह मानदण्ड नहीं है कि अमरीका में यह हो रहा है इंग्लैण्ड में हो रहा है और यूरोप में हो रहा है। हमारा दृष्टिकोण क्या है? हमारे देश में कैसी परिस्थितियां विद्यमान हैं? किस तरह का दण्ड इस प्रकार के अपराधों को रोक सकता है? क्या हमें प्रतिकारवादी अथवा निवारणवादी अथवा सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? मैं इसे प्रतिकारवादी नहीं कह सकता। लेकिन कम से कम यह निवारण होना चाहिए। जो सजा हम देने जा रहे हैं उसका प्रभाव न केवल अपराध करने वालों पर पड़े बल्कि उन लोगों पर भी पड़ना चाहिए जो अपराध करना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपराध करने वाला है और अपने उद्देश्य को पाने वाला है उसे डर होना चाहिए, यह भय होना चाहिए कि उसका जीवन यह अपराध करने से समाप्त हो सकता है। अतः इसमें प्रत्यक्ष बातों के साथ–साथ अप्रत्यक्ष बातें भी विद्यमान हैं। उन बातों को ध्यान में रखकर हमें इस पर गौर करना चाहिए। मैं आपके तर्क से सहमत हूं मैं यह भी सोचता हूं कि ऐसी स्थिति आ गई है जहां इसे दूर किया जाना चाहिए। मैं तो केवल यह कह सकता हूं कि हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जहां हम देश में इस समय मृत्युदण्ड को हटा सकने के बारे में सोच सकें।

इसी प्रकार, किस तरह के लोगों को सजा दी गई है? यह उन लोगों को नहीं दी जा रही है जिन्होंने दुल्हन को जलाना है न ही उन लोगों को दी गई है जिन्होंने दहेज के लिए हत्याएं की हैं। परन्तु किस तरीके से उसने अपनी पत्नी को मारा है इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आपने दुल्हन को जलाने की कई घटनाओं अथवा अपनी पत्नी को निर्दयतापूर्वक मारने की घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा। मैं समझ सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अचानक मार देता है। मैं समझ सकता हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने गलती की है कि वह मानसिक रूप से बीमार है लेकिन इन बातों का कानून के अन्दर ध्यान रखना चाहिए लेकिन तथ्य यह है कि वह दण्ड बहुत कम ही दिया जाता है हमारे देश में 1.1 बिलियन की जनसंख्या में केवल 55 लोगों को ही मृत्युदण्ड दिया गया है तो क्या यह चर्चा केवल 55 लोगों को दिए गए मृत्युदण्ड पर हम बेकार में कर रहे हैं?

हालांकि मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं निसन्देह मेरा मत है कि यह समय उचित नहीं है कि हम इन सब बातों पर विचार करें। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने जेब काटी है तो ऐसा क्यों हुआ कि वह जेब काट रहा है? इसका कारण यह है कि वह गरीब आदमी है वह इस स्थिति में नहीं है कि वह जीविकार्जन कर सके। उसने नौकरी प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन वह असफल रहा। अब उसके पास ऐसा करने के बजाए कोई अन्य विकल्प नहीं बचा और इसीलिए उसने जेब काटनी शुरू की। अब हम उसे दण्ड दे रहे हैं। आप उसे सुधार सकते हैं मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसे जघन्य अपराधों के लिए, यदि हम सुधार के बारे में सोचते हैं तो किसी भी प्रकार के दण्ड क्यों होने चाहिए? कोई भी अपराध करे उसे सुधारना चाहिए इस देश में कई सुधार गृहों की व्यवस्था होनी चाहिए जो उसे बताए कि उसे अपराध नहीं करने चाहिए। उसे कुछ भी नहीं होगा यदि वह अपराध करता है लेकिन एक बात होगी कि उसे सुधार गृह जाना पड़ेगा। क्या इस प्रकार हम कानून और व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं?

[के. एस. राव]

मैं यह नहीं कहता कि हमें सऊदी अरब में उपस्थित स्थिति अपनानी चाहिए जहां हर छोटे अपराध अर्थात नशीली चीजों के अवैध व्यापार के लिए भी उन्हें मृत्युदण्ड दिया जा रहा है। अब वहां नशीली दवाओं का अवैध व्यापार नहीं किया जाता है ऐसी घटना बहुत कम ही देखने को मिलती है। यदि आपका कोई सामान कहीं गिर जाए तो वह वहीं पर पड़ा मिलेगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस सामान को उठाता नहीं है। लोगों में दण्ड का इतना भय है।

महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। इस प्रकार, मैं नहीं चाहता कि इस देश में भयानक दण्ड दिया जाना चाहिए बल्कि एक प्रकार का संतुलन होना चाहिए। हमें एक तरफा विचार नहीं करना चाहिए बल्कि अन्य बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं अपने मित्र श्री चन्द्रप्पन की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं समझता हूं कि देश में विद्यमान स्थितियों को देखते हुए मृत्युदण्ड को समाप्त करने के लिए समय उपयुक्त नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन, माननीय सांसद द्वारा सदन में प्रस्तुत मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2004 का विरोध करता हूं क्योंकि आदर्श और यथार्थ में बुहत अन्तर है। कहने के लिए तो समाज में यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है –

ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की।
एक दूसरे से न मिल सके, यही विडम्बना है जीवन की।

ज्ञान कुछ और कहता है, लेकिन क्रिया कुछ दूसरी है। हमारे यहां प्राचीन काल में शास्त्रों की बात कही गई और अशोक, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जी की बात कही गई है, लेकिन श्री चन्द्रप्पन साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत समय नहीं हुआ है क्योंकि कैपीटल पनिश्मेंट में तो व्यक्ति की जान चली जाती है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि इसको सॉफ्ट किया जाना चाहिए। आखिर नेपाल में मोओवादियों ने क्या किया, कितने लोगों की जानें लीं? नक्सलवादी क्या कर रहे हैं, आखिर वे भी तो हिन्दुस्तान में समतावादी समाज की स्थापना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोगों के पास खाने–पीने के लिए हो, सबके पास घर हो, सबको रोटी मिले, सबको पहनने के लिए कपड़े मिलें, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है।

महोदय, ऐसे समय में यह विधेयक आया है जब सारे देश के अंदर करोड़ों लोग यह मांग कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक यह संसद भवन है और इस संसद भवन पर 13 दिसम्बर, 2001 को आतंकवादियों द्वारा जो आक्रमण किया गया, तब हमारे शहीद जवानों ने, संसद भवन के मार्शलों ने, संसद भवन की रक्षा में जो सशस्त्र बल तैनात हैं, उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान को शहादत के पथ पर रखकर, उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, जो सब के सब पाकिस्तानी थे। उस आतंकवाद के षडयंत्र के पीछे जिसका दिमाग था, कश्मीर के मोहम्मद अफजल गुरू, उसे सैशन कोर्ट ने अपराधी पाया और मृत्युदंड की सजा दी। हाईकोर्ट में अपील की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने अपराधी पाया और मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की। वे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर गए। अभी आपने कहा था कि वे रेयरेस्ट ऑफ दि रेयर केसेस में ऐसा होता है। क्या यह रेयरेस्ट ऑफ दि रेयर नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी मृत्युदंड की पुष्टि करते हुए कहा कि उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। आज सारा देश चाहता है कि उसे मृत्युदंड की सजा दी जाए, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस सरकार का ये समर्थन कर रहे हैं, वह सरकार इस बारे में असमंजस में है। कभी सरकार हां कहती है और कभी न। कश्मीर से कुछ और आवाज आती है दूसरी जगह से कुछ और आवाज आती है, तीसरी जगह से कुछ और आवाज आती है और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। जबकि सारा देश इस बात के लिए एक है कि फांसी की सजा दी जाए।

मान्यवार, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहूंगा कि देश चाहता है कि हिन्दुस्तान की अस्मिता के प्रतीक, लोकतंत्र की पवित्रता के सबसे बड़े स्थल पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया, उसके पीछे जिसकी साजिश थी, जिसका षडयंत्र था और जिसका दिमाग था, उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसलिए मैं आपके द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दी ही जानी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिस सरकार के ये सहयोगी हैं और जिस प्रकार का वे विधेयक लाए हैं, उसे देखकर मुझे लगता है कि कहीं इनकी यह मंशा तो नहीं है कि जो लोग अफजल को फांसी की सजा दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, उनके स्वर में ये भी अपना स्वर मिलाना चाहते हैं। अफजल जैसे देशद्रोही, जिसने हिन्दुस्तान के साथ विश्वासघात करने का प्रयास किया है, जिसने कश्मीर के अंदर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने का काम किया, क्या ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। देश के खिलाफ जो गद्दारी करते हैं, वे चाहे किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों न हों, किसी भी सम्प्रदाय के मानने वाले क्यों न हों, उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए।

जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं
हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

स्वदेश और उसकी अस्मिता को आघात पहुंचाने वाला, देश की एकता और अखंडता को आघात पहुंचाने वाला, कोई भी और कितना भी बड़ा क्यों न हो, किसी भी वर्ग का क्यों न हो, किसी भी धर्म या मजहब का मानने वाला क्यों न हो, ऐसे देशद्रोही को मौत की सजा दी जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि हमारी जो सी.आर.पी.सी. है, उसमें मृत्युदंड का प्रावधान बना रहना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कोई अन्यत्र नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो बात है, वह कहना चाहता हूं –

सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दण्डेन शास्ति प्रजाम – दंड से प्रजा पर शासन किया जाता है – ठीक बात है, हरेक को कोई फांसी की सजा नहीं दी जाती है। वह तो रेयरेस्ट ऑफ दि रेयर है। दंड का भय तो रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि भय बिनु होयहु न प्रीति। उन्होंने कहा कि बिना भय के प्रीति नहीं हो सकती है।

आज दहेज के नाम पर कई अबलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज बलात्कार के नाम पर हमारी बहन–बेटियों को खुले आम लोग उनकी अस्मिता लूटकर, उनके टुकड़े–टुकड़े करके आग की भट्टी में झोंककर मौत के घाट उतार देते हैं। क्या ऐसे अपराधियों के प्रति दया का भाव दिखाना चाहिए? वे दया के पात्र नहीं हैं। इसमें पात्रता के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि कौन पात्र है। हम भी चाहते हैं कि अपराधी सुधरें। उनमें सुधार हम भी चाहते हैं कि अपराधी को मौका मिले, लेकिन एग्जम्पलरी पनिश्मेंट का प्रावधान हमारी अपराध संहिता, हमारी सी.आर.पी.सी. के अन्दर होना चाहिए, ताकि लोगों के अन्दर यह डर हो कि अगर हम ऐसा अपराध करेंगे तो हमें भी फांसी के ऊपर लटकाया जायेगा, फांसी की सजा मिलेगी। आप अशोक और गांधी की बात कर रहे थे। रूस में जो लाल क्रान्ति आई, उसमें 1917 के अन्दर कितने ही मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया। रूस में बोलश्विक क्रान्ति के दौरान क्या परिणाम निकले थे? आप उसकी बात करते हैं कि चाइना की बात करते हैं। अभी वह हमारा मित्र देश है, लेकिन पहले जब वहां क्रान्ति हुई, तब वहां क्या स्थिति थी? मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि हुए। उन्होंने नहुष नाम का एक खंडकाव्य लिखा। उसमें एक पौराणिक कहानी आती है। वह कहानी है कि एक बार धरती के राजा नहुष अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग के अन्दर सिंहासन को प्राप्त हो गए। स्वर्गलोक के अन्दर इन्द्र के आसन पर बैठने का उनको अधिकार मिल गया। इससे वहां पर एकदम सन्नाटा छा गया। उस समय देवराज की पत्नी इन्द्राणी रोने लगी, यह माइथोलोजिक कथा है, उस समय दूसरी देवियां, सरस्वती, दुर्गा आदि उन्हें सांत्वना देने के लिए आईं कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वे तो देवताओं के राजा हैं। उस समय इन्द्राणी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे पति कहीं चले गए हैं। वे कहीं भी गये हों, उनका तो बाल भी बांका नहीं होगा, वे आएंगे, लेकिन यह धरती का इन्सान नाम का प्राणी, मानव नाम का प्राणी स्वर्गलोक के सिंहासन पर आ गया है, इसकी गति दोनों तरफ है। देवता देवता ही रहते हैं, राक्षस राक्षस ही रहते हैं, लेकिन यह मानव कब देवता बन जाये, कब राक्षस बन जाये, कब राम बन जाये, कब रावण बन जाये, कब कृष्ण बन जाये, कब कंस बन जाये, कब भगवान का रूप ले ले और कब शैतान बन जाये, कुछ कहा नहीं जा सकता।

मानव की दोनों प्रकार की प्रवृत्ति है। उस मानव की प्रवृत्ति को भय से युक्त रखने के लिए वह ऐसे अपराधों से बचे और समाज के अन्दर एक आदर्श रहे, वह तो रखना पड़ेगा, इसलिए कानून के अन्दर सख्त सजा का प्रावधान, फांसी की सजा का प्रावधान रहे। ...*(व्यवधान)*

मैं दो मिनट का समय और आपका संरक्षण चाहूंगा।

सभापति महोदय : इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारे सैनिक आंतकवादियों की गोलियों का शिकार बनते हैं, यहां गृह मंत्री जी विराजे हुए हैं, उनका भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब कश्मीर की वादियों के अन्दर, जहां केसर की क्यारियों में कभी केसर महका करती थी, वहां आतंकवादियों के हाथों बेगुनाहों का खून बह रहा है। ऐसे समय में हमारे सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन आतंकवादियों को हिन्दुस्तान की सीमाओं से धकेलने का, खत्म करने या मौत के घाट उतारने का प्रयत्न करते हैं तब मानवाधिकारवादी बीच में आ जाते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मानवाधिकारवादी यू.एन.ओ. का नाम लेकर, कभी बगुला भगत बनकर और महान युग का नाम लेकर ऐसी बातें कहते हैं कि नहीं–नहीं, फांसी की सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की बात कह देते हैं। परिणामस्वरूप हमारे सशस्त्र सैनिक बलों का आत्मबल भी गिरता है, जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, चाहे वे लद्दाख के अन्दर हों, चाहे अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों के अन्दर हों अथवा कश्मीर की वादियों के अन्दर हों, चाहे सियाचीन के अन्दर हों। वे सब कुछ सहन करके देश की रक्षा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब भगत सिंह जैसे

[प्रो. रासा सिंह रावत]

महान क्रान्तिकारी को फांसी की सजा हुई तो उस समय उनकी मां से कहा कि मां, तुम्हारे लाडले को फांसी की सजा हो रही है। उस समय भगत सिंह की मां ने कहा था :

"परवाह नहीं जो बन गई, बच्चे की जान पर,
एक तो क्या, लाख भी हों तो वार दूं, भारत की शान पर।"

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजों द्वारा फांसी देने की वजह से ही भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को महान शहीदेआजम की पदवी मिली और उन्हें फांसी नहीं दी गई होती, तो शायद हमें आजादी इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती। आजादी की लड़ाई के अंदर चाहे चन्द्र शेखर आजाद हो, चाहे अशफाक उल्ला खां हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, इन क्रांतिकारियों का फांसी के तख्ते पर चढ़ना, इनका गोलियां चूमना, वह भी हमारे इतिहास के लिए प्रेरणास्रोत बन गया। मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जघन्य अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान हमारी सीआरपीसी में अवश्य हो। फांसी की सजा बरकरार रहनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि हर किसी को तो फांसी की सजा नहीं दी जाए, जैसा अपराध होगा, वैसी सजा मिलेगी, लेकिन एग्जेम्प्लेरी पनिशमेंट का प्रावधान हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे सांसद श्री चंद्रप्पन जी जो विधेयक लाए हैं और इसके जरिए जो चर्चा का मौका दिया, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस विषय पर चर्चा होना जैसा कि रावत जी ने बताया, ऐसा एक मोटिव लगा, जैसे कुछ लोगों को फांसी हुई, इसलिए इसे हम आज लाए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह दो साल पुराना बिल है और इसे हम किसी मोटिव से नहीं लाए हैं। यह एक चर्चा का विषय है, इसलिए इसे लाए हैं। इसके पीछे कोई कारण नहीं है। यह एक सोच है। दुनिया के पैमाने पर यह सोच चल रही है। हम मानते हैं कि जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान में भी जीवन का अधिकार है। क्योंकि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, इसलिए हमें जीवन लेने का हक है या नहीं, यह एक बहुत पुराना सवाल है।

दूसरा सवाल यह है कि जब कहीं पर कोई अपराध होता है या कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो व्यक्ति और समष्टि के व्यवहार में फर्क है। सभ्यता कोई एकक प्रयास नहीं है, बल्कि वह मिश्रित प्रयास है। सब मिलकर समाज, देश और जाति को आगे बढ़ाते हैं, समाज का एक कलेक्टिव प्रयास होता है, जब कोई व्यक्ति गलत करता है और समष्टि उसी तरह गलत नहीं करता है, धीरे–धीरे समाज में इस तरह की चेतना दुनिया में विकसित हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज क्या होना चाहिए, कल क्या होना चाहिए, मगर समाज को विकास के साथ–साथ, सभ्यता के विकास के साथ–साथ जो आधुनिक और मानवीय सोच है, उसे बदलना पड़ता है। अब वह जमाना नहीं है। एक समाज पाश्विक होता था। जितना–जितना समय आगे बढ़ रहा है, समाज में मानवीय सोच का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस दृष्टिकोण से यह कहना गलत नहीं है कि जब हम जीवन दे नहीं सकते, इसलिए हमें जीवन नहीं लेना चाहिए। एक अकेला कोई अपराध करता है, तो उसके लिए बदले की भावना से, जिसके पास पावर है और वह सब कुछ कर सकता है, जिसके पास ताकत है, उसे बदले की भावना से इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सभ्यता के विकास में इस स्टेज में हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा गया। जैसा कि यूनाइटेड नेशंस से अपील की गई थी कि दुनिया में 129 देश इसको बंद कर चुके हैं और हर साल एक–दो देश इस अपील पर गौर कर रहे हैं और फैसला कर रहे हैं। इसलिए यह सोचना गलत है, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहना है कि सभ्यता के विकास के साथ–साथ हमको और अधिक उदारवादी, मानवीय चिंता, जो सभ्यता के विकास में और जनता और दुनिया के बीच में आगे बढ़ रही है, इसके साथ सहमति व्यक्त करना ही सभ्यता को आगे बढ़ाने का तरीका है।

इसलिए मानवीय अधिकार के सवाल आज पूरी दुनिया के पैमाने पर चल रहे हैं। उसे और मजबूत करने की भावना को बल देना चाहिए। अपराध के लिए सजा होनी चाहिए। जैसे राव साहब कह रहे थे कि सजा देनी बंद नहीं होनी चाहिए, किसी के मन में डर पैदा करने के लिए और उसे अपराध से दूर रखने के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। सजा की डिटरैंट की भूमिका है और सजा के द्वारा अपराधी को सुधरने का मौका भी दिया जाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो मां और दूसरे लोग भी उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गलती होने पर मां भी बच्चे की पिटाई करती है। मां उसे बदले की भावना से सजा नहीं देती बल्कि सुधारने की भावना से देती है जिससे वह सही रास्ते पर आ जाए। इसलिए मानवीय अधिकार के दृष्टिकोण से यह प्रस्ताव सही है। इसलिए हमारे कानून में, सीआरपीसी में इसका प्रावधान है। यह ब्रिटिश राज के जमाने से चला आ रहा है। इस बारे में ब्रिटिश राज का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था और आज भी ब्रिटिश राज की बहुत सी चीजें हमारे कानून में चली आ रही हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। यद्यपि हमने एक के बाद एक बहुत से सुधार किए हैं और आगे आने वाले दिनों में हमें ऐसी चीजें ढूंढकर उन्हें बदलने का प्रावधान करना पड़ेगा। ब्रिटिश राज में जो कानून बने थे, वे उनके हिसाब से बने थे। उन्हें हमारे देश ने खारिज कर दिया है और हम उन्हें धीरे–धीरे बदल भी रहे हैं। मैं

चाहूंगा कि इसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इसीलिए हम इस प्रस्ताव का व्यक्तिगत और नैतिक रूप से समर्थन करते हैं। इस बारे में हमारी सोच आगे बढ़नी चाहिए।

हिन्दुस्तान के कानून में पनिशमैंट का जो प्रावधान है, हमारे संविधान के आर्टिकल 72 में इसका प्रावधान है लेकिन संविधान ने उसकी आखिरी बात को नहीं माना है। जिस तरह से हमारे कानून में कैपिटल पनिशमैंट है, उसी के साथ हमारे संविधान में आर्टिकल 72 है। आर्टिकल 72 कहता है कि जिसे सजा दी जाएगी, वह करुणा या दया की अपील कर सकता है। इसमें उसको क्लेमैंसी का राइट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आर्डर दे दो और उसे खत्म कर दिया जाए। इसका कारण यह है कि जितने नॉमिनी हो सकते हैं, जो रेयरैस्ट ऑफ दी रेयर केस होता है, उसके बावजूद भी आर्टीकल 72 विद्यमान है। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह बात होगी कि इसे जितना ज्यादा फ्लैक्सीबल या नरम बनाया जा सकता है उतना किया गया है। जैसे मृत्यु दंड पाया हुआ अपराधी प्रैजीडेंट के पास जाकर क्षमा मांग सकता है। आर्टिकल 72 में बताया है –

[अनुवाद]

"(1) राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए सिद्धरोष ठहराए गए, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की –

(क) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है,

(ख) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है,

(ग) उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है,

शक्ति होगी।"

[हिन्दी]

कॉन्सटीट्यूशन के अंदर भी आर्टीकल 72 इसीलिए रखा गया है कि उसे मानवीय दृष्टिकोण से और कितना फ्लैक्सीबल किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इसे किस स्थिति में करेंगे। केवल इस पावर को कैबिनेट के हाथों में दिया गया है। उसमें प्रशासन को दखलअंदाजी देने का हक है। लेकिन वह डिसीजन भी ज्यूडीशियल रिव्यू हो सकता है, उसकी क्लेमैंसी पर भी कोर्ट में विचार हो सकता है। यह भी सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है। इसके साथ यह भी देखा जाता है कि फैसला राजनीतिक या दलीय भावना से किया गया है या नेशनल इंटरेस्ट या इम्पार्शियल दृष्टिकोण से सिफारिश की गई है। हम यदि इम्पार्शियल दृष्टिकोण से सिफारिश करते हैं, तो उसका ज्यूडिशियरी रिव्यू नहीं लेते हैं। जब उसमें पार्शियलिटी या कोई दूसरी भावना या गलतियां दिखाई देती हैं तभी हम ज्यूडिशियरी रिव्यू लेते हैं। यह हमारे प्रोविजन को प्रयोग करने का तरीका है। हमारा कहना है कि इसको भावात्मक रूप से नहीं देखना है। यह एक आइडियोलॉजिकल इश्यू है, मानवीय इश्यू है। इसलिए जिस तरह इस प्रस्ताव को लाया गया है, उसे नकारा नहीं जाना चाहिए। धीरे–धीरे हमारे समाज को उसी मानवीय समाज की ओर ले जाने के लिए ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यही मेरा कहना है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री सी.के. चन्द्रप्पन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने गैर सरकारी सदस्यों के कार्य में इस विषय को लाकर चर्चा कराई है। निश्चित तौर पर हम सब आज एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है। अभी पूर्ववर्ती माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि हमारा जो कानून बना हुआ है, वह ब्रिटिश राज का बनाया हुआ है। इस कानून को बने हुए 58 वर्ष हो गए हैं। इन 58 सालों में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनकी शायद सीआरपीसी में कोई आवश्यकता नहीं है। समय–समय पर सरकार इसका अहसास करती है और उसे अमैंड करने का काम भी करती रही है।

सभापति महोदय, आज मृत्युदण्ड उत्सादन विधेयक, 2004 पर बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है कि क्या आज के जमाने में मृत्युदंड देना सही है? इस संबंध में कई बड़े विद्वानों के ओपीनियन्स आये हैं। कई महानुभावों के ओपीनियन्स आते रहे हैं। यह भी चर्चा होती रही है कि मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। यह भी चर्चा हो रही है कि मृत्युदंड को समाप्त नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि परिवेश और समय में बदलाव आया है। मृत्युदंड निश्चित तौर पर एक बहुत ही कठोर दंड है। यह दंड बर्बर और अमानवीय है, इस बात को भी हम स्वीकार करें, तो इसमें कोई दो मत नहीं है।

जैसा कि 58 वर्षों की आजादी के बाद हमारी मानसिकता में परिवर्तन हुआ है, हम आधुनिक प्रवृत्ति के होते रहे हैं, मैं समझता हूं कि खास तौर पर यह कहा जाता रहा है कि मृत्युदंड निश्चित तौर पर एक ऐसा दंड है, जो शायद मानव के लिए सही नहीं है। इसकी चर्चा आज हर स्तर पर हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर गंभीर चर्चा हुई, और एक निर्णय लिया गया कि मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। इस पर देश भी चिंतन और मंथन करने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता। समयवश

[श्री राम कृपाल यादव]

परिस्थितियां बदलती हैं। हमने तमाम कई अपराधियों की कहानियां सुनी हैं और उनकी हमें जानकारी भी हैं। परिस्थितिवश अच्छे से अच्छा आदमी, वैज्ञानिक, लेक्चरार भी अपराध में संलिप्त हो जाता है। मृत्युदंड देकर ही केवल अपराध को खत्म कर दिया जाये, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि अगर उस अपराधी को सुधारने का अवसर देना है, तो हमारे कानून में जो आजीवन कारावास का प्रावधान है, वह काफी है। आजीवन कारावास बहुत बड़ी सजा है। जीवन के लंबे अर्से तक अगर वह कैदखाने में रहे, तो मैं समझता हूं कि वह अपराधी सुधर जाएगा। आम तौर पर यह देखा गया है कि आजीवन कारावास की सजा काटकर जो व्यक्ति बाहर आया है, वह आदमी काफी सुधर गया है। उसमें अपराध करने की क्षमता खत्म हो गई है, उसमें अपराधबोध भी खत्म हो गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में पिछले 58 सालों में मात्र 55 लोगों को ही यह सजा मिली है। यह हो सकता है कि एक आदमी के मन में जब यह बात बैठ जाती है, तो उसे हम मात्र इस सजा के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने अत्यधिक अपराध किया है, क्रूर अपराध किया है तो यह नहीं देखना चाहिए कि उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया जाए, उसे सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर उसे सुधरने का मौका दिया जाए तो निश्चित तौर पर वह सुधर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में दो तरह की भावनाएं या दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं। जब व्यक्ति के अच्छे व्यक्तित्व पर खराब व्यक्तित्व हावी हो जाता है, तभी वह व्यक्ति अपराधी बनता है। हर व्यक्ति में इस प्रकार की दो भावनाएं होती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसके लिए उसे अवसर देना चाहिए। जघन्य अपराध कि हुए अपराधियों के सुधरने के उदाहरण देखने को मिलते रहे हैं और इसके लिए एक माहौल या वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे, कि अपराधबोध से ग्रसित व्यक्ति भी अपने आप में सुधार ला सके। मृत्युदंड जैसी सजा को समाप्त करना चाहिए। इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले लोग भी सुधरें, इसके लिए माहौल बनाना चाहिए। यह दण्ड निश्चित तौर पर एक कड़ा दण्ड है, इससे लोगों को मुक्त करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसे समाप्त करके भी अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है और अपराधियों को सुधारा जा सकता है। इस क्रूर दण्ड से लोगों को मुक्त किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं श्री चन्द्रप्पन जी को यह बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल) : सभापति महोदय, आपने मुझे श्री सी. के. चन्द्रप्पन द्वारा लाए गए मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2004 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, पक्ष और विपक्ष, दोनों ओर से सम्मानित सदस्यों द्वारा फांसी की सजा बरकरार रखी जाए, समाप्त की जाए या इसके स्वरूप को बदला जाए, इस पर कई विचार सामने आए हैं और यह भी कहा गया है कि चूंकि ईश्वर ही जीवन देता है, इसलिए उसे ही जीवन लेने का अधिकार है। यह बात भी सत्य है, लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू पर विचार करें तो हम इसे बनाए रखने पर मजबूर हो जाते हैं। यह प्रथा वर्ष 1260 में अमेरिका में आरंभ हुई और वहां से इसे अन्य देशों में एडॉप्ट किया गया। इसी तरह अपने देश में भी इस प्रथा को लागू किया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के हमारे एक सम्मानित वकील डा. जनकराज जय जी ने एक पुस्तक लिखी है और उन्होंने एवं कई अन्य विद्वानों ने यह विचार सामने रखा कि फांसी की सजा को समाप्त किया जाए। डा. जनकराज ने "डेथ पेनाल्टी" नाम से एक पुस्तक लिखी है। राष्ट्रपति जी से भी इस विषय पर विचार लिया गया तो उन्होंने अपने विचार–उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सदन में एक आम सर्वदलीय बहस होनी चाहिए। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि यदि कोई इस तरह का जघन्य अपराध करता है और उसकी फांसी की सजा क्षमा कर दी जाए, तो इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि वह सुधर जाएगा। वह भविष्य में फिर से उसी तरह के अपराध कर सकता है। यह एक प्रश्नचिन्ह हमारे सामने है। इस पर भी हम सभी को बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा। अभी मैं देख रहा था कि ब्रिटेन सहित दुनिया के लगाग 70 देशों में इस सजा को समाप्त कर दिया गया है।

अमेरिका के कुछ राज्यों में फांसी की सजा को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है और वहां किसी भी अपराधी को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है। हमारे कानूनविदों से और अन्य लोगों से जो वैचारिक सुझाव आए हैं, उससे सरकार का मत सामने आया है कि मौत की सजा के प्रावधान को बरकरार रखा जाए। देश के विधि मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज ने भी सुझाव दिया है कि मौत की सजा बरकरार रखी जाए।

अपराह्न 4.41 बजे

(श्रीमती कृष्णा तीरथ पीठासीन हुईं)

अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि यह तय होना चाहिए कि आजीवन कारावास दिया जाए या मौत की सजा दी जाए। अगर मौत की सजा देनी है तो उसके लिए क्या तरीका और अपनाया जा सकता है। इसी सदन में पहले भी इस पर चर्चा हुई थी और कहा गया था कि इंजेक्शन दिया जाए या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए। हमें दूसरी तरफ इस पहलू की तरफ भी देखना पड़ेगा कि देश में क्राइम रेट कितना बढ़ा रहा है। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि गुड़गांव में एक ऐसा अपराधी पकड़ा गया, जो किसी अकेले व्यक्ति को पकड़ता था और उसके पास चाहे 500 रुपए हों, 5000 रुपए हों या 500000 रुपए हों, उसे मारकर पैसे लेकर लाश को गटर में डाल देता था। इस

तरह से उसने 28 लोगों को मारकर गटर में डाल दिया और जब गटर की तलाशी ली गई तो उन सभी की लाशें निकलीं। क्या ऐसे लोगों को आप फांसी की सजा से मुक्त करेंगे। उस अपराधी को फांसी मिलनी चाहिए या नहीं, यह सोचने की बात है। हम एक तरफ देखते हैं कि जो सजायाफ्ता है, उसे ऐसी सजा न दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है, उसे कितना कष्ट है, उस पर क्या गुजरी है, इस पहलू की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा।

अभी राम कृपाल यादव जी ने ठीक कहा कि देश की आजादी से लेकर अब तक कुल 55 लोगों को फांसी दी गई है, जिनमें महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के हत्यारे भी शामिल हैं। पिछले दस वर्ष में केवल दस लोगों को फांसी की सजा दी गई। सन् 2002 से लेकर 2004 तक 528 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, वे चाहे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गए हों, उनमें से केवल एक व्यक्ति को ही फांसी की सजा मिली है। दूसरी तरफ जो कानून का पक्ष है, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कानून कितना सख्त है और कितना लचीला है।

मेरी जानकारी में यह बात है कि जिन लोगों के पास पैसा है, चाहे जाने या अनजाने में उनमें कोई अपराध हो जाए, वे पैरवी करके करीब–करीब छूट जाते हैं। लेकिन जो गरीब हैं, जिसके पास पैसा नहीं है कि वह पैरवी करा सके, उसे फांसी की सजा मिल जाती है। इसलिए कानून के सामने यह एक आर्थिक पहलू भी है, जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।

मैं कहना चाहूंगा की आप गरीब के पास जाकर विकास की बात करें तो वह यही कहता है कि मुझे इन्साफ नहीं मिला, विकास दूसरी बात है। यह एक आम चर्चा है। आप गरीबों के पास जाएं, गांवों में जाएं तो यही उनसे सुनने को मिलेगा कि उसने किसी चीज के लिए कहीं आवेदन किया, लेकिन उसे इन्साफ नहीं मिला। इससे यही लगता है कि कानून केवल छोटे लोगों के लिए ही बना है, कमजोर लोगों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। उदाहरण के लिए अपवाद हो सकते हैं, इसलिए हमें कानून की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा।

मैं चन्द्रप्पन जी से यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में फांसी की सजा का कानून है। उससे कोई भी अपराधी हो, वह डर रहा है कि मुझे फांसी की सजा हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी। आजीवन कारावास की सजा के मामले में व्यक्ति की उम्र देखी जाती है। अगर वह 65 साल का है तो 24 घंटे काउंट किए जाते हैं, फिर वह अपने परिवार के किसी सदस्य की शादी या अन्य अवसरों पर पैरोल पर भी रिहा हो जाता है, जिसकी सिफारिश हम लोग भी करते हैं। लेकिन आजीवन कारावास सख्त सजा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को यह पता चलेगा कि यह अपराध करने पर मुझे मौत की सजा मिलेगी तो वह डरेगा और अपराध पर कुछ अंकुश लगेगा। जिस दिन आपने यह सजा समाप्त कर दी, आप देख लेना देश में अपराध का ग्राफ दोगुना–तिगुना बढ़ जाएगा। कहीं भी कोई अंकुश नहीं लगा, तो अपराधों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें इसके हर पहलू पर विचार करना पड़ेगा और कानून को भी देखना पड़ेगा। आप देखिए कि बहुत से अपराधों में 20–25–30 सालों के बाद भी सजा नहीं हो पाई है। सेशन कोर्ट से हाई–कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया लेकिन समयबद्ध तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि सभी को समय से न्याय मिले, चाहे वह कमजोर वर्ग का व्यक्ति हो या शोषित हो। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो बहुत घिनौने सामाजिक अपराध हुए हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, ऐसे अपराधों पर लगाम लगे। आपने देखा होगा कि धनंजय चटर्जी ने किस प्रकार का अपराध किया था, हमें ऐसे अपराधों को रोकने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इस प्रकार के अपराध जब हमारे देश में हो रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। यहां हम कह रहे हैं कि फांसी की सजा को खत्म कर देना चाहिए लेकिन यह सुझाव किसी ने नहीं दिया कि इसके बदले कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे इस प्रकार के अपराध न हों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। माननीय सी.के. चन्द्रप्पन जी और सभी सम्माननीय सदस्य बताएं कि कौन–सा तरीका अपनाया जाए जिससे अपराधों पर लगाम लग सके। फांसी की सजा है तो इतने अपराध हैं, खत्म हो जाएगा तो उस दिन क्या होगा, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। सभी तरफ से विचार आ रहे हैं, हमें इस पर गंभीरता से विचार करके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा लाए गए गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति दिए जाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सभा के समक्ष इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने एक बहुत ही भावनापूर्ण अपील की है।

सर्वप्रथम, उन्होंने जो कुछ कहा है और जो बातें उन्होंने बताई हैं मैं उनसे असहमति व्यक्त करता हूं। लेकिन जब मैं अपना भाषण समाप्त करुंगा तो मुझे भी कुछ बातें कहनी हैं जो चन्द्रप्पन के विचारों से मेल खाती हैं।

सदियों से, विश्व के प्रत्येक भाग में गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता रहा है। ऐसी जानकारी है कि केवल 76 देश या क्षेत्र है जिनके पास आज मृत्युदंड देने का अधिकार है। एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने 2003 में बताया था कि इनमें से 28 देशों ने 1146

[श्री भर्तृहरि महताब]

बंदियों को तथा 2756 लोगों को मृत्युदंड दिया है। 2003 के दौरान दी गई सभी मौत की सजा में से 84 प्रतिशत मौत की सजा चार देशों में दी गई। इनमें चीन में 726, ईरान ने 108, संयुक्त राज्य अमरीका में 65 और वियतनाम में 64 लोगों को मौत की सजा दी गई। मृत्युदंड के उन्मूलन या उसकी संख्या को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सर्वप्रथम 1948 में मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अपनाते हुए पहला प्रयास किया था। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में परिभाषित किया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अनावश्यक मृत्युदंड को रोकने के लिए की गई थी। विश्वव्यापी घोषणा के अनुच्छेद 3 में इस लक्ष्य को और स्पष्ट करते हुए बताया गया कि "प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है।"

दिसम्बर, 1948 से 120 सदस्य देशों ने कानूनी रूप से या व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। कई देश अन्यों को भी इसे समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। विशेषकर यूरोपीय देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाले संयुक्त राष्ट्र के देशों के सबसे आगे हैं। यूरोपीय संसद ने यह घोषणा की है कि वह मृत्युदंड को अमानवीय सजा की मध्ययुगीन तरीका और आधुनिक समाज के अयोग्य समझती है। आज स्थिति क्या है? महोदया, 120 देश कानून में या व्यवहार में अपने यहां मृत्युदंड समाप्त कर चुके हैं। 85 देशों ने सभी प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। और 11 देशों ने साधारण अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। वहां केवल सैनिक कानून या राजद्रोह या असाधारण परिस्थितियों में किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। 24 देशों ने व्यवहार में इसे समाप्त कर दिया है। हमारा देश भारत ऐसे 76 देशों में से एक है जहां मृत्युदंड अभी दिया जाता है। इसका उल्लेख करते हुए विधेयक के प्रस्तावक ने बताया कि हमारी संख्या कम है। लेकिन हमारे बीच अच्छे संबंध है।

भारत में मृत्युदंड के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। निश्चित रूप से कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ संख्या बताई है। लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री से यह सुनना चाहूंगा। जहां तक मुझे जानकारी है, इस संबंध में कोई दोषरहित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। एक विधि आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वतंत्र भारत में अब तक 55 फांसी दी गई हैं। लेकिन इसमें संदेह है। भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट, 1967 के परिशिष्ट 34 में यह पाकर मुझे इसमें षडयंत्र दिखता है, जिसमें बताया गया है कि भारत के 16 राज्यों में 1953 से 1963 के दस वर्षों के दौरान 1422 लोगों को फांसी की सजा हुई है। फिर आप यह निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में मात्र 55 फांसी की सजा हुई है। माननीय मंत्री से मैं इसे स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

अनादिकाल से ही मृत्युदंड का मुद्दा एक बहस का मुद्दा रहा है। भगवान बुद्ध के समय में भी यह बहस जारी थी। मुझे कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछने हैं। क्या समाज अपने कुछ उदंड सदस्यों में से किसी को मृत्युदंड देने का निर्णय ले सकता है? क्या एक हत्या के लिए इसकी हत्या की जा सकती है? क्या समाज को यह अधिकार है? मृत्युदंड से संबंधित ये ही मूल प्रश्न हैं जिस पर पिछले कई वर्षों से चर्चा चल रही है।

आज माननीय राष्ट्रपति के समक्ष लगभग 50 क्षमा याचिकाएं लंबित हैं। ...*(व्यवधान)* यदि यह इससे कम है, तो मैं इसे कम करने के लिए तैयार हूं। 1983 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि मृत्युदंड, 'विरलतम' श्रेणी के मुकद्मों में दिया जाना चाहिए। श्री चन्द्रप्पन ने कहा है कि जल्लाद का फांसी का फंदा आज समाचारों में है। आप इसे चाहें या न चाहे परन्तु यह समाचारों में है। विधि निर्माताओं, न्यायाधीशों और मननशील लोगों के मन में यह लम्बे समय से रहता है। जहां तक मेरा संबंध है, सच्चाई यह है कि मृत्युदंड का विधि या संवैधानिक विषय से ज्यादा संबंध नहीं है। यह एक सामाजिक मुद्दा है। विभिन्न लोगों की इस पर विभिन्न प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोग इसके उन्मूलन के पक्ष में हैं तो कुछ इसके उन्मूलन के विरोध में हैं। कुछ लोगों के लिए यह आत्मा से संबंधित है। लेकिन हम जानते हैं कि इस दुनिया में इसकी समाप्ति का समर्थन करने वालों की एक मजबूत लॉबी भी है।

आज विश्व में कम ही लोगों को फांसी दी जाती है। अधिकांश लोगों को राजनीतिक कारणों से फांसी दी जाती है।

मृत्युदंड उत्सादन विरोधियों का मुख्य तर्क यह है कि इसका निरोधक प्रभाव होता है और यह मृत्यु के भय से नहीं बल्कि हत्या के अपराध के प्रति समाज की नफरत के कारण ऐसा होता है।

आज माननीय सदस्यों ने कहा है कि मृत्युदंड के बदले आजीवन कारावास की सजा दी जाए। लेकिन कई बार पता चलता है कि दुर्दांत अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और यदि वे कई बार थोड़ी सजा काटने के बाद पेरोल पर या मुक्त होने के बाद बाहर आते हैं तो फिर उस आदेश का क्या महत्व है?

1973 में – मुझे खुशी होती अगर किसी ने 1973 की चर्चा की होती – एक नई अपराध प्रक्रिया संहिता लागू की गई। उसके पहले मृत्युदंड देश का सामान्य कानून था और आजीवन कारावास अपवाद था। 1973 के बाद हमारे देश में सामान्य कानून यह है कि धारा 302, आई.पी.सी. के अपराधी या धारा 34, आई.पी.सी. में दोषी को आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए और मृत्युदंड एक अपवाद बन गया है। कौन सा मामला विरलतम है यह हमेशा ही तथ्यात्मक प्रश्न रहा है जो प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

हत्याओं की संख्या, हत्या करने के तरीके, प्रयुक्त हथियार, क्या अपराधी ने पीड़ित कै रक्षा के अभाव का फायदा उठाया है, आदि कुछ ऐसी दिशा–निर्देशक सिद्धांत हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने अपने से नीचे के न्यायालयों के लिए निर्धारित किये हैं। समय बीतने के साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उन मामलों के बारे में स्पष्ट संकेत दिए हैं जिसमे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य, श्री चन्द्रप्पन का यह विधेयक कि समाज को मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए एक काल्पनिक सोच है। मैं मानता हूं कि किसी दिन उच्चतम न्यायालय इस बात को स्वीकार करेगा कि कोई भी शासन जब किसी को मृत्युदंड देता है तो उस पीड़ित व्यक्ति को मानवता और मर्यादा से वंचित किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय एक दिन इस बात को स्वीकार करेगा। वह दिन हमारे देश और हमारे न्यायालयों के लिए एक महान दिन होगा। इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस भावना का समर्थन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा होगा। लेकिन यह तभी हो सकता है जब अपराधिक न्याय प्रणाली प्रभावी ढंग से यह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्ति को फांसी दी जानी है उसे वापस समाज के बीच तभी लौटने दिया जाए जब वह पूरी तरह से बदल चुका हो।

हमने गंभीर अपराधों के कारण लोगों को मरते हुए देखा है। निरपराध लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। जघन्य अपराध किए गए हैं और ऐसे मामले बहुत ही कम हैं। हमने यहां दिल्ली में और इस देश के विभिन्न भागों में यह सब देखा है। कड़े कदम उठाए जाने और कानून का भय कायम करने की भी आवश्यकता है। लेकिन श्री सी.के. चन्द्रप्पन ने जो रास्ता सुझाया है वह एक काल्पनिक सोच है। यह विचार चाहे जितना भी असंभव हो हमें इसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : सभापति महोदया, मृत्युदंड के उत्सादन संबंधी चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

मृत्युदंड सजा के रूप में विधि सम्मत सजा है। यह हजारों वर्षों से प्रचलित है। वर्ष 1500 में इंगलैंड में केवल राजद्रोह, हत्या, चोरी, बलात्कार और आगजनी जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। यहां तक कि भारत में भी उन दिनों समाज में हत्याएं कभी बर्दाश्त नहीं की जातीथी और मनुस्मृति में भी मृत्युदंड की चर्चा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हत्या के लिए विभिन्न साधनों द्वारा मृत्युदंड के बारे में चर्चा की है।

अपराह्न 5.00 बजे

कालिदास ने रघुवंशम में कहा है कि हत्या के लिए मृत्युदंड देना कानूनी रूप से सही है। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के उपखंड (5) में कहा गय है "जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाती है तो उसमें यह प्रावधान है कि उसे गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती।"

इस अधिनियम में कई निदेर्श दिए गए हैं। धारा 235, उप–खंड (2), धारा 1368, 369 और 370 में मृत्यु की सजा के संबंध में अनेकों संरक्षण दिए गए हैं। इस मामले को संपुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। उसमें अपील का प्रावधान है। फिर उसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील का प्रावधान है। यहां तक कि धारा 354, उप–खंड (3) के अनुसार न्यायालय को इस बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण देना होता है कि वह अन्य सजा के बदले मृत्युदंड क्यों दे रहा है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु–दंड को माफ कर देने या सजा को बदल देने का अधिकार है।

उदाहरण के लिए बोया गुन्डल्य सुपुत्र गुंडलप्पा हनुमप्पा के मुकद्में का उल्लेख करता हूं जब माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। गुंडल्या को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। उसने भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी। हत्या के उस मुकद्में में तीन गवाह थे। शिकायतकर्ता के अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन गवाहों के नाम नहीं दिए गए थे। मुकद्में पर विस्तृत चर्चा करने के बाद भारत के राष्ट्रपति ने उस मामले पर पुनः विचार करने के लिए 4.6.1959 को गृह मंत्रालय के पास भेजा था। 10.06.1959 को उनकी राय जानने के पश्चात् क्षमा याचिका की अनुमति दी गई और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया क्योंकि प्राथमिकी में साक्षियों के नाम नहीं थे। इसी वजह से इसकी अनुमति दी गई थी। इस तरह उस समय इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था। अब विश्वभर में मृत्युदंड समाप्त करने पर चर्चा चल रही है। हमारे माननीय सदस्य श्री चन्द्रप्पन ने मृत्युदंड समाप्त करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है। अब समय आ गया है कि मृत्युदंड पर पुनः विचार किया जाए। या तो इसे समाप्त किया जाए या स्थगित किया जाए। मेरा ऐसा विचार है।

मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि 28 अक्टूबर, 1965 को ब्रिटेन की संसद में हैरोल्ड विल्सन के नेतृत्व वाली लेबर सरकार में श्री सिडनी सिल्वरमैन ने इस संबंध में एक गैर–सरकारी सदस्य का विधेयक पुरःस्थापित किया था। विधेयक स्वीकृत हुआ और 9.11.1965 को उसे राजा की स्वीकृति भी मिल गई। पांच वर्ष के लिए मृत्युदंड स्थगित कर दिया गया और इसके बाद इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1853 में वैन्जुएला और वर्ष 1867 में पुर्तगाल ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया। इन देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया। अमरीका में मिशीगन पहला राज्य था जिसने वर्ष 1847 में मृत्युदंड

[श्री एस.के. खारवेनथन]

समाप्त किया। अब विश्व के 104 देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। यद्यपि 35 देशों की संविधि में मृत्युदंड का प्रावधान है लेकिन उन्होंने इसे स्थगित कर दिया है। 57 देशों में मृत्युदंड की सजा जारी है।

महात्मा गांधी के अनुसार "केवल ईश्वर ही जीवन ले सकता है क्योंकि वही अकेला जीवन दाता है।" मृत्युदंड को स्थगित अथवा समाप्त क्यों किया जाए? आजकल अपराधिक मामलों में न्याय प्रणाली इस तरह की है कि पुलिस छह घंटे के भीतर आरोप–पत्र दायर करना चाहती है और न्यायाधीश छह दिन के भीतर निर्णय देना चाहते हैं और यह कहते हुए प्रेस वक्तव्य देते हैं कि जिला न्यायाधीश ने छह दिन के भीतर अपना निर्णय दिया है। प्रश्न यह है कि जल्दबाजी में मामलों को निपटाने वाली न्यायिक प्रणाली में निर्दोष लोग सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा मेरा मानना है। अपनी बात के समर्थन में मैं हरबंस सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1982) के मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं इस मामले का उल्लेख करके अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। माननीय न्यायाधीश पी. एन. भगवती ने मृत्युदंड देने में न्यायिक अनिश्चितता के कारण इस मामले में सुनवाई की थी। उस मामले में तीन आरोपी थे – एक नीता सिंह, एक कश्मीरा सिंह और एक हरबंस सिंह। इन तीन आरोपियों ने एक ही मकसद से चार व्यक्तियों की हत्या की थी। इसी की पुनरावृत्ति थी और उनके काम करने का तरीका भी वही था। उन सभी को मृत्युदंड दिया गया था। उन्होंने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। उन्होंने अलग–अलग वकीलों की सेवाएं ली थीं। उन्होंने अलग–अलग याचिकाएं दायर की थीं। नीता सिंह ने एक याचिका दायर की थी और वह याचिका मानवीय न्यायाधीश चन्द्रचूड, माननीय न्यायधीश वी.आर. कृष्णा अय्यर और माननीय न्यायाधीश एन.एल. डटवाला के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने वह विरोध अनुमति याचिका निरस्त कर दी थी। कश्मीरा सिंह की याचिका न्यायाधीश फज़ल अली और न्यायाधीश पी.एन. भगवती के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

मृत्यु दंड के संबंध में उस विशेष अनुमति याचिका को स्वीकृति प्रदान की गई थी और उस पर सुनवाई के पश्चात् मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर उसे आजीवन कारावास के रूप में बदल दिया गया था। इसके बाद, हरबंस सिंह ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की और वह याचिका न्यायाधीश सरकारिया और न्यायाधीश सींगला के समक्ष प्रस्तुत की गई। उन्होंने उस विशेष अनुमति याचिका को 16 अक्टूबर, 1972 को अस्वीकार कर दिया। नीता सिंह और हरबंस सिंह दोनों को फांसी की सजा दी जानी थी परन्तु सौभाग्यवश हरबंस सिंह ने माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर अपने मृत्युदंड को इस आधार पर चुनौती दी कि कश्मीरा सिंह के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया परन्तु नीता सिंह की मृत्युदंड की सजा बरकरार रखी गई।

अतः हरबंस सिंह ने रिट याचिका दायर की और वह रिट याचिका न्यायाधीश सरकारिया के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसमें समस्या यह थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में अभिलेखों में कश्मीरा सिंह से संबंधित मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया और इसलिए वे न्यायाधीश कश्मीरा सिंह के मामले में दिए गए निर्णय से अवगत नहीं थे। इसके बाद हरबंस सिंह की रिट याचिका पर सुनवाई के पश्चात् उन्हें यह पता लगा कि इसी मामले में एक अन्य आरोपी को जो मृत्युदंड दिया गया था उसे बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि हरबंस सिंह को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। उसके मृत्युदंड को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। इससे यह परिलक्षित होता है कि न्यायिक त्रुटियां भी किसी व्यक्ति का जीवन ले सकती हैं। इस देश में ये हालात चल रहे हैं।

अतः मेरा दृष्टिकोण यह है कि 'आंख के बदले आंख' या 'दांत के बदले दांत' का रवैया ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए सलाउद्दीन बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीग उच्चतम न्यायालय ने भी यह टिप्पणी की थी कि मृत्युदंड केवल उन्हीं अपवाद स्वरूप मामलों में दिया जाना चाहिए जिनमें अपराध बहुत नृशंस हो। अब तो नृशंस मामलों में भी आजीवन कारावास की सजा ही दी जाती है। 10 या 12 वर्षों के लिए आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के स्थान पर इसकी अवधि 25 या 30 वर्ष या आरोपित व्यक्ति के जेल में सुधर जाने की अवधि तक की जा सकती है।

महोदय, यहां पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिए जाने पर चर्चा हुई थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आरोपित व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देनी ही चाहिए। यदि वह क्षतिपूर्ति देने में सक्षम नहीं है तो राज्य को उसकी सम्पत्ति जब्त कर लेनी चाहिए और फिर राज्य को पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना चाहिए।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो मृत्युदंड की सजा को संविधान में से हटा ही दिया जाना चाहिए या फिर यह उसमें बनी भी रहती है तब भी इसे स्थगित कर देना चाहिए। मेरा यही विचार है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति महोदया, यह जो मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2004 एबॉलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमैन्ट बिल, 2004 सदन में लाया गया है, इसमें कहा गया है कि मृत्युदंड का एतद् द्वारा उत्साद किया जाता है। परंतु यह समाज की

आदर्श स्थिति है और आदर्श कोई एक दिन में नहीं आता। हमारे यहां एक आदर्श समाज की कल्पना करते हुए यह मान्यता है– न राज्यम्, न राजासी, जो राज्य की व्यवस्था नहीं होगी, न कोइ राजा होगा। न दंडो नचदंडिता, न कोई दंड का विधान होगा और न कोई दंड देने वाला होगा। धर्मणेयो प्रजा सर्वे–सब लोग सच्चरित्र, सदाचारयुक्त आचरण करेंगे और एक–दूसरे की ही रक्षा करने में भी समर्थ हो जायेंगे। निश्चित रुप से यह आदर्श स्थिति होनी ही चाहिए, किन्तु इसके लिए जो परिवेश चाहिए, उस परिवेश के निर्माण का काम राज्य का है। किन्तु हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य है, धीरे–धीरे उसमें विकार आते जा रहे हैं और ये विकार आने के अनेक कारण हैं। इसलिए इन विकारों को दूर करने का उपाय करना जरूरी है। कोई अपराध क्यों करता होगा। कोई अपराध इसलिए करता है कि शायद उसकी शिक्षा नहीं है। इसलिए कि उसके लिए कोई रोजगार नहीं है, उसके गुजारे का कोई प्रबंध नहीं हैं परिवेश का कोई संस्कार भी नहीं है और इसके कारण वह अपराध करने को प्रवृत्त होता है। इसलिए यह होना चाहिए कि उसके लिए शिक्षा का प्रबंध हो। जिससे कि वह अपने लिए समाज को समझने की कोशिश करे और उसके गुजारे के लिए कोई रोजगार का प्रबंध हो जाए। आवश्यक आजीविका और उपार्जन करने के लिए उसके पास पर्याप्त प्रबंध हो। इसलिए संस्कारयुक्त सामाजिक परिवेश का निर्माण करना राज्य का दायित्व है। हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और न्याय, निर्णय की जो पद्धति है, उसके माध्यम से जो न्याय मिलता है, उस न्याय में भी काफी विलम्ब हो रहा हैं इसलिए सब प्रकार से इस असंतोष को शांत करने के लिए नानाविद् जो उपाय करने चाहिए, उन उपायों को करने में हम जितना सफल होंगे, उतना ही हम समाज में एक आदर्श स्थिति लाने का काम कर सकेंगे। इसलिए इस आदर्श स्थिति को, समाज की इस संरचना को बनाये रखने के लिए समाज की जो संरचना दिन प्रतिदिन क्षत–विक्षत हो रही है, उसे समाप्त करने के लिए भारत के संविधान की जो प्रीएम्बिल है, उसके बारे में हम विचार करें तो उसमें संस्कृति की कल्पना की गई है और उसमें कहा गया हैः हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से न्याय देने की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय वाली जो बात कही गई है, उसमें मैं कहूंगा कि जहां सामाजिक समता के पक्षधर नहीं होंगे, सामाजिक विषमता को लाने के लिए सामाजिक समता को कुचलने का जो काम करेंगे, वहां अन्याय होगा। आर्थिक अन्याय की जो बात कही गई है, उसमें भी अर्थ के लिए जो–जो भी अर्थ को प्राप्त करने के लिए नानाविध उपाय करते हैं, उसमें जिस प्रकार का षडयंत्र करते हैं, एक–दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाने का काम करते हैं, उसके कारण भी अपराध होता है। हम देख रहे हैं कि राजनैतिक अन्याय की जो बात है, वोट की राजनीति के लिए, वोट को प्राप्त करने के लिए क्या–क्या उपाय हो रहे हैं, उसको देखकर ही हम लोग अचम्भित हैं। मौलिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से जो हमने कल्पना की थी, उसको पूरा होते हुए हम नहीं देख रहे हैं। इसलिए सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए। सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए जो कानून बना हुआ है, वह कितना प्रभावी है, वह देखने वाली बात हैं इसी प्रकार से आर्थिक अन्याय को रोकने का उपाय करना चाहिए। सबको समान रूप से अपने गुजारे लायक रोजगार से जितनी भी आय मिलती है, उसमें उसका गुजारा हो जाना चाहिए, लेकिन क्या वह होता है, यह भी देखा जाना चाहिए। लेकिन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय नहीं हो रहा है। इसीलिए इन सारी बातों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य को मानवोचित धर्म तथा व्यवहार करना चाहिए। हमारे यहां आदर्श कल्पना हैः धृति, क्षमा दम अस्तेय, शोच निग्रहं धी विद्या, सत्य अक्रोध दशकं धर्म लक्षणं। मनुष्य का यही लक्षण है इसीलिए मनुष्यता के इन लक्षणों से विहीन होना अपराध की ओर प्रवृत्त करता है और इसलिए मनुष्य को अपने आप को इन सारी बातों के अनुकूल बनाने क लिए प्रयास करना चाहिए।

जो अपराधों की स्थिति होती है, उसमें भी व्यक्ति के प्रति जो अपराध किया जाता है या जब किसी व्यक्ति के अस्तित्व को खतरा पहुंचाने के लिए अपराध किया जाता है चाहे उसे भावात्मक रूप से, शारीरिक रूप से या उसे सामाजिक रुप से प्रताड़ित किया जाए, यह भी तो एक अपराध है। इसलिए इस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए? इसी प्रकार से समाज के प्रति किया गया जो अपराध होता है, उस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए? इसी प्रकार से राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से जो अपराध किया गया है, उसमें हमारा दृष्टिकोण क्या रहता है, वह सब बातें हमें देखनी चाहिए। एक ही नियम से सारी बातों का परिपालन हो जाएगा, यह ठीक नहीं है। इसलिए व्यक्ति के प्रति जो अपराध किया जाता है, उस अपराध के पीछे क्या भाव है, अपराध करने का कारण क्या है, उन सारी बातों पर जाकर फिर उसके बारे में सुझाव तय करने का काम हो सकता है, वह होना चाहिए। इसी प्रकार से समाज के प्रति जो अपराध किया गया है, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जो काम किया गया है तथा अपने हित को साधने के लिए समाज को नुकसान पहुंचाने का जो काम किया गया है, उस अपराध की क्या सजा तय होनी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से राष्ट्र को क्षति पहुंचाने के लिए जो काम किये गये हैं, राष्ट्र द्रोह के संबंध में जो अपराध किया जाता है, उसके बारे में क्या सजा होनी चाहिए? यह भी देखा जाना चाहिए।

अब जो प्रसंग चल रहा है कि यह जो संसद पर हमला हो गया,

[डा. सत्यनारायण जटिया]

यह संसद पर हमला करना नहीं है बल्कि एक तरह से लोक तंत्र की पद्धति जिसे हमने स्वीकार किया, यह तो उस पर हमला करने की बात है। उसमें हमारा जो मौलिक दर्शन तथा सिद्धांत है, जो हमारी मान्यता है, जो हमारी निष्ठा है, उस पर यह आक्रमण किया गया है, उसे क्षत–विक्षत करने का काम किया गया है तो उस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए, ये कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। इसीलिए इन सारी बातों को देखते हुए हमें उनके दंड के प्रमाण को तय करना चाहिए और उसमें सभी बातों के लिए किसी को मृत्यु–दंड होना ही नहीं चाहिए यह बात सब समय में, सब काल में सही नहीं होती है और इसलिए भय बिन होए न प्रीत, ऐसा कहा गया है। इसलिए भय तो होना ही चाहिए। इसी तरह से मनुष्य के बारे में मनुष्यता का जो रिश्ता है, एक–दूसरे के बारे में मनुष्य अब बहुत अधिक असहिष्णु होता चला जा रहा है, असंवेदनशील होता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि मनुष्यता का भाव धीरे–धीरे लोप हो रहा है और सब जगह ऐसा लगता है कि हम पाषाण हो गए हैं। वैसे भी जैसा कहा गया है: "पत्थरों से पत्थरों का रिश्ता कुछ होता नहीं है। पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है, पत्थर ने कब दिखाया पत्थरों को रास्ता, पत्थर ने कर रखा है पत्थर से वास्ता।" फिर भी पत्थर इतना बेकार नहीं है क्यों कि "पत्थर से जुड़कर पत्थर हो जाता है पत्थर, यह आदमी ही है कि इंसानियत से डरता नहीं।" आदमी इंसानियत से पीछे हट जाता है।

इसलिये इन सारी बातों को देखने के लिये हमें इन्सान की संवेदना को उजागर करना चाहिये, अपराधी में सुधार करना होगा। हमारे पास जेल कैसी हैं, इस बारे में सर्वांगीण रूप से विचार करना चाहिये क्योंकि इससे एक परम और आदर्श स्थिति में पहुंचा जा सकता है। मनुष्य को विरला जन्म मिला हुआ है। मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, उसे क्षति पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर यह क्षति पहुंची है तो उस सभ्य समाज के नाते उसका जीवन बनाये रखना चाहिये। यदि आदर्श कल्पना बनाना आदर्श की परिस्थिति है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थिति में बदलाव किये बिना उसे आदर्श स्थिति में नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिये मेरी मान्यता है कि किसी प्रकार का अपराध चाहे वह देश के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, समाज के प्रति हो, या व्यक्ति के प्रति हो, उसका जो भाव है या दुराव है, उसे देखते हुये जो समाज का फैसला हो, उसे मानना ठीक होगा। इन सारी बातों को एक मत से, एक बार में और एक तरीके से उसका न्याय किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : सभापति महोदया, मैं दो–तीन बातें रखना चाहूंगी। अभी माननीय सदस्य फांसी के भय की बताकर रहे थे। सब से पहले इसे परिभाषित किया जाना चाहिये कि फांसी क्यों होनी चाहिये। आज एक तरफ जिस तरह से समाज में असमानता फैल रही है, उससे कितने लोगों में फांसी का भय रह गया है? आज तक मारे देश में जिन लोगों को फांसी दी गई है, उससे एक ही प्रश्न पैदा होता है कि क्या फांसी देने से गुनाह खत्म हो गये हैं। आज तक सरकार क्या सोच पायी है कि फांसी होनी चाहिये या नहीं, क्या इस सोच से आगे बढ़े हैं? हमारे एक बुजुर्ग सदस्य कह रहे थे कि जो इस तरह का अपराध करते हैं, उन्हें फांसी होनी चाहिये। मेरा यही सवाल है कि इसे किस तरह से परिभाषित करेंगे कि उसे किस तरह के अपराध के लिये फांसी होनी चाहियें। माननीय सदस्य ने अफजल का नाम लिया। क्या आतंकवादी को फांसी देने से आतंकवाद खत्म हो रहा है? जो व्यक्ति अपने सिर पर कफन बांधकर ह्यूमन बम लगाकर अपराध कर रहा है, उसको फांसी देने से क्या उसकी बुराई खत्म हो जायेगी? वह अपने मजहब में अपने कर्तव्य को पूरा करके शहीद कहलाया जा रहा है। उसे एक अपने रूप में शहीद करार दिया जा रहा है। 1984 के दंगों में सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को फांसी हुई। एक तरफ लोगों ने उसे गुनाह कहा तो दूसरी तरफ इतिहास में उसका नाम आ गया।

सभापति महोदय, मेरा प्रश्न है कि एक तरफ हम आतंकवादी को पकड़ते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं लेकिन कोई ऐसी घटना होने पर यह डिमांड होती है कि उसे ले जाकर हम अन्य अपराधियों को सौंप देते हैं। हम यह क्यों नहीं सोचते कि काउंटर कार्य किया जाता हैं फिर भी यह प्रश्न उठता है कि क्या वह फांसी के लायक है या नहीं है। इस संबंध में चाहे सत्ता पक्ष को लें या दूसरे क्षेत्र के लोगों को लें, वे मात्र सत्ता के लिये, अपनी सीट के लिये मजहब का खेल खेलते हैं और कुछ लोग कट्टरता का खेल खेलते हैं। वे लोग लोगों को मारते हैं, उनका खून करते हैं, क्या ऐसे लोगों को फांसी होगी जो इस तरह का कट्टरता का खेल मजहब के आधार पर खेलते हैं? अभी कुछ महीने पहले एक संतोष नाम के आदमी को मीडिया द्वारा दिखाया गया कि किस तरह उसने सात लोगों की हत्या की, मीडिया ने उसे दिखा तो दिया लेकिन उसने बाद में आत्महत्या कर ली ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप संक्षेप में अपनी बात रखें कि मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए या नहीं क्योंकि अभी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन : सभापति महोदया, उस व्यक्ति ने तीन महीने बाद आत्महत्या कर ली। उसके पहले उसने पांच चिट्ठियां लिखी जिसमें उसने लिखा कि वह बेगुनाह है। कल यदि निष्पक्ष जांच हो और वह लड़का बेगुनाह साबित हो जाता है तो क्या उन लोगों को फांसी की सजा होगी जिसमें वे शामिल हैं, चाहे वह मीडिया हो या जांच कमेटी हो, चाहे तिहाड़ हो। यदि आप फांसी को डिफाइ नहीं कर सकते तो

धिकतर देखने में आया है कि उन लोगों को कभी सजा नहीं हो पाती जिन्होंने गोधरा कांड किया या हिन्दू–मुसलमान दंगे कराने का काम किया हो। अक्सर वहीं होता है कि या तो वह निर्दोष होकर छूट जाते हैं या उन लोगों को फांसी मिलती है जिनके लिए फांसी और मौत का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। कल ही मैं टीवी पर देख रहा था कि आज लोग इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि लोग अपनी मौत का लाइव टैलीकास्ट देखते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या अपनी फांसी से डरेंगे? मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी।

आज जो सामाजिक असमानता है, उसमें अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीर पैसे से कानून खरीद सकता हे लेकिन गरीब व्यक्ति 20–25 सालों से जेल में है, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं हैं आज जो माहौल है, आज जो माहौल क्रियेट किया है, दिन पर दिन मीडिया के माध्यम से जो अश्लीलता का माहौल बनाया जा रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। लोगों को सुधारने की जरूरत है। मैं समझ सकता हूं कि यदि आप किसी को सश्रम कारावास दे रहे हैं तो उसका पश्चाताप का मौका दे रहे हैं उसको सोचने का मौका दे रहे हैं कि उसने गलत किया है या नहीं। यदि वह सोच नहीं पाएगा तो वह कब समझ पाएगा कि उसने गलत किया है। इसलिए मैं इस मृत्यु–दंड के खिलाफ हूं और इसको हटाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अगले वक्ता को बुलाने से पहले मैं श्री हान्डिक को कार्य मंत्रणा समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बुलाता हूं।

अपराह्न 5.22 बजे

कार्यमंत्रण समिति

30वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 5.23 बजे

मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2004 - जारी

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : सभापति महोदया, इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री चन्द्रप्पन द्वारा मृत्युदंड उत्सादन संबंधी पुरःस्थापित विधेयक सर्वाधिक विवादास्पद विषयों में से एक है। इस संसद में ही नहीं विश्व में और देश में भी इस महत्वपूर्ण विषय पर विचारों में मतभेद हैं। इस विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। अनेक अध्ययनों ने भी मृत्युदंड उत्सादन के प्रश्न से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों के किसी निर्णयात्मक सबूत का खुलासा नहीं किया है।

जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हमें मामले पर अलग–अलग विशिष्ट मामलों के दृष्टिकोण से नहीं अपितु दार्शनिक दृष्टिकोण से चर्चा करनी चाहिए। हम कुछ मामलों को उद्धृत करके यह नहीं कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध जघन्य हैं और इतने गंभीर हैं कि इन्हें फांसी दी जानी चाहिए लेकिन हमें श्री चन्द्रप्पन द्वारा उठाई गई समस्या से निपटने के तरीके पर अवधारणात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

महोदया, दार्शनिक रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मृत्युदंड जीने के अधिकार की भावना के विरुद्ध है क्योंकि जैसाकि अनेक सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है तथा इसका समर्थन किया है। जीने का अधिकार व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता है और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या राज्य या किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का जीवन लेने का अधिकार है? निःसंदेह असाधारण मामलों में आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि तब आपको यह पता लगाना होगा कि क्या इस बात को पुष्ट करने के लिए वैकल्पिक तरीके हैं कि यह असाधारण मामला है और उसे जीने का अधिकार दिया जाएगा क्योंकि सरकार और राज्य के प्रयास केवल व्यक्ति के जीवन को पोषित करने और उसे प्रतिष्ठित जीवन प्रदान करने के हैं। यदि आप मृत्युदंड के रूप में उसका जीवन लेते हैं तो हम जीने के अधिकार के सिद्धांत का उल्लंघन करेंगे। इसलिए, वर्ष 1977 के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष एक संकल्प पारित करता है जिसमें उन देशों से जिन्होंने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया है, मृत्युदंड स्थगन हेतु आह्वान किया जाता है।

अप्रैल, 2005 में स्वीकृत नवीनतम संकल्प पर 81 सदस्य देशों की सहमति थी।

अतएव, आज विश्वस्तर पर इस बात पर बहुमतेन सहमति है कि मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसका केवल यही

[प्रो. एम. रामदास]

कारण है। सभी ओर मानवाधिकारवादियों ने यह लक्षित भी किया है कि मृत्युदंड के विधान की समाप्ति से मानवता सुरक्षित हुई है।

भारत के संविधान में भी जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही गई है। इस दार्शनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमें सोचना चाहिए कि मृत्युदंड का हटाया जाना एक उचित कदम होगा।

मृत्युदंड के पक्ष में एक अन्य तर्क यह दिया जाता है कि यह एक नियामक की तरह कार्य करता है, यह लोगों में इस वास्ते एक तरह का भय और नैतिकता पैदा करता है कि वे कोई जघन्य अपराध न करें। परन्तु, आंकड़ों और आनुभविक साक्ष्यों से इन दोनों पक्षों के बीच कोई सकारात्मक सह–संबंध दृष्टिगोचर नहीं होता। भारत में फांसी के ज्यादा मामले नहीं हुए लेकिन विगत कुछ वर्षों के भीतर हमने लगभग 55 ऐसे मामले देखे। तथापि, क्या मृत्युदंड का विधान रखकर भी आपराधिक मामलों की संख्या में कमी आ सकी? अपराध दर में तो कमी नहीं आई। अपराध और अपराध–दर मृत्युदंड के परे अन्य विलक्षण कारणों से संबंध रखते हैं। ऐसा नहीं लगता कि मृत्युदंड के भय से लोग अपराध करना बंद कर देते हैं। अतः यह कहना कि मृत्युदंड से अपराधी भयभीत रहेगा, आज भी कोई ठोस तर्क नहीं है, और हमें देखना होगा कि अन्य किन्हीं उपायों से ऐसा संभव है?

मेरे आदरणीय मित्र श्री खारवेनथन ने न्यायिक विसंगतियें का उल्लेख किया। मान लीजिए आप एक मामला लेते हैं और उस मामले में आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह खरी जांच नहीं कर पाती और किसी निर्दोष व्यक्ति को दण्ड का भागी होकर मृत्युदंड की सजा दी जाती है, तब फिर यह गलती सुधारी न जा सकेगी। मृत्युदंड दिए जाने के पश्चात् यदि यह जाहिर होता है कि वह निर्दोष था तो उसे पुनः जीवन प्रदान नहीं किया जा सकता है। और, भारतीय न्यायालयों में साक्ष्याधारित न्याय पूरी तरह खरा नहीं हो पा रहा तथा कई निर्दोष व्यक्ति भी दण्डित हो रहे हैं। कई मामलों में अदालतों में साक्ष्याधारित निर्णयों का, अन्य कारकों के आधार पर, पलट दिया है। अतः मृत्युदंड देने से पीड़ित के पास कोई समाधान या उपाय शेष नहीं बचता। इस दृष्टिकोण से यह फैसला फिर बदला नहीं जा सकता। इसलिए हमें अन्य विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए।

महोदया, मेरा विचार है कि मृत्युदंड के बदले अपराधी को जीवनावधिपर्यन्त कोई अन्य दण्ड दिया जाए और इस बीच उसे न तो पैरोल पर छोड़ जाए न ही माफी दी जाए। तथापि, यदि अपराधी अतिविकृत मानसिकता का है तो अवश्य यह विचार मन में आता है कि इस तरह का दंड समाप्त किया जाए कि नहीं। आज जिस प्रकार के जघन्य अपराध हो रहे हैं। आतंकवादी हमले और वारदातें हो रही हैं तो क्या अपराधी मानवाधिकार के नाम पर बच पाएंगे? फिर प्रश्न तो यह भी है कि ऐसे लोगों का कोई मानवाधिकार है भी या नहीं? परन्तु यदि सरकार या देशवासी चाहें तो हम आतंकवादियों के लिए कोई अन्य वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं।

अतः हमें यह देखना होगा कि ऐसे लोगों से कानून द्वारा ही निपटा जाए। अतः वैचारिक स्तर पर मैं अनुभव करता हूं और श्री चंद्रप्पन के इस विचार से सहमत हूं कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए – परन्तु यह अवश्य ही कहना चाहूंगा कि व्यावहारिक रूप से भले ही इसे समप्त कर दिया जाए लेकिन सैद्धांतिक तौर पर इसे रखा जाए। मृत्युदंड का विधान सिद्धांतरूप में विद्यमान रहे। किन्तु, इसे क्रियान्वित न किया जाए जिससे विधि–व्यवस्था और जीने का अधिकार बचा रहे और काई निर्दोष किसी न्यायिक विसंगति का शिकार न हो।

सभापति महोदया : धन्यवाद, प्रो. रामदास।

अब श्री रघुराज और श्री गिरधारीलाल भार्गव उपस्थित नहीं हैं, अतः मैं अगले वक्ता को आमंत्रित कर रही हूं – श्री ब्रह्मानन्द पंडा।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदया, श्री चंद्रप्पन द्वारा प्रस्तुत इस अति–महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

इस पहलू पर चर्चा करने के पूर्व मैं माननीय सदन के समक्ष कहना चाहूंगा कि एक वकील होने के रूप में मैंने उड़ीसा के के.बी.के. श्रेणी वाले जिलों सहित राउरकेला इस्पात–नगरी के मुकद्में लिए हैं और मैंने पाया कि अधिकतर मामलों में विधिक साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त छूट जाते हैं। इस सदन के लिए निर्वाचित होने के पूर्व मैंने जो अंतिम मामला लिया था वह था – दारासिंह का मामला, जिसमें निचली अदालत ने मृत्युदंड निश्चित किया था परन्तु बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया तथा जबकि अन्य लोग छूट गए।

इस संदर्भ में जबकि वह मान लिया जाए कि अपराध जघन्य और नृशंस किस्म का है, समाज पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा वह अपनी तरह का विलक्षण अपराध है तो फिर ऐसे मामले में मृत्युदंड दिया जाता है।

तथापि, आज के हमारे सभ्य समाज में सामाजिक कार्यकर्त्ता मृत्युदंड हटाने की बात कर रहे हैं। अपराध बढ़ता जा रहा है, आज हम रेल, बस या विमान में असुरक्षित महसूस करते हैं और देश में चिंता का वातावारण बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह देखना होगा कि मृत्युदंड की समाप्ति उचित है या नहीं। इस बारे में सभा से मेरा विनम्र निवेदन

है कि मृत्युदंड का विधान बनाए रखा जाए, तथापि इसे विलक्षण अपराधों के मामले में ही प्रयुक्त किया जाए, जैसे – स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या, संसद पर हमला, इत्यादि। इस संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति लाहोटी ने कहा था कि मृत्युदंड देने के पूर्व मामले के तथ्यों की भलीभांति पड़ताल की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने विस्फोट कांडों का उदाहरण देते हुए कहा था कि ऐसे लोगों को भला और कौन सी सजा दी जाए जो निर्दोष लोगों की जान लेकर देश में भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। उनके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए।

मृत्युदंड का विरोध करने वालों से प्रतिप्रश्न करते हुए न्यायमूर्ति लाहोटी ने कहा, "कुछ लोग और सामाजिक कार्यकर्ता यह कहते हैं कि मृत्युदंड देने के पश्चात् आप पुनः दण्डित को जीवनदान नहीं दे सकते। ज़रा उस व्यक्ति से पूछिए, जिसने इस विस्फोट की साजिश रची, कि क्या वह इस कांड में मृत व्यक्तियों को पुनः जीवनदान दे सकता है? क्या वह मारे गए व्यक्तियों की जिंदगी दोबारा वापस लौटा सकता है? हम पीड़ित और मृत व्यक्तियों की अपेक्षाएं तो भूल जाते हैं, और केवल एक व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं।"

इन परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए अपने एक हाल के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को स्पष्टभाव से तरजीह नहीं दी कि ऐसे मामलों में परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। मृत्युदंड देने संबंधी अपने पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों को केवल विलक्षण मामले में ही, दण्ड देने के पूर्व, अपराध की बाध्यकारी परिस्थितियों की पड़ताल करने को कहा था।

सभापति महोदया : इस विधेयक के लिए दिया गया समय पूरा हो गया है। अब केवल एक ही माननीय सदस्य का भाषण शेष है और इसके बाद मंत्री उत्तर देंगे। अतः, यदि सभा सहमत हो तो हम इस विधेयक पर चर्चा का समय आधे घंटे और बढ़ा दें।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि विस्फोट–कांडों के अपराधी के साथ कोई दया न बरती जाए। माननीय खण्डपीठ ने कठोर शब्दों में कहा, "समाज की मान्यतानुसार कि यह आरोपित व्यक्ति समाज के लिए एक खतरा है, यह इस धरती पर जीवित रहने के लायक नहीं है।" माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों का यह न्यायिक दृष्टिकोण है।

मैं यहां पर रेखांकित करना चाहूंगा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 72, 74, 21, 161 और 162 इत्यादि जीवन के अधिकार और वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात की गई है। किंतु किसी मामले में जबकि साक्ष्य स्पष्ट, विश्वसनीय और अनभियोग्य हैं तथा फिर भी आरोपित व्यक्ति छूट जाता है, तो यह समाज के हितों के विपरीत बात होगी।

सभापति महोदया : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : महोदया, अंत में इस टिप्पणी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में मैं मानता हूं कि देश में अपराध की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर अभी मृत्युदंड का प्रावधान समाप्त न किया जाए। जब उचित समय आएगा तो इस पर विचार करेंगे। आपराधिक मानसिकता बदलने की स्थिति बने तब यह ठीक रहेगा।

महोदया, जैसा कि आप जानते हैं अपराध करने वाले व्यक्तियों को किराए पर लिया जा रहा है और निर्दोषजन मारे जा रहे हैं। जबकि उनका किसी से कुछ लेना–देना नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह समय इस दंड की व्यवस्था समाप्त नहीं करने का नहीं है। इस संबंध में अन्य सैद्धांतिक उपबंध है कि आपराधिक मामलों में भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल, विधि के अधीन, ऐसे दण्ड में क्षमा दे सकता है या इसे कम कर सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आशा रखता हूं तथा अपील करता हूं कि श्री चंद्रप्पन का स्वप्न भविष्य में साकार हो जाएगा, लेकिन अभी इसे स्थगित रखा जाए।

सभापति महोदया : धन्यवाद। अब इस चर्चा के अंतिम वक्ता श्री फ्रांसिस फैंथम बोलेंगे।

श्री फ्रांसिस फैंथम (नाम निर्दिष्ट) : सभापति महोदया, मैं इस मत का समर्थन करता हूं कि मृत्यु दंड विपथन है और सभी लोकतंत्रों में मृत्युदंड समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस सोच को बढ़ावा देते हैं कि इस राष्ट्र के पांच हजार वर्षों की सभ्यता के इतिहास को पर्याप्त रूप से नहीं विकसित होने देना चाहिए था और यह बर्बर रुख अपनाना चाहिए कि सभ्य समाज के लिए मृत्युदंड आवश्यक है।

मुझे हिन्दुत्व के इस विचार से शक्ति प्राप्त होती है जो अहिंसा को बढ़ावा देता है, बौद्ध मत से शक्ति मिलती है जो सभी तरह की हिंसा को घृणित समझता है, यहूदी मत और इसाईयत से शक्ति मिलती है जिसने धार्मिक व्यवस्था में मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इस्लाम धर्म में भी किसी भी प्रकार की मृत्यु का प्रावधान नहीं करता जब तक कि काफिर होने का मामला न हो और यहां भी बहुत विशेष प्रावधान किए गए हैं।

महोदया, मेरा विश्वास है कि जघन्य अपराधों के शिकार भी एक कारण के लिए शहीद होते हैं। और यह उन लोगों के लिए है जो यह

[श्री फ्रांसिस फैंथम]

सुनिश्चित करने के लिए उत्तरवर्ती मसलों पर विचार–विमर्श करते हैं ताकि समाज में गिरावट आने के बजाय उनके बलिदान से उत्कर्ष की प्राप्ति हो। क्या महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी या हमारे प्रिय राजीव गांधी एवं अन्य महान व्यक्तियों की जघन्य मृत्यु को तुच्छ बना दिया जाना चाहिए और उसे हत्या की तरह ही देखा जाना चाहिए? यदि समाज को लाभान्वित होना है तो हमे हम्मूरावी के 'आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत' संहिता जिस पर चलकर निश्चित रूप से दुनिया में अंधेरगर्दी मच जाएगी के संदर्भ में गांधी जी के प्रतिप्रत्युत्तर को ध्यान में रखना चाहिए।

विपत्ति और क्रूरता की स्थिति में सभ्य समाज को उदारता दिखाने की जरूरत होती है और नीरस विचारों से ऊपर उठने की जरूरत होती है तथा ऐसी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत होती है जो सामाजिक व्यवस्था को समृद्ध कर सके और उसे ऊपर उठा सके।

इस बात को स्पष्ट करने के लिए कई घटनाएं उदाहरण के रूप में ली जा सकती हैं। एक विचार यह है कि मृत्युदंड सबसे अधिक सोच विचारकर की गई हत्या है जिसकी तुलना किसी भी जघन्य अपराधी से भी नहीं की जा सकती। एक अन्य विचार भी है। एक सभ्य समाज को उन मूल्यों और सिद्धांतों पर अवश्य आधारित होना चाहिए जो उसके द्वारा निन्दित मूल्यों से श्रेष्ठ हों। एक अन्य विचार है कि एक ऐसे समाज को जो जीवन के लिए महत्व रखने वाले सरोकारों को बढ़ावा देता है, जीवन समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए स्वाभावित रूप से यह परस्पर विरोधी है।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदया, मैं बोलने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि श्री चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और हम चाहते हैं कि इस देश में मृत्युदंड समाप्त किया जाए।

सभापति महोदया : श्री फ्रांसिस फैन्थम, आपको धन्यवाद। अब माननीय मंत्री अपनी बात रखेंगे।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रारंभ में ही यह कहना चाहूंगा कि आज हम सदन में जिस मुद्दे पर विचार–विमर्श कर रहे हैं वह हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय प्रस्तावक ने अपने तर्क बहुत ही अकाट्य और कायल करने वाले अंदाज से प्रस्तुत किए। इस मुद्दे पर अपने निवेदन प्रस्तु करने वाले अन्य सभी सदस्यों ने भी बहुत संतुलित बातें कही। विभिन्न तरह से विचार व्यक्त किए गए। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया तो कुछ ने समर्थन। तो भी यह जरूर कहा जाएगा कि इन सदस्यों ने अपने विचार बहुत सही और विश्वासोत्पादक अंदाज में रखे। फिर भी, यह मुद्दा बहुत जटिल है और हम लोगों के लिए कम से कम हमारे देश में इस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो सकता है कि अन्य देशों में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। इस मुद्दे पर जो निर्णय हम लेना चाहते हैं वह हमारे देश की परिस्थितियों पर और इस मुद्दे से संगत कई अनय बातों पर निर्भर करेगा।

मैं कहना चाहूंगा कि कभी–कभी लोग समझ लेते हैं कि मृत्युदंड भारतीय दंड संहिता और केवल धारा 302 के तहत दिया जाता है जो सही नहीं है। आइए हम यह बात समझ लें कि किन कानूनों और किन प्रावधानों के तहत मृत्युदंड दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता के तहत, धारा 121 के अंतर्गत किए गए अपराधों यानी भारत सरकार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने आदि जैसे अपराधों के लिए दिए जाने वाले आजीवन कारावास के विकल्प के तौर पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, धारा 132 के अंतर्गत, सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा विद्रोह के लिए अवप्रेरण, यदि इस अवप्रेरण के दुष्परिणाम स्वरूप विद्रोह किया गया हो : धारा 194 के अंतर्गत अर्थात् मिथ्या साक्ष्य की वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को हत्या का दोषी सिद्ध हो जाना और फलस्वरूप उसे फांसी दिया जाना; धारा 302 के अंतर्गत यानी हत्या के लिए : धारा 305 के अंतर्गत अर्थात् बालक/बालिका या विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा की गई आत्महत्या के लिए अवप्रेरण धारा 307 के अंतर्गत यानी आजीवन कारावास के दंड के भागी बने व्यक्ति द्वारा हत्या की कोशिश धारा 364 क के अंतर्गत यानी फिरौती आदि के लिए अपहरण और धारा 396 के अंतर्गत यानी डकैती और हत्या जैसे अपराधों के लिए।

थल सेना, वायु सेना और नौसेना अधिनियम के अंतर्गत सैन्य बलों के सदस्यों द्वारा की गई हत्याओं के लिए भी मृत्युदंड दिया जाता है। मृत्युदंड, सती प्रथा (निराकरण) अधिनियम की धारा 4 तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 की धारा 31क के अंतर्गत भी दिया जाता है। हालांकि, बाल अपराध न्याय अधिनियम, 1986 जैसे विशेष कानूनों में यह विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है कि 16 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता।

संविधान में क्या कहा गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 304 में यह विनिर्धारित किया गया है कि किन परिस्थितियों में मृत्युदंड के संदर्भ में राहत दी जा सकती है। अतः भारत के संविधान में भी मृत्युदंड के प्रावधान को मान्यता दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 161 भी राज्य के राज्यपाल को ऐसे किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने या दंड को कम करने की शक्ति प्रदान करता है। जिसे राज्य के किसी कानून के विरुद्ध अपराध करने का दोषी पाया गया हो। अतः हमें सबसे पहले उन परिस्थितियों को समझना होगा जिसके अंतर्गत मृत्युदंड दिया जाता है। यदि हम यह समझ लें कि किन–किन मामलों में मृत्युदंड दिया

जा सकता है तभी हम इस निष्कर्ष पर आयेंगे कि इसे कानून की किताबों में रखें या उससे निकाल दें। प्रो. रामदास ने कहा कि इसे सिद्धांततः तो रखा जाना चाहिए और इसे व्यवहार में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत ही मौके की बात कही है। इन प्रावधानों को कानून में बनाए रखे जाने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आप जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध इन प्रावधानों का प्रयोग करते हैं तो उस समय बहुत ही सावधानी बरतें और इस तरह से करें कि अन्याय न हो। तथापि, ऐसे मामले आते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ कदम उठाने होते हैं जिसके साथ नरमी बरतने के बावजूद अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती या हमें ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कदम उठाने पड़ते हैं जो देश के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध अथवा महिलाओं के विरुद्ध कुछ पाने के लिए अपराध करते हैं। ऐसे मामलों में हमें अलग नजरिया अपनाना होता है। इस मामले में मेरा यह पहला वक्तव्य है।

महोदया, इसका संबंध मानव मनोविज्ञान से भी है। पहले दिए जाने वाले दंडों का इतिहास हम जानते हैं। भारत में पहाड़ की ऊंची चोटियों से घाटी में गिराकर या हाथी के पैरों तले रौंद कर मार दिया जाता था। कुछ अन्य देशों में अपराधियों को गांव में सभी लोगों के सामने जला कर मार दिया जाता था। कुछ लोगों को दांत के बदले दांत या आंख के बदले आंख की तर्ज पर न्याय दिया जाता था। इस प्रकार के दंड पहले स्वीकार्य थे पर हमने उस सिद्धांत को त्याग दिया और आज इसे अपना लिया।

किसी हिन्दी कवि ने कहा है कि "न मैं भगवान हूं, न मैं शैतान हूं, मैं तो इंसान हूं।" हम सभी मनुष्य हैं, हम न तो भगवान हैं न ही शैतान हैं। जीवन के प्रति हमारे व्यवहार, हमारी मानसिकता या हमारी प्रवृत्ति में भी कुछ कमजोरी होती है। हमें इसका ध्यान रखना होगा।

इसीलिए समाज को अधिकार दिए जाते हैं जिसका उस समय की सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। यदि इस अधिकार का काफी कम और काफी सावधानी से उपयोग होता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इस मुद्दे पर बोलते हुए सदस्यों ने कई देशों/राष्ट्रों का हवाला देकर बताया कि वहां क्या हो रहा है। लगभग 120 देशों ने मृत्युदंड को खत्म कर दिया है। लगभग 67 या 78 देशों में यह दंड विद्यमान है। परन्तु जिन 67 या 68 देशों में यह दंड विद्यमान है वहां भी वास्तव में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया गया है। उन्होंने इस प्रावधान को बरकरार रखा है तो भी उन्होंने इस प्रावधान का प्रयोग नहीं किया है। इसे भी याद रखना चाहिए।

हमारे देश में क्या स्थिति है? हम इसे पहले समझ लें। मैं पिछले सभी वर्षों के आंकड़े न देकर केवल पिछले पांच वर्षों के आंकड़े दे रहा हूं। 2000 से 2004 के बीच कितने व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया है? वर्ष 2000 में 87 व्यक्तियों को, 2001 में 106 व्यक्तियों को, 2002 में 126 व्यक्तियों को, 2003 में 142 व्यक्तियों को और 2004 में 66 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया था।

श्री भर्तृहरि महताब : क्या यह भिन्न उच्च न्यायालयों से संबंधित है?

श्री शिवराज वि. पाटील : जब उच्च न्यायालयों द्वारा सजा सुनाई जाती है, सामान्यतः ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय में जाते हैं और अन्ततः उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है। केवल कुछ असाधारण मामले ही उच्चतम न्यायालयों में नहीं जाते हैं।

अब मैं वर्ष 2001, 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित की गई सजाओं पर आता हूं। प्रो. रासा सिंह रावत जी कृपया इन आंकड़ों पर ध्यान दें। वर्ष 2001 में 303 मृत्युदंड की सजाओं को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। ये सभी बहुत सारे मामले थे और इसीलिए यह संख्या भिन्न है। वर्ष 2002 में 301, वर्ष 2003 में 142 तथा वर्ष 2004 में 50 मृत्यु दंडों को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया।

कुछ माननीय मित्र सभा तथा सभा के बाहर इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इस प्रकार का संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी इस विषय को सही और वैधानिक तरीके से निपटाने का प्रयास नहीं कर रहा है।

मैं दी गई फांसी के आंकड़ों पर आता हूं। वर्ष 2000 में किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं दी गई। वर्ष 2001वर्ष 2002 में; वर्ष 2003 में भी किसी को भी फांसी नहीं दी गई तथा वर्ष 2004 में केवल धनंजय को फांसी दी गई। ये वास्तविक आंकड़े हैं।

आप यह कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रही हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हम अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम उचित कार्रवाई करेंगे। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना, मैं इस सभा के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि राजीव गांधी हत्याकांड मामला वर्ष 2000 से 2005 तक सरकार के समक्ष लम्बित था और इसे पांच वर्षों तक राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया। राजीव गांधी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे और भविष्य में भी वे देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। इतने सालों तक यह मामला महामहिम राष्ट्रपति के पास न ही सरकार के पास लम्बित पड़ा रहा। हमने ये बातें इसलिए नहीं कही हैं क्योंकि हम इस बात विषय पर राजनीति करना चाहते हैं। आप भी इस मुद्दे पर कोई राजनीति न करें।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को

[श्री शिवराज वि. पाटील]

फांसी अथवा मृत्युदंड दिए जाने के संबंध में पूरी सावधानी बरती जाती है। गत पांच वर्षों के दौरान केवल एक व्यक्ति को फांसी दी गई है। आपके द्वारा जो सिद्धान्त दिया जा रहा है सरकार के द्वारा उसी सिद्धान्त का पालन किया जा रहा है और हम उस सिद्धान्त का पालन करेंगे। आपका यह कहना सर्वथा सही है कि मृत्युदंड के प्रावधान को कानून में बनाए रखना चाहिए परन्तु मामले में तथ्यों पर गहराई से विचार किए बिना मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, मामले पर विचार करते समय तत्कालीन परिस्थितियों, तथा अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अतः मैं कहना चाहूंगा कि हमने काफी सावधानी बरती है और हम काफी सावधन भी रहेंगे। परिस्थितियों में सुधार हो रहा है। यद्यपि अनेक कानूनों के अंतर्गत मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है परन्तु अनेक वर्षों में इस प्रावधान के अंतर्गत किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया गया है। इस परिस्थिति को कुछ और समय के लिए जारी रखा जाए। हम काफी सतर्क रहेंगे। इस विषय पर हम इस ओर और उस ओर नहीं झुकेंगे। हम अपने कर्तव्यों का सही से निवर्हन करेंगे। हमें केवल इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस संबंध में राजनीति न की जाए। अगर हम इससे बचते हैं तो संभवतः न्यायपालिका भी सही निर्णय लेगी, सरकार भी सही कदम उठाएगी और हर जिम्मेदार व्यक्ति सही कदम उठाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस विधेयक पर विचार किए जाने के लिए दबाव न डाले और इस विधेयक को वापस लें। समय आने पर हम उचित निर्णय लेंगे। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जीवन के प्रति हमारा सही दृष्टिकोण होना चाहिए। इस ओर तथा उस ओर बैठे मेरे सभी साथियों, सत्ता में बैठे लोगों तथा अन्य लोगों का जीवन, सजा, देश की आपराधिक न्यायायिक व्यवस्था, न्यायाधीशों के प्रति यही दृष्टिकोण है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : क्या राजीव गांधी हत्याकांड में क्षमादान की याचिका लम्बित है?

श्री शिवराज वि. पाटील : हां, यह सरकार के समक्ष पांच वर्षों तक लम्बित पड़ी रही। अब इसे जहां भेजा जाना चाहिए था वहां भेज दिया गया है।

राजीव गांधी मामले में, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं एक महिला अपराधी जिसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया, श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि "उसकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए" और बाद में उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

सभापति महोदया : आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है। श्री चन्द्रप्पन क्या आप अपना विधेयक वापस लेना चाहते हैं?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि ग्यारह माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और माननीय मंत्री जी ने चर्चा पर उत्तर दिया। तथापि मंत्री जी ने विधेयक को इस रूप में स्वीकार नहीं किया है; मेरे विचार से सभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से वे सहमत हैं। मैं आशा करता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब हम विश्व के अधिकतर देशों के निर्णय से सहमत होंगे। मैं इस विषय पर सभा को बांटना नहीं चाहता। अतः हमें इस विषय पर यथा शीघ्र सहमति बनानी चाहिए। मैं सभा से इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में मृत्युदंड उत्सादन का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि भारत में मृत्युदंड उत्सादन का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

सायं 6.00 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक - विचाराधीन

कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कृषि कर्मकारों के कल्याण और उनके नियोजन तथा उनके कार्य की दशा विनियमित करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदया, मुझे कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक 2005, जिसे सभा में विचार के लिए रखा गया है, को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया : श्री हन्नान मोल्लाह, मुझे खेद है मेरे विचार से समय हो चुका है। छः बज चुके हैं। हम अगली बार इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे।

क्या आप चाहते हैं कि शून्य काल समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ाया जाए?

कुछ सदस्यगण : जी, हां।

सभापति महोदया : 'शून्य काल' के विषय समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हाल ही में पूरे देश में डेंगू और चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या हजारों तक पहुंच गई थी। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो दिल्ली में नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3000 डेंगू के मरीजों को चिन्हित किया गया, जो लगभग एक या दो इलाकों के थे। अगर सभी इलाकों को लिया जाए तो मरीजों की संख्या अधिक हो सकती है। यहां इन बीमारियों से मरने वालों की संख्या 70 बताई गई है। उत्तर प्रदेश में 589 केसेज इस प्रकार के सामने आए, हरियाणा में 342 और राजस्थान में 22 केसेज सामने आए। देश के अन्य इलाकों से 150 केसेज सामने आए। डेंगू और चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या हजारों में गई है। यहां पर समय–समय पर डेंगू और चिकनगुनिया पर चर्चा हुई है, लेकिन भारत सरकार के लाख आश्वासनों के बावजूद भी इन बीमारियों की रोकथाम नहीं हो पाई है और कोई कारगर दवा सही रूप में नहीं बन पाई है। प्रभावित इलाकों में न तो सही समय पर इंजैक्शंस पहुंचे, न सफाई की व्यवस्था हुई और न ही वहां डाक्टर्स की टीम गई और इसी कारण इन बीमारियों पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई। हमने देखा कि विशेषज्ञों की टीम की भी इस सम्बन्ध में कोई बैठक नहीं हुई कि यह बीमारी कैसे आई और कैसे इसे रोका जा सकता है। कई लोग दवा के अभाव में मारे गए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं थी और बाहर इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वैसे भी डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए अभी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, जिससे इन पर नियंत्रण किया जा सके। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो बीपीएल धारक इन बीमारियों की चपेट में आकर मर गए, उनके आश्रितों को सरकार मुआवजा दे। कई ऐसे परिवारों के मुखिया इस बीमारी की चपेट में आकर मर गए, जिससे उन परिवारों में कमाने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे और इस बात का सर्वे कराए कि कहां–कहां ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है। उसके लिए अस्पतालों और नर्सिंग होम्स से रिपोर्ट लेकर उन लोगों के आश्रितों को आर्थिक मदद दी जाए, ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके।

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदया, मुझे सदन को सूचित करते हुए दुःख हो रहा है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां किसी न किसी रूप से प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में वर्षा ने ऐसी भीषण तबाही मचाई जिससे पूरे राज्य में 2000 करोड़ रुपये की क्षति हुई। उसके बाद राज्य के 22 जिलों में अवर्षा (सूखे) की स्थिति निर्मित हो गयी जिससे खरीफ की फसल सूख गयी तथा जमीन में नमी न होने के कारण रबी की फसल में किसान सिंचाई नहीं कर पाए। दुर्भाय है कि केन्द्र सरकार कोई अध्ययन दल अभी मध्य प्रदेश नहीं गया है। सूखे के कारण कुएं, तालाब, नदियां और ट्यूबवैल तेजी से सूख रहे हैं और जमीन जल–स्तर अत्यन्त नीचे जा रहा है। पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति निर्मित हो गयी है। केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश के किसानों को कम से कम पांच हजार करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जाए और प्रदेश के किसानों के कर्जे–माफी की घोषणा की जाए।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सभापति महोदया, आपकी इजाजत से मैं इंटरनेशनल बार्डर जो हमारे प्रदेश में पड़ता है उसकी बाबत कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक एरिया जो पहाड़पुर से बाबा मधून तक जाता है और जो हीरानगर तथा कठुआ जिले में पड़ता है और जो 44 किलोमीटर का एरिया है। इसमें कम से कम 30–35 बड़े–बड़े गांव जीरो–लाइन पर हैं। इन लोगों की करीब 35 हजार कैनाल जमीन जीरो–लाइन पर है। वर्ष 1947 के बाद से कितनी सरकारें आईं, लेकिन इन लोगों की हालत आज भी बहुत बुरी है। बार्डर मैंने टीवी पर बहुत बार देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। इस बार मैं जीरो–लाइन पर 44 किलोमीटर चलकर एक–एक आदमी से मिला। वहां जो फैंसिंग लगी हुई है जिसमें हमारे किसानों की जो जमीन है वह फैंसिंग के परली तरफ लगा दी गयी है। ...*(व्यवधान)* पाकिस्तान की तरफ हमारी काफी जमीन है। यह मसला केंद्र सरकार का है, इसमें स्टेट–गवर्नमेंट का कोई लेना–देना नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग बिना वर्दी के बार्डर की सुरक्षा करते हैं वे लोग बार्डर पर रहने वाले लोग हैं और बिना तनख्वाह लिये देश की सुरक्षा करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उनकी तकलीफें किसी ने सुनी नहीं हैं। उनकी जमीनें तो ले ली गयी हैं लेकिन वे फैंसिंग के पार चली गयी हैं और फैंसिंग के बीच एंट्री–गेट लगा दिये गये हैं। उन गेटों का डिस्टेंस 2 किलोमीटर तक है।

सभापति महोदया : इन तकलीफों के लिए क्या चाहिए, आप वह बताएं। एक वाक्य में आप तकलीफें बताएं तो ज्यादा अच्छा है।

चौधरी लाल सिंह : यह एक वाक्य की बात नहीं है। ये देश की सुरक्षा और लागों की जान–माल और उनको तबाही से बचाने का सवाल है।

सभापति महोदया : कैसे किया जाए, यह बताएं?

चौधरी लाल सिंह : मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं उनकी समस्या को आपके सामने रखूं और आप उन समस्याओं को सरकार के आगे रखें जिससे उनका मसला हल हो सके। आपने ओल्ड फैंसिंग लगाई, ओल्ड नाके लगे, ओल्ड माऊंट बने, ओपी

[चौधरी लाल सिंह]

की पोस्टें लगीं, ओल्ड ट्रैक बने। पिछली सरकार के दौरान नयी फैंसिंग लगी लेकिन पिछली फैंसिंग उटाई नहीं गयी। किसान की जमीन ली गयी, ट्रैक लिया गया, नाके बनाए गये, जमीन उसकी ले ली गयी। उन्हें पिछली बार का ही पैसा नहीं मिला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्होंने क्या कसूर किया है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। वे बार्डर के किनारे रहते हैं। एक तो क्रास फायरिंग से मारे जाते हैं, उनके जानवर भी मारे जाते हैं और कभी अपनी जमीन से उठा कर पीछे धकेल दिए जाते हैं। इस बारे में मैं दो–तीन सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार उन पर गौर करे। पहला सुझाव है कि फेंसिंग जीरो लाइन पर लगाए। आज किसान की ज्यादातर जमीन फेंसिंग के कारण सीमा पार के इलाके में चली गई है। किसान की जमीन किसके भरोसे छोड़ी गई है। एक तो हमारे किसान की जमीन पाकिस्तान वालों ने ले ली है और वहां पर फसल भी पैदा कर ली है। इसके लिए मेरी राय है कि फेंसिंग जीरो लाइन पर लगाई जाए। ऐसा पहले किया जा सकता था और अब भी किया जा सकता है कि फेंसिंग जीरो लाइन की तरफ लगाई जाए।

बीएसएफ वाले बहुत ज्यादा जगह पर माउंट बना कर अपने जवान खड़े कर देते हैं। क्या उस किसान को कोई मुआवजा दिया जाता है, जिसकी जमीन पर एक नहीं सात–आठ माउंट बाए जाते हैं? एक–एक गांव में ऐसे आठ–आठ माउंट बनाए गए हैं। उस किसान को न तो जमीन का मुआवजा मिला और न ही फसल का किसी प्रकार का मुआवजा विया गया।

सभापति महोदया : आप उनकी मदद करने के लिए सरकार से क्या चाहते हैं? आप कृपया दो लाइन में अपनी बात कहें।

चौधरी लाल सिंह : महोदया, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि फेंसिंग जीरो लाइन पर लगाई जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान को अपनी जमीन पर जाने के लिए समय फिक्स किया गया है। क्या किसान समय देख कर खेती करेगा, समय देख कर बुआई करेगा और समय देख कर फसल की देख–रेख करेगा। क्या समय बांध कर भी खेती की जा सकती है? सारी बंदिशें किसान पर लगाई गई हैं।

सभापति महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

चौधरी लाल सिंह : आपका बार्डर दिल्ली है, आप सुरक्षित जगह पर हैं। आपको उनकी हालत को समझना चाहिए। मैं उन लोगों की हालत समझ सकता हूं।

सभापति महोदया : मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं।

चौधरी लाल सिंह : महोदया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां फेंसिंग जीरो लाइन पर लगाई जाए और जो नुकसान वहां लोगों का हुआ है, वह भी दिया जाए। बार्डर के लोगों को सेना में भर्ती किया जाए, जिससे कि उन्हें जीविकोपार्जन का साधन मिल सके। उनकी फसल तो तबाह हो गई है, साथ ही उनकी जमीन भी तबाह हो गई है।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदया, मैं महाराष्ट्र का एक संगीन मामला आपके सामने उठाना चाहता हूं, जिसकी आग छोटे से गांव से निकल कर पूरे राज्य में लग चुकी है और वहां की आग दिल्ली में भी आ चुकी है। विदर्भ में खैरलांगी नाम काएक गांव है, जिसमें चारदलितों की हत्या हुई है और उस हत्या का जहर उस गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर जिले तक और जिसे लेकर पूरे राज्य में फैल चुका है। हत्या तो चार लोगों की हुई है।

सभापति महोदया : श्री शिशुपाल ने भी आपसे संबंधित मामला उठाया है। आपका नाम इस विषय से संबद्ध कर दिया जाता है।

श्री सुबोध मोहिते : महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि वह आग आज दिल्ली तक आ पहुंची है। यह बात जिम्मेदारी से इसलिए कहना चाहता हूं कि यह आग दिल्ली तक पहुंची है क्योंकि मैंने सुना है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग उस गांव में जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इन मामले की गंभीरता क्या है। महाराष्ट्र एक जमाने में अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन आज महाराष्ट्र का नाम इसलिए जाना जा रहा है, क्योंकि अब वहां कानून व्यवस्था बिलकुल नहीं हैं सिर्फ खैरलांजी गांव के इन्सान नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के जो आम आदमी हैं उनके मन में एक ही डर है कि अगर खैरलांजी की आग उनके गांव में पहुंच गई तो शायद उस आग में वे भी जल कर खाक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने यह कबूल किया है कि वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। यह मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल स्टेटमैंट है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं मानता हूं कि सरकार लेट हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि वहां का प्रशासन फेल हो चुका है और महाराष्ट्र सरकार का पुलिस तंत्र इस पर काबू पाने में असमर्थ रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। यह मेरा स्टेटमैंट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब एक मुख्यमंत्री यह कहता है कि वह पूरी तरह से फेल हो चुका है और संविधान में लिखा है कि अगर किसी राज्य की कानून–व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर देखना केंद्र का भी विषय है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे हाथ से बाहर बात चली गई है और दूसरी तरफ वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दूसरी पार्टी के हैं, वह कहते हैं कि इस हत्या के पीछे टेरारिस्ट्स का हाथ है। यह एक हंसी की बात है। वहां का होम मिनिस्टर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लोग उनके पुतले

जला रहे हैं। यह बात अलग है। यहां मंत्री जी बैठे हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि दलित के गांव से जो अंगार निकली है, अगर इस अंगार को रोका नहीं गया तो वह उस राज्य को भस्म कर देगी, पूरे देश को भी इस अंगार की लपेट में ले आएगी। मैं इस तरफ होम मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता हूं। मैं प्रधान मंत्री जी का भी इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस एपिसोड़ को जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, दलित और बहुजन समाज के बीच जो दरार पैदा की जा रही है, अगर उसे रोका नहीं गया तो स्थिति गंम्भीर हो जाएगीं ऐसी जब भी कोइ घटना हो तो प्रधान मंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाए। क्या वहां की कानून–व्यवस्था सही है? आप वहां की एजेंसी से रिपोर्ट मंगाइए। यह मेरी कोई राजनीति मांग नहीं हैं। मेरी मांग है कि इसके बारे में यहां एक स्टेटमैंट दी जाए और उस रिपोर्ट के बेस पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदया, यह राज्य का विषय है और राज्य सरकार की यहां आलोचना करना तथा राष्ट्रपति शासन की मांग करना उचित नहीं है। यदि इससे अधिक कुछ होगा तो मैं निश्चय ही माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : यह केन्द्र और राज्य दोनों का मैटर है।

श्री सुबोध मोहिते : यह हमारा कॉन्स्टीटयूशनल राइट है।

सभापति महोदया : मोहित जी आपने सारी बात बता दी है। आपके दो मैटर नहीं हैं। एक ही मैटर है।

श्री सुबोध मोहिते : खैरलांजी की घटना के बाद पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया गया, नौकरी दी गई जो बहुत अच्छी बात है। हमें कोई ऑबजैक्शन नहीं है लेकिन इसी प्रकार की घटना पास के गांव में बहुजन समाज की एक लेडी और छोटी बच्ची के साथ हुई जिन का रेप करके खून किया गया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यह बात उसके साथ हो गई है। आपने दलितों पर अत्याचार होने की बात कही है।

श्री सुबोध मोहिते : मेरी गुजारिश है कि आप इस मामले को नेशनल इशू समझें। जैसा आपने कहा कि यह केवल राज्य का ही विषय नहीं हैं यह केन्द्र का भी मामला हैं वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आज ही प्रधान मंत्री से बात करें और राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्री हन्नान मोल्लाह जी, आपने दो विषयों पर नोटिस दिए हैं परन्तु आप कृपया एक विषय ही उठाएं।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदया, मैं पहले ही एक विषय उठा चुका हूं। इसलिए मैं अपने आप को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

20 नवम्बर 2006 को उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी तथा सिल्लीगुड़ी के मध्य बेलाकोवो स्टेशन पर बम विस्फोट हुआ था। लगभग सात यात्री मारे गए और 50 घायल हुए। यह पश्चिमी बंगाल में गम्भीर आतंकवादी घटना थी।

यह एक नई प्रकार की घटना देखने को मिली और इस प्रकार की आशंका व्यक्त की गयी कि इन बम विस्फोटों में उल्फा का हाथ था। इसके अतिरिक्त इन बम बिस्फोटो में आर.डी.एक्स. का प्रयोग किए जाने का सन्देह भी व्यक्त किया गया है।

सभापति महोदया : कृपया समाचार पत्र मत पढ़िए।

श्री हन्नान मोल्लाह : इन परिस्थितियों में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और माननीय रेल मंत्री पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं इस संबंध में एक वक्तव्य दें। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस संबंध में समुचित कार्रवाई भी करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदया, भारतीय मूल के लोग दुनिया के तमाम हिस्सों में रहते हैं। लोगों की पूजा की पद्धतियां अलग हो सकती है, आस्था के केंद्र अलग हो सकते हैं लेकिन सब लोगों को अपनी आस्था और धार्मिक पद्धति के अनुकूल आचरण करने का अधिकार है। समाचार पत्रों और तमाम टी. वी. चैनलों में आया है कि कजाकिस्तान के करसई जिले में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदुओं के निवास स्थानों को क्षति पहुंचाई गई। यह बहुत गंभीर मामला है। सबसे अधिक दु:ख की बात है कि भारत सरकार ने वहां के राजदूत को बुलाकर विरोध दर्ज नहीं किया और न सरकार के स्तर पर बातचीत की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने जरुर इस बात पर एतराज किया लेकिन भारत सरकार को जो विरोध दर्ज करना चाहिए था वह भारत सरकार ने नहीं कराया। भारतीय मूल के लोग दुनिया के तमाम हिस्सों में रहते हैं और इससे लोगों में अविश्वास का वातावरण पैदा होगा और उकी आस्था डगमगाएगी। हमारा आरोप है कि इतना गंभीर मामला होने के बाद सरकारी स्तर पर भारत सरकार ने वहां के राजदूत को बुलाकर विरोध दर्ज नहीं कराया। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस मामले पर बयान दे जिससे लोगों में विश्वास का संचार हो।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं इसके साथ अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं इसके साथ अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : यहां सरकार का कोई मंत्री नहीं है। यह गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मंत्री जी यहीं हैं, वे बाहर पानी पीने गए हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदया, सरकार का कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है। कम से कम कुछ मंत्रियों को उपस्थित होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : अभी आपने देखा कि हांडिक जी यहां बैठे थे। क्या आप किसी को पानी पीने की इजाजत भी नहीं देंगे?

प्रो. रासा सिंह रावत : यहां कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदया, 'शून्य काल' का क्या अर्थ है?

[हिन्दी]

सभापति महोदया : हमने अपकी बात मान ली है। वे पानी पीने गए हैं और अभी वापसि आ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार वहां के राजदूत को बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराती। सरकार ने अपने स्तर पर विरोध दर्ज कराया है या नहीं? सरकार ने इस सिलसिले में अपने दायित्व को पूरा नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : यह बहुत सीरियस बात है कि सरकार का कोई मंत्री यहां नहीं है। वे अपने कमरे में हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : उन्हें इस वक्त हाउस में होना चाहिए था।

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान : महोदया, सरकार सभा की कार्यवाही के बारे में गम्भीर नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप बोलना चाहते हैं या हाउस स्थगित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान : सभापति महोदया, हम यहां बोलने के लिए ही बैठे हैं।

सभापति महोदया : रामजीलाल सुमन जी, वे अभी आ रहे हैं। वे पानी पीने गए हैं, उन्हें मैसेज चला गया है और वे अभी आ रहे हैं आप अपनी बात शुरु करें वे अभी आ जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान : मैं आपके माध्यम से बहुत ही गंभीर विषय सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदया, आप अध्यक्षपीठ से आदेश दीजिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मैडम आपको सरकार को भी कहना चाहिए कि ऐसा नही होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

प्रो. बृज किशोर त्रिपाठी : यदि मंत्री जी पानी पीने गये हैं तो उन्हें एक–दो मिनट में वापस आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान : सभापति महोदया, देश को आजाद हुए 59 वर्ष हो गये हैं, पूरे देश के हर प्रांत में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों की जमीनें अलग–अलग पब्लिक सैक्टर्स के लिए एक्वायर हो रही हैं। कहीं रेलवे के लिए, कहीं ड्रेनों के लिए, कहीं सड़कों के लिए किसानों की जमीनें एक्वायर हो रही हैं। अब एक नया कान्सैप्ट एस.ई.जैड. का आ गया है। 59 वर्षों से आज तक लगातार किसानों को भूमि अधिग्रहण के मामले में ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनका एक्सप्लायटेशन हो रहा है और अब यह स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली देश की राजधानी है और मेरा क्षेत्र दिल्ली के साथ तीन तरफ से लगता है। यह एन.सी.आर एरिया में आता है। वहां जी. टी.रोड कुंडली के पास किसानों की दो हजार एकड़ जमीन राजीव गांधी एजूकेशन सिटी के नाम पर एक्वायर करने के नोटिस किसानों के पास आये हुए हैं। सरकार उस जमीन को एक्वायर कर रही है। वहां की जमीन का मार्केट रेट ढाई करोड़ रुपए प्रति एकड़ है और यह दिल्ली के बॉर्डर के पास है। वहां सरकार आठ गांवों के किसानों की जमीन मात्र 18 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर कर रही हैं इस तरह से वहां किसानों का बहुत भारी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वहां किसानों लगातार एक वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। छः महीने से धरने पर बैठे हैं और अब 16 दिन से लगातार ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : मैडम, मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र आग्रह है कि मैंने जो मामला उठाया है वह करोड़ों, अरबों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। संसदीय कार्य मंत्री जी कजाखिस्तान में हिन्दुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री टोनी ब्लेयर ने इस पर ऐतराज जाहिर किया और कहा कि इससे हिन्दुओं में असुरक्षा और अविश्वास की भावना पैदा हुई है। सरकार ने न तो वहां के राजदूत को बुलाकर अपना विरोध दर्ज किया और न सरकार के स्तर पर आपने कोई बातचीत की। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। सरकार बताये कि वह इस मामले में क्या कर रही है।

सभापति महोदया : सुमन जी, आप बोल चुके हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं बोल चुका हूं, लेकिन सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक : महोदया, मुझे खेद है कि मुझे बाहर जाना पड़ा। मुझे कुछ आवश्यक कार्य था इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसे नोट कर लिया गया है। हर बात को नोट कर लिया गया है। चूंकि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया विषय गम्भीर है। अतः मैं निश्चित रूप से माननीय विदेश मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान : महोदया, मैं कहा रहा था कि वहां लैन्ड का भाव ढाई करोड़ रुपए प्रति एकड़ है और सरकार उसे 18 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर कर रही है। इससे आठ गावों के किसान आंदोलित हैं। उनमें दलित और बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं, उनके घर भी एक्वायर हो रहे हैं। उन लोगों को न तो प्रोपर भाव मिल रहा है और न ही उनके सैटलमैन्ट की कोई बात हो रही है, न उनके बच्चों को नौकरी देने की बात हो रही है।

सभापति महोदया : आप क्या चाहते हैं कि उनके भाव बढ़ाये जाएं।

श्री किशन सिंह सांगवान : मैं अभी उस बात पर आऊंगा। यह सारे देश के किसानों का मामला है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कहीं हाईटैक सिटी के नाम पर जमीन एक्वायर हो रही है और कही किसी और नाम से जमीन एक्वायर हो रही है। वहां 16 दिन से पांच बुजुर्ग किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर किसानों के साथ कोइ गलत बात हो गई तो एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जायेगा। इसलिए केन्द्र सरकार इस मामले में इंटरफियर करे और किसानों को उनकी भूमि रिलीज कराये।

सभापति महोदया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जिस जमीन के एक्वायर होने का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसी जमीन में एक फैक्टरी है।

सभापति महोदया : सांगवान जी, आपने अपनी बात रख दी है। किसानों की जमीन की बात मंत्री जी ने नोट कर ली है।

श्री किशन सिंह सांगवान : जो जमीन एक्वायर हो रही है, उसी जमीन में रोलैन्ड नाम की एक कंपनी है। वह एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसकी आठ एकड़ जमीन एक्वायर होनी थी। लेकिन इसी सरकार ने उसमें से सात एकड़ जमीन रिलीज कर दी। इंडस्ट्रियलिस्ट की जमीन रिलीज कर दी और किसान धक्के खाते फिर रहे हैं मेरे पास इसका सबूत है। इसलिए मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार इसमें इंटरफियर करे, वरना वहां स्थिति बहुत गंभीर हो जायेगी। वहां किसानों को जमीन का पूरा मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से मिले, उनका सैटलमैन्ट किया जाए, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए।

सभापति महोदया : आपकी बात सरकार तक पहुंच गई है।

श्री किशन सिंह सांगवान : मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जहां भी किसानों की जमीन किसी पब्लिक परपज के लिए एक्वायर होती है, उनके लिए एक कानून बनाया जाए, ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। यही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : सभापति महोदया, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आंध्र प्रदेश के लोग अगस्त, सितम्बर और हाल ही में अक्तूबर में आए समुद्री चक्रवात से काफी प्रभावित है। वास्तव में अकटूबर में आया समुद्री चक्रवात इतना विनाशकारी था कि फसल, सड़क और पशुधन के रूप में 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं अक्टूबर के अंत में आए ओगली नामक समुद्री चक्रवात ने पूरे प्रदेश विशेषकर आंध्र प्रदेश के चावल का कटोरा कहे जाने वाले पांच जिलों, जिसमें प्रकाशम, गुन्टुर, कृष्णा और पश्चिम गोदावरी तथा पूर्वी गोदावरी जिसमें कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र अथवा सिंचित क्षेत्र शामिल हैं, में तबाही की।

वास्तव में, आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए थे। ऐसी तबाही होने का प्रमुख कारण है निकासी व्यवस्था का उन्नयन अथवा आधुनिकीकरण न किया जाना। 1991 में निकासी व्यवस्था की क्षमता 225 एम.एम. थी जिसे बढ़ा कर 387 एम.एम. किया गया। गत दस बारह वर्षों में निकासी व्यवस्था का उन्नयन अथवा नवीनीकरण नहीं किया गया है। पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी तथा कृष्णा की पूरी निकासी व्यवस्था के उन्नयन अथवा आधुनिकीकरण की योजना

[श्री एल. राजगोपाल]

तैयार की थी जिसके अंतर्गत लगभग 23 लाख एकड़ क्षेत्र शामिल है तथा इसकी अनुमानित लागत 5000 करोड़ रुपए से अधिक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव रखा है ताकि इस पर शीघ्र कार्य आरभ किया जा सके। यदि एक बार निकासी व्यवस्था का समुचित रूप से आधुनीकीकरण हो जाता है तो आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं होगी।

अतः मैं उम्मीद करता हूं कि भार सरकार प्रस्ताव पर गौर करेगी तथा आंध्र प्रदेश सरकार को उसके द्वारा मांगी गयी सहायता प्रदान की जाएगी।

श्री मर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदया, मैं देश के पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में गेहूं के आबंटन में की गयी भारी कमी के विषय को उठा रहा हूं।

किसी की समझ में यह नहीं आ रहा है कि भारत सरकार ने अनेक राज्यों, विशेषकर पूर्वी राज्यों तथा दक्षिणी राज्यों में गेहूं के आबंटन में भारी कमी क्यों की है। इन राज्यों में गेहूं का उपादन नहीं होता है परन्तु इन राज्यों में भासी संख्या में गेहूं के उपभोक्ता हैं। इसीलिए सभी एपीएल तथा बीपीएल कार्ड धारकों को गेहूं उपलब्ध कराया जाता है।

परन्तु इस वर्ष जून के बाद से राज्यों को पहले से उपलब्ध कराई जा रही आबंटन मात्रा को आधे से भी कम दिया गया है। उड़ीसा में जुलाई 2002 से जुलाई 2005 तक लगभग 30,000 मिट्रिक टन गेहूं प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा था परन्तु अप्रैल और मई 2006 में इसे कम करके 24,402 मिट्रिक टन प्रतिमाह कर दिया गया। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि सरकार को जून 2006 से और 7793 मिट्रिक टन की कमी करने के लिए किसने बाध्य किया। काफी आग्रह के पश्चात यद्यपि कुछ हजार मिट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया जा रहा है परन्तु यह मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब खुले बाजार में गेहूं का मूल्य बहुत अधिक है तथा उचित दर दुकानों में गेहूं का आबंटन पर्याप्त नहीं है तो यह आवश्यक हो जाता है कि गेहूं का आबंटन कम से कम संशोधन पूर्व स्तर, जो कि अप्रैल–मई 2006 में था, के बराबर किया जाए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उड़ीसा को प्रतिमाह 24000 मिट्रिक टन गेहूं आबंटित किया जाए। इससे राज्य बाजार में स्थिरता आएगी तथा राज्य में गेहूं की मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदया, मैं आपके सामने दो समस्याएं रखना चाहूंगा। एक तो राजस्थान के बाड़मेर की है और दूसरी जैसलमेर की है। इन दोनों स्थानों पर इतनी वर्ष हो जाने के बाद भी, इतना समय बीत जाने के बाद भी आज वहां पर पन्द्रह फुट पानी भरा हुआ है जिसके कारण लोगों का जीवन दुखमय हो गया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया : गिरधारी लाल जी, आपकी समस्या पीने के पानी की है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदया, मैं ये दोनों बातें बता रहा हूं एक जगह पानी बहुत ज्यादा भर गया है, राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में वहां पन्द्रह फुट पानी भरा हुआ है, लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। बच्चे स्कूल के लिये नहीं निकल सकते हैं, रेल का आना–जाना बंद हो गया है। दूसरे, शेखावटी ढूढालू, मेवात के 13 जिलों में 14–16 प्रतिशत बरसात कम हुई है। जयपुर, बीकानेर, चुरु, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधोपुर, दौसा, झुंझुनूं व सीकर जिलों में पानी नहीं बरसा। सारा जल स्रोत खाली हो गये हैं टयूबवैल बेकार हो गये हैं, हैंडपम्प बेकार हो गये हैं सर्दी में भी लोग पानी के लिये त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। गर्मी में तो आदमी 16 गिलास पानी पी जाये। मेरा रकार से अनुरोध है कि जहां पानी ज्यादा हो गया है, वहां से सुखाये जाने की व्यवस्था की जाये और जिन जिलों में पेय जल की समस्या है वहां पेय पानी की पूर्ति की जाये। राजस्थान सरकार अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है और गर्मियों में रेल द्वारा पानी लाने का विचार कर रही है।

सभापति महोदया : यह राज्य सरकार का काम है, एक जगह से दूसरी जगह पानी लाने का काम उसका है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरी आपसे प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार पानी सुखाने के लिये पैसा दे जहां 15 फीट पानी भरा हुआ है और जिन 14–15 जिलों के नाम मैंने दिये हैं, वहां बरसात नहीं हुई है, वहां पेय जल की समस्या पैदा हो गई है, गर्मियों में और समस्या पैदा न हो जाये, उसके लिये केन्द्र सरकार अर्थिक मदद दे।

सभापति महोदया, जयपुर में पहले से ही रामगढ़ बंधा लगभग 26 एनीकट पानी रोकने के लिये राज्य सरकार ने बनवाये थे लेकिन वह बंधा अब सूख गया हैं इसलिये मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि मेरी इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिये राजस्थान को विशेष आर्थिक पैकेज दे ताकि राज्य सरकार अपना काम कर सके।

श्री मुन्शी राम (बिजनौर) : सभापति महोदया, पिछले महीने उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कराये गये। मेरे लोक सभा क्षेत्र बिजनौर के अंतर्गत नगीना, नजीबाबाद, किरतपुर नगर पालिका परिषद् में 28 अक्तूबर, 2006 को मतदान हुआ। इसकी मतगणना 6 नवम्बर को सम्पन हुई। मेरे द्वारा 25 अक्तूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की गई कि निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु सहायक निर्वाचन अधिकारी नगीना

व नजीबाबाद में बदले जायें। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। 6 नवम्बर को मतगणना के समय मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयुक्त से मांग की गई कि मतगणना में सभी प्रत्याशियों की शिकायतों का निवारण करने के बाद ही विजयी प्रत्याशियों को घोषित किया जाये एवं 6 नवम्बर को ही मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयुक्त से मांग की गई कि बैलेट बाक्स में टैम्परिंग एवं उनकी सील टूटे पाये जाने की शिकायत मुझे मिली है। मेरी सभी शिकायतों को अनदेखा करके कोई कार्यवाही किये बिना उपरोक्त नगर पालिका परिषद् के परिणाम घोषित कर दिये गये।

जैसा कि उ. प्र. के महामहिम राज्याल महोदय द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को भी अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में लखनऊ, इलाहाबाद, बिजनौर के लिये फर्जी मत लखनऊ सरकारी प्रैस में छपवाये गये हैं जो कि सत्य प्रतीत होता हैं भारत देश जहां लोकतंत्र में अपना पहला स्थान रखता है, उस लोकतंत्र से भारत की जनता का ही विश्वास न हटे एवं इस देश की ब्यूरोक्रेसी अपनी हठधर्मिता का परिचय देने में कामयाब न हों। निष्पक्ष चुनाव का संदेश जनता को देने हेतु यह आवश्यक है कि मेरी उपरोक्त नगरपालिका परिषद् के चुनाव में जिन मतों की गिनती की गई है, उनका मतदाता की काऊंटरफाईल मिलान कराने की एवं उपरोक्त चुनाव प्रक्रिया की जांच सी.बी.आई. से कराये जाने की इस सदन के माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं।

सभापति महोदया : आप भाषण न दें, केवल एक लाईन में अपनी बात कहें।

श्री मुन्शी राम : सभापति जी, मेरी बात पूरी होने दीजिये।

सभापति महोदया : इस मामले में केन्द्र सरकार बीच में नहीं आती है, राज्य सरकार का काम है।

श्री मुन्शी राम : सभापति जी, चुनाव चाहे ग्राम पंचायत का हो, लोक सभा का हो, वह निष्पक्ष होना चाहिये। उसमें अधिकारियों द्वारा की गई मनमानी की जांच कराई जानी चाहिये। इसलिये उपरोक्त चुनाव की प्रक्रिया की जांच सी.बी.आई. द्वारा कराये जाने की मांग कर रहा हूं जिससे दोषी अधिकारियो के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सके और भविष्य में वह अधिकारी इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने के लिये साहस न जुटा सके। 28 अक्तूबर को नगरपालिका परिषद् के चुनाव हुए, 3 नवम्बर को नगर पंचायत के चुनाव हुए। जो स्ट्रांग रूम बनाए गए थे जिसमें नगरपालिका परिषद् के बैलट बाक्स रखे गए थे, उनको खोला गया और खुल्लम खुल्ला उसमें गड़बड़ हुई जिसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, यह मेरी इस सदन के माध्यम से मांग है।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदया, बाबा जय गुरुदेव उत्तर भारत के प्रमुख संतों में से हैं। 26 तारीख से 10 तारीख तक मथुरा में उनके आश्रम में एक विशाल संगम होगा जिसमें लाखों की तादाद में उनके अनुयायी आएंगे। मैंने माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि काठगोदाम लाल कुआं से कासगंज के लिए एक ट्रेन चलती है, इसको कासगंज से आगे मथुरा तक 15 दिन के लिए बढ़ाया जाए और बीच में जितने भी रेलवे स्टेशन्स हैं, उन पर इसको रोका जाए। बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी लाखों की तादाद में उत्तर भारत से इन दिनों उनके आश्रम में मथुरा पहुंचते हैं और मुख्य रूप से गरीब और निचले तबके के लोग उसमें आते हैं ओर एक बहुत बड़ा संगम मथुरा में होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करुंगा और मैंने इस संबंध में रेल मंत्री जी को लिखा है कि 15 दिन के लिए ऐसा कर दें कि उस ट्रेन को मथुरा तक ले जाया जाए और उनके अनुयायी यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

श्री ए.वी. वेल्लारमिन (नागरकोइल) : महोदया, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु के लगभग सभी जिलों में लगातार भारी वर्षा से सामान्य जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। छोटे गांव तथा तटवर्ती गांव और भीतरी जिले कई दिनों से जल मग्न हैं तथा जल मग्न क्षेत्रों से पानी कम नहीं हो रहा है। लोगों को इन क्षेत्रों से निकाल कर स्कूलों, मंडपों तथा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गयी थी। दैनिक कुलियों को अपने घरों में ही रहना पड़ रहा है, मूसलाधार वारिश के आगे वे मजबूर है। हजारों लोग खाने तथा पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं।

हजारों जलाशय तथा बांध लबालब भर चुके और पानी ऊपर से बहना आरम्भ हो चुका है। जल प्रबंधन के प्रभारी प्राधिकारियों को लबालब भरे पानी की निकासी में समस्या आ रही है क्योंकि तटबंध, जल निकासी स्रोत तथा सम्पर्क नहरें पानी के बहाव के कारण नष्ट हो गयी है और नदियों में उफान आया हुआ है। इस प्रकार अनेको बसावटें जलमग्न हैं और उनमें पानी भरा हुआ है। कृषि योग्य भूमि खेती के लिए तथा धान की फसल काटे जाने के लिए तैयार थी परंतु फसल जल मग्न हो गयी और जिससे भूमि तथा किसानों को भारी क्षति हुई।

सभापति महोदया : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं कृपया एक पंक्ति में कहें।

श्री ए.वी. वेल्लारमिन : महोदया, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। बिजली गिरने से कई स्थानों पर अनेक लोग मारे गए हैं तथा अनेक गम्भीर रूप से घायल हुए हैं।

दक्षिण के तीन जिले यथा तिरूनेलवेली, तूतीकोरिन और कन्याकुमारी सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, कन्याकुमारी जिले को धान और नकदी फसलों में भारी नुकसान हुआ है।

सभापति महोदया : कृपया संक्षेप में बताएं कि आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन : केले की रोपाई और रबड़ की पौध पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए। चार से अधिक व्यक्ति बिजली गिरने से मर गए तथा एक व्यक्ति बाढ़ में बह गया। दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़के तथा राज्य के राजमार्ग और ग्रामीण सड़के पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई हैं जिनका तत्काल नवीकरण किए जाने की आवश्यकता है। गांवों में हजारों कामगारों को रोजगार देने वाले भट्ठो को भारी नुकसान हुआ, कामगार बेरोजगार हा गए। सुखाने के लिए रखी गई लाखों ईंटें भारी वर्षा में बह गई। समुद्र में अत्यधिक ऊंचे ज्वार भाटे के कारण 53 तटीय गांवों के मछुआरों को मछली पकड़ने से मना किया गया है और वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं तथा देशीय मछुआरे, जो समुद्र उत्पादों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं और वह पीड़ित बन गए हैं।

सभापति महोदया : कृपया संक्षेप में बताएं कि आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं। यह भाषण देने का समय नहीं है।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन : अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य पदार्थ और मिट्टी का तेल वितरित करके युद्ध स्तर पर राहत उपाय करे। सरकार को जल जनित रोगों के अध्ययन और जांच के लिए डाक्टरों का दल वहां भेजना चाहिए। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह मारे गए लोगों के आश्रितों, घायल व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा स्वीकृत करने तथा उन्हें जीविका का साधन प्रदान करने पर विचार करे।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, जहां किसान भूख के मारे आत्महत्याएं कर रहे हैं, वह बुंदेलखंड क्षेत्र, जहां आजादी की लड़ाई में इन्होंने अपना खून–पसीना एक करके देश को आजाद कराया हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी नही मिल पा रहा है और वहां अभी दो माह के अंतराल में उत्तर प्रदेश में 52 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसमें से मात्र 22 बुंदेलखंड के लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। उसमें झांसी जिले के गांव टेहरी में बबलू नाम के एक लड़के ने 23 मार्च को आत्महत्या की है। ललितपुर में श्रीपति लोधी ने आत्महत्या की है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : भानु जी, आत्महत्याएं की हैं, इसमें आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : मैडम, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके नाम हम दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपको नाम देने की जरूरत नहीं है, आप यह बताइए कि आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं? यहां मंत्री जी बैठे हैं, नोट करेंगे।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : हमारा बुंदेलखंड चाल साल से सूखे की मार झेल रहा है। पिछली बार भी सन् 2004–05 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन उन्होंने जो मुआवजे के रूप में किसानों को धन दिया था, वहां 10–15 और 25 रुपए का चेक दिया, यह कोइ मुआवजा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यह उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़ा मामला है। आप अपनी बात बताइए कि आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : जब पिछला सत्र समाप्त होने वाला था, उस समय मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था, उन्हें मैंने बुंदेलखंड के बारे में अवगत कराया था और उनसे यह कहा था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप अपनी बात रखने में असमर्थ हैं, आप एक लाईन में कहिए कि यह जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके लिए आपको केन्द्र सरकार से क्या चाहिए? आप अपनी बात करने में असमर्थ हैं, इसलिए आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आप सब की एक कहानी जैसे बता रहे हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : मैडम, कहानी नहीं, जो आत्महत्याएं की हैं, उन लोगों के नाम बता रहा हूं। आत्महत्याएं जो कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहेगी कि इन लोगों ने आत्महत्याएं नहीं की हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : भानु जी, धन्यवाद।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : सभापति महोदया, हमें अपनी बात कहने दीजिए, हम सुबह से यहां बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपने अपनी बात कह ली है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : हमें अपनी बात थोड़ी कहने दीजिए, वहां लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। उन्हें पानी, खाद एवं बहुत सी अन्य चीजें नहीं मिल रही हैं। ...*(व्यवधान)* हम अपनी ये बातें कहां उठाएंगे?

सभापति महोदया : आप क्या चाहते हैं, वह बताइए?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : हम लोकसभा के सदस्य हैं। ...*(व्यवधान)* पिछली बार जब सत्र समाप्त हुआ था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी से हम मिले थे। उनसे हमने कहा था कि जैसे विदर्भ को आपने विशेष पैकेज दिया है, उसी तरह बुंदेलखंड को भी पैकेज दिया जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि निश्चित ही हम एक टीम भेज करके सर्वेक्षण करएंगे। ...*(व्यवधान)* ये सारी चीजें अभी तक नहीं हुई हैं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप पुनः प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। आपको जो बात यहां कहनी है, वह कहिए। आप जो पैकेज की बात कर रहे हैं, वह कहिए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : वहां कब से सूखा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : भानु जी, आप अपनी बात उठाने में सक्षम नहीं रहे, आपने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन क्या मांग है, वह नहीं बता पाए। आपकी केन्द्र सरकार से क्या मांग है, वह आप एक लाईन में बता दीजिए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : हमारी केन्द्र सरकार से यह मांग है कि हमने जो पैकेज की मांग की थी, विदर्भ की तरह से उत्तर प्रदेश को भी पैकेज दिया जाए और किसान जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी जांच करके, उन्हें विशेष तौर से जो सहायता दी जा सकती है, वह दी जाए, यह हमारी मांग है।

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदया, हमें अपनी वायु सेना पर गर्व है, परन्तु हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मिग 2125 और 29 विमानों में शुरुआत से कुछ तकनीकी खामियों और मेंटीनेंस संबंधी दिक्कतों के कारण एक के बाद एक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और परिणामस्वरूप अरबों रुपए की हानि हुई है। देश के कई जांबाज पायलटों को खोना पड़ रहा है। बार-बार विमान दुर्घटनाओं से दुनिया में यह गलत संदेश भी जाता है कि हिन्दुस्तान की वायु सेना, जो इतनी बहादुर है, उनका बेड़ा नकारा हो चुका है। ...*(व्यवधान)* विगत तीन वर्षों में रक्षा मंत्रालय के 43 विमान और 15 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं।

महोदया, मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए उन्नत जैट प्रशिक्षक विमानों को अविलम्ब प्राप्त किया जाए और देश में प्रशिक्षण परियोजना हेतु माध्यम जैट प्रशिक्षक विमानों को जल्दी तैयार कराया जाए ताकि हमारी वायुसेना को इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े।

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदया, सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र में छात्र और छात्राओं को अनिवार्य रुप से प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षक नियुक्ति हेतु बजट आबंटित किया है।

महोदया, राजस्थान में हाल ही में, राज्य सरकार ने 25 हजार शिक्षकों के पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है, किन्तु खेद का विषय है कि इन नियुक्तियों में शारीरिक शिक्षकों को, नियुक्तियों हेतु शामिल नहीं किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। अब हर स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाईस्कूल में और सीनियर सैकेंड्री स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक होता है। राज्य में बहुत सारे डी. पी.एड. और बी.पी.एड. योग्यताधारी शारीरिक शिक्षक बेरोजगार हैं। इसलिए मैं मानव संसाधन मंत्रालय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाली शिक्षकों की भर्तियों में कम से कम 10 प्रतिशत पद शारीरिक शिक्षकों के लिए आबंटित किए जाएं जिससे कि गांव के हर स्कूल में कम से कम एक शारीरिक शिक्षक उपलब्ध हो ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। इससे शारीकि शिक्षा, योग शिक्षा और खेल-कूद में बच्चों की रुचि बढेगी और उनका सर्वांगीण विकास होगा, जिसके ऊपर आज हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। भारत सरकार के इस उद्देश्य की पूर्ति भी ऐसे निर्देश देने से हो सकेगी। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकार को जो 25 हजार पदों को भरने हेतु धन आबंटित किया है उनमें से 10 प्रतिशत पदों पर शारीरिक शिक्षकों की भर्ती किए जाने के निर्देश तत्काल राज्य सरकार को दिए जाएं।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : सभापति महोदया, जिन क्षेत्रों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनमें मेरे लोक सभा क्षेत्र का यवतमाल सबसे आगे हैं महाराष्ट्र में जो सरकार हैं, वह किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। प्रधान मंत्री जी यवतमाल आए थे और उन्होंने विदर्भ के पांच-छः जिलों के किसानों के लिए 3750 करोड़ रुपए स्पेशल पैकेज के रूप में दिए थे, लेकिन उसका केवल एनाउंसमेंट हुआ है। यह अभी तक कागज पर ही है। छः महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक यह स्पेशल पैकेज किसानों तक नहीं पहुंचा है। इस बीच शरद पवार, कृषि मंत्री जी ने बताया था कि किसानों के लोन का जितना भी ब्याज है उसे हम भर देंगे और जो मूलध न है, उसकी हम पांच इंस्टालमेंट करेंगे और उसे देने में दो साल की छूट रहेगी। दो साल का पीरियड रखा था।

सभापति महोदया : आप थोड़े और स्पष्ट शब्दों में बताएं कि आपकी मांग क्या है?

श्री हरिभाऊ राठौड़ : महोदया, हुआ यह कि बैंकों ने किसानों को नया लोन देते समय, जो उनका पुराना आउटस्टेंडिंग लोन था, वह फिर से रिकवर कर लिया। मतलब यह हुआ कि पैकेज किसान को नहीं दिया, बल्कि बैंकों को मिला। उनका जो डूबा हुआ पैसा था, वह वसूल हो गया।

सभापति महोदया : अब क्या चाहिए?

श्री हरिभाऊ राठौड़ : महोदया, मैं यह चाहता हूं कि सरकार ने जो छूट किसानों की दी थी, और बैंकों ने गलती से पुराना लोन किसानों से रिकवर कर लिया गया हे वह किसानों को वापस मिलना चाहिए।

महोदया, इसी सिलसिले में, आज जन्तर–मन्तर पर यवतमाल के किसान अर्धनग्न अवस्था में अनशन पर बैठे हैं। मैंने माननीय प्रधान मंत्री को भी स्पष्ट रूप से एक पत्र लिखा था जिसमें उल्लेख किया था कि आपका जो पैकेज है, वह किसानों तक नहीं पहुंचा।

आज किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना आम बात हो गई है। हम रोजाना अखबारों में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के समाचार पढ़ते हैं, लेकिन सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। किसानों की समस्याओं के प्रति देश में और सरकार में कोई जागरूकता देखने को नहीं मिलती है। सरकार किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। आपके माध्यम से मेरी मांग है कि एक बार इसकी पूरी तरह से सही–सही जांच हो कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? भला कोई आत्महत्या क्यों करेगा?

सभापति महोदया : आपकी मांग जांच करने की है?

श्री हरिभाऊ राठौड़ : मेरी मांग केवल जांच करने की नहीं है। जो पैसा था, जो रिकवरी थी, वह उन्होंने फार्म भरवाकर गरीब किसों से ले ली है। एक तरफ तो 60 हजार रुपए दे दिया ...*(व्यवधान)* मैडम, मैं एग्जाम्पल देता हूं कि यह कैसे हुआ है। अभी जो नया लोन सरकार ने दिया था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप अपनी बात कहिये।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। किसानों को 60 हजार रुपए लोन का एमाउण्ट उन्होंने सैंक्शन किया, लेकिन पुराना लोन अगर 25 हजार रुपए हैं तो उसमें एडजस्ट करके 35 हजार रुपए उनके हाथ में दिये। यह नहीं होना चाहिए था, उनको जो 60 हजार रुपए लोन सैंक्शन हुआ था, वह पूरा उनको देना चाहिए था ओर जो आउटस्टेंडिंग 35 हजार रुपए थे, उसकी पांच इन्सटालमेंट्स करनी चाहिए थीं। यह नहीं हुआ है, यह होना चाहिए, यही मेरी मांग है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : सभा सोमवार, 27 नवम्बर, 2006 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.55 बजे

तपश्चात्, लोकसभा सोमवार, 27 नवम्बर, 2006/6 अग्रहायण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	41
	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	
2.	श्री शिशुपाल पटले	42
3.	श्री पी. मोहन	43
	डा. के. धनराजू	
4.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	44
	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	
5.	श्री हितेन बर्मन	45
6.	श्री संतोष गंगवार	46
	श्री रामजीलाल सुमन	
7.	श्री हंसराज ग. अहीर	47
	श्री सुनिल कुमार महतो	
8.	प्रो. महादेवराव शिवनकर	48
	श्री सज्जन कुमार	
9.	श्री कीरेन रिजीजू	49
	श्री जुएल ओराम	
10.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	50
	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	
11.	डा. धीरेंद्र अग्रवाल	51
	श्री हरिसिंह चावड़ा	
12.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	52
	डा. चिन्ता मोहन	
13.	श्री श्रीचन्द कृपलानी	53
	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	
14.	प्रो. रासा सिंह रावत	54
	श्री अधीर चौधरी	
15.	श्री गिरिधारी यादव	55
	श्री रामदास आठवले	
16.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	56
	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	
17.	श्रीमती निवेदिता माने	57
	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	
18.	श्री उदय सिंह	58
	श्री वी.के. दुम्मर	
19.	श्री मो. ताहिर	59
	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	
20.	डा. एम. जगन्नाथ	60
	श्री सुरेश कलमाडी	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	562, 614, 641
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	570, 618, 660
3.	आदित्यनाथ, योगी	494
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	548, 618, 643, 655
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	563, 615
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	549, 611, 639
7.	अजनाला, डा. रतन सिंह	499
8.	आठवले, श्री रामदास	573, 622, 645, 656
9.	'बघदा', श्री बची सिंह रावत	456, 598, 633
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	483, 616
11.	बर्मन, श्री हितेन	542
12.	बर्मन, श्री रनेन	491
13.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	486
14.	बखला, श्री जोवाकिम	463, 508
15.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	529, 662
16.	भडाना, श्री अवतार सिंह	562, 614, 641
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	510, 585, 629, 668
18.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	504, 582
19.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	475, 603, 667

1	2	3
20.	बोस, श्री सुब्रत	491
21.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	476
22.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	554, 613
23.	चौरे, श्री बापू हरी	516, 565, 648
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	543, 566, 624, 637
25.	चिन्ता मोहन, डा.	564, 571
26.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	534, 600
27.	चौधरी, श्री पंकज	528, 632, 648
28.	चौधरी, श्री अधीर	557, 607, 647, 657
29.	देवरा, श्री मिलिन्द	530, 596, 598
30.	धनराजू, डा. के.	583, 626, 649
31.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	499
32.	गढ़वी, श्री पी.एस.	509
33.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	568, 619, 655
34.	गांधी, श्रीमती मेनका	478, 581
35.	गंगवार, श्री संतोष	559, 610
36.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	516, 565, 648
37.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	515
38.	गुढ़े, श्री अनंत	504, 514, 656
39.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	539
40.	जगन्नाथ, डा. एम.	569, 620
41.	जटिया, डा. सत्यनारायण	491, 508
42.	जिन्दल, श्री नवीन	535, 602, 608, 609
43.	जोगी, श्री अजीत	511, 661
44.	जोशी, श्री प्रहलाद	461, 505, 547
45.	कनोडीया, श्री महेश	538
46.	खैरे, श्री चंद्रकांत	462, 590, 666
47.	खां, श्री सुनील	486
48.	खन्ना, श्री अविनाश राय	495
49.	खारवेनथन, श्री एस.के.	477, 554, 559, 575, 609
50.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	469, 615, 641
51.	कृष्ण, श्री विजय	506, 537, 604
52.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	555, 608, 628, 650
53.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	564
54.	लिब्रा, सरदार सुखेदव सिंह	499
55.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	520
56.	महतो, श्री सुनिल कुमार	557, 563, 567, 610
57.	महताब, श्री भर्तृहरि	588
58.	महतो, श्री टेक लाल	491
59.	माझी, श्री परसुराम	466
60.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	526, 572
61.	मंडल, श्री सनत कुमार	458
62.	माने, श्रीमती निवेदिता	568, 619, 655
63.	मसूद, श्री रशीद	471
64.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	487
65.	मिश्रा, डा. राजेश	562, 614, 641
66.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	481, 663
67.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	480
68.	मोहन, श्री पी.	556
69.	मोहिते, श्री सुबोध	489
70.	मंडल, श्री अबु अयीश	502
71.	मुर्मू, श्री हेमलाल	500, 578, 664
72.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	490
73.	नायक, श्री अनन्त	541
74.	निखिल कुमार, श्री	522, 647
75.	ओराम, श्री जुएल	525, 605
76.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	503, 580

1	2	3
77.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	472, 550, 606, 638
78.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	493, 526, 572
79.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	500, 598
80.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	505, 543, 615, 666
81.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	500, 517, 570, 586, 630
82.	पाठक, श्री ब्रजेश	506, 533, 599, 634, 642
83.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	521, 592, 632
84.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	490
85.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	519
86.	पिंगले, श्री देविदास	664
87.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	496, 574, 613, 623, 646
88.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	475, 482, 567, 617
89.	राजगोपाल, श्री एल.	473, 551, 636, 644
90.	रामदास, प्रो. एम.	513
91.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	512
92.	राणा, श्री काशीराम	552, 653
93.	राव, श्री के.एस.	464, 579
94.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	491, 500, 656
95.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	527
96.	रावले, श्री मोहन	459, 545, 625
97.	रावत, प्रो. रासा सिंह	544, 616, 642
98.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	460, 546, 628, 650, 658
99.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	479, 568, 601, 635, 669
100.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	557, 637
101.	रिजीजू, श्री कीरेन	561
102.	साई प्रताप, श्री ए.	570
103.	सज्जन कुमार, श्री	562, 614, 641
104.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	523, 593
105.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	531, 535, 597, 665
106.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	489
107.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	579, 589, 630
108.	सेन, श्रीमती मिनाती	501
109.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	484
110.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	496, 574, 613, 623, 646
111.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	518, 525, 553, 587
112.	शिवन्ना, श्री एम.	485, 610, 615, 628
113.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	560, 612, 640, 654
114.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	629
115.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	467, 517, 591, 656
116.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	577, 655
117.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	468, 505, 563, 610, 620
118.	सिंह, श्री लक्ष्मण	526, 595, 615
119.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	615
120.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	558, 609
121.	सिंह, श्री दुष्यंत	532, 585, 643
122.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	540
123	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	568, 619, 655
124.	सिंह, श्री मोहन	506
125.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	474
126.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	659

1	2	3
127.	सिंह, श्री सुग्रीव	500, 517, 586, 630, 651
128.	सिंह, श्री सूरज	488
129.	सिंह, श्री उदय	655
130.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	538
131.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	465, 537, 618
132.	सुगावनम, श्री ई.जी.	470, 570, 597
133.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	500
134.	सुमन, श्री रामजीलाल	571
135.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	457, 570
136.	थामस, श्री पी.सी.	495
137.	ठुम्मर, श्री वी.के.	615
138.	तोपदार, श्री तरित बरण	536
139.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	588, 631, 652
140.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	524, 594, 613, 639
141.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	491, 660
142.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	491, 492, 570, 621
143.	वर्मा, श्री राजेश	498
144.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	507, 525, 618, 634, 668
145.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	563, 624, 656
146.	यादव, श्री गिरिधारी	468, 566, 617, 653
147.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	612, 620, 640
148.	यादव, श्री पारसनाथ	500
149.	यादव, श्री राम कृपाल	584, 627
150.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	497, 509, 576, 648

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	
पृथ्वी विज्ञान	
वित्त	43, 44, 48, 50, 52, 53, 57, 58
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	
विधि और न्याय	54, 55
नवीन एवं पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा	60
विद्युत	47, 49, 59
ग्रामीण विकास	41, 42, 51
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	56
शहरी विकास	45, 46

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	492
पृथ्वी विज्ञान	519, 535, 560
वित्त	457, 461, 462, 466, 469, 472, 488, 489, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 510, 511, 514, 515, 521, 523, 524, 527, 528, 529, 530, 531, 538, 546, 549, 551, 552, 553, 554, 558, 559, 562, 563, 566, 567, 568, 569, 574, 577, 580, 584, 587, 589, 592, 596, 598, 599, 603, 606, 612, 613, 617, 618, 619, 622, 623, 624, 628, 629, 632, 634, 635, 640, 645, 647, 648, 654, 655, 658, 662, 664
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	480, 502, 517, 533, 534, 544, 547, 594, 663
विधि और न्याय	464, 473, 506, 509, 575, 590, 597, 601, 607, 609, 621, 641, 659, 665, 667
नवीन एवं पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा	467, 526, 593, 595, 608, 644, 652
विद्युत	460, 487, 494, 516, 520, 525, 532, 536, 537, 555, 565, 570, 579, 582, 586, 605, 610, 615, 620, 627, 630, 639, 660, 668

ग्रामीण विकास	459, 479, 490, 491, 505, 512, 513, 539, 541, 542, 543, 545, 556, 572, 576, 578, 585, 588, 591, 611, 626, 638, 650, 653, 656, 661
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	476, 481, 486, 503, 561, 631, 636, 669
शहरी विकास	456, 458, 463, 465, 468, 470, 471, 474, 475, 477, 478, 482, 483, 484, 485, 493, 496, 508, 518, 522, 540, 548, 550, 557, 564, 571, 573, 581, 583, 600, 602, 604, 614, 616, 624, 633, 637, 642, 643, 646, 649, 651, 657, 666

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एसोसिएट प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।